षोडश माला, खंड 33, अंक 10

बुधवार, 01 अगस्त, 2018
10 श्रावण, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 18 अगस्त 2021

(खण्ड 32 में अंक 10 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

एस.बी. त्रिपाठी
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

© 2018 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

षोडश माला, खंड 33, पन्द्रहवां सत्र, 2018/1940 (शक)
अंक 10, बुधवार, 01 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

विषय	*कॉलम*
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 205	1-47
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 220	47-88
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	88-599
सभा पटल पर रखे गए पत्र	599-601
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
43वां प्रतिवेदन	601
लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति (16वीं लोक सभा)	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	601-602
वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति	
(एक) प्रतिवेदन	602
(दो) साक्ष्य	602
अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याण संबंधी समिति	
12वां प्रतिवेदन	602
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की गई कार्रवाई विवरण	603
संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4200 के 21 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण	
श्री पी.पी. चौधरी	604-606
सदस्यों द्वारा निवेदन	
केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप हुए समुद्री अपरदन के बारे में	606-630
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) असम में बाढ़ की समस्या के बारे में	
श्री रमेन डेका	631
(दो) देश में वन्य जीव अभयारण्यों द्वारा विस्थापित लोगों को पर्याप्त राहत पैकेज और वैकल्पिक भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	631-632

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय *कॉलम*

(तीन) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री लखन लाल साहू 632

(चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता
श्री जगदम्बिका पाल 632-633

(पांच) असम के डिब्रूगढ़ में एक पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता
श्री रामेश्वर तेली 633

(छह) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 633-634

(सात) झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गढ़वा डाकघर में ग्राहक सेवाओं के बारे में
श्री विष्णु दयाल राम 634

(आठ) छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता
डॉ. बंशीलाल महतो 634-635

(नौ) महाराष्ट्र के दहानु तालुका में विकास परियोजनाओं के बारे में
श्री गोपाल शेट्टी 635

(दस) लातूर एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं के विस्तार के बारे में
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ 636

(ग्यारह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केले को शामिल किए जाने की आवश्यकता
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा 636

(बारह) वर्षा ऋतु के दौरान शहरों में जल जमाव की समस्या का निराकरण करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता
श्री शरद त्रिपाठी 636-637

(तेरह) कर्नाटक के दो मंदिरों को 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में
श्री आर. ध्रुवनारायण 637

(चौदह) लोगों के निजी डाटा के अवैध विक्रय पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता
श्री एम.आई शनवास 637

(पंद्रह) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में
डॉ. करण सिंह यादव 638

(सोलह) मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों (बी.ए.एस.ए.) में मदुरै को शामिल किए जाने के बारे में
श्री टी. राधाकृष्णन 638-639

(सत्रह) तमिलनाडु में विल्लुपुरम जंक्शन को एक आदर्श स्टेशन बनाए जाने के बारे में
श्री एस. राजेन्द्रन 640

विषय *कॉलम*

(अट्ठारह) पश्चिम बंगाल में चांदखली हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 640-641

(उन्नीस) ओडिशा के बोलंगीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर एक बाईपास का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री कलिकेश एन. सिंह देव 641

(बीस) 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम 'मुम्बई उच्च न्यायालय' किए जाने की आवश्यकता

श्री विनायक भाऊराव राऊत 641-642

(इक्कीस) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 'बॉम्बे' उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री धनंजय महाडीक 642

(बाईस) जिला पंचायत द्वारा किए जाने वाले विकास संबंधी कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 642-643

(तेईस) पंजाब में सावन नदी को चैनलबद्ध करने के लिए धनराशि जारी किए जाने के बारे में

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 643

(चौबीस) राज्य विधान सभा में सिक्किम के लिम्बू-तमांग समुदायों के आरक्षण के बारे में

श्री प्रेम दास राई 643-644

(पच्चीस) केरल में त्रिस्सूर नगर निगम को डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि दिए जाने के बारे में

श्री सी.एन. जयदेवन 644-645

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

विचार करने के लिए प्रस्ताव 645

श्री रवि शंकर प्रसाद 645

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 650

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 657

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा 665

श्री जेजे. नट्टर्जी 669

श्री इदरिस अली 670

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 673

विषय *कॉलम*

डॉ. ए. सम्पत 675

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड 680

श्री असादुद्दीन ओवैसी 683

श्री पिनाकी मिश्रा 685

श्री राजेश रंजन 687

डॉ. रविन्द्र बाबू 688

श्री कौशलेन्द्र कुमार 689

खंड 2 से 20 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव 708

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक के संबंध में संयुक्त चर्चा हेतु अपनाए जाने के लिए प्रक्रिया 657

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

विचार करने के लिए प्रस्ताव 709

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) 709

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 710

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 716

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 721

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 722-732

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 733-734

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 734-736

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रह्लाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री के. एच. मुनियप्पा
डॉ. पी. वेणुगोपाल
श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

बुधवार, 1 अगस्त, 2018/10 श्रावण, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

*[**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुईं]*

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर) : मैडम, असम और मेघालय बॉर्डर पर, बंगालियों को पीटा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं। कृपया अपने स्थान पर जाएं। अब हम प्रश्न काल लेंगे। प्रश्न संख्या 201, श्री लक्ष्मी नारायण यादव।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) :क्या बंगालियों को मारा-पीटा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201, श्री लक्ष्मी नारायण यादव।

[हिन्दी]

बकाया संबंधी समिति

*201. **+श्री लक्ष्मी नारायण यादव :**
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2015 में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के संकल्प के अनुसरण में लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु कोई बकाया संबंधी समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लबित मामलों के निपटान हेतु उक्त समिति द्वारा अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 2015 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के अनुसरण में जहां यह विनिश्चय किया गया था कि सभी उच्च न्यायालय बकाया समिति का गठन करेंगे, तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों को लंबित मामलों विशेषकर पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के मुद्दे का समाधान करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे उपायों से सरकार को अवगत कराने का अनुरोध करते हुए लिखा था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी 24 उच्च न्यायालयों ने बकाया समिति का गठन किया है। बकाया समिति भारत के उच्चतम न्यायालय में भी गठित की गई है।

उच्च न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों में कमी करने के लिए की गई प्रगति पर अप्रैल, 2016 में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पुन: विचार किया गया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों की बकाया समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अन्य बातों के साथ यह विनिश्चय किया गया था कि -

(i) सभी उच्च न्यायालय उन मामलों के निपटान को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करेंगे जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; (ii) उच्च न्यायालय जहा पांच वर्ष से अधिक समय से मामले लंबित हैं, वह मिशन मोड में उनके निपटान को सुकर बनाएंगे; (iii) उच्च न्यायालय उसके पश्चात् उत्तरोत्तर चार वर्ष से अधिक लंबित मामलों के निपटान का लक्ष्य निर्धारित करेंगे; (iv) जिला न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के निपटान को प्राथमिकता देते समय जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पर, जहां साध्य हो, विचार किया जा सकेगा; और (v) मामला प्रवाह प्रबंधन नियमों

को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह और विनिश्चय किया गया था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के क्रियान्वयन की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ या समिति स्थापित करेंगे और प्रत्येक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधि सृजित करेगा। तदनुसार, बकाया समिति उच्चतम न्यायालय में और सभी 24 उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयो में कार्य कर रही है।

इस सम्मेलन के अनुसरण में, न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रारों को सम्मेलन में पारित सकल्प के क्रियान्वयन के संबंध में किए जा रहे उपायों से सरकार को अवगत कराने का अनुरोध करते हुए लिखा था। बकाया समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप न्यायालय में लबित मामलों में कमी के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा किए जा रहे उपायों का सारणीबद्ध सार उपाबद्ध पर दिए गए संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

बकाया समिति की सिफारिशों पर लंबित मामलों में कमी करने के लिए किए गए उपायों पर उच्च न्यायालयों से प्राप्त उत्तरों का सार

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	लंबित मामलों में कमी करने के लिए किए गए उपाय
1.	इलाहाबाद	उच्च न्यायालय ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित छोटे मामलों में कमी करने के क्रम में "पेट्टी आफेन्स फाइन डिपोजिट स्कीम" (पावर ज्योति स्कीम) बनाई है और स्कीम की मानीटरी करने के लिए एक समिति भी गठित की गई है। 212 फास्ट ट्रैक न्यायालय सृजित किए गए हैं और 38 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन के संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया है। एक समिति अतिरिक्त न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के नामों की छान-बीन करने और सिफारिश करने के लिए गठित की गई है। लंबित मामलों में कमी करने के लिए मासिक अभियान चलाया जाता है। विधिक सहायता और विधिक सेवाओं के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों को प्रभावी करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है और मध्यकता पर कम से कम 500 न्यायिक अधिकारियों को 40 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।
2.	हैदराबाद	बकाया समिति गठित की गई है। न्यायालय समय का सख्त अनुपालन, न्यायालय के कार्य घंटे के दौरान प्रशासनिक कार्य से अनुपस्थिति, सभी अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और प्रधान जिला न्यायालय को कार्य का बराबर आबंटन, न्यायिक अधिकारियों के कार्यों की मानीटरी और मासिक समीक्षा, माध्यस्थम/सुलह/न्यायिक निपटारा जिसके अंतर्गत लोक अदालत, मध्यकता आदि भी है, के द्वारा मामलों का निपटान करने का निदेश देते हुए कई परिपत्र जारी किए गए हैं। उच्च न्यायालयों ने अधीनस्थ न्यायालय नियमों में मामला प्रवाह प्रबंधन को अंगीकृत किया है।
3.	बाम्बे	दो न्यायाधीशो की एक समिति गठित की गई है और कालिक बैठक आयोजित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान के लिए उपाय जिसके अंतर्गत मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 11 बिंदु कार्यक्रम की विनिर्मिती भी है, किए गए हैं। एक विशेष बोर्ड स्कीम, जहां सप्ताह में तीन दिन विशेष बोर्ड दिवस के रूप में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के विचारण के लिए निश्चित किए जाते हैं, प्रारंभ की गई है। बकाया मामलों में कमी करने के लिए विशेष अभियान भी आयोजित किया जाता है और प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति जिला स्तर पर राज्य सरकार को पुराने और अप्रभावी सरकारी मुकदमें वापस लेने के लिए सिफारिश प्रदान करने के लिए गठित की गई है।

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	लंबित मामलों में कमी करने के लिए किए गए उपाय
4.	कलकत्ता	न्यायिक अधिकारियो को पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के निपटान पर अतिरिक्त इकाईयां प्रोत्साहन के रूप में दी जाती हैं। पुराने मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में एक दिन समर्पित करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। प्रबंधन दिवस पर सुग्राहीकरण, समय प्रबंधन और मध्यकता के उपयोग साथ ही साथ ए.डी.आर. संचालित किए जाते हैं। विभिन्न जिलों में लोक अदालतें नियमित रूप में आयोजित की जाती हैं। उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर 50 "पुराने समावेदन लंबित मामले" सूचीबद्ध किए जाते हैं।
5.	छत्तीसगढ़	बकाया समिति ने उसकी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं : • जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को प्रोत्साहन के रूप में एक अतिरिक्त इकाई दी जानी चाहिए; और • विचारण न्यायालयों के लिए मामला प्रवाह प्रबंधन नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
6.	दिल्ली	समिति, लंबित मामलों में कमी के तरीके और साधनों का सुझाव देने के लिए गठित की गई है। जिला न्यायपालिका स्तर पर पांच वर्ष से अधिक के मामलों को प्राथमिकता देने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त इकाई दी जाती है।
7.	गुजरात	बकाया समिति गठित की गई है ओर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामलों के लिए मानक पुनरीक्षित किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सृजित नए जिलों में जिला और सेशन न्यायालयों की स्थापना की है। पारिवारिक मामलों के सुग्राहीकरण के लिए एक समिति गठित की गई है विशेष न्यायालय अर्थात् वाणिज्यिक न्यायालय, कंपनी अधिनियम, 2013 और एन.आई.ए. के अधीन अपराधों के विचारण के लिए स्थापित किए गए हैं।
8.	गुवाहाटी	उच्च न्यायालयों की बकाया समिति पुराने मामलों की मानीटरी और भुगतान के लिए गठित की गई है। 2008 तक के मामले प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किए गए हैं। जिला न्यायालयों को पुराने मामलों को अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।
9.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामलों को सूचीबद्ध करने और कतिपय मामलों का प्राथमिकता से निपटान करने के लिए सी.एम.आई.एस. प्रणाली अंगीकृत की है। लोक अदालतें नियमित आधार पर आयोजित की जाती है मध्यकता केंद्र स्थापित किए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निदेश जारी किए हैं।
10.	जम्मू और कश्मीर	अधीनस्थ न्यायालयों को कई परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें पुराने मामलो के निपटान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, महिलाओं, बालकों, दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार के मामलों का समयबद्ध रीति से निपटारा करना, सम्मिलित है।
11.	झारखंड	राज्य सरकार से अनुभाग अधिकारी और विधिक सहायकों के पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है। जिला न्यायपालिका स्तर पर, ऐसे मामलों जो 10 वर्ष से अधिक लंबित हैं को प्राथमिकता दी जाती है। विचाराधीन कैदियों के मामलों के निपटान के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए हैं। उच्च न्यायालय में पुराने स्वीकृत मामले दो दिन के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं और पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन पुराने सुनवाई मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं।

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	लंबित मामलों में कमी करने के लिए किए गए उपाय
12.	कर्नाटक	बकाया समिति ने न्यायिक अधिकारियों को (क) 200 सबसे पुराने मामले, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना है, की पहचान करने और (ख) तीन माह के भीतर निपटाने के लिए उनमें से 45 पुराने मामलों का निदेश देते हुए मार्ग दर्शक सिद्धांत विनिर्मित किए हैं। पुराने मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त इकाइयां प्रदान करने हेतु साधारण परिपत्र जारी किए गए हैं।
13.	केरल	अधीनस्थ न्यायालयों को पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों के निपटान पर ध्यान देने का निदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने 2010 तक सूचीबद्ध मामलों के लिए टी.एफ.डी. (निपटान के लिए लक्षित) समनुदेशित किया है। उच्च न्यायालय की एक पीठ को पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को निपटाने के लिए नियत किया गया है।
14.	मध्य प्रदेश	सूचीबद्ध करने की नई योजना आरंभ की गई है जो पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को, जिन्हें अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाना है, की पहचान और उनका वर्गीकरण करती है। 10 वर्ष पुराने मामलों को भी प्राथमिकता दी जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के लिए बकाया समिति सह मामला प्रबंधन समिति गठित की गई है। पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य में जिला न्यायाधीशों ने कतिपय अपराधों के लिए पांच वर्ष या उससे अधिक लंबित मामलों के संबंध में सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।
15.	मद्रास	अधीनस्थ न्यायपालिका को पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों की प्रत्येक सोमवार (आपराधिक मामले) और बुधवार (सिविल मामले) को सुनवाई और निपटान करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में मुख्य न्यायमूर्ति, बकाया समिति के सदस्य न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के मध्य पुराने लंबित मामलों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श और समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालित की जाती है।
16.	मणिपुर	मणिपुर उच्च न्यायालय की एक बकाया समिति है जिसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष के रूप में, उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीश सदस्य के रूप में और रजिस्ट्रार (न्यायिक) सचिव के रूप में हैं, नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और मामलों का निपटान समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे मामलों के निपटान पर जोर दिया जाता है जो दस वर्ष से अधिक पुराने हैं। वर्तमान में, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीशों विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों, कुटुंब न्यायालयों के न्यायाधीशों और एम.ए.सी.टी./राजस्व/कोपरेटिव सोसाइटी अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को दस माह के भीतर दस वर्ष से अधिक पुराने मामलों के निपटान का निदेश दिया गया था।
17.	मेघालय	बकाया समिति पुनर्गठित की गई है।
18.	उड़ीसा	उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए माननीय शीर्ष न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार बकाया समिति गठित की गई थी। मामलों के त्वरित निपटान के लिए बकाया समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं।
19.	पटना	जिला और सेशन न्यायालयों को 2000 से पहले लंबित मामलों को तीन माह के भीतर निपटान

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	लंबित मामलों में कमी करने के लिए किए गए उपाय
		करने और 2006 से पहले संस्थित मामलों का छह माह के भीतर निपटान करने के लिए विशेष अभियान आरंभ करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। प्रतिमाह 50 मामलों का निपटान का लक्ष्य विनिर्दिष्ट किया गया है। आपराधिक अपीलों विशेषकर जो उच्च न्यायालयों में 1992 से लंबित हैं के निपटान के लिए अनन्य पीठें गठित की गई हैं।
20.	पंजाब और हरियाणा	उच्च न्यायालय ने प्राथमिकता पर पुराने मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए क्रियाविधि प्रारंभ की है। उच्च न्यायालय के पास संकल्पनात्मक वार्षिक कार्य योजना 2016-17 है जो अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायिक अधिकारियों (जिला ओर सेशन न्यायाधीशों को छोड़कर) के लिए लक्ष्य नियत करता है। अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामले, जो 15 और 20 वर्षों से अधिक पुराने हैं, को क्रमश: छह माह और तीन माह की अवधि के भीतर निपटाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यातायात मामलों और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए हैं।
21.	राजस्थान	माननीय बकाया समिति ने मामलों के त्वरित और समयबद्ध निपटान के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। मानीटरी के लिए एक प्रभावी क्रियाविधि भी विकसित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामलों के समय पर निपटान को मानीटर करने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। कार्य संपादन, लंबित मामले, आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए संबंधित जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में द्विमासिक बैठक आयोजित की जाती है।
22.	सिक्किम	बकाया समिति अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें सिक्किम के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामला प्रवाह प्रबंधन नियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजित कर रही है।
23.	त्रिपुरा	पांच वर्षों से अधिक लंबित मामलों में वारंट के अनिष्पादन से संबंधित मामले पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) के समक्ष उठाए गए हैं। डी.जी.पी. ने लंबे समय से लंबित सभी वारंटों के निष्पादन को मानीटर करने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक प्रकोष्ठ गठित किया है। पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। जिला न्यायपालिका में मामलों के निपटान के लिए समय सीमा जारी की है।
24.	उत्तराखंड	बकाया समिति की सिफारिश पर और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालयों को 1 जनवरी, 2012 से पहले संस्थित सभी प्रकृति के मामलों को 31 मार्च, 2018 तक निपटाने का निदेश दिया गया है। जिला स्तरों पर भी बकाया समिति गठित की गई है।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना लाकतंत्र का बहुत बड़ा आधार स्तंभ होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मै जानती हूं। लेकिन यह मामला प्रतिदिन नहीं उठाया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

इस समय कुमारी सुस्मिता देव आगे आकर सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में पिछले कई वर्षों से इतने ज्यादा प्रकरण उत्पन्न हुए कि

उनके चलते वर्षों-वर्ष गुजर गए और हम सब जानते हैं कि ऐसे कई लोग रहे जो न्याय की आस में अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। ...*(व्यवधान)* वे जेलों में सड़ते हैं।...*(व्यवधान)* मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने बहुत ही ईमानदार प्रयास आरंभ किए।...*(व्यवधान)* जिसके चलते एक सम्मेलन सन् 2015 में मुख्यमत्रियों का बुलाया गया और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, उस सम्मेलन में कुछ फैसले हुए, जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है।...*(व्यवधान)* उसके अनुसार यह निर्णय हुआ था कि पांच साल के भीतर सारे के सारे प्रकरण निपटा दिए जाएंगे। ...*(व्यवधान)* ये प्रकरण अधिकतम पांच साल के लिए लंबित रहेंगे।...*(व्यवधान)* महोदया, उस समिति के बनने के बाद क्या-क्या हुआ, यह तो इन्होंने उत्तर में बता दिया है।...*(व्यवधान)* परंतु यह नहीं बताया है कि उसके परिणामस्वरूप कितने प्रकरण अभी तक निपट गए हैं और कितने लंबित हैं।...*(व्यवधान)* मेरे एक अनुमान के मुताबिक उस निर्णय को हुए तीन साल हो गए हैं।...*(व्यवधान)* महोदया, कम से कम दो तिहाई प्रकरण जो पांच सालों से लंबित हैं, वे निपट जाने चाहिए थे।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें वास्तविक स्थिति क्या है?...*(व्यवधान)* उस संकल्प के बाद कितने प्रकरण निपटे हैं?...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय कुमारी सुस्मिता देव अपने स्थान पर वापस चली गईं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है। आपने सही कहा कि एक बैठक सन् 2015 में हुई थी, फिर सन् 2016 में चर्चा हुई थी, उसके बाद पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सारे उच्च न्यायालयों की एक बैठक बुलाई थी। मैं स्वयं चर्चा करके इसको मॉनिटर करता हूं।

महोदया, मैं एक बात सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा, आप इस मामले में स्वयं अनुभवी हैं। हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, जैसे कोर्ट हॉल बने, रेसिडेंशियल यूनिट बने, कानून पास हो आदि। जजों का काम निर्णय करना है। भारत की न्यायपालिका आजाद है। आपने मुझसे सवाल किया है तो जो मैं देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सन् 2014 के बाद से लगभग 10,573 केसों के डिस्पोजल में कमी आई है। उच्च न्यायालयों में 1,94,000 केसों के डिस्पोजल में कमी आई है। लेकिन जो हमारी सबऑर्डिनेट ज्यूडिशरी है, इसमें अभी संख्या के मामले में संतोषजनक निदान नहीं हुआ है। आपने बताया, मैंने हाईकोर्ट का विस्तार से आपको संलग्न दिया है। एक जो मुझे कारण दिखाई पड़ता है कि सैंट्रल स्कीम में सन् 1993-94 से हम जो राशि दे रहे थे, मोदी जी की सरकार आने के बाद उसका 42 परसेंट हम लोगों ने दिया है, जो 25 सालों में हाइएस्ट है। यह इन चार सालों में सबसे ज्यादा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आकड़ा जरूर देना चाहूंगा कि हमारी कोशिश है कि अगले साल मार्च तक 21,153 कोर्ट हॉल्स हो जाएंगे, यानि जजों से अधिक कोर्ट हॉल्स देश में हो जाएंगे। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वर्ष 2014 से 2,819 कोर्ट हॉल्स बने हैं। न्यायाधीशों के लिए आवास की 2,321 यूनिट्स बनी हैं।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल जूडिशियल डेटा ग्रिड पर 10 करोड़ केसेज, जो डिस्पोज्ड ऑफ हैं, जो पेन्डिंग हैं, का डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध है। हम जिलेवार ले रहे हैं और जो भी केस पांच साल से ऊपर के हैं, खासकर क्रिमिनल केसेज, उनके लिए मैंने स्वयं सारे मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। मैं उन्हें लिखता रहता हूं, उनसे चर्चा भी करता हूं कि आपको प्राथमिकता में क्रिमिनल केसेज का डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उनके फैसले भी हुए हैं और हम इसे आगे बढ़ायेंगे। दस साल से पुराने जितने भी सिविल केसेज हैं, उनको प्राथमिकता में डिस्पोज ऑफ कीजिए और बाकी जो हीनस ऑफेंस हैं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं के खिलाफ केसेज हैं, उन पर कार्रवाई होगी।

श्री लक्ष्मी नारायण : महोदया, मंत्री जी ने काफी अच्छा उत्तर दिया है। आजकल आम जन-मानस में यह धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मामले लम्बित होने का एक कारण पी.आई.एल. को निपटाने का है और उन्होंने यह एक नया काम अपने ऊपर ले लिया है। न्यायपालिका पी.आई.एल. के माध्यम से सरकारों पर कन्ट्रोल करने या सरकारों को चलाने का काम करना चाहती है। क्या आम जन-मानस की यह धारणा सही है कि इसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हाई कोर्ट्स में केसेज ज्यादा लम्बित हो रहे हैं, क्योकि माननीय न्यायाधीशों का ध्यान पी.आई.एल. को निपटाने में ज्यादा लगा रहता है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, गरीबों के हक में पी.आई.एल. दाखिल की जाए, मजदूरों को वेतन मिले, इसके लिए पी.आई.एल. दाखिल की जाए, अगर कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर पी.आई.एल. हो, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत चर्चा कम करता हूं, लेकिन बिहार के कुछ बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में पी.आई.एल. का वकील मैं ही था, जिसमें नेताओं को सजा हो रही है। मैं एक बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि शासन चलाने का अधिकार उन्हीं का है, जिन्हें जनता शासन करने के लिए चुनती है और जो हाउस के प्रति जवाबदेह होते हैं। कानून बनाने का अधिकार उन्हीं का है, जिनको जनता वोट देकर कानून बनाने के लिए चुनती है और जो सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। मैं बहुत विनम्रता से यह कहूंगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम पी.आई.एल. के माध्यम से शासन चलाना नहीं है। यह अधिकार देश के संविधान ने चुने हुए लोगों को दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लम्बित मामलों में किसानों की जमीन अधिग्रहण से सम्बन्धित मामले, सिंचाई के प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट लैंड तथा कई जगहों पर विविध संगठनों द्वारा एडमिशन और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने पर कई उच्च न्यायालयों में रिट पिटीशन दाखिल हुई है। वनधारणीय अधिकार की रक्षा के लिए क्या कानून मंत्रालय कोई मदद करेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सराहना करता हूं कि वह कानून में जल्दी से जल्दी सुधार करके, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का बहुत अच्छा कदम उठा रही है। मैं इसके लिए सरकार के कानून मंत्रालय का बहुत आभारी हूं। मैं वनधारणीय अधिकार की रक्षा हेतु कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इसमें क्या सहायता कर सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, सरकार आने के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी का पहला निर्देश था कि पुराने कानूनों को समाप्त करो। जो अनुपयोगी कानून हैं, जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं और गरीब विरोधी हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक लगभग 1,400 कानून हम निरस्त कर चुके हैं, जिस पर इस सदन ने सहयोग किया है। हमने कई राज्य सरकारों को भी कहा है कि आप भी पुराने कानूनों को निरस्त कीजिए और काफी लोगों ने ऐसा किया है। हम इस काम को करेंगे और ऐसा करते रहेंगे कि जितने भी अनुपयोगी कानून हैं, वे समाप्त होने चाहिए। जहां तक आपने वन बंधुओं और उनके अधिकारों की बात कही, हमारी सरकार पूरी तरह सजग है। जहां भी इस प्रकार के मामले हाई कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हमारी सरकार मॉनीटर करती है, हमारा सम्बन्धित विभाग मॉनीटर करता है, मैं स्वयं मॉनीटर करता हूं। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक हाई कोर्ट के किसी स्पेसिफिक केस के बारे में चिंता हो तो वह मुझे बताइए, मैं अवश्य सहयोग करूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज जिस प्रकार से कोर्ट में ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं, उनके लिए ही हर जगह हाई कोर्टस की ब्रांचेज बनाई गई हैं। ऐसी ही एक ब्रांच मेरे कांस्टीटूएंसी गुलबर्गा में बनी है, लेकिन जूरिस्डिक्शन कम रहने के कारण कोर्ट को जितना केसेज ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उतने नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने आपसे भी दरख्वास्त की और उसी ढंग से मैं चीफ जस्टिस से भी मिला। हमने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से रिकमेंडेशन के लिए प्रयास किया, लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। अगर आप वह काम नहीं करेंगे तो बेंगलुरू में जो केसेज़ पेंडिंग्स हैं, गुलबर्गा और बेंगलुरू में कम से कम 800 किलोमीटर का अंतर है, उसी तरह से धारवाड़ है, वह भी गुलबर्गा से कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए गुलबर्गा में कोर्ट की ब्रांच खोली गई थी। उसकी बिल्डिंग भी सभी तरह से ठीक हो गई है। वहां जिन जजों का अपॉइंटमेंट होता है, उनमें से सिर्फ दो या तीन जजों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। वे केसेज ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैं कहूंगा कि हैदराबाद तथा कर्नाटक में स्पेशल कोर्ट के लिए हमने यहां 371(जे) का अमेंडमेंट किया है, संविधान में संशोधन किया है। मैं चाहूंगा कि जिस एरिया के लिए उस कोर्ट को बनाया गया है, अगर आप पूरे एरिये को एक ही हाई कोर्ट में लाएंगे तो सभी को सहूलियत होगी और कोर्ट भी फिजिबल बनेगा।

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय खड़गे जी, आप बहुत ही अनुभवी सांसद हैं और आपको प्रशासन का भी अनुभव है। आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका आजाद है। न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है - किस क्षेत्र में, कौन सी पीठ बैठेगी और उनका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होगा? ये सभी मामले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

निर्धारित किया जाएगा। सही प्रक्रिया वही है। महत्व की बात यह है कि आपकी चिंताओं का संप्रेशन कैसे हो? इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी हैं कि पीठ कहां स्थापित होने चाहिए और उनमें कौन से मामले जाने चाहिए। इसमें उच्च न्यायालय एक प्राथमिक संस्थान है जिसका परामर्श आवश्यक है।

अब आपने मेरे समक्ष एक मुद्दा रखा है। मैं निसंदेह आपकी चिंताओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अवगत करूंगा। वह किस स्थान का चयन करेंगे - वह उनका विशेषाधिकार है...*(व्यवधान)* एक मिनट। लेकिन जहां तक आपकी चिंताओं का संबंध है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं उन्हें अवश्य बताऊंगा कि यह मुद्दा आपने उठाया है। तथापि मेरा अधिकार सीमित इसलिए मैं उस दायरे में ही रहना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करती है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में एक ऐसा केस लाना चाहता हूं, जिसे मैं समझता हूं कि देश में सबसे ज्यादा समय से लंबित पड़ा है और सबसे ज्यादा संवेदनशील है।

मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1984 के कत्लेआम के कुछ दोषी लोगों के विरुद्ध केस चल रहा है। उनमें से एक केस ऐसा है जिसमें हमारे मंत्री जी वकील थे, मैं सारे सिख समाज की ओर से इनका आभारी हूं, जब चार्ज लगाए गए थे, क्योंकि इन्होंने फीस भी नहीं ली थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज अखबारों में भी आया है कि वह केस डेढ़ वर्ष से फाइनल स्टेज पर हियरिंग में चल रहा है। कल माननीय कोर्ट ने एलान कर दिया कि उनकी कोई प्रमोशन हो रही है और उस केस को किसी और को ट्रांसफर किया जाए। आज वकील आए थे और हमारे सिख समुदाय के बहुत से लोग आए थे। अगर उस केस को ट्रांसफर कर दिया गया तो वह केस और डेढ़-दो वर्ष चलेगा। जिनके विरुद्ध वह केस है, वे अब आखिरी उम्र में चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई विधि-विधान बने, जिससे वह केस ट्रांसफर न हो, उसकी डे-बाई-डे हियरिंग हो ताकि हमारे समाज को इंसाफ मिल पाए। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि वर्ष 1984 के नरसंहार में जो न्याय मिलना चाहिए था, उसमें कठिनाई हुई है। हमारी सरकार आने के बाद एस.आई.टी. बनाई गई और स्वयं गृह मंत्री जी कोशिश में लगे हुए हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इसमें मैं आपको इतना आश्वस्त करूंगा कि आपकी पीड़ा के अनुसार इसे और एक्सपिडाइट करें, यह हम लोग का कलैक्टिव कमिटमेंट है। लेकिन मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम किसी जज को कहीं का चीफ बनाकर भेजता है, तो उनकी एक प्रक्रिया होती है।

मैं उसमें अवरोध पैदा नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे कहीं भी जाएं, उसका फास्ट ट्रैक करके डिसीजन हो, इसमें हमारा विधि विभाग पूरा सहयोग करेगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी : माननीय विधि मंत्रियों - विधि मंत्री और विधि राज्य मंत्री दोनों को मामलों से निपटने का व्यवहारिक अनुभव है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि जो संकल्प लिए गए हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं कि सभी उच्च न्यायालय पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों के निपटारे को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करेंगे। इसे लागू नहीं किया गया है। आज सभी मामले लंबित पड़े हुए हैं। 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी याचिकाएं और 8-10 वर्ष से भी अधिक समय से पुराने फौजदारी मामले लंबित पड़े हुए हैं। समय बीतता जा रहा है। अन्ततोगत्वा जब आरोपमुक्त घोषित किया जाता है तो वो 13-14 वर्ष से भी अधिक समय से जेल में बन्द हुए बीत चुके होते हैं। आपने वाणिज्यिक न्यायालय भी बनाए हैं। आपने अच्छे कदम उठाए हैं। ये कदम उठाने पर आपकी सराहना करनी ही होगी। लेकिन संयोगवश, लेकिन अब तक जो न्यायाधीश फौजदारी मामले सुन रहे थे वही अब वाणिज्यिक अदालती मामले सुन रहे हैं। जब तक पदों का सृजन नहीं किया जाएगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा।

महोदया, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना और अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जिला न्यायालयों में अपीलों और निर्णयों सहित सभी उच्च न्यायालयों में कितने मामले 5 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं? ऐसे कितने निर्णयों का कार्यान्वयन किया गया है और कितने मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वे मुझ से और माननीय राज्य मंत्री

दोनों से ही अधिक प्रख्यात वकील हैं। अत: उनका अनुभव अधिक व्यवहारिक है...*(व्यवधान)* मैंने कभी इस बात के लिए कभी बहस में नहीं पड़ा कि लेकिन थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलना ही चाहिए।

अब महत्वपूर्ण क्या है? विधि मन्त्री के रूप में अपने विभाग की ओर से मैं सभी मुख्य न्यायाधीशों को जिला-वार आंकड़े देते हुए व्यक्तिगत रूप से लिख रहा हूं। यदि आप मेरे उत्तर के साथ संलग्न अनुबन्ध को देखें तो उसमें पहले से ही सब लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय ने क्या किया है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत से उच्च न्यायालयों ने पदोन्नति, गोपनीय रिपोर्ट के पुराने मूल्यांकन को पुराने मामलों के निपटान की शर्त से जोड़ दिया है। अत: कई उच्च न्यायालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें इसकी सराहना करनी चाहिए।

जी हां, मैं आपकी चिन्ता को भी ध्यान में रखता हूं। अध्यक्ष महोदया, मेरी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों में 5000 से भी अधिक न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने की न तो भारत सरकार के पास शक्ति है और न राज्य सरकार के पास। कहीं अधिकांश उच्च न्यायालय परीक्षाओं का आयोजन करते हैं तो कई राज्यों में लोक सेवा आयोग सिफारिश करते हैं। हमने क्या किया है? हम कुछ प्रतिशत के साथ किसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा में पदों पर नियुक्ति हेतु एक केन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यह प्रतिबद्धता है कि वंचित समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को भी अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। प्रशिक्षण के बाद उनको पदोन्नति देकर उच्च न्यायालय भी भेजा जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन के मामले में भी सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

हमारे और कुछ न्यायालयों के बीच मतभेद हैं। मुझे विश्वास है कि सामूहिक इच्छा के साथ हम उससे बाहर आने में समर्थ होंगे। अब हमारे यहां नेशनल लॉ स्कूल हैं। प्रतिभावान बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं। आई.आई.टी. के बाद भारत की उत्कृष्ट मेधाएं नेशनल लॉ स्कूल में आती हैं। क्यों न ऐसा हो कि कुछ वर्षों की वकालत के बाद उनको अपर जिला न्यायाधीश बना दिया जाए ताकि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सोपान में शामिल हो सकें? ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम समावेशी समाज की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में उसकी झलक दिखनी चाहिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है।

चीन के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन

***202. प्रो. सुगत बोस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुहान में चीन के राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किये जाने के क्या कारण हैं तथा चर्चा में शामिल किए गए मुद्दे क्या हैं और बातचीत के परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या अगला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत में होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?

[हिन्दी]

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच अप्रैल 24-28 को चीन के वुहान में पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई थी। नेतृत्व स्तर पर कूटनीतिक संपर्कों का ये नवीन प्रारूप था, इस अनौपचारिक शिखर वार्ता से दोनों नेताओं को सीधे तौर पर स्वतंत्र वातावरण में रणनीतिक महत्व के दीर्घकालिक और अति महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। यह शिखर वार्ता बिना किसी न्याचार और पूर्व निर्धारित एजेंडे के की गई थी। यह वार्ता किन्हीं विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए नहीं की गई थी, बल्कि भारत-चीन संबंधों के भविष्य की दिशा को तय करने के लिए आम सहमति बनाने और आपसी विवादों से निपटने के लिए दोनों पक्षों द्वारा उचित वातावरण बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2019 में परस्पर सुविधाजनक समय पर द्वितीय अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री की ओर से भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

प्रो. सुगत बोस : अध्यक्ष महोदया, मैं इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 'ब्रिक्स' शिखर वार्ता में भाग लेकर स्वदेश वापस लौटे हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं जहां उन्हें चीन के राष्ट्रपति के साथ एक बार पुन: संवाद करने का अवसर मिला। मैं यहीं से उन्हें 'नमस्कार' कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया, इक्कीसवीं शती के इस प्रारंभिक समय में, एशिया 200 वर्ष पूर्व खोई अपनी वैश्विक स्थिति के दिनों में फिर लौट रहा है। इसे एशियाई शती बनाने के अपने स्वप्न को साकार करने हेतु भारत और चीन को साथ मिलकर शांतिपूर्वक अपनी प्रगति को साधित करना होगा। इसके लिए यही समीचीन होगा कि दोनों देशों की सरकारों के बीच उच्च स्तर पर वार्ता हो। मुझे आशा है कि वुहान में हुई इस अनौचारिक वार्ता से अगले वर्ष भारत में किसी सुंदर स्थल पर एक अन्य अनौपचारिक बातचीत के न सिर्फ द्वार खुलेंगे, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच के मतभेद सुलझाने और सहयोग बढ़ाने हेतु एक रणनीतिक संवाद संरचना बनाने का पथ भी प्रशस्त होगा।

मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में जो ब्यौरा दिया गया है और नौ-घंटे लंबी बातचीत का जो परिणाम बताया गया है उसमें एक शब्द खासतौर पर मौजूद नहीं है। वह है 'डोकलाम' नाम का स्थान, जो पिछले वर्ष हमारी संसद के मानसून सत्र के दौरान बहुत चिंता का विषय रहा था। विपक्ष की ओर से हमने सरकार का इस हेतु समर्थन किया था कि हमारे बहादुर सैनिकों से अपनी स्थिति में डटे रहने को कहा जाए और इस संकट के समाधान के लिए राजनयिकों से हरसंभव प्रयास करने को कहा जाए।

हमारी संसद को इस मामले पर विश्वभर में लिए जाने की आवश्यकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने डोकलाम का मुद्दा उठाया है अथवा नहीं; और दोनों नेताओं ने अपनी सेनाओं को जो सामरिक निर्देश दिए हैं उसके परिणामस्वरूप सिलिगुड़ी स्थित हमारे सीमावर्ती गलियारे के अत्यंत निकट निर्मित चीनी आधार संरचना को नष्ट किया जाएगा या नहीं। क्या विदेश मंत्री महोदया, इस मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगी?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, सांसद प्रो. सुगत बोस बहुत विद्वान सांसद हैं। आपने कहा कि एक वर्ड 'कांस्पीक्यूअस बाय इट्स ऐबसेन्स एण्ड देट इज डॉकलाम'। शायद उससे पहले की लाइन में आपने नहीं देखा उसमें यह भी लिखा है कि स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस नही हुआ तो डोकलाम शब्द कैसे आता।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि वुहान की...*(व्यवधान)*।

माननीय अध्यक्ष : पहले सुन लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहले पूरा जवाब सुन लीजिए, वुहान की समिट किसी तय एजेंडे के साथ नहीं हुई थी। मैं वुहान की समिट की तैयारी के लिए स्वयं चीन गई थी। दोनों विदेश मंत्रियों ने यह तय किया था कि हम किसी स्पेसिफिक एजेंडे या किसी निर्धारित एजेंडे में अपने नेताओं को न बांधे, उन्हें स्वतंत्र रूप से बात करने दें। आप कहेंगे कि इसका ध्येय क्या था? वहां मुद्दों को सुलझाना ध्येय नहीं था, मुद्दों को सुलझाने के लिए सही वातावरण तैयार करना उद्देश्य था। ध्येय तीन थे, पहला, दोनों नेताओं के बीच सहजता यानी कम्फर्ट लेवल बढ़े, दूसरा, दोनों नेताओं के बीच आपसी समझ म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तीसरा दोनो नेताओं के बीच पारस्परिक विश्वास बढ़े, म्युचुअल ट्रस्ट यानी समझ, सहजता और विश्वास बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई थी। मैं सदन में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं कि इन तीनो ध्येयों में हमने सफलता प्राप्त की। उसके बाद केवल जोहान्सबर्ग में नहीं मिले, उसके पहले चीन में ही चिंगदाओ में मिले, एस.सी.ओ. समिट के साइडलाइन में मिले, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की साइडलाइन में मिले। वुहान में जो समझ बनी थी, उसके परिणामस्वरूप वहां जो हुआ, उसमें डोकलाम भी आता है। पहली बात यह हुई कि दोनों नेताओं ने अपनी मिलिट्रीज को निर्देश दे दिए कि अगर नीचे कोई मिस-अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई मतभेद होता है तो उसे निचले स्तर पर ही सुलझाएं, कोई विवाद न बनने दें। उसी के फलस्वरूप चीन के रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। दूसरी चीज तय हुई, जो वुहान मीटिंग का फॉलो-अप था, उसमें तय हुआ कि चीन-भारत के लोगों के बीच सम्पर्क बढ़े, इसके लिए भी एक तंत्र बना है जो विदेश मंत्री के स्तर पर बना है, जिसके लिए विदेश मंत्री इस वर्ष के अंत में यहां आ रहे हैं। फॉलो-अप के तौर पर ठोस उपलब्धियां भी हुई हैं। आप लंबा जवाब नहीं चाहेंगे, वरना मैं सभी ठोस उपलब्धियों का जिक्र करती। जहां तक डोकलाम का सवाल है, मैं पहले भी कह चुकी हूं, आज फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि डोकलाम बहुत ही परिपक्व कूटनीति के साथ सुलझा लिया गया है। फेस ऑफ साइट पर यथास्थिति बनी हुई है। डोकलाम की फेस ऑफ साइट पर एक तिल का भी अंतर नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

प्रो. सुगत बोस : मुझे यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता है कि डोकलाम मुद्दे का समाधान राजनयिक प्रयासों से कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष, मैं दूसरा पूरक प्रश्न हिन्द महासागर अंतरक्षेत्रीय रंगभूति जिसका भारत ऐतिहासिक रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक केंद्र रहा है में महत्वपूर्ण सरोकारों से संबंधित है। पिछले वर्ष के दौरान चीन ने जिबूति में मिलिट्री बेस अर्जित किया है तथा श्रीलंकाई पत्तन हम्बातोता को 99 वर्ष के पट्टे पर प्राप्त किया है। चीन हमारे पड़ोस में अन्य

देशो में पत्तनों का निर्माण कर रहा है और हिन्द महासागर से सटी धरती में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।

क्या हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को अपनी महासागरीय परिधि में अपने अलघुकरणीय हितों से स्पष्ट शब्दों में अवगत करा दिया है तथा दक्षिण चीन सागर में नौपरिवहन की स्वतंत्रता की मांग की है जिससे कि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में शांति और समृद्धि रहे?

अध्यक्ष महोदया, मुझे खेद है कि मुझे ये प्रश्न सुषमा जी से करने पड़ रहे हैं जो वुहान में उपस्थित नहीं थीं। मैंने मूलत: यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछा था किंतु हमारे सचिवालय ने इस प्रश्न को हमारी सम्मानित विदेश मंत्री को भेज दिया। एक संसदीय परंपरा रही है कि किसी भी महत्वपूर्ण शिखर बैठक के बाद, प्रधानमंत्री इस लोक सभा के समक्ष एक वक्तव्य देते रहे हैं। मैं सुषमा जी, जिनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, से यह सुनकर बहुत खुश हूं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने जब से दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे कुछ इस शिखर बैठक के बारे में कुछ शब्द बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वहां उपस्थित थी या नहीं, लेकिन मैं उत्तर देने में सक्षम हूं। वुहान में जो कुछ हुआ, मैंने उसका बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। मैंने कहा है कि मैं वहां तैयारी के लिए गई थी। मुझे सब मालूम है कि वहां क्या घटा इसलिए मैं पूरा उत्तर दूंगी।

जहा तक माननीय सदस्य ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात उठाई है, जो चीजें जग जाहिर हैं, जो हमारी नीति में हैं, उन्हें अलग से उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी यह नीति है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम रूट्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और भी आपस में डिस्प्यूट हों, अनक्लॉस के तहत इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर माने जाने चाहिए। रूल्स ऑफ ऑर्डर को माना जाना चाहिए और सारे विवाद अनक्लॉस के तहत ही तय किए जाने चाहिए। हमारी यह बहुत ही स्पष्ट नीति है, यह चाइना को भी मालूम है।...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय प्रधानमंत्री जी यहां मौजूद हैं। वे खुद ही वहां गए थे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। जो उनके प्रश्न हैं, वही जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है। मुझे खेद है।

श्री पी.डी. राय जी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इस प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रेमदास राय : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न पर चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह सक्षम हैं। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय विदेश मंत्री इसका उत्तर देंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्वेश्चन ऑवर है, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रेमदास राय : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न का उत्तर काफी व्यापक है और इसीलिए मैं उस प्रश्न पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं जो इस क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है और जिस प्रश्न को हमारे सहयोगी, डॉ. सुगत बोस पहले ही डोकलाम के संबंध में उठा चुके हैं। मैं उस सकल्प को समझ रहा हूं और बहुत खुश हूं।

तथापि, अध्यक्ष महोदया, चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में भूटान का दौरा किया है। मैं माननीय मंत्री से यह समझ सकता हूं कि क्या यह वुहान शिखर बैठक का यह परिणाम था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझी। चीन के वाई प्रीमियर भूटान में अब गए तो वुहान सम्मिट में इसके बारे में कैसे बात होती?

मैंने कहा कि वुहान सम्मिट में कोई तय एजेंडा नहीं था। भूटान के वाइस प्रीमियर अब गए, जो वुहान में किस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बारे में बात होती?...*(व्यवधान)* मैंने डोकलाम के बारे में जवाब इतना स्पष्ट दिया है कि किसी स्पेसिफिक इश्यू पर बात नहीं हुई। चूंकि डोकलाम सुलझ चुका था, डोकलाम सुलझ चुका है। मैं बार-बार कह रही हूं कि डोकलाम सुलझ चुका है, कूटनीतिक परिपक्वता, डिप्लोमेटिक मेच्योरिटी से सुलझ चुका है। वहा जो फेस साइट हैं, उस पर तिल भर भी परिवर्तन नहीं हुआ हैं।

मैं सदन में खड़े होकर कह रही हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि वहां का स्टेटस-को बराबर बना हुआ है, उसमें तिल भर भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बार-बार डोकलाम का विषय क्यों उठाया जाता है?...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : वहां यह इश्यू है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : विदेश मंत्री कुछ कहना चाहती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : भूटान और चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट अलग चल रहा है डोकलाम में ट्राई जंक्शन प्वाइंट की बात हमसे संबंधित थी। नॉर्दर्न डोकलाम का बाउंड्री डिस्प्यूट उनके साथ चल रहा है, यह भूटान और चीन के बीच में है। इसमें भारत कुछ नहीं कह सकता है।

हमारी जो फेस ऑफ साइट है, मैं उसके बारे में बार-बार कह रही हूं कि फेस ऑफ साइट का मामला 28 अगस्त, 2017 को सुलझ चुका है। वहा तिल भर भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

***203. +डॉ. के. गोपाल :**

श्री छोटे लाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी शत-प्रतिशत विद्युतीकरण संबंधी नीति की समीक्षा की है और वह अपना ध्यान सक्रिय तौर पर वार्षिक लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्विकास हेतु निजी क्षेत्र की सवाएं लेने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आधुनिकीकृत किये जाने और वाणिज्यिक रूप से विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वांछित परिणाम हासिल नहीं किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेल ने शेष बड़ी लाइन वाले मार्गो को चरणबद्ध आधार पर बेहतर ढंग से विद्युतीकरण करने की कार्य योजना बनाई है।

शेष बड़ी लाइन वाले रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए बनाई गई योजना का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	मार्ग किलोमीटर जिसे विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है
2018-19	6000
2019-20	7000
2020-21*	10500
2021-22*	10500

*इसमें 2018-19 के बजट में नए कार्य के रूप में दर्शाया गया खण्ड का 13675 मार्ग किलोमीटर शामिल है, जिसे अपेक्षित स्वीकृतियां मिलने के बाद ही निष्पादन हेतु शुरू किया जाएगा।

(ख) से (ङ) भारतीय रेलवे ने "जैसा है, जहां है" के आधार पर रेलवे की सुविधाओं एवं अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करके भारतीय रेलवे के 'ए-1' और 'ए' कोटि के स्टेशनों को पुनर्विकास करने के लिए इच्छुक पार्टियों से खुली निविदाएं आमंत्रित करके देने की अपनी योजना का विज्ञापन दिया था। स्टेशन पुनर्विकास की लागत स्टेशनों में और उसके आस-पास की भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए उपयोग करके पूरी की जानी थी। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रथम चरण में बोली के लिए 23 स्टेशनों को लिया गया था। इन 23 स्टेशनों में से केवल दो स्टेशनों अर्थात् जम्मू तवी (उत्तर रेलवे) और कोझीकोड (दक्षिण रेलवे) स्टेशनों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। अन्य स्टेशनों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.), जिसकी स्थापना 2012 में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और रेल भूमि विकास प्राधिकरण

(आर.एल.डी.ए.) के एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी, के माध्यम से शुरू किया गया है। आनन्द विहार, बिजवासन, चण्डीगढ़, गांधीनगर, हबीबगंज (भोपाल), सूरत और शिवाजी नगर (पुणे) रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य आई.आर.एस.डी.सी. को सौंपा गया है। हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशनों में कार्य शुरू कर दिया गया है। सूरत स्टेशन (पश्चिम रेलवे) और आनंद विहार, बिजवासन और चण्डीगढ़ (उत्तर रेलवे) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

निम्नलिखित 10 स्टेशनों के विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर.एल.डी.ए. और एन.बी.सी.सी.) इण्डिया लि. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तिरूपति, दिल्ली सराय रोहिला, नेल्लौर, मडगांव, लखनऊ, गोमतीनगर, कोटा, थाणे न्यू, एर्णाकुलम जंक्शन और पुदुचेरी।

गोमतीनगर के लिए संविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और चारबाग स्टेशन (लखनऊ) और तिरूपति स्टेशनों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

विकासकर्ताओं, निवेशकों और अन्य स्टैकहोल्डरों के साथ की गई विभिन्न चर्चाओं के दौरान वाणिज्यिक रूप से विकसित की गई परिसंपत्तियों के लिए लम्बी पट्टा अवधि, अनेक उप पट्टों, उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा गारंटी के साथ समयबद्ध अनुमोदन और सरलीकृत बोली प्रक्रियाओं सहित अनेक मुद्दे बार-बार उठाए गए। रेल मंत्रालय ने तीव्र गति से स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए संशोधित योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। विभिन्न विकल्पों के साथ सरल एवं पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए वाणिज्यिक विकास हेतु लम्बी पट्टा अवधियों के लिए भी भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) को एक नोडल एजेंसी के रूप में और अधिक सुदृढ़ करने एवं शक्तिशाली बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। तदनुसार, एक मंत्रिमंडल नोट की कार्रवाई आरंभ की गई है जिसमें स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की इस संशोधित कार्यनीति पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा गया है।

डॉ. के. गोपाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, रेलमार्गों का विद्युतीकरण अच्छी बात है और इससे देश में बहुमूल्य तेल की बचत हो सकेगी। साथ ही देश को व्यापक डीजल अवसंरचना मिली है। हमारे पास 5800 से ज्यादा कार्यरत डीजल लोकोमोटिव हैं। इसके अलावा हमारे पास डीज़ल विनिर्माण इकाईयां पहले ही से मौजूद हैं तथा और अधिक संख्या में इकाईयां आ रही हैं।

डीज़ल की वर्तमान में कार्यरत चल स्टॉक आस्तियों को समय से पूर्व बेकार कर देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि रेल मार्गों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की स्थिति में पहले ही से मौजूद डीज़ल अवसंरचना तथा डीज़ल लोकोमोटिव इकाईयों का क्या होगा।

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

सर्वप्रथम, मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि विद्युतीकरण एक अच्छा विचार है। विद्युतीकरण से हमें न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और डीज़ल के आयात में कमी करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि रेलगाड़ियों द्वारा जनित प्रदूषण में काफी कमी लाई जाये। अत: इस सरकार ने विद्युतीकरण की गति को तेज किया है।

अध्यक्ष महोदया, आपके तथा माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2013-14 में मोटे तौर पर 610 किलोमीटर विद्युतीकृत मार्ग की तुलना में वर्ष 2017-18 में 4,087 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है, जो कि चार वर्ष पूर्व किये गये कार्य से लगभग सात गुणा है। इस वर्ष हमारा 6,000 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। जहां तक डीज़ल लोकोमोटिव की समयपूर्व समाप्ति का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग जारी रहेगा क्योंकि विद्युतीकरण की प्रगति धीमी होगी। इसके बाद भी, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमें डीज़ल लोकोमोटिव की आवश्यकता होगी ताकि, यदि कोई कठिनाई आती है, सीमा क्षेत्रों में कोई आवश्यकता हो, यदि सेना की आवाजाही के दौरान कोई आवश्यकता हो, और जहां हम लाइनों की स्थापना न कर सकें और सीमांत क्षेत्रों या सामरिक लाइनों में विद्युतीकरण न कर सकें तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हमें उस स्तर तक डीजल लोकोमोटिव की आवश्यकता होगी।

यह कहने के साथ ही मुझे इस सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब हमने ऐसा तरीका खोज लिया है कि डीज़ल लोकोमोटिव की मध्यावधि बदलाव की लागत के भीतर ही है, हम इन्हें विद्युत लोकोमोटिव में परिवर्तित करने में समर्थ होंगे। इसलिए, कोई डीज़ल लोकोमोटिव बर्बाद नहीं होगा। जब इन लोकोमोटिव को मध्यावधि बदलाव के लिए लाया जाएगा, इनकी नियत प्रयोग अवधि पूरी होने के बाद हम इन्हें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इनके मध्यावधि बदलाव पर होने वाले व्यय से कम लागत में परिवर्तित करेंगे।

अंतत:, हमें डीजल लोकोमोटिव के विनिर्माण हेतु कतिपय सुविधाओं की निश्चित रूप से आवश्यकता होगी, ताकि सामरिक

क्षेत्रों में सुरक्षा की गुंजाइश रखी जा सके। सरकार ने बिहार में स्थापित किए जा रहे एक संयंत्र से अत्यधिक ऊर्जा दक्ष और कम प्रदूषणकारी डीज़ल लोकोमोटिव्स को बनाना सुनिश्चित किया है।

शेष डीज़ल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधाएं, जोकि पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, को अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए, कोई भी सुविधा बेकार नहीं होगी और कोई भी सुविधा अप्रयोज्य नहीं रहेगी। देश को कोई हानि नहीं होगी। यह भारत के जीत-जीत, लाभ-लाभ की स्थिति होगी।

डॉ. के. गोपाल : जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है, रेलवे स्टशनों का आधुनिकीकरण काफी पहले 2012 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु निजी क्षेत्र से इसमें आने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। मुझे अंततः यह पता चला कि रेलवे ने पुनर्विकास परियोजना हेतु निजी कंपनियों से ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के उपरांत 68 बड़े स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रु. व्यय करने का निर्णय लिया है।

मुझे यह भी पता चला है कि रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित शर्तों पर कार्य कर रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह 68 स्टेशन कौन से हैं, जिनका आधुनिकीकरण विचाराधीन है और रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में निजी भागीदारी को अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री से पुष्टि करना चाहूंगा कि कराईकल, थिरूवर और नागापट्टिनम रेलवे स्टेशनों के विस्तार जिसमें एक और प्लेटफार्म का निर्माण शामिल है, रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, जब हमने रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए निजी पक्षों की मांग और क्षमताओं का आकलन किया, तो सरकार के समक्ष दो मुख्य बातें आईं, यद्यपि, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि यह परियोजना 2012 में प्रारंभ की गई थी, मैं यह बताना चाहूंगा कि इसे अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने का कारण दो-आयामी था। एक, निजी डेवलपरों को प्रदान की जा रही पट्टा अवधि लगभग 45 वर्ष की थी। दूसरे, हमने उन्हें उप-पट्टा या संपत्ति पर गिरवी रखने की स्वीकृती नहीं दी, जिसके कारण निजी क्षेत्र ने ठंडी प्रतिक्रिया दर्शाई। रेलवे स्टेशनों के छत पर और रेलवे अवसंरचना पर किए जाने वाले काम के संबंध में एक अन्य तत्व है जिसकी अपनी जटिलताएं थीं। यह निजी डेवलपरों को डरा रहा था। इसमें अनेक स्वीकृतियां सम्मिलित थीं और इसमें डिजाइनिंग समस्याएं थी, जिनका निजी डेवलपरों ने सामना किया।

रेलवे एक अत्यंत ही जटिल अवसंरचना है। रेल आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस सब पर विचार करते हुए, इन डेवलपरों ने द्वि-मुखी दृष्टिकोण अपनाए हैं। सबसे पहले वे, आधुनिकीकरण के मानदंडों में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, ताकि हम 90 या 93 वर्ष पट्टे को स्वीकृत कर सकें। जब नोट आएगा तो मंत्रिमण्डल द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। पट्टे की जो भी वांछनीय अवधि हो, हम इसे बढ़ाएंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बहु-पट्टा, उप-पट्टा और गिरवी रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि निजी क्षेत्र के लिए भागीदारी को अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

दूसरे, हम इन 68 स्टेशनों पर धन व्यय कर रहे हैं, ताकि रेलवे स्टेशनों पर किए जाने वाले कार्यों को रेलवे द्वारा किया जाए और हम निजी क्षेत्र को रेलवे प्रणाली के बाहर भी कार्य प्रदान करेंगे जो इन्हें नहीं डराएगा और परियोजना को लागू करना भी कठिन नहीं होगा। वे शीघ्रतापूर्वक और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से परियोजना को प्राप्त कर कार्यान्वित कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री छोटेलाल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो पिछले चार वर्षों में जो नहीं हुआ, उससे ज्यादा रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इन्होंने योजना बनायी है। वर्ष 2018-19 में इन्होंने 13675 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर, आनंद नगर, नवगढ़, बलरामपुर, गोंडा होते हुए, नेपाल के समानान्तर एक रेलवे लाइन है। यदि उस रेलवे लाइन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की स्वीकृति है, तो इस पर कब तक कार्य प्रारंभ हो जाएगा? माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमने रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल : इसमें इन्होंने जो आनंद विहार या बिजवासन स्टेशन बनाया है, उनकी स्वीकृति किस वर्ष में हुई थी और उन स्टेशन्स को कब तक पूरा कर दिया जाएगा? क्योंकि 23 स्टेशन्स की बोली मांगी गयी थीं, उनमें से केवल दो स्टेशन की बोली आयी हैं। जो ए एवं ए1 कटेगेरी के

स्टेशन्स हैं, उसके लिए कोई समय-सीमा है? मैं आपके माध्यम से जानना यह चाहता हूं।

श्री पीयूष गोयल : मैडम, अगर यह लाइन ऑलरेडी स्वीकृत है, तो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन साथ-साथ में होगा। जहां-जहां पर रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्जीस्टिंग है, बनने वाला है या स्वीकृत है, उस पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं। जैसे-जैसे प्राजेक्ट्स सैंक्शन होगा, वैसे-वैसे उनका विद्युतीकरण होगा। जो 23 स्टेशन्स की बात की है, तो मैंने पहले जवाब में बताया था कि दो स्टेशन्स हबीबगंज, भोपाल के पास और गांधीनगर गुजरात में है। इन दोनों पर बिड्स आए थे। उन दोनों पर तेजी से कार्य चल रहा है और आधा कार्य पूरा हो चुका है। शायद मार्च तक पूरा हो जाएगा। लेकिन, बाकी स्टेशन में जो कठिनाई आयी थी, उसका जिक्र मैंने पहले कर दिया था कि हम उसमें बदलाव ला रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : धन्यवाद महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगी। वर्ष 2009-10 के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बारासात स्टेशन का उन्नयन किया गया था और शौचालय के साथ एक महिला यात्री प्रतीक्षालय और गेट संख्या 12 पर एक अंडरपास की तत्कालीन रेल मंत्री माननीय ममता बनर्जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य भी प्रारंभ हो गया था, परन्तु पिछले कुछ माह में शौचालय सहित महिला यात्री प्रतीक्षालय को ताला लगा दिया गया और स्टेशन के गेट संख्या 12 पर अंडरपास के निर्माण को रोक दिया गया। ऐसा क्यों है कि उनके द्वारा प्रारंभ कार्यों को हाल ही में रोक दिया गया?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मानते हैं कि सरकार सततता में है और किसी पूर्व रेल मंत्री द्वारा जारी कार्य समयानुसार चलेगा।

मेरे पास इस विशिष्ट स्टेशन का अभी ब्यौरा नहीं है कि इसका कार्य क्यों रोका गया या कमरा क्यों बंद किया गया, यदि ऐसा है तो। मैं इस सूचना को शीघ्र माननीय सदस्य को दूंगा।

***श्री गुरजीत सिंह औजला** : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अमृतसर से प्रारंभ और समाप्त होने वाली रेलगाड़ियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

अमृतसर आने वाले अधिकतर लोग श्रद्धालु होते हैं जो स्वर्ण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में शीष झुकाते हैं। परन्तु अमृतसर से प्रारंभ और समाप्त होने वाली रेलगाड़ियों की स्थिति काफी खराब है। सचखण्ड रेलगाड़ी तख्त श्री दरबार साहिब और श्री खंडूर साहिब के मध्य चलती है। परन्तु यहां तक कि इस रेलगाड़ी के ए.सी. डिब्बे भी यात्रा करने लायक नहीं हैं। सामान्य श्रेणी डिब्बों की स्थिति भी यही है। इसी प्रकार, जनशताब्दी रेलगाड़ी में कोई अतिरिक्त डिब्बे नहीं जोड़े जा रहे हैं, हालांकि यहां यात्रियों की भीड़ अत्यधिक है। यहां 13 महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां और 14 गौण रेलगाड़ियां हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न ही नहीं उठता। मैं स्वीकार नहीं करूंगी। यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। *[हिन्दी]* ऐसा नहीं होता है, इससे आदत पड़ जायेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं वह आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसी आदत मत डालिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 204, श्री गजानन कीर्तिकर।

[अनुवाद]

संपदा संपत्ति प्रबंधन योजना

***204. +श्री गजानन कीर्तिकर** :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर मुंबई में अनेक डाकघरों के भवनों को विरासत भवन के रूप में घोषित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने डाक विभाग के अंतर्गत संपदा संपत्ति प्रबंधन योजना आरंभ की है, यदि हां, तो इसके लक्ष्यों

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत संस्वीकृत, आबंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है और शेष धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि देश में अनेक डाकघरों के भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसे डाकघरों का नवीनीकरण करने हेतु जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में किये गए/किये जा रहे उपचारात्मक उपाय क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समूचे देश में डाकघरों का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। महाराष्ट्र स्थित मुम्बई जी.पी.ओ. सहित देशभर के 36 डाकघर भवनों को विरासती भवन घोषित किया गया है। इन विरासत भवनों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) सरकार की संपदा प्रबंधन संबंधी एक योजना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2017-2020 तक के लिए 243.5 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है ताकि बेहतर कार्य वातावरण उत्पन्न किया जा सके और ग्राहकों के लाभार्थ किफायती ढंग से डाक सेवाओं की संवितरण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत डाक भवनों जैसे डाकघरों, मेल कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ क्वार्टरों आदि का निर्माण और विरासती भवनों का बचाव व संरक्षण और जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, छतों पर सौर ऊर्जा पैक की संस्थापना और वर्षा जल संचयन संबंधी ढांचों का निर्माण करना भी शामिल है, ताकि स्वच्छता और दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों के प्रति योगदान किया जा सके। इस सयोजना का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए संस्वीकृत कुल 178.04 करोड़ रुपए की राशि में से इन दो वर्षों के दौरान कुल आबंटित तथा जारी की गई राशि 160.64 करोड़ रुपए है। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए संस्वीकृत, आबंटित तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संस्वीकृत निधि	आबंटित निधि	जारी निधि
2017-18	93.04	93.04	93.04
2018-19	85	85	67.60*

*इसके अतिरिक्त 4.01 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने हेतु अनुमोदित की गई है।

शेष 13.39 करोड़ रुपए की राशि मार्च, 2019 तक समय-समय पर आवश्यकतानुसार जारी की जाएगी।

(ग) जी, हां। विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछेक डाकघर भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं और इनका ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

(घ) मुंबई जी.पी.ओ. के पुनरुद्धार, महाराष्ट्र स्थित मोतीलाल नगर डाकघर, गोरेगांव पश्चिम और विष्णुनगर डाकघर, डोंबिविली तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रधान डाकघर और चुनार उप डाकघर के नवीनीकरण के संबंध में जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों का और इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-IV में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने डाकघरों के 'लुक एंड फील' में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत मानकीकृत एक्स्टीरियर और काउंटर हॉलों का निर्माण, उपयुक्त संकेत चिह्नों और स्टैंडीज की व्यवस्था और सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है। इसके अतिरिक्त, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हेतु स्थल तैयार करने, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के काउंटर बनाने और दिव्यांगजनों के लिए डाकघरों में आसानी से आने-जाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत रैम्प और रेलिंग लगाने के कार्य हेतु भी निधियां आबंटित की जाती हैं।

अनुबंध-I

विरासती भवनों की सूची

क्रम सं.	विरासती भवनों का नाम	सर्कल का नाम
1.	पटना जी.पी.ओ.	बिहार
2.	भागलपुर प्रधान डाकघर	

क्रम सं.	विरासती भवनों का नाम	सर्कल का नाम
3.	डाक प्रशिक्षण केंद्र, दरभंगा	
4.	नई दिल्ली जी.पी.ओ.	दिल्ली
5.	दिल्ली जी.पी.ओ.	
6.	मंडी प्रधान डाकघर	हिमाचल प्रदेश
7.	छोटा शिमला डाकघर	
8.	शिमला जी.पी.ओ.	
9.	अम्बेडकर चौक डाकघर	
10.	कसौली डाकघर	
11.	मुंबई जी.पी.ओ.	महाराष्ट्र
12.	नागपुर जी.पी.ओ.	
13.	डाक लेखा निदेशक का कार्यालय, नागपुर	
14.	पुणे जी.पी.ओ.	
15.	पणजी प्रधान डाकघर	
16.	अमृतसर प्रधान डाकघर	पंजाब
17.	सर्कल कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	केरल
18.	डाक प्रशिक्षण केंद्र, मैसूर	कर्नाटक
19.	डिवीजनल कार्यालय, बेल्लारी	
20.	सर्कल कार्यालय, बेंगलुरु	
21.	वाराणसी शहर डाकघर	उत्तर प्रदेश
22.	वाराणसी प्रधान डाकघर	
23.	लखनऊ जी.पी.ओ.	
24.	सर्कल कार्यालय, लखनऊ	
25.	आगरा प्रधान डाकघर	
26.	चेन्नई जी.पी.ओ.	तमिलनाडु
27.	उदंगमंडलम प्रधान डाकघर	
28.	नागपट्टिनम प्रधान डाकघर	
29.	रिटर्न लेटर ऑफिस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
30.	दार्जीलिंग प्रधान डाकघर	
31.	कूच बिहार डाकघर	
32.	कोलकाता जी.पी.ओ.	
33.	बरूईपुर प्रधान डाकघर	
34.	बेहरामपुर प्रधान डाकघर	
35.	अलीपुर प्रधान डाकघर	
36.	डायमंड हार्बर प्रधान डाकघर	

अनुबंध-II

संपदा प्रबंधन योजना

योजना का शीर्षक

संपदा प्रबंधन योजना

प्रायोजित एजेंसी (मंत्रालय/विभाग/स्वायत्तशासी निकाय अथवा उपक्रम)

संचार मंत्रालय/ डाक विभाग

योजना की कुल लागत

243.5 करोड़ रुपए (2017-18 से 2019-20 तक की अवधि हेतु)

योजना की प्रस्तावित अवधि

संपदा प्रबंधन योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रखा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत डाक विभाग की स्थापना के समय से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन शामिल है और इसे एक सतत प्रक्रिया बनाए रखना आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जारी रखी गई इस योजना के मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

जारी रखी गई इस योजना की प्रस्तावित अवधि 2017-18 से 2019-20 तक है, ताकि इसका सामंजस्य 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के साथ बैठाया जा सके। तथापि, यह योजना संपदा प्रबंधन से संबंधित है, अतः इसे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के उपरांत जारी रखना अपेक्षित होगा।

योजना का स्वरूप : केंद्रीय सेक्टर योजना/केंद्रीय प्रायोजित योजना

केंद्रीय सेक्टर योजना

योजना के घटक

व्यय वित्त समिति ने संपदा प्रबंधन योजना के लिए वर्ष 2017-20 की अवधि हेतु 243.5 करोड़ रपए की राशि अनुशंसित की है और सक्षम प्राधिकारी ने इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया है। वर्ष-वार परिव्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
परिव्यय (करोड़ रुपए में)	73.5	81	89	243.5

वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए योजना के घटक और अनुमोदित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	घटक	2017-18	2018-19
1.	डाक भवनों जैसे डाकघरों/मेल कार्यालयों का निर्माण और अन्य संबंधित कार्यालय	56.8	42.8
2.	छोटे डाकघरों और मेल कार्यालयों का निर्माण	-	7.2
3.	प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण	3.98	-
4.	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	3.53	-
5.	डाक भवनों का उन्नयन जिसमें नवनिर्माण भी शामिल है तथा अन्य संबंधित कार्यकलाप जैसे विरासती भवनों का पुनरुद्धार तथा बचाव/संरक्षण	7.95	28
6.	स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, सौर ऊर्जा पैक की संस्थापना और वर्षा जल संचयन संबंधी ढांचों का निर्माण	20	
7.	भूमि और कार्यालय स्थल की खरीद	-	5
8.	प्रौद्योगिकी का समावेशन, परामर्श कार्य और संपदा के संबंध में परियोजना प्रबंधन	0.24	1
9.	महिलाओं से संबंधित मुद्दे	0.54	1
	कुल	93.04	85

योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है ताकि बेहतर कार्य वातावरण उत्पन्न किया जा सके और ग्राहकों के लाभार्थ किफायती ढंग से डाक सेवाओं की संवितरण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु सतत व लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी।

अनुबंध-III

जीर्ण-शीर्ण डाकघर भवनों का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्कल	डाकघर	वस्तुस्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टनम डाकघर	• वर्ष 1974 में निर्माण • समुद्र तट के निकट होने के कारण नमी के प्रभाव से यह भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है। • वर्ष 2010 में सिविल विंग द्वारा मरम्मत से परे घोषित किया गया • पुनर्निर्माण आरंभ • संस्वीकृत व्यय - 4.14 करोड़ रुपये • परियोजना 31.10.2018 तक पूरी होने की संभवना
2.	तमिलनाडु	कुझिथुरई डाकघर	• निर्माण : 100 वर्ष पूर्व, त्रावणकोर के महाराजा के शासनकाल के दौरान

क्र.सं.	सर्कल	डाकघर	वस्तुस्थिति
			• 1951 में डाक विभाग को हस्तांतरित • समुद्रतट के निकट होने के कारण नमी के प्रभाव से यह भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है। अब इसकी मरम्मत की गुंजाइश नहीं है। • वर्ष 2012 में पुनर्निर्माण आरंभ • संस्वीकृत व्यय - 2.11 करोड़ रुपए • डाकघर का नया भवन 08.06.2018 को तैयार हो गया है।
3.	महाराष्ट्र	विष्णुनगर डाकघर	• वर्ष 1993-94 में निर्माण • सिविल विंग द्वारा वर्ष 2013 में जीर्ण-शीर्ण घोषित, क्योंकि मरम्मत नहीं की जा सकती थी। • पुनर्निर्माण संबंधी मामला प्रक्रियाधीन है।
4.	महाराष्ट्र	मोतीलाल नगर डाकघर	• 1985 में निर्माण • बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा 02.092014 को असुरक्षित और रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित। • डाकघर को किराए के भवन में शिफ्ट किया गया। • स्कीम के अंतर्गत योजना, पुनर्निर्माण हेतु अनुमोदित।
5.	अरुणाचल प्रदेश	दापोरिजो डाकघर	• 1996-97 में निर्माण • निचले दलदली क्षेत्र में होने के कारण, निरंतर जलभराव होने से भवन इस प्रकार जीर्ण-शीर्ण हो गया है कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती तथा यह रहने योग्य भी नहीं है। • पुनर्निर्माण आरंभ • संस्वीकृत व्यय - 1.77 करोड़ रुपये, दिनांक 31.10.2016 को • निविदा संबंधी प्रक्रिया जारी है।

अनुबंध-IV

जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदन तथा उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि का नाम	किया गया अनुरोध	की गई/की जा रही कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री गजानन कीर्तिकर संसद सदस्य (लोक सभा)	मुबई जनरल पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण	लगभग 1,89,402 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले मुंबई जी.पी.ओ. का निर्माण वर्ष 1913 में इंडिया-सारसीनिक शैली में किया गया था। ग्रेटर मुंबई के धरोहर विनियम, 1995 के अंतर्गत इसे ग्रेड-I धरोहर भवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि यह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है, इनका तत्काल नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। धरोहर भवनों की मरम्मत और रख-रखाव संबंधी कार्य, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट (आई.एन.टी.ए.सी.एच.)

1	2	3	4
			द्वारा किया जाता है। अतः, मुंबई जी.पी.ओ. के नवीनीकरण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु आई.एन.टी.ए.सी.एच. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आई.एन.टी.ए.सी.एच. के अनुमान के अनुसार इसके नवीनीकरण कार्य की लागत 58.2 करोड़ रुपये है। आई.एन.टी.ए.सी.एच. ने चरण-I के लिए 2.99 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया है। मुंबई जी.पी.ओ. के नवीनीकरण कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।
2.		मोतीलाल नगर डाकघर का पुनर्निर्माण	मोतीलाल नगर डाकघर भवन का निर्माण कार्य, विभाग द्वारा 1979 में अधिग्रहण किए गए 1003.71 वर्ग मीटर भूखण्ड पर वर्ष 1995 में संपन्न हुआ था। उक्त भवन का एक स्लैब गिरने के बाद बृहन मुंबई नगर निगम ने 02.09.2014 को इस भवन को असुरक्षित और रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया था। अतः इस परिसर को खाली कर दिया गया और डाकघर को नजदीकी किराए के भवन में शिफ्ट करवा दिया गया। वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वी.जे.टी.आई.) को इसके क्षतिग्रस्त होने के कारण की जांच करने का कार्य सौंपा गया। वी.जे.टी.आई. की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह भवन अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। अतः इसका पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा मोतीलाल नगर डाकघर के पुनर्निर्माण के कार्य को अनुमोदित कर दिया गया है।
3.	सुश्री अनुप्रिया पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)	मिर्जापुर के डाकघर भवनों की खराब दशा	वर्तमान में, मिर्जापुर डिवीजनल कार्यालय को प्रधान डाकघर परिसर में स्थित नवनिर्मित विभागीयं भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। मिर्जापुर प्रधान डाकघर और चुनार उप डाकघर के लिए 30 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।
4.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य (लोक सभा)	विष्णुनगर डाकघर, डोम्बिविली के भवन की जीर्ण शीर्ण दशा	उक्त डाकघर भवन को खाली कर दिया गया है क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता। विष्णुनगर डाकघर के पुनर्निर्माण को अनुमोदित किए जाने का मामला अभी प्रक्रियाधीन है।

श्री गजानन कीर्तिकर : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में लिखा है कि मुम्बई के गोरेगांव, मातीलाल नगर डाकधर का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मोतीलाल नगर डाकघर जो कि सन् 1995 में निर्मित किया गया था वह अपनी वैधतापूर्ण कालावधि से पहले ही गिर चुका है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मोतीलाल नगर डाकघर, जो गोरेगांव में स्थित है और यह डाकघर मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, इसका पुनर्निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है? जिस ठेकेदार ने पहले इस भवन का निर्माण किया था, उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की जायेगी?

श्री मनोज सिन्हा : मअध्यक्ष महोदया, इस प्रकरण में जांच चल रही है और निश्चित रूप से मैं सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी तय करते हुए कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई सम्भव है वह उन लोगों के विरुद्ध की जायेगी। तत्काल किराये पर लेकर उस पोस्ट ऑफिस का काम शुरू कर दिया गया था और स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। शीघ्र ही नया भवन बनाकर माननीय सदस्य के क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

श्री गजानन कीर्तिकर : मैडम, मैं मंत्री जी का ध्यान मुंबई के कुछ डाकघरों और कर्मचारी आवासों की जर्जर अवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अंधेरी पूर्व स्थित डाकघर कर्मचारी आवास की सभी इमारतें जर्जर अवस्था में हैं और वे किसी भी

समय गिर सकती हैं। लोखण्डवाला डाकघर, जो अंधेरी पश्चिम में स्थित है, उसकी निर्माण योजना पिछले तीन वर्षों से तैयार है, लेकिन अब तक वहां कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहां झोपड़-पट्टियों का अतिक्रमण शुरू हो गया है और उस पर एनक्रोचमेंट होने की संभावना है। मेघवाड़ी डाकघर, जो जोगेश्वरी पूर्व में स्थित है, उसे बने हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है, इसकी क्या वजह है?

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शहर डाकघर कर्मचारी आवास और लोखण्डवाला डाकघर के पुनर्निर्माण का काम कब तक शुरू किया जाएगा एवं मेघवाड़ी डाकघर को सरकार द्वारा कब तक अपने अधीन लेकर उसका संचालन शुरू किया जाएगा?

श्री मनोज सिन्हा : मैडम, मैं माननीय सदस्य को पहले भी पत्र के माध्यम से विस्तृत उत्तर दे चुका हूं कि कर्मचारियों के आवास के लिए 2.24 करोड़ रुपये वर्ष 2016-17 में दिए गए हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मेंटिनेंस का काम प्रारम्भ कर दिया जाएगा। 3.03 करोड़ रुपए वर्ष 2017-18 में भी दिए गए हैं। मोतीलाल नगर पोस्ट ऑफिस के विषय में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, जांच के बाद जब वह डैंजरस स्थिति में पाया गया तो हमने नया भवन लेकर, जिसके लिए हम 99 हजार रुपए प्रति माह किराया दे रहे हैं, उसे शुरू कर दिया है। इसमें जो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे।

दूसरे, मजासवाड़ी पोस्ट ऑफिस के बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, वहां महाराष्ट्र सरकार की स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो जमीन थी, हमें जितना एरिया चाहिए था, उतना एरिया वे लोग नहीं दे रहे थे। अभी चार दिन पूर्व हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और महाराट्र सरकार के बीच एक एम.ओ.यू. साइन हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 282.32 वर्गमीटर जमीन अभी दे रहे हैं और शेष अगले तीन महीने में देंगे। वह एफिडेविट प्राप्त होने के बाद, मुझे उम्मीद है कि वह कार्रवाई अगले कुछ दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग दो साल से तैयार है, मगर दी नहीं गई है।

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष महोदया, आज देश में बदलाव की स्थिति है और प्रत्येक क्षेत्र में यह बदलाव महसूस हो रहा है, चाहे कृषि क्षेत्र हो। वहां एम.एस.पी. में परिवर्तन, सिंचाई और बिजली की सुविधाएं बढ़ी हैं, फर्टिलाइजर की लाइनों का समापन हुआ है, बीमा और मुआवजे के भुगतान तत्काल हो रहे हैं और मिट्टी परीक्षण हो रहा है। मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि गरीबो के लिए देश में करोड़ों की संख्या में आवास मिले हैं, गैस के चूल्हे उपलब्ध हुए हैं और स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति आई है। बैंकिंग सेक्टर में मुद्रा योजना पर काम हुआ है। आज जिस तरह से देश में हर क्षेत्र में सुधार हुआ है, गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें गई हैं, बैंकिंग सुविधाओं के लिए लोग डाकघर से जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें आप पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को जिला और ब्लॉक स्तर पर कहां स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए क्या मानक तय किए गए हैं? बैंकिंग सेक्टर में आप पेमेंट बैंकिंग को कितना नीचे तक ले जाना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो डाकघर हैं, उनकी सुविधाओं में कितना विस्तार करने का आपने मन-मानस बनाया है।

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, विदेश मंत्रालय के सहयोग से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की योजना दो वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इसी सदन में देश के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम पोस्ट ऑफिसेज के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र देश में प्रारम्भ करेंगे। हमारी सरकार ने एक नीति तय की थी कि देश के किसी नागरिक को पासपोर्ट बनवाने के लिए 50 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा न करनी पड़े। हम ऐसे 215 केन्द्र बना चुके हैं। सैद्धांतिक रूप से सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन लोक सभा क्षेत्रों में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है, वहां हम कम से कम एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र जरूर बनाएंगे। इस काम को हम तेज गति से कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने बैंकिंग के संदर्भ में जानना चाहा है, सेविंग बैंक एकाउण्ट पोस्ट ऑफिस के साथ पहले से है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पूरी तरह से तैयार है। किसी भी दिन प्रधान मंत्री जी इसको लांच करने जा रहे हैं, उसकी तारीख एक-दो दिन में देश को मालूम हो जाएगी।

650 पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेज हम देश भर में लांच करेंगे और उनके 1,55,000 औसत प्वाइंट्स होंगे जो पूरी तरह से बैंक की तरह काम करेंगे। उसमें 1,30,000 के आसपास ये ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, गांवों में होंगे। देश में जितने बैंक वर्ष 2017 तक बने थे, उससे ज्यादा बैंक एक साल में मोदी जी के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में धरोहर डाकखानों और अन्य संस्थानों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक डाकखाने कार्य कर रहे हैं, परन्तु ये अच्छी स्थिति में नहीं हैं। अनेक डाकखाने किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं, यद्यपि देश के विभिन्न भागों में विभाग के पास पर्याप्त भूमि है। मेरे अपने राज्य केरल

में, डाक विभाग की अपनी स्वयं की भूमि है। इसके बावजूद डाकखाने किराए की इमारतों में चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या डाक विभाग के पास अपनी स्वयं की इमारतों के निर्माण हेतु कोई समय-बद्ध योजना है, क्योंकि उनके पास अपनी स्वयं की भूमि है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां रेंट ज्यादा है, वहां हम कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी बिल्डिंग हो। सामान्य तौर पर राज्य सरकारो ने अनेक स्थानों पर हमें जमीन उपलब्ध कराई है। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो मोटे तौर पर 22 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भवन निर्माण के लिए हमारा विभाग खर्च करता था जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर लगभग 85 करोड़ रुपये किये हैं। लेकिन यह सच है कि अभी जो लगभग 25000 डिपार्टमेंटल पोस्ट-ऑफिसेज हैं, हमारी 4500 बिल्डिंग सरकारी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां-जहां हमारे पास लैंड है, वहां प्राथमिकता के आधार पर अपना भवन बनाएं। लेकिन अगर कहीं सस्ते दर पर हमें रेंट पर भवन मिला हुआ है और वहां ज्यादा पूंजी लगाई जाए, मैं समझता हूं कि यह कहीं से मुनासिब नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने ऑलरेडी इस विषय में संस्तुति की हुई है। माननीय सदस्य ने केरल की बात कही है तो मैं इसे दिखवा लूंगा। अगर उनका कोई आवेदन होगा तो मैं इस पर विचार करके उन्हें सूचित करूंगा।

[अनुवाद]

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मकताल शहर के मध्य भाग में एक डाकखाना है जिसके पास लगभग 3 एकड़ जमीन है। इस इमारत की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को डर लगता है कि यह किसी दिन गिर जाएगी और कोई दुर्घटना हो सकती है। हमने अनेक पत्र लिखकर इस डाकखाने की मरम्मत की मांग की है। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इमारत का निर्माण करने के लिए तैयार हैं और डाकखाने के सही ढंग से कार्य करने हेतु जगह देने के लिए भी तैयार हैं और डाकखाने को भी कुछ आय का लाभ हो सकता है। परन्तु किसी को भी इस प्रकार की पुरानी इमारत की कोई चिन्ता नहीं है। मकताल शहर के बीचोंबीच निर्माण कचरा जमा हो रहा है तथा सूअर और असामाजिक तत्व उस क्षेत्र में आ रहे हैं और यह एक सरदर्द बन रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी इस इमारत की मरम्मत और इसे आधुनिक डाकखाना बनाने संबंधी कोई योजना है।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों काफी धन व्यय करके देश भर के जितने पोस्ट-ऑफिसेज हैं, उनको अच्छा बनाने की हमने कोशिश की है। माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में जो बिल्डिंग है, नीतिगत तौर पर मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई भूमि किसी बिल्डर को देकर डेवलप कराई जाए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पॉलिसी बनाई भी जाएगी तो ट्रांसपेरेंट ढंग से बनाई जाएगी क्योंकि जहां भी जमीन है, मेरे पास भी लोग आते हैं, स्थानीय अफसरों के पास भी बिल्डर लोग तमाम लोगो को लेकर जाते हैं। इसलिए किसी बिल्डर को जमीन देना और लाभ पहुंचाना यह सरकार का काम नहीं है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता का ध्यान करता हूं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि माननीय सदस्य के यहां जो जमीन पड़ी है, वहां पोस्ट-ऑफिस बन जाए। लेकिन किसी बिल्डर को जमीन देकर डेवलप कराना ऐसी कोई नीति नहीं है। अगर बनाना होगा तो फिर कैबिनेट से एप्रूवल लेना होगा।

[अनुवाद]

ऑनलाइन डाटा का दुरुपयोग

*205. **श्री के. अशोक कुमार** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनियां अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव से पूर्व चुनावी प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने हेतु ऑनलाइन डाटा का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ऐसी कंपनियों को चेतावनी दी है जो उक्त डाटा का दुरुपयोग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ऐसा कोई मामला/रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है। निजी डाटा के लीकेज के बारे में मीडिया रपोर्टें आई हैं। सरकार ने फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा डाटा के लीकेज के बारे में रिपोर्टों को संज्ञान में लिया है और उन्हें इस संदर्भ में नोटिस जारी किए हैं। उनके उत्तर में फेसबुक ने सूचित किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में लगभग 5.62 लाख भारतीयों के प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड, यू.के. (जी.एस.आर.)

द्वारा विकसित किए गए एक अनुप्रयोग में हो सकता है कि ऐसा प्रयोक्ता डाटा प्राप्त करने के लिए फेसबुक प्लेटफार्म का उपयोग किया गया हो, जो कथित तौर पर कैम्ब्रिज एनालिटिका को उपलब्ध कराया गया था। तथापि, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उत्तर दिया कि उनके पास भारतीय नागरिकों पर कोई फेसबुक डाटा उपलब्ध नहीं है। दूसरे नोटिस पर फेसबुक ने सूचित किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक की नीति का उल्लंघन किया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने दूसरे नोटिस का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा दिया गया उत्तर पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं था और फेसबुक तथा कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा दिए गए उत्तरों में भिन्नता थी, अत: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से इस मामले के कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा संभावित दुरुपयोग के संबंध में जांच करने को कहा गया है।

श्री के. अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डाटा की लिंकेज और दुरुपयोग के बारे में मीडिया रिपोर्टें हैं। विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सरकार को कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइडरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है, जो अनाधिकृत साधनों द्वारा यूजर डाटा का प्रयोग करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डाटा की लीकेज और दुरुपयोग हेतु कंपनियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत एक उभरती हुई बड़ी डिजिटल शक्ति है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इण्डिया जैसे कार्यक्रम सभी डिजिटल आधारित हैं। हमने डी.बी.टी. में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा 90,000 करोड़ की बचत की है, परन्तु यह दो समाचार रिपोर्टें सार्वजनिक हो गई। मैंने कड़ी कार्यवाही की है। फेसबुक ने उत्तर दिया और सरकार से माफी मांगी और बताया कि इस डाटा की चोरी एक अन्य एजेन्सी कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा की गई थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक उत्तर दिया परन्तु अन्य उत्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। इस विरोध के कारण, मैंने मामले को केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को संदर्भित किया है।

मैं केवल तीन टिप्पणियां करना चाहता हूं। सर्वप्रथम श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने सोशल मीडिया को अपने विचारों को स्वतंत्रता से रखने; समझाने; सशक्त करने का समर्थन किया है। परन्तु आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का कोई दुरुपयोग स्वीकृत नहीं है और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दूसरे, किसी विदेशी कंपनी जैसे फेसबुक या कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा भरत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किसी डाटा का दुरुपयोग नहीं कर सकते। भारत के निर्वाचन काफी पारदर्शी और पुनीत हैं। इस सभा में, मैं आज कुछ पहलों के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने लिए हैं और जिन्हें मैं अन्य सभा में बता चुका हूं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के भारत में शिकायत अधिकारी होने चाहिए, जिनके समक्ष शिकायतें की जा सकती हैं।

दूसरे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारतीय कानूनों का भी पालन करना चाहिए। तीसरे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी प्रकार की झूठी खबर या निन्दात्मक बातों को फैलाना और पुन: नहीं फैलाना चाहिए जिससे देश में अपराध फैले; यह स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए ऐसी खबरों की उत्पत्ति प्रौद्योगिकी आधार पर भी सूचित की जानी चाहिए। मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि किसी विशिष्ट राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशेष दिन में फैलाए जाने वाले लाखों संदेशों की पहचान हेतु किसी रॉकेट विज्ञान की आवश्यकता नहीं है; उन्हें इसका प्रौद्योगिकीय समाधान खोजना चाहिए। यद्यपि, हम सशक्तिकरण, सूचना और शिक्षा का पूर्ण समर्थन करते हैं; सोशल मीडिया का दुरुपयोग स्वीकृत नहीं होगा।

अंतत: हम निजता का सम्मान करते हैं; परन्तु नवाचार के साथ निजता और निजता, आतंकवादियों और भ्रष्ट की शील्ड न बने; हमने यह मुख्य आधार तैयार किए हैं और हम एक साथ कार्य कर रहे हैं।

श्री के. अशोक कुमार : आज, विभिन्न लेनदेनों में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। सरकार के लिए डाटा का संरक्षण सरकार के लिए एक बड़ा कार्य है। विद्यमान कानून, उल्लंघनकर्ताओं को बचने का मार्ग देते हैं। इसलिए, समय की मांग है कि इसे बचाने हेतु कानून को सुदृढ़ किया जाए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार बृहद डाटा संरक्षण कानून लाना चाहती है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं, माननीय सदस्य का काफी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज, जैसा कि लोग कह रहे हैं, डाटा नया तेल बन गया है। प्रत्येक प्रौद्योगिकी जिसका हम उपयोग करते हैं, उसमें डाटा होगा। परन्तु इसके लिए हमारा काफी संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। मैंने सबसे पहला कार्य यह किया कि उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध पूर्व न्यायाधीश श्री बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत

की और आज वह रिपोर्ट ऑनलाइन है और प्रस्तावित प्रारूप कानून भी है। मैं सभा के माननीय सदस्यों के विचार भी लेना चाहूंगा। शीघ्र ही, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं। मेरे सचिव सभी मुख्य सचिवों को लिखेंगे ताकि राज्य सरकारों से फीडबैक प्राप्त किया जाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी डाटा संरक्षण कानून पर कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी जाएगी, इससे पूर्व सभा के समक्ष चर्चा होगी, मैं विस्तार से वाद-विवाद करना चाहूंगा, ताकि हमारे यहां ठोस डाटा संरक्षण कानून बने।

मेरी डाटा के संबंध में दो टिप्पणियां हैं। भारत डाटा का एक बड़ा केन्द्र बन रहा है। डाटा नवाचार और डाटा विश्लेषण एक नई नौकरी, नया उद्यम बन रही है। हमारी सरकार, भारत को डाटा विश्लेषण का सबसे बड़ा वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां भारतीय आई.टी. पेशेवर काम कर सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

दूसरे, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई विशिष्ट समस्या है, माननीय अध्यक्ष हमारे पास डाटा होना चाहिए कि यह इस प्रकार की समस्या क्यों चल रही है। इसलिए, हमें संतुलन के साथ कार्य करना होगा। यह संतुलन क्या है? मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। डाटा उपलब्धता, डाटा नवाचार, डाटा उद्यम, डाटा प्रयोग और डाटा निजता को एक साथ कार्य करना होगा ताकि भारत एक मजबूत केन्द्र बने।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जेपोर-मलकानगिरी परियोजना

***206. श्री बलभद्र माझी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेपोर-मलकानगिरी परियोजना हेतु ओडिशा सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित होने के बावजूद लगभग दो वर्ष की अवधि के पश्चात् भी फील्ड पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनशक्ति की कमी भी एक मुख्य कारणों में से एक कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) परियोजना आरंभ करने हेतु निर्धारित लक्षित तारीख क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री तथा वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ङ) जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन (130 किलोमीटर) को सरकार (नीति आयोग, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति/सी.सी.ई.ए.) द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के अध्यधीन 2016-17 के बजट में शामिल किया गया था। 10.10.2016 को रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ था, जिसमें इस परियोजना की ओडिशा सरकार द्वारा 25% और रेलवे द्वारा 75% लागत शेयर करने पर सहमति हुई थी। इस परियोजना को 2343.64 करोड़ रुपए की लागत पर 20.02.2018 को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

30 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। एल-खण्ड और भूमि की आवश्यकता को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रथम 30 किलोमीटर के लिए भूमि के अधिग्रहण संबंधी कागजात सितम्बर, 2018 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 100 किमी. की शेष लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात दिसंबर, 2018 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने की योजना है।

अवसंरचनात्मक परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे के पास जनशक्ति की कोई कमी नहीं है।

इस परियोजना को राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बाद 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

डिजि गांव

***207. श्रीमती कविता कलवकुंतला** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन एक स्पेशल परपज़ व्हिकल सी.एस.सी.-एस.पी.वी. ने सामान्य सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.) का प्रबंधन देखने वाले इसके 3 लाख ग्राम स्तर उद्यमियों (वी.एल.ई.) को एच.डी.एफ.सी. बैंक के बैंकिंग संपर्ककर्ता के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जनता को इससे क्या लाभ होगा;

(ग) क्या इस वित्त के दौरान 1000 चयनित गांवों को डिजिटल गाँवों (डिजि-गांव) में तब्दील करने में एच.डी.एफ.सी., सी.एस.सी.-एस.पी.वी. की सहायता करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। एच.डी.एफ.सी. बैंक ने सामान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) को बैंकिंग संपर्ककर्ता बनने में सक्षम बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के अनुसार सी.एस.सी. के ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी.एल.ई.) एच.डी.एफ.सी. बैंक के बैंकिंग संपर्ककर्ता के रूप में कार्य करेंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को तुलनात्मक रूप से अधिक सुगम बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। इस पहल के माध्यम से महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन विशेष रूप से लाभान्वित होंगे क्योंकि यह बैंक की शाखा का चक्कर लगाए बिना वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाएगा।

(ग) और (घ) एम.ई.आई.टी.वाई. के पास इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, एच.डी.एफ.सी. बैंक ने 1000 गांवों को डिजिटल गांवों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास

*208. **श्री राजू शेट्टी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रतिष्ठानों ने अपने वांच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है;

(ख) यदि हां, तो 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या देश में बेहतर अनुसंधान संस्थानों के होने के बावजूद ब्रिक्स देशों की तुलना में भारत में अनुसंधान और विकास तथा नवोन्मेष क्षमता कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश नवोन्मेषी अनुसंधान में पीछे-है और सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा किए गया अनुसंधान पर्याप्त रूप से वाणिज्यिक उद्यमों में परिवर्तित नहीं हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) संस्थापनाओं ने मूलभूत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन विकास और उन्नत अनुसंधान अवसंरचना की स्थापना के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप किए हैं और प्रभावशली उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 16 अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) संस्थापनाओं में से 14 संस्थापनाएं आधुनिकतम मूलभूत अनुसंधान में संलग्न हैं। शेष दो संस्थापनाएं उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकी तथा जैव-चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त तथा प्रौद्योगिकी उन्मुख अनुसंधान में संलग्न हैं। 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान इन संस्थानों की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं: भारतीय खगोल विज्ञान उपग्रह एस्ट्रोसैट पर पराबैंगनी प्रतिचित्रण दूरबीन (यू.वी.आई.टी.) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो पराबैंगनी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें उपलब्ध करा रही है; अपनी किस्म की एशिया में सबसे बड़ी दूरबीन, 3.6 मी. ऑप्टिकल दूरबीन की उत्तराखंड स्थित देवस्थल में स्थापना; उत्तराखंड स्थिल देवस्थल और कवलूर, तमिलनाडु में 1.3 मी. ऑप्टिकल दूरबीनों की स्थापना; अंतर्राष्ट्रीय तीस मीटर दूरबीन (टी.एम.टी.) के निर्माण में भागीदरी; जेनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एल.एच.सी.) में एक अग्रणी प्रयोग में भागीदारी; डर्मस्टाड्ट में एंटीप्रोटोन एंव आयन अनुसंधान (फेयर) के लिए आगामी सुविधा के निर्माण हेतु एक्सीलेटर तथा डिटेक्टर का निर्माण और तत्पश्चात सुविधा में प्रयोग; गेहूं और सोयाबीन की बेहतर किस्मों का विकास; सामान्य एवं कैंसर कोशिकाओं में कोशिका चक्र विनियमन की आणविक समझ; कारगर प्रतिकवकीय अभिकारक का विकास; खुले हुए फल बागानों में जीवित कीट नियंत्रण हेतु सतत फेरोमोन निर्गम के लिए नए गेलेटर मालिक्यूल्स तैयार करना; नैनो सिल्वर आधारित सूक्ष्म जीवरोधी वस्त्र; नैनो टाइटेनिया आधारित स्वत: स्वच्छ होने वाले वस्त्र; नैनो प्रौद्योगिकी आधारित औषधि सुपुर्दगी; खेतों में तेल प्रदूषकों का जैव-इलाज; और बड़ी संख्या में भैतिकी, रसायन एवं जीवन विज्ञान, पृथ्वी तथा वायुमंडल विज्ञान, सामग्री एवं नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में विभिन्न विषयों पर आधुनिकतम बुनियादी अनुसंधान कार्य। 11वीं और12वीं योजना अवधियों के दौरान इन संस्थानों ने अग्रणी अनुसंधान पत्रिकाओं में क्रमश: 8846 और 10249 अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए और क्रमश: 199 एवं 359 पेटेंट हासिल किए।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के अंतर्गत 16 अनुसंधान

एवं विकास (आर.एंड.डी.) संस्थाएं जीवन विज्ञानों में अग्रणी अनुसंधान की भूमिका, स्मरणशक्ति का कोशकीय एवं आणविक आधार, डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग, खाद्य पदार्थों की बेहतर किस्म पैदा करने के लिए पौध जीनों का मैन्यूपुलेशन, रोग जीवविज्ञान, जैव-संसाधनों का सततधारणीय दोहन, पशुओं के संक्रमणीय रोग, औषधियों का विकास आदि। 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी डी.बी.टी. के कार्यों से त्वरित निदान, बायोडिजाइन, कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, वैक्सीनों तथा खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण रोटावायरस टीका, मलेरिया का टीका, डेंगी का निदान एवं टीका, एक नवोन्मेषी नवजात हियरिंग स्क्रीनिंग उपकरण "सोहम", नवजात पुन:जीवन उपरकण, बच्चों में अत्यधिक कुपोषण के लिए खाद्य संबंधी औषधि और चावल में आयरल समृद्धिकरण हैं। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति की घोषणा की गई थी और उसकी मुख्य प्राथमिकता जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन, कृषि की दक्षता, सुरक्षा, वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा एवं जेव ईंधन और जैव विनिर्माण हैं।

11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की 38 प्रयोगशालाओं ने रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्रविज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भू-भौतिकी रसायनशास्त्र, औषधि, जेनोमिक्स, जैव-प्रौद्योगिकी एवं नैनो-प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, उपकरणीकरण, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक विविध क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्रमश: 105 और 159 प्रोजेक्टों का कार्यान्वयन किया। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं: दृष्टि ट्रांसमिशोमीटर, सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ प्रचालनों के लिए दृष्टिक्षेत्र के संबंध में पायलटों को सूचना प्रदान करने वाली दृष्टिक्षेत्र मापन प्रणाली, वैक्स डिऑयलिंग प्रौद्योगिकी जिससे 2500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एम.एस.एम.ई.) के लिए आजीविका का सृजन हुआ है और वैक्स के आयात में 300 करोड़ रु. प्रति वर्ष की कमी आई है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित न्यूक्लियर रिऐक्टरों में विकिरण सुरक्षा हेतु उच्च घनत्व वाले चश्में, स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रॉम्बोलाइटिक्स की चार पीढ़ियां जिससे रोगियों के लिए 580 करोड़ रु. की प्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त हुआ है, मधुमेह के लिए बी.जी.आर.-34 हर्बल औषधि, और दूध में संदूषण का पता लगाने के लिए कम लागत वाली पोर्टेबल प्रणाली। 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान सी.एस.आई.आर. ने विश्व-विख्यात अग्रणी पत्रिकाओं में क्रमश: 21,381 और 27,241 अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए और क्रमश: 2782 एवं 3476 पेटेंट हासिल किए।

11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आरं एंड डी. संस्थाओं द्वारा अनन्य रूप से व्यय की गई निधि निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	सी.एस.आई.आर.	डी.एस.टी.	डी.बी.टी.
11वीं योजना अवधि	12950.59	2463.80	1220.63
12वीं योजना अवधि	17344.71	3148.32	2566.48

इसके अतिरिक्त, डी.बी.टी. प्रतिस्पर्द्धी आधार पर आर एंड डी को वित्तपोषित करने, अनुसंधान अवसंरचना एवं मानव संसाधन निर्मित करने, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण आदि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य मंत्रालयों/ विभागों के आर एंड डी प्रतिष्ठानों, उद्योग आदि के लिए अपने बजट के प्रमुख घटक का व्यय करते हैं।

(ग) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और नवोन्मेष क्षमता को मापित करने के लिए दो महत्वपूर्ण मानदंड वैज्ञानिक प्रकाशन और पेटेंट हैं। वैज्ञानिक प्रकाशनों में ब्रिक्स देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत का वैज्ञानिक प्रकाशन में भी लगभग 4 प्रतिशत की वैश्विक औसत संवृद्धि दर की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। रेजिडेन्ट्स द्वारा पेटेंट प्रस्तुत करने के हिसाब से भारत चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय निवासियों द्वारा भारत में प्रस्तुत किए गए पेटेंटों का अंश वर्ष 2015-16 और 2017-18 के बीच 28 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं का आर एंड डी और नवोन्मेष क्षमता तेजी से बढ़ रही है। यह नवीनतम वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2018 के भी अनुरूप है जो दर्शाता है कि ब्रिक्स देशों में भारत चीन (17वां स्थान) और रूस (46वां स्थान) के बाद 57वें स्थान पर है। तथापि, चीन और रूस से तुलना करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि भारत में 2.83 लाख अनुसंधानकर्त्ताओं की संख्या की तुलना में चीन और रूस में अनुसंधानकर्त्ताओं की संख्या क्रमश: 15.24 लाख और 4.45 लाख है। क्या भारत के पास अन्य ब्रिक्स देशों की अपेक्षा बेहतर अनुसंधान संस्थाएं है, एक चर्चा का विषय है क्योंकि विभिन्न श्रेणीकरण प्रणालियां संस्थाओं की विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न अधिमानता प्रदान करते हैं। यह कहना युक्तिसंगत होगा कि हमारी अग्रणी अनुसंधान संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धी अनुसंधान एवं विकास करते हैं।

(घ) और (ङ) यह सही है कि हमारे देश में आरएंडडी उपक्रम आधारभूत अनुसंधान और ज्ञान सृजन में अपेक्षाकृत प्रबल है जो हमारे प्रकाशन अभिलेख और प्रेरक संवृद्धि से स्पष्ट है। तथापि, उत्पादों के वाणिज्यीकरण और वाणिज्यिक उद्यम के लिए नवोन्मेषी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान उर्ध्वमुखी रूझान प्रदर्शित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पादों और प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण के लिए अनुप्रयुक्त एवं नवोन्मेषी अनुसंधान में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: (i) डी.एस.टी. का राष्ट्रीय नवोन्मेष फाउण्डेशन (एन.आई.एफ.) ने नवोन्मेष के आधार को विस्तृत किया है तथा बुनियादी प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों को अभिलेखित किया और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान ने लगभग 2,95,000 प्रौद्योगिकीय विचारों और नवोन्मेषों का संग्रह तैयार किया है और पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों से लगभग 1500 आधारभूत प्रौद्योगिकियों को वैधीकृत कराने और/अथवा मूल्य संवर्द्धित कराने में मदद मिली है, किसानों द्वारा विकसित 68 पौध प्रजातियों के लिए लगभग 980 पेटेंट एवं आवेदन प्रस्तुत किए हैं और ऐसे 108 मामलों को वाणिज्यीकृत करने में सफल हुए हैं। (ii) डी.एस.टी. कीनिधि (नवोन्मेषों का विकास और उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय पहल), जो विचारों और नवोन्मेषों को सफल स्टार्ट-अप्स में पोषित करने के लिए एक बहुआयामी कार्यक्रम है, के अंतर्गत विगत चार वर्षों में डी.एस.टी. द्वारा सहायित कुल टी.बी.आई. की संख्या को 120 पहुंचाते हुए 50 नए प्रौद्योगिकी कार्य इनक्यूबेटरों (टी.बी.आई.) को शामिल किया है; (iii) प्रौद्यागिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.), जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण करने का प्रयास करने के लिए उद्योगों को ऋण, इक्विटी अथवा अनुदान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डी.एस.टी. के अंतर्गत एक अनन्य संगठन है, ने अब तक 343 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण और नवोन्मेषों पर आधारित सामाजिक रूप से प्रयुक्त लगभग 150 प्रौद्योगिकियों का नेतृत्व किया है; (iv) डी.बी.टी. का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.), ने प्रत्ययन से वाणिज्यिकरण तक जैवप्रौद्योगिकी नवोन्मेष पाइपलाइन में कमियों को दूर करने के लिए 200 कम्पनियों और 150 उद्यमियों को निधि प्रदान की है, जिससे उच्च गुणवत्ता का वाणिज्यीकरण हुआ है और किफायती उत्पादों का वाणिज्यीकरण हुआ है; (v) वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के प्रौद्योगिकी विकास और निदर्शन कार्यक्रम (टी.डी.डी.पी.) उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी विकास और निदर्शन के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; (vi) सी.एस.आई.आर. के फास्ट ट्रैक रूपांतरणात्मक प्रोजेक्ट (एफ.टी.टी.) बिना विषयगत प्रतिबंधों के प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयोग के किसी भी क्षेत्र में बाजार के निकट, व्यवसाय चालित प्रोजेक्टों का कार्यान्वयन करता है; (vii) सी.एस.आई.आर. के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम.एम.पी.) जो सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं और संस्थानों के बाहर जो नवोन्मेषी अनुसंधान का भी नेतृत्व करेगा, में श्रेष्ठ दक्षताओं में तालमेल कायम करते हैं; (viii) सी.एस.आई.आर. का मुख्य प्रयास अपनी घटक प्रयोगशालाओं में विकसित बौद्धिक संपदा, ज्ञान आधार और/अथवा प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए समर्थ बनाना है; बाजार स्वीकृति को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के परवर्ती विकास हेतु प्रौद्योगिकियों/उत्पादों की लाइसेंसिंग के बाद भी उद्योग साझेदार का सामान्य संचालन और इस तरह उसकी व्यावसायिक सफलता हासिल करना; तथा (ix) डी.एस.टी., डी.बी.टी. और डी.एस.आई.आर. के अंतर्गत नवोन्मेषी और प्रौद्योगिकी उन्मुख अनुसंधान पर लक्षित अन्य अनेक कार्यक्रम; ऐसा 800 मिलियन डॉलर बाजार मूल्य का सृजन किया है। साथ ही, युवाओं में नवोन्मेष की संस्कृति पैदा करने के लिए, डी.एस.टी. का मानक (राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान के संवर्धन के लिए लाखों विचार) छठी से दसवीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों पर लक्षित एक विशाल कार्यक्रम है जो उन्हें समाज की आवश्यकताओं की संकल्पना करने और विश्लेषित करने तथा उनका समाधान करने के लिए नवोन्मेषी विचारों को उत्पन्न करने का प्रोत्साहन देता है।

[अनुवाद]

तेलंगाना में रेल परियोजनाएं

*209. **श्री भीमराव बी. पाटील** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना में कई नई परियोजनाएं और वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन का कार्य शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) तेलंगाना में गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई नई-नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और घोषित की गई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री तथा वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) तेलंगाना राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप पड़ने वाली 1093 किमी लंबी 14,665 करोड़ रु. की लागत वाली 09 नई लाइन परियोजनाएं और 545 किमी लंबी 5,267 करोड़ रु. की लागत वाली 05 दोहरीकरण परियोजनाएं अनुमोदन/नियोजन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। तेलंगाना राज्य में नई परियोजनाओं और दोहरीकरण/तिहरीकरण के माध्यम से शुरू किए जा रहे अवसंरचना उन्नयन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियेजना	स्वीकृति का वर्ष	नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2018 को व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 18-19 (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 किमी)	1997-98	2800	1118.33	275	• कृष्णा येरामारास- (16 किमी): डाउन लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। • देवकादरा जकलेयर- (28.55 किमी): यातायात के लिए खोल दिया गया है। • मुनीराबाद (गिनीगेरा)- बुधगुंपा-चिकाबेनाकल (27 किमी): यातायात के लिए खोल दिया गया है। • जकलेयर-कृष्णा (35.60 किमी) एवं चिकाबेनाकल-येरामरास (138 किमी): भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	मनोहराबाद-कोटापल्ली (148.90 किमी)	2006-07	1160	16.74	125	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	भद्राचलम रोड-सातुपल्ली (56.25 किमी)	2010-11	704.31	69.69	120	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी संबंधी और छोटे/बड़े पुलों के लिए एजेंसी का निर्धारण कर दिया गया है।
4.	अक्कनापेट-मेडक (17.2 किमी)	2012.13	126	4.53	130	338 एकड़ में से 333 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और छोटे/बड़े पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
5.	भद्राचलम-कोव्वूर (151 किमी)	2012-13	2154	2.38	01	तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर संशोधित संरेखण के लिए सर्वेक्षण किया गया और इसे तेलंगाना सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। सातुपल्ली से आरंभ होने वाले संशोधित संरेखण के अनुसार तेलंगाना में कुल लंबाई 48.58 कि.मी. है जिसकी लागत 735.70 करोड़ रु. है। तेलंगाना सरकार को परियोजना की लागत में 50 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6	7
						भागीदारी करने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में पड़ने वाली 1419.13 करोड़ रु. की लागत वाली 70.32 किमी लंबी परियोजना के लिए लागत में भागीदारी हेतु अपनी सहमति दे दी है।
6.	मन्नुगुरू-रामागुंडम (200 किमी)	2013-14	2911	0.92	0.5	तेलंगाना सरकार द्वारा लागत में 50 प्रतिशत भागदारी करने और निःशुल्क भूमि प्रदान करने के संबंध में अभी सहमति नहीं मिली है।
7.	कोंडापल्लीम-कोठागोडु (125 किमी)	2013-14	723	0.0001	0.001	इस कार्य को बजट 2013-14 में शामिल किया गया है बशर्ते अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाए। कोठागोडुम से पेनुबल्ली के बीच कॉमन संरेखण के कारण कोंडापल्ली-पेनुबल्ली के बीच परियोजना की लंबाई कम करके 81.57 किमी कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार अपने हिस्से में पड़ने वाली परियोजना की लागत में 13 प्रतिशत भागीदारी के लिए सहमत है। तेलंगाना राज्य सरकार से लागत में भागीदारी और कोठागोडुम से पेनुबल्ली तक कॉमन संरेखण के लिए सहमति देने के बारे में अनुरोध किया गया है।
8.	विजयवाड़ा-गुंटूर बारास्ता अमरावती (106 किमी)	2017-18	3272	2.1	10	परियोजना की केवल 06 कि.मी. लंबाई तेलंगाना राज्य में पड़ती है। इस परियोजना को अपेक्षित सरकारी स्वीकृतियों के अध्यधीन 2017-18 के बजट में शामिल किया गया था। 1732.56 करोड़ रु. की लागत पर अमरावती (56.53 किमी) इकहरी लाइन (56.53 किमी) के रास्ते एरूपलेम-नाम्बूर के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है।
9.	मचरेला-नालगोंडा (92 किमी)	1997-98	815	3.49	0.1	लाभप्रदता अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने और निर्माण की लागत में 75 प्रतिशत भागीदारी के बावजूद यह परियोजना वित्तीय रूप से अर्थक्षम नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
दोहरीकरण						
10.	मंचेरयाल-पेद्दमपेट कहीं-कहीं तिहरीकरण (9.02 किमी)	2010-11	119.89	108.09	03	कार्य शुरू कर दिया गया है। सितम्बर 2018 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
11.	विद्युतीकरण सहित काज़ीपेट-विजयवाड़ा तीसरी लाइन (220 किमी)	2012-13	1857	177.58	60	कार्य शुरू कर दिया गया है।
12.	विजयवाड़ा, काजीपेट पर बाई-पास (30 किमी)	2015-16	499.29	81.25	6.55	विजयवाड़ा बाई-पास (19.50 कि.मी.) और काजीपेट बाई-पास (10.65 किमी): भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है।
13.	काजीपेट-बल्हारशाह तीसरी लाइन (202 किमी)	2015.16	2063	30.6.16	301	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्यों के लिए ऐजेंसी का निर्धारण कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
14.	सिकंदराबाद (फलकनुमा)-महबूबनगर (85.24 किमी)	2015-16	728	112.60	250	भूमि अधिग्रहरण, छोटे/बड़े पुल और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं और घोषित परियोजनाओं की अनुमानित लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विगत तीन वर्षो के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत
1.	विजयवाड़ा-गुंटूर बारास्ता अमरावती नई लाइन (106 कि.मी.)	2017-18	3272 करोड़ रु.
2.	काजीपेट-बल्हारशाह तीसरी लाइन (202.00 कि.मी.)	2015-16	2063 करोड़ रु.
3.	विजयवाड़ा-काजीपेट बाई-पास (30 कि.मी.)	2015-16	499.29 करोड़ रु.
4.	सिकंदराबाद (फलकनुमा)-महबूबनगर दोहरीकरण (85.24 कि.मी.)	2015-16	728 करोड़ रु.

ई-कैटरिंग सेवा

*210. **श्रीमती रक्षाताई खाडसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आई.आर.सी.टी.सी. के माध्यम से रेलवे में ई-कैटरिंग सेवा प्रदान करने हेतु पार्टियों/वेंडरों/कंपनियों के साथ समझौता किया है अथवा समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के साथ जिन कंपनियों के साथ समझौता हुआ है/किए जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) जी हां। अभी तक 136 सक्रिय विक्रेताओं और 12 समूहकों को मिलाकर इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन के साथ रजिस्टर मौजूदा ई-खानपान सेवा प्रदाताओं का ब्यौर निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सक्रिय विक्रेताओं की सूची
1.	ए.बी. सावंत और ब्रदर्स
2.	ए.जे.एस. कैटरर्स

क्र.सं.	सक्रिय विक्रेताओं की सूची
3.	ए.के. नजीर मूसा
4.	ए.एस. सेल्स कॉर्पोरेशन
5.	आर.के. वैष्णव ढाबा
6.	आस्तिक होटल प्राइवेट लिमिटेड
7.	आतिश एंटरप्राइजेज
8.	अक्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (क्रिस्टल पैलेस)
9.	आद्यार आनंद भवन
10.	अजवा कैटरिंग
11.	आलोक कुमार घोष कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड
12.	अमन कैटर
13.	अमृत हॉस्पिटेलिटी सर्विसेज एल.एल.पी.
14.	आनंद रेस्टॉरेंट
15.	अंजली होटल प्राइवेट लिमिटेड
16.	अन्नपूर्णा वैष्णव भोजनालय
17.	एरेंको कैटरिंग
18.	आर्य भवन होटल सदर्न ग्रैंड
19.	आवला मुर्थी
20.	अयूष वैज रेस्टॉरेंट
21.	बाबू कैटर्स
22.	वल्ला स्पाइस टच
23.	बृंदावन आइस एंड स्पाइस
24.	बी.टी.डब्ल्यू. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25.	कैफे कुदुमबश्री
26.	क्लासिक कैटरिंग सर्विस
27.	दालमा कॉम्फट्र्स एंड इंटरटेनमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
28.	दीप ज्योति
29.	दीपक एंड कंपनी
30.	दीपलक्ष्मी कैटरर्स
31.	डॉमिनोज पिज्जा
32.	फ़रहान एंटरप्राइजेज एण्ड कैटरर्स
33.	फूड ऑन कॉल
34.	फ्रैस यस

क्र.सं.	सक्रिय विक्रेताओं की सूची
35.	गुप्ताजी चाटवाला
36.	हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
37.	हॉट बॉक्स
38.	होटल आर्यन
39.	होटल भीमास
40.	होटल ब्लिस
41.	होटल धर्मराज
42.	होटल ईडन रॉक
43.	होटल गोल्डन स्वान
44.	होटल गुप्ताजी
45.	होटल हरदेव प्राइवेट लिमिटेड
46.	होटल कोसाला
47.	होटल मीरा ग्रीन चिली एंड रेस्टॉरेंट
48.	होटल नेल्लाई सरवाना भाव
49.	होटल रंजीत
50.	होटल संदर्शिनी
51.	होटल शिखा
52.	होटल श्री आनंद भवन
53.	होटल तिलक
54.	जय जगन्नाथ रेस्टॉरेंट
55.	जय सिया राम किशोरी भोजनालय
56.	जय विजय रेस्टॉरेंट
57.	कन्हाई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
58.	कटरा माता वैष्णोदेवी होटल और रेस्टॉरेंट्स प्रा. लिमिटेड
59.	के.एम.ए कैटरर्स
60.	कृष्णा एंटरप्राइजेज
61.	कृषनुम एंटरप्राइजेज
62.	के.वी.आर. फूड्स सर्विस
63.	लोक संचालित साधन केन्द्र रत्नागिरी
64.	एलाना होटल एंड रिसॉर्ट प्रा. लि.
65.	जय भवानी होटल
66.	मनासा होटल एंड कैटरिंग

क्र.सं.	सक्रिय विक्रेताओं की सूची
67.	मधुराम कैफे
68.	मद्रास बेकरी
69.	मद्रास कॉफ़ी हाउस
70.	मेहर लोक संचालिक साधना केंद्र सावंतवाडी
71.	मनोहर फूड्स
72.	मिर्ची फूड मॉल
73.	मिजाज ई भोपाल
74.	मुरुगन ईडली शॉप
75.	मुस्कान कैटरर्स एंड सप्लायर
76.	नैवेध्याम रेस्टॉरेंट
77.	नमन फूड सेंटर
78.	निकी रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
79.	ओम शांति एंटरप्राइजेज
80.	ओनली अली बाबा
81.	पी.के. शैफी
82.	पी.एन. रमीज अली
83.	पी सिवा प्रसाद
84.	पंडित्स
85.	पोरवाल्स
86.	प्रेम कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
87.	आर एंड के एसोसिएट्स
88.	आर डी शर्मा एंड सन्स
89.	आर के फूड प्रॉडेकट्स
90.	आर.एस. एंटरप्राइजेज
91.	राधे ओ राधे
92.	राजधानी होटल प्राइवेट लिमिटेड
93.	रमेन डेका
94.	रम्यास होटल प्राइवेट लिमिटेड
95.	रसोई वेज थाली
96.	रेणुका एंटरप्राइजेज
97.	रिवर व्यूह होटल
98.	आर.जे.एस. होम किचन
99.	आर.एम.डी. होटल एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
100.	रॉमीस दिने
101.	एस मोहनलाल अग्रवाल
102.	सागर वेज रेस्टॉरेंट
103.	साई आहार
104.	साई बालाजी फूड कॉरपोरेशन
105.	साई कदम एंटरप्राइजेज
106.	सामर्थ डाइनिंग हॉल
107.	संस्कार महिला मंडल
108.	संतुष्टि एंटप्राइजेज़
109.	शहीद एंटरप्राइजेज
110.	शर्मा फूड्स
111.	शिव गोपाल सतेंद्र नाथ पांडे
112.	श्री गणेश भंडार
113.	श्री महालक्ष्मी स्वयं सहायता बचत घर
114.	श्री गुरु कृपा कैटर्स एंड एंटरप्राइजेज
115.	श्री निवास
116.	शिवा फूड्स प्लाजा
117.	स्मृति एंटरप्राइजेज
118.	स्पाइस इट अप
119.	श्री आर्य होटल
120.	श्री रावेंद्र कैटर्स प्रा. लिमिटेड
121.	श्री वानी एस.एच.सी.
122.	श्री विष्णु विलास
123.	सुनील एंटरप्राइजेज
124.	स्वागत बार एंड रेस्टॉरेंट
125.	टेस्ट ऑफ भगवती
126.	दी बनियन ट्री मल्टीकुजिन
127.	दी ग्रैंड भगवती
128.	टिप्सी टॉपसी
129.	तिरुपति एसोसिएट्स
130.	टोरल डाइनिंग हॉल

क्र.सं.	सक्रिय विक्रेताओं की सूची
131.	ट्रैवल फूड सर्विसेज
132.	तुलसी कैटरर्स
133.	वी2 फूड पैराडाइज
134.	वसंथम कैटरर्स
135.	वृंदावन एंटरप्राइसेज
136.	यश इन एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
समूहकों की सूची	
1.	फूड पांडा
2.	रेल रेस्ट्रो
3.	रेलफूड
4.	देवसिस
5.	यात्रीभोजन
6.	जूप
7.	ट्रैवोफूड
8.	गर्ग राजधानी ऑनलाइन फूड
9.	रेल दरबार ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
10.	बालाजी फूड एंड बैवरेज
11.	कॅमसॅम
12.	मेरा फूड चॉइस

(ग) इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉरपोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा ई-कैटरिंग परियोजना में 08 भारतीय ब्रांडों अर्थात (i) पैराडाइज बिरयानी (ii) खान चाचा (iii) करीम्स (iv) नजीर फूड्स (v) सरवना भवन (vi) सागर रत्ना (vii) बीकानेरवाला (viii) अमूल को शामिल करने का इरादा है।

रेल लाइनों की ओवरहॉलिंग

*211. **श्रीमती मौसम नूर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल अवसंरचना, विशेषकर रेल लाइनों जो क्षतिग्रस्त पाई गई हैं और नियमित उपयोग के लायक नहीं हैं, के उन्नयन हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उन रेलवे जोनों की पहचान के लिए कोई ढांचागत योजना बनाई है, जिनकी तत्काल ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्व रेलवे की रेल लाइनों की ओवरहॉलिंग की तत्काल आवश्यकता के रूप में पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ङ) रेल अवसंरचनाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/पुरस्थापन/पुनर्निर्माण करना भारतीय रेलवे में एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य नामित पदाधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार, जब कभी अपेक्षित होती है, किए जाते हैं।

रेल लाइनों को बदलने का कार्य रेलपथ नवीकरण कार्यों के माध्यम से किया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय रेल रेलपथ नियमावली में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आयु/स्थिति अर्थात् सकल मिलियन टन के संदर्थ में यातायात, रेलपथ की टूट-फूट/खराबी की घटना, पटरियों में घिसाव, पटरियों में संक्षारण, मानकों के अनुसार रेलपथ की अनुरक्षणीयता आदि के आधार पर जब कभी रेलपथ का कोई हिस्सा नवीकरण करने योग्य हो जाता है तो रेलपथ नवीकरण का कार्य किया जाता है। मीटर लाइन (एम.जी.) और छोटी लाइन (एन.जी.) पर जिस रेलपथ का आमान परिवर्तन कार्य स्वीकृत होता है, उस रेलपथ पर, यदि अपेक्षित हो, तो आमान परिवर्तन के निष्पादन की प्रगति के आधार पर विधिवत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद रेलपथ नवीकरण का कार्य किया जाता है। रेलपथ नवीकरण की योजना प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से बनाई जाती है और रेलपथ की स्थिति और अन्य विभिन्न कारकों के अनुसार, जो सर्वथा यह सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ियों को सुरक्षित चलाने के लिए सही स्थिति में है, उनके निष्पादन की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। यदि विभिन्न कारणों से किसी हिस्से का रेलपथ नवीकरण समय पर नहीं हो पाता है तो गाड़ियों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए उपयुक्त गति अवरोध, यदि अपेक्षित हो, लगाया जाता है।

01.04.2018 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 8265 किलोमीटर रेलपथ नवीकरण (संपूर्ण रेलपथ नवीकरण यूनिंट अर्थात् सी.टी.आर. यूनिट) स्वीकृत की गई है जिनमें से वर्ष 2018-19 में 4400 किलोमीटर सी.टी.आर. यूनिट का रेलपथ नवीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 5000 किलोमीटर का संपूर्ण रेल नवीकरण (प्राथमिक) शामिल है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलपथ नवीकरण के अंतर्गत 11450 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है।

01.04.2018 की स्थिति के अनुसार, पूर्व रेलवे में लगभग 583 किलोमीटर सी.टी.आर. यूनिट का रेलपथ नवीकरण स्वीकृत किया गया है। इसमें 669 किलोमीटर का संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (प्राथमिक) शामिल है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलपथ नवीकरण के लिए सी.टी.आर यूनिट में 289 किलोमीटर [318 किलोमीटर टी.आर.आर.(पी) सहित] का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व रेलवे के लिए वर्ष 2017-18 और वर्तमान वर्ष के रेलपथ नवीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

रेलवे	वर्ष	रेलपथ नवीकरण
पूर्व रेलवे	2017-18 (प्रगति)	268 सी.टी.आर. यूनिट [टी.आर.आर.(पी) 277 किलोमीटर सहित)]
	2018-19 (लक्ष्य)	289 सी.टी.आर. यूनिट [(टी.आर.आर.(पी) 318 किलोमीटर सहित]
	2018-19 (जून, 2018 तक प्रगति)	63 सी.टी.आर. युनिट [टी.आर.आर.(पी) 64 किलोमीटर सहित]

न्यायाधीशों को कार्य का आवंटन

*212. **श्री एम. चन्द्राकाशी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीशों को कार्य के आवंटन के लिए देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री, तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच कार्य का आवंटन संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के क्षेत्राधिकार में है, जो भारतीय संविधान के अधीन स्वतंत्र अंग हैं और सरकार मामले में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

*213. **श्री शंकर प्रसाद दत्ता** : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और सामने आ रही अवसंरचनात्मक बाधाओं का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर-पूर्व परिषद (एन.ई.सी.) ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका आकलन समय-समय पर किया जाता है। सभी गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों को उनके स्कीम बजट के 10 प्रतिशत को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए चिह्नित करना अनिवार्य है। भारत सरकार सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए बनाए गए विशेष कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास, क्षमता संवर्धन आदि के माध्यम से क्षेत्र के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। क्षेत्र के राज्यों के विकास के प्रयासों की भी क्षेत्रीय विकासात्मक स्कीमों और क्षेत्र विशिष्ट विकास पैकेजों के अधिक उदारवादी निधीयन पैटर्न के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना; 10911.58 किमी. सड़कों के निर्माण का निधीयन; 694.5 मेवा. के विद्युत संयंत्र और 2540.41 किमी. की संचारण और वितरण लाइनों की स्थपना; क्षेत्र के पुमुख हवाई अड्डों की अवसंरचना में सुधार और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्योग आदि के लिए अवसंरचना का निर्माण करना शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (नेरकॉर्म्प) के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका में सुधार करना भी एन.ई.सी. के लिए एक प्राथमिकता का क्षेत्र है।

नैरोगेज लाइन का आमान परिवर्तन

*214. **श्री ताम्रध्वज साहू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अभी भी नैरोगेज लाइन परिचालन में है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ के किन स्थानों के लिए नैरोगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ में रायपुर-राजिम-धमतरी नैरोगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि संस्वीकृत की गई है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) भारतीय रेल पर यात्री परिचालन वाले निम्नलिखित खंडों सहित छोटी लाइन वाले खंडों में जोनवार निम्नलिखित खंड शामिल हैं:-

क्र.सं.	जोन	छोटी लाइन वाले खंड
1.	मध्य रेलवे	नेरल-माथेरान, मुर्तजापुर-यवतमल, मुर्तजापुर-अचलपुर, पाचोरा-जामनेर, पुलगांव-अरवी
2.	उत्तर रेलवे	कालका-शिमला, पठानकोट-जोगिन्दरनगर
3.	उत्तर मध्य रेलवे	धेलपुर-सिर्मुत्रा-तंतपुर, ग्वालियर-शियोपुर कलां
4.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	दार्जिलिंग-न्यू जलपाईगुड़ी
5.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	केंदरी-धमतरी, अभानपुर-राजिम, नागपुर-नागभीर
6.	पश्चिम रेलवे	बिलिमोरा-वगाई, मलसर-चोरांदा-मियागाम करजन, चोरांदा-मोती कोरल, जम्बूसर-प्रतापनगर

(ख) से (घ) अभानपुर-राजिम शाखा लाइन (67.20 किमी) सहित केंदरी से धमतरी के बीच आमान परिवर्तन के लिए विस्तृत अनुमान को 30.5.2018 को 543.93 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है। रेल परियोजनाओं के पूरा होने में भूमि अधिग्रहण और जन-उपयोगिताओं की शिफ्टिंग अपेक्षित होती है। इसलिए, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। बहरहाल, आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों को पूरा करने में सामान्यतया कुछ वर्ष लग जाते हैं। अत: रेलवे इन छोटी लाइनों पर बेहतर तथा सुविधाजनक गाड़ियों को चलाने की संभावना पर विचार कर रही है।

विश्व स्तर के स्टेशन

*215. **श्री देवेन्द्र सिंह भोले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विश्व स्तर के स्टेशनों के रूप में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों की सूची में सम्मिलित रेवले स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) इन रेलवे स्टेशनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन रेलवे स्टेशनों पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उक्त योजना समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) रेलवे का प्रयास है कि स्टेशनों में और उनके आस-पास की भूमि और एयर स्पेस के उपयोग द्वारा वाणिज्यिक विकास करके सभी प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में जिन प्रमुख स्टेशनों (गैर-उपनगरीय ग्रेड-I, गैर-उपनगरीय ग्रेड-II और गैर-उपनगरीय ग्रेड-III कोटि के स्टेशन) पर कार्य शुरू किया जाने वाला है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उन स्टेशनों को उनकी तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध रूप से स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम में शामिल करने की योजना है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य में गोमतीनगर (लखनऊ) और चारबाग (लखनऊ) स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए लिया गया है। गोमतीनगर के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है और चारबाग (लखनऊ) स्टेशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। काशी (वाराणसी) में इंटर-मोडल स्टेशन (आई.एम.एस.) का विकास रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से करने का विनिश्चय किया गया है। आई.एम.एस. काशी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेल मंत्रालय ने अब विकासकर्ताओं, निवेशकों और अन्य स्टेकहोल्डारों के साथ विभिन्न वार्ताओं के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर, सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से और बेहतर

शर्तों, जैसे कि लम्बी अवधियों के पट्टे आदि, के साथ तेजी से स्टेशन पुनर्विकास की संशोधित कार्यनीति तैयार की है और तदनुसार, इस संबंध में एक मंत्रिमंडल नोट की कार्रवाई की गई है।

(ग) स्टेशनों में और उनके आस-पास की खाली भूमि/एयर स्पेस का वाणिज्यिक विकास करके स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। सामान्य:, ऐसी परियोजनाओं में रेलवे की लागत नहीं आएगी।

(घ) और (ङ) स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं इस प्रकार की प्रथम और जटिल किस्म की परियोजनाएं हैं, जिनके लिए विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन और स्थानीय निकायों से सांविधिक क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है। अत:, इस स्थिति में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में पुनर्विकसित किए जाने वाले प्रमुख स्टेशनों (गैर-उपनगरीय ग्रेड-I, गैर-उपनगरीय ग्रेड-II और गैर-उपनगरीय ग्रेड-III कोटि के स्टेशन) की सूची

क्र.सं.	स्टेशन का नाम
1.	आगरा फोर्ट
2.	अकबरपुर
3.	अलीगढ़
4.	इलाहाबाद
5.	आजमगढ़
6.	बलिया
7.	बांदा
8.	बरेली
9.	बस्ती
10.	छिउकी
11.	देवरिया सदर
12.	इटावा
13.	फैजाबाद
14.	गाजियाबाद
15.	गोंडा
16.	गोरखपुर जं.
17.	हरदोई
18.	जौनपुर
19.	झांसी
20.	कानपुर सेंट्रल
21.	लखनऊ
22.	लखनऊ जं.
23.	मंडुवाडीहा
24.	मऊ
25.	मेरठ सिटी
26.	मिर्जापुर
27.	मुरादाबाद
28.	मुगलसराय
29.	मुजफ्फरनगर
30.	प्रतापगढ़
31.	रायबरेली
32.	सहारनपुर
33.	शाहगंज
34.	शाहजहांपुर
35.	सुलतानपुर
36.	टुंडला
37.	वाराणसी

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र के लिए लोकपाल

*216. **श्री प्रताप सिम्हा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की अनुशंसा के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक लोकपाल की स्थापना करने में काफी विलंब हो गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सरकार द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता की शिकायतों और इसके दायरे में संबंधित वित्तीय दावों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने हेतु इस अधिनियम का संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र हेतु मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र पूर्णत: अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में ट्राई द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई किये जाने की व्यवस्था नहीं है तथा इसके द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या पहल की गई है/की जा ही हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी स्टेकहोल्डरों से प्राप्त इनपुट/फीडबेक के आधार पर 'दूरसंचार क्षेत्र में शिकयतों/परिवादों के निवारण" के बारे में दूरसंचार उपभोक्ताओं से संबंधित परिवाद/शिकायत निवारण तंत्र में सुधार लाने के लिए दिनांक 10 मार्च 2017 को अपनी सिफ़ारिशें दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को प्रस्तुत की हैं जिनमें ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु शीर्ष स्तर पर एक लोकपाल कार्यालय की स्थापना करने सहित तीन स्तरीय व्यवस्था/तंत्र स्थापित करने की सिफ़ारिश की है।

दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में परिवादों/शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के तत्वावधान में लोकपाल संस्था की स्थापना करने को अनुमोदित किया है।

(ख) 32 वर्ष पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 संसद में पेश किया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों को कवर करने के लिए सेवाओं की परिभाषा के तहत "दूरसंचार" को शामिल करने का प्रस्ताव है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.09.2009 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता न्यायालय इस समय दूरसंचार से संबंधित शिकायतों पर विचार नहीं करते।

(ग) जी नहीं, सम्मानपूर्वक यह उल्लेख किया जाता है कि यह परिणाम निकालना उपयुक्त नहीं होगा कि दूरसंचार क्षेत्र हेतु मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र पूर्णत: अपर्याप्त है।

ट्राई ने समय-समय पर यथासंशोधित "दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012" और "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012" के माध्यम से दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक फ्रेमवर्क निर्धारित किया है। वर्तमान विनियम में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) द्वारा संचालित किए जाने वाले "शिकायत केन्द्र" और अपीलीय प्राधिकारी" नामक दो स्तरीय शिकयत निवारण तन्त्र का प्रावधान है। तथापि, दूरसंचार शिकायत निवारण तन्त्र को और मजबूती प्रदान करने और इसे अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिए ट्राई ने लोकपाल की स्थापना करने के लिए दिनांक 10.03.2017 को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं। दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में शिकायतों/परिवादों के निवारण हेतु ट्राई के तत्वावधान में लोकपाल संस्था की स्थापना करने को अनुमोदित किया है। ऐसे दूरसंचार उपभोक्ता जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) के शिकायत निवारण तंत्र से संतुष्ट न हों वे दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा फोन, फैक्स और डाक के माध्यम से ऑफलाइन अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में ट्राई को वैयक्तिक उपभोक्ता शिकायतों का निपटान करने का अधिदेश नहीं दिया गया है। तथापि, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, ट्राई को प्राप्त सभी शिकायतें उपयुक्त कारवाई करने के लिए संबंधित दूरसंचार सेवा प्रादाताओं को भेजी जाती हैं।

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ट्राई अधिनियम के माध्यम से दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। ट्राई निरन्तर दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता रहा है और जब कभी भी अपेक्षित हुआ, उपयुक्त विनियमों, निर्देशों तथा आदेशों के रूप में दूरसंचार सेवाओं के पहलुओं के संबंध में आवश्यक उपाय करता रहा है।

तथापि, यदि शिकायत का निवारण ट्राई द्वारा यथानिर्धारित दो स्तरीय प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद भी नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता, संबंधित सेवा प्रदाता स्तर पर शिकायत का निवारण न होने पर सभी दस्तावेजी साक्ष्य (साक्ष्यों) सहित दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के सार्वजनिक शिकायत स्कंध से संपर्क कर सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत निम्नलिखित किसी भी तरीके से कर सकता है:

(i) दस्ती (ii) डाक द्वारा (iii) फैक्स के माध्यम से (iv) फोन द्वारा अथवा (v) वेब पोर्टल (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) यू.आर.एल: http://www.pgportal.gov.in के माध्यम से।

दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) में इस प्रकार से दर्ज़ की गई शिकायतें मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने और शिकायत निवारण के बारे में की गई कार्रवाई के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित करने के परामर्श के साथ संबंधित सेवा प्रदाता/अधीनस्थ संगठन (संगठनों) को भेजी जाती हैं। दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को प्राप्त सभी शिकायतों की निगरानी दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का विकल्प भी प्रदान करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने दूरसंचार उपभोक्ताओ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2018 के तहत लाने की पहल भी की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी लाभ

***217. डॉ. भागीरथ प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी अर्हक अंकों/मूल्यांकन मानकों में छूट को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा दिनांक 22.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) द्वारा वापस ले लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायाल ने रोहतास भंकर एवं अन्य बनाम भारत संघ की सिविल अपील संबंधी अपने निर्णय में डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 22.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन को गैर-कानूनी करार दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सभी कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी लाभ बहाल कर दिए हैं जिन पर उक्त कार्यालय ज्ञापन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस कार्यालय ज्ञापन से प्रभावित हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी लाभ बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को केवल सी.एस.एस. एस.ओ. ग्रेड परीक्षा, 1996 में परिणामी प्रोन्नितयों के बिना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीर्ष न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायाल ने एस. विनोद कुमार मामले में दिनांक 01.10.1996 को यह निर्णय दिया था कि पदोन्नति संबंधी मानदंडों में किसी छूट की अनुमति नहीं है। इस निर्णय का कार्यान्वियन करने के लिए, पदोन्नति हेतु विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मिलने वाले निम्न अर्हता अंकों के लाभ को वापस लेते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 22.07.1997 को का.ज्ञा.सं. 36012/23/96-स्था. (आरक्षण) जारी किया था।

(ख) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोहतास भंकर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक मामले में 2004 की सिविल अपील सं. 6046-6047 में दिनांक 15.07.2014 को निम्नानुसार निर्देश दिया था:

> "11. परिणामस्वरूप, सिविल अपीलों की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाता है। वर्ष 1997 के का.ज्ञा. को अवैध घोषित किया जाता है। प्रतिवादियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे आरक्षण प्रदान करके और आवेदकों को सभी पारिणामिक अनुतोष प्रदान कर, यदि अब तक प्रदान नहीं किए गए हों, अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1996 के परिणामों को संशोधित करें...."

(ग) से (ङ) क्योंकि दिनांक 15.07.2014 का निर्णय विशेष रूप से अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/गेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1996 के लिए ही था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी आवेदकों और वर्ष 1996 की परीक्षा में शामिल होने वाले सदृश स्थिति वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी ये लाभ प्रदान किए जाएं। तदनुसार जुलाई/सितम्बर, 2015 में इन पात्र अधिकारियों में से बत्तीस अधिकारियों को वर्ष 2006 और 2007 की अवर सचिव चयन सूचियों में उनके ठीक बाद वाले कनिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में अनंतिम रूप से अंतर्वेशित किया गया तथा उन्हें नियमानुसार स्वीकार्य वेतन लाभ भी प्रदान किए गए थे। तथापि, उप सचिव ग्रेड में उनकी नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है जो कि पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न अदालती मुकदमों की वजह से रुकी हुई थी।

[हिन्दी]

कोयला खानों का आवंटन

***218. श्री जय प्रकाश नारायण यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के बांका जिले के ककवाड़ा में प्रस्तावित 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना के दृष्टिगत कोयला भंडारों (खानों)/कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कोयला ब्लॉकों के आवंटन में विलंब के क्या कारण हैं और इसके समाधान हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) सरकार ने कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के स्थान पर दिनांक 13.07.2017 को कोयला ब्लॉक आबंटन नियमावली, 2017 अधिसूचित की है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर अल्ट्रा मेगा वावर प्रोजेक्ट (यू.एम.पी.पी.) के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन को सुविधानक बनाया जा सके। विद्युत मंत्रालय में (i) घरेलू कोयला, (ii) आयातित कोयला तथा (iii) लिंकेज कोयला के आधार पर यू.एम.पी.पी. के लिए सम्मिलित दिशा-निर्देश को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार के बांका जिले में ककवारा में प्रस्तावित 4000 मे.वा. यू.एम.पी.पी. की स्थापना के दृष्टिगत कोयला भंडार/कोयला ब्लॉकों की आबंटन प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय द्वारा यू.एम.पी.पी. हेतु उक्त दिशा-निर्देश को अंतिम रूप देने के पश्चात् की शुरू जाएगी।

[अनुवाद]

चुनाव सुधार

***219. श्री सी.एन. जयदेवन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराये जाने के विचार का विरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक कड़े चुनावी सुधार जैसे कि चुनाव का वित्तपोषण करने हेतु कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाना इत्यादि जिनकी चुनाव सुधारों संबंधी समिति ने अनुशंसा की है लंबित हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु चुनावी सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और नयाय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विभिन्न पणधारियों जिसके अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग भी है, से परामर्श करके लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे की परीक्षा की थी। समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं। मामले को अब आगे की परीक्षा हेतु विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है ताकि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने के लिए व्यवहारिक रूप रेखा और ढांचा तैयार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, निर्वाचन सुधार के मुद्दे की इसकी संपूर्णता में, हाल के दिनों में विधि आयोग द्वारा परीक्षा की गई थी। विभिन्न पणधारियों से परामर्श के पश्चात् विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें, अन्य बातों के साथ निर्वाचन के वित्तपोषण में काले धन के उपयोग को रोकने से उद्देश्य से निर्वाचन वित्त पर कड़ी सिफारिशें भी शामिल हैं। सिफारिशें वर्तमान में सरकार के समक्ष परीक्षाधीन हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों/पोक्सो न्यायालयों की संख्या

***220. श्री सुमेधानन्द सरस्वती :**
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायालयों की संख्या वर्तमान में पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक 50 मामलों के लिये एक लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) न्यायालय की स्थापना करने का कोई प्रावधान है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वर्तमान में कार्यरत पोक्सो न्यायालयों की राज्य एवं जिला-वार संख्या कितनी हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय, 124 उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की 13 न्यायपीठों की स्थापना सांविधानिक उपबंधों के अनुसार की गई

है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण सम्बन्धित उच्च न्यायालय में निहित होता है। राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में 31.03.2018 को राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र वार, न्यायालयों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के प्रति आज की तारीख तक कार्यरत पद संख्या 22 है। सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ-साथ मिलकर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और मई, 2014 से जुलाई, 2018 की अवधि के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 18 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 906 (मई, 2014 में) से बढ़कर 1079 (आज की तारीख तक) हो गई है। उच्च न्यायालयों में 1079 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के प्रति, आज की तारीख तक कार्यरत स्वीकृत पद संख्या 660 है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए न्यायाधीशों की संख्या के वर्ष-वार और न्यायालय-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 31.12.2013 को 19518 से बढ़कर 31.03.2018 को 22545 हो गई है और 31.12.2013 को कार्यरत पद संख्या भी 15115 से बढ़कर 31.03.2018 को 17109 हो गई है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार, 31.03.2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

वर्ष 1993-94 से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से संघ सरकार द्वारा कार्यान्वित, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.) के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालय हॉलों और आवासीय यूनिटों के विकास के लिए निधि आबंटित की गई है। आज की तारीख तक, स्कीम के आरम्भ होने के समय से संघ सरकार द्वारा 6302 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए आज की तारीख तक उपलब्ध न्यायालय हॉलों की संख्या 18444 है और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय यूनिटों की संख्या 15853 है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2709 न्यायालय हॉल और 1472 आवासीय यूनिट संनिर्माणाधीन हैं। केन्द्रीय सरकार ने, 01.04.2017 से 31.03.2020 की अवधि के लिए इस स्कीम के जारी रहने का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 3320 करोड़ रुपाए का अनुमानित अतिरिक्त परिव्यय सम्मिलित है। इस स्कीम के अधीन, केन्द्र और राज्य के बीच निधि हिस्सेदारी पैटर्न, पूर्वोत्तर तथा हिमालयीय राज्यों से भिन्न राज्यों की बाबत क्रमश: 60 : 40 है, पूर्वोत्तर और हिमालयीय राज्यों की बाबत 90 : 10 है। संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत 100% वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 यह कथन करती है कि त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, सुसंगत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, प्रत्येक जिले के लिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए आदेशाधीन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक, देश में (पोक्सो) अधिनियम के अधीन 620 विशेष न्यायालयों को पदाभिहित किया गया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार (रा.बा.अ.सं.आ. द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार) ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

31.03.2018 को न्यायालय हॉलों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	न्यायालय हॉलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16
2.	आंध्र प्रदेश	636
3.	अरुणाचल प्रदेश	24
4.	असम	344
5.	बिहार	1340
6.	चंडीगढ़	31
7.	छत्तीसगढ़	373

1	2	3
8.	दिल्ली	482
9.	दमन और दीव	7
10.	दादरा और नगर हवेली	3
11.	गोवा	60
12.	गुजरात	1444
13.	हरियाणा	519
14.	हिमाचल प्रदेश	151
15.	जम्मू और कश्मीर	202
16.	झारखंड	604
17.	कर्नाटक	992
18.	केरल	492
19.	लक्ष्यद्वीप	3
20.	मध्य प्रदेश	1395
21.	महाराष्ट्र	2191
22.	मणिपुर	37
23.	मेघालय	38
24.	मिजोरम	34
25.	नागालैंड	37
26.	ओडिशा	536
27.	पुदुचेरी	20
28.	पंजाब	558
29.	राजस्थान	994
30.	सिक्किम	15
31.	तमिलनाडु	1035
32.	त्रिपुरा	68
33.	तेलंगाना	439
34.	उत्तर प्रदेश	2192
35.	उत्तराखंड	223
36.	पश्चिमी बंगाल	909
.	कुल	18444

विवरण-II

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विगत तीन वर्ष के दौरान नियुक्ति किए गए न्यायाधीशों की संख्या के वर्ष-वार और न्यायालय-वार, ब्यौरे

क. उच्चतम न्यायालय :

01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान की गई नई नियुक्ति	01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान की गई नई नियुक्ति	01.01.2018 से 23.07.2018 के दौरान की गई नई नियुक्ति
04	05	01

ख. उच्च न्यायालय :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	1.1.2016 से 31.12.2016 के दौरान की गई नई नियुक्ति	1.1.2017 से 31.12.2017 के दौरान की गई नई नियुक्ति	1.1.2018 से 23.07.2018 के दौरान की गई नई नियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	20	31	-
2.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	01	10	-

1	2	3	4	5
3.	बम्बई	06	14	-
4.	कलकत्ता	01	06	07
5.	छत्तीसगढ़	03	03	04
6.	दिल्ली	05	04	-
7.	गुवाहाटी	05	02	-
8.	गुजरात	05	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	04	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	03	-
11.	झारखंड	04	02	03
12.	कर्नाटक	05	02	07
13.	केरल	05	03	-
14.	मध्य प्रदेश	18	-	05
15.	मद्रास	25	12	07
16.	मणिपुर	01	-	-
17.	मेघालय	-	-	-
18.	ओडिशा	-	-	-
19.	पटना	06	06	-
20.	पंजाब और हरियाणा	01	08	-
21.	राजस्थान	11	05	-
22.	सिक्किम	-	01	-
23.	त्रिपुरा	-	-	01
24.	उत्तराखंड	-	03	-
	कुल	126	115	34

विवरण-III

31.03.2018 को अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिकारियों की स्वीकृत/कार्यरत पद संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	987	912
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	17
3.	असम	430	350

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
4.	बिहार	1837	1153
5.	चंडीगढ़	30	30
6.	छत्तीसगढ़	399	376
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	7	6
8.	दिल्ली	799	518
9.	गोवा	55	44
10.	गुजरात	1496	1116
11.	हरियाणा	645	496
12.	हिमाचल प्रदेश	159	148
13.	जम्मू और कश्मीर	261	224
14.	झारखंड	672	462
15.	कर्नाटक	1303	1061
16.	केरल	536	479
17.	लक्षद्वीप	3	2
18.	मध्य प्रदेश	2021	1315
19.	महाराष्ट्र	2097	1914
20.	मणिपुर	50	39
21.	मेघालय	97	39
22.	मिजोरम	64	46
23.	नागालैंड	33	21
24.	ओडिशा	862	649
25.	पुदुचेरी	26	12
26.	पंजाब	674	538
27.	राजस्थान	1237	1121
28.	सिक्किम	23	19
29.	तमिलनाडु	1121	913
30.	त्रिपुरा	107	75
31.	उत्तर प्रदेश	3224	1864
32.	उत्तराखंड	292	231
33.	पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	967	919
	कुल	22545	17109

विवरण-IV

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में पोक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन पदाभिहित विशेष न्यायालय

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	पदाभिहित विशेष अदालतों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	13
2.	असम	27	24
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	20	5
5.	बिहार	38	38
6.	छत्तीसगढ़	27	51
7.	चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र	1	1
8.	दिल्ली	13	13
9.	दमन और दीव	2	2
10.	दादरा और नगर हवेली	1	1
11.	गोवा	2	1
12.	गुजरात	33	21
13.	हिमाचल प्रदेश	12	11
14.	हरियाणा	22	21
15.	झारखंड	24	24
16.	केरल	14	14
17.	कर्नाटक	30	30
18.	लक्षद्वीप	1	1
19.	मणिपुर	9	7
20.	मिजोरम	8	2
21.	मध्य प्रदेश	51	51
22.	मेघालय	11	6
23.	महाराष्ट्र	36	36
24.	नागालैंड	11	11
25.	ओडिशा	30	30
26.	पंजाब	22	22
27.	पुदुचेरी	2	2
28.	राजस्थान	35	35
29.	सिक्किम	4	4
30.	तमिलनाडु	32	32
31.	तेलंगाना	31	10
32.	त्रिपुरा	8	8
33.	उत्तर प्रदेश	75	56
34.	उत्तराखंड	13	13
35.	पश्चिम बंगाल	23	23
	कुल	681	620

[हिन्दी]

आधार अधिनियम

2301. **श्री लक्ष्मण गिलुवा** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आधार अधिनियम के अंतर्गत अब तक कराए गए कार्यों का विवरण क्या है;

(ख) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में आधार अधिनियम के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त जिलों में कितने लोग अभी तक आधार अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं और उन्हें कब तक इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) 26 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिलें के निवासियों को जारी किए आधार की कुल संख्या 24,10,834 और पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासियों को जारी किए आधार की कुल संख्या 16,71,680 है।

मंत्रालय के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) की भूमिका आधार संख्याएं जारी करने और लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन सेवाएं

प्रदान करने तक सीमित है। कल्याण सेवाओं, लाभ आदि की प्रदायगी के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए आधार के इस्तेमाल और वह सीमा जिसके लिए आधार का प्रयोग किया जाना है, का निर्धारण कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे कि राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाता है।

(ग) शेष बची जनसंख्या और नवजात बच्चों का आधार नामांकन पूरा करने के लिए आधार नामांकन सुविधाओं की स्थापना इन जिलों के निर्धारित डाकघरों और बैंकों में की गई है।

डाकघर

2302. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में गांवों तथा शहरों में डाकघरों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान गांव, तहसील तथा जिला स्तर पर कितने नए डाकघर खोले गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना बजट आबंटित किया गया है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डाकघर सुविधा के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है और देश की इस संबंध में क्या रैंकिंग है;

(ङ) डाकघरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश भर में कितने डाकघरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार डिजिटलीकरण हुआ है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) देश में गांवों तथा शहरों में राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र-वार डाकघरों की अलग-अलग संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान "ग्रामीण व्यवसाय एवं डाक नेटवर्क तक पहुंच" स्कीम के तहत ग्रामों, तहसीलों तथा जिला स्तर पर खोले गए नए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) उक्त अवधि के दौरान, इन डाकघरों के लिए आबंटित बजट संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) सरकार को डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता संबंधी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) डाकघरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं (उत्पादों/सेवाओं) को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(च) 18.07.2018 की स्थिति के अनुसार, देश में 66,526 शाखा डाकघरों और 25,585 विभागीय डाकघरों को डिजीटलाइज्ड/कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसका बयौरा क्रमश: संलगन विवरण-V और विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

देश के गांवों (ग्रामीण) तथा शहरों (शहरी) क्षेत्रों में स्थित डाकघरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

(31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	गांवों (ग्रामीण) क्षेत्रों में स्थित डाकघरों की संख्या	शहरों (शहरी) क्षेत्रों में स्थित डाकघरों की संक्ष्या	डाकघरों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9707	783	10490
2.	असम	3631	381	4012
3.	बिहार	8625	459	9084
4.	छत्तीसगढ़	2898	289	3187
5.	दिल्ली (राष्ट्रीय राधानी क्षेत्र)	83	471	554

1	2	3	4	5
6.	गुराजत	8116	776	8892
7.	दादरा और नगर हवेली	37	1	38
8.	दमन और दीव	14	4	18
9.	हरियाणा	2318	375	2693
10.	हिमाचल प्रदेश	2661	131	2792
11.	जम्मू और कश्मीर	1508	191	1699
12.	झारखण्ड	3190	270	3460
13.	कर्नाटक	8624	1039	9663
14.	केरल	4177	877	5054
15.	लक्षद्वीप	4	6	10
16.	मध्य प्रदेश	7473	807	8280
17.	महाराष्ट्र	11381	1233	12614
18.	गोवा	203	53	256
19.	अरुणाचल प्रदेश	273	29	302
20.	मणिपुर	644	57	701
21.	मेघालय	465	26	491
22.	मिजोरम	349	35	384
23.	नागालैंड	302	28	330
24.	त्रिपुरा	633	78	711
25.	ओडिशा	7615	600	8215
26.	पंजाब	3408	411	3819
27.	चंडीगढ़	9	42	51
28.	राजस्थान	9679	632	10311
29.	तमिलनाडु	10226	1817	12043
30.	पुदुचेरी	57	38	95
31.	तेलंगाना	5280	531	5811
32.	उत्तराखण्ड	2513	210	2723
33.	उत्तर प्रदेश	15747	1924	17671
34.	पश्चिम बंगाल	7658	1110	8768
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	85	15	100
36.	सिक्किम	1997	12	209
	कुल	139790	15741	155531

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान "ग्रामीण व्यवसाय एवं डाक नेटवर्क तक पहुंच" स्कीम के तहत गांवों, तहसीलों तथा जिला स्तर पर खोले गए नए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	डाक सर्कल का नाम	2015 के दौरान गांवों, तहसीलों तथा जिला स्तर पर खोले गए शाखा डाकघरों (बी.ओ.) उप डाकघरों (एस.ओ.) की संख्या	2016-17 के दौरान गांवों, तहसीलों तथा जिला स्तर पर खोले गए शाखा डाकघरों (बी.ओ.) उप डाकघरों (एस.ओ.) की संख्या	2017-18 के दौरान गांवों, तहसीलों तथा जिला स्तर पर खोले गए शाखा डाकघरों (बी.ओ.) उप डाकघरों (एस.ओ.) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6	8	15
2.	असम	7	0	3
3.	बिहार	16	9	10
4.	छत्तीसगढ़	13	9	27
5.	दिल्ली	4	2	1
6.	गुजरात	6	6	28
7.	हरियाणा	10	8	7
8.	हिमाचल प्रदेश	3	3	6
9.	जम्मू और कश्मीर	3	2	2
10.	झारखण्ड	10	11	28
11.	कर्नाटक	5	9	7
12.	केरल	4	2	1
13.	मध्य प्रदेश	6	8	11
14.	महाराष्ट्र	10	10	21
15.	पूर्वोत्तर	14	8	2
16.	ओडिशा	10	11	13
17.	पंजाब	2	7	9
18.	राजस्थान	10	7	16
19.	तमिलनाडु	12	8	9
20.	तेलंगाना	4	5	14
21.	उत्तराखण्ड	4	4	5
22.	उत्तर प्रदेश	6	11	16
23.	पश्चिम बंगाल	3	5	9
	कुल	168	153	260

विवरण-III

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों को खोलने के लिए आबंटित बजट

उप स्कीम	2015-16 के दौरान आबंटित बजट (करोड़ रुपये में)	2017-17 के दौरान आबंटित बजट (करोड़ रुपये में)	2017-18 के दौरान आबंटित बजट (करोड़ रुपये में)
ग्रामीण व्यवसाय एवं डाक नेटवर्क तक पहुंच	1.619	1.002	3.16

विवरण-IV

डाकघरों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं (उत्पाद/सेवाएं) को दर्शाने वाली सूची

1. **परम्परागत डाक** :
   - पोस्ट कार्ड
   - अंतर्देशीय पत्र कार्ड
   - बुम पोस्ट
   - लिफाफे
   - बिजनेस रिप्लाई सर्विस
   - पार्सल
   - मूल्यवर्धक सेवाएं-पंजीकरण, कैश ऑन डिलीवरी, वी.पी.पी. एवं बीमा
2. **प्रीमियम उत्पाद** :
   - स्पीड पोस्ट
   - बिजनेस पोस्
   - एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट
   - लॉजिस्टिक पोस्ट
3. **ई-समर्थित सेवाएं** :
   - ई-पोस्ट
   - ई-बिल पोस्ट
4. **धनान्तरण** :
   - इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर (ई.एम.ओ.)
   - तत्काल मनीआर्डर (आई.एम.ओ.)
   - अंतर्राष्ट्रीय धनान्तरण
5. **वित्तीय सेवाएं** :
   - डाकघर बचत बैंक खाते–सी.बी.एस. प्लेटफार्म पर
   - बचत बैंक, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पी.पी.एफ., एन.एस.सी., के.वी.पी. सुकन्या समृद्धि योजना।
   - ए.टी.एम. कार्ड
6. **जीवन बीमा** :
   - डाक जीवन बीमा - शहरी/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के लिए
   - ग्रामीण डाक जीवन बीमा - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
7. **रिटेल सेवाएं** :
   - बिल संग्रहण (जमा)
   - डाटा संग्रहण/सर्वेक्षण
   - विश्वविद्यायल इत्यादि के फॉर्म
   - मनरेगा के लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री मात् वंदन योजना इत्यादि का भुगतान
   - रेलवे टिकटों की बुकिंग (सेवा चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध)
   - डाकघर पासपोर्ट सेवा (सेवा चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध)
   - आधार नामांकन तथा अद्यतन (सेवा चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध)
   - रोजगार पंजीकरण (प्रधान डाकघरों में उपलब्ध)

विवरण-V

18.07.2018 की स्थिति के अनुसार नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन (दर्पण) के तहत रोल आउट किए गए शाखा डाकघरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	रोलआउट किए गए शाखा डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,229
2.	अरुणाचल प्रदेश	21
3.	असम	3,266
4.	बिहार	2,944
5.	छत्तीसगढ़	1,940
6.	गोवा	138
7.	गुजरात (दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	6,969
8.	झारखण्ड	2,618
9.	हरियाणा	2,122
10.	हिमाचल प्रदेश	1,866
11.	जम्मू और कश्मीर	1,232
12.	केरल (लक्षद्वीप संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	3,495
13.	कर्नाटक	3,105
14.	नागालैंड	230
15.	मेघालय	274
16.	महाराष्ट्र	3,299
17.	मणिपुर	388
18.	मध्य प्रदेश	6,301
19.	मिजोरम	224
20.	ओडिशा	2,609
21.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	3,057
22.	राजस्थान	6,224
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु (पुदुचेरी संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	0
25.	त्रिपुरा	592
26.	तेलंगाना	2,883
27.	उत्तराखण्ड	619
28.	उत्तर प्रदेश	7,143
29.	पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	650
30.	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	88
	कुल	66,526

विवरण-VI

18.07.2018 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत विभागीय डाकघरों का डाक सर्कल-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (सर्कल)	कम्प्यूटरीकृत डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,594
2.	असम	625
3.	बिहार	1,058
4.	छत्तीसगढ़	349
5.	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	407
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्यक्षेत्र सहित)	1,341
7.	हरियाणा	504
8.	हिमाचल प्रदेश	469
9.	जम्मू और कश्मीर	266
10.	झारखण्ड	463
11.	कर्नाटक	1,717
12.	केरल (लक्षद्वीप संघ-राज्यक्षेत्र सहित)	1,507
13.	मध्य प्रदेश	1021
14.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	2,216

1	2	3
15.	पूर्वोत्तर (मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नागालैण्ड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य सहित)	340
16.	ओडिशा	1,204
17.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	768
18.	राजस्थान	1,335
19.	तमिलनाडु (पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित)	2,834
20.	तेलंगाना	852
21.	उत्तर प्रदेश	2,554
22.	उत्तराखण्ड	393
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र सहित)	1,768
	कुल	25,585

[अनुवाद]

सौर विद्युत परियोजनाएं

2303. **श्री सी. महेंद्रन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वाणिज्यिक प्रचालनों हेतु 100 मेगावाट की तीन सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजनाएं कहां पर स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसी परियोजनाओं को और अधिक स्थानों पर स्थापित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार की सौर पार्क विकास एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के 2 सौर पार्कों में हाल ही में कुल 300 मे.वा. क्षमता की पांच परियोजनाएं शुरू की गई हैं। परियोजनाओं का उनकी अवस्थिति सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 21 राज्यों में 26,449 मे.वा. की संचयी क्षमता वाले 45 सौर पार्कों को अनुमोदित किया है। सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुमोदित सौर पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई सौर परियोजना का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना स्थल	योजना (राज्य/केन्द्र)	क्षमता (मेगावाट में)	शुरू करने की तारीख
1.	गलीवीडु, कडपा जिला	केंद्रीय योजना (अनंतपुर अल्ट्रा मेगा सौर पार्क)	50	30.04.2018
2.	गलीवीडु मंडल, कडपा जिला	सौर पार्क गलीवीडु	50	14.06.2018
3.	गलीवीडु मंडल, कडपा जिला	सौर पार्क गलीवीडु	50	14.06.2015
4.	गलीवीडु मंडल, कडपा जिला	सौर पार्क गलीवीडु	50	14.06.2018
5.	गलीवीडु मंडल, कडपा जिला	सौर पार्क गलीवीडु	100	14.06.2018
	कुल		300	

विवरण-II

देश भर में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुमोदित सौर पार्कों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित सौर पार्क	क्षमता (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरमू-I सौर पार्क	1500
2.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल सौर पार्क	1000
3.	आंध्र प्रदेश	कडपा सौर पार्क	1000
4.	आंध्र प्रदेश	अनुतपुरम-II सौर पार्क	500
5.	आंध्र प्रदेश	हाइब्रिड सोर विंड पार्क	160
6.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित सौर पार्क	30
7.	असम	असम में सौर पार्क	70
8.	गुजरात	राधानेसदा सौर पार्क	700
9.	गुजरात	हरसद सौर पार्क	500
10.	गुजरात	ढोलरा सौर पार्क	5000
11.	हरियाणा	हरियाणा में सौर पार्क	500
12.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश में सौर पार्क	1000
13.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर में सौर पार्क	200
14.	कर्नाटक	पावगदा सौर पार्क	2000
15.	केरल	कासरगोड सौर पार्क	200
16.	मध्य प्रदेश	रीवा सौर पार्क	750
17.	मध्य प्रदेश	नीमच-मंदसौर सौर पार्क	700
18.	मध्य प्रदेश	अगर सौर पार्क	500
19.	मध्य प्रदेश	शाजापुर सौर पार्क	550
20.	मध्य प्रदेश	मुरैना (चंबल) सौर पार्क	250
21.	महाराष्ट्र	साई गुरु सौर पार्क	500
22.	महाराष्ट्र	पटोडा सौर पार्क	500
23.	महाराष्ट्र	डोंडाइचास सौर पार्क	500
24.	महाराष्ट्र	लातूर सौर पार्क	60
25.	महाराष्ट्र	वाशिम सौर पार्क	170
26.	महाराष्ट्र	यवतमाला सौर पार्क	75
27.	मणिपुर	बुकी सौर पार्क	20
28.	मेघालय	मेघालय में सौर पार्क	20

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित सौर पार्क	क्षमता (मेगावाट)
29.	मिजोरम	वांकल सौर पार्क	20
30.	नागालैंड	नागालैंड में सौर पार्क	23
31.	ओडिशा	ओडिशा में सौर पार्क	1000
32.	राजस्थान	भडला-II सौर पार्क	680
33.	राजस्थान	भडला-III सौर पार्क	1000
34.	राजस्थान	भडला-IV सौर पार्क	500
35.	राजस्थान	फलोदी-पोकरन सौर पार्क	750
36.	राजस्थान	फतेहगढ़ चरण-I बी सौर पार्क	421
37.	राजस्थान	नोख सौर पार्क	980
38.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में सौर पार्क	500
39.	तमिलनाडु	कडालाडी सौर पार्क	500
40.	उत्तर प्रदेश	यूपी में सौर पार्क	440
41.	उत्तर प्रदेश	यूपी कानपुर देहात सौर पार्क	50
42.	उत्तर प्रदेश	यूपी जालौन सौर पार्क	50
43.	उत्तर प्रदेश	यूपी कानपुर नगर सौर पार्क	30
44.	उत्तराखंड	उत्तराखंड में सौर पार्क	50
45.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम गंगाल में सौर पार्क	500
	कुल		26,449

[हिन्दी]

आधार से जोड़ना

2304. **श्री अर्जुन लाल मीणा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान सहित अन्य राज्यों की योजनाओं के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के डेटाबेस को अधार से जोड़ने और अन्य अद्यतनों के प्रयोजनार्थ विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य कब तक होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ग) नीति आयेग में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

तटरक्षक अकादमी

2305. **श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के अजीक्कल से तटरक्षक अकादमी को कर्नाटक राज्य के किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) :

(क) और (ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के अजीक्कल में भारतीय तटरक्षक अकादमी की स्थापना के लिए सी.आर.जेड. और पर्यावरण क्लीयरेंस देने से इंकार कर दिया है क्योंकि अजीक्कल स्थित परियोजना स्थल सी.आर.जेड.-I (ए) क्षेत्र में पड़ता है जहां सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार कोई भी निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसलिए भारतीय तटरक्षक द्वारा अन्य तटीय राज्यों में भारतीय तटरक्षक अकादमी के लिए उपयुक्त वैकल्पिक भूमि की तलाश करने/चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

उप-राष्ट्रीय खातों की गणना के लिए विशेषज्ञ पैनल

2306. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी :
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :
श्री जी. हरि :
श्री आर. पार्थिपन :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खातों या घरेलू उत्पादन की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजना की पृष्ठभूमि में राज्य और जिला स्तरों पर आर्थिक आंकड़ों के कम्प्यूटेशन के लिए नार्म्स को अपलोड करने हेतु उप-राष्ट्रीय खाता हेतु एक समिति गठित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संरचना क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति संशोधित दिशानिदेशों के निर्माण के लिए तथा राज्य घरेलू उत्पाद और जिला स्तरीय उत्पाद की तैयारी के लिए अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों, आंकड़ा परंपरा, आंकड़ा स्रोतों और आंकड़ों की जरूरतों की समीक्षा करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार तेजी से बदलते विश्व में आर्थिक सच्चाइयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए चालू वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष को प्रतिगामी बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राज्य घरेलू उत्पाद और जिला घरेलू उत्पाद में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए 27 जून 2018 को उप-राष्ट्रीय खातों हेतु एक समिति के गठन की अधिसूचना दी है। समिति की संरचना और विचारणीय मुद्दों संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न विवरण मे दी गई है।

(ग) जी, हां। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों के अनुसार आधार संशोधन किया जाता है। आधार संशोधन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रीतिगत सुधारों और नए आंकड़ा स्रोतों पर विचार किया जाता है।

विवरण

1 अगस्त 2018 के उत्तर के लिए उप-राष्ट्रीय खातों की गणना हेतु विशेषज्ञ पैनल

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
भाग I- खण्ड 1
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 219] नई दिल्ली बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 जून, 2018

फा.सं. पी-12021/1/2017-एन.ए.डी. (एन.एस.सी)-6 एवं 7/ एन.ए.डी.8 - भारत सरकार उप-राष्ट्रीय लेखा समिति का एतद्वारा निम्नवत् गठन करती है:

1.	प्रो. रविंद्र एच. ढोलकिया, सेवानिवृत्त प्रोफसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	अध्यक्ष (गैर-सरकारी)
2.	प्रो. विश्वनाथ गोलदर पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग	सदस्य (गैर-सरकारी)
3.	श्री रमेश कोल्लि पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग	सदस्य (गैर-सरकारी)
4.	डॉ. ए.सी. कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर महानिदेशक, सी.एम.ओ.	सदस्य (गैर-सरकारी)
5.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) का प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य

6. प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डी.एम.आई.एम.), भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) — सदस्य

7. एन.एम.एस.ओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रतिनिधि — सदस्य

8. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात — सदस्य

9. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, केरल — सदस्य

10. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान — सदस्य

11. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, गोवा — सदस्य

12. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, असम — सदस्य

13. अपर महानिदेशक/ उप महानिदेशक, एन.ए.डी., सी.एस.ओ. — सदस्य सचिव

2. इस समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

(क) राज्य घरेलू उत्पाद (एस.डी.पी.) तथा जिला घरेलू उत्पाद (डी.डी.पी.) की तैयारी के लिए संकल्पनाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों, आंकड़ा परिपाटियों, आंकड़ा स्रोतों तथा आंकड़ा अपेक्षाओं की समीक्षा करना तथा संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

(ख) आंकडों की उपलब्धता तथा केंद्र एवं राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, देश में एस.डी.पी. तथा डी.डी.पी. में सुधार हेतु उपाय बताना।

(ग) राष्ट्रीय लेखा पद्धति की आवश्यकताओं की दृष्टि से, विशेषकर अगले आधार वर्ष संशोधन को ध्यान में रखते हुए, राज्य-स्तरीय वार्षिक/बैंचमार्क सर्वोक्षणों के लिए सुझाव देना।

3. यह समिति ऐसे अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रो से भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर परामर्श कर सकेगी जो इस समिति में शामिल नहीं है। इस दिशा में, यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक की कार्यसूची और कार्यवृतों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ, उनके विचार/सुझाव/सूचना के लिए साझा कर सकेगी।

4. इस समिति के गैर-सरकारी अध्यक्ष/सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए 3000/- रूपए प्रति बैठक की दर से शुल्क पाने के हकदार होंगे। व्यय विभाग के दिनांक 12.04.2017 के आदेश की अन्य शर्तें लागू होंगी। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय विभाग के दिनांक 14.09.2017 के आदेश से शासित होगा।

5. इस समिति के सरकारी सदस्यों के बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता व्यय का वहन उनके अपने-अपने मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा किया जाएगा।

6. यह समिति, यदि आवश्यक हो, किसी अमुक तथा विभिन्न विषयों से संबंधित मुद्दे पर समस्या पर परामर्श चाहने के लिए सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पूर्वानुमति से सरकारी/गैर-सरकारी व्यक्ति को सदस्य सहयोजित अथवा विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। यदि समायोजित सदस्य/विशेषज्ञ गैर-सरकारी सदस्य है तो वह/वे उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा बैठक शुल्क आदि पाने का हकदार होगा/होंगे।

7. समिति की बैठकें के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय तथा गैर-सरकारी सदस्यों को किए जाने वाले भुगतान/प्रतिपूर्ति आदि का वहन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सी.एस.ओ., नई दिल्ली द्वारा लेखा शीर्ष 3454 (मुख्य शीर्ष) के अंतर्गत किया जाएगा।

8. यह समिति एक वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वह आवश्यकतानुसार अंतरिम रिपोर्टें भी प्रस्तुत कर सकेगी।

9. इस समिति को सचिवीय सहायता राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

10. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

11. यह समन्वित वित्त प्रभाग दिनांक 12.06.2018 की डायरी संख्या 18699 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

त्वरित रूपांतरण के लिए चुने गए जिले

2307. **श्री बी.एन. चन्द्रप्पा :**
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए भारत बनाने के विजन के अनुसार वर्ष 2022 तक 115 पिछड़े (आकांक्षी) जिलों को त्वरित रूपांतरण के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो चुने गए राज्यों और जिलों का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ जिलों के चुनाव हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) इस कार्य के लिए आज की तिथि तक राज्य-वार कितनी निधि निर्धारित, स्वीकृत तथा व्यय की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने चुने गए जिलों की लक्षित वृद्धि को प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, हां। भरत सरकार ने तीव्र बदलाव के लिए 17 ऐसे जिलों को चुना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक संकेतकों में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति दर्ज की है। ये 117 जिले भारत के 28 राज्यों में फैले हैं। इन जिलों को "आकांक्षी जिले" कहा गया है। 5 जनवरी, 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ए.डी.पी.) शुरू किया गया है, जिसके तहत इन जिलों में तीव्र बदलाव हेतु जिला प्रशासन की सहायता के लिए केन्द्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। चूंकि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधनों, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और मूलभूत अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करता है और यह इन क्षेत्रकों में जिलों के निष्पादन को सुधारना चाहता है, इसलिए यह 2022 तक नए भारत के निर्माण संबंधी सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

(ख) कार्यक्रम के लिए चिह्नित किए गए 117 जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में संलग्न है।

(ग) आकांक्षी जिलों में 117 जिलों को चिह्नित किया गया है। इनमें वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित होने के आधार पर गृह मत्रालय द्वारा चिह्नित 35 जिले शामिल हैं। शेष 82 जिलों का चयन करने के लिए जिलों को संयुक्त सूचकांक के आधार पर चिह्नित किया गया है। डेटा बेस और संयुक्त सूचकांक में उनके भार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है। चयन के उपरांत, राज्यों से यह अनुरोध किया गया कि यदि राज्य विषयपरक मानदण्ड के आधार पर जिले में कोई प्रतिस्थापन चाहते हैं तो भारत सरकार ऐसे सुझावों के लिए तैयार है। तदनुसार, छह राज्यों नामत: सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात ने सूची में कुछ परिवर्तन संबंधी सुझाव दिए जिसके फलस्वरूप, इस कार्यकम में 9 जिले बदल दिए गए।

(घ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए कोई विशेष निधि की मंजूर या उद्दिष्ट नहीं की गई है। इसकी मुख्य कार्यनीति कार्यक्रम में कार्यक्षमता में सुधार करना है जो अभिसरण के माध्यम से पहले से अनुमोदित हैं।

(ङ) इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय प्रभारी अधिकारी को केन्द्र स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधी कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की सहायता करनी है ताकि वे अपने निष्पादन को सुधार सकें। मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों को चिह्नित किया गया है और जिलों को एक दृष्टिकोण पत्र और कार्य योजना कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए अनुरोध किया गया है। एक गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से जिलों को वृद्धिशील परिवर्तन के आधार पर भारत में आकांक्षी जिलों के बीच अपनी स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि इससे जिला मजिस्ट्रेटों को प्रतिस्पर्धी बनने और अपने राज्य की सरकार की सहायता से अपनी स्थिति सुधारने में प्रोत्साहन मिलेगा इसके अतिरिक्त मुख्य केन्द्रीय मंत्रालयों ने अपने कार्यक्रमों में इन जिलों को प्राथमिकता दी है। इसके फलस्वरूप जिला प्रशासन के ध्यान को उन कार्यकलापों पर केंद्रित करने में सफलता मिली है जो इन जिलों में लोगों के जीवन-स्तर और उनकी आर्थिक उत्पादकता को सुधारने के लिए महत्वूर्ण हैं।

विवरण-I

नीति आयोग

आकंक्षी जिलों की सूची

राज्य	नीति आयोग के जिले	मंत्रालयों के जिलों का पूल	गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादग्रस्त ज़िले	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश		1. विजयनगरम	1. विशाखापतनम	3
आंध्र प्रदेश		2. कडप्पा		
अरुणाचल प्रदेश		1. नमसाई		1
असम	1. दर्रांग	1. उदलगिरि		7
असम	2. घुबरी	2. हेलकंडी		
असम	3. बारपेटा			
असम	4. गोलपाड़ा			
असम	5. बकसा			
बिहार	1. कटिहार	1. खगड़िया	1. औरंगाबाद	13
बिहार	2. बेगूसराय	2. पूर्णिया	2. बांका	
बिहार	3. शेखपुरा		3. गया	
बिहार	4. अररिया		4. जमुई	
बिहार	5. सीतामढ़ी		5. मुजफ्फरपुर	
बिहार			6. नवादा	
छत्तीसगढ़		1. कोरबा	1. बस्तर	10
छत्तीसगढ़		2. महासमुंद	2. बीजापुर	
छत्तीसगढ़			3. दंतेवाड़ा	
छत्तीसगढ़			4. कांकेर	
छत्तीसगढ़			5. कोंडागांव	
छत्तीसगढ़			6. नारायणपुर	
छत्तीसगढ़			7. राजनदगांव	
छत्तीसगढ़			8. सुकमा	
गुजरात		1. नर्मदा		2
गुजरात		2. दाहोद		
हरियाणा		1. मेवात		1
हिमाचल प्रदेश		1. चंबा		1

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर		1. कुपवाड़ा		2
जम्मू और कश्मीर		2. बारामूला		
झारखंड	1. साहेबगंज	1. गोड्डा	1. लातेहार	19
झारखंड	2. पाकौर		2. लोहरदगा	
झारखंड			3. पलामू	
झारखंड			4. पूर्वी सिंघभूम	
झारखंड			5. रामगढ़	
झारखंड			6. रांची	
झारखंड			7. सिमडेगा	
झारखंड			8. पश्चिम सिंहभूम	
झारखंड			9. बोकारो	
झारखंड			10. चतरा	
झारखंड			11. दुमका	
झारखंड			12. गढवा	
झारखंड			13. गिरिडीह	
झारखंड			14. गुमला	
झारखंड			15. हजारीबाग	
झारखंड			16. खूंटी	
कर्नाटक		1. यादगीर		2
कर्नाटक		2. रायचूर		
केरल		1. वायनाड		1
मध्य प्रदेश	1. दामोह	1. छतरपुर		8
मध्य प्रदेश	2. सिंगरौली	2. राजगढ़		
मध्य प्रदेश	3. बरवानी	3. गुना		
मध्य प्रदेश	4. विदिशा			
मध्य प्रदेश	5. खंडवा			
महाराष्ट्र	1. नंदुरबार	1. वाशिम	1. गड़चिरौली	4
महाराष्ट्र		2. उस्मानाबाद		
मणिपुर		1. चंडेल		1
मेघालय		1. रिभोई		1

1	2	3	4	5
मिजोरम		1. मामित		1
नागालैंड		1. किफीरी		1
ओडिशा	1. रायगड़ा	1. कंधमाल	1. कोरापुट	10
ओडिशा	2. कालाहांडी	2. गजपति	2. मलकानगिरि	
ओडिशा		3. धेनकनाल		
ओडिशा		4. बलंगीर		
ओडिशा		5. बलंगीर		
ओडिशा		6. नौपाडा		
पंजाब		1. फिरोजपुर		2
पंजाब		2. मोगा		
राजस्थान	1. बारां	1. धोलपुर		
राजस्थान	2. जैसलमेर	2. करौली		5
राजस्थान		3. सिरोही		
सिक्किम		1. पश्चिम सिक्किम		1
तमिलनाडु		1. रामनाथपुराम		2
तमिलनाडु		2. विरुधुनगर		
तेलंगाना		1. भूपालपल्ली	1. खम्माम	3
तेलंगाना		2. आसिफाबाद		
त्रिपुरा		1. ढलाई		1
उत्तर प्रदेश	1. चित्रकूट	1. चंदौली		8
उत्तर प्रदेश	2. बलरामपुर	2. सिद्धार्थनगर		
उत्तर प्रदेश	3. बहराइच	2. फतेहपुर		
उत्तर प्रदेश	4. सोनभद्र			
उत्तर प्रदेश	5. श्रावस्ती			
उत्तराखंड		1. हरिद्वार		2
उत्तराखंड		2. उधमसिंह नगर		
पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद	1. नादिया		
पश्चिम बंगाल	2. मालदा	2. दक्षिण दिनाजपुर		5
पश्चिम बंगाल	3. बीरभूम			

*इस चरण तक पश्चिम बंगाल (5 जिले) इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है।

विवरण-II

आकांक्षी जिलों के चयन के लिए संयुक्त सूचकांक

डेटाबेस	क्षेत्रक	भार
शारीरिक श्रम पर निर्भर भूमिहीन परिवार (समाजार्थिक जाति जन गणना-वंचन 7)	वंचन	25%
प्रसव पूर्व देखभाल (राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (एन.एच.एफ.एस.-4)	स्वास्थ्य	7.5
संस्थागत प्रसव (एन.एच.एफ.एस.-4)	और पोषण	7.5%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में विकास अवरुद्धता (एन.एच.एफ.एस.-4)		7.5%
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में फुफ्फुसीय बीमारी (एन.एच.एफ.एस.-4)		7.5%
प्रारंभिक शिक्षा बीच में छोड़ने की दर (शिखा संबंधित एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू.डी.आई.एस.ई. 2015-16)	शिक्षा	7.5%
प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात (यू-डीआई.एस.ई 2015-16)		7.5%
गैर-विद्युतिकृत परिवार (विद्युत मंत्रालय)	अवसंरचना	7.5%
व्यक्तिगत शौचालय रहित परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय		7.5%
संपर्क रहित पी.एम.जी.एस.वाई ग्राम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)		7.5%
पेयजल की पहुंच से दूर ग्रामीण परिवार (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)		7.5%
कुल		100%

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक

2308. **कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :**
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री एंटो एन्टोनी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंचारी रोगों का बढ़ता प्रसार और स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ रहा खर्च अधिकांश परिवारों के लिए कठिन बनता जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य जानकारियों को और उनके प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए देश में सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक (एन.एच.एस.) का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.एच.एस. से निर्धनतम लाभार्थियों के लिए नकदी रहित तथा बाधारहित समेकित अनुभव सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य तथा कवरेज डिस्परेट सिस्टम की लागत काफी कम होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एन.एच.एस. कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है और इससे पूरी आबादी के लिए किस सीमा तक निरोगिता को बढ़ावा मिलेगा?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "इंडिया: हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स - द इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव" के अनुसार, भारत के राज्यों में रोग भार की प्रवृतियां यह दर्शाती हैं कि कुल रोग भार में असंचारी रोगों (एन.सी.डी.) का हिस्सा 1990 में 30% से बढ़कर 2016 में 55% हो गया है।

हालांकि, जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क नैदानिक सुविधाओं संबंधी पहल के तहत जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में अनिवार्य दवाएं

और नैदानिक सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य पर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से खर्च में विगत वर्षों के दौरान कमी आई है और यह 2004-05 में 69.4% से घटकर 2014-15 में 62.6% हो गया है (स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, 2014-15, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।

(ख) और (ग) जी, हां। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक संबंधी कार्यनीति और दृष्टिकोण-पत्र तैयार किया गया है जो भारत की भावी डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली की रूपरेखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यापक डेटा के संग्रहण को सुसाध्य बनाएगा, देशभर में राष्ट्र के मास्टर स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करेगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक रोगी स्वास्थ्य रिकॉर्ड की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करने हेतु एक फ्रेमवर्क का सृजन करेगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक में यथा-परिकल्पित प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के अंगीकरण के साथ, सरकार की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संरक्षा संबंधी नीतियां निम्नलिखित हासिल कर सकती हैं: देखभाल की निरंतरता क्योंकि यह स्टैक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के बीच सूचना के प्रवाह को समर्थित करता है, स्वास्थ्य संरक्षा की भावी लागत को कम करने के लिए बीमारी से सम्पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ध्यान केन्द्रण, गरीबों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नकदीरहित देखभाल, सेवा प्रदाताओं को वैज्ञानिक पैकेज दरों पर समय पर भुगतान जो सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक सशक्त प्रेरक है, निधियों के दुरुपयोग (लीकेज) को रोकने के लिए धोखेबाजी का पता लगाने हेतु सुदृढ़ तंत्र, विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के प्रभाव के मापन और उपयोग के संबंध में समय पर रिपोर्टिंग की उपलब्धता के माध्यम से बेहतर नीति निर्माण तथा ठोस संव्यवहार ऑडिट ट्रेल के माध्यम से विश्वास और जवाबदेही में बढ़ोतरी।

एन.एच.एस. संबंधी इस कार्यनीति और दृष्टिकोण-पत्र को जनता, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों की राय लेने के लिए फिलहाल नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट *(http://www.niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/NHS-Strategy-and-Approach-Document-for-consultation.pdf)* पर उपलब्ध कराया गया है।

ब्लू व्हेल चैलेंज

2309. श्री अनूप मिश्रा :
श्रीमती किरण खेर :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में बच्चों पर ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले एप्लीकेशन्स और रुझानों के प्रभाव को रोकने हेतु कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे एप्लीकेशन्स को ऑनलाइन स्पेस पर ट्रेंडिंग से रोकने के लिए कोई प्रौद्योगिकीय बाधा खड़ी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे एप्लीकेशन्स से हुई मौतों की संख्या के संबंध में वर्तमान आंकड़े क्या हैं?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) सरकार ने दिनांक 18.08.2017 के परिपत्र के जरिए सभी सी.बी.एस.ई. विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और प्रभावशाली प्रयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ने ब्लू व्हेल चुनौती गेम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु कदम उठाने के लिए दिनांक 31 अगस्त, 2017 को देश के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी पत्र लिखा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने अगस्त 2017 में 50 से भी ज्यादा समाचारपत्रों में ब्लू व्हेल चुनौती गेम से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए अपील की जिसे सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर भी अपलोड किया गया है। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए, एन.सी.पी.सी.आर. ने सितम्बर, 2017 में इंरनेट पर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें से संबंधित पोस्टर को तैयार किया और इसे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट *www.ncpcr.gov.in* पर भी अपलोड किया।

(ख) सरकार ने लोकप्रिय सोशल मीडिया साइटों से ऐसे खतरनाक ऑनलाइन खेलों को होस्ट नहीं करने के लिए और त्वरित रूप से पता लगने पर ऐसे खेलों को हटाने के लिए आग्रह किया है। यह भी समझा जाता है कि ब्लू व्हेल चुनौती गेम एक पीयर टू पीयर खेल है और इस गेम को डाउनलोडिंग करने/अभिगम करने के लिए कोई औपचारिक अनुप्रयोग, वेबसाअट या यू.आर.एल. उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इस खतरनाक ऑनलाइन खेलों की पहचान करने या उसे ब्लॉक करने के लिए तकनीकी समाधान मिलने की संभावना-बहुत कम है।

(ग) ऐसी मीडिया रिपोर्टें सामने आती रही हैं जहां ब्लू ह्वेल जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम की वजह से आत्महत्या करने/आत्महत्या का प्रयास करने की बात कही जाती रही है। इस संबंध में गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने ऐसे मामलों, जहां ब्लू ह्वेल जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम की वजह से आत्महत्या

की गई है अथवा आत्महत्या का प्रयास किया गया है, की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति के निष्कर्षों में उन्हें रिपोर्ट की गई किसी भी घटना में ब्लू ह्वेल जैसे खतरानाक ऑनलाइन गेम की कोई भी संलिप्तता स्थापित नहीं की जा सकी।

एस.एस.सी. परीक्षा के दौरान नकल तथा प्रश्न-पत्र का लीक होना

2310. **श्री राजन विचारे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.एस.सी. द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर (सी.जी.एल.) की परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई नकल की बात ध्यान में आई है और क्या सरकार को परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक होने के बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों ने एस.एस.सी. परीक्षा में तथाकथित घोटाले के विरुद्ध प्रदर्शन किया है और इस मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) संयुक्त स्तानक स्तर (टियर-2) परीक्षा, 2017 के उम्मीदवारों के एक समूह ने उक्त परीक्षा की कुछ उत्तर कुंजियों की नकल एवं लीक होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था और इस विषय पर सी.बी.आई. जांच की मांग की थी।

कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) की परीक्षा की प्रक्रिया में उम्मीदवारों का भरोसा पुनः कायम किए जाने के उद्देश्य से सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिश पर सी.बी.आई. से इन आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया है।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय मछुआरे

2311. **श्री देवुसिंह चौहान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पी.एम.एस.ए.) बहुधा भारतीय मछुआरों और उनकी नावों को पकड़ लेती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब भी 451 भारतीय मछुआरे पाकिस्तानी जेलों में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय मछुआरों को उनकी नावों सहित रिहा कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [(जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान के कब्जे में 418 मछुआरे हैं जो भारतीय हैं अथवा माना जाता है कि वे भारतीय हैं।

सरकार, पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई तथा देशवापसी का मुद्दा निरंतर उठाती रहती है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार ने वर्ष 2014 से 1699 भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली 57 भारतीय नौकाओं को पाकिस्तान के कब्जे से रिहा करवाया है। इनमें 148 ऐसे भारतीय मछुआरे शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष रिहा कर भारत वापस भेज दिया गया है।

आधार डाटा में सेंध

2312. **श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.आई.डी.ए.आई. ने आधार डाटा बेस में कथित रूप से सेंध लगाने की रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रक्रिया की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) प्रतिरोधी उपाय के रूप में विकसित किए गए वर्चुअल आईडी (वी.आई.डी.) और इसकी सत्यापन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) आज आधार के लिए संसद द्वारा पारित उचित कानूनी समर्थन उपलबध है, जिसमें सुदृढ़ सुरक्षा उपाय निहित हैं और यह निजता/गोपनीयता की रक्षा करता है। यह एक तथ्य बना रहता है कि आधार को न्यायिक फॉरम में चुनौती दी जाती रही है और यह कि इस संबंध में अतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। तथापि, यह नोट किया जाए कि दिनांक 30.6.2018 की स्थिति के अनुसार 121.65 करोड़ निवासियों को आधार जारी किए गए हैं। आधार बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में उभरकर

सामने आया है और यह आधार से जुड़े बैंक खातों में सभी लाभों के प्रत्यक्ष अन्तरण से अपने अपेक्षित लाभ अधिकारपूर्वक सुरक्षित करने में कमजोर वर्गों को सक्षम बनाता है, दिनांक 30.6.2018 की स्थिति के अनुसार जिनकी संख्या 60.22 करोड़ रु. है। यू.आई.डी.ए.आई. यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा वास्तुकला को लगातार अद्यतन करता है कि डेटा का कोई उल्लंघन न हो।

(ग) वर्चुअल आई.डी. (वी.आई.डी.), आधार संख्या के साथ मैप की गई अस्थायी, प्रतिसंहार्य (रेवोकेबल) 16 अंक वाली एक यादृच्छिक (रैंडम) संख्या है और आधार संख्या धारक अधिप्रमाणन के उद्देश्य से आधार संख्या के बदले में वी.आई.डी. का प्रयोग कर सकता है। अनुरोधकर्ता इकाइयां वी.आई.डी. को अपने डाटाबेस में भंडारित नहीं करेंगी। यू.आई.डी.ए.आई. ने अपने दिनांक 29.06.2018 के परिपत्र संख्या 10 के जरिए सभी अनुरोधकर्ता इकाइयों को परिपत्र *(http://uidia.gov.in/images/resourceCircular 10 Dated 29 June.pdf* प्रतिलिपि अनुबंध में संलगन है) में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार वी.आई.डी. प्रणाली को उन्नत करने के लिए निर्देशित किया है।

ई-डाक मतपत्र की शुरूआत

2313. श्री के. परसुरमन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगमी चुनावों में ई-डाक मतपत्र नीति को आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या हमारे विशाल देश में ई-डाक मतपत्र जैसी नई पहल सफल होगी क्योंकि मतदाता अपने कार्य की प्रकृति या पदस्थापना की भौगोलिक स्थिति के कारण मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) सेवा मतदाताओं के सिवाय ई-डाक मतपत्र नीति को लाने को कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है, जिनके लिए, उक्त सुविधा तारीख 21 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा पहले ही उपलबध करा दी गई है।

(ख) और (ग) भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने पहली बार इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषित की जाने वाली डाक मतपत्र प्रणाली (ई.टी.पी.बी.एस.) (ई-डाक मतपत्र) को अग्रणी आधार पर सेवा मतदाताओं के लिए नवंबर, 2016 के दौरान पुदुचेरी के एक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के दौरान उपयोग किया था। ई.टी.पी.बी.एस. को इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर तथा गोवा के सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2017 के सभा निर्वाचनों के चुनिन्दा सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के निर्वाचनों और वर्ष 2018 में कर्नाटक के साधारण सभा निर्वाचन के दौरान सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों को सफलतापूर्वक ई.टी.पी.बी.एस. के अधीन लाया गया था।

हाथरस में पी.एस.के.

2314. श्री राजेश कुमार दिवाकर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2018-19 के अंत तक उत्तर प्रदेश के हाथरस क्षेत्र सहित पूरे देश में कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी है और क्या एक नियत स्तर के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उक्त प्रक्रिया सरल हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा देश के गांवों/ग्रामीण क्षेत्रों/दूरदराज के क्षेत्रों में दस्तावेजों के सत्यापन कराना आम आदमी के लिए कठिन कार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार के क्षेत्रों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन की अनुमति देकर उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के हाथरस सहित के गांवों/दूरदराज के क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवाओं को सुलभ करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] :—(क) मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से देश में स्थित मुख्य डाकघर कार्यालयों/डाकघरों में 289 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा की है जो 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.)' कहलाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश में 35 पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल हैं। हाथरस सहित और अधिक पासपोर्ट केंद्र खोलना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) से (घ) पुलिस सत्यापन के प्रयोजनार्थ तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट आवेदनों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है अर्थात् 'पुलिस सत्यापन नहीं' तथा 'बाद में पुलिस सत्यापन' जो इस प्रकार हैं:

पुलिस सत्यापन नहीं : पासपोर्ट नवीकरण/पुन: जारी करने के मामले में पुलिस सत्यापन अपेक्षित नहीं है, यदि आवेदन पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने से पहले किया गया हो अथवा इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर आवेदन किया गया हो, बशर्ते सिस्टम में पुलिस सत्यापन बेदाग हो तथा कुछ भी आपत्तिजनक न पाया जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पुलिस सत्यापन अपेक्षित नहीं है यदि आवेदन के साथ 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' तथा अन्य दस्तावेज़ जैसे पता साक्ष्य आदि संलग्न हों।

बाद में पुलिस सत्यापन : पासपोर्ट जारी करने के पश्चात् पुलिस सत्यापन अपेक्षित है और पासपोर्ट पुन: जारी करने हेतु आवेदन (i) पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर जमा कराया गया हो परंतु सिस्टम में पुलिस सत्यापन कॉलम या तो खाली हो अथवा अपूर्ण हो; (ii) किसी अवस्यक के मामले में 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद पासपोर्ट पुन: जारी करने के लिए आवेदन किया गया हो।

आम जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए अब तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के साक्ष्यांकन प्रमाणपत्र के बिना ही प्राप्त किया जा सकता है। अब इस योजना के अंतर्गत आवेदक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कम से कम तीन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) आधार कार्ड।

(ii) मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ई.पी.आई.सी.)

(iii) राज्य अथवा केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र;

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र;

(v) शस्त्र लाइसेंस;

(vi) पेंशन दस्तावेज़ जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका अथवा पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश;

(vii) अपना पासपोर्ट (रद्द न किया हुआ तथा जो क्षतिग्रस्त न हो);

(viii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;

(ix) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक;

(x) किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी छात्र फोटो पहचानपत्र;

(xi) ड्राइविंग लासेंस (वैध तथा जो उस राज्य के क्षेत्राधिकार में हो जहां आवेदक ने आवेदन जमा कराया है);

(xii) जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र; और

(xiii) राशन कार्ड

(ङ) डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र डाक विभाग के सहयोग से खोले जा रहे हैं ताकि देश के गांवों/दूर-दराज/ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला भी शामिल है, में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट सेवाएं उनके नजदीक के क्षेत्र में सुलभ कराई जा सके।

हथियारों की खरीदारी

2315. श्री आर. प्राथिपन :
श्री जनक राम :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास युद्ध के मामले में हथियारों और गोला बारूद की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खरीद के लिए बनाई गई हथियारों की सूची का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का यह मत है कि इस कदम से सेना के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका और अन्य मित्र देशों से नए उपकरण खरीदे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) हथियारों एवं गोला बारूदों का प्राधिकरण एवं उसकी धारिता सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। आकस्मिकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रिजर्व की व्यवस्था की गई है। सशस्त्र बलों के पास हथियारों और गोला बारूदों का पर्याप्त भण्डार है और वे किसी भी संक्रियात्मक जरूरतों से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं।

अपेक्षित स्तर तक हथियारों एवं गोला बारूदों का भंडारण

एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रत्येक वर्ष आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए तदनुसार अधिप्राप्तियां की जाती हैं और पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपस्करों को अधिप्राप्ति हेतु रूस, इजराइल, यू.एस.एस. और फ्रांस सहित विदेशी विक्रेताओं के साथ 62 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रचालित प्रयोगशालाएं

2316. **श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :**
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री राजीव सातव :
श्रीमति सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. जे. जयवर्धन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के अंतर्गत कितनी प्रयोगशालाएं प्रचालित हैं;

(ख) इन प्रयोगशालाओं द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई/आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोगशालाओं द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान शुरू किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की योजना बना रही है/पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रयोगशालाओं को कब तक पुनर्विकसित करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अग्रणी अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिए ज्ञात समसामयिक अनुसंधान, विकास एवं इंजीनियरी संगठन है। सी.एस.आई.आर. अपनी 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण भारत में मौजूदगी दर्ज कराता है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में सुकेंद्रित मौलिक एव अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती हैं। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित/आवंटित की गई और इन प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलगन विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में सी.एस.आई.आर. ने विधि अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों में 158 अनुसंधान परियोजनाएं एवं पांच ट्रांस-प्लान अवधि परियोजनाएं (अर्थात 10वीं और 11वीं योजना की विस्तारित परियोजनाएं) आरंभ की जो 31 मार्च, 2018 को पूरी की गई। विवरण संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। सी.एस.आई.आर. की अनेक प्रयोगशालाओं को सुविधाओं, अत्याधुनिक उपकरणों और उपस्करों यथा प्रायोगिक संयंत्रों और इनके भवनों के पुनरूद्धार और सज्जीकरण के माध्यम से नियमित रूप से उन्नत एवं आधुनिक बनाया जा रहा है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित आबंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राज्य-वार प्रयोगशालाएं/संस्थान	निम्न के दौरान आवंटन/उपयोग			निम्न के दौरान आबंटन
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19**
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
कोशिकीय एवं अणु जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	123.420	122.286	134.534	106.968

1	2	3	4	5
भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	233.740	199.676	236.593	201.890
राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	110.990	124.862	131.675	117.481
कुल	468.150	446.824	502.802	426.339
असम				
उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट	90.250	99.709	110.380	82.475
झारखंड				
केन्द्रीय खनन तथा ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	90.470	116.041	129.406	106.053
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	76.980	90.248	114.0169	96.556
कुल	167.450	206.289	243.575	202.609
गुजरात				
केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर	72.840	66.280	74.339	57.291
हिमाचल प्रदेश				
हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर	63.380	58.723	55.201	41.837
जम्मू और कश्मीर				
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू	88.250	89.702	124.587	88.623
कर्नाटक				
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	108.580	116.340	138.354	116.672
राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, बेंगलूर	232.710	258.751	318.455	256.443
गणितीय मॉडलिंग एवं कम्प्यूटर अनुकरण केन्द्र, बेंगलूरु	19.330	18.631	19.149	17.513
कुल	360.620	393.722	475.958	390.628
केरल				
राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	66.280	66.930	58.940	48.892
मध्य प्रदेश				
उन्नत पदार्थ तथा प्रसंकरण अनुसंधान संस्थान, भोपाल	27.660	27.665	27.486	27.134
महाराष्ट्र				
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	200.950	195.015	234.406	214.143
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	69.290	71.563	80.657	59.927
कुल	270.240	266.578	315.063	274.070
ओडिशा				
खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेशवर	59.010	68.360	70.620	51.422
राजस्थान				
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी	85.180	94.78	117.002	113.645

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुड़ी	130.230	119.630	125.297	101.290
केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नै	102.490	116.000	121.923	98.560
सी.एस.आई.आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स	12.600	15.191	19.135	17.343
संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नै	59.230	45.484	67.695	85.498
कुल	304.550	296.305	334.050	302.691
उत्तर प्रदेश				
केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	179.130	160.497	179.407	144.081
केन्द्रीय औषधी एवं संगध पौधा संस्थान, लखनऊ	74.700	73.547	86.694	78.221
भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	57.660	68.293	80.817	72.292
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	93.220	91.602	95.887	87.280
मानव संसाधन विकास केन्द्र, गाजियाबाद	12.960	8.823	11.264	10.411
कुल	417.670	402.762	454.069	392.285
उत्तराखंड				
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	52.680	54.463	76.044	94.188
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	80.140	85.990	118.685	84.666
कुल	132.820	140.453	194.729	178.854
पश्चिम बंगाल				
केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	107.040	111.192	120.241	103.588
केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	93.190	101.229	117.131	103.913
भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता	83.630	91.284	94.774	73.430
कुल	283.860	303.705	332.146	280.931
गोवा				
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा	141.330	132.470	146.366	97.419
संघ शासित दिल्ली				
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	58.550	57.827	74.718	67.009
जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान, दिल्ली	102.070	73.627	69.244	47.614
राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, नई दिल्ली	71.310	73.734	96.139	55.572
राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	15.110	29.317	21.378	20.176
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	142.710	159.148	169.058	138.678
कुल	389.750	413.653	430.537	329.049

1	2	3	4	5
चंडीगढ़				
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़	78.280	91.628	105.294	99.120
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़	84.3520	63.870	62.177	44.835
कुल	162.600	155.498	167.471	143.955
सी.एस.आई.आर. मुख्यालय, नई दिल्ली	395.156	425.585	495.229	493.176
कुल जोड़	4047.046	4155.891	4740.550	4023.325

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 26.07.2018 तक किया गया आवंटन

एन.बी. प्रत्येक वर्ष के आवंटन में अग्रनयन के रूप में वर्षों के अव्ययित शेष अनुदान का उपयोग सम्मिलित है।

विवरण-II

12वीं पंचवर्षीय परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
1.	फेक्टर्स गवर्निंग कॉम्पीटेंट गैमीट प्रोडक्शन एंड रि-प्रोडिक्टिव डिसफंक्शन	PROGRAM	BSC0101	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.
2.	टुवड्र्स हॉलिस्टिक अंडरस्टेंडिंग ऑव कॉम्प्लेक्स डिजीजिस : अनरेवलिंग द थ्रेड्स ऑव कॉम्प्लेक्स डिजीजिस	THUNDER	BSC0102	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.
3.	न्यू अप्रोचेस टूवड्र्स अंडरस्टेंडिंग ऑव डिजीज डायनेमिक्स एंड टू एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी	UNDO	BSC0103	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.
4.	इमर्जिंग एंड रि-इमर्जिंग चेलेंजिज़ इन इन्फेक्शन डिजीजिस : सिस्टम्स बेस्ड ड्रग डिजाइन फॉर इन्फेक्शस डिजीजिस	SPlenDID	DSC0104	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई
5.	न्यू इनीशिएटिव्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू मैक्सिमाइजिंग प्री एंड पोस्ट-हार्वेस्ट यील्ड्स	AGROPATHY	BSC0105	सी.एस.आई.आर.-सी.एफ.टी.आर.आई.
6.	बायोप्रोस्पेक्शन ऑव प्लांट रिसोर्सेस एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स	BioprosPR	BSC0106	सी.एस.आई.आर.-एन.बी.आर.आई.
7.	जिनोमिक्स ऑव मेडिसिनल प्लांट्स एंड एग्रोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ट्रेट्स	PlanGen	BSC0107	सी.एस.आई.आर.-एन.बी.आर.आई.
8.	मेडिसिनल कैमेस्ट्री फॉर स्टेम सैल बायोलॉजी एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन	MEDCHEM	BSC0108	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.आई.एम.
9.	प्लांट डाइवर्सिटी: स्टडींग एडेप्टेशन बायोलॉजी एंड अंडरस्टेंडिंग/एक्सप्लॉएटिंग मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स फॉर यूजफुल बायोएक्टिव्स	SIMPLE	BSC0109	सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी.
10.	इंट्रोडक्शन, डोमेस्टीकेशन, इम्प्रूवमेंट एंड कल्टीवेशन ऑव इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स	AGTEC	BSC0110	सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
11.	इंटीग्रटिड नेक्स्टजेन अप्रोचिज इन हैल्थ डिजीज एंड एनवॉयरनमेंटल टॉक्सीसिटी	INDEPTH	BSC0111	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.टी.आर.
12.	नेनौमैटेरियल्स: एप्लीकेशन्स एंड इम्पेक्ट ऑन सेफ्टी, हैल्थ एण्ड एनवॉयरनमेंट	NanoSHE	BSC0112	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.टी.आर.
13.	अंडरस्टेंडिंग सुप्रा मालिक्युलर इनसेम्बल्स एंड मशीन्स	UNSEEN	BSC0113	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.बी.
14.	हॉस्ट इंटरैक्टम ऐनालिसिस: अंडरस्टेंडिंग द रोल ऑव होस्ट मालिक्यूल्स इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन	HOPE	BSC0114	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.बी.
15.	न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजिस: कॉजिज एंड कॅरेक्शन	miND	BSC0115	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.बी.
16.	थेरेप्यूटिक्स ऑव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमनरी डिजीज (COPD) एंड रिलेटिड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स	TREAT	BSC0116	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.बी.
17.	प्लांट- माइक्रोब एंड सॉयल इन्टरेक्शन्स	PMSI	BSC0117	सी.एस.आई.आर.-सी.सी.एम.बी.
18.	ऐपिजेनेटिक्स इन हेल्थ एण्ड डिजीज	EpiHeD	BSC0118	सी.एस.आई.आर.-सी.सी.एम.बी.
19.	मैन एज ए सुपरआर्गेनिज्म: अंडरस्टेंडिंग द ह्यूमन माइक्रोबायोम	HUM	BSC0119	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.टी.ई.सी.एच.
20.	सेन्टर फॉर बायोथेरेप्यूटिक मालिक्यूल डिस्कवरी	BIODISCOVERY	BSC0120	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.टी.ई.सी.एच.
21.	जिनोमिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स सॉल्युशन्स फॉर इन्टीग्रेटिंग बायोलॉजी	GENESIS	BSC0121	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.टी.ई.सी.एच.
22.	सेन्टर फॉर कार्डियोवस्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिजीज रिसर्च	BARDIOMED	BSC0122	सी.एस.आई.आर.-आई.जी.आई.बी.
23.	जीनोम डायनेमिक्स इन सेलुलर आर्गेनाइजेशन, डिफ्रेंनसिएशन एंड इनेनटिओस्टेसिस	GenCODE	BSC0123	सी.एस.आई.आर.-आई.जी.आई.बी.
24.	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.-आई.जी.आई.बी. जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव : इंटर्फेसिंग कैमिस्ट्री एंड बायोलॉजी	CSIR-NCL-IGIB-JRI	BSC0124	सी.एस.आई.आर.-आई.जी.आई.बी.
25.	एस एंड टी इंटरवेंशस टू कॉम्बेट मैलन्यूट्रिशन इन वूमन एंड चिल्ड्रन	HCP07	BSC0125	सी.एस.आई.आर.-मुख्यालय
26.	एनाबॉलिक स्केलेटल टार्गेट्स इन हेल्थ एंड इलनेस	ASTHI	BSC0201	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई.
27.	वेलनेस थ्रू फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स	WELFO	BSC0202	सी.एस.आई.आर.-सी.एफ.टी.आर.आई.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
28.	केमिकल बायोलॉजी ऑव ओसिमम एंड अदर एरोमेटिक प्लांटस	ChemBio	BSC0203	सी.एस.आई.आर.- सी.आई.एम.ए.पी.
29.	रूपट बायोलॉजी (क्रॉस फ्लो ऑव टेक्नोलॉजी प्रोजक्ट)	RootSF	BSC0204	सी.एस.आई.आर.- एन.बी.आर.आई.
30.	नचरिंग ए न्यू पैन-सी.एस.आई.आर. ड्रग पाइप लाइन: हाई इनटेंसिटी प्रिक्लीनिकल, क्लीनिकल स्टडीज ऑन लीड केंडीडेट्स	DPL	BSC0205	सी.एस.आई.आर.- आई.आई.आई.एम.
31.	बायो-एनर्जेटिक डिस्ऑर्डर्स : ए मल्टी-मॉडल अप्रोच टू मॉनीटरिंग एंड मैनेजमेंट	BenD	BSC0206	सी.एस.आई.आर.- आई.आई.सी.बी.
32.	कंजर्वेशन ऑव एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑव इंडिया : मॉलीक्यूलर जेनटिक्स एंड रिप्रोडक्शन एप्रोचेस	ConservE	BSC0207	सी.एस.आई.आर.- सी.सी.एम.बी.
33.	बायोलॉजी ऑव एजिंग एंड ह्यूमन हेल्थ	BioAGE	BSC0208	सी.एस.आई.आर.- सी.सी.एम.बी.
34.	इस्टैब्लिशमैंट ऑफ सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड बायोलॉजी	CeHAB	BSC0209	सी.एस.आई.आर.- आई.एच.बी.टी.
35.	मल्टीडायरेक्शनल अप्रोचिज फॉर मालिक्युलर एंड सिस्टम्स लेवल अंडरस्टेंडिंग ऑव रेगुलेटरी नेटवर्क्स इन पेथोजेनिक माइक्रोब्स	INFECT	BSC0210	सी.एस.आई.आर.- आई.एम.टी..ई.सी.एच.
36.	ड्रग डिस्कवरी: बग्स टू ड्रग्स प्रोग्राम	BUGS TO DRUGS	BSC0211	सी.एस.आई.आर.- आई.एम.टी.ई.सी.एच.
37.	वेलनेस जीनोमिक्स प्रोजेक्ट-अंडरस्टेंडिंग जीनोमिक सिग्नेचर्स ऑव हेल्दी लिविंग इन इंडियन पापुलेशन	WG 100	BSC0212	सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी.
38.	प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिमालयन रीजन एंड देयर टॉक्सिकोलॉजिकल हवैल्यूएशन	PROMOTE	BSC0213	सी.एस.आई.आर.- आई.एच.बी.टी.
39.	प्लांट ब्रीडिंग, जीनोमिक्स एंड बायोटेक्नालॉजी	PLOMICS	BSC0301	सी.एस.आई.आर.- सी.सी.एम.बी.
40.	टुवड्‌र्स अंडरस्टेंडिंग स्किन सैल होमियोस्टेसिस	TOUCH	BSC0302	सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी.
41.	इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कम्यूनिटी हैल्थ एफट्‌र्स थ्रू न्यू एज, आई.टी. बेस्ड मोड्स	EACH-IT	BSC0303	सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी.
42.	लिपिडोमिक्स सेन्टर	LIPIC	BSC0401	सी.एस.आई.आर.- सी.एफ.टी.आर.आई.
43.	एक्सपेंशन एण्ड मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ द मारइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एण्ड जीन बैंक	MTCC	BSC0402	सी.एस.आई.आर.- आई.एम.टी.ई.सी.एच.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
44.	विज़ुआलाइजेशन ऑव आर्गेनिज्म इनएक्शन	VISION	BSC0403	सी.एस.आई.आर.-आई.जी.आई.बी.
45.	क्रिएशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी इन मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन	Nutri-ARM	BSC0404	सी.एस.आई.आर.-सी.एफ.टी.आर.आई.
46.	मल्टीफंक्शनल इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर फ्यूचर टेक्नालॉजीज	MUTLIFUN	CSC0101	सी.एस.आई.आर.-सी.ई.सी.आर.आई.
47.	कलीन कोल टेक्नोलॉजी	TapCoal	CSC0102	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर.
48.	जीरो एमिशन रिसर्च इनिशियटिव फॉर सॉलिड वेस्टस फ्रोम लैदर	ZERIS	CSC0103	सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई.
49.	मेम्ब्रेन एंड एडज़ॉर्बेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव सेपरेशन ऑव गेसेज एंड लिक्विड्स	MATES	CSC0104	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.
50.	पोटासिक (K) फर्टिलाइजर टेक्नालॉजी टू इम्पॉवर द नेशन	K-TEN	CSC0105	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.
51.	बायोकेटालिस्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन्स एंड ग्रीनर आर्गेनिक सिंथेसिस	BIAGOS	CSC0106	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
52.	इनहेरेंटली सेफर प्रेक्टिसिस फॉर इंडस्ट्रियल रिस्क रिडक्शन	INSPIRE	CSC0107	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
53.	ऑर्गेनिक रिएक्शन इन जेनरेटिंग इनोवेटिव एंड नेचुरल स्केफ्फाल्ड्स	ORIGIN	CSC0108	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
54.	नॉन-इनफ्रिंजिंग कैमिस्ट्री एंड इंजीनियरी फॉर फार्मास्युटिकल	NICE-P	CSC0109	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
55.	मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग ऑव ह्यूमन बॉडी फ्ल्युइड्स बाइ एम.एस. एंड एन.एम.आर.	CMET	CSC0110	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
56.	स्क्रीनिंग मालिक्यूल्स इन लीड एक्प्लोरेशन	SMiLE	CSC0111	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
57.	डेवलपमेंट ऑव सस्टेनेबल प्रोसेसिस फॉर एडिबल ऑयल्स विद हैल्थ बेनीफिट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड न्यू रिसोर्सिज	PEOPLE HOPE	CSC0112	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
58.	डेवलपमेंट ऑव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ फॉर कैमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज	SETCA	CSC0113	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
59.	इंटेलिजेंट कोटिंग्स	IntelCoat	CSC0114	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
60.	एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज	E2++	CSC0115	सी.एस.आई.आर. आई.आई.पी.
61.	बॉयोमास टू एनर्जी	BioEn	CSC0116	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
62.	केटालिस्ट्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी	ECat	CSC0117	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
63.	न्यू जनरेशन ल्युब्रिकेंट्स एंड एडिटिव्स	GenLube	CSC0118	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
64.	रिसर्च इनिशिएटिव फॉर लो एमिशन्स	RILE	CSC0119	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
65.	वेस्ट टू वेल्थ - वेस्ट प्लास्टिक्स	W2W	CSC0120	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
66.	एडवांस्ड कार्बन मैटेरियल्स	AdcarbMate	CSC0121	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
67.	हाइड्रोजन एनर्जी: ओवरकमिंग मैटेरियल्स चैलेंजिस इन पी.ई.एम.एफ.सी. टुवर्ड्स जेनरेशन, सेपरेशन, स्टोरेज एंड कनवर्जन ऑव हाइड्रोजन	HYDEN	CSC0122	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
68.	इनोवेट, डेवलप एंड अप-स्केल माड्यूलर, ऐजल, इन्टेंसीफाइड एंड कॉन्टीन्युअस प्रोसेसिज एंड प्लांट्स	Indus MAGIC	CSC0123	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
69.	केटालिस्ट्स फॉर स्पेशिलिटी केमिकल्स	CSC	CSC0125	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
70.	एनकेप्सुलेटिड माइक्रोआर्गेनिज्म्ज एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन	EMEP	CSC0127	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
71.	क्रिएटिंग इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी एंड केपेबिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑव इम्प्रूव्ड सिक्ययोरिटी फीचर्स एंड सब्स्ट्रेट्स फॉर द इंडियन करेंसी नोट	FUTURE	CSC0128	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
72.	ए मल्टी-स्केल सिमुलेशन एंड मॉडलिंग अप्रोच टू डिजाइनिंग स्मार्ट फंक्शनल मैटिरियल्स फॉर यूज इन एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायो-मिमेटिक्स	MSM	CSC0129	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
73.	नेचुरल प्रोडक्ट्स एज अफोर्डेबल हेल्थकेयर एजेंट्स	NaPAHA	CSC0130	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
74.	एनवायरनमेंटल रिसर्च इनेशिएटिव फॉर पेपर एंड प्रोसेस इंडस्ट्री	ERIPP	CSC0131	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.आई.एस.टी.
75.	सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑव रेयर अर्थ्स	SURE	CSC0132	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
76.	डेवलपमेंट ऑव फंक्शनल फूड्स एंड देयर फॉर्मुलेशन्स फॉर पोटेंशियल हेल्थ बेनेफिट्स ऑव कॉमन मेन	FUNHEALTH	CSC0133	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी.
77.	मालिक्यूल्स टू मैटिरियल्स एंड डिवाइसेस	M2D	CSC0134	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी.
78.	स्पेशिलिटी मैटिरियल्स बेस्ड ऑन इंजीनियर्ड क्लेज	SPECS	CSC0135	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी.
79.	साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन इन लेदर विद ए ग्रीन टच	STRAIT	CSC0201	सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई.
80.	रिसर्च इनीशिएटिव फॉर वॉटरलैस टैनिंग	RIWT	CSC0202	सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई.
81.	हाई प्योरिटी सॉल्ट एंड रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल मैटल आयन्स फ्रॉम मेरीन रिसोर्सिस	HPSMC	CSC0203	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.
82.	डेवलपमेंट ऑव इनोवेटिव टेक्नालॉजीज़ फॉर स्ट्रेटेजिक फ्लूरोकेमिकल्स	DITSF	CSC0204	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
83.	डेवलपमेंट ऑव नोवल वेक्सीन एड्जुवेंट्स	DENOVA	CSC0205	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
84.	एडवांस्ड पोलियोलेफिन्स	SPIRIT	CSC0206	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.आई.एस.टी.
85.	नार्थ ईस्ट एक्प्लोरेशन फॉर फार्मास्युटिकल	NEEP	CSC0207	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.आई.एस.टी.
86.	अफोर्डेबल केंसर थैरेप्युक्सि	ACT	CSC0301	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
87.	एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम	ADD	CSC0302	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
88.	डिजाइन इनोवेशन फॉर स्मार्ट मैटिरियल ट्रांस्फॉर्मेशन यीनिंग लैदर लाइफ स्टाइल प्रोडेक्ट्स	D'STYLE	CSC0401	सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई.
89.	ऑग्मेंटेशन ऑव एनालिटिकल रिसर्च फेसिलिटीज	AARF	CSC0402	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.
90.	सेंटर ऑव एक्सीलेंस फॉर एच.आर.डी. इन हाइड्रोकार्बन	Train All	CSC0403	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.
91.	सेन्टर फॉर सर्फेस एंड इंटरु`स साइंस रिसर्च	CSISR	CSC0404	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
92.	न्युक्लियर मेग्नेटिक रिजोनेंस सेन्टर फॉर एडवांस्ड रिसर्च	NMRCAR	CSC0405	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
93.	नेशनल रिपोजिटरी ऑव मालिक्यूल्स	NORMS	CSC0406	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
94.	अपग्रेडेशन ऑव फेसिलिटीज़/नेशनल रिपोजिटरी ऑव मालिक्यूल्स एंड नेशलन कलेक्शन ऑव इंडस्ट्रियल माइक्रो आर्गेनिज्म रिसोर्स सेन्टर	NCIMRC	CSC0407	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल.
95.	सी.एस.आई.आर. एडवांस्ड एनॉलिटिकल फेसिलिटी फॉर नार्थ ईस्ट	CAAF-NE	CSCO408	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.आई.एस.टी.
96.	नोवल एनर्जी इफेक्टिव मेटालिक मैटिरियल्स फॉर ऑटोमेटिव एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन	LWM	ESC0101	सी.एस.आई.आर.-ए.एम.पी.आर.आई.
97.	इंजीनियरिंग ऑव डिजास्टर मिटीगेशन एंड हेल्थ मॉनीटरिंग फॉर सेफ एंड स्मार्ट बिल्ट एनवायरनमेंट	EDMISSIBLE	ESC0102	सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई.
98.	डेवलपमेंट ऑव नोवल सी.एस.आई.आर. टेक्नोलॉजीज फॉर मैन्युफेक्चरिंग टेलर्ड एंड पेशेंट स्पेसिफिक बायोसिरेमिक इम्प्लांट्स एंड बायोमेडीकल डिवाइसेस एट आफोर्डेबल कॉस्ट	BIOCERAM	ESC0103	सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई.
99.	एडवांस्ड सिरेमिक्स मैटिरियल्स एंड कॉम्पोनेंट्स फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन	CERMESA	ESC0104	सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई.
100.	डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑव टेक्नालॉजीज फॉर आप्टिमल एक्सट्रेक्शन ऑव लॉक्ड-अप कोल फॉम अंडरग्राउंड माइन्स यूजिंग आर्टिफिशियल पिलर्स	DeCoalArt	ESC0105	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर.
101.	डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑव टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनबल ट्रांसपोर्टेशन	SUSTRANS	ESC0106	सी.एस.आई.आर.-सी.आर.आर.आई.
102.	टेक्नोलॉजी सॉल्युशन्स फॉर माइक्रो ए एयर व्हीकल डेवलपमेंट	MAT	ESC0107	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.
103.	सेंटर ऑव एक्सीलेंस: वेस्ट यूटीलाइजेशन एंड मैनेजमेंट	WUM	ESC0108	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.ई.आर.आई.
104.	डेवलपमेंट ऑव जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग एंड यूटीलाइजेशन ऑव थर्मल कोल	ZWT-CUP	ESC0109	सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल.
105.	इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ आसेसमेंट एंड डेमेज मिटीगेशन ऑव स्ट्रक्चर्स	I-HEAL	ESC0110	सी.एस.आई.आर.-एस.ई.आर.आई.
106.	रोबोटिक्स एंड माइक्रोमशीन्स	ROuM	ESC0112	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई.
107.	ऑटोनोमस अन्डरवाटर रोबोटिक्स	UnWaR	ESC0113	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
108.	डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑव थर्मो रिस्पोंसिव एंड मेग्नेटिक शेप मेमोरी मैटिरियल्स एंड डिवाइसेस फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन्स	TR&MSMM	ESC0201	सी.एस.आई.आर.-ए.एम.पी.आर.आई.
109.	लीडरशिप इन स्पेशिलिटी ग्लास एंड ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज	GLASSFIB	ESC0202	सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई.
110.	इंटेलीजेंट डिवाइसेस एंड स्मार्ट एक्टुऐटर्स	InDeSa	ESC0203	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई.
111.	एवेल्युलेशन ऑव इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू आइडलिंग ऑव व्हीकल्स एट सिग्नालइज्ड एंड मिटिगेशन मेज़र्स	ELSIM	ESC0204	सी.एस.आई.आर.-सी.आर.आर.आई.
112.	मिनरल्स टू मैटल्स फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट	MINMET	ESC0205	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.एम.टी.
113.	प्रोसेसिंग ऑव नेचुरल जेमस्टोन्स फॉर एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट एंड वेल्यू एडीशन	PNG	ESC0206	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.एम.टी.
114.	इंजीनियरिंग सस्टेनेबल मैटिरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स एक्शन प्लान I : सस्टेनबिलिटी थ्रू इको बेलेंसिंग	SUSMAS	ESC0208	सी.एस.आई.आर.-एस.ई.आर.सी.
115.	इंजीनियरिंग सस्टेनेबल मैटिरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स एक्शन प्लान II : सस्टेनेबिलिटी थ्रू नैनो टेक्नालॉजी एंड बायो मिमेटिक्स	eNano-Tics	ESC0209	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.
116.	एवियोनिक्स एंड फलाइट कंट्रोल्स सिविल एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज	AFCCAT	ESC0210	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.
117.	एडवांस्ड स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजीज फॉर एयरक्राफ्ट	ASTA	ESC0212	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.
118.	एयरोडायनामिकस एंड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन सिविल एयरक्राफ्ट	ADPR	ESC0213	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल.
119.	इनोवेटिव मटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन बिल्डिंग्स	INMATE-NGGB	ESC0301	सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई.
120.	डेवलपमेंट ऑव अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया	CoalGasUrja	ESC0302	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर.
121.	डेवलपमेंट ऑव सूटेबल डिजाइन मेथडोलॉजी फॉर एक्स्ट्रैक्शन ऑव कोल एट ग्रेटर डेप्थ्स (>300m) फॉर इंडियन ज्योमाइनिंग कंडीशंस	DeepCoal	ESC0303	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर.
122.	डेवलपमेंट ऑव इंडियन हाइवे केपेसिटी मैनुअल	Indo-HCM	ESC0304	सी.एस.आई.आर.-सी.आर.आर.आई.
123.	नेशनल क्लीन एयर मिशन	NCAM	ESC0305	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.ई.आर.आई.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
124.	क्लीन वाटर: संस्टेनेबल ऑप्शंस	Clean Water	ESC0306	सी.एस.आई.आर.- एन.ई.ई.आर.आई.
125.	सेंटर फॉर स्पेशल मैटिरियल्स	CSM	ESC0401	सी.एस.आई.आर.- आई.एम.एम.टी.
126.	ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो	TADB	ESC0403	सी.एस.आई.आर.- एन.ए.एल.
127.	ऑग्मेंटेशन एंड रिफर्बिशमेंट ऑव नेशनल ट्राइसोनिक एयरोडायनेमिक फेसिलिटीज	NTAF	ESC0501	सी.एस.आई.आर.- एन.ए.एल.
128.	डेवलपमेंट ऑव मैग्नीशियम मैटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी	MPT	ESC0503	सी.एस.आई.आर.- एन.एम.एल.
129.	एनालिसिस एंड मानीटरिंग ऑव पेटेंट एप्लीकेशंस इन इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस फॉर प्रिवेंटिंग मिसएप्रोप्रिएशन ऑव इंडियाज ट्रेडीशनल नॉलेज	TKDL	HCP006	सी.एस.आई.आर.- टी.के.डी.एल.
130.	सी.एस.आई.आर. नॉलेज गेटवे एंड ओपन सोर्स प्राइवेट क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर	KNOWGATE	ISC0102	सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.सी.आई.आर.
131.	इंडियन एस एंड टी एंड इनोवेशन पॉलिसी	ISTIP	ISC0201	सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस.
132.	पैटइंफोर्मेटिक्स	Patinformatics	ISC0202	सी.एस.आई.आर.- यू.आर.डी.आई.पी.
133.	केमबायोइंफोर्मेटिक्स फॉर ड्रग डिस्कवरी	ISC0203	ISC0203	सी.एस.आई.आर.- यू.आर.डी.आई.पी.
134.	ओपन साइंस एंड इनोवेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर	OSOII	ISC0204	सी.एस.आई.आर.- यू.आर.डी.आई.पी.
135.	ट्रेडीशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2020	Enhanced TKDL-2020	ISC0205	सी.एस.आई.आर.- टी.के.डी.एल.
136.	एडवांस्ड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड अर्थ साइंसेज : डाटा इंटेंसिव मॉडलिंग एंड क्राउड सोर्सिंग एप्रोच	ARiEES	ISC0301	सी.एस.आई.आर.- 4 पी.आई.
137.	वल्नेरेबिलिटी एसेस्मेंट एंड डेवलपमेंट ऑव एडेप्शन स्ट्रेटेजीज़ फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू कोस्ट्स एंड आइसलैंड इकोसिस्टम्स ऑव इंडिया	VACCIN	ISC0302	सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर.
138.	सी.एस.आई.आर.-- वाइड कंसॉर्टियम एक्सेस टू ऑनलाइन इनफॉरमेशन रिसोर्सिस	NKRC	ISC0402	सी.एस.आई.आर.- एन.आई.एससी.ए.आई.आर.
139.	वेरी हाई पॉवर माइक्रोवेव ट्युब्स: डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज	MTDDC	PSC0101	सी.एस.आई.आर.- सी.ई.ई.आर.आई.
140.	रिसर्च इनीशिएटिव ऑन नैनो डिवाइसिज एंड नैनो-सेंसर्स	R-Nano	PSC0102	सी.एस.आई.आर.- सी.ई.ई.आर.आई.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
141.	एडवांस इन्सटुमेंटेशन सॉल्युशन्स फॉर हेल्थ केयर एंड एग्रो-बेस्ड एप्लीकेशन्स	ASHA	PSC0103	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.आई.ओ.
142.	जियोडायनेमिक एंड अर्थक्वेक जेनरेटिंग प्रोसेसिस इन इनई इंडिया एंड अंडमान सबडक्शन जोन	GENIAS	PSC0104	सी.एस.आई.आर.-एन.जी.आर.आई.
143.	ओशन साइंस टुवर्ड्स फोरकास्टिंग इंडियन मेरीन लिविंग रिसोर्स पोटेंशियल	Ocean Finder	PSC0105	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ.
144.	जियोलॉजीकल प्रोसेसिज इन द इंडियन ओशन-अंडरस्टेंडिंग द इनपुट फ्लक्सेस, सिंक्स एंड पेलेओशनाग्रफी	GEOSINKS	PSC0106	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ.
145.	ज्यो-साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर डिसाइफरिंग द अर्थ्स इंटरनल प्रोसेसेस एंड एकसप्लोरेशन ऑव एनर्जी रिसोर्सेज	GEOSCAPE	PSC0107	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ.
146.	इंडियन एकवेटिक ईकोसिस्टम्स: इंपैक्ट ऑव डी-ऑक्सीजेनेशन, यूट्रोफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन	INDIAS IDEA	PSC0108	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ.
147.	डेवलपमेंट ऑव एडवांस्ड मटीरियल्स फॉर नेक्स्ट जेनरेशन एनर्जी-एफिशियंट डिवाइसेज	D-NEED	PSC0109	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल.
148.	एडवांस्ड क्वांटम रिसर्च एंड इन्नोवेशन विद अल्ट्रा स्मॉल सिस्टम्स	AQuaRIUS	PSC0110	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल.
149.	मेजरमेंट फॉर इन्नोवेशन इन साइंस एंड टेक्नालॉजी	MIST	PSC0111	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल.
150.	प्रोबिंग द चेंजिंग एटमास्फियर एंड इट्स इपैक्ट्स इन इन्डो-गैंगेटिक प्लेन्स (IGP) एंड हिमालयन रीजन्स	AIM-IGPHim	PSC0112	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल.
151.	एडवास्ड माइक्रोसेंसर्स एंड माइक्रोसिस्टम्स: डिजाइन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन्स	MicroSensys	PSC0201	सी.एस.आई.आर.-सी.ई.ई.आर.आई.
152.	ऑप्टो-मेकट्रोनिक्स टेक्नालॉजीज फॉर नेक्स्ट जेनरेशन सेंसर्स एंड एप्लीकेशन्स	OMEGA	PSC0202	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.आई.ओ.
153.	हेजार्ड ड्यू टूम अर्थक्वेक्स एंड सुनामी इन द इंडियन रीजन	HEART	PSC0203	सी.एस.आई.आर.-एन.जी.आर.आई.
154.	इंडिया डीप अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम	INDEX	PSC0204	सी.एस.आई.आर.-एन.जी.आर.आई.
155.	शैलो सबसफेंस इमेजिंग ऑव इंडिया फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन	SHORE	PSC0205	सी.एस.आई.आर.-एन.जी.आर.आई.
156.	एनालिसिस एंड हार्नेसिंग ऑव मरीन बायोडइवर्सिटी फॉर बायोरमेडिएशन ऑव एक्वाकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्ल्युअंट्स	MARINE-BIOTECH	PSC0206	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ.
157.	रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन सिंगल ट्रैप्ड आयन बेज्ड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड	STIOS	PSC0207	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल.

क्रमांक	शीर्षक	आदिवर्णिक शब्द	कोड	नोडल प्रयोगशाला
158.	एडवांस्ड फेसिलिटी फॉर नैनो इलेक्ट्रोनिक्स	AFNE	PSC0401	सी.एस.आई.आर.- सी.ई.ई.आर.आई.
	ट्रांस-प्लान अवधि परियोजनाएं (अर्थात 10वीं और 11वीं योजना विस्तारित परियोजनाएं)			
1.	नोवल एप्रोचेज फॉर सोलर एनर्जी		NWP54	सी.एस.आई.आर.- एन.पी.एल.
2.	एफिशिएंट सिलिकॉन फोटो वॉल्टेइक विद स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइटिंग स्टिम्स		NWP55	सी.एस.आई.आर.- एन.पी.एल.
3.	इन्नोवेटिव सॉल्यूशस फॉर सोलर एनर्जी स्टोरेज		NWP56	सी.एस.आई.आर.- सी.ई.सी.आर.आई.
4.	सेटिंग अप ऑव वर्ल्ड क्लास ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट		CMM15	सी.एस.आई.आर.- सी.डी.आर.आई.
5.	एसएंडटी इन्टरवेंशन फॉर रूल डेवलपमेंट		RSP	सी.एस.आई.आर.- मुख्यालय

विवरण-III

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक

फास्ट ट्रैक ट्रांसलेशन परियोजनाओं की सूची

1. पेपर बेस्ट अफोर्डेबल माइक्रोफ्ल्युइडिक किट फॉर अरली प्रेगनेंसी डिटेक्शन इन केटल एंड बफेलोज
2. डेवलपमेंट ऑफ सिम्पल एंड अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक प्रोटोकोल्स एंड डायग्नोस्टिक किट फॉर जिनेटिक डायग्नोस्टिक ऑफ मस्कुलीपैथिज एंड हेमोग्लोबिनोपैथिज
3. क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑव केंडीडेट ड्रग 99/373 (एंटी-ओस्टियोपोरोटिक)
4. क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑव केंडीडेट ड्रग 97/78 (एंटी-मलेरियल)
5. नो-हाऊ ऑफ द आइसोलेशन ऑफ ऐरेबिनोक्सीलेंस फ्रॉम डिफेटिड सीरियल ब्रांस
6. डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटी-ओबिसिटी डी.ए.जी. ऑयल
7. नॉन-थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ लिक्विड फूड्स्
8. टेक्नोलॉजी फॉर कार्बोनेटिड फ्रूट जूस बेवरेजिस फ्रॉम सलेक्टिड फ्रूट क्राप्स
9. डेवलपमेंट ऑफ ए हाई यील्डिंग वैराइटी ऑफ आर्टिमिसिया अनुआ
10. डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटी फॉर हाई रूट यील्ड विद बैटर क्वालिटी ऑफ यैलो सतावर (एसपैरागस एडसेंडेंस रॉक्स्ब)
11. डेवलपमेंट ऑफ ए लिनालूल रिच कोल्ड टालरेंट ओसिमम कीमोटाइप
12. डेवलपमेंट ऑफ विदनोलिड रिच, क्वालिटी रूट एंड अरली मैच्योरिंग एडवांसड ब्रीडिंग लाइन विद ए नॉवल आइडियोटाइप
13. कैलीटेपेनोन फॉर एनहांसिंग क्रोप यील्ड्स

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
14.	जी.ओ.एम.ई.डी - प्लेटफॉर्म फॉर जिनोमिक्स एंड ओमिक्स टेक्नालॉजीज फॉर एनेबलिंग मेडिकल डिसिजन्स
15.	एन.जी.एस. बेस्ड हाई रिज्योल्यूशन एच.एल.ए. टाइपिंग किट
16.	एन.जी.एस. फॉर माइटोकोंड्रियल डायगनोस्टिक
17.	पुल्मोस्केन
18.	डेवलपिंग एल-एसपेरेजीनेज विद लो ग्लूटामाइनेज एक्टीविटी फॉर थेराप्यूटिक एप्लीकेशन्स
19.	प्रोसेस फॉर सब्स्टिट्यूटिड साइक्लोहेक्सेन-1-3-डायोन सिंथेसिस
20.	रेपिड एसे सिस्टम एंड क्लिनिकल वैलिडेशन ऑफ बायोमार्कर फॉर रयूमेटिक हार्ट डिजीज
21.	सीरम एंड यूरिन-बेस्ड किट फॉर डायनोसिस (VL) एंड पोस्ट काला आजार डर्मल लाइशमैनिएसिस (PKDL) इन द फील्ड सेटिंग
22.	मूपिरोसिन + आई.आई.आई.एम. - 1133/06: ए टॉपिकल फार्मूलेशन फॉर इम्प्रूव्ड बायोएफिकेसी
23.	एग्रो-टेक्नोलॉजी ट्रांस्फर एंड थाइमोल क्रिस्टल फ्रॉम जम्मू मोनारदा
24.	आई.एन.डी. फिलिंग ऑफ एंटी-केंसर लेड आई.आई.आई.एम. (N)-290/13 (सी.डी.के.-इनहिबिटर)
25.	डेवलपमेंट ऑफ बायोसेंसर्स (इंडीकेटर-आई टेस्ट रेंज) फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्टरेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स
26.	डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू रियल टाइम पी.सी.आर. बेस्ड सिस्टम फॉर द क्वांटीफिकेशन ऑफ स्मॉल RNAs एंड सर्कुलर RNA एंड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू किट फॉर एब्सोल्यूट क्वांटीफिकेशन ऑफ miRNAs
27.	एन इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर ऑनलाइन ड्रिंकिंग वॉटर डिस्इंफेक्शन
28.	टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉम्बीनेंट स्ट्रेप्टोकइनेज
29.	फॉर मार्किट-गैसोलीन एस्टीमेशन किट एंड गैसोलीन (स)
30.	ए यूनिवर्सल एक्सप्रेशन प्लेटफार्म फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ बायो-शेराप्यूटिक प्रोटीनस इन एस. प्रम्बे
31.	टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पुल्लूलन
32.	प्रोडक्शन ऑफ ए बायो-मेडिकली इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलिपिड बायो-सर्फेक्टेंट सोफोरोलिपिड
33.	इबाइन रिच ओ.पी.एम. पोपी लाइंस फॉर सूटेबल कल्टीवेशन थ्रू नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट
34.	लो ग्रेन आर्सेनिक राइस वैराइटी फॉर सेफर ह्यूमन कंजप्शन
35.	एनाकार्डिक एसिड: ए पोटेंशियल मॉलीक्युल टू इनक्रिएट कॉटन फाइबर यील्ड एंड क्वालिटी
36.	डेवलपमेंट ऑफ जिंक ब्रोमाइन रेडॉक्स फ्लो बैटरी (500 W)
37.	इलेक्ट्रॉकेमिकल रिमीडिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लूएंट्स एंड रिकवरी ऑफ क्रोमियम
38.	डेवलपमेंट ऑफ एक्यूरेट, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सेंसर्स फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डिटक्शन ऑफ मल्टीपल एनालाइट्स
39.	डेवलपमेंट ऑफ हाई टेम्प्रेचर सिरामिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स फॉर मिसाइल कम्पोनेंट्स
40.	कोल डस्ट क्लेक्टिंग एंड ब्रिक्केटिंग सिस्टम
41.	वॉटरलेस क्रोम टेनिंग

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
42.	हाई ग्रेड जिलेटिन एंड प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट फ्रॉम ट्रिमिंग्स
43.	जीरो वेस्टवॉटर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी
44.	कॉकटेल ऑफ कार्बोहाइड्रेसिस फॉर रेपिड फाइबर ओपनिंग
45.	टेक्नालॉजी फॉर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट कम्पोजिशन कंटेनिंग आयरन एंड आयोडीन टु कंट्रोल बोथ डेफिसिएंसिज
46.	हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बेस्ड हाई फ्लक्स डोमेस्टिक फिल्टर फॉर वॉटर क्लेरीफिकेशन एंड डिस्इंफेक्शन
47.	नॉवल कॉसट इफेक्टिव प्रोसेस फॉर हाई प्योरिटी सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन विद रिड्युस्ड कंटेट्स ऑफ कार्बन, आयोडीन, सस्पेंडिड सॉलिड्स एंड सल्फेट कंटेंट डायरेक्टली इन सोलर सॉल्ट फील्डस फ्रॉम हाई सल्फेट कंटेनिंग ब्राइन्स (पार्टिकुलरली फॉर राजस्थान इंलेंड/लेक ब्राइंस)
48.	ए कंसोलिडेटिड बायोमास प्रोसेस फॉर इंटीग्रेटिड प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स फ्रॉमफ्रेश मेरीन मेक्रोल्गे
49.	डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पस थर्मल इन्सुलेशन कोटिंग्स फॉर डिफ्रेंट सब्सट्रेट्स
50.	डेवलपमेंट ऑफ नॉवल प्रोसेसिज टुवडर्स ऐरिबुलिन, निकोटिन, बीडाक्यूलीन
51.	डिस्कवरी ऑफ नॉवल एंटीकेंस एजेंट (HDAC इन्हिबिटर)
52.	पॉलीमरिक एकसीपिएट्स फॉर फॉर्मास्युटिकल एपलीकेशन्स
53.	सेटिंग अप 1 टी.पी.डी. पॉयलट प्लांट फॉर कनवर्टिंग वेस्ट प्लास्टिक्स टू डीजल
54.	टेक्नोलॉजी डिमोंस्ट्रेशन एंड प्रोसेस फ्लेकसीबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायो-एविएशन फ्यूल्स
55.	डिमोंस्ट्रेशन एंड प्रोसेस वेलिडेशन ऑफ लेबोरेट्री स्केल वैक्यूम स्विंग एड्जॉर्प्शन (VAS) प्रोसेस फॉर बायो गैस अप-ग्रेडेशन टु पाइप लाइन क्वालिटी फ्यूल फ्रॉम रॉ बायो गैस
56.	डेवलपमेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मीटिंग BS IV/BS VI स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट पोजीशनिंग
57.	सिंथेसिस ऑफ 5-हाइड्रॉक्सीमिथाइल फरफुरल फ्रॉम सेकेराइड्स
58.	कॉन्टीन्युअस डिनिट्रेशन फॉर मैन्युफेक्चरिंग ऑफ पेंडीमेथेलीन
59.	डेवलपमेंट ऑफ पेंसलिन V एसिलेस सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सेमी-सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स
60.	नॉन-वस्कुलर सेल्फॉर-एक्सपेंडेबल स्टेंट्स
61.	इन-सिटू बायोरिमिडिएशन टेक्नोलॉजी
62.	हर्बल प्रोडक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेन
63.	मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोमालिक्यूल्स
64.	माडुलर ब्रिक्स फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर बेड सैंड
65.	आई.आर रिफ्लेक्टिंग रेयर अर्थ ब्लु पिग्मेंट फॉर सोलर हीट कंट्रोल कूल-रूफ एप्लीकेशंस
66.	स्केल्ड अप प्रोसेस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ लो ग्रेड ऑफ इलमेनाइट्स
67.	डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ B-ग्लुकोसाइडेज (BGL) एंजाइम फॉर ब्लेंडिंग इन बायोमास हाइड्रोलाइजिंग कॉकटेल्स टू बी यूज्ड इन लिग्नोसेलुलोसिक बायोरिफाइनरीज

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
68.	एलुमीनियम कंपोजिट फॉम (ACFs) फॉर क्रेशवर्दीनेस एप्लीकेशन्स
69.	फाइबर एंड पर्टिकुलेट रिइन्फोर्स्ड हाइब्रिड पॉलीमेरिक कंपोजिट एज आर्किटेक्चरल इंटरियर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैटिरियल
70.	बिल्डिंग प्रोडक्ट्स् यूजिंग कोटा स्टोन कटिंग एंड स्लरी वेस्ट
71.	फाउंडेशन सिस्टम फॉर लाइट स्ट्रक्चर
72.	डेवलपमेंट ऑफ ए बोरिंग मशीन बेस्ड ऑन ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी
73.	पेपर बेस्ड सिरामिक सेपरेटर फॉर Li-ion बैटरी एप्लीकेशन
74.	पैकेज्ड फाइबर लेजर माड्यूलस फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडीकल एप्लीकेशन्स
75.	डेवलपमेंट ऑफ रिएक्शन बॉन्डिड सिलिकोन नाइट्राइड सिरामिक रेडोम
76.	सुपीरियर रेफेक्ट्री फॉर इंडक्शन फर्नेस टू इनेबल रिफाइनिंग ऑफ स्टील
77.	SiAION इन्सर्ट फॉर हाई स्पीड कटिंग ऑफ हार्ड मैटिरियल्स
78.	फॉस्ट रिकवरी ट्रेस मॉइस्च्र सेंसर्स एंड मीटर फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रेस मॉइस्च्र प्रेजेंट इन ट्रांसफोर्मर ऑयल
79.	डेवलपमेंट ऑफ नॉवल ऑयन डोप्ड हाइड्रेक्सीपेटाइट (HAp) बाई स्प्रे ड्राइंग मेथर्ड एंड इंट्स यूटिलाइजेशन फॉर प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद/विदाउट आयन डोपिंग
80.	फील्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडीजेनस 4-एक्सिस कंट्रोलर फॉर मल्टी-प्रोसेस माइक्रो मशीन
81.	ग्रेफीन बेस्ड एक्वस लूब्रीकेंटस
82.	डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक आयरन रिमूवल फिल्टर
83.	माइक्रो फ्यूल सेल
84.	डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोटोटाइप्स ऑफ सोलर पॉवर ट्री फॉर इंडिपेंडेंट एरिया इलेक्ट्रीफिकेशन
85.	इंटलीजेंट एंड पॉवर्ड व्हील चेयर
86.	प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफेक्चरिंग ऑफ ADI कंपोनेट्स फॉर माइनिंग एप्लीकेशन
87.	डिजाइन ऑफ नॉयज बैरियर बेस्ड ऑन डिफ्रेंट फ्रीक्वेंसिस
88.	डेवलपमेंट एंड इलेल्यूएशन ऑफ "सॉयल नेलिंग टेक्निक" फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ सॉयल स्लो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास बिलों रोड ट्रेफिक
89.	डिजाइन एंड पर्फोमेंस ऑफ सीमेंट ग्राउटिड बिटुमिनस मिक्स (CGBM) फॉर अर्बन रोड्स
90.	इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन (EPD) फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन
91.	मेक्सीमाइज द रिकवरी ऑफ आयरल वैल्यूज फ्रॉम लीन ग्रेड आयरन ओर बाइ रिडक्शन एंड पैलेटाइजेशन ऑफ हाई LOi एंड हाई ब्लेन नम्बर आयरन ओर फाइन्स
92.	प्रोसेस डेवलपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लेकी ग्रेफाइट, हाई प्योरिटी ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट फ्रॉम नेचुरल ग्रेफाइट
93.	रिकवरी ऑफ एलुमिना फ्रॉम फ्लाई ऐश
94.	डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एडवॉस्ड पॉलीमर कंपोजिट प्रोसेसिंग इक्यूपमेंट
95.	फुल्ली ऑटोनोमस फिक्स्ड विंग मिनी UAVs अंडर 5.0 kg क्लास - इंहांसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग UAV मॉडल्स

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
96.	डिजाइन, डेवलेपमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एविऑनिक्स वीडियो एंड डाटा FPGA बेस्ड IP कोर
97.	वी.टी.ओ.एल. बेस्ड एम.ए.वी. यूजिंग इंडीजेनसली डेवलप्ड लेक्ट्रीकली ड्रिवन को-एक्सीएल मोटर (वी.टी.ओ.एल.)
98.	डेवलपमेंट ऑफ मीडियम विंड-सोलर हाइब्रिउ (WiSH) सिस्टम्स ऑफ 7-10 KW क्लास फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल एप्लीकेशन्स
99.	सोलर डिस्इंफक्शन सिस्टम्स फॉर पोर्टेबल वॉटर
100.	टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ टंगस्टन (येलो टंगस्टन ऑक्साइड और अमोनियम पैराटंग्स्टेट और मैटलिक W-पॉउडर) फ्राम ए वैरायटी ऑफ स्क्रेप्स
101.	डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन स्टेंडर्ड इन स्टील
102.	लो फोस्फोरस स्टील थ्रू फर्नेस रूट यूजिंग डी.आर.आई. एज मेजर फेरूजिनस रॉ मेटिरियल-एन इंडस्ट्रियल एसेसमेंट
103.	ग्लास टेक्सटॉइल रिइंफोर्स्ड क्रंकीट क्रेश बेरियर सिस्टम
104.	डिजाइन ऑफ इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम फॉर पॉवर लाइंस
105.	प्रिकॉस्ट फेरासमेंट टॉयलेट कोर यूनिट (प्रेफर टोको)
106.	इम्प्रूव्ड डिजाइन एंउ रेट्रोफिट मेथडोलॉजी फॉर सिस्मीकली वल्नेरेबल ओपन ग्राउंड स्टोरी (OGS) स्ट्रक्चर्स
107.	डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव वॉटर टेंक यूजिंग फ्लोएबल सीमेंट मोर्टार
108.	प्रीवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन इन मिल्क-रियल टाइम रिमोट मिल्क सप्लाई मॉनीटरिंग नेटवर्क (PRADUMAN)
109.	हेंडहेल्ड मिल्क क्वालिटी एनॉलाइजर
110.	गैस सेंसर्स फॉर इंवायनमेंटल मॉनीटरिंग
111.	डेवलपमेंट ऑफ 3D रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स फॉर डेचर एग्जामीनेशन
112.	डेवलपमेंट ऑफ साइलेंट किलर गैस डिटेक्टर यूजिंग LTCC टेक्नोलॉजी
113.	हाई फ्रीक्वेंसी RF MEMS केपेसिटव स्विचेज
114.	डेवलपमेंट ऑफ MEMS-बेस्ड एक्सेलेरोमीटर
115.	डेवलपमेंट ऑफ वॉटर क्वालिटी मॉनीटरिंग वॉच डॉग पोड
116.	रीडिंग मशीन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड
117.	पॉवर्ड क्वालिटी ऐनालॉइजर
118.	हेड जेस्चर बेस्ड कंट्रोल मॉड्यूल फॉर इंटलीजेंट पेशेंट व्हीकल
119.	पॉस्चुरल स्टेबिलिटी एसेसमेंट सिस्टम
120.	पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल
121.	पंप एफिशिएंसी मॉनिटरिंग सिस्टम
122.	ऑटो सी.ई.पी.एच. CEPH: ए सॉफ्टवेयर फॉर 2-D कंप्यूटराइज्ड सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस
123.	अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम
124.	टच बेस्ड फिंगर जेस्चर कंट्रोल फॉर इंटेलिजेंट पेशेंट व्हीकल

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
125.	एंटीग्लेयर फिल्टर फॉर ऑटोमोबाइल्स
126.	ए.वी.आ.निक्स. हैड अप डिस्प्ले टेस्ट रिग
127.	हेड अप डिस्प्ले Mk1N-NP फॉर नेवल एल.सी.ए.
128.	हेड अप डिस्प्ले फॉर इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट
129.	इंडी जेनस डेवलपमेंट ऑफ लेजर लिथोट्रिप्सी सिस्टम फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस
130.	अर्थक्केक हजार्ड असेसमेंट ऑफ द हिमालय एंड द इंडो-गेगेंटिक प्लेन्स
131.	इमेंजिंग सब वॉलकेनिक मैसेजॉइक वाइफ इन केरला-कोंकण (KK) ऑफशोर फ्रॉम वाइड एंगल सिस्मिक डाटा (एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज)
132.	डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर हाई रिजोल्यूशन वेलोसिटी एनालिसिस फॉर मैपिंग ऑफ ग`स हाइड्रेट डिपॉजिट्स/सपोर्ट फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर
133.	माइक्रोबियल कंसोर्टियम फॉर एक्वाकल्चर वेस्ट मेनेजमेंट एंड डिजीज कंट्रोल
134.	मेलेनिन फ्रॉम स्पंज एसोसिएटेड बैक्टीरिया
135.	लो कॉस्ट मल्टीपरपस मल्टी चैनल डाटा लॉगर यूनिट
136.	लो कॉस्ट पेल्टियर बेस्ड रेफ्रिजरेटर फॉर रूरल रीजन्स
137.	सनलाइट सेंसीटाइज्ड लॉन्ग लाफ्टरग्लो फॉस्फर पाऊडर एंड पेंट
138.	फोनोक्लॉक विथ ए टाइम सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी ऑफ ±10 ms

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

1. इंडेजनस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑव ku बैंड (40-210 वॉट्स) एंड ka बैंड (100-150 वॉट्स) ट्रेवलिंग वेव ट्यूब (टी.डब्ल्यू.टी.)
2. स्ट्रेंथनिंग ऑव प्राइमरी टाइम स्केल एसेम्बली फॉर नेशन-वाइडिडिस्सेमिनेशन ऑव इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
3. फ्लाइट टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन ऑव सारस PTIN
4. क्रिएशन ऑव केलिब्रेशन फेसिलिटी फॉर एल.ई.डी. एंड एल.ई.डी. बेस्ड लाइटिंग
5. इंफॉर्मेटिक्स फॉर ड्रग रिपर्पसिंग एंड रेस्क्यू डिस्कवरीज (IDrRD)
6. इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी डवेल्यूएशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन (आई.पी.ई.सी);
7. क्रिएशन ऑव ई मार्केट्स फॉर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़
8. डिजिटाइजेशन ऑव सोवा रिग्पा, एंशिएंट मेनुस्क्रिप्ट्स एंड ओरल ट्रेडीशनल इंडियन सिस्टम्स ऑव मेडिसिन
9. मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑव ट्रेडीशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट (टी.के.डी.एल.)
10. डिजिटाइजिग ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स ऑव मेडिसिन

मिशन मोड परियोजनाएं

1. केटालिसिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक
2.	सी.एस.आई.आर. सिकेल सेल एनीमिया (एस.सी.ए.) मिशन;
3.	इन्नोवेटिव प्रोसेसेस एंड टेक्नालॉजीज़ फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ (INPROTICS)";
4.	सी.एस.आई.आर. अरोमा मिशन
5.	इंटेलिजेंट सिस्टम्स (IS) -इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़
6.	नैनो-बायो सेंसर्स एंड माइक्रोफ्इडिक्स फॉर हेल्थकेयर;
7.	सी.एस.आई.आर. फाइटो फार्सास्यूटिकल्स;
8.	मास हाउसिंग
9.	इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेरिटेज
10.	फूड एंड कंज्यूमर सेफ्टी सॉल्यूशंस
11.	सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी ऑव वाइटल इंस्टॉलेशंस
12.	न्यूट्रीशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स
13.	इस्टेब्लिश्मेंट ऑव सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई. सेंटर फॉर पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिसर्च टू ऑग्मेंट द इकोनॉमी ऑव रूरल ट्राइबल पीपल ऑव अरूणाचल प्रदेश
14.	डेवलपमेंट ऑव अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज़ फॉर क्वालिटी मिल्क एसेस्मेंट
15.	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

रोजगार सृजन

2317. **आधलराव पाटील शिवाजीराव :**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अचल संपत्ति का मुद्रीकरण करने तथा कुछेक विद्यमान निवेश योजनाओं की गति में तेजी लाकर रेलवे में काफी रोजगार के अवसर सृजित होंगे और इसके चारों ओर पारिस्थितिकी तंत्र में भी सुधार होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे एक वर्ष में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए रेलवे- पारिस्थितिकीय तंत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही थी;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्य-वार कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने रेल पथ और संरक्षा अनुरक्षण कार्यक्रम से 2 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(च) और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी हां।

(ख) रेल संगठन में रिक्तियां रेल भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती सेलों के माध्यम से भरी जाती हैं। इस समय, लागभग 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

जहां तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का संबंध है, यह ठेकेदार एजेंसियों के जरिए नॉन-कोर गतिविधियों/कार्यों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से रेलवे इको सिस्टम में सृजित होता है। ऐसे रोजगार के आंकड़ों की मात्रा की जवाबदेही नहीं है।

(ग) भारतीय रेलें राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती हैं। बहरहाल, विगत पांच वर्षों के दौरान, सभी भारतीय रेलों पर

रिक्तियों को भरने के लिए लगभग 2.41 लाख अभ्यर्थियों को पैनलबद्ध किया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय निम्नानुसार लगभग 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है:-

(i)	लेवल-1 (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') पद:	62,907
(ii)	सहायक लोको पायलट और तकनीशियन:-	26,502
(iii)	रेलवे सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल:-	8,619
(iv)	रेलवे सुरक्षा बल में उप निरीक्षक:-	1,120

(च) नियमित पदों पर भर्ती के अलावा, नॉन कोर गतिविधियों/कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी रोजगार सृजित होता है।

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

2318. डॉ. रत्ना डे (नाग) :
श्री कमलेश पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित नियमों के अनुसार इसमें एक वर्ष का विराम काल होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन में सभी मंत्रालयों द्वारा, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा रुकावट डाली जा रही है; और

(घ) विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों की ऐसी नियुक्तियों को रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए एक वर्ष के विराम काल जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) भाग (क) के जवाब के मद्देनज़र प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नियमों के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले समूह 'क' अधिकारी था (अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अधिकारियों सहित) और वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने से पूर्व कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने की इच्छा रखता है तो वह निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर सरकार से इस स्वीकृति हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसा पेंशनभोगी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने से पूर्व कभी भी कोई व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करेगा, तो सरकार यह घोषणा कर सकती है कि वह ऐसी अवधि के लिए पेंशन के पूरे या ऐसे निर्दिष्ट हिस्से का हकदार नहीं होगा जो निर्दिष्ट किया जाए।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में रोजगार

2319. श्री लखन लाल साहू : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से पर्याप्त आर्थिक और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के अंतर्गत आई.टी.-कंपनियों में कुल कितने पेशेवर और कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(घ) निकट भविष्य में इस क्षेत्रक में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित किए जाने की संभावना है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को डिजिटल इंडिया जिसमें ई-शासन सेवाएं, सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.), बी.पी.ओ. संवर्धन योजनाएं, डिजिटल भुगतान, इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण और डिजिटल साक्षरता अभियान; ई-वाणिज्य, जी.एस.टी. नेटवर्क, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया ई-स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी और ई-कृषि बाज़ार स्थल/डिजिटल मंडल शामिल हैं जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के जरिए जबरजस्त बढ़ावा मिला है।

भारत बी.पी.ओ. प्रोत्साहन योजना (आई.बी.पी.एस.) का लक्ष्य 493 करोड़ रुपए के परिव्यय से 48,300 सीट वाले बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. प्रचालनों के लिए प्रोत्साहन देना है। योजना के लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के अक्सरों का सृजन करना और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में, विशेष रूप से छोटे शहरों/कस्बों में आई.टी./आई.टी.ईएस. क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

जनगणना 2011 के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 48,300 सीटें वितरित की गई हैं। जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर आई.बी.पी.एस. के अंतर्गत वितरित सीटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत सीटों की समग्र उपलबधता के बशर्ते मांग के आधार पर किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए सीटों का अतिरिक्त आबंटन किया जा सकता है।

इसी प्रकार, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5000 सीट वाले बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. प्रचालनों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक अलग "पूर्वोत्तर बी.पी.ओ. संवर्धन योजना (एन.ई.बी.पी.एस.)" की शुरूआत की है। तथापि, एन.ई.बी.पी.एस. में सीटों का राज्य-वार वितरण नहीं किया गया है; संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल 5000 सीटें हैं।

ये योजनाएं पूंजीगत और प्रचालन संबंधी व्यय के लिए व्यवहार्यता गैप निधियन (वी.जी.एफ.) के रूप में प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं में 1 लाख रुपए प्रति सीट की समग्र वित्तीय सहायता के भीतर ही महिलाओं और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार बढ़ाने, राज्य की राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों पर प्रचालनों की स्थापना करने, लक्ष्य से अधिक रोजगार अवसर तैयार करने और स्थानीय उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण, डिजिटल भुगतानों और सी.एस.सी. को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में वित्तीय प्रोत्साहन अंतर्निहित हैं।

(ग) और (घ) जहां तक आई.टी. और आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में रोजगार का संबंध है, वित्त वर्ष 2017-18 में कर्मचारियों की संख्या लगभग 39,68,000 हो गई है जो वित्त वर्ष 2016-17 में 38,63,000 की तुलना में 1,05,000 की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2018-19 में भी ये रुझान मौजूदा वित्त वर्ष के समान बने रहने का अनुमान है।

सामान्य सेवा केन्द्रों (सी.एस.सी.), बी.पी.ओ. संवर्धन योजनाओं, इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण, डिजिटल भुगतानों और डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी विभिन्न सरकारी पहलों से पिछले दो वर्ष में लगभग 15 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि के फलस्वरूप सृजित लगभग 5 लाख रोजगार शामिल हैं।

नवीन और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ, डिजिटल इंडिया सहित भारत सरकार की विभिन्न पहलें देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही हैं और परिवहन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि और पर्यटन जैसे अर्थव्यवस्था के पारंपरिक और नवीन क्षेत्रों में आई.टी. और इलेक्ट्रोनिकी से संबंधित नवीन रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। नैसकॉम के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि आई.टी.-बी.पी.एम. क्षेत्र निकट भविष्य में वर्ष-दर-वर्ष 3% से 3.5% की दर से रोज़गार देता रहेगा।

विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सम्पूर्ण राज्य (राज्यों)/संघ राज्यक्षेत्र (क्षेत्रों) के बीच आई.बी.पी.एस. बी.पी.ओ. सीटों का वितरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जनसंख्या	जनसंख्या का %	जनसंख्या के % आधार पर सीटें	निकटतम 100 के रूप में राउंड ऑफ की गई सीटें
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	493,86,799	4.56	2,189	2200
बिहार	1040,99,452	9.61	4,615	4600
छत्तीसगढ़	255,45,198	2.36	1,132	1100
गोवा	14,58,545	0.13	65	100
गुजरात	604,39,692	5.58	2,679	2700
हरियाणा*	230,44,841	2.13	1,022	1000
हिमाचल प्रदेश	57,64,602	0.63	304	300
जम्मू और कश्मीर	125,41,302	1.16	556	600
झारखंड	329,88,134	3.05	1,462	1500

1	2	3	4	5
कर्नाटक*	525,95,898	4.86	2,333	2300
केरल	334,06,061	3.09	1,481	1500
मध्य प्रदेश	726,26,809	6.71	3,219	3200
महाराष्ट्र*	889,10,077	8.21	3,941	3900
ओडिशा	419,74,218	3.88	1,861	1900
पंजाब	277,43,338	2.56	1,230	1200
राजस्थान	685,48,437	6.33	3,039	3000
तेलंगाना*	274,44,644	2.53	1,214	1200
तमिलनाडु*	634,51,020	5.86	2,813	2800
उत्तर प्रदेश*	1991,69,960	18.39	8,827	8800
उत्तराखंड	100,86,292	0.93	447	400
पश्चिम बंगाल*	771,63,579	7.13	3,422	3400
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	0.04	17	100
चंडीगढ़	10,55,450	0.10	47	100
दादरा और नगर हवेली	3,43,709	0.03	15	100
दमन और दीव	2,42,911	0.02	11	100
लक्षद्वीप	64,429	0.01	3	100
पुदुचेरी	12,47,953	0.12	55	100
कुल	10828,23,931	100.00	48,000	48,300

टिप्पणी:

1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच कुल 48,000 सीटें वितरित की गई हैं और फिर निकटनतम 100 के रूप में उन्हें राउंड ऑफ किया गया है।
2. किसी एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए न्यूनतम सीट सहयोग- 100
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की जनसंख्या और कुछ शहरों [बेंगलुरु, चेन्नै, दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा), हैदराबाद, कोलकाता, मुबई, पुणे] के उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या को संबधित राज्य की जनसंख्या से और फिर देश की कुल जनसंख्या से घटा दिया गया है।

नए कानून से समस्याएं

2320. **श्री कृष्ण प्रताप** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का कोई नया कानून भारतीयों के लिए उक्त देशों में नौकरी पाने में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नए कानून के कारण इन देशों में कार्य कर रहे भारतीयों को अपनी नौकरी खोने का खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) मंत्रालय के पास विदेशों में खासकर संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की विदेशी नौकरियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत से देशों में विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ इन आंकडों को

साझा करने की नीति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में हमारे मिशन से प्राप्त सूचना निम्नवत है:

ऑस्ट्रेलिया - विशेष तौर पर भारतीयों को लक्ष्य करने वाला कोई नया कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 15 महीनों में वीजा मानकों में परिवर्तन किए हैं, एवं विधीक्षा के कड़े मानदंड बनाए हैं और कुशल प्रव्रजन (और इसके परिणामस्वरूप रोजगार) के लिए वीजा प्रदान करने के लिए छान-बीन की कड़ी व्यवस्था की है तथा यह सभी पर लागू होती है। नए उपायों के दृष्टिगत रोजगार के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले प्रवासियों की संख्या में कुल मिलाकर कमी आई है। इससे भारत से प्रव्रजन रुझानों में भी परिवर्तन आएगा।

अमरीका - रोजगार प्रयोजनों के लिए अमरीका जाने वाले अधिकांश भारतीय व्यावसायिक एच-1बी और एल-1 वीजा कार्यक्रमों के अंतर्गत जाते हैं। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जिसके अंतर्गत विदेशी कामगार अमरीकी नियोक्ता के लिए कुशल कार्य करने के लिए अमरीका में प्रवेश कर सकते हैं। [भारत को मिले एच-1बी वीजा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं]।

हालांकि एच-1बी/कार्य वीजा कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए अमरीका में प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथापि अभी तक कोई व्यापक बदलाव नहीं किए गए हैं। आज की तारीख तक अमरीकी कांग्रेस में सात विधेयक लाए गए हैं। ये विधेयक कानून बनने की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं और कानून बनने से पहले इन्हें पूर्ण विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

अमरीकी प्रशासन ने राष्ट्रपति ट्रंप के "बाय अमरिकन एंड हायर अमरिकन" शीर्षक वाले एक्जक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार कार्य वीजा कार्यक्रमों में कड़े प्रवर्तन की दिशा में बहुत से प्रशासनिक बदलाव किए हैं जिसके अंतर्गत अमरीकी प्रशासन के विभिन्न अंगों को एच-1बी वीजा कार्यक्रम में सुधारों के लिए सुझाव देना शामिल है।

सरकार अमरीका में होने वाले ऐसे घटनाक्रमों पर गहनता से नजर रखे हुए है जिनसे कुशल भारतीय व्यावसायिकों के अमरीका जाने पर प्रभाव पड़ सकता है। हम इस मुद्दे पर अमरीकी प्रशासन और अमरीकी कांग्रेस के साथ सभी स्तरों पर संपर्क बनाए हुए हैं।

अपनी बातचीत में हमने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय कुशल व्यावसायिकों ने अमरीकी अर्थव्यवस्था की उन्नति और विकास में योगदान दिया है और अमरीका को उसकी प्रतिस्पर्द्धी क्षमता और नवोन्मेषी लाभ बनाए रखने में सहायता की है। वे भारत-अमरीका संबंधों में बड़े हितधारक हैं और भारत के साथ उनके संबंधों से अमरीकी व्यावसायों को मदद मिली है।

अमरीका के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नागरिकों को जारी किए गए एच-1बी वीजा की संख्या और अमरीका द्वारा जारी किए गए एच-1बी वीजा की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता दोनों में 2016 की तुलना में 2017 में वृद्धि हुई है।

एच-1बी वीजा में भारत का हिस्सा

एच-1बी वीजा (मूल याचिकाएं एवं विस्तार)	वित्त वर्ष 2014	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	'वित्त वर्ष 2017
कुल	161,369	172,748	180,057	179,049
भारत	108,817	119,952	126,692	129,097
प्रतिशत अंश	67%	69%	70%	72%

स्रोत: यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वेबसाइट

(ख) अब तक मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह पता चले कि इन देशों में काम करने वाले भारतीयों को नए कानूनों के कारण नौकरियां छूटने का कोई खतरा हो।

[अनुवाद]

पोषण संबंधी कार्य दल

2321. **श्री नलीन कुमार कटील** :
श्री बी.एन. चन्द्रप्पा :
श्री डी.के. सुरेश :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग द्वारा गठित पोषण संबंधी कार्य करने वाले दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्य दल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लोक नीति को भ्रष्ट करने वाले निहित स्वार्थों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए सभी निवारणोपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पोषण से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड के गठन के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय की दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. एन.डी.-टी.11/5/2016-एन.डी.-टेक के बाद पोषण संबंधी कार्यदल भंग हो गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति 2017 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "कार्रवाई का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि नीति विकास और कार्यक्रम कार्यान्वयन, अपेक्षित रक्षोपायों के साथ, पारदर्शी होना चाहिए, सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए और इसे हितों के टकराव से मुक्त रखा जाए। (इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नीति, तकनीकी सलाहकार समूहों और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधित्व हितों के टकराव से मुक्त हो।)" अध्याय 5, पृष्ठ 28.

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

2322. **एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को विद्युत संयंत्रों को कोयले की उच्च आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल शेड से कोयले की लोडिंग हेतु विद्युत मंत्रालय से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त उद्देश्य हेतु रेकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) गर्मी/मानसून सीजन के दौरान, बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक को और बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यकता के संबंध में विद्युत मंत्रालय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने 19.05.2018 से 30.06.2018 तक माल शेडों से बिजली घरों के लिए कोयले का लदान करने हेतु उच्च प्राथमिकता दी, जिसे विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर 19.07.2018 से 31.07.2018 तक अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। माल शेडों से बिजली घरों के लिए कोयले का लदान करने के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और 19.05.2018 से 30.06.2018 तक की अवधि के दौरान, माल शेडों से बिजली घरों के लिए प्रतिदिन 15.6 रेकों का लदान किया गया था।

अमरीका और कनाडा की जेलों में भारतीय नागरिक

2323. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में अमेरिका और कनाडा की जेलों में कितने भारतीय नागरिक रखे गए हैं;

(ख) अमेरिका और कनाडा में वैध दस्तावेज न रखने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है;

(ग) ऐसे लोगों को विदेश भेजने में शामिल अपंजीकृत एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन जेलों में भारतीयों को चिन्हित करने और उन्हें छुड़वाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 26.07.2018 की स्थिति के अनुसार अमरीका तथा कनाडा में तय समयसीमा से अधिक प्रवास करने, गैर-कानूनी तरीके से प्रवेश करने के आरोप में कुल 717 भारतीय नागरिक वहां की विभिन्न जेलों/बंदी गृहों में बंद हैं। गोपनीय कानून के सख्त प्रावधानों के कारण अमरीका तथा कनाडा के प्राधिकारी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के बारे में सूचना साझा नहीं करते हैं।

(ग) समय-समय पर मंत्रालय को उन भारतीय प्रवासियों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनहें फर्जी एजेंटों द्वारा पर्यटन वीज़ा पर विदेशों में रोजगार के लिए भेज दिया गया है।

विदेशों में रोजगार हेतु अनधिकृत रूप से भर्ती प्रक्रिया में संलिप्त ऐसे फर्जी एजेंटों का ब्यौरा प्राप्त होने पर इन्हें संबंधित

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों तथा पुलिस प्राधिकारियों को इस आग्रह के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है कि वे शिकायतों के आधार पर इन फर्जी एजेंटों को पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य सरकार का विषय है। इन सरकारों/पुलिस पदाधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा जल्द से जल्द अभियोजन संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं ताकि आरोपी फर्जी एजेंटों पर मुकदमा करने की कार्रवाई की जा सके।

उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष 2017-18 (30 जून, 2018 तक) के दौरान फर्जी एजेंटों के विरुद्ध राज्य सरकारों को अग्रेषित मामलों और जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	जांच प्रारंभ करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को भेजे गए मामलों की कुल संख्या	उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के नाम जिन्होंने जांच शुरू की है	उन मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन संस्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए	जारी किए गए अभियोजन संस्वीकृति की संख्या
2017	446	दिल्ली	1	1
		गोवा	1	1
		केरल	5	5
		पंजाब	3	3
		राजस्थान	5	5
		तमिलनाडु	5	5
		तेलंगाना	10	10
		कुल	**30**	**30**
2018	231 (30 जून तक)	दिल्ली	1	1
		गोवा	1	1
		तेलंगाना	1	1
		कुल	03	03

मई 2016 में मंत्रालय ने राज्यों द्वारा शिकायतें प्राप्त होने पर फर्जी एजेंटों के विरुद्ध अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन कार्यविधि भी जारी की थी। कानूनी तथा सुरक्षित प्रव्रजन को बढ़ावा देने के लिए और प्रवासी लोगों द्वारा पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाएं लिए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर दृश्य तथा प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए जाते हैं ताकि उन्हें अवैध/फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचाया जा सके।

(घ) जैसे ही किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, भारतीय मिशन/केन्द्र स्थानीय विदेश कार्यालय तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक को कोंसुली सुविधा प्रदान करके उनकी नागरिकता की पुष्टि की जा सके तथा उनकी देखभाल सुनिश्चित हो सके। कुछ देशों में जहां लोक हितार्थ सहायक वकील उपलब्ध होते हैं, वहां मिशन भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था करता है। भारत सरकार भी उपयुक्त मामलों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को शुरुआती कानूनी सहायता प्रदान करती है।

ऐसे मामलों में जहां भारतीय नागरिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है और वे भारत वापस लौटने संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार कर रहे हों, उन देशों में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु इन मामलों को संबंधित देश की सरकार के साथ उठाते हैं जिनमें अंतिम निकास वीज़ा जारी करना, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भारतीय कामगारों पर लगाई गई शास्ति से छूट प्रदान करना और

भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जहां अपेक्षित हो, विदेश स्थित भारतीय मिशन तथा केन्द्र अपनी सजा पूरी कर लेने वाले भारतीय कैदियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई किराया भी प्रदान करते हैं।

ग्रामीण बी.पी.ओ. योजना

2324. श्री एम. वेंकटेश्वर राव (बाबू) :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बी.पी.ओ. की क्षमता के उपयोग हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना द्वारा उत्पन्न रोजगार का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू बी.पी.ओ. की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.ओ. को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और बी.पी.ओ. की स्थापना के लिए प्रदान किया गया अनुदान इसकी लागत का कुल कितना प्रतिशत है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ) जी, हां। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने देशभर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों सहित छोटे शहरों/कस्बों में रोजगार के अवसरों के सृजन और उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करने, स्थानीय अवसंरचना और प्रतिभा पूल की क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत बी.पी.ओ. संवर्धन योजना (आई.बी.पी.एस.) और पूर्वोत्तर बी.पी.ओ. संवर्धन योजना (एन.ई.बी.पी.एस.) लांच की हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत व्यवहार्यता गैप निधियन (वी.जी.एफ़.) के रूप में प्रति सीट 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा (कैप) के साथ बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. प्रचालनों की स्थापना में इन यूनिटों द्वारा उपगत पूंजीगत और प्रचालन संबंधी व्यय के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता उपलबध कराई जाती है। छोटे शहरों/कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.ओ. को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधी राज्य की राजधानियों के अलावा अन्य स्थान पर प्रचालनों की स्थापना हेतु यूनिटों को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य में 2 यूनिटों सहित इन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 120 बी.पी.ओ. यूनिटें कार्यरत हैं। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य के 3,565 व्यक्तियों सहित इन योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या 15,000 से अधिक है। इसके राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुबंध-I आई.बी.पी.एस./एन.ई.बी.पी.एस.- राज्यवार प्रचालनरत इकाइयां और रोजगार सृजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रचालनरत इकाइयां	रोजगार सृजन
1.	आंध्र प्रदेश	20	3565
2.	बिहार	10	1300
3.	चंडीगढ़	1	61
4.	छत्तीसगढ़	1	118
5.	गुजरात	1	268
6.	हिमाचल प्रदेश	3	21
7.	जम्मू और कश्मीर	7	480
8.	झारखंड	1	75
9.	कर्नाटक	3	251
10.	केरल	1	108
11.	मध्य प्रदेश	3	627
12.	महाराष्ट्र	8	972
13.	ओडिशा	13	1505
14.	पुदुचेरी	1	101
15.	पंजाब	6	394
16.	राजस्थान	2	233
17.	तमिलनाडु	21	3449
18.	तेलंगाना	2	204
19.	उत्तर प्रदेश	6	971
20.	उत्तराखंड	3	101
21.	असम	2	172
22.	मणिपुर	3	80
23.	नागालैंड	1	130
	कुल	119	15,186

संघर्ष विराम का उल्लंघन

2325. **श्री ओम बिरला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमाओं पर संघर्ष विराम के उल्लंघनों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई से संबंधित सरकार की कोई पूर्व निर्धारित नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय सीमा पर सेवा के दौरान शहीद हुए सिपाहियों के परिवार के सदस्यों को सरकारी सुविधाएं देने का विचार है या विभिन्न बीमा एजेंसियों को उन्हें बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्देश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) भारतीय सेना/सीमा सुरक्षा बल द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघनों पर आवश्यकता के अनुसार, समुचित जवाबी कार्रवाई की गई है। नियंत्रण रेखा (एल.ओ.सी.) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आई.बी.) के आसपास सुरक्षा स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, संघर्ष विराम के सभी उल्लंघनों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों के समक्ष समुचित स्तर पर हाटलाइन के स्थापित तंत्र, फ्लैग बैठकों और दोनों देशों की सैन्य कार्रवाई के महानिदेशकों के बीच वार्ताओं के जरिए उठाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल भी अपने प्रतिपक्ष अर्थात पाकिस्तानी रेंजरों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता करता है।

(ग) और (घ) शहीद सैनिकों के परिवार के निकटतम व्यक्तियों (एन.ओ.के.) को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं।

क्र.सं.	ब्यौरा	01/10/2016 से लागू
1	2	3
1.	आतंकियों इत्यादि द्वारा की गई हिंसक कार्रवाइयों में ड्यूटी के दौरान शहीद	25 लाख
2.	युद्ध या सीमा पर मुठभेड़ या उग्रवादियों, इत्यादि के विरुद्ध शत्रु कार्रवाई के दौरान शहीद	35 लाख
3.	सेना समूह बीमा निधि ·	
	अधिकारी	75 लाख
	जे.सी.ओ./ अन्य रैंक	37.5 लाख 40 लाख (01/01/18 से लागू)
4.	(क) युद्ध में हताहत होने पर यथा लागू उदार पारिवारिक पेंशन जो शहीद व्यक्ति द्वारा अंतिम रूप से आहरित प्राप्तियों के बराबर है। (ख) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान जो शहीद द्वारा की गई सेवा और इस प्रकार आहरित प्राप्तियों के आधार पर है।	

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की वित्तीय स्थिति

2326. **श्री कौशलेन्द्र कुमार** :
श्री देवुसिंह चौहान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ख) क्या बी.एस.एन.एल. बंद होने के कगार पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के दूरसंचार प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को नियंत्रणमुक्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. को कुल कितनी हानि हुई तथा उक्त हानि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ङ) क्या सरकार का उपर्युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार प्रचालकों का विलय करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) अपने ग्राहकों के लिए उक्त दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) विगत तीन वर्षों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
	बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.	बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.	बी.एस.एन.एल.	एम.टी.एन.एल.
आय	32411	3513	34533	3552	27818*	3116
व्यय	37270	5519	36327	6523	33535*	6087
लाभ/(हानि)	(4859)	(2006)	(4786)	(2971)	(4785)*	(2971)

*वर्ष 2017-18 के बी.एस.एन.एल. के वित्तीय आंकड़े अनंतिम है तथा इनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है।

(ख) चूंकि बी.एस.एन.एल. को विगत तीन वर्षों के लगातार घाटा हुआ है, अत: सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों के अनुसार बी.एस.एन.एल. को प्रारंभिक रूग्णता वाला उपक्रम (इन्सिपिअन्ट सिक) घोषित किया गया है। तदनुसार बी.एस.एन.एल. के पुनरुद्वार/पुनर्गठन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.ई.) हैं और इस प्रकार इन्हें सभी सी.पी.एस.ई. पर लागू होने वाले भारत सरकार के दिशानिर्देशों तथा विनियमों के दायरे में काम करना पड़ता है। तथापि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. को क्रमश: महारत्न एवं मिनीरत्न का दर्जा दिया गया है जो इन उपक्रमों को अपने कार्य प्रचालन में संवर्द्धित प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कतिपय वित्तीय/प्रचालनगत स्वायत्ता प्रदान करता है।

(घ) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को प्राप्त सरकारी सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को हुई हानि के विवरण का सार उपरोक्त (क) में दिया गया है।

(ङ) इस समय बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. के विलय की प्रक्रिया मार्ग में उनके कर्मचारियों, ऋण, परिसंपत्तियों, एम.टी.एन.एल. में सरकार की हिस्सेदारी आदि से संबंधित कई चुनौतियां/मुद्दे अंर्तग्रस्त हैं।

(च) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा अपने ग्राहकों के लिए प्रारंभ की गई नई स्कीमों का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II तथा III पर दिया गया है।

विवरण-I

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को हो रहे घाटे को पूरा करने के लिए समय-समय पर दी गई सरकारी सहायता का विवरण:-

बी.एस.एन.एल. :

- वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ए.) से प्रभावित क्षेत्रों में पहचान किए गए 2199 स्थानों पर 3567.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का क्रियान्वयन।
- बी.एस.एन.एल. द्वारा धारित 6 सेवा क्षेत्रों में सरेंडर किए गए बी.डब्ल्यू.ए. (ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस) स्पेक्ट्रम को वापस करना। इस शीर्ष के तहत बी.एस.एन.एल. को बजटीय संसाधनों के तहत 6724.51 करोड़ रुपए वापस किए गए थे।
- उपग्रहीय कनेक्टिविटी/बैंडविड्थ के संवर्द्धन के माध्यम से 120.49 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए व्यापक दूरसंचार विकास का कार्यान्वयन।
- सी.डी.एम.ए. (कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस) स्पेक्ट्रम के सरैंडर के कारण बी.एस.एन.एल. को 169.16 करोड़ रुपए की वापसी।
- बी.एस.एन.एल. को नामन आधार पर 24,664 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल के फाइबर केबल आधारित नेटवर्क (एन.एस.टी. परियोजना) प्रदान की गई है।
- भारत नेट परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने बी.एस.एन.एल. को चरण-I के लिए 5744 प्रदान किए हैं तथा चरण-II के लिए 6500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।
- अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में 1975.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधानों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यापक दूरसंचार विकास योजना तथा 295.97 करोड़

रुपए के अनुमानित लागत से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ट्रांसमिशन-मीडिया योजना का क्रियान्वयन।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नामन आधार पर बी.एस.एन.एल. को 1900 करोड़ रुपए की लागत से सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना सौंपी गई है।
- बी.एस.एन.एल. को 940 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों पर 25,000 वाई-फाई हॉट-स्पॉट की स्थापना का कार्य दिया गया है।
- बी.एस.एन.एल. को नामन आधार पर 68 करोड़ रुपए की लागत से उपग्रह गेटवे स्थापित करने का कार्य दिया गया है।
- बी.एस.एन.एल. द्वारा सरकार को 1411 करोड़ रुपए के सैद्धांतिक ऋण का भुगतान किया जाना था। उक्त ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

एम.टी.एन.एल. :

- एम.टी.एन.एल. द्वारा धारित दो सेवा क्षेत्रों में सेरेण्डर किए गए बी.डब्ल्यू.ए. (ब्रॉडबैड वायरलेस एक्ससेज) को वापस लौटाना। इस शीर्ष के तहत 4533.97 करोड़ रुपए बॉण्ड के माध्यम से एम.टी.एन.एल. को लौटाया जा चुके हैं।
- सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग से एम.टी.एन.एल. में एब्जॉर्व किए जा चुके स्टाफ के पेंशन संबंधी दायित्व हाथ में ले लिया गया है।
- मिनिमम अल्टरनेट कर (एम.ए.टी.) की लेवी से उत्पन्न दायित्व के लिए एम.टी.एन.एल. को वित्तीय सहायता के तौर पर 492.26 करोड़ रुपए दिए गए थे।
- सी.डी.एम.ए. (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस) स्पेक्ट्रम के सेरेण्डर करने के कारण एम.टी.एन.एल. को 458.04 करोड़ रुपए वापस लौटाये गए।
- हाई-स्पीट इंटरनेट ऑन फाइबर-टू-दा-हॉम (एफ.टी.टी.एच.) तथा माननीय सांसदों के आवासों पर वाई-फाई का प्रावधान। इस परियोजना के लिए 43.2 करोड़ रुपए की लागत का वित्तपोषण दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया था।

विवरण-II

बी.एस.एन.एल. द्वारा शुरू की गई नई स्कीमें एवं योजनाएं

- 98/- रुपए में 26 कलेण्डर दिनों की वैधता एवं 1.5 जी.बी./दिन वाला डाटा सुनामी स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) की शुरूआत
- 39/- रुपए में 10 कलेण्डर दिनों की वैधता और विशिष्टता वाले एस.टी.वी. की शुरुआत- केवल हॉम एल.एस.ए. तथा बी.एस.एन.एल. के रोमिंग क्षेत्र में असीमित वॉयस + किसी नेट पर 100 मुफ्त एस.एम.एस+मुफ्त पी.आर.बी.टी. (प्रीमियम रिंग बैक टोन) की शुरुआत
- सभी प्रीपेड प्लानों पर नियमित आधार पर पूर्वी जोन में नए/एम.एन.पी. पोर्ट-इन ग्राहकोंको वेलकम ऑफर "1 जीबी फ्री डाटा (15 दिनों के भीतर इस्तेमाल करने के लिए) + प्रथम 7 दिनों के लिए ऑन नेट असीमित कॉल" तथा उत्तर क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/दक्षिण क्षेत्र में "350 एम.बी. फ्री डाटा (प्रथम 30 दिनों के भीतर इस्तेमाल करने के लिए)" का प्रारम्भ।
- 155/- रुपए में 17 कलेण्डर दिनों की वैधता एवं 2जी.बी. 1 दिन फ्री डाटा वाला डाटा एस.टी.वी.
- 198/- रुपए में 28 कलेण्डर दिनों की वैधता एवं 1,5 जी.बी/दिन फ्री डाटा + पी.आर.बी.टी. वाला डाटा एस.टी.वी.
- अखिल भारत आधार पर 15.06.2018 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय रोमिंग विस्तार के साथ-साथ फ्री इनकमींग वॉयस कॉल सुविधा।
- अखिल भारत आधार पर 01.04.2018 से 3 मोबाइल कनेक्शनों के साथ 'बी.बी.जी.काम्बो यू.एल.डी. 1199 फैमिली' नामक नई फैमिली ब्रॉडबैंड योजना का प्रारम्भ।
- एफ.एम.सी.>675/- रुपए वाले सभी डी.एस.एल./ एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड प्लानों (अखिल भारत/सर्किल विशिष्ट) में फ्री कॉलिंग सुविधा की शुरुआत जो इस समय ग्राहकों को विभिन्न सर्किलों/अखिल भारत आधार पर 01.06.2018 से दिया जा रहा है।
- सभी सर्किलों में (अंडमान और निकोबार को छोड़कर) दिनांक 04.06.2018 से नए पी.सी./लेपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को एक फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत।
- अखिल भारत आधार पर बी.एस.एन.एल. नेटवर्क में असीमित वॉयस कॉल (लोकल + एस.टी.डी.) प्रदान करने के लिए "एल.एल. 99 ऑन नेट" नामक लैंडलाइन योजना की शुरुआत। इस योजना में 10.30 अपराह्न से 6 बे पूर्वाह्न तक सभी नेटवर्कों पर फ्री नाईट कॉलिंग की अतिरिक्त सुविधा तथा सभी रविवार को भारत भर में सभी नेटवर्कों पर फ्री कॉलिंग।
- अखिल भारत आधार पर बी.एस.एन.एल. नेटवर्क में नियमित आधार पर असीमित वॉयस कॉल प्रदान करने के लिए "एल.एल. 1200" तथा "एल.एल. 1500" नामक वार्षिक

लैंडलाइन योजना की शुरुआत। इस योजना में 10.30 अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न तक सभी नेटवर्कों पर फ्री नाईट कॉलिंग की अतिरिक्त सुविधा तथा सभी रविवार को भारत भर में सभी नेटवर्कों पर फ्री कॉलिंग।

- 1099 के एक मुश्त पंजीकरण प्रभारों के साथ वी.ओ.आई.पी. विंग सेवा के लिए टैरिफ प्लान [जिसे पूर्व में एफ.एम.टी. (फिक्स्ड मोबाइल टेलीफोनी) कहा जाता था] की शुरुआत। इस स्कीम में भारत के भीतर एक वर्ष के लिए किसी भी नेटवर्क को कॉल चार्जेज भी होंगे तथा अंतरराष्ट्रीय कॉल मौजूदा लैंडलाइन टैरिफों के आधार पर होगा (एम.ओ.यू. आधार)।
- उन्हीं परिसरों में द्वितीय लैंडलाइन फोन पर कॉल शुल्क में छूट के साथ-साथ लैंडलाइन खण्ड में स्कीम (1+1) की शुरुआत, जहां लैंडलाइन कनेक्शन प्रोमोशनल आधार पर तीन महीने के लिए प्रथम लैंडलाइन कनेक्शन लगाया गया है।
- सभी सर्किलों (जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार तथा गुजरात दूरसंचार सर्किल के बडोदरा एस.एस.ए. को छोड़कर) में नियमित आधार पर 'एक्सपीरियंस अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड 249' नामक ब्रॉडबैंड योजना की शुरुआत।
- अंडमान और निकोबार को छोड़कर सभी सर्किलों में 'बी.बी.जी. कॉम्बो यू.एल.डी. 45 जी.बी. प्लान', 'बी.बी.जी. कॉम्बो यू.एल.डी. 150 जी.बी. प्लान', 'बी.बी.जी. कॉम्बो यू.एल.डी. 300 जी.बी. प्लान', एवं बी.बी.जी. कॉम्बो यू.एल.डी. 600 जी.बी. प्लान' नामक नए ब्रॉडबैंड प्लानों की शुरुआत।
- अंडमान और निकोबार को छोड़कर सभी सर्किलों में "फाइब्रो कॉम्बो यू.एल.डी. 777' एवं "फाइब्रो कॉम्बो यू.एल.डी. 1277" नामक नए एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड प्लानों की शुरुआत।
- प्रोमोशनल आधार पर नए डी.एस.एल./एफ.टी.टी.एच. ब्रॉडबैंड ग्राहकों को एकमुश्त वी.ए.एस. सुविधा की शुरुआत।

विवरण-III

जुलाई 2018 महीने में एम.टी.एन.एल. का नया टैरिफ प्लान

क्र.सं.	प्लान का नाम	डाटा	स्पीड	फ्री कॉल	
1.	वेरी हाई स्पीड 4999	1500 जी.बी.	100 एम.बी.पी.एस.	अनलिमिटेड कॉलिंग	ब्रॉडबैंड
2.	वेरी हाई स्पीड 7999	2500 जी.बी.	100 एम.बी.पी.एस.	अनलिमिटेड कॉलिंग	
3.	एफ.टी.टी.एच. वॉयस 500	10 जी.बी.	50 एम.बी.पी.एस.	400	
4.	बी.बी.-660-6 एम.	90 जी.बी.	6 एम.बी.पी.एस.	150	
5.	एस.टी.वी. 171	1.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 28 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदिन	मोबाइल सेवा
6.	एस.टी.वी. 197	2 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 35 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदिन	
7.	एस.टी.वी. 231	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 42 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदिन	
8.	एस.टी.वी. 365	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 70 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदिन	
9.	एस.टी.वी. 421	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 84 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदिन	
एम.टी.एन.एल. दिल्ली					
1.	फ्रीडम यू.एल.डी.-398 कोम्बो	25 जी.बी.	8 एम.बी.पी.एस.	मुम्बई सहित किसी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लॉकल कॉल फ्री	ब्रॉडबैंड सेवा

क्र.सं.	प्लान का नाम	डाटा	स्पीड	फ्री कॉल	
2.	एफ.टी.टी.एच. फायर-2000	500 जी.बी.	500 एम.बी.पी.एस.	मुम्बई सहित किसी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लॉकल कॉल फ्री	
3.	एफ.टी.एच.-3799	400 जी.बी.	100 एम.बी.पी.एस.	अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल	
4.	एफ.टी.एच.-790	100 जी.बी.	50 एम.बी.पी.एस.	एम.टी.एन.एल. नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल+200 एम.सी.यू. अन्य नेटवर्क पर	
5.	एफ.टी.एच.-1200	200 जी.बी.	75 एम.बी.पी.एस.	एम.टी.एन.एल. नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल+300 एम.सी.यू. अन्य नेटवर्क पर	
6.	एफ.टी.टी.एच.-2990	800 जी.बी.	500 एम.बी.पी.एस.	दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी.	
7.	एफ.टी.टी.एच.-4990	1500 जी.बी.	1 जी.बी.पी.एस.	दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी.	
8.	मोबाइल के प्रीपेड उपभोक्ता के लिए प्लान 151	2 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 30 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	मोबाइल सेवा
9.	एस.टी.वी. 171	1.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 28 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	
10.	एस.टी.वी. 197	2 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 35 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	
11.	एस.टी.वी. 231	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 42 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	
12.	एस.टी.वी. 365	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 70 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	
13.	एस.टी.वी. 421	2.5 जी.बी. डाटा प्रतिदिन 84 दिनों के लिए		अनलिमिटेड लॉकल एवं एस.टी.डी. कॉल +100 एस.एम.एस. प्रतिदन	

[अनुवाद]

सिंगरैणी कोयला खान

2327. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य-स्वामित्वाधीन कोयला फर्म सिंगरैणी कोयला खान पर अपना दावा किया है, जिसे वर्तमान में तेलंगाना द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने किसी उपक्रम की मुख्यालयीन संपत्ति को अंतर राज्यीय प्रचालन सहित जनसंख्या के आधार पर बांटने और प्रचालन इकाइयों को उनकी अवस्थिति के आधार पर बांटने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) कोयला मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार से मैसर्स सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) से कोयला संसाधन वाले वेस्ट गोदावरी और कृष्णा जिले के क्षेत्र को हटाने तथा इसे कोयला खनन कंपनी आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के पक्ष में नामित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सभी स्टेकधारियों से परामर्श करने के पश्चात आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव से मंत्रालय सहमत नहीं हुआ। तथापि, राज्य सरकार को सूचित किया

गया कि वह नई कोयला वितरण नीति के अनुसार भारत सरकार से कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकती है तथा आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन कर सकता है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज के विभाग के संबंध में की गई आपत्ति को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची-IX के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थानों की परिसंपत्तियों, देयताओं एवं कर्मचारियों के विभाजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार (अविभाज्य) द्वारा गठित की गई श्रीमती शीला भिडे समिति को भेजा गया है।

आई.टी. पेशेवरों पर अमेरिकी नीति का प्रभाव

2328. **श्री जैदेव गल्ला** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 2016 के बाद से अमेरिका द्वारा जारी किए गए प्रत्येक कार्यकारी आदेश का ब्यौरा क्या है जिससे अमेरिका में आई.टी. एवं अन्य क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों पर कोई प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या भारत के वित्त मंत्री ने हाल ही में अमेरिका के वाणिज्य सचिव से मुलाकात की है तथा उनके समक्ष भारत की चिंताओं को व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है तथा भारतीय पेशेवरों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) यू.एस. प्रशासन ने अप्रवाजन से संबंधित कई कार्यपालक आदेश, नीतिगत ज्ञापन, प्रशासनिक अपील से जुड़े निर्णय जारी किए हैं और ऐसे अन्य नियामक परिवर्तन किए हैं, जो यू.एस. में भारतीय आई.टी. और अन्य पेशेवरों को प्रभावित कर सकते हैं। वर्ष 2016 से उनके क्रमिक विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जून, 2018 में अपने यू.एस. दौरे के दौरान यू.एस. के विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और यू.एस. में भारतीय आई.टी. उद्योग के समक्ष विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को उठाया तथा आपसी हित में उनका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता उजागर की।

(ग) सरकार एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम सहित भारतीय पेशेवरों के आवागमन से संबंधित सभी मुद्दों पर यू.एस. प्रशासन और यू.एस. कांग्रेस के साथ लगातार बातचीत करती रही। इन बातचीत और संपर्क कार्यक्रमों में सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि यह आपसी लाभदायक भागीदारी के रूप में रही है, जिसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। भारतीय कुशल पेशेवरों ने यू.एस. की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में योगदान दिया है और यू.एस. को प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा नवाचार का लाभ उठाने में मदद की है। इसके अलावा सरकार ने देश में उद्योग संघों के साथ एक परामर्शी पहल भी शुरू की है और वे भी यू.एस. में अपने समकक्षों के साथ उपयुक्त ढंग से इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं।

विवरण

यू.एस. प्रशासन द्वारा प्रमुख कार्यपालक आदेश और अन्य प्रशासनिक उपाय

यू.एस. प्रशासन ने दिसम्बर, 2016 के बाद अप्रवाजन से संबंधित कई कार्यपालक आदेश, नीतिगत ज्ञापन, प्रशासनिक अपील से जुड़े निर्णय जारी किए हैं और अन्य नियामक परिवर्तन किए हैं, भारतीय आई.टी. क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण आदेश निम्नानुसार हैं (क्रमिक रूप से सूचीबद्ध) :

- **नीतिगत ज्ञापन** : 31 मार्च, 2017 को यू.एस. नागरिकता और अप्रवाजन सेवाएं (यू.एस.सी.आई.एस.) ने एच-1बी वीज़ा के इस्तेमाल पर एक नीतिगत ज्ञापन लागू किया, उसमें "प्रवेश स्तर पर कम्प्यूटर प्रोग्रामरों" के लिए एच-1बी यचिकाओं और लेवल-1 मजदूरी के लिए दायर की गई याचिकाओं को अस्वीकार करने के लिए एजेंसी तैयार होगी। इस बात को सदन के पटल पर प्रभावशाली ढंग से उठाया गया कि "विशेष पेशे" के रूप में क्या अर्हक है और इन स्तरों पर व्यक्ति विशेष के लिए एच-1बी वीज़ा मांगने वाले नियोक्ताओं को अब इसकी पुष्टि करने के लिए और साक्ष्य उपलब्ध कराने चाहिए अर्थात् उच्चतर शिक्षा की डिग्री/उच्चतर मजदूरी के साक्ष्य।
- **"अमेरिकी खरीदें, अमेरिकी हायर करें"** : 18 अप्रैल, 2017 को, "अमेरिकी हायर करें" नामक राष्ट्रपति का एक कार्यकारी आदेश (ई.ओ.) आदेश आया जिसमें अन्य मदों के साथ उच्च कुशल कार्यकर्ता वीज़ा और वैश्विक आउटसोर्सिंग को लक्षित किया। ई.ओ. कई प्रशासनिक नीतियों और परिवर्तनों के लिए ढांचे के रूप में रहा जो भारत के आई.टी. क्षेत्र द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले वीज़ा को लक्षित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल सेशन, श्रम सचिव अकोस्टा

और अन्य ने संकेत दिया है कि ये उपाय केवल शुरुआती उपाय हैं, जिनकी मांग की जाएगी। [ध्यान दें कि ई.ओ. से एक महीने पहले, ई.ओ. का एक मसौदा लीक हो गया था जो वीज़ा के प्रति अधिक प्रतिबंधित और खर्चीला था। इसमें वर्तमान एच-1 लॉटरी को खत्म करने के लिए प्रावधान थे और कौशल सेट और मजदूरी के स्तर के आधार पर एच-1 बी.एस. को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए थे]

- **21 जून 2017 का ई.ओ.** : अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा द्वारा हस्ताक्षरित 2012 के आदेश के उस भाग को हटाने के लिए जारी किया गया और राज्य के विभागों को यह सुनिश्चत करने के लिए निदेश दिए गए कि "80% गैर-अप्रवासी वीज़ा आवेदकों का आवेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर साक्षात्कार किए जाएं"। यह अमेरिकी प्रशासन के उस इरादे का हिस्सा है जो अमेरिका का वीजा मांगने वाले लोगों के लिए - चरम संवीक्षा - प्रक्रियाओं की चुपचाप शिकायत से संबंधित है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास के रूप में निर्णय को संदर्भित किया। आप्रवासन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस विलंब से अमेरिकी श्रमिकों को उनके निर्धारित काम के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के लिए एच-1बी वीज़ा की तलाश करने से रोका जा सकेगा।

- **एल.सी.ए. में प्रस्तावित परिवर्तन** : 3 अगस्त, 2017 को, श्रम विभाग (डी.ओ.एल.) ने श्रम स्थिति आवेदन (एल.सी.ए.) प्रपत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर प्रासंगिक एजेंसियों से टिप्पणियों की मांग की। नैसकॉम का मानना है कि एच-1बी वीज़ा फार्म में नई प्रस्तावित फील्ड (अर्थात् द्वितीयक नियोक्ता का नाम और उस विश्वविद्यालय का नाम, जहां से कर्मचारी एच-1बी वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं) जोड़ना एच-1बी वीज़ा संविधि द्वारा अधिकृत नहीं है और इसलिए डी.ओ.एल. की एल.सी.ए. जिम्मेदारी के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, इसमें कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं होगी और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों में नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

- **न्याय-दशा का समन्वय** : 11 अक्टूबर, 2017 को यू.एस. प्रशासन द्वारा जारी हमले के हिस्से के रूप में न्याय और राज्य विभाग ने घोषणा की कि उन्होंने सूचनाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है और अन्य चीजों के साथ-साथ राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के दावों को आगे बढ़ाया है। यह इन मुद्दों पर अंत: क्रियात्मक बाधाओं को दूर करने और सूचना साझाकरण और समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। मई 2018 में डी.ओ.जे. और यू.एस.सी.आई.एस. के बीच इसी प्रकार का "समझौता ज्ञापन" जारी किया गया।

- **एच-1 बी और एच-4 में प्रस्तावित परिवर्तन** : 14 दिसंबर 2017 को होमलैंड सुरक्षा विभाग और यू.एस. नागरिकता और आप्रवासन सेवाएं (यू.एस.सी.आई.एस.) ने नोटिस प्रकाशित किए कि वे एच-1 बी और एच-4 वीज़ा कार्यक्रमों में कई बदलाव प्रस्तावित करना चाहते हैं। ये भविष्य में नियामक कार्यों पर अमेरिकी प्रशासन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा थे और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  (क) कुछ एच-1 बी वीज़ा धारकों को यू.एस. में काम करते समय एच-4 वीज़ा धारक उनकी पत्नी/पति को काम करने की अनुमति प्रदान करने वाली वर्तमान नीति को रद्द करने के लिए आगे बढ़ना (यह प्रस्ताव फरवरी 2018 में अपेक्षित था, लेकिन यू.एस.सी.आई.एस. ने अनुमानित रिलीज को जून में बढ़ा दिया है)।

  (ख) यू.एस.सी.आई.एस. द्वारा प्रशासित पूर्व-प्रमाणन योजना की स्थापना और एल.सी.ए. और एच-1 वीज़ा याचिका न्यानिर्णयन प्रक्रियाओं के बीच सैट तैयार करना (इस प्रस्ताव की उम्मीद फरवरी थी, लेकिन इसे अभी किसी नई रिलीज तारीख के बिना आगे बढ़ा दिया गया है)।

  (ग) एच-1 बी पात्रता के लिए न्यायनिर्णीत मानदंडों में परिवर्तन, एच-1 बी वीज़ा प्रायोजित करने वाली कंपनियों के ग्राहकों के लिए स्पष्ट नियोक्ता जिम्मेदारियां स्थापित करना और मजदूरी के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिबंध जोड़ना (अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित नियम बनाने की अपेक्षा की सूचना के साथ)। इस प्रस्ताव के तहत, डी.एच.एस. "सर्वोत्तम और उज्ज्वल पर ध्यान केंद्रित करने" के लिए एच-1 बी पात्रता के लिए "विशेष व्यवसाय" की परिभाषा को संशोधित करने के लिए एक नियम प्रस्तावित करेगा। यह रोजगार और नियोक्ता-कर्मचारी के बीच संबंधों की परिभाषा को भी संशोधित करेगा, रिश्ते और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई नई आवश्यकताओं को जोड़ेगा कि नियोक्ता एच-1 बी

श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान करें।

(घ) इसके अलावा, इसके अक्टूबर 2018 में जारी होने की भी उम्मीद है, जो एस.टी.ई.एम. ओ.पी.टी. कार्यक्रम अर्थात वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्य वीज़ा, जो विदेशी छात्रों को उनके अध्ययन पूरा होने के बाद अमेरिका में थोड़ी देर तक रहने की इजाजत देता है, को वापस करने के लिए एक प्रस्तावित नियम है। अपेक्षित परिवर्तन पूर्व ओबामा-विस्तार नियमों के डिग्री प्रोग्रामों की संख्या और वहां थोड़ा अधिक समय तक रुकने की अवधि को कम करेगा।)

नोट: ये सभी इच्छित परिवर्तन हैं। इनमें से प्रत्येक 2018 में शुरू होने वाली नियम बनाने की लंबी प्रक्रिया के अधीन होगा। प्रक्रिया में कई महीने लेगेंगे और ये अदालत की चुनौतियों के अधीन हो सकते हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों पर एजेंसी को सार्वजनिक टिप्पणियां करने की आवश्यकता है।

- **22 फरवरी 2018** : यू.एस.सी.आई.एस. ने एच-1 बी वीज़ा के लिए कठोर न्यायनिर्णय लेने वाले मानकों और पर्यवेक्षण के लिए एक नीतिगत ज्ञापन जारी किया, जिसे तीसरे पक्ष क़ी साइटों (क्लाइंट साइट्स) पर लागू किया जाएगा। ज्ञापन में न्यायनिर्णय लेने वालों को भी निर्देश दिया गया कि जब गैर-अप्रवासी ग्राहक साइट पर काम कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए एच-1बी वीज़ा अनुमोदित करने की समयावधि को दैनिक रूप से सीमित किया जाए। ज्ञापन में भारतीय और भारतीय आई.टी. सेवा कंपनियों के लिए लागू वर्तमान प्रक्रियाओं को काफी हद तक दोहराया गया है। इसमें इस तरह के प्रथाओं को औपचारिक बनाया गया है और यह निर्देशित करता है कि इसे सभी एच-1बी याचिकाओं और तृतीय पक्षकार की नियुक्तियों पर लागू किया जाएगा। भारतीय और भारतीय केंद्रित कंपनियों के लिए यह प्रशासनिक बोझ और संबंधित लागतों को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अधिक से अधिक जटिल आर.एफ.ई., अधिक याचिकाओं को दर्ज करने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि ये मानदंड वीज़ा बनाने और नवीनीकृत करने की पूरी प्रक्रिया को और अधिक कठिन और महंगा बनाते हैं।

- **9 मई 2018** : प्रबंधन और बजट कार्यालय (ओ.एम.बी) ने उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तावित और अंतिम नियम बनाने पर विभिन्न यू.एस.सी.आई.एस. योजनाओं की पुष्टि करने वाला नियामक केलेंडर को जारी किया।

- **11 मई 2018** : अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवाएं (यू.एस.सी.आई.एस.) ने दोनों एजेंसियों के बीच एक नए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की घोषणा की जिसमें राष्ट्र के आप्रवासन कानूनों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी वीज़ा श्रमिकों को लाने वाले नियोक्ताओं द्वारा भेदभाव के संदर्भ में उनके प्रवर्तन में सहयोग करने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा दी गई है। एम.ओ.यू. का समग्र प्रभाव पर्यवेक्षण और जांच के ऊपर पड़ने वाला है।

- इसके अतिरिक्त, हमने प्रशासनिक पर्यवेक्षण और प्रवर्तन कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बढ़े हुए खंडन और आर.ई.एफ. (साक्ष्य के लिए अनुरोध की आरंभिक रिपोर्टें व्यक्तियों के कुछ वर्गों जैसे स्तर 1 या स्तर 2 लाभार्थियों और छोटे कंप्यूटर प्रोग्रामरों के लिए नए न्याय निर्णयन मानक;

(2) डी.ओ.एल. द्वारा बड़े पैमाने पर निरीक्षण और लेखापरीक्षा योजनाओं का विस्तार,

(3) क्लाइंट साइटों पर लेखापरीक्षा और निरीक्षण की महत्वपूर्ण वृद्धि,

(4) वीज़ा को कम अवधि के लिए अनुमोदित किया जा रहा है,

(5) प्रवेश के बंदरगाह पर अनुमोदित वीज़ा धारकों की बढ़ी हुई जांच रिपोर्टें,

(6) वीज़ा साक्षात्कारों के लिए एक नया और तेजी से शत्रुतापूर्ण स्वर जो प्रारंभिक बिंदु पर ही याचिका से इनकार करने का एक कारण प्रतीत होता है, खासकर जब इसमें परामर्श व्यवस्था शामिल होती है,

(7) सार्वजनिक संवेदनशील, स्वामित्व वाली जानकारी एकत्र करने और बनाने के लिए आवश्यक श्रम प्रमाणन रूपों से प्रस्तावित परिवर्तन,

(8) उन्हें और प्रमुख प्रायोजक संगठनों को अंधेरे में रखने के लिए वीज़ा कार्यक्रमों पर पहले अनुपलब्ध सरकारी डेटा को चुन चुन कर एकत्र करना और सार्वजनिक रूप से उसे रिलीज करना। उदाहरण के लिए एच-1बी वीज़ा और उसके विस्तार के प्रारंभिक अनुमोदन और अनुमोदन की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करना और इन आंकड़ों को इस ढंग से प्रस्तुत करना जैसे कि वे केवल नए

वीज़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार, अक्सर भुगतान की जाने वाली वास्तविक मजदूरी के बजाए एल.सी.ए. फॉर्मों पर कंपनियों द्वारा प्रस्तुत मजदूरी डेटा जारी करना।

(9) प्रशासन अमेरिकी नागरिक अधिकार कानूनों को दोबारा परिभाषित करना चाहता है और इस क्षेत्र के विरुद्ध भेदभाव करने और मुकदमा चलाने के लिए संभवत: उनका उपयोग करना चाहता है।

(10) एच-1बी और एल-1 वीज़ा कार्यक्रमों के अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में हजारों डॉलर की फीस में 50-50 कंपनियों से वसूल करना जारी रखना।

छोटे कंटेनर

2329. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे** :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के यात्री अन्य परिवहन मोड को अपना रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू कार्गो के लिए नई डिलिवरी मॉडल के माध्यम से खोई हुई यात्री ग्राहक को पुन: प्राप्त करने हेतु रेलगाड़ियों में डबल स्टेक वाले छोटे कंटेनर की व्यापारिक सेवा शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकार में छोटे होने के बावजूद छोटे कंटेनर नियमित कंटेनर की तुलना में 30,500 किलोग्राम की धारण क्षमता रखते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डबल स्टेक के कार्गो की ढुलाई से रेलवे के राजस्व में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(च) माल ढुलाई को आकर्षित करने हेतु रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) भारतीय रेल हर साल करीब एक बिलियन टन माल का परिवहन करती है, जो काफी बड़ी मात्रा है। भरतीय रेल द्वारा ढोए गए माल यातायात में 15 गुना से अधिक की वद्धि हुई है, जो 1950-51 के 73.02 मिलियन टन से बढ़कर 2016-17 में 1106.15 मिलियन टन हो गया है। बहरहाल, क्षमता संबंधी बाधाओं के परिणामस्वरूप रेलवे की अधिकतम क्षमता का फलीभूत न होना, साथ ही समयपालन और रेल यातायात के पारगमन समय में गिरावट आई है।

(ख) लदान क्षमता बढ़ाने और नए यातायात को आकर्षित करने के लिए डबल स्टैक वाले छोटे कंटेनर (डी.एस.डी.सी.) को एक नए आपूर्ति मॉडल के रूप में पेश किया गया है। पहला डबल स्टैक वाला छोटा कंटेनर 08.07.2018 को रिलायंस रेल टर्मिनल, कानालुस (पी.आर.टी.के.) से एक निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर द्वारा संचालित किया गया था जो 09.07.2018 को कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पाली (के.आई.आई.पी.) पहुंचा।

(ग) जी हां। छोटे कंटेनर का अधिकतम लदान भार 30500 किलोग्राम है। यह 662 मिमी छोटा है, किंतु नियमित कंटेनर से 162 मिमी चौड़ा है।

(घ) और (ङ) जी हां। रिलायंस रेल टर्मिनल, कानालुस (पी.आर.टी.के.) से कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पाली (के.आई.आई.पी.) तक डबल स्टैक वाले छोटे कंटेनर के केवल एक रेक द्वारा 1300 मीट्रिक टन का अतिरिक्त टन भार ढोया गया है जिससे राजस्व में 20 से 24% की वृद्धि हुई। यदि छोटे कंटेनर का अतिरिक्त यातायात नियमित रूप से प्राप्त होता है, तो रेलवे के राजस्व में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

(च) रेल यातायात को आकर्षित करने और बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

i. एंप्टी फ्लो दिशा में लदान किए गए यातायात के लिए उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा रियायत योजना, प्रमुख माल यातायात ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक किराया दर अनुबंध (एल.टी.टी.सी.), स्टेशन से स्टेशन तक की दरें (एस.टी.एस.), लौह अयस्क के लिए दोहरी मालभाड़ा नीति को वापस लेना, खुले और सपाट माल-डिब्बों में बोरीबंद पारेषणों के लदान पर छूट, कोयले के टैरिफ का यौक्तिकीकरण, मेरी-गो-राउंड (एम.जी.आर.) प्रणाली का यौक्तिकीकरण, प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी को 125 कि.मी. से कम करके 100 किमी. करना, मिनी रेक के लिए दूरी को 400 किमी. से बढ़ाकर 600 किमी. करना आदि।

ii. व्यवसाय के निष्पादन को और सुगम बनाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं जैसे माल-डिब्बों के लिए मांग

का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, रेलवे रसीद (ई.टी.-आर.आर.) का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, एकल कंटेनर गाड़ी के लिए मल्टीपल आर.आर., तुलाई नीति का ग्राहकों के अनुकूल यौक्तिकीकरण आदि।

iii. रेल यातायात बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जैसे उदारीकृत माल-डिब्बा निवेश योजना, स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम (एस.एफ.टी.ओ.), ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम (ए.एफ.टी.ओ.), निजी फ्रेट टर्मिनलों (पी.एफ.टी.) का विकास और कंटेनर यातायात में पार्सल व्यापार की शुरुआत करना आदि।

iv. निगरानी में सुधार करने और परिसंपत्तियों के उपयोग को बेहतर बनाने हेतु माल यातायात परिचालन में व्यापक कंप्यूटरीकरण का उपयोग करना, उच्च क्षमता वाले रेल इंजनों और उच्च क्षमता वाले माल-डिब्बों का नियोजन करना, माल-डिब्बों और रेल इंजनों की अनुरक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के परिणामस्वरूप यातायात के लिए चल स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, यातायात की भारी मात्रा को वहन करने के लिए रेलपथ और सिगनल व्यवस्था में सुधार करना और नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

v. पर्याप्त क्षमता का सृजन करने के लिए दो समर्पित माल यातायात गलियारों (पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारों) की शुरुआत की गई है, जो यातायात की मांग को पूरा करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

वेंडरशिप लाइसेंस

2330. **श्री मनोज तिवारी :**
श्री संतोष कुमार :
श्री रामदास सी. तडस :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री हरि ओम पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन युवाओं एवं जरूरतमंद लोगों को प्लेटफ़ार्म पर बिक्री करने के लिए विक्रेता लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है जिनके पास कोई पिछला अनुभव नहीं है परंतु कड़ी मेहनत करने की ललक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वेंडरशिप/स्टॉल/मोबाइल स्टॉल आवंटन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में निकट भविष्य में या वर्तमान में विशेष रूप से दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में क्या कोई आवंटन किया जाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न प्रकार के पुरस्कार

2331. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मिलते-जुलते सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सशस्त्र बलों के अंदर तनाव एवं खीझ उत्पन्न हो रही है तथा सैनिकों के हित में मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली नकद राशि के मानकीकरण के लिए राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्यों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम नकद राशि तय कर दी है या इसे संबंधित राज्य की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (घ) वीरता पुरस्कार केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार द्वारा एक समान दर पर नकद पुरस्कार का भुगतान किया जाता है। तथापि, इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भी उनके राज्य के निवासी पुरस्कार विजेताओं को भी कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा पुरस्कार विजेताओं को अनुदानों का भुगतान ऐसा मामला है जिस पर संबंधित राज्य सरकारें उनके वित्तीय संसाधनों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती हैं। अत: केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि सभी राज्य पुरस्कार विजेताओं को एक समान दरों पर ये लाभ प्रदान करें।

बैटिंग को विधि सम्मत बनाना

2332. **श्री आर. गोपालकृष्णन :**
डॉ. सी. गोपालकृष्णन :
श्रीमती के.मरगथम :
एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर :
श्री पी. नागराजन :
श्रीमती रक्षाताई खाडसे :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें खेलकूद में बैटिंग और जुआ को विधि सम्मत बनाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयोग के अन्य सुझाव तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इन सिफारिशों/सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या क्रिकेट सहित खेलकूद में बैटिंग और जुआ को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दायरे में लाकर विनियमित गतिविधियों के रूप में विनियमित करने हेतु सरकार को मॉडल कानून बनाने का प्रस्ताव हे;

(घ) क्या सरकार की एफ.डी.आई. से देश में केसिनो की अनुमति देने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पैनल चाहता है कि सरकार एक व्यक्ति के लिए गैम्बिलिंग के लेन देन की संख्या के लिए एक सीमा तय करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयोग की सिफारिश में उचित बैटिंग और छोटे गैम्बिलिंग में अंतर बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लिए समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और यदि हां, तो विधि आयोग की सिफारिशें स्वीकृत होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क), (ङ) और (च) भारत के विधि आयोग ने "विधिक ढांचा : भारत में द्युत और क्रिकेट सहित खेल में सट्टेबाजी" नामक अपनी 276वीं रिपोर्ट सरकार को 05.07.2018 को प्रस्तुत की। अपनी 276वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की है कि भारत में वर्तमान स्थिति में सट्टेबाजी और द्यूत पर संपूर्ण रोक को अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट सुझावों के साथ भरत के विधि आयोग के शासकीय वेबसाइट (*lawcommissionofindia.nic.in*) पर उपलबध है। विधि आयोग ने इस मामले को स्पष्ट करने लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया है। इस प्रेस नोट की एक प्रति उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(ख) से (घ) और (छ) भारत के विधि आयोग की 276 वीं रिपोर्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

कॉल ड्रॉप

2333. **डॉ. रामशंकर कठेरिया :**
एडवोकेट जोएस. जार्ज :
श्री अजय मिश्रा टेनी :
डॉ. करण सिंह यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कॉल-ड्राप के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त मामले में कई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का कॉल-ड्रॉप को देखते हुए सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर दंड लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कॉल-ड्रॉप की समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में अतिरिक्त मोबाइल टावर बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त समस्या बी.एस.एन.एल. नेटवर्क और एम.टी.एन.एल. दोनों में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) किसी भी मोबाइल नेटवर्क में कॉल ड्रॉप की समस्या होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:-

(i) टॉवर-स्थलों के लिए स्थान के उपलबध न होने अथवा विकिरण के डर से स्थानीय प्राधिकरणों/आवासी कल्याण संगठनों/स्वामियों द्वारा मौजूदा स्थलों को सील करने के कारण कई इलाकों में कमजोर रेडियो कवरेज होना;

(ii) परियात (ट्रैफिक) के आकार में पूर्णतया परिवर्तन, विशेष रूप से डाटा परियात में भारी वृद्धि होना;

(iii) 24X7 बिजली उपलब्ध न होने के कारण स्थलों का बंद होना;

(iv) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) द्वारा नियमित नेटवर्क की कमी होना/रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर.एफ.) के इष्टतमीकरण संबंधी प्रयासों में कमी होना।

नेटवर्क का इष्टतमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी मोबाइल नेटवर्क में विभिन्न मापदंडों जैसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) ऊर्जा, नजदीकी स्थान की परिभाषा, एंटिना के विद्युत एवं यांत्रिक झुकाव आदि को संशोधित/सुधारने की आवश्यकता होती है ताकि बी.टी.एस. के कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(ख) दूरसंचार विभाग और भारतीय विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को मोबाइल नेटवर्कों में कॉल-ड्रॉप हाने के बारे में मोबाइल उपभोक्ताओं और अन्य निकायों से याचिकाएं/अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

सरकार कॉल-ड्रॉप की समस्या को कम करने के मद्देनजर प्रभावी उपाय करने हेतु पणधारकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। देश भर में अवसंरचना-संवर्धन को सुकर बनाने और सेवा-गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कई नीतिगत पहल की गई हैं जैसे भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर की अवसंरचना (मोबाइल टॉवरों) को विनियमित करने के लिए भारतीय तार मार्गाधिकार नियमावली, 2016 को अधिसूचित करना तथा मोबाइल उपभोक्ताओं से कॉल-ड्रॉप के संबंध में सीधे ही फीडबैक प्राप्त करने के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आई.पी.आर.एस)- 1955 सेवा को प्रारंभ करना।

(ग) ट्राई, बुनियादी (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियमों के लिए निर्धारित सेवा-गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुसार कॉल-ड्रॉप दर के अधिसूचित बेंचमार्कों के संबंध में सभी लाइसेंस प्राप्त मोबाइल नेटवर्कों के कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है। ट्राई की रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर, 2017 की समाप्त तिमाही की तुलना में मार्च, 2018 की समाप्त तिमाही में कॉल-ड्रॉप के बेंचमार्कों के अनुपाल में सुधार देखा गया है। पिछली दो तिमाहियों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

ट्राई द्वारा अधिसूचित कॉल-ड्रॉप के बंचमार्क	बेंचमार्क	गैर-अनुपालन के कुल मामले	
		दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही	मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही
कॉल-ड्रॉप दर-स्थानिक विरण उपाय:			
संबिंधत मोबाइल नेटवर्क में कम से कम 90% मोबाइल फोनों को एक तिमाही में न्यूनतम 90% दिनों के लिए <=2% कॉल-ड्रॉप दर प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए।	<=2%	42	13
कॉल-ड्रॉप दर-स्थानिक वितरण उपाय:			
नेटवर्क में कम से कम 97% मोबाइल फोनों में एक तिमाही में न्यूनतम 90% दिनों के लिए कॉल-ड्रॉप दर <=3% होनी चाहिए।	<=3%	31	12

इन बेंचमार्कों के पूरा न होने पर ट्राई द्वारा वित्तीय जुर्माना (एफ.डी.) लगाने संबंधी कार्रवाई की गई है। दिनांक 01 अक्तूबर, 2017 से ट्राई ने एक 'संशोधित वर्गीकृत वित्तीय जुर्माने (एफ.डी.) की संरचना' शुरू की है जिसमें बेंचमार्क का अनुपालन न किए जाने पर बढ़े हुए वित्तीय जुर्माने (एफ.डी.) की व्यवस्था की गई है और जिसके तहत पहली बार इसका उल्लंघन करने पर प्रति मापदंड अधिकतम पांच लाख रु. और बाद में और उल्लंघन होने पर अधिकतम दस लाख रु. तक का वित्तीय जुर्माना (एफ.डी.) लगाने की व्यवस्था की गई है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार ने कई उपाय किए हैं जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(i) वर्ष 2016 में 965 मेगाहर्ट्ज की नीलामी सहित मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना,

(ii) प्रभावी उपयोग को सुकर बनाने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पेक्ट्रम साझा करने, प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग और उदारीकरण की अनुमति प्रदान करना,

(iii) उच्च उपयोगिता दक्षता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना को साझा करने की अनुमति प्रदान करना,

(iv) मोबाइल नेटवर्कों का विस्तार करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए संबंधित सुधारों संबंधी आवधिक समीक्षा करना जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, 2015 से जून, 2018 की अवधि के दौरान 2जी/3जी/4जी सेवाओं के लिए समग्र आधार पर लगभग 7.98 लाख अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशनों को स्थापित करना,

(v) मौजूदा नटवर्कों में सुधार की समीक्षा करना - जुलाई, 2016 से मई, 2018 की अवधि के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा लगभग 8.09 लाख 2जी/3जी/ बी.टी.एस. - सैलों में भी सुधार किया गया/इष्टतम उपयोग किया गया,

(vi) बहु-साझा 'मल्टीपल-शेयरिंग' आधार पर मोबाइल टॉवरों की संस्थापना करने के लिए सरकारी संपत्ति के उपयोग को सुविधाजनक बनाना,

(vii) मई, 2017 में मोबाइल टॉवरों और इनके ई.एम.एफ. अनुपालन संबंधी सूचना साझा करने के लिए एक सार्वजनिक वेब पोर्टल 'तरंग संचार' को प्रारंभ करना,

(viii) कॉल-ड्रॉप के संबंध में मोबाइल उपभोक्ताओं से सीधे ही 'फीडबैक' प्राप्त करने के लिए 'इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आई.वी.आर.एस)- 1955 सेवा' को प्रारंभ किया गया। जून, 2018 तक आई.वी.आर.एस. के माध्यम से लगभग 1.74 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं ने अपना 'फीडबैक' दे दिया है।

(च) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की तरह 'कॉल-ड्रॉप' संबंधी समस्या मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के मोबाइल नेटवर्कों में भी उत्पन्न होती है। मार्च, 2018 की समाप्त तिमाही में ट्राई द्वारा किए गए कॉल-ड्रॉप-दर के बेंचमार्क के आकलन के अनुसार, एम.टी.एन.एल. दिल्ली और मुंबई दोनों स्थानों पर कॉल-ड्रॉप-दर के बेंचमार्कों का अनुपालन करता है।

सेवा-गुणवत्ता में आगे और सुधार करने के लिए, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. अपने मोबाइल नेटवर्कों का संवर्धन करते आ रहे हैं और इन्होंने संबंधित क्षेत्रों में उपचारात्मक उपाय/इष्टतम कार्रवाई भी की है। जहां एम.टी.एन.एल. ने सितंबर, 2017 से जून 2018 की अवधि के दौरान और 606 बी.टी.एस. शामिल किए हैं वहीं बी.एस.एन.एल. ने इसी अवधि में और 6859 बी.टी.एस. शामिल किए हैं। इसके अतिरिक्त, एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. ने इस अंतराल के दौरान क्रमशः लगभग 650 एवं 14,100 बी.टी.एस.-सेलों में संशोधन/सुधार किया है।

समझौता रद्द करना

2334. **श्री संतोष कुमार** :
प्रो. के.वी. थॉमस :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस के साथ एस-400 समझौता को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मॉडल एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच कोई समझौता हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास इस समझौते के नवीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) सरकार ने रूस के साथ एस-400 का सौदा रद्द नहीं किया है।

(ग) और (घ) मॉडल एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा कोई अनुबंध नहीं है।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और सुधार मिशन

2335. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय सहित न्यायिक अदालतों में करोड़ों लंबित मामलों को व्यवस्थित करने एवं उनके शीघ्र निपटान के लिए एक राष्ट्रीय न्याय परिदान

और विधिक सुधार मिशन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा रिपोर्ट सौंपने की क्या अवधि तय की गई है; और

(ग) उक्त मिशन द्वारा कवर किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (ग) अगस्त, 2011 में न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, तंत्र में देरी और बकाया मामलों को कम करने तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और निष्पादन मानकों तथा क्षमता को तय करके, दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी।

मिशन ने न्यायिक प्रशासन में बकाया तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण भी है, अधीनस्थ न्यायापालिका की क्षमता में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के तेजी से निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुन: प्रबंधन और मानव संसाधन विकास पर बल देना अंतर्वलित है। राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और रणनीतियों तथा कार्य योजना और उसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए, अनेक क्षेत्रों से सदस्यों के साथ विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मिशन के लिए कार्य योजना 5 रणनीतिक पहलों के अधीन विरचित की गई जो समय-समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् द्वारा पुनर्विलोकित किए जाते हैं। सलाहकार परिषद् की अब तक दस बैठकें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय मिशन के अधीन क्रियाकलाप निरंतर चलने वाले हैं और राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद् को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों की सफ़ाई एवं रखरखाव

2336. श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बड़े दावे करने एवं किराया में वृद्धि करने के बावजूद रेल डिब्बों में सफाई एवं रखरखाव व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलडिब्बों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सफाई एवं रखरखाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी नहीं। सवारी डिब्बों के समुचित रख-रखाव और उनमें साफ-सफाई बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। बहरहाल, कभी-कभी कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और इन शिकायतों को दूर करने के लिए रेलों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ग) भारतीय रेलवे द्वारा सवारीडिब्बों की साफ-सफाई और रख-रखाव में सुधार लाने के संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) दोनों छोरों पर यंत्रीकृत सफाई सहित गाड़ी के सवारीडिब्बों की सफाई।

(ii) गाड़ियों के चालन के दौरान सवारीडिब्बों के शौचालयों, दरवाज़ों, गलियारों और यात्री कंपार्टमेंटों की सफाई के लिए राजधानी, शताब्दी और लंबी दूरी की अन्य महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 1000 जोड़ी से अधिक गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओ.बी.एच.एस.) मुहैया कराई गई है।

(iii) 'क्लीन माई कोच' योजना में, ओ.बी.एच.एस. सेवा वाली गाड़ियों के सवारी डिब्बे की किसी भी प्रकार की सफाई संबंधी आवश्यकता के लिए, यात्री एक विनिर्दिष्ट मोबाइल नम्बर पर मोबाइल के माध्यम से संदेश (एस.एम.एस.) भेज सकता है। विकल्प के तौर पर, यात्री अनुरोध दर्ज कराने के लिए एंड्रायड ऐप अथवा वैबपेज का उपयोग कर सकते हैं।

(iv) 'क्लीन माई कोच' योजना को 'क्लीन मित्र' सुविधा से अपग्रेड किया जा रहा है जो सफाई, कीटाणुशोधन, लिनेन, गाड़ी प्रकाश व्यवस्था, वातानुकूलन और सवारी डिब्बों में पानी की व्यवस्था जैसी यात्रियों की सवारीडिब्बा संबंधी आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस है। लगभग 900 जोड़ी गाड़ियों में 'क्लीन मित्र' सुविधा शुरू की गई है।

(v) निर्धारित स्टेशन पर गाड़ियों के मार्गवर्ती ठहराव के दौरान शौचालयों की सफाई सहित चिह्नित की गई गाड़ियों की सीमित यांत्रिक साफ-सफाई करने के लिए क्लीन ट्रेन स्टेशन (सी.टी.एस.) योजना को भी निर्धारित किया गया है।

(vi) सभी यात्री सवारी डिब्बों का कोचिंग डिपुओं और कारखानों

में निर्धारित अनुरक्षण कार्यक्रम के दौरान मानदंडों के अनुसार नियमित अनुरक्षण और रख-रखाव किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अच्छी हालत में रहें। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सवारी डिब्बों में संरक्षा और बिजली के सामान/कलपुर्जों सहित सभी सुविधा संबंधी फिटिंग्स अच्छी हालत में हों।

(vii) दोनों छोर के स्टेशनों और मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर सभी सवारीडिब्बों में पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

(viii) वातानुकूलित सवारी डिब्बों के अतिरिक्त गाड़ियों के स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों में कूड़ेदान का प्रावधान भी किया जा रहा है।

(ix) यात्रा अनुभवों में सुधार के लिए मॉडल रेक गाड़ियां चलाना (जैसे महामना एक्सप्रेस), निर्धारति राजधानी/शताबदी गाड़ियों का स्वर्ण स्तर में अपग्रेडेशन, हमसफर, तेजस, अंत्योदय गाड़ियां चलाना आदि जैसे कुछ विशेष उपाय भी किए गए हैं।

(x) इस समय, 210 महत्वपूर्ण गाड़ियों के साफ-सफाई का मूल्यांकन करने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

[अनुवाद]

असैनिक जनसंख्या की समस्याएं

2337. **श्री वीरेन्द्र कश्यप** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छावनी परिषद में रह रही असैनिक आबादी के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छावनी परिषद के प्रतिनिधियों को नगर निगमों के स्थानीय प्रतिनिधियों के बराबर शक्ति प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या छावनी परिषद परिवार रजिस्टर तैयार नहीं करती है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ छावनी क्षेत्र में रह रहे लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पाता है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) छावनी अधिनियम, 2006 में छावनी क्षेत्रों में शासन संबंधी प्रशासनात्मक, विकासात्मक और विनियामक पहलुओं का समाधान करने हेतु रूपरेखा का प्रावधान है। विगत में विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं और छावनी क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने हेतु कवायद जारी है।

(ग) छावनी बोर्डों के जन प्रतिनिधियों की शक्तियां और कर्तव्य सांविधिक रूप से छावनी अधिनियम, 2006 में विहित हैं। छावनी बोर्ड के चयनित सदस्यों की शक्तियां बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कल्याणकारी योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, परिवार नियोजना कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना का कार्यन्वयन छावनियों में किया जा रहा है। उन छावनियों, जहां ये योजनाएं चलाई गई हैं, में छावनी बोर्ड लाभार्थी रजिस्टरों का रख-रखाव कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में विकास परियोजना

2338. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु :**
श्री एम. मुरली मोहन :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश राज्य में कुड्डापह जिले में एक इस्पात संयंत्र, एक नया पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम में रेलवे जोन, विजाग-चेन्नई औद्योगिकि गलियारा इत्यादि की स्थापना के संबंध में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन नहीं करने के संबंध में किसी मामले पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक क्या प्रगति हुई है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (ग) नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची XIII में उल्लिखित मुद्दों का उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन का मामला भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया है जिनमें आंध्रप्रदेश राज्य के कडप्पा ज़िले में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना, एक नए पत्तन न्यास, वाइजैग में एक रेलवे ज़ोन, वाइज़ैग-चेन्नै औद्योगिक गलियारा आदि शामिल हैं।

उक्त परियोजनाओं के संबंध में संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, नामतः इस्पात मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा यथोपलब्ध कराई गई अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा परियोजनाओं की यथोपलब्ध कराई गई स्थिति

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	संबंधित मंत्रालय का नाम	परियोजना की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4
1.	कडप्पा ज़िले में इस्पात संयंत्र	इस्पात मंत्रालय	सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का मामला फिलहाल डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 000132/2018-पोंगुलेटी सुधार रेड्डी कनाम भारत संघ तथा अन्य के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायाल में न्यायाधीन है।
2.	एक नया पत्तन न्यास	पोत परिवहन मंत्रालय	नीति आयोग ने डुग्गीराजूपत्तनम में नए महापत्तन के विकास के मामले की पोत परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आंध्रप्रदेश सरकार से परामर्श कर पड़ताल की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कृष्णापत्तनम, एन्नूर और चेन्नै स्थित निकटवर्ती पत्तनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण यह परियोजना अर्थक्षम नहीं होगी क्योंकि ये प्रस्तावित पत्तन से क्रमश: 40,80 और 80 किलोमीटर ही दूर हैं। पोत परिवहन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह महापत्तन के विकास के लिए किसी अन्य स्थान का विकल्प देने की नीति आयोग की सिफारिश के संबंध में अपनी टिप्पणियां और सुझाव दे। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच, पोत परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति से परामर्श किया है ताकि आगे की कार्रवाई के संबंध में सिफारिश की जा सके।
3.	वाइज़ैग में रेलवे ज़ोन	रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड	रेल मंत्रालय से कहा गया था कि वह उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में एक नए रेलवे ज़ोन की स्थापना की व्यवहार्यता की पड़ताल करे। अन्य के साथ-साथ एक नए रेलवे ज़ोन की स्थापना की व्यवहार्यता की पड़ताल के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति से कहा गया था कि वह कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले संसद सदस्यों, राज्य सरकारों आदि सहित विभिन्न हितार्थियों से परामर्श करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस कार्य से जुडी जटिलताओं को देखते हुए रेल मंत्रालय में इस मामले की पुन: विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

1	2	3	4
4.	वाइज़ैग-चेन्नै औद्योगिक गलियारा	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग	एशियाई विकास बैंक की टीम द्वारा तैयार की गई अवधारणात्मक विकास योजना के आधार पर विशाखापत्तनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारे में विकास के लिए चिह्नित चार नोडों, नामतः (i) विशाखापत्तनम, (ii) काकीनाड़ा, (iii) कनकीपाडू-गन्नावरम, और (iv) येरपेडू-श्रीकलाहस्ती को चिह्नित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार की सिफारिश पर प्राथमिकता वाले दो नोडों (i) विशाखापत्तनम, और (ii) येरपेडू-श्रीकलाहस्ती के लिए मास्टर योजना तैयार करने का काम चल रहा है।

समयोपरि भत्ता को बंद करना

2339. **श्री पी. नागराजन :**
श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रचालन कर्मचारियों एवं औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ता (ओ.टी.ए.) को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ओ.टी.ए. प्रदान करने की प्रक्रिया को बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रचालन कर्मचारियों के लिए ओ.टी.ए. की दर को पुनः संशोधित करने का भी निर्णय लिया है तथा क्या तब तक कर्मचारियों को 1991 में जारी आदेश के अनुसार तय राशि मिलती रहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) जी हां, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में तथा पिछले वर्षों में वेतन में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार ने प्रचालन स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों, जो सांविधिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, से इतर अन्य श्रेणियों के लिए समयोपरि भत्ते (ओ.टी.ए.) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अधिदेशित किया गया है कि दिनांक 19.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक के रूप में प्रति संलग्न) में दी गई सामान्य परिभाषा के अनुसार 'प्रचालन स्टाफ' की सूची तैयार करें। समयोपरि भत्ते (ओ.टी.ए.) की दरों में संशोधन नहीं किया गया है तथा समयोपरि भत्ते का भुगतान बायोमैट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ दिया गया है।

विवरण

सं. क-27016/03/2017-स्था. (भत्ता)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस
नई दिल्ली- 110067
दिनांक : जून, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : समयोपरि भत्ते पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आई.सी. के अनुसार समयोपरि भत्ते पर सरकार का निम्नलिखित निर्णय है :-

"मंत्रालय/विभाग 'प्रचालन स्टाफ' की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करेंगे। समयोपरि भत्ते की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं"

2. इसके अतिरिक्त व्यय विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले वर्षों में वेतन में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के

प्रचालन स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों, जो सांविधिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, से इतर अन्य श्रेणियों के समयोपरि भत्ते को समाप्त करने की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए।

3. तद्नुसार, समयोपरि भत्ते के संबंध में सरकार के उपरोक्त निर्णय को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। प्रचालन स्टाफ को परिभाषित करने की परिभाषा निम्नलिखित होगी।

"केन्द्र सरकार के सभी गैर लिपिकीय अराजपत्रित सेवक जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल यंत्र के प्रचालन सहित कार्यालय के निर्बाध प्रचालन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं"

4. मंत्रालयों/विभागों का संबंधित प्रशासन विंग किसी स्टाफ की श्रेणी विशेष को प्रचालन स्टाफ की सूची में शामिल करने के लिए उपरोक्त प्राचलों के आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा.) एवं वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से पूर्णत: औचित्य सहित प्रचालन स्टाफ की एक सूची तैयार करेगा।

5. समयोपरि भत्ता, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बायोमैट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाएगा।

(क) समयोपरि भत्ते का भुगतान उसी स्थिति में किया जाएगा जब वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को तात्कालिक प्रकृति के कार्य को निपटाने के लिए कार्यालय में रुकने के लिए लिखित रूप में निदेश दिया हो।

(ख) समयोपरि भत्ते की गणना बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी।

(ग) स्टाफ कार चालकों के लिए समयोपरि भत्ता बायोमैट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर नियत पार्किंग स्थल कार्यालय भवन में ही आबंटित किया जाता है। तथापि ऐसे मामलों में जहां पार्किंग स्थल कार्यालय से दूर उपलब्ध करवाया गया हो तो स्टाफ कार चालक कार्यालय छोड़ते समय अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा/करेगी और अधिकारी को छोड़ने और पार्किंग स्थल पहुंचने के समय सहित कार्यालय छोड़ने के बाद दूरी के लिए आधिक से अधिक 2 घंटे की छूट दी जाएगी। वैसे मामलों में संबंधित अधिकारी द्वारा भलीभांति सत्यापित किए गए लॉग बुकों से गणना की जा सकती है।

(घ) फील्ड कार्मिकों के समयोपरि भत्ते की गणना बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे कार्मिकों को फील्ड कार्य के लिए सरकारी परिवहन की सुविधा दी जाती है। ऐसे अधिकारियों से फील्ड में जाने से पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों में जहां पदाधिकारियों से निवास स्थान से ही फील्ड कार्य के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है उन्हें परिवहन भत्ते के एवज में घर से ही सरकारी परिवहन की सुविधा दी जा सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भलीभांति सत्यापित किए जाने पर उस वाहन की लॉग बुक के आधार पर समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है।"

6. चूंकि, सरकार ने समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए कार्यालय स्टाफ, स्टाफ कार चालक, प्रचालन स्टाफ के लिए इस विभाग के दिनांक 19 मार्च, 1991 के कार्यालय ज्ञापन की निर्धारित दरें, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, जारी रहेंगी।

7. इस कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण की सीमा को छोड़कर सभी मौजूदा अनुदेश लागू रहेंगे।

8. उपरोक्त अनुदेश 01 जुलाई, 20017 से लागू होंगे।

9. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

(प्रमोद कुमार जायसवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. एन.आई.सी. इस कार्यालय ज्ञापन को डी.ओ.पी.टी. की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

यू.आई.डी.ए.आई. के लिए नामांकन एजेंसी

2340. **श्री रवीन्द्र कुमार जेना** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधार नम्बर जारी करने के लिए यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा सूचना एकत्र करने हेतु नियुक्त की गई नामांकन एजेंसियों/ रजिस्ट्रार की संख्या क्या है;

(ख) उन रजिस्ट्रार/नामांकन अधिकारियों की सूची क्या है जिनकी सेवाए यू.आई.डी.ए.आई. ने सितम्बर, 2010 से निलंबित कर दी है या समाप्त कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा इनकी सेवाएं समाप्त/

निलंबन के कारण बताए गए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तिथि तक, नामांकन एजेंसियों/रजिस्ट्रार के विरुद्ध यू.आई.डी.ए.आई. को प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इस प्रकार की सूची को नहीं रख पाने के क्या कारण हैं?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम 2016 के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार 212 पंजीयक नियुक्त किए हैं। पंजीयकों ने आधार नामांकन/अद्यतनीकरण सेवाओं के संचालन के लिए 667 नामांकन एजेंसियां लगाई हैं।

(ख) और (ग) ऐसे पंजीयकों/नामांकन एजेंसियों, जिनकी सेवाएं निलंबित/समाप्त की गयी हैं, की सूची संलग्न विवरण में दी गयी हैं। नामांकन संबंधी कार्यों को बंद किए जाने/समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को आगे न बढ़ाने/पैनल का आगे विस्तार न किए जाने कि लिए उत्तरदायी कारणों में यू.आई.डी.ए.आई. की प्रक्रियाओं का उल्लंघन/सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन न करना/ आधार अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए विनियमों का अनुपालन न करना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) विनियम 2016 के विनियम 32 के प्रावधानों के अनुसार यू.आई.डी.ए.आई. ने शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क केन्द्र स्थापित किए हैं, नागरिक जिनका अभिगम टोल फ्री नम्बरों और ई-मेल के जरिए कर सकते हैं। आधार तैयार होने की स्थिति, नामांकन, अद्यतनीकरण आदि से जुड़े मुद्दों पर प्रतिदिन औसतन 2 लाख से अधिक कॉल और ई-मेल प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकांश का समाधान कॉल पर ही तुरंत कर दिया जाता है। शेष बची शिकायतों का समाधान मौजूदा व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। पंजीयकों और नामांकन एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर काफी अधिक सूचना प्राप्त करनी होती हैं।

विवरण

ऐसे पंजीयकों/नामांकन एजेंसियों, जिनकी सेवाएं निलंबित/समाप्त की गई हैं, की सूची

क्र.सं.	रजिस्ट्रार का नाम
1.	सी.एस.सी. ई-गवर्नेस
2.	नेशनल को-ऑपरेटिव उपभोक्ता फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.)

क्र.सं.	नामांकन एजेंसी का नाम
1.	मैसर्स मद्रास सिक्योरिटी प्रिंटर
2.	मैसर्स 4-जी आइडेंटिटी सेल्यूशन्स
3.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई.एल. एंड एफ.एस.)
4.	मैसर्स ई-सेंटिक सोल्यूशन्स
5.	मैसर्स मल्टीवेब इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
6.	मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
7.	मैसर्स कृष्णोरम शिक्षा एवं जन कल्याण समिति
8.	मैसर्स अमर कन्सट्रक्शन्स
9.	मैसर्स वेदवाग सिस्टम लिमिटेड
10.	मैसर्स कैलेंस सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड
11.	मैसर्स कॉनटस इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
12.	मैसर्स प्रकाश कम्प्यूटर सर्विसेज
13.	मैसर्स श्रीराम राजा सरकार लोक कल्याण न्यास
14.	मैसर्स स्नैप्सेस सोल्यूशंस
15.	मैसर्स एसटेक्स टेलिकॉम प्रा. लिमिटेड

विदेशों के सहयोग से परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना

2341. **श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कुछ देशों के साथ परामर्श कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) दशक के दौरान देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य तय किए हैं; और

(घ) क्या एन.पी.सी.आई.एल. देश में और रिएक्टरों के विनिर्माण के लिए ओ.एन.जी.सी. के साथ कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में, महाराष्ट्र में जैतापुर स्थल पर फ्रांस के सहयोग से तथा आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा स्थल पर यू.एस.ए. के सहयोग से बड़े आकार के साधारण जल रिएक्टरों (एल.डब्लू.आर.) की स्थापना करने के संबंध में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए चर्चा प्रगति पर हैं।

(ग) नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लक्ष्य, परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के साथ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के वार्षिक समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में, वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं। चालू वर्ष 2018-19 के लिए उत्पादन लक्ष्य (बहुत अच्छा) 38447 मिलियन यूनिट है।

(घ) नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की स्थापना करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना तलाश की जा रही है। हालांकि, अभी यह आरंभिक चरण में है।

चिकित्सा सुविधाएं

2342. श्री राघव लखनपाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के मद्देनजर उत्तर-पूर्व राज्यों में सिविल और सैन्य चिकित्सा अधिकारियों के बीच कोई सहयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सहयोग रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है या क्षेत्रों में तैनात कमांडरों पर छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या उक्त सहयोग में सिविल तथा सैन्य लाभार्थियों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा सहयोग, राज्यों/असम राइफल्स और सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के बीच पारस्परिकता शीर्षक के तहत सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के विनियमों (आर.एम.एस.ए.एफ.) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) लाभार्थियों से संबंधित आंकड़ों का संकलन संबंधित स्थापना मुख्यालयों और स्वास्थ्य देखरेख सोपानकों द्वारा किया जाता है। इन लाभार्थियों में सेवारत कार्मिक और उनके परिवार, पूर्व सेनानी और उनके परिवार तथा असैनिक पदाधिकारी शामिल हैं।

रेलगाड़ियों में अपराध

2343. श्री मनोहर उटवाल :
श्री सी. महेंद्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में चोरी, डकैती, जेबतराशी और अन्य आपराधिक कार्यकलापों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार के संज्ञान में आई ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है और ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त अपराधों हेतु पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) रेलों पर पुलिस की व्यवस्था करना राज्य सरकार का विषय है और इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ी में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) जिला पुलिस के माध्यम से करती हैं। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.), यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है। रेलवे में चोरी, लूटपाट, डकैती, जहरखुरानी आदि सहित भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के मामले संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी जांच की जाती है। रेलवे भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अपराधों का कोई डाटा नहीं रखती है। रेलों पर अपराध की स्थिति के बारे जब भी कोई सूचना मांगी जाती है तो संबंधित राज्य की जी.आर.पी. से सूचना मुहैया कराने का अनुरोध किया जाता है। राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशनों द्वारा उपलबध कराए गए डाटा के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान लम्बी दूरी की गाड़ियों में रेल यात्रियों के सामानों की चोरी (चोरी में जेब काटने के मामले शामिल है) के मामले को छोड़कर अन्य अपराधों जैसे डकैती लूटपाट और जहरखुरानी के मामलों में कमी हुई है। राजकीय रेल पुलिस-स्टेशनों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर, भारतीय रेलों पर वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 (जून तक) के दौरान, चलती गाड़ियों में घटित चोरी, लूटपाट, डकैती, जहरखुरानी के मामले और इन अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	चलती गाड़ियों में दर्ज किए गए अपराधों की संख्या				हिरासत में लिए गए व्यक्ति
	यात्रियों के सामान की चोरी (जेब तराशी के मामलों सहित)	लूट-पाट	डकैती	जहरखुरानी	
2015	12592	44	511	284	3151
2016	14619	35	406	218	3331
2017	18936	26	389	155	3898
2018 (जून तक)	9222	11	148	89	1378

रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेवले द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रति दिन 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन 2500 गाड़ियों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा निश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 436 स्टेशनों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

3. 202 रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविज़न कैमरा नेटवर्क और एक्सेस कंट्रोल के जरिए भेद्य स्टेशनों पर निगरानी के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्वीकृत की गई है।

4. गाड़ियों में किसी भी अपराध की रिपोर्टिंग सहित यात्रियों को चौबीस घंटे सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलों पर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा कंट्रोल रूम के जरिए अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर '182' कार्य पर रहा है।

5. चोरी, झपटमारी, जहर-खुरानी आदि के विरुद्ध सावधनियां बरतने हेतु यात्रियों को गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में पैम्फलेट बांटकर, स्टिकर चिपकाकर, लाउड स्पीकरों और जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए जागरूक किया जाता है।

6. यात्रियों की सुरक्षा संवर्धन करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए महिला यात्रियों सहित यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।

7. गाड़ियों और रेल परिसरों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं।

8. महानगरों में चलने वाली सभी महिला स्पेशल गाड़ियों का महिला आर.पी.एफ. कांस्टेबलों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अन्य गाड़ियों में, जहां मार्गरक्षण मुहैया कराए जाते हैं, वहां गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को मार्गवर्ती और हाल्ट स्टेशनों पर महिला सवारी डिब्बों पर अतिरिक्त सतर्कता रखने के लिए ब्रीफ किया गया है।

9. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल परिसर और चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर राज्य पुलिस/राजकीय रेल पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

लचीली किराया प्रणाली

2344. **डॉ. किरिट पी. सोलंकी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी, दूरंतो और शताब्दी गाड़ियों के लिए 'सर्ज प्राइसिंग सिस्टम' शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस लचीली किराया प्रणाली के पीछे क्या औचित्य है और क्या यह नई किराया संरचना को सभी सवारी डिब्बों पर लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बढ़े हुए किरायों की गणना के लिए क्या तरीका अपनाया गया है और क्या किरायों में बढ़ोतरी हेतु कोई उच्चतम सीमा मौजूद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव से यात्रियों का झुकाव रेल से हवाई यात्रा की ओर होगा और क्या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को कोई रियायतें प्रदान की जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा करने के पीछे क्या कारण हैं और उपर्युक्त श्रेणी के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन मोहेन) : (क) से (ग) सर्ज प्राइसिंग के नाम से भारतीय रेल में कोई प्राइसिंग प्रणाली शुरू नहीं की गई है। बहरहाल, 09.09.2016 से राजधानी, शताब्दी और दूरंतो रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी फेयर प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक 10% बर्थों की बिक्री के साथ किराए में 10% की वृद्धि होती है बशर्ते सेकंड ए.सी. स्लीपर, सेकेंड सिटिंग (आरक्षित), ए.सी. चेअर कार श्रेणियों में अधिकतम निर्धारित सीमा 1.5 गुना और थर्ड ए.सी. श्रेणी में 1.4 गुना हो। प्रथम श्रेणी ए.सी. और एक्जीक्यूटिव क्लास के किरायों के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारतीय रेल पर रेलगाड़ियों को संचालित करने के लिए परिचालन लागत वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। इसलिए, यात्री कारोबार में आवर्ती नुकसान को कम करने के लिए, राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी प्रीमियम गाड़ियों में फ्लेक्सी फेयर योजना शुरू की गई है, जो सीमित ठहरावों, समयपालन, बेहतर संरक्षा सुविधाओं, साफ-सफाई, बेहतर भोजन गुणवत्ता आदि से संबंधित बेहतर सुविधाएं प्रदान करती हैं।

(घ) और (ङ) रेलवे और एयरलाइंस परिवहन प्रणाली के दो अलग-अलग माध्यम हैं। यह यात्रियों की पसंद है कि वे यात्रा के लिए रेलवे अथवा एयरलाइंस को चुनें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते किरायों पर अधिकांश राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों के मार्गों पर सामान्य किराया संरचना पर वैकल्पिक रेल सेवाएं भारीतय रेल में पहले ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा, नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों की चार श्रेणियों आदि, को दी जाने वाली रियायतें राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों में भी अनुमेय हैं। इसके अलावा, सस्ती किराया संरचना वाली मेल/एक्सप्रेस सेवाओं के किरायों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की चार श्रेणियों सहित यात्रियों की 50 से अधिक श्रेणियों के लिए यह रियायत अनुमेय है।

[हिन्दी]

सुदूर गांवों में इंटरनेट कवरेज और गति

2345. श्री राम टहल चौधरी :
श्री निशिकान्त दुबे :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री विजय कुमार हांसदाक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और जिला-वार संथाल परगना, झारखण्ड सहित इंटरनेट संपर्क रहित गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या झारखण्ड सहित देश के सुदूर गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या-क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गांवों में उपलब्ध इंटरनेट/ब्रॉडबैण्ड गति काफी धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इसके परिणाम क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ङ) वायरलाइन तथा वायरलेस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस प्रौद्योकियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 2जी, 3जी, और 4जी प्रौद्योगिकी शामिल हैं। 2जी मोबाइल नेटवर्क देश की 97% आबादी को कवर करता है जबकि 3जी तथा 4जी मोबाइल नेटवर्क देश की कम से कम 88% आबादी को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल टेलीफोन सेवा से कवर किए गए आबादी वाले गांवों की कुल संख्या तथा कवर न किए गए गांवों की संख्या की राज्य-वार सूची उपलब्ध है और यह विवरण के रूप में संलग्न है। झारखण्ड में मोबाइल सेवा से कवर न किए गए आबादी वाले गांवों की कुल संख्या 1222 हैं जिनमें संथाल परगना के 284 गांव शामिल हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जनवरी-मार्च, 2018 की अवधि के लिए "भरतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक" विषय पर दिनांक 27 जून, 2018 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 145.82 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन थे। इनमें से, 106.52 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 39.30 मिलियन नैरो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हैं।

इंटरनेट की गति तैनात की गई प्रौद्योगिकी, नेटवर्क कवरेज,

इंटरनेट को एक्सेस करने वाले समकालिक उपभोक्ताओं की संख्या, एक्सेस की जाने वाली वेबसाईट को मिलने वाली कनेक्टिविटी आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करती है। मोबाइल इंटरनेट की गति और आगे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) से दूरी, बी.टी.एस. द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समकालिक उपभोक्ताओं की संख्या, बी.टी.एस. द्वारा हैंडल किए जाने वाले ट्रैफिक आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की परवाह किए बिना मोबाइल उपभोक्ता विभिन्न स्थानों तथा उपयोग समय पर विभिन्न इंटरनेट गति का अनुभव करता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में अभिगम सेवा के लिए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अक्तूबर, 2016 में की गई नीलामी के माध्यम से 965 मेगाइट्र्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके अपने नेटवर्क को निरंतर रॉल-आउट कर रहे हैं जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, देश में 3जी तथा 4जी सेवाओं का प्रसार हो रहा है।

कवर न किए गए क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज प्रदान करने के लिए सम्बंधित कार्य सौंपे जाने के पश्चात 12 माह के भीतर उक्त कार्य को पूरा करने के लक्ष्य सहित निम्नलिखत स्कीमों को भी अनुमोदित कियाय गया है:-

- मेघालय - 2173 स्थल
- अंडमान और निकोगबार द्वीप समूह - 214 स्थल
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, चरण-II - 4072 स्थल

भारतनेट का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना के भाग के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई अथवा किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच अभिगम बिन्दु (तीन ए.पी. सरकारी संस्थाओं और दो ए.पी. सार्वजनिक के लिए) उपलब्ध कराए जाने हैं।

इसके अलावा, देश में वाई-फाई हॉटस्पॉटों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से वित्तपोषित निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

- बी.एस.एन.एल. अपने 25,000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।
- सी.एस.सी.-एस.पी.वी. अपनी 5000 ग्रामी पंचायतों में वाई-फाई चौपालें संस्थापित कर रहा है।
- रेलटेल 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।
- बी.एस.एन.एल. 200 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।

विवरण

दिनांक 27 जुलाई, 2018 की स्थिति के अनुसार मोबाइल सेवा रहित गांवों की सूची (वर्ष 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित):

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सख्या	मोबाइल सेवा रहित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	396	165
2.	आंध्र प्रदेश	16158	2745
3.	अरुणाचल प्रदेश	5258	2215
4.	असम	25372	915
5.	बिहार	39073	263
6.	चण्डीगढ़	5	0

1	2	3	4
7.	छत्तीसगढ़	19567	3563
8.	दादरा और नगर हवेली	65	0
9.	दमन और दीव	19	0
10.	दिल्ली	103	0
11.	गोवा	320	47
12.	गुजरात	17843	1262
13.	हरियाणा	6642	8
14.	हिमाचल प्रदेश	17882	211
15.	जम्मू और कश्मीर	6337	328
16.	झारखण्ड	29492	1222
17.	कर्नाटक	27397	869
18.	केरल	1017	0
19.	लक्षद्वीप	6	1
20.	मध्य प्रदेश	51929	5558
21.	महाराष्ट्र	40959	6117
22.	मणिपुर	2515	877
23.	मेघालय	6459	2691
24.	मिजोरम	704	314
25.	नागालैण्ड	1400	328
26.	ओडिशा	47677	9940
27.	पंजाब	12168	4
28.	पुदुचेरी	90	0
29.	राजस्थान	43264	1402
30.	सिक्किम	425	13
31.	तमिलनाडु	15049	83
32.	तेलंगाना	10128	647
33.	त्रिपुरा	863	16
34.	उत्तराखण्ड	15745	552
35.	उत्तर प्रदेश	97813	295
36.	पश्चिम बंगाल	27478	437
	कुल	5,97,618	43,088

[अनुवाद]

डी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

2346. **श्रीमती मीनाक्षी लेखी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा खरीद परिषद द्वारा स्वीकृत रक्षा प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितने सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) 01 अप्रैल, 2014 से अब तक की अवधि के दौरान, रक्षा अर्जन परिषद (डी.ए.सी.) द्वारा 4,47,025.381 करोड़ रुपए मूल्य के 128 आवश्यकता हेतु स्वीकृतियों (ए.ओ.एन.) की अनुमति प्रदान की गई है।

01 अप्रैल, 2014 से अब तक रक्षा अर्जन परिषद द्वारा सेना के लिए कुल 1,33,3914.171 करोड़ रुपए के मूल्य के 54 आवश्यकता हेतु स्वीकृतियों की अनुमति प्रदान की गई है।

संसद सदस्यों हेतु कार्यालय स्थल

2347. **डॉ. ए. सम्पत** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एम.पी.लैडस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु संसद सदस्यों को इनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यालय स्थल की स्थापना का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.लैड्स) के अंतर्गत माननीय सांसद अपने नोडल जिले में एक एम.पी.लैड्स सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए पात्र हैं, जिसके लिए जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा डी.आर.डी.ए. या सी.डी.ओ. कार्यालय/सी.ई.ओ., जिला पंचायत कार्यालय के परिसरों में स्थान/कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

माननीय सांसद सुविधा केंद्र की स्थापना संबंधी अपने प्रस्ताव सीधे अपने संबंधित नोडल जिला प्राधिकारियों को भेज सकते हैं। नोडल जिलों में खोले गए सुविधा केन्द्रों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव केंद्रीय रूप से मंत्रालय के स्तर पर नहीं किया जाता है।

रेलगाड़ियों में चढ़ते/उतरते समय दुर्घनाएं

2348. **श्री वी. एलुमलाई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी में चढ़ते/उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त या मृत हुए लोग रेलवे से क्षतिपूर्ति के लिए अधिकृत होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे, रेल में चढ़ते और उतरते समय ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विशेष ध्यान रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी हां। रेलगाड़ी में चढ़ने या उतरने के दौरान मृत्यु अथवा चोट लगने के मामले रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) और इनके लिए मुआवजा धारा 124ए के तहत आता है। इस प्रकार के मुआवजे की ग्राह्यता के संबंध में पीड़ित व्यक्ति/पीड़ित व्यक्ति के आश्रित के द्वारा दायर किए गए दावे के आधार पर रेलवे दावा अधिकरण (आर.सी.टी.) द्वारा निर्णय लिया जाता है। रेलवे प्रशासन, पीड़ित व्यक्ति/पीड़ित के आश्रित को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तभी दायी होता है, जब माननीय आर.सी.टी. द्वारा पीड़ित व्यक्ति/पीड़ित के आश्रित के पक्ष में निर्णय किया जाता है और रेलवे द्वारा उस निर्णय को लागू करने का निश्चय किया जाता है।

रेल दुर्घटना एवं अप्रिय घटनाएं (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 2016 में मुआवजे की राशि, मृत्यु होने पर 08 लाख रुपए और चोट लगने पर चोट की गंभीरता के आधार पर 64,000/- से 08 लाख रुपए निर्दिष्ट है।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु होने/चोट लगने की घटनाओं में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) रेलवे स्टेशनों पर यात्री संबोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को चलती गाड़ी में न चढ़ने अथवा न उतरने के लिए अनुरोध करते हुए नियमित घोषणाएं की जाती हैं।

(ii) रेलवे द्वारा चलती गाड़ी में चढ़ने/उतरने तथा पायदान पर/छत के ऊपर यात्रा करने आदि के खतरों के संबंध में यात्रियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

(iii) पायदानों और गाड़ियों की छत पर यात्रा करने, चलती गाड़ी में चढ़ने/उतरने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं तथा पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

(iv) रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में मुंबई उपनगरीय खंड पर यात्री प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई 760-840 मि.मी. से बढ़ाकर 840-920 मि.मी. करने का निश्चय किया गया। तदनुसार, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाई गई है। सवारी डिब्बों और प्लेटफॉर्मों के बीच वर्टीकल गैप को कम करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मध्य रेलवे पर 83 प्लेटफॉर्म तथा पश्चिम रेलवे पर 168 प्लेटफॉर्मों (चर्चगेट-विरार खंड पर 145 प्लेटफॉर्म और विरार-दहानु रोड खंड पर 23 प्लेटफॉर्म) की पहचान की गई है। सियोन, माटुंगा और माहिम रेलवे स्टेशनों के 4 प्लेटफॉर्मों, जहां पांचवीं और छठी लाइन के निर्माण कार्य की परियोजना के संबंध में प्लेटफॉर्मों को उखाड़े जाने की योजना के कारण इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई जानी है, के अतिरिक्त सभी प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है।

डाकखानों में बालिकाओं के बचत खाते

2349. श्री सिराजुद्दीन अजमल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत डाकखानों में खोले गए बालिकाओं के बचत खातों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा देशभर में ऐसे खाते खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डाकघरों द्वारा कोई खाते नहीं खोले जाते।

तथापि, डाकघरों द्वारा "सुकन्या समृद्धि खाते" खोले जाते हैं। ऐसे खाते बालिकाओं के कल्याण और बेहतरी के लिए हैं। वर्ष 2017-18 में डाकघरों द्वारा कुल 1694674 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए थे। चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) में 30 जून, 2018 तक कुल 334064 सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। पिछले वर्ष (2017-18) और इस वर्ष (2018-19, 30.06.2018 तक) खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों का सर्कल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सामान्यत: निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

(i) हैंडआउट्स के वितरण और बैनरों के प्रदर्शन के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार।

(ii) विद्यालयों/शैक्षणिक संसथानों में दौरों के माध्यम से प्रचार।

(iii) नवजात बालिकाओं के माता-पिता को योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम में कैंप आयोजित करना।

(iv) इस तथ्य का प्रचार करना कि इस योजना को आयकर के तहत तिगुनी ई-छूट प्राप्त है-

(क) निवेश/जमा के समय धारा 80 सी के तहत छूट।

(ख) वार्षिक आधार पर प्राप्त ब्याज पर छूट, और

(ग) खाता बंद करने के समय परिपक्वता राशि पर छूट।

(v) पहले, सुकन्या समृद्धि खाता प्रारंभ में 1000/- रुपए की राशि जमा कराकर खोला जा सकता था, जिसे अब घटाकर 250/- रुपए कर दिया गया है। इससे देशभर में, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में तथा निर्धन लोगों के बीच इस योजना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

विवरण

वर्ष 2017-18 और 2018-19 (30.06.2018 तक) के दौरान खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों की सर्कल-वार कुल संख्या

सर्कल	2017-18	2018-19 (30.06.2018 तक)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	85132	19179
असम	19621	5236
बिहार	115483	25186
दिल्ली	25641	5210
गुजरात	58885	10420
हरियाणा	48277	10685
हिमाचल प्रदेश	32029	7552
जम्मू और कश्मीर	5460	754

1	2	3
कर्नाटक	114430	31354
केरल (लक्षद्वीप सहित)	45914	10163
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	157284	30180
मध्य प्रदेश	88441	17045
पूर्वोत्तर (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित)	8701	2125
ओडिशा	72260	15037
पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	47799	7569
राजस्थान	164232	25551
तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	141518	24304
उत्तर प्रदेश	184539	34405
पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम सहित)	65544	10282
छत्तीसगढ़	90012	15873
झारखंड	30699	4796
उत्तराखंड	34415	7271
तेलंगाना	58358	13887
कुल	1694674	334064

[हिन्दी]

अवसंरचना परियोजनाओं की अधिक लागत

2350. **श्री भरत सिंह** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलंब या अन्य कारणों से 150 करोड़ रु. लागत की अवसंरचना परियोजनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो लागत में कितनी प्रमात्रा में वृद्धि हुई है और ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की चालू अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की अपनी ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.) के माध्यम से समय और लागत वृद्धि से संबंधित निगरानी करता है। दिनांक 01.05.2018 की स्थिति के अनुसार 16,25,675.52 करोड़ रु. की मूल लागत से पूर्ण होने वाली कुल 1332 परियोजनाएं इस मंत्रालय की निगरानी में थी। इनमें से 343 परियोजनाएं विलंब या अन्य कारणों से 2,92,096.99 (68.33%) की लागत वृद्धि दर्शा रही हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा *www.cspm.gov.in/publications* पर फ्लैश रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की चालू अवसंरचना परियोजनाओं के पूर्ण होने को गति प्रदान करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) संबंधित मंत्राललों द्वारा परियोजना मूल्यांकन;

(ii) ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत मॉनीटरिंग प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.);

(iii) समय एवं लागतवृद्धि संबंधी उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मंत्रालयों में स्थायी समितियों का गठन;

(iv) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की नियमित समीक्षा; और

(v) मुख्य परियोजनाओं के गत्यावरोधों को हटाने के लिए तथा तीव्र कार्यानवयन को सुसाध्य बनाने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य सचिवों के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सी.एस.पी.सी.सी.) का गठन करना।

पूर्वानुमान मॉडल

2351. **श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा** :
श्री जॉर्ज बेकर :
श्री अनिल शिरोले :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विषम मौसम स्थितियों जैसे वर्षा, ताप और शीत लहर के सटीक अनुमान हेतु प्रयोग/प्रयोग किए जा रहे मॉडलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश भर में नए पूर्वानुमान मॉडल को प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जाने वाली निधियां कितनी हैं और इसे कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) आई.एम.डी. द्वारा रुटीन आधार पर विषम मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मॉडलों का प्रचालन किया जाता है:

(i) मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च विभेदन वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (जी.एफ.एस.): भारत मौसम विज्ञान विभाग मध्यम अवधि (10 दिन तक) से कम अवधि में 12 किमी. क्षैतिज विभेदन पर नियतात्मक पूर्वानुमान सृजित करने के लिए दिसंबर 2016 से ही प्रचालनात्मक तौर पर प्रतिदिन वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (जी.एफ.एस.) का उपयोग कर रहा है। जी.एफ.एस., वैश्विक परंपरागत वायुमंडलीय आंकड़ों तथा उपग्रहों एवं मौसम रडारों से मिलने वाले आंकड़ों को संमिश्रित करती है।

(ii) मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च विभेदन वैश्विक समष्टिगत पूर्वानुमान प्रणाली (जी.ई.एफ.एस.) मॉडल: एक उच्च विभेदन (12 किमी. ग्रिड पैमाना) अत्याधुनिक वैश्विक समष्टिगत पूर्वानुमान प्रणाली (ई.पी.एस.) को 10 दिनों के लिए प्रचालनात्मक संभाव्यता मौसम पूर्वानुमान सृजित करने के लिए 01 जून, 2018 को प्रारंभ किया गया।

ई.पी.एस. से मौसम पूर्वानुमानों में अनिश्चितताओं की मात्रा बताकर और संभाव्यता पूर्वानुमान सृजित करके मौजूदा मॉडलों द्वारा उपलबध कराई जा रही मौसम संबंधी सूचना में वृद्धि होगी। भारी वर्षा मात्रा, उच्च तापमान, कम तापमान के संभाव्यता पूर्वानुमान विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होंगे।

पूरे भारतवर्ष में 12 किमी. गिड पैमाने पर विषम मौसम घटनाओं के संभाव्यता पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमानों में अनिश्चितता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया देने हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत मददगार हैं।

(iii) क्षेत्रीय मॉडल: दो डोमेन (9 किमी. एवं 3 किमी.) वाले मौसम अनुसंधान पूर्वानुमान (डब्ल्यू.आर.एफ.) क्षेत्रीय मॉडल को अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान (3 दिन तक) के लिए दिन में दो बार उपयोग किया जाता है। साथ ही, उत्तरी हिन्द महासागर में चक्रवातों के पूर्वानुमान के लिए प्रचालनात्मक रूप से इस्तेमाल हेतु तूफान डब्ल्यू.आर.एफ. (एच.डब्ल्यू.आर.एफ.) मॉडल को भी क्रियान्वित किया गया है।

हाल ही के वर्षों के दौरान भारी वर्षा, ऊष्णदेशीय चक्रवातों और लू के संबंध में पूर्वानुमान कौशल में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।

(ग) जी, नहीं। बेहतर सटीकता के लिए उपरोक्त पूर्वानुमान प्रणालियों में और सुधार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

युवाओं को रोजगार

2352. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान देश-वार रोजगार हेतु विदेश गए युवाओं की संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : विदेश मंत्रालय केवल 18 ई.सी.आर. देशों में से किसी भी देश में कानूनी रूप से रोजगार हेतु जाने वाले उत्प्रवासन जांच उपेक्षित (ई.सी.आर.) पासपोर्टधारक भारतीय कामगारों को प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृति संबंधी आंकड़ा रखता है। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या के बारे में विशेष रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। ई.सी.आर. पासपोर्टधारक उन भारतीय कामगारों का देशवार आंकड़ा विवरण में रूप में संलग्न है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 ई.सी.आर. देशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त की थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान ई.सी.आर. पासपोर्टधारक भारतीय कामगारों को दी गई उत्प्रवासन क्लीयरेंस का गंतव्य स्थलवार आंकड़ा

क्र.सं.	देशों के नाम	2015	2016	2017
1.	अफगानिस्तान	70	0	0
2.	बहरीन	15623	11964	11516

क्र.सं.	देशों के नाम	2015	2016	2017
3.	इंडोनेशिया	06	01	10
4.	इराक	01	0	0
5.	जॉर्डन	2047	2742	2341
6.	कुवैत	66579	72384	56380
7.	लेबनान	341	316	110
8.	लीबिया	0	0	0
9.	मलेशिया	20908	10605	14002
10.	ओमान	885040	63236	53332
11.	क़तर	59384	30619	24759
12.	सऊदी अरब	308380	165355	78611
13.	सूडान	29	0	1
14.	दक्षिण सूडान	0	0	0
15.	सीरिया	1	0	0
16.	थाईलैंड	10	01	0
17.	संयुक्त अरब अमीरात	225718	163716	149962
18.	यमन	01	0	0
	कुल	784152	520939	391024

स्रोत: ई-माईग्रेट पोर्टल

[अनुवाद]

आई.एन.ओ. द्वारा अनुसंधान कार्य

2353. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आई.एन.ओ.) में आयोजित अनुसंधान कार्यों की सूची क्या है;

(ख) क्या आई.एन.ओ. केवल न्यूट्रिनो परीक्षणों में शामिल होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.एन.ओ. स्थल पर विकिरण या परमाणु अपशिष्ट जमाव का कोई खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर अंशधारकों के इनपुटों पर विचार करते हुए गंभीरता और विवेकपूर्ण ढंग से इस पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) भारत-आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला (आई.एन.ओ.) परियोजना एक महत्वाकांक्षी मूल विज्ञान अनुसंधान परियोजना है, जिसका लक्ष्य न्यूट्रीनों नामक पकड़ में न आने वाले तत्तवीय कण के गुणों तथा अंतरक्रिया का अध्ययन करना है। परियोजना के तहत बोदी पश्चिम घाट (बी.डब्ल्यू.एच.) थेनी जिला, तमिलनाडु में भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण कर वहां पर 51,000 टन आयरन कैलोरीमीटर (आई.सी.ए.एल.) संसूचक की स्थापना करना तथा मदुरै में इंटर-

इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स (आई.आई.सी.एच.ई.पी.) की स्थापना करना है।

(ख) न्यूट्रीनों के अध्ययन के अतिरिक्त अन्य नियोजित प्रयोग निम्नानुसार हैं:-

(1) मिली-कैल्विन तापनाम पर प्रचालित बोलोमीटर का उपयोग कर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले टिन के सबसे भारी आईसोटोप ^{124}Sn में 0-न्यूट्रानो-2-बीटा क्षय की खोज करना तथा

(2) क्रायोजेनिक तापमान पर प्रचालित CsI(Tl) जैसे सिंटीलेटर का उपयोग कर डार्क मैटर की खोज करना।

(ग) इन सभी प्रयोगों के लिए निम्न विकिरण पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली विकिरण पृष्ठभूमि ही होगी, हालांकि यह निम्न होगी, उसे क्रायोजेनिक संसूचकों से परिरक्षित कर और कम किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां, तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम स्थित स्थल भूकंपीयता, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव तथा भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से आई.एन.ओ. की स्थापना करने के लिए अच्छा स्थल है। 2010 में, व्यापक आउटरीच कार्यक्रम के बाद एक जन सुनवाई की गई थी, जहां पर परियोजना के लिए अभूतपूर्व समर्थन मिला। वर्तमान में, बृहत्त आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें:

(1) मदुरै, थेनी तथा अन्य जिलों के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में चर्चा;

(2) प्रेस तथा टी.वी. चैनलों के साथ बैठकें; तथा

(3) हाल ही में कमीशन किए गए 85 टन, 1/200th पेमाने के प्रोटोटाइप मिनी-आई.सी.ए.एल. संसूचक दिखाने के लिए ट्रांजिट आई.आई.सी.एच.ई.पी. परिसर का दौरा करवाने की व्यवस्था करना शामिल है।

[हिन्दी]

कोयला वितरण नीति

2354. श्री हरि मांझी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला ब्लॉकों के पुन: आवंटन के आलोक में छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोयला वितरण नीति की समीक्षा और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) नई कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.), 2007 में देशभर की उन लघु और मध्यम क्षेत्र की इकाईयों/उपभोक्ताओं को कोयला वितरित करने का प्रावधान किया गया है जिनकी आवश्यकता 4200 टन प्रति वर्ष से कम थी और जिनके पास कोयला कंपनियों से कोयला खरीदने अथवा कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) करने की पहुंच नहीं थी। निर्धारित की गई कोयले की मात्रा का वितरण राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की गई राज्य मनोनीत एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

एन.सी.डी.पी., 2007 के इस प्रावधान में दिनांक 27.09.2016 को संशोधन किया गया है जिसके द्वारा राज्य मनोनीत एजेंसियों के माध्यम से बिक्री के लिए 4200 टन प्रति वर्ष की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 10,000 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है और एन.सी.डी.पी., 2007 में किए गए उल्लेख के अनुसार लघु एवं मध्यम क्षेत्र के चरणों को लघु, मध्यम एवं अन्य के रूप में संशोधित किया गया है।

ब्रॉडबैण्ड सेवाएं

2355. श्री निहाल चन्द : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रदान की जा रही ब्रॉडबैण्ड सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत गांवों को थ्री जी, फोर जी और वाई-फाई ब्रॉडबैण्ड सेवाओं से जोड़ने के लिए कोई समय-सीमा तय की है या कोई मसौदा तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने समय-समय पर जारी किए गए विनियमों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के सेवा गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं इन मानकों के आधार पर भारतीय दूरसंचार

विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सेवा प्रदाताओं की निष्पादन संबंधी निगरानी सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरे सेवा क्षेत्र के लिए प्रस्तुत की गई तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

मार्च 2018 को समाप्त तिमाही की ब्रॉडबैंड सेवाओं संबंधी निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स लिमरास ऐरोनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के "व्यस्त समय (वह समय जिसमें लगातार व्यस्तता बनी रहती है) के दौरान > 90 प्रतिशत बैंडविड्थ उपयोग वाली अन्तरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए अपस्ट्रीम लिंकों के संख्या संबंधी पैरामीटर [बैंचमार्क 0 (शून्य है)]", मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेली सर्विसिस (महाराष्ट्र) लिमिटेड के "3 कार्य दिवसों के भीतर खराबियों को ठीक करने संबंधी प्रतिशत का पैरामीटर (बैंचमार्क => 99 प्रतिशत है)", मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिस (महाराष्ट्र) लिमिटेड के "अगले कार्य दिवस तक खराबियों को ठीक करने संबंधी प्रतिशत (>90 प्रतिशत) (बैंचमार्क >90 प्रतिशत है)" और मैसर्स यू ब्रॉडबैंड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के "मांग दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर प्रदान किए गए कनेक्शनों का प्रतिशत (बैंचमार्क 100 प्रतिशत है)" के पैरामीटरों को छोड़कर सभी के भीतर प्रदान किए गए कनेक्शनों का प्रतिशत (बैंचमार्क 100 प्रतिशत है)" के पैरामीटरों को छोड़कर सभी सेवा प्रदाता बैंचमार्कों को पूरा कर रहे हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियमाक प्राधिकरण (ट्राई), सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा गुणवत्ता के बेंचमार्कों को पूरा न करने की स्थिति में अनुपालन न करने के विरुद्ध निवारण के तौर पर वित्तीय दण्ड भी लगाता है।

(ग) और (घ) देश की कम से कम 88 प्रतिशत जनसंख्या 3जी और 4जी मोबाइल नेटवर्कों से कवर की गई है।

सरकार ने देश में अभिगम सेवाओं के लिए अनेक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अक्तूबर 2016 में आयोजित की गई नीलामी के माध्यम से 965 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके अपने नेटवर्कों का निरंतर रॉल आऊट कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ देश में 3जी और 4जी सेवाओं की कवरेज में वृद्धि हुई है। कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज प्रदान करने के लिए कार्य सौंपने के बाद 12 माह की अवधि के भीतर पूरा करने हेतु लक्षित निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदित किया गया है:

- मेघालय - 2173 स्थल
- अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - 214 स्थल
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की चरण-II स्कीम - 4072 स्थल

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2019 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 22 जुलाई 2018 तक 2,84,157 कि.मी. ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है और 1,12,355 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदायगी के लिए तैयार कर दिया गया है। इस परियोजना के हिस्से के तौर पर, वाई-फाई अथवा किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबेड प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को अंतिम छोर तक (लास्ट माइल) कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच अभिगम्य बिन्दू (तीन ए.पी. सरकारी संस्थाओं और दो ए.पी. सार्वजनिक स्थानों के लिए) उपलब्ध कराए जाने हैं।

इसके अलावा, देश में वाई-फाई हॉटस्पॉटों के माध्यम से ब्रॉडबेड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वभैमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से वित्तपोषित निम्नखिखित स्कीमों को कार्यान्वयन चल रहा है:-

- बी.एस.एन.एल. अपने 25,000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।
- सी.एस.सी.-एस.पी.वी. अपनी 5000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई चौपालें संस्थापित कर रहा है।
- रेलटेल 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।
- बी.एस.एन.एल. 200 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉट-स्पॉट संस्थापित कर रहा है।

[अनुवाद]

पठानकोट आतंकवादी हमले की सी.बी.आई. जांच

2356. श्री रवनीत सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए हैं और यदि हां, तो जांच की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में अब तक कोई गिरफ्तार हुई है;

(ग) क्या सरकार को पठानकोट बेस पर हमले में किसी अन्दर के व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेट का प्रसार

2357. **श्री पी. कुमार :**
श्री शंकर प्रसाद दत्ता :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिशत के हिसाब से देश में इंटरनेट का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना प्रसार हुआ है और उक्त प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धरित किया गया और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) नेट न्यूट्रिलिटी संबंधी नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और देशभर में इंटरनेट कवरेज पर नेट न्यूट्रिलिटी का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों की संख्या क्या है जिनके पास वर्तमान में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और वयस्क व्यक्तियों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उक्त प्रयासों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार देश में 30 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र-वार इंटरनेट का विस्तार (इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 आबादी) विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में वर्ष 2017 तक देश में 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। ट्राई द्वारा रिलीज किए गए दूरसंचार उपभोक्ता डाटा के अनुसार देश में 31 मई 2018 की स्थिति के आधार पर 432 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे।

इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अभिगम्य सेवाओं के लिए अक्टूबर 2016 में नीलामी के माध्यम से 965 एम.एच.जेड. स्पैक्ट्रम का आवंटन किया था। दूरसंचार सेवा प्रदाता इस स्पेक्ट्रम का उपयोग करके लगातार अपने नेटवर्क का रोल-आऊट कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में किफायती इंटरनेट सेवाओं का प्रसार और इंटरनेट के विस्तार में बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) सरकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट सेवा देने के लिए मौलिक सिद्धान्तों एवं नेट निरपेक्षता की अवधारणा के प्रति प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है। हाल ही में, दूरसंचार आयोग ने नेट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों को कायम रखते हुए छोटे-मोटे संशोधनों के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

इस प्रकार से देश में इंटरनेट की कवरेज से नेट निरपेक्षता का कोई सीधा संबंध नहीं है।

(ग) ट्राई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 30 अप्रैल 2018 के स्थिति के अनुसार प्रति 100 की आबादी पर 15,96 इंटरनेट उपभोक्ता थे।

इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) ने अपने 71वें दौर (जनवरी-जून 2014 में "सामाजिक उपयोग: शिक्षा" विषय पर सवेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 वर्ष और इससे अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले 16.1 प्रतिशत परिवारों में इंटरनेट सुविधा का उपयोग किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर 14 वर्ष और इससे अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले अनुमानत: 1675.44 लाख ग्रामीण परिवार थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें दौर (जुलाई 2017-जून 2018) में इंटरनेट सुविधा वाले परिवारों संबंधी जानकारी शामिल की गई है और यह सर्वेक्षण चल रहा है।

(घ) सरकार ने देश की लगभग 2.5 लाख सभी ग्राम पंचायतों में भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावर लाइनों, रेडियो और सेटेलाइट मीडिया का इष्टतम मिश्रण उपयोग करके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना की योजना बनाई है जिसे मार्च 2019 तक पूरा किया जाना है। दिनांक 22 जुलाई 2018 तक 2,84,157 कि.मी. लंबाई की ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और 1,13,355 ग्राम पंचायतें सेवा हेतु तैयार हैं।

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा

देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें इस प्रकार है:

(i) ग्रामीण भारत सहित देश भर में डिजिटल साक्षरता में 52.50 लाख अभ्यर्थियों (आयु वर्ग: 14 से 60 वर्ष) को प्रशिक्षित करने वाले लक्ष्य के साथ "राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन" (एन.डी.एल.एम.) और "डिजिटल साक्षरता अभियान" (दिशा) नामक दो स्कीमें कार्यान्वित की गई थीं। इन स्कीमों के अन्तर्गत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था जिनमें से लगभग 42 प्रतिशत अभ्यर्थी ग्रामीण भारत से थे।

(ii) "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पी.एम.जी.डी.आई.एस.एच.ए.)" को फरवरी 2017 में अनुमोदित किया गया था जिसका उद्देश्य दिनांक 31.03.2019 तक ग्रामीण भारत के 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को लाभान्वित करते हुए डिजिटल साक्षरता से परिचित करना है। इसकी समान भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 2,50,000 ग्राम पंचायतों से औसतन 200-300 अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना होगा। डिजिटलीकृत साक्षर व्यक्ति कम्प्यूटर/डिजिटल एक्सेस डिवाइसों (जैस कि टेबलेट, स्मार्ट फोन आदि) को संचालि करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज करने, सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, कैशलैस लेन-देन करने आदि में समर्थ होंगे और इस प्रकार भारत निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेंगे। अब तक 1.24 करोड़ अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 64.84 लाख से अधिक अभ्यार्थियों को इस स्कीम के तहत प्रमाण-पत्र दिए गए हैं।

विवरण

देश में दिनांक 30 अप्रैल 2018 की स्थिति के आधार पर लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्र-वार इंटरनेट विस्तार (इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 व्यक्ति)

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	प्रति 100 व्यक्ति इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	42.26
असम	27.33
बिहार	18.94
दिल्ली	134.25
गुजरात	48.34
हरियाणा	42.55
हिमाचल प्रदेश	57.80
जम्मू और कश्मीर	42.38
कर्नाटक	51.45
केरल	56.49
मध्य प्रदेश	25.74
महाराष्ट्र	49.91
मुबंई	
पूर्वोत्तर	39.14
ओडिशा	27.73
पंजाब	59.69
राजस्थान	34.86
तमिलनाडु	51.12
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	23.35
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
कोलकाता	33.46
पश्चिम बंगाल	
कुल	37.46

नोट : डाटा/जानकरी के लिए आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, बिहार में झारखंड, महाराष्ट्र में गोवा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में सिक्किम और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा राज्यों को शामिल किया गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड को खानों का आबंटन

2358. **श्री एम. उदयकुमार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) को आबंटन हेतु अतिरिक्त खानों की पहचान करने के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पैनल ने सी.आई.एल. को

अतिरिक्त कोयला खानों के आबंटन के लिए कोई रिपोर्ट अथवा सुझाव दिया है; और

(ग) क्या कोल इंडिया को एक बिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त खानों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 [एम.एम. (डी.आर.) अधिनियम, 1957] के अंतर्गत बनाई गई कोयला ब्लॉक आबंटन नियमावली, 2017 (सी.बी.ए. नियमावली, 2017) के नियम 3(2) के अनुसरण में आबंटन हेतु अतिरिक्त कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान करने के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2017 को एक समिति का गठन किया गया है तथा इस समिति के विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) में से एक विषय कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.)/इसकी सहायक कंपनियों को इनकी दीर्घावधिक उत्पादन प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और सी.बी.ए. नियमावली, 2017 के अंतर्गत आबंटन हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है। समिति की अब तक चार बैठकें हुई हैं।

कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) ने सरकार से अतिरिक्त कोयला खानों के आबंटन के लिए अनुरोध किया है ताकि इसकी तीन सहायक कंपनियों अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि, (बी.सी.सी.एल.) तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) को 100 मि.ट. से अधिक प्रति वर्ष कोयला उत्पादन करने वाली सहायक कंपनी बनाया जा सके क्योंकि इन 3 सहायक कंपनियों में इस समय पर्याप्त कोयला भंडार नहीं है। सी.आई.एल. के अनुरोध पर विचार करते हुए सी.आई.एल. को 11 कोयला खानें आबंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 11 कोयला खानें अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता में लगभग 225 मि.ट. कोयला शामिल करेंगी। इन 11 कोयला खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11 कोयला खानों का ब्यौरा

क्र.सं.	कोयला खान का नाम	स्थान	सी.आई.एल. की सहायक कंपनी का नाम
1	2	3	4
1.	अमरकोंडा मुर्गादंगल	झारखंड	ई.सी.एल.
2.	ब्राह्मणी	झारखंड	
3.	छिचरो पतसिमल	झारखंड	डब्ल्यू.सी.एल.
4-5.	रामपिया एवं रामपिया की डिप साईड	ओडिशा	
6-7.	घोघरपल्ली एवं घोघरपल्ली का डिप विस्ता.	ओडिशा	
8.	मंदार पर्वत	बिहार	बी.सी.सी.एल.
9.	धुलीया नॉर्थ	झारखंड	
10.	मिर्जागांव	बिहार	
11.	पिरपेंटी - बाराहट	झारखंड	

हरित गलियारा

2359. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हरित गलियारा की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) उक्त कार्यक्रम से आम आदमी को क्या लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में, भारतीय रेल अपने कोचिंग स्टॉक पर बायो-टॉयलेट को बढ़ावा दे रही है जिससे कि कोई मानव अवशिष्ट सवारीडिब्बे से निकलकर रेलपथ पर न गिरे। बायो टॉयलेट के फिटमेंट के लाभ जताने के उद्देश्य से, 2016-17 में 06 तथा 2017-18 में 21 ग्रीन कोरिडोर को चालू किया गया था।

(ख) ग्रीन कोरिडोर पर, रेलपथों/स्टेशन परिसरों में मानवीय अवशिष्ट के सीधे डिस्चार्ज से बचने के लिए सवारीडिब्बों में बायो-टॉयलेट शुरू किया गया है। इससे सामान्य आदमी को दुर्गन्ध, अस्वास्थकर माहौल से निज़ात पाने के साथ-साथ गंदगी भी नज़र नहीं आती है, ये सभी मानवीय अवशिष्ट प्रत्येक टॉयलेट के नीचे लगे पर्यावरणीय अनुकूल बायो-टैंक में एकत्र किया जाता है। बायो टैंक मल को अपघटित कर देती है और इसे पानी और गैस में बदल देती है।

नई रेल लाइनें

2360. **डॉ. पी.के. बिजू :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा वर्तमान में निर्माण हेतु विचाराधीन नई रेल लाइनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में केरल में कोई नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) चालू नई लाइन परियोनजाएं, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

राज्य का नाम	नई लाइन परियोजनाओं की संख्या
1	2
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	15
आन्ध्र प्रदेश	18
बिहार	34
छत्तीसगढ़	8
दिल्ली	1
गुजरात	4
हरियाणा	7
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	1
झारखंड	14
कर्नाटक	16
केरल	2
मध्य प्रदेश	8
महराष्ट्र	12
ओडिशा	10
पंजाब	6
राजस्थान	10
तलंगाना	9
तमिलनाडु	8
उत्तर प्रदेश	15
उत्तराखंड	3
पश्चिम बंगाल	18

(ख) रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, वन और वन्य-जीव विभाग जैसी सांविधिक मंजूरियां, सेवाओं का अंतरण आदि के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस अपेक्षित होती हैं। अत: निर्माण कार्यों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ग) नई लाइनों को शुरू करने का निर्णय केवल रेल बजट में लिया जाता है जो एक वार्षिक कवायद है। इसलिए, निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को पहले से तय नहीं किया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं

2361. **श्री राधेश्याम बिश्वास** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग ने असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नई विकास योजनाएं अनुमोदित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार कितनी निधि जारी की गई है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उमंग एप

2362. **श्रीमती अंजू बाला :**
श्री रत्न लाल कटारिया :
श्री तेज प्रताप सिंह यादव :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उमंग एप शुरू किया है जो प्रमुख

सरकारी विभागों की सेवाओं हेतु मोबाइल युक्त एकमात्र एकीकृत मंच है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की मार्च 2019 तक 1200 एप्स तक पहुंचने हेतु और ज्यादा आवेदन जोड़ने की योजना है;

(घ) उमंग एप के कुल कितने उपभोक्ता हैं तथा इनका हरियाणा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस एप के उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हेतु कोई कदम उठा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां। सरकार ने उमंग एप्प लांच किया है जो सामान्य, एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार करने की पहल है तथा मोबाइल के जरिए बड़ी सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु अभिगम उपलब्ध कराने के लिए एक तथा सामान्य मोबाइल एप्प है। 23 नवम्बर, 2017 को उमंग माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

(ख) सरकारी योजनाओं की डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी विभिन्न सेवाएं उमंग पर ऑनबोर्ड की गई हैं। इनमें फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एगमार्कनेट, किसान सुविधा, क्रेता विक्रेता, एम.4एग्री.एन.ई.आई. और ए.के.पी.एस. के लिए सेवाएं शामिल हैं। तथापि, उमंग पर उपलब्ध सेवाओं तक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा समान रूप से पहुंच बनाई जा सकती है और उमंग एप्प पर ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के आधार पर सेवाओं में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां। सरकार विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों से और अधिक सेवाओं को जोड़ने की योजना बना रही है। वर्तमान में, विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों तथा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की 61 एप्लीकेशनों की 264 सेवाओं को ऑनबोर्ड किया गया है। कई सेवाएं एकीकरण के लिए प्रतीक्षित हैं और उमंग के साथ जोड़े जाने के लिए बहुत सारी सेवाओं के' अनुमोदन हेतु विभिन्न विभागों के साथ चर्चा की जा रही है।

(घ) दिनांक 14 जुलाई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार उमंग पर पंजीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या 68,25,170 है। राज्य/संघ राज्य-वार विवरण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां। सरकार का लक्ष्य उमंग के प्रयोग को एफ.एम. रेडियो के अभियानों, सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों (पी.एम.जी. दिशा) के जरिए उमंग के विषय में प्रयोक्ताओं को शिक्षित करना और भागीदार विभागों द्वारा सूचना प्रदान करके इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

विवरण

उमंग ऐप के उपयोगकर्ताओं का राज्यवार वृद्धि पृथक्करण

क्र.सं.	राज्य	उपयोगकर्ताओं की संख्या
1.	महाराष्ट्र	557685
2.	उत्तर प्रदेश	455862
3.	कर्नाटक	287964
4.	गुजरात	278995
5.	तमिलनाडु	263615
6.	राजस्थान	185681
7.	बिहार	174304
8.	आंध्र प्रदेश	172921
9.	पश्चिम बंगाल	166853
10.	तेलंगाना	162764
11.	मध्य प्रदेश	156903
12.	हरियाणा	151562
13.	ओडिशा	112691
14.	पंजाब	96113
15.	केरल	79365
16.	उत्तराखंड	67228
17.	झारखंड	65980
18.	छत्तीसगढ़	52844
19.	हिमाचल प्रदेश	43925
20.	असम	38398
21.	जम्मू और कश्मीर	13697
22.	गोवा	8676
23.	त्रिपुरा	5400

क्र.सं.	राज्य	उपयोगकर्ताओं की संख्या
24.	मणिपुर	3803
25.	सिक्किम	1599
26.	मेघालय	1515
27.	अरुणाचल प्रदेश	1471
28.	नागालैंड	1099
29.	मिजोरम	551
	कुल	3609464*

उमंग ऐप के उपयोगकर्ताओं संघ राज्यवार वृद्धि पृथक्करण

क्र.सं.	संघ शासित क्षेत्र	उपयोगकताओं की संख्या
1.	दिल्ली	197031
2.	चंडीगढ़	16884
3.	पुदुचेरी	5938
4.	दादरा और नगर हवेली	3166
5.	दमन और दीव	1626
6.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1347
7.	लक्षद्वीप	84
	कुल	226076*

*प्रदान किया गया डेटा उन पंजकृत उपयोगकर्ताओं के लिए है जिन्होंने अपना जनसांख्यिकीय विवरण दिया है। हालांकि, पंजीकृत उपयोगकर्ताओं जिन्होंने अपना जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान नहीं दिया है, कि संख्या 2989630 है।

न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

2363. **श्री रोड़मल नागर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ग) इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त आर्थिक भार का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की जा चुकी है, जो संवैधानिक और जनता पर संघात रखने वाले राष्ट्रीय महत्व के मामलों की कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय से सीधा प्रसारण अनुज्ञेय करने की घोषणा करने और सीधा प्रसारण करने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलबध कराने तथा ऐसे मामलों को जो संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं को अवधारित करने हेतु दिशा निर्देश विरचित करने के निदेश देने हेतु है। रिट याचिका लोकहित मुकदमे में परिवर्तित हो चुकी है और वर्तमान में मामला विचारणाधीन है।

पुराने पुलों का पुनरुद्धार

2364. **श्री राजेशभाई चुड़ासमा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पुराने रेल मार्गों के पुराने पुलों के मार्ग की उपयोगिता/शक्ति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो ऐसे अध्ययन का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऐसे अनेक पुल जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है की स्थिति के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) किसी पुल की आयु का उसकी वास्तविक हालत से कोई सीधा संबंध नहीं होता। भारतीय रेलों पर पुलों के निरीक्षण की सुस्थापित प्रणाली है। सभी पुलों का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाता है, एक निरीक्षण मानसून प्रारंभ होने से पहले और एक विस्तृत निरीक्षण मानसून के बाद किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ पुलों को उनकी हालत के आधार पर और ज्यादा बार भी निरीक्षण किया जाता है। रेलवे पुलों की मरम्मत/सुदृढ़ीकण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य, इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई वास्तविक हालत के आधार पर आवश्यक होने पर किया जाता है, न कि उनकी आयु के आधार पर। यदि सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों में स्थल की जटिलता आदि के कारण ज्यादा समय लगने की संभावना हो, तो गति प्रतिबंध लगाने जैसे उपयुक्त संरक्षा उपाय किए जाते हैं और जब तक पुल की मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण/पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। गत पांच वर्षों के दौरान

(2013-14 से 2017-18 तक) भारतीय रेल पर कुल 3758 पुलों की मरम्मत/उनका सुदृढ़ीकरण/पुन:स्थापन/पुनर्निर्माण किया गया। 01.04.2018 को, कुल 4027 रेलवे पुल मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/पुन:स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

रेलवे कोचों की ओवरहालिंग

2365. **श्री आर.के. भारती मोहन :**
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में की गई सुरक्षा संपरीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि सैकड़ों रेलवे कोचों की आवधिक ओवरहालिंग या सर्विस नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे कोचों की आवधिक ओवरहालिंग/सर्विस के लिए कोई धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) सरकार द्वारा पुराने, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित कोचों के स्थान पर नए कोच लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बदले गए कोचों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय रेल पर चल रहे सभी सवारी डिब्बों की आवधिक रूप से ओवरहॉलिंग की जाती है जैसाकि अनुरक्षण मैनुअल/अनुदेशों में निर्धारित है।

(ग) जी हां। सरकार ने बजट अनुमान 2018-19 में रेलवे सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग/सर्विसिंग के लिए 9277 करोड़ रु. आबंटित किए हैं।

(घ) भारतीय रेल पर गतायु स्टॉक को बदलने के लिए नए सवारी डिब्बों का अधिग्रहण करना एक सतत् प्रक्रिया है। सवारी डिब्बों को उनकी निर्धारित जीवट आयु पूरा करने के बाद अथवा संरचनात्मक कलपुर्जों के भारी नुकसान के मामले में समय से पहले बदल दिया जाता है।

(ङ) विगत तीन वर्षों में बदले गए सवारी डिब्बों का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्षेत्रीय रेल	2015-16	2016-17	2017-18
मध्य रेलवे	78	147	235
पूर्व रेलवे	92	124	199
उत्तर रेलवे	247	229	269
पूर्वोत्तर रेलवे	132	29	125
पूर्वोत्तर सीमा	25	59	74
दक्षिण रेलवे	112	270	241
दक्षिण मध्य रेलवे	127	150	156
दक्षिण पूर्व रेलवे	93	84	133
पश्चिम रेलवे	150	157	184
पूर्व मध्य रेलवे	37	28	11
पूर्वतट रेलवे	38	65	67
उत्तर मध्य रेलवे	22	33	43
उत्तर पश्चिम रेलवे	36	51	36
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	17	29	16
दक्षिण पश्चिम रेलवे	67	103	65
पश्चिम मध्य रेलवे	12	26	32
कुल	1285	1584	1886

नेवीगेशन उपग्रह

2366. **श्री जी. हरि** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरो आई.आर.एन.एस.एस.-वन आई नेवीगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण करने पर विचार कर रहा है जो त्रुटिपूर्ण आई.आर.एन.एस.एस.-1ए का स्थान लेगा जिसकी तीन स्वचालित घड़ियों ने 2016 में काम करना बंद कर दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके बाद चन्द्रयान-2 अभियान, जी.एस.एल.वी-III एम के और पी.एस.एल.वी.-सी42 का प्रक्षेपण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) आई.आर.एन.एस.

एस.-1आई अंतरिक्षयान को पी.एस.एल.वी.-सी41 द्वारा 12 अप्रैल, 2018 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस अंतरिक्षयान से आई.आर.एन.एस. एस-1ए को प्रतिस्थापित किया गया और यह अपेक्षित नौवहन सेवाएं प्रदान कर रहा है। तथापि, आई.आर.एन.एस. एस-1ए आपदा चेतावनी जैसी संदेश संबंधी सेवाएं तथा अन्य सामाजिक अनुप्रयोग संबंधी सेवाएं अब भी प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। इसके बाद वाले प्रक्षेपणों में जी.एस. वी-मार्क III शामिल है जिसके द्वारा जी.सैट-29, पीएस.एल. वी-सी42 तथा चंद्रयान-2 मिशन के प्रक्षेपण की योजना है।

विभिन्न विदेशी जेलों में भारतीय

2367. प्रो. चिंतामणि मालवीय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न देशों में जेलों में बंद भारतीय जिसमें मछुआरे भी शामिल हैं कि देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) विदेश की जेलों, विशेषकर पाकिस्तान की जेलों से रिहाई के पश्चात कितने भारतीय मछुआरों को क्षतिपूर्ति दी गई है और उनमें से कुछ को क्षतिपूर्ति नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ग) इस समय पाकिस्तानी जेलों में अवैध रूप से बंद भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है और ऐसे बंदियों के परिवारों से उनके जल्दी रिहाई हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारत और यू.ए.ई. के बीच भारतीयों के द्वारा कारावास की शेष अवधि भारतीय जेलों में पूरी करने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और यदि हां, तो उक्त समझौते से कितने भारतीयों को लाभ हुआ; और

(ङ) सभी भारतीय बंदियों की शीघ्र रिहाई के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 26.07.2018 तक कुल 7737 भारतीय, मछुआरों सहित विभिन्न विदेशी जेलों में बंद हैं। देशवार_ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निजता कानून के सख्त प्रावधान के कारण बाहर के कुछ देश अपनी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी साझा नहीं करते हैं।

(ख) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पशुपालन तथा मात्स्यिकी विभाग ने मार्च 2009 में 1956 लाख रुपए की कुल लागत से मछली पकड़ने वाली नौकाओं की जगह नई नौकाएं खरीदने के लिए एक आसान ऋण पैकेज संबंधी योजनेत्तर स्कीम अधिसूचित की थी। इस योजना के तहत पाकिस्तान के कब्जे में कुल 326 मछली पकड़ने वाली नौकाओं के स्थान पर नई नौकाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक नौका की लागत का 30 प्रतिशत जो अधिकतम 6 लाख रुपए है, तक पूंजीगत छूट देते हुए प्रत्येक नौका मालिक को पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई नौकाओं के स्थान पर नई नौकाएं खरीदने का अवसर दिए जाने की व्यवस्था है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.), वाणिज्य को इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

एम.पी.ई.डी.ए. ने रिपोर्ट दी है कि 192 सत्यापित आवेदकों में से 125 भारतीय मछुआरों को वर्ष 2014 तक 750 लाख रुपए की राशि का उपयोग करके वित्तीय सहायता दी गई है ताकि वे पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नौकाओं के स्थान पर नई नौकाएं खरीद सकें और इनमें से 67 सत्यापित आवेदन का मामला निपटारे के लिए लंबित हैं। एम.पी.ई.डी.ए. को 110.00 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी कर दी गई है जिनमें मार्च 2018 में 10 लाख रुपए और मई 2018 में 100 लाख रुपए शामिल हैं। जारी की गई यह अतिरिक्त राशि लगभग 18 लाभार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। विभाग ने इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 हेतु अनुपूरक अनुदान के तहत अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया है ताकि शेष 49 दावों का निपटारा किया जा सके और तत्पश्चात् यह योजना समाप्त हो जाएगी।

(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार माना जाता है कि 83 भारतीय सैन्यकर्मी पाकिस्तान के कब्जे में हैं परंतु पाकिस्तान ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है। सरकार गुमशुदा रक्षाकर्मियों की शीघ्र रिहाई तथा उनकी देशवापसी संबंधी मुद्दे को राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ निरंतर उठाती रहती है।

(घ) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों की अदला-बदली संबंधी करार पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे जो मार्च 2013 में लागू हुआ और अब तक उन्हें कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय नागरिक को बंदी बनाए जाने/गिरफ्तार किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो वे स्थानीय विदेश कार्यालय तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि बंदी बनाए गए/

गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक को कोंसुली सुविधा प्रदान करके उनकी नागरिकता की पुष्टि की जा सके तथा उनकी देखभाल सुनिश्चित हो सके। विदेशों में उन जगहों पर जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में हैं भारतीय मिशन/पोस्ट में विधि पैनल स्थापित किए गए हैं। संशोधित भारतीय समुदाय कल्याण कोष दिशा निर्देशों के अंतर्गत विधिक सहायता का दायरा बढ़ाया गया है और यह उपयुकत मामलों में उपलब्ध है।

ऐसे मामलों में जहां भारतीय नागरिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है और वे भारत वापस लोटने संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार कर रहे हों, उन देशों में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु इन मामलों को संबंधित देश की सरकार के साथ मामले को उठाते हैं जिनमें अंतिम निकास वीज़ा जारी करना, संबंधित प्राधिकारियों से भारतीय कामगारों पर लगाई गई शास्ति से छूट प्रदान करना और भारतीय नागरिकों की शीघ्र भारत वापसी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जहां अपेक्षित हो, विदेश स्थित भारतीय मिशन तथा केन्द्र अपनी सजा पूरी कर चुके भारतीय कैदियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई किराया भी प्रदान करते हैं।

विवरण

मछुआरों सहित विदेशी जेलों में बंद भारतीयों का देशवार ब्यौरा

क्र. सं.	देश	विदेशी जेलों में सजा काट रहे भारतीय नागरिकों और मछुआरों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1
2.	आर्मेनिया	5
3.	ऑस्ट्रेलिया	68
4.	अज़रबैजान	7
5.	बहरीन	95
6.	बांग्लादेश	24
7.	बेलारूस	1
8.	बेल्जियम	19
9.	भूटान	69
10.	ब्राजील	2
11.	ब्रुनेई	1
12.	कंबोडिया	3
13.	कनाडा	70
14.	चीन	226
15.	कोलंबिया	1
16.	कोट डी आइवरी	3
17.	क्यूबा	1
18.	साइप्रस	6
19.	डेनमार्क	5
20.	मिस्त्र	1
21.	इथियोपिया	2
22.	फिजी	1
23.	फिनलैंड	1
24.	फ्रांस	41
25.	जर्मनी	51
26.	ग्रीस	27
27.	ग्वाटेमाला	3
28.	इंडोनेशिया	19
29.	ईरान	6
30.	इराक	2
31.	इजरायल	4
32.	इटली	225
33.	जापान	7
34.	जोर्डन	23
35.	केन्या	3
36.	कोरिया (गणराज्य)	2
37.	कुवैत	484
38.	किर्गीस्तान	1
39.	लाओ. पी.डी.आर.	2
40.	लेबनान	1
41.	मलेशिया	298
42.	मॉरीशस	5
43.	मैक्सिको	2

1	2	3
44.	मोजाम्बिक	5
45.	म्यांमार	45
46.	नेपाल	548
47.	न्यूजीलैंड	13
48.	ओमान	71
49.	पाकिस्तान	471
50.	पनामा	1
51.	फिलीपींस	19
52.	पोलैंड, लिथुआनिया	1
53.	पुर्तगाल	9
54.	कतर	166
55.	रोमानिया	2
56.	रूसी परिसंघ	3
57.	सऊदी अरब	1575
58.	सेनेगल	2
59.	सिंगापुर	132
60.	स्लोवाक गणराज्य	1
61.	दक्षिण अफ्रीका	3
62.	स्पेन	34
63.	श्रीलंका	43
64.	सूडान	3
65.	स्विट्जरलैंड	1
66.	सीरिया	4
67.	तंजानिया	1
68.	थाईलैंड	44
69.	तुर्की	2
70.	युगांडा	1
71.	संयुक्त अरब अमीरात	1690
72.	यूनाइटेड किंगडम	378
73.	यूक्रेन	1
74.	संयुकत राज्य अमरीका	647
75.	उज्बेकिस्तान	1
76.	वियतनाम	1
77.	जिम्बाब्वे	1
	कुल	7737

[हिन्दी]

रक्षा गलियारा

2368. **श्री भैरों प्रसाद मिश्र :**
श्री हरिओम सिंह राठौड़ :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में रक्षा उद्योग उत्पादन गलियारों की स्थापना के लिए चिन्हित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे क्षेत्र को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गलियारों के निर्माण की प्रक्रिया कब तक आरम्भ और पूरा किए जाने की संभवना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) दो रक्षा उत्पादन गलियारे स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक-एक गलियारा स्थापित किया जाएगा। इन गलियारों हेतु तमिलानडु में पांच नोडल बिन्दु अर्थात चेन्नई कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली तथा उत्तर प्रदेश में छह नोडल बिन्दु अर्थात अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ चिन्हित किए गए हैं।

(ख) इन गलियारों की स्थापना से रक्षा तथा एयरोस्पेस संबंधित मदों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अन्य देशों को इन मदों का निर्यात भी हो सकेगा। इससे रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और निजी घरेलू विनिर्माताओं, एम.एस.एम.ई. तथा स्टार्ट-अप के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) सभी हित धारकों के साथ परस्पर संवाद प्रगति में है। पांच हित धारकों के साथ परामर्श कर लिया गया है जिसमें तमिलनाडु के पांच नोडल बिन्दु शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ में चार हित धारकों के साथ परामर्श किया गया है। अपेक्षित नीतियों तथा प्रत्येक स्थान पर वित्तीय हस्तक्षेपों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

2369. श्री जुगल किशोर :
श्रीमती रीती पाठक :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है; और

(ख) मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और उच्चतर शिक्षा के लिए प्रदान की गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) और (ख) देश भर में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तीन छात्रवृत्ति योजनाओं नामत: मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति (एम.सी.एम.) योजना का क्रियान्वयन करता है। छात्रवृत्तियों की संख्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा 06 केन्द्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी के अनुपात के आधार पर वितरित की जाती हैं। तद्नुसार, मध्य प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के दौरान प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नालिखित अनुसार है:

योजनाएं	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या					
	जम्मू और कश्मीर			मध्य प्रदेश		
	2015-16	2016-17*	2017-18*	2015-16	2016-17*	2017-18*
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	0	54137	101080	77054	71286	95344
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	20602	23576	22439	14309	15296	17273
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	5784	5230	6099	2704	2799	2112
कुल	26,386	83043	1,29,618	94,067	89,281	1,14,729

*अनंतिम डेटा 12.07.2018 के अनुसार।
वर्ष 2018-19 के लिए, ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई, 2018 से आमंत्रित किए गए हैं।

[अनुवाद]

विमानों का विनिर्माण

2370. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक और रक्षा प्रयोजन हेतु स्वेदशी विमान विनिर्माण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विमान के विनिर्माण हेतु आवश्यक कल-पुर्जो को देश में आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कल-पुर्जों के आयात पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा स्वदेशी कल-पुर्जा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) देश में, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) रक्षा के साथ-साथ सिविल प्रयोजनों के विमानों एवं हेलिकॉप्टरों का विनिर्माण करता है।

एच.ए.एल. यह कार्य विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी अंतरण (टी.ओ.टी.) और स्वदेशी विकास कार्यक्रमों के तहत यह कार्य कर रहा है।

अब तक एच.ए.एल. ने 17 प्रकार के स्वदेशी विमानों और हेलिकॉप्टरों का निर्माण किया है।

स्वदेशी रक्षा/सिविल विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(i) 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए 56x एवरो प्रति स्थापन विमान का कार्य प्रारंभ किया गया है जहां विमान के स्वदेशी विनिर्माण के लिए विदेशी विक्रेताओं को एक भारतीय उत्पादन एजेंसी का चयन करने को कहा गया है।

(ii) लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टरों सहित 4 प्लेटफार्मों

के विनिर्माण के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.-2016) में एक सामरिक भागीदारी मॉडल पुनः स्थापित किया गया है।

(iii) एच.ए.एल.-निर्मित डॉनियर (डी.ओ.-228) विमान को सिविल प्रचालनों के लिए उन्नयित करने के लिए एच.ए.एल. ने नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) से प्रमाणन हासिल की है।

(ख) और (ग) जी, हां।

विमान के विनिर्माण में विविध प्रकार के घटक/इंजन/यांत्रिक एवं हाइड्रोलिक प्रणालियां/कल-पुर्जे/वैमानिकी आदि शामिल होते हैं जिसके लिए एक संतुलित आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है। कुछ घटकों के विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माता के स्वामित्व वाले होने के कारण उनको आयात करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों के प्रयोग/सामरिक महत्व/तकनीकी-आर्थिक महत्वों के लिए कुछ घटकों का आयात किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में एच.ए.एल. विनिर्मित प्लेटफार्मों में आयातित सामग्रियों का मूल्य रु. 19085 करोड़ है।

(घ) सरकार द्वारा स्वदेशी घटकों के विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) स्वदेशीकरण के लिए सक्षम विक्रेताओं की पहचान करने के लिए सरकार रक्षा उद्योग विकास सम्मेलन एवं डिफेंस एक्सपो (डी.ई.एफ.ई.एक्स.पी.ओ.) जैसे कई विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

(ii) 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उपस्करों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास एवं विनिर्माण में भागीदारी के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रात्साहित किया गया है।

(iii) डी.पी.पी.-2016 के तहत, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु खरीदो भारतीय-स्वदेशी अभिकल्पन, विकास एवं विनिर्माण (आई.डी.डी.एम.) प्रवर्ग में मेक-I और मेक-II के लिए नई प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं।

(iv) ऑफसेट रुट के जरिए भारतीय उद्योगों की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार किया गया है।

(v) रक्षा के विकास हेतु वित्त पोषण के उदेश्य से और ऐसी प्रौद्योगिकियों जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं अथवा जिन्हें विकसित नहीं किया गया है, के दोहरे उपयोग के लिए एक नई प्रौद्योगिकी विकास निधि (टी.डी.एफ.) स्कीम चलाई गई है।

(vi) कालान्तर में भारतीय उद्योगों की विशिष्ट क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन में प्रौद्योगिकी संदर्श एवं क्षमता संबंधी रोडमैप (टी.पी.सी.आर.) रखा गया है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों द्वारा अपेक्षित उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी का ब्यौरा देना है।

(vii) भारतीय वायु सेना ने 14 संभावित मेक परियोजनाओं (जिनमें से 2 भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं) को चिन्हित किया है जिनमें निजी उद्योगों के जरिए निष्पादन कार्य परिकल्पित है।

(viii) एच.ए.एफ. ने स्थापित क्षमताओं वाले निजी क्षेत्र के भारतीय उद्योगों को वायु वाहित मदों/विमान/हेलीकाप्टर/सब-एसम्बलियों की आउटसोर्सिंग के जरिए आपूर्ति हेतु प्रोत्साहित करता है। एच.ए.एल. स्वयं और निजी विक्रेताओं के साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए कर पश्चात संक्रियात्मक व्यय की 10% राशि के साथ एक अनुसंधान एवं विकास निधि का सृजन किया है।

(ix) निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्सहित करने के लिए एच.ए.एल. की वेबसाइट पर एक 'मेक इन इंडिया' पोर्टल लांच किया गया है। स्वदेशी विकास के लिए सुखोई-30 एम.के.आई. उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के युद्धक विमान, डी.ओ.-228, हाक एवं जागुआर विमानों के लिए बड़ी संख्या में प्रणालियों एवं उप-प्रणालियों को अपलोड किया गया है। सुखोई-30 एम.के.आई. विमान के कई टूल टेस्टर्स एवं ग्राउंड उपकरण (टी.टी.जी.ई.) संबंधी मदें निजी कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से अतिक्रमण

2371. **श्रीमती कमला पाटले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों ने भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए

क्या उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या पड़ोसी देश नियमित रूप से भारतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण/घुसपैठ कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) से (ङ) भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारतीय भूभाग के लगभग 78000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 1962 से जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। इसके अतिरिक्त, 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा करार' के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भरतीय भूभाग का 5,180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अवैध रूप से चीन को दे दिया है।

भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में कोई साझा रूप से निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अलग-अलग धारणा होने के कारण समय-समय पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की एक समान धारणा हो तो इनसे बचा जा सकता है। सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी अतिक्रमण के मामलों को सीमा कार्मिक बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्य तंत्र की बैठकों और साथ ही राजनयिक चैनलों के माध्यमों सहित स्थापित तंत्रों द्वारा चीनी पक्ष के साथ नियमित रूप से उठाती रहती है।

पाकिस्तानी एवं चीनी प्राधिकारियों को कई बार इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और इसे उच्चतम स्तरों सहित विभिन्न अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भी दोहराया गया है। सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर सघन निगरानी रखे हुए है और इनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

कोचों की कमी

2372. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम मध्य रेल जोन, जबलपुर सहित सभी जोनों में अधिक कोच वाली रेलगाड़ियों में कोचों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोचों की कमी के कारण नई रेलगाड़ियां शुरू करने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोचों की संख्या में कमी करने के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियों में यात्रियों की भीड़ में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल अधिकारियों की विदेश यात्रा

2373. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी और संचालन संबंधी अध्ययन और प्रशिक्षण के संबंध में विदेश जाने वाले रेल अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन यात्राओं के यात्रा-वार क्या परिणाम रहे हैं और यात्रा के संबंध में पेश की गई यात्रा टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेलमार्गों के हाई स्पीड, विद्युतीकरण और दोहरीकरण के संबंध में लंबित परियोजनाओं के त्वरित कार्य निष्पादन के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के लिए जापान में युवा रेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जापान इंटरनेशल को-ऑपरेशन एजेंसी की सहायता से वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान 08 बैच में 287 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी 08 बैचों ने जापान में अपने प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक दे दिया है। सामान्यतः, ये अधिकारी जापान में प्रशिक्षण और इस प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी

से बहुत अधिक संतुष्ट हैं। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड और अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) के चार वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जापान में अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। रेल मंत्रालय ने भी 2017 में 450 अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु साउथवेस्ट जिआओतांग विश्वविद्यालय, चीन में भेजा, जिसमें हाई स्पीड संबंधी प्रशिक्षण को कवर किया गया। अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, विश्वविद्यालय को कहा गया है कि वह अलग बैचों को प्रशिक्षण देने के लिए विचार करने से पहले पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करे।

(ग) मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए अनेक उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसमें उच्चतम स्तर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष और जापान के प्रधान मंत्री के विशेष सलाहकार की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति भी शामिल है। इस परियोजना को वर्ष 2022/23 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें इंजीनियरी खरीद एवं निर्माण (ई.पी.सी.) ठेके प्रदान करना, बेहतर परियोजना निगरानी तंत्र, अनुमान स्वीकृत करने सहित ठेके प्रदान करने संबंधी फील्ड इकाइयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल निर्माण कंपनी, रेल इंडिया टैकनिकल एंड इकॉनॉमिक सर्विसिज़ (राइट्स) तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) जैसी नई एजेंसियों को विद्युतीकरण का कार्य सौंपकर निष्पादन एजेंसियों की संख्या मौजूदा तीन से बढाकर छः कर दी गई है।

दोहरीकरण/लाइन क्षमता संवर्धन परियेजनाओं, लास्ट माईल कनेक्टीविटी आदि के लिए मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण हेतु संस्थागत वित्तपोषण का करार करके धन की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि की व्यवस्था हेतु रेलवे के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

बुलेट ट्रेन

2374. **श्री प्रसून बनर्जी :**
श्रीमती वी. सत्यबामा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुलेट ट्रेन के कब तक आरंभ होने की संभावना है और इसके संचालन हेतु वास्तविक समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अहमदाबाद-मुंबई ट्रेन परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य बुलेट ट्रेन परियोजना को स्वीकृति दी है अथवा स्वीकृति देने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा, स्वीकृत की गई धनराशि, योजनागत परिव्यय और इस परियोजना की पूर्णता की समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) व्यवहार्यता रिपोर्ट में, मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना (एम.ए.एच.एस.आर.) के पूरा होने का लक्ष्य 2023 दर्शाया गया था। बहरहाल, इसे 2022 में पूरा होने के संबंध में प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इस समय, केवल मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना ही सरकार द्वारा स्वीकृत उच्च गति की रेल परियोजना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उच्च गति रेल के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए चार प्रमुख मेट्रो और देश के विकास केंद्रों को जोड़ने वाले निम्नलिखित मार्गो की पहचान की है: (i) दिल्ली-मुंबई, (ii) दिल्ली-कोलकाता, (iii) मुंबई-चेन्नै, (iv) दिल्ली-चेन्नै का दिल्ली-नागपुर खंड, (v) मुंबई-कोलकाता का मुंबई-नागपुर खंड, और (vi) चेन्नै-बेंगलूरू-मैसूरू।

(घ) उच्च गति परियोजनाएं सघन पूंजी वाली और गहन प्रौद्योगिकी की होती हैं। इसलिए, उच्च गति परियोजनाओं को स्वीकृति देना परियोजना की तकनीकी व्यावहार्यता, वित्तीय औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति

2375. **श्रीमती एम. वसन्ती** : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति का अनावरण होने वाला है और एक उन्नत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर आरंभ करने पर भी काम चल रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल निर्यात को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई नीति में मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, स्वास्थ्य परिचर्या, संवर्धित वास्तविकता और रोबोटिक्स के क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल एप्लीकेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रोनिकी डिजाइन और विनिर्माण उद्योग सृजित करने के विज़न के साथ इलेक्ट्रोनिकी पर राष्ट्रीय नीति (एन.पी.ई. 2012) को अक्टूबर, 2012 में अधिसूचित किया गया। इलेक्ट्रोनिकी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक माल के स्वदेशी विनिर्माण और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिन्हें संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया गया है। इन उपायों ने देश में एक प्रतियोगी इलेक्ट्रोनिकी प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) उद्योग के लिए सफलतापूर्वक आधार रखा है। इसके परिणामस्वरूप, देश में इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन 26.7% के वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) पर वर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़कर 2017-18 में 3,87,525 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने मौजूदा नीतियों को अद्यतन करने के उद्देश्य से स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया है। परामर्शी बैठकों में, चिकित्सा और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रोनिकी सहित 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.)/सेन्सर, कृत्रिम बौद्धिकता (ए.आई.), मशीन लर्निंग, ऑग्मेंटेड रियल्टी (ए.आर.) और वर्चुअलॉरियल्टी (वी.आर.) जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आर. एण्ड डी. नवोद्भव और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात को बढ़ावा देने पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) की सामरिक समीक्षा 2017 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग अनुमानतः 413 बिलियन अमरीकी डॉलर है। तथापि, भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग अब भी अपने आरंभिक स्तर पर ही है। वर्तमान में भारत में सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का राजस्व 7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें से लगभग 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व निर्यात से प्राप्त किया जाता है। एक संचालन नीति और व्यापार परिवेश के जरिए इस क्षेत्र में बढ़ने की काफी क्षमता है। आई.टी. उद्योग के बदलते स्वरूप के साथ, जहां ब्लॉक चेन, आई.ओ.टी., क्लाउड और अन्य प्रौद्योगिकियां केन्द्र बिन्दु बनी हुई हैं, वहीं विकास और नेतृत्व की स्थिति में बने रहने के लिए उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पैदा हुई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की स्थापना के लिए परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, आई.टी. पेशेवरों के कौशल में विकास करना, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को समान स्तर प्रदान कराना, व्यापार करने की सुविधा देना, नवोद्भव, आर. एंड डी. और आई.पी. सृजन तथा संरक्षण के लिए एक समर्थकारी परिवेश तैयार करना और उद्योग के लिए प्रतिभा पूल का सृजन करना शामिल है। सरकार ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर नीति बनाने संबंधी आवश्यकता की जांच करने के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया है।

विवरण

इलेक्ट्रोनिकी वस्तुओं के निर्यात और घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र में कमियों को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना जुलाई, 2012 में अधिसूचित की गई। योजना नई परियोजनाओं और विस्तारित परियोजनाओं दोनों के लिए उपलब्ध है और आवेदन प्राप्त करने के लिए यह योजना दिनांक 31.12.2018 तक खुली है।

(ii) इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण इकाइयों के लिए नवीनतम अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ई.एम.सी.) योजना को अधिसूचित किया गया था। यह योजना 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 5 अक्तूबर, 2017 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इसके अलावा, अनुमोदित आवेदकों के लिए निधियों के वितरण हेतु पांच वर्ष की अवधि उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत 3,565 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैले 20 ग्रीन फील्ड ई.एम.सी. और 3 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ़.सी.) को 1,577 करोड़ रुपए के सरकारी अनुदान सहित 3,896 करोड़ रुपए की लागत से अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए अंतिम अनुमोदन दिया गया है। देशभर के 15 राज्यों में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थापना के लिए इन ई.एम.सी. में 3,565 एकत्र क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

(iii) इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोबाइल हैंडसेट, टेलीविजन, इलेक्ट्रोनिकी संघटक, सेट-टॉप बॉक्स, एल.ई.डी. उत्पाद, चिकित्सा इलेक्ट्रोनिकी, सौर पी.वी. सेल और माइक्रोवेब ऑवन शामिल हैं। मोबाइल हैंडसेटों

तथा उसके भागों/संघटकों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी.एम.पी.) को अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में इस क्षेत्र में तेजी से निवेश आकर्षित हुए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में महत्वपूर्ण रूप से विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना हुई है।

(iv) लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन इलेक्ट्रोनिक उत्पाद विनिर्माण के लिए मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक की एफ.डी.आई. की अनुमति है।

(v) इस क्षेत्र में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मर्चेन्डाइज एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (एम.ई.आई.एस.) और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई.पी.सी.जी.) स्कीम, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के तहत उपलब्ध है। एम.ई.आई.एस. निर्यात प्रोत्साहन देता है ताकि विनिर्माण संबंधी बाधाएं दूर की जा सकें। शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. योजना विशिष्ट निर्यात अनुबंध-पत्र के बशर्ते शून्य सीमा शुल्क पर कैपिटल गुड्स के आयात को अनुमति देती है।

(vi) दिनांक 11.06.2018 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 के संशोधन के जरिए इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले प्लांट और मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

नवोद्भव और आर एंड डी का संवर्धन

(vii) व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर निधियों" में भागीदारी करने के लिए इलेक्ट्रोनिक विकास निधि (ई.डी.एफ.) को "निधियों की निधि" के तौर पर स्थापित किया गया है जो बदले में इलेक्ट्रोनिकी, नैनो इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराए। ऐसी उम्मीद है कि इस निधि द्वारा इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों आर एण्ड डी और नवोद्भव को प्रोत्साहन मिलेगा। ई.डी.एफ. के जरिए निवेश के लिए 22 डॉटर निधियों को चुना गया है। इन 22 डॉटर निधियों के लिए ई.डी.एफ. की संचयी प्रतिबद्धता 1,227 करोड़ रु. है और इन 22 डॉटर निधियों की कुल लक्षित निधि लगभग 10,900 करोड़ रु. है। एम.ई.आई.टी.वाई. ने ई.डी.एफ. के लिए 51.24 करोड़ रु. की राशि जारी की है जिसके बदले में छः डॉटर निधियों के लिए 46.55 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार इन छः डॉटर निधियों ने 45 स्टार्ट-अप/वेंचरों में 169 करोड़ रु. का निवेश किया है।

(viii) प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण की योजना के लिए बड़ी स्वदेशी आवश्यकता के मद्देनजर आई.सी.ए.एस. नामक भारतीय अनुबन्धित अभिगम प्रणाली का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी में सेट टॉप बाक्सों (एस.टी.बी.) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आई.सी.ए.एस. घरेलू एस.टी.बी. विनिर्माताओं को अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए 3-5 अमरीकी डॉलर प्रति लाइसेंस के बाजार मूल्य की तुलना में तीन वर्ष की अवधि के लिए 0.5 अमरीकी डॉलर प्रति लाइसेंस के मूल्य पर उपलबध है। केबल नेटवर्क में आई.सी.ए.एस. का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।

(ix) एम.ई.आई.टी.वाई. चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एस.सी., केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठन जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान देता है। इन अनुसंधान कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तकनीक/उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी कई पहलें की गई हैं। इन अनुसंधान कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 'मेक इन इंडिया' को सहायता देने के लिए विशेषीकृत जनशक्ति तैयार हुई है।

(x) ई.एस.डी.एम. सेक्टर के विकास के लिए उद्भवन उपलब्ध कराने वाले एक इलेक्ट्रोप्रिन्योर पार्क की स्थापना नई दिल्ली में की गई है जो क्षेत्र में आई.पी. सृजन और उत्पाद विकास में अपना योगदान देगा।

(xi) अनुसंधान और विकास, विनिर्माण; इकोसिस्टम; उद्यमशीलता; भागीदारियों तथा मानव संसाधन को बढ़ावा देने और वाणिज्यिकरण के लिए उद्योगों के सहयोग से प्रोटोटाइप विकसित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी., कानपुर में वृहत क्षेत्र फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोनिक्स में राष्ट्रीय

उत्कृष्टता केन्द्र (एन.सी.एफ.एल.ई.एक्स.) की स्थापना की जा रही है।

(xii) आन्तरिक सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एन.सी.ई.टी.आई.एस.) की स्थापना आई.आई.टी., बॉम्बे में की गई है। इसका उद्देश्य अन्तरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी आदिरूप उपलब्ध कराकर और अन्तरिक सुरक्षा के क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर सतत आधार पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(xiii) नैस्कॉम के साथ संयुक्त रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) पर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना बंगलूरू में की गई है।

(xiv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), पटना में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी पर फोकस के साथ इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई।

[हिन्दी]

अधिकारियों की कमी

2376. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न स्कंधों में अधिकारियों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पारंपरिक रूप से सशस्त्र सेना को अधिकतम रक्षाकर्मी प्रदान करने वाले राज्यों में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) तीनों सशस्त्र सेनाओं (मेडिकल और डेन्टल को छोड़कर) सेना-वार विवरण इस प्रकार हैः-

सेना	अधिकृत संख्या	धारित संख्या शक्ति	कमी
सेना (1.1.2018 के अनुसार)	49933	42635	7298
नौसेना (1.7.2018 के अनुसार)	11352	9746	1606
वायुसेना (1.7.2018 के अनुसार)	12584	12392	192

(ख) सेना में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इसमें अविछिन्न चित्र-प्रदर्शन, कैरियर मेलों और प्रदर्शनियों और प्रचार अभियान में भागीदारी शामिल है ताकि युवाओं में चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक कैरियर चुनने के फायदों पर जागरुकता फैलाई जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की नौकरियों को आकर्षक बनाने जिसमें सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति संभावना में सुधार भी शामिल है, के लिए कई कदम उठाये हैं।

(ग) युवाओं जिनमें ग्रामीण युवा भी शामिल हैं, को सशस्त्र सेना से जुड़ने के लिए उन्हें आकर्षित करने हेतु बहुत से कदम उठाये गये हैं जैसे-प्रिंट और ऑडियो-विजुअल मीडिया में विज्ञापन द्वारा सशस्त्र सेनाओं की भर्ती के लिए व्यापक प्रचार। सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी.बी.ओ.आर.) की भर्ती खुली रैली प्रणाली के जरिये की जाती है जिसे देशभर में नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। इसमें दूर-दराज और जनजातियों क्षेत्रों सहित पूरे देश को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। नौसेना में नियमित रूप से भर्ती अभियान आयोजित किए जाते हैं जिसमें नाविकों की भर्ती के लिए सभी राज्यों/क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वायुसेना में एयरमैन की भर्ती, निर्धारित चयन परीक्षाओं के द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां भी आयोजित की जाती है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक अनुसंधान की शोचनीय दशा

2377. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अकादमी विशेषज्ञों/संगठनों ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की शोचनीय दशा और इस हेतु अपर्याप्त धनराशि के आवंटन पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने और प्रयोजनमूलक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान

परिषद (सी.एस.आई.आर.) और वैज्ञानिक अनुसंधान में संलिप्त अन्य संगठनों को अपना कोष स्वयं सृजित करने तथा स्व-वित्तपोषित परियोजनाएं शुरू करने के निदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त संगठनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार की विभिन्न अनुसंधान योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर इनका क्या प्रभाव होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) नहीं। सरकार ने मंत्रालय में विभागों के बढ़ते आबंटन सहित देश में सोद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्रदान करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। अनुसंधान की दिशा को पुन: रूपरेखा दी गई है ताकि प्रभावकारी मौलिक अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा से लेकर अनुलेखनीय अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवोन्मेष तक तथा स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जा सके और देशज प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण किया जा सके। भारत साइबर भौतिक प्रणालियों, कृत्रिम आसूचना, उच्च संगठन, गहरा समुद्र, जैवभेषजविज्ञान आदि में महत्वाकांक्षी मिशनों की भविष्य में शुरूआत करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, जिससे हमारा अनुसंधान वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सार्थक होगा। गत चार वर्षों के दौरान (2014-18) मंत्रालय में विभागों को रु. 38,482.14 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जो कि 2010-14 की अवधि की तुलना में 41.65% की बजटीय वृद्धि है।

(ग) और (घ) सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) तथा मंत्रालय में अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्यरत संगठनों को स्वयं की निधियां सृजित करने और स्व-वित्तपोषित प्रोजेक्ट आरंभ करने का निर्देश नहीं दिया है। तथापि, सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ देहरादून में 12-13 जून 2015 को आयोजित 'चिंतन शिविर' के दौरान एक 'देहरादून घोषणा' को पारित किया गया था जो सी.एस.आई.आर. को प्राथमिक तौर पर अनूठी प्रौद्योगिकियों सहित उद्योगपरक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए निर्देशित करती है। मंत्रालय के तहत आर एंड डी संगठनों ने इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सी.एस.आई.आर. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंसिंग, रॉयल्टी, प्रीमियम आदि के जरिए अपने कुल बजट के 30% तक आंतरिक राजस्व जुटाने के लिए प्रयासरत है। आंतरिक प्राप्तियों के जरिए सी.एस.आई.आर. अपने वित्तीय संसाधनों को भी संपूरित कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान विभिन्न एजेंसियों/व्यक्ति-विशेषों को मौसम विज्ञान संबंधी सहायता/सूचना/महासागर प्रौद्योगिकीय सेवाएं तथा परामर्शी सेवा उपलबध कराकर राजस्व अर्जित करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालएं अनेक सरकारी एजेंसियों, जैसे कि रेलवे, भारी उद्योग, शहरी विकास, रक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, पावर, कोयला तथा नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए बढ़ते समस्या-समाधान केंद्र बनकर आए हैं। राष्ट्रीय मिशनों पर संकेंद्रित थीम उन्मुख अनुसंधान को उच्च वित्तपोषण और प्राथमिकता दी गई है।

आग लगने की घटना

2378. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ग्वालियर में विशाखापत्तनम जाने वाली आंध्र प्रदेश ए.सी. सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी में हाल ही में आग लगने की घटना से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घटना के क्या कारण हैं तथा इसमें मरने/घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 21.05.2018 को, लगभग 11.58 बजे, उत्तर मध्य रेलवे में झांसी मंडल के आगरा-झांसी खंड के बिड़लानगर स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22416 (आंध्र प्रदेश ए.सी. एक्सप्रेस) में आग लगने की दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में कोई भी यात्री नहीं मारा गया या घायल हुआ था।

वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा विभागीय जांच करवाई गई थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि शौचालय का उपयोग कर रहे किसी यात्री द्वारा असावधानीवश सिगरेट का कुंदा या माचिस की तीली फेंकने के कारण आग लगने की दुर्घटना हुई। सवारी डिब्बों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

- भारतीय रेल का निरंतर प्रयास रहा है कि अग्नि मंदक फर्निशिंग मैटिरियल की व्यवस्था करके सवारी डिब्बों में अग्नि मंदन में सुधार किए जाए। सवारी डिब्बों में अग्नि संरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से

नवीनतम यूरोपीय मानदंडों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण आंतरिक साज सज्जा की सामग्रियों की सामग्री विशिष्टियों में हीट रिलीज़ रेट नामक एक पैरामीटर जोड़ा गया है।

- उत्पादन इकाइयों को सभी नव निर्मित सवारी डिब्बों में निम्नखित प्रावधान करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं:
  - i. सभी नव निर्मित पावर कारों और पैंट्री कारों में अग्नि संसूचक और दमन प्रणाली।
  - ii. सभी नव निर्मित वातानुकूलित सवारी डिब्बों में अग्नि एवं धुंआ संसूचक प्रणाली।
  - iii. सभी नव निर्मित गैर-वातानुकूलित (ए.सी. सवारी डिब्बों के अतिरिक्त) सवारी डिब्बों में अग्नि शामक।
- मौजूदा सवारी डिब्बों में भी अग्नि संरक्षा विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में, उत्तरोत्तर रूप से सवारी डिब्बों की चिह्नित श्रेणियों पर गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों में अग्नि एवं धुंआ संसूचक प्रणाली, अग्नि संसूचक और दमन प्रणाली और अग्निशामक प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।
- ऑन-बोर्ड टिकट जांच कर्मचारियों को अनुदेश दिए गए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब भी ज्वलनशील और खतरनाक/निषिद्ध वस्तुओं का पता लगे, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन कर्मचारियों को इसके बारे में सूचना दी जाए।
- इलेक्ट्रिक फिटिंग और फिक्स्चर जैसे एम.सी.बी. (मिनीएचर सर्किट ब्रेकर), लाइट फिटिंग, टर्मिनल बोर्ड, कनेक्टर इत्यादि के लिए बेहतर सामग्री का उपयोग उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है।
- रेलें, गाड़ी प्रकाश और वातानुकूलित सवारी डिब्बों में क्रमश: स्तर 3 और स्तर 4 इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रोटेक्शन सिस्टम उपलब्ध करवा रही हैं।
- यात्रियों को ज्वलनशील सामान ले जाने से रोकने के लिए नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।
- यात्रियों को ज्वलनशील सामान ले जाने से रोकने के लिए नियमित रूप से गहन प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।
- गाड़ियों और स्टेशन परिसर में ज्वलनशील/खतरनाक सामग्री को ले जाने के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंटरनेट टेलीफोनी

2379. श्री दिव्येन्दु अधिकारी :
डॉ. किरीट सोमैया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में इंटरनेट टेलीफोनी प्रणाली आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या लाभ होंगे;

(ख) क्या उक्त सुविधा विमानों में भी उपलबध होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार ऑपरेटर इन सेवाओं के लिए सामान्य की तुलना में अधिक प्रभार वसूल करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ता को उक्त सेवाएं सक्रिय करने के लिए सिम कार्ड/मोबाइल नंबर बदलना होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नई सेवा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने की संभावना है और इसमें कितनी लागत आएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने के लिए अभिगम सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत लाइसेंसों को पहले ही अनुमति दी गई है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 जून, 2018 को स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है। (प्रति संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न है) एकीकृत लाइसेंस संशोधन की प्रति संलग्न विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्तमान में, भारत में विमानों में 'इन-फ्लाइट' कनेक्टिविटी की अनुमति नही है। सरकार द्वारा एक बार 'इन फ्लाइट' कनेक्टिविटी की अनुमति मिलने पर इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा दी जा सकती है।

(ग)–राष्ट्रीय रोमिंग और ग्रामीण फिक्सड टेलीफोनी सेवाओं के अलावा दूरसंचार अभिगम सेवाओं के टैरिफ को 'अंडर-फारबियरेंस' अर्थात अलग रखा गया है। इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं अथवा विमानों में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई टैरिफ निर्दिष्ट नही किया गया है। सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न प्रकार की कालों/डाटा के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों के

संबंध में निर्णय इनपुट लागतों, प्रतिस्पर्धा के स्तर और अन्य वाणिज्यि विवेचनाओं सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं। उपभोक्ता को इंटरनेट टेलीफोनी को सक्रिय करने के लिए सिम कार्ड/मोबाइल नंबर को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) इस सेवा से उपभोक्ता ऐसे स्थानों से कॉल कर सकेगें, जहां सेलुलर नेटवर्क कवरेज खराब है परन्तु किसी अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाता की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

इंटरनेट टेलीफोनी से संबंधित स्पष्टीकरण

सं. 20-573/2017 ए.एस.-I
भारत सरकार
संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 जून 2018

सेवा में,

सभी एकीकृत लाइसेंस/एकीकृत लाइसेंस (वी.एन.ओ.)/
एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस/सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारी

विषय : इंट्रेनेट टेलीफोनी के संबंध में स्पष्टीकरण

लाइसेंसों में उल्लिखित इंटनेरट टेलीफोनी के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सेवा अंतर्निहित अभिगम नेटवर्क से निर्बाधित है। अत: अन्य सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं को अभिगम सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा उपलबध कराई जा सकती है।

(आर.के.सोनी)
निदेशक (ए.एस.)
टेलीफोन नं. 23036284

प्रतिलिपि:-

1. सचिव (ट्राई)
2. वरिष्ठ उप महा निदेशक (टी.ई.सी.)/बेतार सलाहकार वरिष्ठ उप महानिदेशक (डी.जी.टी-मुख्यालय)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (एल.एफ.पी.)/उप महानिदेशक (एल.एफ.ए.) और उप महानदिशक (डब्ल्यू.पी.एफ.)
3. उप महानिदेशक (सी.एस.)/उप महानिदेशक (डी.एस.)/उप महानिदेशक (ए/सी) सी.वी.ओ.
4. सी.ओ.ए.आई.
5. निदेशक (आई.टी.) कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलोड करने का प्रबंध करे।
6. ए.एस. प्रभाग के सभी निदेशक

विवरण-II

एकीकृत लाइसेंस संशोधन की प्रति

सं. 20-573/2017 एएस-I
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 जून, 2018

सेवामें,

सभी यू.ए.एस. लाइसेंस धारक

विषय : इंटरनेट दूरभाषी टेलीफोनी से संबंधित यू.ए.एस. लाइसेंस में संशोधन

शर्त 5.1 के अनुसरण में लाइसेंस प्रदाता ने यू.ए.एस. लाइसेंस करार में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

विद्यमान खंड	संशोधित खंड
1.	**अध्याय-VIII** 2.6 (ii) अंतरराष्ट्रीय स्थलों से अंतरराष्ट्रीय आउट रोमर्स द्वारा किए गए इंटरनेट दूरभाषी कॉल इससेंसीकृत आई.एल.डी.ओ. के अंतरराष्ट्रीय गेटवे में हस्तांतरित किए जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान टर्मिनेटिंग अभिगम्य सेवा प्रदाता को किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि देश के बाहर से आने वाली इंटरनेट दूरभाषी (टेलीफोनी) आई.एल.डी.ओ. गेटवे से आ रही हैं तो अभिगम्य सेवा प्रदाता के इंटरनेट दूरभाषी

	विद्यमान खंड	संशोधित खंड
		उपभोक्ताओं को इंटरनेट दूरभाषी कॉल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इंटरनेट दूरभाषी का उपयोग करते हुए। देश के बाहर से किए गए कॉल किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कॉल की तरह आई.एल.डी. (अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी) गेटवे के माध्यम से भेजे जाएंगे।
2.		**अध्याय-VIII** 2.6(iii) लाइसेंसधारक द्वारा इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल नंबरों वाली श्रृंखला का उपयोग किया जाना चाहिए। टी.एस.पी. को सेल्यूलर मोबाइल सेवा और इंटरनेट दूरभाषी सेवा दोनों के लिए उपभोक्ता को एक ही नंबर आवंटित करने की अनुमति होगी। अभिगम्य सेवा लाइसेंसधारक को टेलीफोन नंबर मैपिंग के लिए ई.164 से एस.आई.पी./एच. 323 तक एड्रेसेस एवं इसके विपरित अपने नेटवर्क में निजी ई.एन.यू.एम. का उपयोग करना चाहिए।
		अध्याय-VIII 2.6(iv) लाइसेंसधारक को इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित लाइसेंस में यथा-विनिर्दिष्ट पाबंदी एवं निगरानी से संबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए। शुरु/समाप्त किए जाने वाले इंटरनेट दूरभाषी कॉल के लिए प्रयुक्त पब्लिक आई.पी. एड्रेस को इंटरनेट दूरभाषी के मामले में सी.डी.आर. का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जहां संभव हो आक्षांश और देशांतर के रूप में स्थान का ब्यौरा भी उपलबध कराया जाना चाहिए इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को सी.एल.आई. प्रतिबंध (सी.एस.आई.आर.) सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।
4.	उपभोक्ता को इंटरनेट दूरभाषी के लिए दिया गया आई.पी. एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबरर्स अथॉरिटी (आई.ए.एल.ए.) की आई.पी. एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप ही हो। आई.पी एड्रेस का ई.164 नंबर/निजी नंबर और इसके प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक द्वारा इसके विपरीत अनुवाद लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार होगा।	**अध्ययन-VIII** 2.6(v) इंटरनेट दूरभाषी के लिए उपभोक्ता को दिया गया आई.पी. एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी (आई.ए.एन.ए.) की आई.पी. एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप ही हो।
5.		**अध्याय-VIII** 2.6 (vi) इंटरनेट दूरभाषी सेवा उपलब्ध कराने वाले लाइसेंसधारक स्थानीय सेवाओं का उपयोग करते हुए आपातकालीन नंबर कॉल की सुविधा दें, यद्यपि वर्तमान में ऐसी सेवाएं उपलब्ध उपभोक्ताओं को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करने की सीमा के बारे में अवगत कराया जाए।

विद्यमान खंड	संशोधित खंड
6.	**अध्याय-VIII** 2.6 (vii) लासेंस धारकों को इंटरनेट दूरभाषी के लिए उनके द्वारा समार्पित क्यू.ओ. एस.पैरामीटर के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उपभोक्ता निर्णय ले सकें।

2. ये संशोधन यू.ए.एस. लाइसेंस करार का अभिन्न भाग होंगे और अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी।
3. ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

(आर.के.सोनी)
निदेशक (ए.एस.)
दूरभाष-23036284

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव (ट्राई)
2. वरिष्ठ डी.डी.जी.(टी.ई.सी.)/वायरलैस सलाहकार/वरि.डी.डी.जी. (डी.जी.टी.-एच.क्यू.)/वरि.डी.डी.जी. (एल.एफ.पी./डी.डी.जी. (एल.एफ.ए.) और डी.डी.जी. (डब्ल्यू.पी.एफ.)
3. डी.डी.जी.(सी.एस.)/डी.डी.जी. (डी.एस.)/डी.डी.जी (ए./सी.)/सी.वी.ओ.
4. सी.ओ.ए.आई.
5. निदेशक (आई.टी.): कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. ए.एस. प्रभाग के सभी निदेशक

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का ठहराव

2380. **श्री ज्ञान सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सहित देश में चल रही गरीब रथ (12535 और 12536), पुरी/वलसाड (229009 और 22910) जम्मू तवी (18215 और 18216) तथा शालीमार भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22829 और 22830) रेलगाड़ियों के प्रस्थान/ठहराव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त रेलगाड़ियों का मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ठहराव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इन रेलगाड़ियों के उमरिया में रुकने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) उक्त रेलगाड़ियों का उमरिया जिले में कब तक ठहराव प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) गाड़ी संख्या 12535/12536 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, 22909/22910 पुरी-वलसाड एक्सप्रेस, 18215/18216 दुर्ग-जम्मू तवी एक्सप्रेस और 22829/22830 भुज-शालीमार एक्सप्रेस के प्रस्थान समय और मार्ग में ठहरावों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	रेलगाड़ी का नाम एवं संख्या	आरंभिक स्टेशन	प्रस्थान समय	ठहरावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस	लखनऊ	14.10	10
2.	12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस	रायपुर	12.20	10

1	2	3	4	5
3.	22909 पुरी-वालसाड एक्सप्रेस	पुरी	20.15	22
4.	22910 वालसाड-पुरी एकसप्रेस	वालसाड	06.30	22
5.	18215 दुर्ग-जम्मू तवी-एक्सप्रेस	दुर्ग	09.00	24
6.	18216 जम्मू तवी- दुर्ग एकसप्रेस	जम्मू तवी	05.00	24
7.	22829 भुज-शालीमार एकसप्रेस	भुज	14.20	29
8.	22830 शालीमार-भुज एकसप्रेस	शालीमार	20.22	29

(ख) से (ङ) जी नहीं। उपर्युक्त गाड़ियों का उमरिया में निर्धारित ठहराव नहीं है। बहरहाल, अन्य बातों के साथ-साथ उमरिया में अतिरिक्त रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन की जांच कर ली गई है परन्तु इस समय, यह व्यवहार्य नहीं है।

ट्विटर के माध्यम से शिकायतें

2381. **श्रीमती रीती पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ट्विटर के माध्यम से मिलने वाली यात्रियों की शिकायतों का समाधान तत्काल अधार पर किया जाता है और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकयतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ट्विटर का उपयोग नहीं करने वाले यात्री रेलवे से मदद प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ट्विटर के अलावा ऐसे अन्य माध्यमों के नाम क्या हैं, जिनमें ज़रिए कोई यात्री आवश्यकता के समय रेलवे से संपर्क कर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) दैनिक आधार पर यात्रियों की शिकायतों का समाधान करने संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए रेलवे में एक सुस्थापित कार्यप्रणाली है। विभिन्न चैनलों के माध्यम से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों को तत्पर और त्वरित निवारण के लिए भेजा जाता है। किसी भी माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान तत्काल आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने यात्रियों की शिकायतों/परिवादों को पंजीकृत करने के विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं, अर्थात् स्टेशनों और रेलगाड़ियों और रेलगाडियों में शिकायत पुस्तिकाएं, स्टेशनों पर में आई हैल्प यू बूथ/काउंटर, अखिल भारतीय हैल्प लाइन संख्या 138, केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.), शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी.ओ.एम.एस.)।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.डी.आई.एस.एच.ए.

2382. **श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी :**
श्री कोनाकल्ला नारायण राव :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पी.एम.जी.डी.आई. एस.एच.ए.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और मौजूदा वित्त वर्ष में इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी निधियां आबंटित की जा रही हैं?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) सरकार ने 2351.38 करोड़ रुपए (अनुमानित) के कुल परिव्यय से 14-16 आयु वर्ग के बीच ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने के लिए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पी.एम.जी. दिशा)" नामक एक योजना फरवरी, 2017 में अनुमोदित की है।

इस योजना को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेज

इंडिया लि. (सी.एस.सी.-एस.पी.वी.) नामक एक कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। समान रूप से भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योजना के अंतर्गत देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 200-300 उम्मीदवारों को पंजीकृत करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक लाभार्थी को 20 घंटे का डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें 5 माड्यूल शामिल होते हैं। प्रति उम्मीदवार कुल व्यय 391.90 होता है, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रमाणन शुल्क और कार्यक्रम प्रबंधन/प्रचालन व्यय आदि शामिल होता है।

अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए (वर्तमान वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपए सहित) की राशि आबंटित की गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल लगभग 1.25 करोड़ उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है। कुल 1.24 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 64.84 लाख से अधिक उम्मीदवारों को विधिवत प्रमाणित किया जा चुका है।

चूंकि उपर्युक्त योजना केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में वित्तपोषित है, अत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। प्रमाणित उम्मीदवारों के लक्ष्य, अब तक पंजीकृत, प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निधि आवश्यकताओं के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रमाणित उम्मीदवारों के लक्ष्य, अब तक पंजीकृत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निधि आवश्यकताओं के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण पी.एम.जी.दिशा योजना के अंतर्गत दिए गए हैं:

(27-07-2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य (उम्मीदवारों की संख्या)	लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर फंड आवश्यकता (करोड़ रुपये में)	उपलब्धि की स्थिति (उम्मीदवारों की संख्या)		
				प्रमाणित	प्रशिक्षित	पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18000	0.71	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	2028000	79.48	252122	245812	135550
3.	अरुणाचल प्रदेश	77000	3.02	663	640	121
4.	असम	1929000	75.6	182752	148522	30730
5.	बिहार	6630000	259.83	878970	866170	461978
6.	चंडीगढ़	2000	0.08	0	0	0
7.	छत्तीसगढ	1412000	55.33	767952	761440	412859
8.	दादरा और नगर हवेली	13000	0.51	1	1	0
9.	दमन और दीव	4000	0.15	7	5	1
10.	दिल्ली	30000	1.17	0	0	0
11.	गोवा	40000	1.57	5	5	0
12.	गुजरात	2497000	97.86	803841	801449	454836

1	2	3	4	5	6	7
13.	हरियाणा	1191000	46.67	713344	708962	413671
14.	हिमाचल प्रदेश	444000	17.39	87298	86928	35476
15.	जम्मू और कश्मीर	658000	25.79	164520	161612	89768
16.	झारखंड	1803000	70.66	1001859	997839	516438
17.	कर्नाटक	27050200	106.01	320332	319899	176352
18.	केरल	1257000	49.26	14465	14189	5214
19.	लक्षद्वीप	1000	0.04	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	3784000	148.29	823470	814501	402114
21.	महराष्ट्र	4433000	173.73	605362	601282	319439
22.	मणिपुर	137000	5.37	6501	6497	1888
23.	मेघालय	171000	6.7	807	791	67
24.	मिजोरम	38000	1.49	4479	4479	2285
25.	नागालैंड	101000	3.96	1185	1179	774
26.	ओडिशा	2517000	98.64	891471	889886	471336
27.	पुदुचेरी	28000	1.1	6869	6848	2947
28.	पंजाब	1247000	48.87	317262	308630	187985
29.	राजस्थान	3712000	145.47	755749	751770	376854
30.	सिक्किम	33000	1.29	4	4	0
31.	तमिलनाडु	2679000	104.99	373356	369891	215682
32.	तेलंगाना	2028000	79.48	248408	246475	135581
33.	त्रिपुरा	195000	7.64	34892	34738	19177
34.	उत्तराखंड	506000	19.83	173790	172916	101156
35.	उत्तर प्रदेश	11171000	437.79	2752529	2728744	1347607
36.	पश्चिम बंगाल	4481000	175.61	360966	355955	169747
	कुल	60000000	2,351.38	12545231	12408059	6487633

[हिन्दी]

रेलवे कर्मचारियों को एल.टी.सी. सुविधा

2383. **श्रीमती रंजनबेन भट्ट :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मियों को एल.टी.सी. सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में इस मंत्रालय के परामर्श से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (एल.टी.सी.) नियम, 1988 के तहत चार वर्ष के ब्लॉक में एक बार, रेलवे कर्मचारियों को "अखिल भारतीय एल.टी.सी." सुविधा की अनुमति देने का पहले ही निर्णय ले लिया है। यह सुविधा ऐच्छिक होगी और उस कैलेंडर वर्ष, जिसमें वे इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं में रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले सुविधा पासों के सभी सेटों को सरेण्डर करने के अध्यधीन दी जाएगी। यदि रेलवे कर्मचारी पहले ही सुविधा पास का लाभ प्राप्त कर चुका हो, तो दोनों को उस कैलेंडर वर्ष जिसमें वे अखिल भारतीय एल.टी.सी. का विकल्प चुनते हैं, में मिलने वाले सुविधा पासों को सरेण्डर करना होगा। बहरहाल, रेलवे कर्मचारियों को "होमटाउन एल.टी.सी." की सुविधा नहीं दी जाएगी। रेलवे के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में भी रेलवे कर्मचारी सुविधा पास के बदले में इस सुविधा के लिए पात्र होंगे।

डीजल इंजनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन

2384. **डॉ. करण सिंह यादव** :
श्री लल्लू सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युतीकृत रेल ट्रैकों पर डीजल इंजनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग करने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रचालित कुल डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों की जोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) डीजल ट्रेन और इलेक्ट्रिक ट्रेनों के प्रचालन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर होने वाले कम व्यय और लगने वाले कम समय की दृष्टि से सरकार का विचार डीजल इंजन ट्रेनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे सुरक्षा आयोग से और अधिक विद्युत मांगने के लिए कोई उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) भारतीय रेल चरणबद्ध आधार पर डीजल रेल इंजनों के मौजूदा बेड़े को बिजली रेल इंजनों में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। पिंक बुक 2018-19 के तहत 100 एच.एच.पी डीजल रेल इंजनों और 100 एल्को डीजल रेल इंजनों के रूपांतरण से संबंधित कार्य को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, विद्युतीकृत मार्गों के चालू हाने पर विद्युत कर्षण पर गाड़ियों को चलाया जाता है। बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण और विद्युतीकृत मार्गों को चालू होने के अनुरूप बिजली रेल इंजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली रेल इंजनों के उत्पादन/अधिग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 2018-19 में 603 और वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक 725 कर दिया गया है।

(ख) देश में सेवारत डीजल और बिजली रेल इंजनों की जोन-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	इंजनों की कुल संख्या	
		डीजल	बिजली
1.	मध्य	328	650
2.	पूर्व	330	276
3.	पूर्व मध्य	339	445
4.	पूर्व तट	307	457
5.	उत्तर	547	433
6.	उत्तर मध्य	132	397
7.	पूर्वोत्तर	269	33
8.	पूर्वोत्तर सीमा	390	-
9.	उत्तर पश्चिम	298	-
10.	दक्षिण	307	472
11.	दक्षिण मध्य	580	643
12.	दक्षिण पूर्व	298	692
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	184	253
14.	दक्षिण पश्चिम	377	-
15.	पश्चिम	426	409
16.	पश्चिम मध्य	414	644
	कुल	5526	5804

(ग) डीजल-चालित गाड़ियों और विद्युत-चालित गाड़ियों के परिचालन पर किए गए व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

		संशोधित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19
डीजल रेल इंजन	1. ईंधन बिल	17614	17700
	2. रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण लागत	3482	3667
	कुल	21096	21367
बिजली रेल इंजन	1. बिजली बिल	10116	10500
	2. रंल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण लागत		
	कुल	12135	12708

(घ) ऐसे किसी भी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आर.टी.आई. के लंबित आवेदन

2385. **डॉ. बंशीलाल महतो** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के अंतर्गत संपूर्ण देश में हजारों आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों को निपटाने में देरी के कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.डी.) ने सूचित किया है कि दिनांक 26.07.2018 तक की स्थिति के अनुसार 23,978 द्वितीय अपीलें/शिकायतें लंबित हैं। राज्य सूचना आयोगों से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे प्रशिक्षण देकर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी.पी.आई.ओ.)/लोक सूचना अधिकारियों (पी.आई.ओ.) की क्षमता का विकास करना एवं लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील प्राधिकारियों (एफ.ए.ए.) के लिए दिशानिर्देश जारी करना ताकि प्रभावी रूप से सूचना आपूर्ति करने/प्रथम अपील का निपटान करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जा सके, जिससे सूचना आयोग के पास 'प्रथम अपीलों' एवं 'अपीलों' की संख्या में कमी आए।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार के अधीन कार्यालयों में ऑनलाइन अपील दायर की जा सकती हैं। वर्तमान में आवेदकों से ऑनलाइन आर.टी.आई. प्राप्त करने, इस पर कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए 2200 लोक प्राधिकारियों की प्रणाली को जोड़ा गया है।

आवेदक *www.rtionline.gov.in* पोर्टल पर जा सकते हैं और केन्द्र सरकार के अधीन वांछनीय मंत्रालय या विभाग का चयन करके ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज करने में मदद करने के लिए एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.एक्यू.) भी प्रदान किए गए हैं। आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है और आर.टी.आई. आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

राज्य सरकारों को अपने राज्यों में ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल कार्यान्वित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का परामर्श दिया गया है। एन.आई.सी. को यह सुझाव दिया गया कि वह ऑनलाइन आर.टी.आई. दायर करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वेब पोर्टल जैसा पोर्टल बनाने के इच्छुक राज्यों को तकनीकी सहयोग प्रदान करें।

[अनुवाद]

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2386. **श्रीमती के. मरगथम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न कारणों से 60 प्रतिशत रेल परियोजना की लागत बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजनाओं के समय-सीमा से पीछे चलने के कारण लागत में वृद्धि की राशि 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से अनुमति अपेक्षित होती है यथा भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्य जीव संबंधी सांविधिक मंजूरी, उपयोगिताओं का अंतरण आदि, जिससे परियोजनाओं की गति व समय पर निष्पादन प्रभावित होता है, परिणामस्वरूप लागत बढ़ जाती है।

ग्राम न्यायालय

2387. **श्री रामसिंह राठवा :**
श्री निशिकान्त दुबे :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण अधीनस्थ/उच्च न्यायालयों से न्याय पाने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे उनके निवास-स्थलों से दूर हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा गांवों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निचली अदालतों में लंबित मामलों पर इन न्यायालयों में विचार किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (ङ) नागरिकों को उनके द्वार तक न्याय को पहुंचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। राज्य सरकारें अपने अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, अब तक 11 राज्यों द्वारा 343 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया जा चुका है। जिनमें से वर्तमान में राज्यों में 210 प्रचालन में हैं। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित और प्रचालित किए गए ग्राम न्यायालयों के राज्य वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यरत ग्राम न्यायालय
1.	मध्य प्रदेश	89	89
2.	राजस्थान	45	45
3.	कर्नाटक	2	0
4.	ओडिशा	22	14
5.	महाराष्ट्र	39	24
6.	झारखंड	6	1
7.	गोवा	2	0
8.	पंजाब	2	1
9.	हरियाणा	2	2
10.	उत्तर प्रदेश	104	4
11.	केरल	30	30
	कुल	343	210

ग्राम-न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आने वाले जिला/सेशन न्यायालयों के या उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित और आपराधिक मामले, ग्राम न्यायालयों को अंतरित किए जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा प्रचालन के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए स्कीम के अनुसार 18.00 लाख रु. प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार राज्यों को एक बार सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए 3.20 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए इन ग्राम न्यायालयों के प्रचालन हेतु आवर्ती व्यय के लिए भी सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए लाख में)

क्र.सं	राज्य का नाम	स्वीकृत वित्तीय सहायता
1.	मध्य प्रदेश	1819.00
2.	राजस्थान	1240.98
3.	कर्नाटक	25.20
4.	ओडिशा	337.40
5.	महाराष्ट्र	337.8
6.	झारखंड	75.60
7.	गोवा	25.20
8.	पंजाब	25.20
9.	हरियाणा	25.20
10.	उत्तर प्रदेश	1323.2
11.	केरल	474
	कुल	5708.78

7 अप्रैल, 2013 को उच्च-न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय मुद्दों और स्थितियों को ध्यान में रखते हए, जहां कहीं साध्य हो, राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों का गठन करने के प्रश्न को विनिश्चित करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च नयायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अपने अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों का गठन करने के लिए अनुरोध किया है। हाल ही में, जनवरी, 2018 और जुलाई, 2018 में उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों और राज्यों के विधि/गृह/वित्त सचिवों से वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से, ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने तथा ऊपर वर्णित स्कीम के अधीन उनके प्रचालन के लिए वित्तीय सहायता मांगने का अनुरोध किया गया।

मामलों की समयबद्ध सुनवाई

2388. डॉ. उदित राज : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सत्र न्यायालयों और जिला न्यायालयों में विभिनन आपराधिक और सिविल मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों के कार्यानवयन की क्या स्थिति है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) और (ख) अनेक विशेषज्ञ समितियों ने, जिनमें भारत का विधि आयोग भी है, मामलों के विलंबित निपटान के कारणों का अध्ययन किया है। की गई सिफारिशों के आधार पर, आपराधिक और सिविल मामलों की समयबद्ध सुनवाई और शीघ्र निपटारे को समर्थ बनाने के लिए प्रक्रियात्मक विधियां अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) और सिविल प्रक्रिया संहिता (सि.प्र.सं.) अनेक उपाबंध समाविष्ट किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, अनावश्यक स्थगनों को निरुत्साहित करने वाले संशोधन; दांडिक मामलों में ऑडियो/विडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुज्ञात करने वाले संशोधन; स्थगनों के लिए खर्च का अधिरोपण, ई-मेल, फैक्स, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवाओं का उपयोग करते हुए समनों की तामील को अनुज्ञात करना और लिखित कथन फाइल करने के लिए सीमा को परिसीमित करना भी है।

इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट विधियों में इन नियमों के अधीन शासित मामलों में विचारण के पूरा किए जाने के लिए भी उपबंध करती है। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 यह उपबंध करता है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि दलीलें प्रथम मामला प्रबंध सुनवाई की तारीख से छह मास के अपश्चात समाप्त हो जाती हैं और न्यायालय, यथा, शक्य, यह सुनिश्चत करेगा कि साक्ष्य का अभिलेखन दिन प्रतिदिन के आधार पर तब तक किया जाएगा जब तक सभी

साक्षियों की प्रति परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है। इसी प्रकार बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 में यह उपबंध है कि किसी बालक का साक्ष्य तीस दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाना है और विचारण अपराध के संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही यथाशक्य, पूरा किया जाना चाहिए। अन्य उदाहरण सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का है जो यह उपबंध करता है कि साइबर अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील पर यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और छह मास के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई और निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता में आता है। न्यायालयों में मामलों (सिविल और आपराधिक) का समय से निपटान अनेक घटकों जो अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में उपलभ्यता, भौतिक अवसंरचना और न्यायालय सहायक कर्मचारिवृंद, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अन्वेषण अभिकरणों, मुकदमेबाजों और साक्षियों को सहयोग, नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोग, पर निर्भर करता है।

खानों की नीलामी और हस्तांतरण

2389. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में अधिकांश खानें जिनकी नीलामी की जानी चाहिए थीं या आबंटित हो जानी चाहिए थीं, उन्हें 2019-20 तक सौंपा जाना तय किया गया है;

(ख) क्या मंजूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण समस्याएं, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन के मुद्दे, खनन में बाधाएं आदि इन योजनाओं को मूर्त रूप देने में देरी कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अल्पकालीन वित्त वर्ष 2020-22 में अनुमानित कोयला उत्पादन 1050 एम.टी.पी.ए. है जो कि मांग के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) और (ख) आज की तारीख तक कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत 84 कोयला खानों की नीलामी/आबंटन किया गया है। प्रचालन हेतु निर्धारित कोयला खानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	करार के अनुसार प्रचालन हेतु निर्धारित खानों .की संख्या	खान खोलने की अनुमति प्राप्त खानों की संख्या
2017-18 तक	33	19
2018-19	15	03 (आज की तारीख तक)
2019-20	23	-
2020-21	11	-
2021-22	01	-
2022-23	01	-
कुल	84	22

आबंटिती कंपनियों को करार में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कोयला खान का विकास करना है। तथापि, आबंटिती कंपनी का वित्तीय संकट, भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोर्ट मामले आदि जैसे मुद्दों का कुछ कोयला खानों के प्रचालन/विकास पर प्रभाव पड़ा है। इन अवरोधों को दूर करने तथा आबंटिती कंपनी को कोयला खान का विकास सुगम करने हेतु संबंधित स्टेकधारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ग) वित्त वर्ष 2020-22 के लिए कोयला उत्पादन का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है।

.निधियों का आबंटन

2390. **श्री सुनील कुमार मण्डल** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर आबंटित निधियों की समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधियों के विवरण, संलग्न विवरण में आबंटन

और उपयोगिता विवरण 2017-18 के तौर पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों और योजनाओं के अंतर्गत किये गए व्यय का पुनरावलोकन अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा सचिव के स्तर पर साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा नकद अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए प्रस्ताव मांगे जाने पर मंत्रालय इसे प्रस्तुत करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी परियोजना के कार्यान्वयन में निधियों की कमी इत्यादि के कारण रुकावट या विलम्ब न हो। परियोजना के कार्यान्वयन की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए एक योजना से अन्य योजना में निधियां हस्तांतरित करने के लिए टोकन/तकनीकी अनुपूरक अनुदान भी मांगे गए हैं। इसके अलावा संशोधित अनुमान (आर.ई.) सीलिंग को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठक में आबंटन और व्यय का पुनरावलोकन भी किया गया है।

(घ) उपरोक्त भाग ख और ग में दिए गए उत्तर के मद्देनज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

बजट आबंटन और सदुपयोग का विवरण 2017-18

(करोड़ रुपए में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2017-18	संशोधित अनुमान/अंतिम-आबंटन 2017-18	वास्तविक व्यय
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (व्यापक योजना)			
जनशक्ति विकास	306.76	258.76	256.59
इलेक्ट्रॉनिक शासन	240.00	240.00	260.53
बाहर से सहायता प्राप्त परियोजना (ई-शासन)	21.00	17.00	16.75
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	150.00	135.00	135.00
इलेक्ट्रॉनिकी और आई.टी. हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमसिप्स, ई.डी.एफ. और विनिर्माण क्लस्टर)	745.00	484.87	461.38
आई.टी. और आई.टी.ई.एस. उद्योगों का संवर्धन	6.00	6.00	6.00
आई.टी./इलेक्ट्रॉनिकी/सी.सी.बी.टी. में आरएंडडी	101.00	101.00	100.93
साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एन.सी.सी.सी. और अन्य)	100.00	60.00	55.69
विदेश व्यापार और निर्यात	3.00	36.67*	36.66
भीम के जरिए डिजिटल भुगतान का संवर्धन	0.00	25.00**	23.08
पी.एम.जी. दिशा	0.00	100.00*	100.00
कुल	1672.76	1462.30	1452.61

*माननीय न्यायालय के निदेशानुसार लम्बित सी.एस.टी. बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान को बढ़ाया गया।

*ये नई योजनाएं हैं जो बजट-2017-18 तैयार किए जाने के बाद कार्यान्वित की गयीं और इसीलिए आबंटन अनुदान 2017-18 के लिए पूरक मांगों के माध्यम से किया गया।

रक्षा सहयोग समझौता

2391. **श्री जगदम्बिका पाल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन से सीमा रक्षा सहयोग समझौते का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) भारत और चीन के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर 23 अक्तूबर, 2013 को किए गए थे। सीमा रक्षा सहयोग समझौते के लिए कोई नया प्रस्ताव चीन से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चीन के साथ रक्षा सहयोग सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सेना से सेना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत-चीन सीमा के आसपास शांति, स्थिरता और प्रशान्ति बनाए रखना सुनिश्चित करने सहित कई उपाय किए हैं इनमें शामिल हैं:-

i. वार्षिक रक्षा और सुरक्षावार्ता

ii. सीमा सैन्य बलों के स्तर पर आदान-प्रदान

iii. सीमा कार्मिकों की बैठकें

iv. भारत-चीन सीमा मामलों संबंधी परामर्श और सहयोग के लिए कार्यतंत्र की बैठकें; और

v. भरोसा बढ़ाने के उपायों से संबंधित करार और नवाचार।

[हिन्दी]

इलाहाबाद और देहरादून के बीच दुरंतो एक्सप्रेस

2392. **श्री श्यामा चरण गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा हेतु इलाहाबाद और देहरादून के बीच कोई अन्य तीव्र गति की रेलगाड़ी (दुरंतो एक्सप्रेस) चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण इलाहाबाद और देहरादून के बीच नई दूरांतो एक्सप्रेस शुरू करने का, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल विकास प्राधिकरण

2393. **श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया** :
श्री डी.एस. राठौड़ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य और अधिदेश क्या है;

(ग) क्या आर.डी.ए. पेशेवरों की कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आर.डी.ए. द्वारा अभी तक क्या कार्यकलाप किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) सरकार ने अप्रैल, 2017 में रेल विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) आर.डी.ए. का उद्देश्य/अधिवेश निम्नलिखित विषयों से संबंधित विशेषज्ञ सुझाव प्राप्त करना/जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है:-

(i) लागतों के अनुरूप सेवाओं का मूल्य निर्धारण;

(ii) गैर किराया राजस्व मे वृद्धि के उपाया;

(iii) सेवा की गुणवत्ता और लागत इष्टतमीकरण सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता हितों का संरक्षण;

(iv) प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना;

(v) रेल के क्षेत्र में बाज़ार के विकास एवं स्टेकहोलडरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और स्टेकहोल्डरों एवं ग्राहकों के लिए पारदर्शी डील सुनिश्चित करना;

(vi) निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना;

(vii) इस क्षेत्र में संसाधनों के कुशल आबंटन को बढ़ावा देना;

(viii) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार सेवा मानकों का निर्धारण और उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानदंडों का विवरण देना और उन्हें लागू करना;

(ix) भविष्य में समर्पित माल गलियारे (डी.एफ.सी.) अवसंरचना और अन्यों के लिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरली ओपन एक्सेस के लिए ढांचा उपलबध करवाना;

(x) वांछित दक्षता और निष्पादन मानदंडों को प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को समाहित करने के सुझाव देना; और

(xi) उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी को भी प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास संबंधी उपायों के लिए सुझाव देना।

(ग) से (ङ) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेल विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च कम सेलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति को शासित करने से संबंधित नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ग्रमीण क्षेत्रों में कल्याणकारी येजनाएं

2394. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री निशिकान्त दुबे :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रमीण क्षेत्रों विशेषकर झारखंड के संथाल परगना मे आयोजित कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिभागियों ने इन कार्यशालाओं में भागीदारी की है;

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान योजना के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, आवंटित तथा व्यय निधि का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) यह मंत्रालय केन्द्रीय रूप से छह अधिसूचित अलपसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी तथा जैन के कल्याण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में निम्लिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना - कक्षा I से X तक के लिए।

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - कक्षा XI से पीएच.डी. तक।

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए।

(4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति - एम.फिल. एवं पीएच.डी. के लिए।

(5) नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा) - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए।

(6) पढ़ो परदेश - विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

(7) नई उड़ान - संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.), कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एस.पी.एस.सी.) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता।

(8) हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र धारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना।

(9) जियो पारसी - छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

(10) नई रोशनी - अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।

(11) कौशल विकास पहल - सीखो और कमाओ।

(12) नई मंजिल - स्कूल ड्रॉपआउट के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।

(13) उस्ताद - (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)।

(14) शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.) को सहायता अनुदान:-

(क) गैर-सरकारी संगठनों/न्यास/सोसाइटी को सहायता-अनुदान।

(ख) मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण।

(घ) नई मंजिल योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम (एम.ए.ई.एफ. के माध्यम से कार्यान्वित)।

(ङ) स्वच्छ विद्यालय पहल।

(15) स्व-रोजगार और आय-सृजन उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) को इक्विटी।

(16) उपर्युक्त के अलावा, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.), पहले बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के रूप में ज्ञात, नामक एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों, अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, अल्पसंख्यक बहुल नगरों और आस-पास के गांवों के समूहों, जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, में कार्यान्वित किया जाता है।

क्रम सं. (1) से (13) और (16) पर उल्लिखित चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (*www.minorityaffairs.gov.in*) पर उपलब्ध है, क्रम सं. (14) पर उल्लिखित योजना का विवरण एम.ए.ई.एफ. की वेबसाइट (*www.maef.nic.in*) पर उपलब्ध है और क्रम सं. (15) पर दी गई योजना का विवरण एन.एम.डी.एफ.सी. की वेबसाइट (*www.nmdfc.org*) पर उलब्ध है।

(ख) जबकि गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के संथाल परगना में कोई कार्यशाला आयेजित नहीं की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "नई रोशनी" योजना के अधीन उत्तर-पूर्वी राज्यों और स्थानीय लाभार्थियों (इंफाल से महिला प्रशिक्षार्थी) की परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के साथ 2017-18 में इंफाल, मणिपुर में पारस्परिक कार्रवाई सत्र के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है।

(ग) सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए आशयित कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नामतः दूरदर्शन नेटवर्क, एफ.एम. चैनलों सहित आकाशवाणी नेटवर्क, निजी एफ.एम. चैनलों, निजी टी.वी. चैनलों और वेबसाइटों पर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देशभर में मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर लघु पुस्तिकाएं और पैम्फलेट्स हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए हैं। सीधे जनता तक पहुंचने और जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'प्रोग्रेस पंचायतें' आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर क्षेत्रीय समन्वय एवं समीक्षा सम्मेलन भी आयोज़ित की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय की योजनाओं के बारे में सूचना दी जाती है। इसके अतिरिक्त 'हुनर हाट' आयोजित करते हुए बाह्य प्रचार भी किया जा रहा है। हाल ही में पारम्परिक शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और उनका बाजार लिंकेज सुदृढ़ करने के लिए (i) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 और 2017, (ii) फरवरी, 2017 और 2018 में बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली, (iii) सितंबर, 2017 में पुदुचेरी और जनवरी, 2018 में मुम्बई में हुनर हाट आयोजित की गई हैं।

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, आबंटित तथा खर्च की गई निधि का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट *www.minorityaffairs.gov.in* पर उपलब्ध है।

कर्मचारियों के लिए एल.टी.सी.

2395. **कुंवर हरिवंश सिंह :**
श्री टी. राधाकृष्णन :
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री विद्युत वरण महतो :
श्री एस.आर. विजय कुमार :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी अपने एक गृह-शहर एल.टी.सी. के एवज में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का भ्रमण करने के लिए एल.टी.सी. की सुविधा ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा किस अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी;

(ग) क्या उक्त राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के

लिए सरकार उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त सुविधा को आगे भी जारी रखने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सुविधाओं को अन्य राज्यों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सभी पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने एक गृह-शहर एल.टी.सी. के एवज में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए एल.टी.सी. की सुविधा ले सकते हैं। उक्त स्कीम की वैधता अवधि 25 सितम्बर, 2018 तक है।

(ग) से (ङ) गृह-शहर एल.टी.सी. के एवज में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए वर्तमान स्कीम के विस्तार के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

किसी अन्य राज्य में भ्रमण हेतु ऐसी सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पलामू एक्सप्रेस

2396. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ी संख्या 13347/13348 पलामू एक्सप्रेस को पटना से बरकाकाना तक जाने और वापसी यात्रा में कुल कितना समय लगता है;

(ख) उक्त रेलगाड़ी द्वारा आने-जाने की यात्रा को पूरा करने में दो घंटे का अतिरिक्त समय लेने के क्या कारण है;

(ग) क्या बरकाकाना से पटना तक की यात्रा में पलामू एक्सप्रेस द्वारा लिए गए समय को कम किए जाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) 13347 बरकाकाना-पटना पालामाउ एक्सप्रेस और 13348 पटना-बरकाकाना पालामाउ एक्सप्रेस का यात्रा समय क्रमश: 14.00 घंटे तथा 12.15 घंटे हैं। पहली गाड़ी का अतिरिक्त रनिंग समय परिचालनिक कारणों से है जिसमें इस सेवा के स्थान पर राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दी गई तहजीह शामिल है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, 13347/13348 बरकाकाना-पटना पालामाउ एक्सप्रेस के यात्रा समय में कमी करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, भारतीय रेल पर रेलगाड़ियों के समय में कमी/गति बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है और यह परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता, पथ की उपलब्धता, स्टेशन पर प्लेटफार्म की उपलब्धता जहां गाड़ी का ठहराव है, कॉरीडोर अनुरक्षण ब्लॉक का उल्लंघन, चल स्टॉक/लोको की गति, सिगनलिंग प्रणाली की किस्म, सेक्शन, जहां से गाड़ी गुजरती है, की अधिकतम अनुमेय गति इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विमानों का उतरना

2397. श्री राहुल कस्वां : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारतीय वायु सेना के विमानों को उतारने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) ने संक्रियात्मक आकस्मिकताओं और प्राकृतिक आपदा के दौरान विमान ऑपरेशन के लिए लैंडिंग स्ट्रिप के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु देश में कतिपय राजमार्ग पट्टियों की पहचान की है। इस संबंध में, एक सामान्य योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग को भेजी गई थी जिसने कुछ स्थानों को उपयुक्त पाया है।

स्वदेशी रक्षा उत्पाद

2398. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए चालू और लंबित परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ

आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रक्षा रिपोर्ट के अनुसार 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत रक्षा उत्पादन हेतु चिन्हित 25 परियोजनाएं, धनराशि की अनुपलब्धता के कारण बंद होने के कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' मुख्यतया रक्षा उपस्कर के पूंजीगत अर्जन और अन्य नीतिगत उपायों द्वारा संचालित है। पिछले चार वित्तीय वर्षों में अर्थात 2014-15 से 2017-18 तक, सरकार ने रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) के अनुसार पूंजीगत अधिप्राप्ति की 'खरीदो (भारतीय-आई.डी.डी.एम.)', 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' तथा 'बनाओ' श्रेणियों, जिसका अर्थ यह है कि प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) केवल भारतीय विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे, के अंतर्गत लगभग 2,66,700 करोड़ रु. मूल्य के 151 प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (ए.ओ.एन.) प्रदान की है। पिछले चार वित्त वर्षों में अर्थात् 2014-15 से 2017-18 तक, रक्षा उपस्कर की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए मूल्य की 128 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए रक्षा सेवाएं प्राक्कलन (डी.एस.ई.) के अंतर्गत पूंजीगत अर्जन शीर्ष के तहत बजट आवंटन और किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

(करोड़. रुपए में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	व्यय
2015-16	77,406.69	62,235.54
2016-17	69,898.51	69,280.16
2017-18	69,473.41	72,732.28

(ग) रक्षा उत्पादों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण में भारतीय उद्योग की भागीदारी को सुकर बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 'बनाओ' प्रक्रिया की 'बनाओ-II' उप-श्रेणी के लिए फरवरी, 2018 में एक पृथक प्रक्रिया अधिसूचित की है जिसमें अनेक उद्योग अनुकूल प्रावधानों जैसेकि पात्रता मानदंडों में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति द्वारा स्वत: सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने संबंधी प्रावधान इत्यादि की शुरूआत की गई है। अब तक, 'बनाओ-II' श्रेणी के अंतर्गत 26 प्रस्तावों को "सैद्धांतिक अनुमोदन (ए.आई.पी.)" प्रदान किया गया है जिसमें से 06 प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (ए.ओ.एन.) प्रदान कर दी गई है।

[अनुवाद]

कोयले के परिवहन के दौरान चोरी की घटनाएं

2399. श्री हरि ओम पाण्डेय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोयले के परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर उसकी चोरी की घटनाओं संबंधी कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त गतिविधि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला ढुलाई के दौरान चोरी रोकने/कम करने हेतु आवश्यक कठोर कार्रवाई करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य/जिला प्रशासन का है। कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोल इंडिया लि. के कमान क्षेत्र में कोयले की ढुलाई के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी की घटना का कोई मामला नहीं है।

तथापि, कोयले की चोरी/उठाईगिरी को नियंत्रित करने के लिए कोयला कंपनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन डिवाईस (आर.एफ.आई.डी.) आधारित बूम बैरियर्स और तुलनसेतु पर क्लोज्ड सर्किट टेलिविजन (सी.सी.टी.वी.) कैमरे, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज (जी.पी.आर.एस.) आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जीओफेन्सिंग, सभी खानों के सामरिक स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किए गए है।
- कोलियरिज के प्रबंधन तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा स्थानीय पुलिस थानों में प्राथमिकियां (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जाती हैं। अपराधियों की गतिविधियों पर सी.आई.एस.एफ. द्वारा पैनी निगाह रखी जाती है।
- जिला अधिकारियों के साथ नियमित अंतराल पर बात-चीत एवं संपर्क स्थापित किया जाता है तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- चोरी रोकने के लिए होलोग्राम तथा सी.आई.एस.एफ. के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षरों के बाद जिले से बाहर ट्रकों द्वारा कोयले के परिवहन के लिए चालान जारी किए जा रहे हैं।
- रेलवे साइडिंग पर हथियारबंद गार्डों की तैनाती की गई है।
- चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में आर.पी.एफ. के साथ समन्वय करके धर्मकांटों तक कोयले के रैकों की स्कोर्टिंग की व्यवस्था की जाती है।
- तुलन सेतुओं पर कोयले से भरे ट्रकों का औचक पुनः भार लिया जाता है।
- सी.आई.एस.एफ./सुरक्षा विभाग के उड़न दस्ते द्वारा औचक जांच/छापे मारे जाते हैं।
- ओवरबर्डन डंपों सहित खान के आसपास नियमित गश्त लगाई जाती है।
- उठाईगिरी संभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से गश्त भी लगाई जा रही है।
- प्रवेश/निकास बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं जहां कोयला से लदे सभी वाहनों की वास्तविक रूप से जांच की जाती है।
- कोयला डम्पों की सुरक्षा में चारों तरफ बाड़ लगाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था लगाने तथा चौबीसों घण्टे सुरक्षा के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है।
- कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन पद्धति (सी.एम. एस.एम.एस.) शुरू की गई है जो कि एक वेब जी.आई.एस. एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से अवैध खनन के स्थानों का पता लगाया जा सकता है। सभी कोयला पट्टाधारी बाउंड्रीज एवं कोयला ब्लॉक बाउंड्रीज (सी.आई.एल., गैर-सी.आई.एल. तथा कैप्टिव) को इस पद्धति में दर्शाया गया है।

भारत हेतु इंडोनेशियाई पत्तन

2400. **श्री शिशिर कुमार अधिकारी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया ने भारत के लिए अपना समुद्री पत्तन खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत अंडमान समुद्री क्षेत्र की समुद्री क्षेत्र की समुद्री तट रेखा पर गहन समुद्री पत्तन स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) से (ग) 29-30 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने द्विपक्षीय संबंधों को 2005 में स्थापित कूटनीतिक साझेदारी को नई व्यापक कूटनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्ष आर्थिक, निवेश और अवसंरचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि दोनों पक्षों ने "सबांग में और उसके आस-पास बंदरगाह संबंधी ढांचा तैयार करने हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल की स्थापना के निर्णय की सराहना की" और "अंडमान निकोबार-असेह की आर्थिक क्षमताओं को सामने लाने के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क निर्माण की योजना का स्वागत किया।"

इसके अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने "भारत-इंडोनेशिया समुद्री सहयोग का साझा दृष्टिकोणपत्र" जारी किया जिसमें दोनों पक्षों से "व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ाने; भारत के अंडमान के चैंबर ऑफ कॉमर्स और असेह सहित सुमात्रा के प्रांतों के ऐसे संस्थानों के बीच व्यापारिक संपर्कों की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह में स्थित प्रांतों के बीच संपर्क (संस्थागत, भौतिक, डिजीटल और लागों के आपसी संपर्क) बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का आग्रह किया गया है।"

[हिन्दी]

बिहार में डिजिटल जिला

2401. **श्रीमती रमा देवी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में शिवहर जिले को डिजिटल जिला बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जिले को एक डिजिटल जिला बनाने हेतु स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार के पास "डिजिटल जिला" नाम की कोई स्कीम/परियोजना नहीं है। तथापि, बिहार के शिवहर जिले की दूरसंचार अवसंरचना में जिले के सभी

आबादी वाले गांवों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) में मोबाइल कवरेज तथा भारतनेट के तहत जिले की ग्राम पंचायतों (कुल 58 ग्राम पंचायतों) में से ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार 57 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

[अनुवाद]

परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण

2402. **श्री एंटो एन्टोनी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण (एन.एस.आर.ए.) स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्यों और प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त प्राधिकरण कब तक स्थापित किया जाएगा?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार नाभिकीय संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है तथा हमारे संयंत्रों की संरक्षा सुनिश्चत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। सभी नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं अनुमति के विभिन्न चरणों जैसे, स्थल चयन, निर्माण, कमीशन आदि के दौरान व्यापक गहन संरक्षा समीक्षा से गुजरती हैं। हमारे राष्ट्रीय नाभिकीय नियामक, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (पऊनिप) की कार्यात्मक स्वतंत्रता को विधित स्वतंत्रता में परिवर्तित करने के मद्देनज़र नाभिकीय संरक्षा नियामक प्राधिकरण (एन.एस.आर.ए.) की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। प्रारंभिक मसौदे पर अंतर-मंत्रालयीन परामर्श किया जाना है।

रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार

2403. **श्री कोनाकल्ला नारायण राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने रेलवे स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में कितने स्टेशनों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आंबटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) रेलवे में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) का गठन करके सरल प्रक्रिया और दीर्घकालिक पट्टे के माध्यम से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। इनमें आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनमें से अधिकतर स्टेशनों का पुनर्विकास पी.पी.पी. के माध्यम से किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और तिरूपति रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर.एल.डी.ए.) और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तिरूपति स्टेशन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। नेल्लौर स्टेशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का अनुमोदन लिया जा रहा है।

(घ) स्टेशनों के भीतर और उनके आस-पास खाली भूमि/एयरस्पेस के वाणिज्यिक विकास कार्यों का उपयोग करके स्टेशनों का पुनिर्विकास करने की योजना बनाई गई है। अत: इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर सामान्य तौर पर रेलवे को कोई अतिरिक्त लागत खर्च नहीं करनी पड़ती है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट

2404. **श्री आलोक संजर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने समृद्ध वरिष्ठ नागरिकों से यात्री किराए में दी जाने वाली छूट छोड़ने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा अब तक कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(घ) क्या सरकार 5000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाई करने वाले यात्रियों को मिलने वाली छूट वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) रियायत को समाप्त करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सामाजिक दायित्व के रूप में, दिव्यांगजन की चार कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कलाकारों, खिलाड़ियों आदि सहित यात्रियों की 50 से अधिक कोटियों को रेलवे द्वारा रियायत प्रदान की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नि-शुल्क प्रशिक्षण

2405. श्री अभिषेक सिंह : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण और संबद्ध योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत इन प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों का ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना का कार्यान्वयन उक्त योजना के तहत समाचार पत्रों एवं मंत्रालय की वेबसाइट में विज्ञापन के माध्यम से पात्र कोचिंग संस्थानों/संगठनों से प्रस्ताव को आमंत्रित करते हुए इस मंत्रालय के पैनल में शामिल तथा संगत क्षेत्र में कार्यानुभव वाले चयनित कोचिंग संस्थानों/संगठनों के माध्यम से किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष 2015-16 में, योजना के तहत पात्र कोचिंग संस्थानों/संगठनों को पैनल में शामिल करने के लिए कार्य किया था। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य के कोचिंग संस्थानों/संगठनों से पैनल में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 2017-18 के दौरान योजना के कार्यानवयन के लिए पात्र कोचिंग संस्थानों संगठनों को नए सिरे से पैनल में शामिल किया गया है। 2018-19 के दौरान अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक संगठन को चयनित किया गया है तथा दुर्ग एवं रायपुर में दो केन्द्र आबंटित किए गए है। तथापि, 2018-19 कोचिंग कार्यक्रम के लिए अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि संगठन से अपेक्षित दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत संपूर्ण देश के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 36399 विद्यार्थी लाभांवित हुए है।

महाराष्ट्र में रेलमार्गों का दोहरीकरण

2406. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रेलमार्गों के दोहरीकरण संबंधी परियोजना को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र में रेलमार्गों के दोहरीकरण के लिए कौन सी नई परियोजनाएं हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रेलमार्गों के दोहरीकरण हेतु कितनी निधि जारी की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 19 दोहरीकरण परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया है जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)*

क्र सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	लंबाई (किमी)	अनुमानित लागत	31.03.18 तक व्यय	संशोधित परिव्यय 2015-16	संशोधित परिव्यय 2016-17	संशोधित परिव्यय 2017-18	परिव्यय 2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उधना-जलगांव विद्युतीकरण सहित (306.93)	2008-09	307	2448	2268	600	599	410	350
2.	दोंड-गुलबर्गा दोहरीकरण (224.90 किमी) और पुणे-गुंतकल विद्युतीकरण (641.37 किमी)	2009-10	225	800	874	360	235	190	75
3.	गोधानी-कलुम्ना कोर्ड (13.7)	2010-11	13	97	37	15	15	3	14
4.	भुसावल-जलगांव तीसरी लाइन (24.13)	2011-12	24	199	167	32	103	54	51
5.	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (67.62)	2011-12	68	793	226	55	151	50	115
6.	परभनी-मुड़खेड़ (81.43)	2011-12	81	391	269	91	89	73	80
7.	वर्धा (सेवाग्राम)-नागपुर तीसरी लाइन (76.3)	2012-13	76	540	95	5	55	52	45
8.	होतगी-कुडगी-गदग (284)	2014-15	284	1798	208	5	227	109	400
9.	चिचौंदा-तिगांव (18.8 किमी.) को छोड़कर इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन (280)	2015-16	280	2450	60	-	46	59	105
10.	पुणे-मिराज-लोंडा (467)	2015-16	467	3628	280	-	180	273	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	राजनंदगांव-नागपुर- तीसरी लाइन (228)	2015-16	228	11909	257	1	150	257	375
12.	तिगांव-चिचौंदा घाट खंड-तीसरी लाइन (16.53)	2015-16	17	176	52	0.01	62	30	35
13.	वर्धा-बल्लारशाह - तीसरी लाइन (132)	2015-16	132	1272	88	-	94	68	55
14.	मनडामारी, राघवपुरम स्टेशन (33.42) को छोड़कर काजीपेट-बल्लारशाह तीसरी लाइन (201.04)	2015-16	201	2063	306	-	40	169	301
15.	जलगांव-भुसावल-चौथी लाइन (24.46)	2016-17	24	261	20	-	0.01	20	52
16.	दौंड-मनमाड (247.50)	2016-17	236	2081	30	-	0.01	30	210
17.	मनमाड-जलगांव-तीसरी लाइन (160)	2016-17	160	1035	15	-	0.01	15	52
18.	वर्धा-नागपुर-चौथी लाइन (78.70)	2016-17	76	638	20	-	0.01	20	35
19.	इगतपुरी-मनमाड-तीसरी लाइन (124)	2018-19	124	1860	-	-	-	-	0.10

*आंकड़े करोड रु. के बराबर हैं।

2014-15 से, परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति के आधार पर, अंतिम छोर संपर्कता परियोजनाओं और मौजूदा मार्गों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए परियोजनाओं को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस उद्देश्य के लिए, औचित्यपूर्ण परियोजनाओं के सुनिश्चित वित्तपोषण के लिए संस्थागत वित्त पोषण के माध्यम से क्षमता संवर्धन परियोजनाओं हेतु निधि की व्यवस्था की गई है। रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से भूमि अधिग्रहण, वन्य और वानिकी जीवन स्वीकृतियों, वृक्षों को काटने, जन-उपयोगिताओं की शिफ्टिंग आदि से संबंधित स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है।

मंगलौर से नई इंटरसिटी

2407. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर से हुबली बारास्ता मडगांव एक इंटरसिटी एक्सप्रेस और मैसूर से मडगांव बारास्ता हसन, मंगलौर और कारवार के बीच और इसके विपरीत क्रम में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी नहीं। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगियों के कारण मडगांव के रास्ते मैंगलुरू और हुबली और हासन, मैंगलुरू तथा कारवाड़ के रास्ते मैसूर और मडगांव के बीच इंटरसिटी एकसप्रेस गाड़ी शुरू करना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

रामायण परिपथ पर पर्यटक रेलगाड़ी

2408. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** :
श्री रोड़मल नागर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रामायण परिपथ पर हिंदू महाकाव्य से संबंधित स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष पर्यटक रेलगाड़ी शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेलगाड़ी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त रेलगाड़ी में सफर कर रहे लोगों/पर्यटकों को रामायण परिपथ के एक भाग के रूप में श्रीलंका का भ्रमण करने का विकल्प होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेलगाड़ी के ठहराव हेतु स्टेशनों के नाम और किराया क्या होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा दिनांक 14.11.2018 (15 रातों/16 दिनों के लिए) को दिल्ली से और दिनांक 28.08.2018 (11 रातों/12 दिनों के लिए) को कोचुवेली से रवाना होने वाली दो रामायण सर्किट गाड़ियों, जिनके नाम क्रमश: "श्री रामायण एक्सप्रेस" और रामायण यात्रा" है, को चलाने की योजना है। रेलगाड़ी का मार्ग इस प्रकार है, (i) दिल्ली सफदरजंग-अयोघ्या-सीतामढ़ी-वाराणसी-इलाहाबाद-चित्रकूट-नासिक रोड-होसपेट-रामेश्वरम-मदुरई-चेन्नई-दिल्ली सफदरजंग (15,120/- रुपए की पैकेज लागत में केवल स्लीपर श्रेणी) तथा (ii) कोचुवेली-नासिक रोड-चित्रकूट-इलाहाबाद-वाराणसी-दरभंगा-सीतामढ़ी-अयोध्या-रामेश्वरम-मदुरई (39,350/- से 60,750/- रु. के बीच पैकेज लागत में केवल वातानुकूलित कोच श्रेणी)। (i) "श्री राम एक्सप्रेस" के मार्ग से जाने वाले यात्री चेन्नै से श्रीलंका के लिए 36,200/- रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू अतिरिक्त पैकेज क साथ 3 रात/4 दिनों के फ्लाइट टूर का विकल्प चुन सकते हैं।

सावरकर की प्रतिमा

2409. **श्रीमती पूनम महाजन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस गणतंत्र के मार्सिले के मेयर ने स्वातंत्र्यवीर वीर विनायक दामोदर सावरकर के स्मारक/प्रतिमा के निर्माण, जिसका व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, के लिए भूमि का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मार्सिले में वीर सावरकर स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निर्माण की समय-सीमा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, स्वातंत्र्यवीर सावरकर सेवा केंद्र (एस.एस.एस.के.), स्वातंत्र्यवीर सावरकर मध्यवर्ती राष्ट्रीय प्रबोधन संस्था (एस.एस.एम.आर.पी.एस.), हिंदू जन जागृति समिति (एच.जे.जे.एस.) और अन्य संगठनों ने मार्सिले, फ्रांस में वीर सावरकर के स्मारक/मूर्ति के निर्माण के लिए

भूखंड आवंटित करने का मामला उठाया है।

स्वातंत्र्यवीर सावरकर सेवा केंद्र (एस.एस.एस.के.) ने 1990 के मध्य से ही स्मारक की संस्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध करते हुए मार्सिले के मेयर के कार्यालय के साथ सीधा पत्राचार किया था। मार्सिले के मेयर ने जुलाई 1998 में वीर सावरकर के स्मारक/मूर्ति की संस्थापना के लिए एस.एस.एस.के. को अपनी सहमति व्यक्त की थी। तथापि, आज तक मार्सिले के मेयर ने सरकार को यह निर्णय संप्रेषित नहीं किया है कि यह भूखंड इन संगठनों द्वारा उल्लिखित उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया है कि मार्सिले, फ्रांस में वीर सावरकर के स्मारक/मूर्ति के निर्माण के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय क्षेत्रक अवसंरना परियोजनाओं की निगरानी

2410. **श्री तेज प्रताप सिंह यादव** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय 150 करोड़ रु. की केन्द्रीय क्षेत्रक अवसंरचना परियोजनाओं की ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.) के माध्यम से निगरानी करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में परियोजना प्रबंधन हेतु नीतिगत ढांचे की कमी है, जिस कारण परियोजनाओं की समय और लागत में वृद्धि हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी लागत में कितनी परिणामी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना प्रबंधन कार्यालय ढांचा, परियोजना प्रबंधन परिपक्वता ढांचे को संस्थागत बनाने और बृहद स्तरीय परियोजनाओं में तैनात कार्मिकों हेतु परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी हां। दिनांक 01.05.2018 की स्थिति के अनुसार, कुल 1332 परियोजनाएं इस मंत्रालय की निगरानी में हैं। इनमें से 253 परियोजनाएं अपनी मूल परियोजना क्रियान्वयन सारणी की तुलना में समयवृद्धि दर्शा रही हैं, 343 परियोजनाएं लागत वृद्धि दर्शा रही हैं, तथा 107 परियोजनाएं समय और लागत वृद्धि दोनों दर्शा रही हैं।

(ख) संबंधित नोडल अवसंरचना मंत्रालय नीतिगत ढांचा तैयार करने और तदनुसार अपनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं। समयवृद्धि तथा लागत वृद्धि के कारण परियोजना विशिष्ट हैं तथा विभिन्न तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं।

(ग) और (घ) सभी विलंबित परियोजनाओं के मामले में उनके पूर्ण होने की परियोजना-वार समय सीमा परियोजना से संबंधित शेष कार्य की मात्रा तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी परियोजना के चालू होने की तारीख स्थल की स्थिति, कार्य की मात्रा, परियोजना क्रियान्वयन वातावरण, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। लंबित परियोजनाओं तथा परिणामस्वरूप उनकी लागत में हुई वृद्धि संबंधी ब्यौरा *www.cspm.gov.in* पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) संबंधित मंत्रालय/परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियां अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त परियोजना प्रबंधन इकाइयों की व्यवस्था करती हैं। आवश्यकता के अनुसार उनके द्वारा प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाता है।

अवैध भर्ती एजेंट

2411. **श्रीमती संतोष अहलावात** :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री ओम प्रकाश यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक अवैध भर्ती एजेंट तथा निरक्षर लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेज रहे हैं और यदि हां, तो गत चार वर्षों में फर्जी तरीके से भेजे गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान ऐसे अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में भर्ती एजेंटों का पता नहीं लग पाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध समय पर

कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष आपरेशन समूह गठित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ग) जी, हां। समय-समय पर विदेश मंत्रालय को उन भारतीय उत्प्रवासियों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिन्हें फर्जी एजेंटों द्वारा धोखे से विदेशों में रोजगार के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार वे धोखाधड़ी, नौकरी न दिए जाने, काम की खराब स्थिति आदि जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं।

विदेशों में रोजगार हेतु अनधिकृत रूप से भर्ती प्रक्रिया में संलिप्त ऐसे फर्जी एजेंटों का ब्यौरा प्राप्त होने पर इन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों तथा पुलिस प्राधिकारियों को इस आग्रह के साथ अग्रेषित किया जाता है कि वे शिकायतों के आधार पर इन फर्जी एजेंटों को पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य सरकार का विषय है। इन सरकारों/पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा जल्द से जल्द अभियोजन संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं ताकि आरोपी फर्जी एजेंटों पर मुकदमा करने की कार्रवाई की जा सके।

उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष 2015-18 (30 जून, 2018 तक) के दौरान फर्जी एजेंटों के विरुद्ध राज्य सरकारों को अग्रेषित मामलों और जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	जांच प्रारंभ करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को भेजे गए मामलों की कुल संख्या	उन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के नाम जिन्होंने जांच शुरू की	उन मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन संस्वीकृति जारी करने हेतु प्राप्त हुए	जांच के पश्चात् सरकार द्वारा जारी किए गए अभियोजन की संस्वीकृति की संख्या
1	2	3	4	5
2015	101	-उपलब्ध नहीं	11	11
		कुल	11	11
2016	231	गोवा	1	1
		केरल	3	3
		महाराष्ट्र	1	1
		पंजाब	8	8
		राजस्थान	4	4
		तमिलनाडु	15	15
		तेलंगाना	10	10
		कुल	42	42
2017	446	दिल्ली	1	1
		गोवा	1	1
		केरल	5	5
		पंजाब	3	3
		राजस्थान	5	5
		तमिलनाडु	5	5

1	2	3	4	5
		तेलंगाना	10	10
		कुल	30	30
2018	231 (जून तक)	दिल्ली	1	1
		गोवा	1	1
		तेलंगाना	1	1
		कुल	03	03

मई 2016 में मंत्रालय ने राज्यों द्वारा शिकायतें प्राप्त होने पर फर्जी एजेंटों के विरुद्ध अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन कार्यविधि भी जारी की थी। कानूनी तथा सुरक्षित प्रव्रजन को बढ़ावा देने के लिए और प्रवासी लोगों द्वारा पंजीकृत भर्ती एजेंटों की सेवाएं लिए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर दृश्य तथा प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए जाते हैं ताकि उन्हें अवैध/फर्जी एजेंटों के चंगुल से बचाया जा सके। अवैध/फर्जी एजेंटों के नाम और उनके संबंधित सूचना को ई-माईग्रेट वेबसाइट पर राज्यवार डाला जाता है तथा उसे अद्यतन किया जाता है ताकि संभावित प्रवासी कामगार उनके बारे में सतर्क हो जाएं।

(घ) फर्जी एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन द्वारा की जाती है क्योंकि "कानून एवं व्यवस्था" राज्य का विषय है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु निधि

2412. श्री बदरूद्दीन अज़मल : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए आबंटित और खर्च की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर सका और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीलिंग की प्रगति क्या है; और

(घ) उक्त अविध के दौरान सीमा क्षेत्र पर निर्मित सड़कों की लंबाई क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को आवंटित निधियों और किए गए व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
बजट अनुमान	2362.74	2430.01	2682.45	3000.00
वास्तविक व्यय	1986.79	2495.84	2513.97 (अनंतिम)	396.43 (27.07.18 की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी, नहीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भौतिक अवसंरना में अंतरालों को पाटने के लिए पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई परियोजनाओं को सहायता उपलबध कराता है। पूर्वोत्तर परिषद मुख्यत: राज्य सरकारों को कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, वायु संपर्क, विद्युत, जल विकास, पर्यटन, यातायात और दूरसंचार, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध कराती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत-बंगलादेश सीमा पर 3326 किमी. लंबी स्वीकृत बाड़ में से 2778.66 किमी. का काम पूरा हो गया है। सरकार ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए बहुविध दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अति संवेदनशील सीमा चौकियों की पहचान करने के साथ-साथ सीमा पहरेदारी बल (बी.जी.एफ.), सीमा बाड़ का निर्माण, सीमा सड़कों का निर्माण, फ्लड लाइटों की स्थापना, सीमा चौकियों (बी.ओ.पी.) का निर्माण, अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का प्रयोग आदि शामिल हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2017-18 के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक भारत-बंगलादेश सीमा पर 85.64 किमी. लंबी लड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना

2413. **डॉ. शशि थरूर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नारायण शुक्ला को हटाने की आवश्यकता के संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक आंतरिक समिति के जांच निष्कार्षो के आधार पर उन पर अशिष्ट कदाचार का आरोप लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से एक संसूचना प्राप्त हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस.एन. शुक्ला से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अल्पयंख्यक आयोग की स्थापना

2414. **श्री असादुद्दीन ओवैसी** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कितने अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

अलपसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) और (ख) राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के गठन का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। पिछले दो वर्षों में नए अल्पसंख्यक आयोग के गठन के संबंध में किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। समय-समय पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) शेष राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ अल्पसंख्याक आयोगों के गठन का मामला उठाया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप

2415. **श्री के.आर.पी. प्रबाकरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा देश में अपनी विभिन्न अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सभी विषमताओं के विरुद्ध कड़ा प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देश में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर संचालित परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की विभन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास।

(ii) **स्वच्छ भारत के लिए अपशिष्ट प्रबंधन** :

जैव निम्नन योग्य अपशिष्ट के शीघ्र तथा प्रभावी जैव निम्नन तथा पुर्नोपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन में परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भापअकें) में प्रयास किए जा रहे हैं। बायफेसिक बायो-मिथनेशन प्रक्रिया का उपयोग कर निसर्गऋण प्रौद्योगिकी जैव निम्नन योग्य अपशिष्ट को बायोगैस तथा खाद के रूप में दो उपयोगी उपोत्पादों में परिवर्तित कर इसका समाधान करती है। बायोगैस का उपयोग सामुदायिक रसोईघर, होटल के रसोईघर में किया जा सकता है या उसे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी

हस्तांतरण में माध्यम से निसर्गत्रृण प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण किया गया है और इसे काफी बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया है।

मलजल आपंक का निपटान करने के लिए विकिरण स्वच्छीकरण प्रौद्योगिकी एक सरल, किफायती, पुनरुत्पादक और बड़े पैमाने पर स्थापित करने योग्य प्रौद्योगिकी है। गामा विकिरण का उपयोग कर नगरीय शुष्क आपंक का स्वच्छीकरण किया जाता है और जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग संतोषजनक पाया गया है। समझौता-ज्ञापन के तहत, भा.प.अ.कें. के तकनीकी सहयोग से, अहमदाबाद नगर निगम द्वारा अहमदाबाद में 100 टन/प्रतिदिन शुष्क आपंक स्वच्छीकरण सुविधा का निर्माण किया जा रहा है।

(iii) **खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि:**

भा.प.अ.कें. ने नाभिकीय तकनीकों का उपयोग कर दलहन एवं तिलहन की अधिक पैदावार वाली 45 प्रजातियों का विकास किया है इनमें मूंगफली की 15, मूंग दाल की 8, तुअर और उड़द प्रत्येक की 5, सरसों तथा चावल प्रत्येक की 3, सोयाबीन तथा लोबिया प्रत्येक की 2 तथा जूट और सूरजमुखी प्रत्येक की 1 प्रजातियां शामिल हैं।

(iv) **खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य परिरक्षण:**

खाद्य परिरक्षण के लिए पऊवि ने दो किरणन संयंत्रों की स्थापना की है, इसमें से एक लासलगांव, नासिक, महाराष्ट्र में निम्न डोज़ किरणन तथा दूसरा वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उच्च डोज़ किरणन के लिए है। इन दोनों संयंत्रों की सफलता ने राज्य सरकारों तथा निजी उद्यमियों द्वारा पऊवि के सहयोग से 13 और खाद्य किरणन संयंत्रों की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

(v) **जल शुद्धीकरण:**

पऊवि के कार्यक्रम में, गैर-विद्युत अनुप्रयोगों के तहत एक मुख्य प्रेरक कार्यक्रम है। भा.प.अ.कें., जल निर्लवणीकरण एवं जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं में मूल अनुसंधान से लेकर विकास एवं तैनाती तक के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। घरेलू तथा/अथवा सामुदायिक स्तर पर पेय उपयोग हेतु खारे जल तथा समुद्री जल के निर्लवणीकरण और संदूषित जल के शुद्धिकरण के लिए भा.प.अ.कें. में झिल्ली आधारित कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

(vi) **स्वास्थ्य रक्षा :**

स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में, विकिरण औषधि केन्द्र (आर.एम.सी.), परेल, मुंबई स्वास्थ्य रक्षा के लिए नाभिकीय औषधि का प्रयोग करने में अग्रणी है। नाभिकीय औषधि में रेडियोसक्रिय आइसोटोपों (रेडियो-आइसोटोपों) का उपयोग कई मानव रोगों के नॉन-इन्वेसिव निदान के लिए किया जाता है जिसमें कार्डियोलॉजी, ऑकोलॉजी (कैंसर), न्यूरोलॉजी, सायक्येिटेरी तथा संक्रमण रोगों और थायरोटॉक्सीकोसिस, थॉयरायड कैंसर, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों, न्यूरल क्रेसट ट्यूमरों, अस्थि पीड़ा शमन आदि के उपचार शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष कई हजार रोगी आर.एम.सी. में निदान एवं उपचार हेतु भेजे जाते हैं। इसमें, कैंसर के निदान, चरण ज्ञात करने, उपचार योजना तथा प्रबंधन के लिए पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पैट-इमेजिंग शामिल है। पैट-इमेजिंग ने रोग का जल्द संसूचन संभव कर कैंसर निदान में क्रांति लाई है। भारत के किसी अन्य नाभिकीय चिकित्सा केन्द्र की तुलना में यहां पर रोगियों को आने वाली लागत न्यूनतम है। थॉयरायड कैंसर तथा न्यूरो-एंडोक्राइन ट्यूमरों के लिए रेडियो-आइसोटोप उपचार हेतु भारत में आर.एम.सी. के पास सबसे बड़ी रजीस्ट्री है।

भाभाट्रॉन, कैंसर का उपचार करने के लिए भापअकें द्वारा विकसित 250 आर.एम.एम. (1 मीटर पर रोइंटजेन/मिनट) की उच्च स्रोत क्षमता वाली एक स्वदेशी टेली-कोबाल्ट मशीन है। मशीन की डिजाइन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमीशन (आई.ई.सी.) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अनुरूप है तथा टाटा स्मारक केन्द्र में इसके गहन चिकित्सीय ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।

भारत में, चिकित्सकों और कुल जनसंख्या का अनुपात काफी कम है। भापअकें ने मोबाइल नेटवर्क आधारित कम लागत, हस्तधारण योग्य 12-चैनल टेली-ई.सी.जी. मशीन का विकास किया है। मोबाइल नेटवर्क के उपयोग से यह फायदा यह है कि लगभग 80% जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। यह यंत्र एक ही समय में सभी 12 ई.सी.जी. चैनलों को रिकार्ड कर सकता है और एक चित्र के रूप में रिपोर्ट बनाता है ताकि उसे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सेवा (एम.एम.एस.) या कोई अन्य फाइल शेयर करने वाले ऐप के माध्यम से विशेषज्ञ के मोबाइल पर भेजा जा सकता है।

(vii) कम लागत तथा हस्तसाधित टीबी संसूचन सूक्ष्मदर्शी 'ट्यूबरक्यूलोस्कोप' का विकास। 'ट्यूबरक्यूलोस्कोप' की प्रौद्योगिकी पऊवि प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

(viii) मुख के कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए कम लागत तथा हस्त साधित यंत्र 'आंकोडाएगनोस्कोप' का

विकास। 'आंकोडाएगनोस्कोप' की प्रौद्योगिकी पऊवि प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

(ix) चिकित्सीय, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के किरणन के लिए कृषि विकिरण संसाधन सुविधा तैयार होने वाली है।

(x) तरल नाइट्रोजन आधारित रीफर इकाई की संकल्पना का प्रदर्शन किया गया। प्रोटोटाइपिंग और प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होने पर यह नाशवान कृषि उत्पादों के वितरण के लिए 'कोल्ड चैन' में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करेगा।

(xi) नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के अनुरक्षण के लिए लेजर प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के परिणाम स्वरूप नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के संयंत्र उपलब्धता घटक में सुधार हुआ। इन अनुप्रयोगों के लिए विभाग में विकसित लेजर प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

(xii) प्रगत अति उच्च-क्रांतिक (ए.यू.एस.सी.) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सामग्री का विकास इंगापअकें द्वारा किया जा रहा है। इंगापअकें, इसके अलावा अंतरिक्ष मिशनों, मानव मस्तिष्क और हृदय की शारीरिक क्रिया मापने के लिए क्रमशः मैग्नेटोएंसिफलोग्राफी/मेग्नेटोकार्डियोग्राफी प्रणालियों के विकास, बहिःस्त्राव उपचार पद्धति से विकसित पेयजल से फ्लोराइड के निष्कासन के लिए प्रौद्योगिकी, स्तन कैंसर का संसूचन करने के लिए थार्मोग्राफी, पीड़ा शमन औषधि के रूप में ^{89}Sr का उत्पादन, भारतीय वायु सेना के लिए हवाई जहाजों के लैंडिंग गेयरों में श्रांति का मूल्यांकन, दक्षिण भारतीय कांसे की मूर्तियों की शुद्वता की पहचान करने के लिए व्यापक फिंगर प्रिंटिंग आदि विकास कार्यो से जुड़ा है, जिनका समाज से सीधा नाता है।

(ग) पऊवि में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों में और चालू वित्त वर्ष (2018-19) में आबंटित निधि नीचे बताई गई है :

वर्ष	आबंटन (रु. करोड़ में)
2015-2016	3368.95
2016-2017	2621.53
2017-2018	2326.82
2018-2019	2413.31

विद्युत प्रणोदक प्रणाली

2416. **श्री ए. अरुणमणिदेवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विद्युत प्रणोदक प्रणाली (ई.पी.एस.) पर कार्य कर रहा है जिससे रसायन प्रणोदक पर निर्भरता में कमी में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ई.पी.एस. की सहायता से आई.एस.आर.ओ. उपग्रहों के वजन में कमी कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.पी.एस. के साथ 4 टन वज़न का उपग्रह 6 टन वज़न वाले उपग्रह के बराबर समान क्षमता से कार्य कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, इसरो विद्युत प्रणोदक प्रणाली (ई.पी.एस.) पर कार्य कर रहा है जो रसायन प्रणोदक पर निर्भरता को कम कर सकता है। ई.पी.एस. प्रणाली को पहली बार वर्ष 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशिया उपग्रह (एस.ए.एस.) - जीसैट-9 में ले जाया गया और वह संतोषजनक रूप में कार्य रहा है।

(ख) जी हां, ई.पी.एस. की सहायता से उपग्रह का वजन कम किया जा सकता है क्योंकि रसायन प्रणोदक को विद्युत प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाता है जिसका वजन रसायन प्रणोदक की तुलना में कम होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। ई.पी.एस. युक्त 4 टन का उपग्रह 6 टन वाले उपग्रह की क्षमता के समान कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रणोदक की तुलना में इसका जीवन काल भी कुछ अधिक वर्ष का होगा।

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

2417. **प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में एक नई वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) ऐसे प्रस्तावों हेतु मांगी गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक समुदाय की उभरती आवश्यकताएं

2418. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदाय की उभरती आवश्यकताओं के मद्देनजर उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए उक्त समुदाय के प्रतिनिधि समूहों के साथ कोई राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) क्या उनके साथ आवधिक चर्च आयोजित करने हेतु कोई बातचीत चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) से (घ) शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने; मौजूदा एवं नई योजनाओं के जरिए आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए उचित भाग सुनिश्चित करने, स्व-रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता, राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए अल्संख्यक कार्य मंत्रालय ने छः अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसी के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं/पहलें कार्यान्वित की हैं। इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए और इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए पणधारियों के साथ सतत आधार पर विचार-विमर्श किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न पणधारियों के साथ राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर विभिन्न प्रोग्रेस पंचायतें/सम्मेलन/बैठकें आयोजित करते हुए समन्वय, सहयोग एवं संचार शुरू किया है। हाल ही में मंत्रालय की सभी योजनाओं को कवर करते हुए एक ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन 16.07.2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

जनता तक विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों तक सीधा पहुंचने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर आवधिक रूप से "प्रोग्रेस पंचायतों" का भी आयोजन किया जाता है ताकि समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जा सके तथा उनके लिए सरकार की कल्याणकारी और सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

इस मंत्रालय की नई मंजिल योजना के सामाजिक सुरक्षोपाय घटक के अंतर्गत स्वदेशी जननीति ढांचे (आई.पी.पी.एफ.) के विकास हेतु मार्च 2018 में असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और गुजरात में आठ राज्य स्तरीय परामर्शी बैठकों का आयोजन किया गया था। अल्पसंख्यक समुदायों, राज्य सामाजिक कल्याण, जनजातीय कार्य और अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने इन बैठकों में भाग लिया। इसका उद्देश्य फीडबेक लेना और जनजातीय समुदायों और अन्य संवेदनशील समूहों (जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग) जो अल्पसंख्यक समुदायों से हो सकते हैं, से संपर्क करना और उन तक संदेश पहुंचाना है ताकि वे भी इस योजना का लाभ ले सकें। यह नई मंजिल योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने और समुदाय को सुग्राही बनाने के लिए एक बार का क्रियाकलाप था।

यू.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे गए पद

2419. **श्री कीर्ति आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षओं के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या को गत तीन वर्षों के दौरान कम किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिविल सेवा परीक्षओं के माध्यम से वर्ष 2009 से आज की तिथि तक भरे गए पदों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न कैडरों में रिक्त पदों को भरा जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई.) 2009 से सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई. 2016) तक अभ्यर्थियों को आंबटित विभिन्न सेवाओं की वर्ष-वार संख्या संबंधी ब्यौरा क्रमशः 933, 987, 957, 1046, 1196, 1190,

1041, 1058, है। इस प्रकार, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं पाई गई है। पदों को वास्तविक रूप से भरने से संबंधित ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (ङ) रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। तीनों अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस, सेवा और भारतीय वन सेवा की राज्य-वार रिक्तियों से संबंधित ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) में संवर्ग वार रिक्ति

क्र.सं.	संवर्ग	कुल संस्वीकृत पद संख्या	1.1.2018 तक कुल पदस्थ अधिकारियों की स्थिति	कमी (3–4)
1	2	3	4	5
1.	ए.जी.एम.यू.टी.	337	285	52
2.	आंध्र प्रदेश	239	161	78
3.	असम-मेघालय	263	216	47
4.	बिहार	342	235	107
5.	छत्तीसगढ़	193	161	32
6.	गुजरात	297	247	50
7.	हरियाणा	205	148	57
8.	हिमाचल प्रदेश	147	120	27
9.	जम्मू और कश्मीर	137	86	51
10.	झारखंड	215	140	75
11.	कर्नाटक	314	220	94
12.	केरल	231	156	75
13.	मध्य प्रदेश	439	361	78
14.	महाराष्ट्र	361	320	41
15.	मणिपुर	115	94	21
16.	नागालैंड	94	68	26
17.	ओडिशा	237	201	36
18.	पंजाब	221	189	32
19.	राजस्थान	313	248	65
20.	सिक्किम	48	39	9
21.	तमिलनाडु	376	313	63
22.	तेलंगाना	208	142	66
23.	त्रिपुरा	102	72	30

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	621	511	110
25.	उत्तराखंड	120	91	29
26.	पश्चिम बंगाल	378	280	98
	कुल	6553	5104	1449

विवरण-II

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस) में संवर्ग-वार रिक्ति

क्र.सं.	संवर्ग	कुल संस्वीकृत पद संख्या	1.1.2018 तक कुल पदस्थ अधिकारियों की स्थिति	कमी (3–4)
1	2	3	4	5
1.	ए.जी.एम.यू.टी.	309	256	53
2.	आंध्र प्रदेश	144	118	26
3.	असम-मेघालय	188	159	29
4.	बिहार	242	197	45
5.	छत्तीसगढ़	142	92	50
6.	गुजरात	208	166	42
7.	हरियाणा	144	115	29
8.	हिमाचल प्रदेश	94	79	15
9.	जम्मू और कश्मीर	147	87	60
10.	झारखंड	149	125	24
11.	कर्नाटक	215	175	40
12.	केरल	172	126	46
13.	मध्य प्रदेश	305	266	39
14.	महाराष्ट्र	302	253	49
15.	मणिपुर	89	69	20
16.	नागालैंड	75	56	19
17.	ओडिशा	188	119	69
18.	पंजाब	172	141	31
19.	राजस्थान	215	194	21
20.	सिक्किम	32	29	3

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	263	221	42
22.	तेलंगाना	139	98	41
23.	त्रिपुरा	69	53	16
24.	उत्तर प्रदेश	517	426	91
25.	उत्तराखंड	73	63	10
26.	पश्चिम बंगाल	347	287	60
	कुल	4940	3970	970

विवरण-III

दिनांक 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) में संवर्ग-वार रिक्ति

क्र.सं.	संवर्ग	कुल संस्वीकृत पद संख्या	1.1.2018 तक कुल पदस्थ अधिकारियों की स्थिति	कमी (3—4)
1	2	3	4	5
1.	ए.जी.एम.यू.टी.	194	149	45
2.	आंध्र प्रदेश	82	56	26
3.	असम-मेघालय	142	121	21
4.	बिहार	74	61	13
5.	छत्तीसगढ़	153	135	18
6.	गुजरात	125	98	27
7.	हरियाणा	58	46	12
8.	हिमाचल प्रदेश	114	96	18
9.	जम्मू और कश्मीर	106	68	38
10.	झारखंड	142	121	21
11.	कर्नाटक	164	134	30
12.	केरल	107	70	37
13.	मध्य प्रदेश	296	249	47
14.	महाराष्ट्र	206	174	32
15.	मणिपुर	58	43	15
16.	नागालैंड	45	34	11
17.	ओडिशा	141	92	49

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	61	45	16
19.	राजस्थान	145	124	21
20.	सिक्किम	30	28	2
21.	तमिलनाडु	152	99	53
22.	तेलंगाना	81	46	35
23.	त्रिपुरा	60	55	5
24.	उत्तर प्रदेश	217	189	28
25.	उत्तराखंड	112	101	11
26.	पश्चिम बंगाल	126	107	19
	कुल	3191	2541	650

पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता पर रोक

2420. श्री बी. सेनगुट्टुवन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार की आक्रामक विदेश नीति के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानी तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क के विरुद्ध ठोस तथा निर्णायक कार्रवाई करने तक सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेनानिवृत्त)] : अमरीकी राष्ट्रीपति ट्रंप ने अफगानिस्तान तथा दक्षिण एशिया अमरीकी प्रशासन रणनीति जारी करते हुए 21 अगस्त, 2017 को अपनी टिपणी में और साथ ही 1 जनवरी, 2018 को अपने ट्वीट में पाकिस्तान द्वारा अमरीका से भारी सहायता राशि प्राप्त करने और जिन आतंकवादियों के विरुद्ध अमरीका लड़ रहा है, उन्हें पनाह देने के दोहरे मानदंड की और सार्वजनिक रूप से ध्यान आकृष्ट किया है।

दिनांक 4 जनवरी, 2018 को अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी प्रकार की सुरक्षा सहायता को स्थगित करने की घोषणा की, जब तक कि अमरीकी कानून द्वारा यह अपेक्षित न हो अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर छूट न दी गई हो। वित्त वर्ष 2016 और उनसे आगे पाकिस्तान को गठबंधन सहायता कोष से सैन्य उपकरणों की आपूर्ति तथा धनराशि की प्रतिपूर्ति स्थगित की गई और कुछ मामलों में इसे इससे पूर्व से भी लागू किया गया। अमरीकी सरकार के अनुसार यह स्थगन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरकार अफगानी तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क सहित ऐसे सभी आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं करता जिसे अमरीका विघटनकारी मानता है।

भारत ने पाकिस्तान को अमरीकी सुरक्षा सहायता दिए जाने के संबंध में अमरीकी सरकार को अपनी चिंताओं तथा सरोकारों से निरंतर अवगत कराया है। आतंकवाद तथा चरमपंथी गतिविधियें से इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा को होने वाले खतरे के प्रति भारत और अमरीका की चिंताएं एक समान हैं। प्रधानमंत्री की जून 2017 में अमरीका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त व्यक्तिव्य में अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान से आग्रह किया गया था कि "वह यह सुनिश्चित करे कि उसके भूक्षेत्र का उपयोग अन्य देशों पर आतंकवादी हमले करने के लिए न किया जाए"।

[हिन्दी]

पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

2421. श्री नव कुमार सरनीया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड के अंतर्गत देश भर में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुनर्विकास हेतु विनिर्दिष्ट रेलवे सटेशनों के नाम और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक निजी कंपनियों की क्या

प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु क्या समय सीमा निर्धारित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी हां। रेलवे ने नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) का गठन करके सरल प्रक्रिया और दीर्घ कालीन पट्टे के माध्यम से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। इनमें से अधिकतर स्टेशनों का पुनर्विकास पी.पी.पी. माध्यम से किया जाएगा। भारतीय रेलों के सभी प्रमुख स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाना प्रस्तावित है जो परियोजना की विस्तृत तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

इस समय, हबीबगंज स्टेशन पर कार्य शुरू हो गया है। जम्मू तवी और कोजीकोड के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं जिनका फिलहाल मूल्यांकन किया जा रहा है। गोमतीनगर स्टेशन के लिए, निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और ठेका प्रदान कर दिया गया है। सूरत, चारबाग (लखनऊ) और तिरूपति रेलवे स्टेशनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एर्णाकूलम जंक्शन, दिल्ली सराय रोहिल्ला, कोटा, मडगांव, नेल्लोर और पुदुचेरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) का अनुमोदन लिया जा रहा है।

(ग) और (घ) विकासकर्ताओं, निवेशकों और अन्य स्टेकधारकों के साथ विभिन्न चर्चाओं के दौरान, वाणिज्यिक रूप से विकसित परिसंपत्तियों के लिए लंबी लीज अवधि सहित, मल्टिपल सब लीजिंग, उपयोग पर कोई प्रतिबंध न होना, रेलवे पदाधिकारियों से समयबद्ध आधार पर गारंटीशुदा अनुमोदन और सरल निविदा प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मुद्दों को बार-बार उठाया गया। रेल मंत्रालय फास्ट ट्रैक आधार पर स्टेशन पुनर्विकास के लिए संशोधित योजनाएं तैयार कर ली हैं। सरल और पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्य स्टेशनों का पुनर्विकास आरंभ करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आई.आर.एस.डी.सी. को अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त करने और स्टेशन में तथा उसके आस-पास की भूमि तथा एयरस्पेस का अपेक्षाकृत लंबी लीज अवधियों के लिए वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए योजना की रूप-रेखा तैयार की गई है। तदनुसार, स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की इस संशोधित रणनीति का केबिनेट से अनुमोदन लेने के लिए एक केबिनेट नोट प्रस्तुत किया गया है।

स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं इस प्रकार की पहली परियोजनाएं है और ये जटिल प्रकृति की होती हैं और इनमें विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की और स्थानीय निकायों से सांवधिक स्वीकृतियों आदि की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस स्थिति में कोई भी समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर और डाकघर

2422. **श्री रवीन्द्र कुमार राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ववर्ती नक्सल प्रभावित और अब नक्सल मुक्त झारखंड के कोडरमा जिले की डोमचांच डिवीजन के अंतर्गत बंगाखालर और दांगरनावा क्षेत्र में मोबाइल टावर और डाकघर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु जनप्रतिनिधियों या अन्य लोगों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख)

(i) दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित क्षेत्रों में तय किए गए स्थानों पर मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से धनराशि लेकर एल.डब्ल्यू.ई. परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तय किए गए 4072 स्थानों पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु "एल.डब्ल्यू.ई. चरण-II स्कीम" का अनुमोदन किया है जिसकी अनुमानित लागत 7330 करोड़ रु. है। एल.डब्ल्यू.ई. चरण-II परियोजना के तहत मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कोडरमा जिले में डोमचांच जिले को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ii) देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उन जिलों में शाखा डाक घरों (बी.ओ.) को खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। झारखंड के कोडरमा जिले की डोमचांच डिवीजन के अंतर्गत बंगाखालर और दांगरनावा क्षेत्रों में नए डाक घरों को खोलने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2018-19 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित 32 जिलों में कुल 1,789 शाखा डाक घर (बी.ओ.) खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो।

(ग) और (घ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थानों को तय किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा ही ऐसे स्थानों की सूची उपलबध कराई जाती है।

[अनुवाद]

आई.टी. स्टार्टअप्स का आकलन

2423. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आई.टी. स्टार्टअप्स का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सफल आई.टी. सटार्टअप्स की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने देश में आई.टी. स्टार्टअप्स द्वारा सृजित रोजगार का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत चार वर्षों में सटार्टअप्स द्वारा सृजित किए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) देश में आई.टी. स्टार्ट-अप विशिष्ट कोई कार्यालयी मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) द्वारा नहीं किया गया है। नैसकॉम-जिन्नॉव रिपोर्ट, 2017 के अनुसार वर्ष 2017 में 1000 तकनीकी स्टार्ट-अप जोड़े गए थे जिससे इनकी कुल संख्या 5200 हो गई है। एम.ई.आई.टी.वाई. इन्क्यूबेशन संबंधी गतिविधियों को मदद दे रहा है जिसमें वर्तमान में आई.सी.टी. डोमेन में 287 स्टार्ट-उप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) ने ऐसे 1,507 स्टार्ट-अप की पहचान की है जो दिनांक 28/7/2018 की स्थिति के अनुसार स्टार्ट-अप पहल के अंतर्गत आई.टी. सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

(ग) देश में सफल आई.टी. स्टार्ट-अप की राज्य-वार संख्या पर कोई डाटा एकत्र नहीं किया गया है। तथापि, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार चिन्हित किए गए स्टार्ट-अप का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार आई.टी. सेवा स्टार्ट-अप द्वारा सृजित और रिपोर्ट किया गया कुल रोज़गार 18,470 है। एम.ई.आई.टी.वाई. की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के जरिए 5 वर्ष की समयावधि में सहायता प्राप्त इन्क्यूबेशन गतिविधियों से देश में 3188 रोज़गार सृजित हुए हैं।

(ङ) आई.टी. सेवा स्टार्ट-अप द्वारा रिपोर्ट किये गये रोज़गार का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार मान्यता प्राप्त आई.टी. स्टार्ट-अप

राज्य व संघ शासित प्रदेश	आई.टी. सेवा स्टार्टअप की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	237
कर्नाटक	191
उत्तर प्रदेश	150
दिल्ली	149
तेलंगाना	97
केरल	83
तमिलनाडु	83
गुजरात	75
हरियाणा	69
पश्चिम बंगाल	60
मध्य प्रदेश	55
राजस्थान	53
ओडिशा	42
आंध्र प्रदेश	40
छत्तीसगढ़	22
बिहार	16
गोवा	16
पंजाब	12
उत्तराखंड	12

1	2
असम	11
झारखंड	9
चंडीगढ़	7
जम्मू और कश्मीर	7
हिमाचल प्रदेश	3
पुदुचेरी	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
मणिपुर	1
मेघालय	1
नागालैंड	1
त्रिपुरा	1
महा योग	1507

विवरण-II

आई.टी. सर्विसेज स्टार्ट-अप द्वारा रिपोर्ट किया गया रोजगार राज्य और संघ शासित प्रदेश-वार

राज्य व संघ शासित प्रदेश	कर्मचारियों की संख्या
1	2
कर्नाटक	2,377
दिल्ली	2,354
उत्तर प्रदेश	2,263
महाराष्ट्र	2,179
तेलंगाना	1,456
गुजरात	1,035
राजस्थान	986
तमिलनाडु	913
केरल	769
पश्चिम बंगाल	634
हरियाणा	617
मध्य प्रदेश	588
ओडिशा	565
आंध्र प्रदेश	517
चंडीगढ़	234
छत्तीसगढ़	170
पंजाब	152
गोवा	121
असम	114
बिहार	112
उत्तराखंड	59
झारखंड	54
त्रिपुरा	52
जम्मू और कश्मीर	50
हिमाचल प्रदेश	40
पुदुचेरी	34
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10
नागालैंड	7
मणिपुर	5
मेघालय	3
महा योग	18,470

मदुरई डिवीजन में विद्युतीकरण कार्य

2424. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल की मदुरई डिवीजन में कोल्लम से पुनालूर तक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी हां। मदुरै मंडल के कोल्लम से पुनालूर खंड बजट 2018-19 में शामिल 13675 मार्ग किमी. (108 सेक्शनों) के शेष गैर-विद्युतीकृत बड़ी आमान (बी.जी.) मार्गों के विद्युतीकरण के नए कार्य का भाग है जिसे अपेक्षित अनुमोदनों के बाद निष्पादित किया जाएगा।

पुलिस सत्यापन

2425. डॉ. किरीट सोमैया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने, पुलिस सत्यापन, पासपोर्ट पुन: जारी करने इत्यादि की प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु गृह मंत्रालय के साथ उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नए पासपोर्ट जारी करने के लिए, पुन: जारी करने हेतु पूर्व पुलिस सत्यापन की औपचारिकता को समाप्त कर दिया गया है या सरलीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के समर्थन से एक नवीन प्रक्रिया विकसित करके सरकार पुलिस सत्यापन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि को समाप्त करने या उसे सरल करने की इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) जी, हां। मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और पासपोर्ट हेतु दस्तावेज़ जमा कराने के लिए अप्वाईंटमेंट लेने सहित पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। पासपोर्ट सेवा प्रणाली किसी भी स्थापित से हर समय उपलब्ध हो, यह सुनिश्चत करने के लिए एक प्रभावी तकनीकी अवसंरचना स्थापित की गई है। पासपोर्ट पोर्टल (*www.passportindia.gov.in*) का उपयोग कोई भी व्यक्ति कहीं भी और किसी भी समय कर सकता है। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर इसके भीतरी इलाकों में, डिजिटल डिवाइड की चुनौतियों को से निपटने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (जो इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रवर्तित है) के सहयोग से सामान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पासपोर्ट आवेदनों को ऑनलाइन भरे जाने को सुविधाजनक बनाया है।

अब कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। परंतु पुलिस सत्यापन उसी पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में प्रपत्र में उल्लिखित पता आता हो और पासपोर्ट भी उसी पते पर ही भेजा जाएगा।

दिनांक 26.06.2018 से शुरू की गई एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्प में पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, शुल्क का भुगतान करने तथा अप्वाईंटमेंट का समय निर्धारित करने की सुविधा है। यह एप्प एंड्रॉयड तथा आई.ओ.एस. प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। यह पासपोर्ट संबंधी अन्य जानकारियां भी प्रदान करता है जिनमें पी.एस.के. तथा पी.ओ.पी.एस.के. लोकेटर, लागू फीस, आवेदन जमा करने का तरीका और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति का पता लगाने की सुविधा शामिल है। नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए कंप्यूटर तथा प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होगी।

पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.एस.के.)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.एस.के.) में पासपोर्ट आवेदन जमा कराने के लिए ऑनलाइन अप्वाईंटमेंट सुनिश्चित करने को आसान बनाया गया है। वर्तमान व्यवस्था में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अप्वाईंटमेंट निर्धारित/पुनर्निर्धारित करने के लिए आवेदकों को उपलब्ध पांच तारीखों (कार्य दिवस) में से कोई एक तारीख चुनने का विकल्प होता है। पहले पासपोर्ट संबंधी सेवाओं हेतु अप्वाईंटमेंट प्राप्त करने की प्रणाली में आवेदक को केवल एक ही तारीख उपलब्ध कराई जाती थी।

मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलकर इसकी सुलभता का दायरा बढ़ाया है। वर्तमान में देश भर में 308 पासपोर्ट सेवा केंद्र (प.पी.एस.के.), 36 पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

नागरिकों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना आसान बनाने के लिए पासपोर्ट नियमों को भी सरल बनाया गया है। यह संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय पासपोर्टों के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को समाप्त नहीं करना चाहता है। तथापि, मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए निम्नलिखित नए उपाय किए हैं:

(i) जिला पुलिस मुख्यालयों को पासपोर्ट सेवा परियोजना के साथ डिजिटल रूप से जोड़ा गया है;

(ii) मंत्रालय ने जल्द से जल्द पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पी.वी.आर.) प्रस्तुत करने हेतु एम-पासपोर्ट पुलिस एप्प की शुरूआत की है। यह एप्प फील्ड स्तरीय सत्यापन अधिकारियों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को सीधे सिस्टम में डिजिटल रूप से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा।

इस एप्प की शुरुआत किए जाने से व्यक्तिगत ब्यौरा फॉर्म तथा प्रश्नावली को डाउनलोड करके प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके परिणामस्वरूप पुलिस सत्यापन प्रक्रिया शुरू से अंत तक पेपररहित होकर डिजिटल हो जाएगी,

जिससे पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय में और कमी आएगी।

विवरण

पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, आसान और उदार बनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। उठाए गए इन कदमों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(क) जन्म तिथि के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़

पासपोर्ट नियमावली, 1980 के मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 26.01.1989 को अथवा उसके बाद जन्मे सभी आवेदकों को अब तक अनिवार्यत: जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र जमा करना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने वाले सभी आवेदक पासपोर्ट आवेदन जमा करते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं:

(i) भारत में जन्मे किसी बच्चे को पंजीकृत करने हेतु जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार अथवा नगर निगम अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकार प्राप्त किसी अन्य निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र (बी.सी.);

(ii) अंतिम स्कूल/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण/स्कूल परित्याग/मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(iii) आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(iv) आधार कार्ड/ई-आधार जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(v) आवेदक के सर्विस रिकार्ड (केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) अथवा पे पेंशन आर्डर (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) के हिस्से की प्रति जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित किया गया हो तथा जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(vi) संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(vii) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र (ई.पी.आई.सी.) जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(viii) सार्वजनिक जीवन बीमा कॉरपोरेशन/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉड जिस पर बीमा पॉलिसीधारक की जन्मतिथि अंकित हो;

ख. अन्य बदलाव:

(i) अब से ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पर आवेदक द्वारा केवल पिता अथवा माता अथवा कानूनी अभिभावक का नाम लिखना अपेक्षित है अर्थात केवल माता या पिता न कि दोनों का नाम लिखना। इससे एकल माता-पिता के लिए अपने बच्चों हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करना संभव हो सकेगा और साथ ही ऐसे पासपोर्ट भी जारी करना संभव हो सकेगा जहां आवेदक के अनुरोध पर या तो पिता अथवा माता का नाम लिखना अपेक्षित नहीं है।

(ii) पासपोर्ट नियमावली, 1980 में कुल निर्धारित अनुबंधों की संख्या को 15 से कम करके 9 कर दिया गया है। अनुबंध क, ग, घ, ङ, ञ तथा ट को हटा दिया गया है और कुछ अनुबंधों का विलय कर दिया गया है।

(iii) आवेदकों द्वारा अपेक्षित सभी अनुबंध सादे कागज पर स्वघोषणा के रूप में देना अपेक्षित होगा। अब से किसी भी नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकन/उनके समक्ष शपथ लेना अपेक्षित नहीं होगा।

(iv) विवाहित आवेदकों को पुराना अनुबंध ट अथवा कोई विवाह प्रमाण-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

(v) अलग हुए अथवा तलाकशुदा व्यक्तियों के मामले में पासपोर्ट आवेदन फार्म पर पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं होगा। ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट के लिए तलाक आदेश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित नहीं होगा।

(vi) विवाहेतर जन्मे बच्चों के मामले में, आवेदक को ऐसे बच्चों के पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु, पासपोर्ट आवेदन करते समय केवल वर्तमान अनुबंध ग प्रस्तुत करना होगा।

(vii) देश में घरेलू स्तर पर गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने के मामले में गोद लेने संबंधी

पंजीकृत विलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के विलेख न होने की स्थिति में पासपोर्ट आवेदक गोद लेने की पुष्टि करने के बाबत सादे कागज पर स्वघोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

(viii) सरकारी कर्मचारी जो अपने संबंधित नियोक्ता से पहचान प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध क)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध छ) नहीं प्राप्त कर सका हो और वे तत्काल आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हों, तो अब वर्तमान अनुबंध-एच में इस बाबत एक स्वघोषणा प्रस्तुत करते हुए पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि उन्होंने अपने नियोक्ता को इस बाबत पूर्वसूचना दे दी है कि वह पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी को सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है।

(ix) साधु/संन्यासी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपने माता-पिता के नाम के स्थान पर अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम लिखना होगा, बशर्ते भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचानपत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे कम-से-कम एक सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए जिनमें उनके माता पिता के नाम के स्थान पर उनके गुरु का नाम दर्ज हो।

(x) अनाथ बच्चे जिनके पास जन्मतिथि का कोई सबूत न हो जैसे जन्म प्रमाण-पत्र अथवा मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र अथाव घोषणात्मक न्यायालय आदेश न हो, वे उस अनाथालय/शिशु देखभाल केंद्र के प्रमुख द्वारा संगठन के शासकीय लेटर हेड पर आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि कराके घोषणा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

(xi) पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को पासपोर्ट आवेदन जमा कराते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कराना होगा।

(xii) अब किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदान कराए बिना भी 'तत्काल' योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आवश्यकता पूर्व में होती थी। इस योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों को जी.एस.आर. 39 (ई) दिनांक 18 जनवरी, 2018 और कार्यालय ज्ञापन संख्या VI/401/1/4/2013 दिनांक 23 मार्च 2018 जिसे इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अप्रैल 2018 के साथ पढ़ा जाये के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। आवेदक निम्न में से कोई तीन दस्तावेज पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जमा करा सकता है:

(क) आधार कार्ड/

(ख) मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.)

(ग) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

(ङ) शस्त्र लाइसेंस

(च) पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैन्य कर्मचारियों की पेंशन बुक या पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रितों संबंधी प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश।

(छ) स्वयं का पासपोर्ट (जिसे खारिज ना किया गया हो या जो क्षतिग्रस्त ना हो)

(ज) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

(झ) बैंक/किसान/पोस्ट ऑफिस पास बुक

(ञ) शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया छात्र फोटो पहचान पत्र

(ट) ड्राइविंग लाइसेंस (जो वैध हो और जिस क्षेत्र में आवेदक द्वारा आवेदन जमा कराया गया हो से जारी किया गया हो)

(ठ) जन्म प्रमाण पत्र जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंर्तगत जारी किया गया हो।

(ड) राशन कार्ड

(xiii) अब पैरा xii में उल्लिखित कम से कम किन्हीं तीन दस्तावेज जमा कराने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क अदा किये हुये पासपोर्ट जारी करने के पश्चात् पुलिस सत्यापन के आधार पर सामान्य योजना के अंर्तगत भी शीघ्र पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है।

सौर ऊर्जीकृत रेलवे स्टेशन

2426. श्री विक्रम उसेंडी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी स्टेशनों को

सौर उत्पादित विद्युत प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ सहित देशभर में उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) जी नहीं। वर्तमान में सभी रेलवे स्टेशनों पर सौर पैनल मुहैया कराने हेतु भारतीय रेल की कोई योजना नहीं है क्योंकि इसका निर्णय तकनीकी व्यवहार्यता पर लिया जाता है। रूफटॉप सौर पैनलों को मुहैया कराने के साथ भारतीय रेल की कई रेलवे स्टेशनों को सौर जनित विद्युत ऊर्जा मुहैया कराने की उत्तरोत्तर योजना है। 2021-22 तक 500 मेगावॉट के रूफटॉप सौर संयत्रों को मुहैया कराने की योजना बनाई है। इनमें से अधिकांश कार्य पी.पी.पी. मोड (डेवलेपर मोड) के द्वारा किया जा रहा है जिसमें भारतीय रेल को पूंजी व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती और डेवलेपर का चयन करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया ही निर्णायक मानदंड है। अतः, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इस उद्देश्य के लिए कोई अलग से धन आवंटित नहीं किया गया है।

आधार सत्यापन सेवाओं हेतु भारी शुल्क

2427. **श्री पिनाकी मिश्रा** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधार सत्यापन सेवाओं हेतु बैंकों पर भारी प्रभार लगाया जा रहा है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आधार सत्यापन हेतु बैंकों से यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा कोई फीस लेना निर्धारित किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) जहां तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) का संबंध है, तो यू.आई.डी.ए.आई. हां/नहीं अथवा ई-ई.के.वाई.सी. अधिप्रमाणन के लिए कोई भी लेनदेन प्रभार वसूल नहीं करता है। तथापि, 1 जून, 2017 से आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 12(7) के अनुसार अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसियों (ए.यू.ए.) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों (ए.एस.ए.) के लिए लाइसेंस शुल्क लागू किया गया है। चूंकि सभी के.यू.ए. वाई डिफाल्ट ए.यू.ए. भी हैं, अत: ई-के.वाई.सी. सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क नहीं है।

	लाइसेंस शुल्क (2 वर्ष के लिए)
ए.यू.ए.	20 लाख रुपए
ए.एस.ए.	1 करोड रुपए

इस संबंध में यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा जारी किया गया दिनांक 31.5.2017 का परिपत्र *https://uidiai.gov.in/images/resource/Circular for AUA KUA और ASA Agreements v40.pdf* पर उपलब्ध है और दिनांक 8.8.2017 परिपत्र *https://uidiai.gov.in/images/resource/Circular dated 08082017* पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

भीम ऐप

2428. **श्री रत्न लाल कटारिया** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीम ऐप प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऐप के माध्यम से लोगों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या सरकार इसे उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु कुछ नवीन कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसम्बर, 2016 को भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) लांच किया है।

(ग) भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) एक ऐसा ऐप है, जिसके माध्यम से व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में धनराशि भेज और एकत्र कर सकता है।

(घ) और (ङ) भीम ऐप प्रयोजक्ताओं की संख्या बढ़ाने के प्रयोजन से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- भीम एप्प के माध्यम से भुगतानों को लोकप्रिय बनाने के लिए 'व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना' लॉन्च की गई है। इस योजना को संशोधित किया गया है और इसे 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया है। उपभोक्ता भीम एप्प पर 10 विशिष्ट लेनदेनों पर 150 रुपए

तक का प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है।

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अब तक प्रचार-प्रसार अभियान के लिए निम्नलिखित माध्यमों का चयन किया है:

1. रेडियो (वायरलैस मीडिया)
2. समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया)
3. वेबसाइट (डिजिटल मीडिया)

- भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघक्षेत्रों को भुगतान स्वीकृति अवसंरचना में सुधार करने और नागरिकों को भीम ऐप सहित इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल अनुप्रयोगों आदि जैसे विभिन्न तरीकों से भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए परामर्शी निदेश जारी किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. टेलीफोन एक्सचेंज

2429. श्री रामदास सी. तडस :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 25,000 टेलीफोन एक्सचेंजों पर सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राजस्थान और महाराष्ट्र के उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिनमें सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वाई-फाई सुविधाओं से सुसज्जित बी.एस.एन.एल. के ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा 2019 तक कितने ग्रामीण टेलीफोन एकसचेंजों पर सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की अवसंरचना का उपयोग करके इसके 25,000 टेलीफोन एक्सचेंजों पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) के वित्तपोषण से 943 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा पता लगाए गए ग्रामीण एक्सचेंजों की सूची के आधार पर इस स्कीम को दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) द्वारा बी.एस.एन.एल. को निधियां प्रदान की गई हैं। 4482 एक्सचेंजों में वाई-फाई सुविधा स्थापित की जा चुकी है।

विवरण

राज्य-वार गांवों का ब्यौरा जहां वाई-फाई हॉट स्पॉट स्थापित किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है

क्र. सं.	राज्य	ऐसे गांवों की सं. जहां यू.एस.ओ.एफ. स्कीमों के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है	यू.एस.ओ.एफ. स्कीम के तहत वाई-फाई सुविधा से लैस किए गए बी.एस.एन.एल. के ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंज	ऐसे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या जिन पर यू.एस.ओ.एफ. स्कीमों के अंतर्गत सरकार द्वारा वाई-फाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है
1	2	3	4	5
1.	असम	398	279	119
2.	बिहार	950	9	941

1	2	3	4	5
3.	झारखंड	199	65	134
4.	पूर्वोत्तर-I*	129	66	63
5.	पूर्वोत्तर-II*	57	57	0
6.	ओडिशा	801	122	679
7.	पश्चिम बंगाल	1112	20	1092
8.	हरियाणा	791	188	603
9.	हिमाचल प्रदेश	719	234	485
10.	जम्मू और कश्मीर	205	64	141
11.	पंजाब	1208	410	798
12.	राजस्थान	1679	148	1531
13.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1550	251	1299
14.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	873	271	602
15.	उत्तराखंड	429	153	276
16.	छत्तीसगढ़	300	80	220
17.	गुजरात	1850	278	1572
18.	मध्य प्रदेश	850	166	684
19.	महाराष्ट्र	3800	224	3576
20.	कर्नाटक	2150	392	1758
21.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	2650	334	2316
22.	केरल	1070	450	620
23.	चेन्नै दूरसंचार जिला	80	50	30
24.	तमिलनाडु	1150	155	995
	कुल	25000	4466	20534

*पूर्वोत्तर-I : मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय
*पूर्वोत्तर-II : नागालैंड, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश

डिब्बों में क्षमता से अधिक लदान

2430. **श्रीमती नीलम सोनकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु अनुमत्य क्षमता से अधिक अपने डिब्बों में वस्तुओं का लदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि निरंतर क्षमता से अधिक लदान दीर्घावधि में रेलवे सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है क्योंकि इससे पुलों, एक्सल और रेलवे पटरियों के प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार क्षमता से अधिक लदान के खतरनाक स्तर से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रेल ने अधिक लदान के मामले में कोई समझौता नहीं किया है क्योंकि इससे गाड़ियों के सुरक्षित संचलन और राजस्व की हानि होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रेकों के अनिवार्य तुलन हेतु आदेश लागू किए गए हैं। यदि कहीं भी अधिक लदान पाया जाता है तो दंडात्मक/निवारक प्रभार वसूले जाते हैं। इसके अलावा, स्थिति के आधार पर या तो अधिक लदान वाले वैगनों में लदान को समायोजित किया जाता है अथवा इन डिब्बों को अलग कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों का कौशल विकास

2431. **श्री टी. राधाकृष्णन :**
श्री एस. राजेन्द्रन :
श्री एस.आर. विजय कुमार :
श्री विद्युत वरण महतो :
कुंवर हरिवंश सिंह :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं/बालिकाओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ख) योजना की शुरुआत के बाद से मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूहों की कुल कितनी महिलाओं/बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक लोगों के कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है और उनमें से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ है;

(घ) योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार के साथ कार्य कर रही संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(च) अल्पसंख्यक महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान हेतु योजना के अंतर्गत और अधिक बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) से (ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कौशल विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) **"सीखो और कमाओ** (Learn and Earn)" **- अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल** - "सीखो और कमाओ" एक प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देशभर में चुनिंदा परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसकी शुरुआत से लेकर माड्यूलर नियोज्य कौशलों सहित विभिन्न कौशलों में कुल 1,95,367 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित किए गए कुल अल्पसंख्यक युवाओं में से 1,10,750 बालिकाएं थीं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के बाद 1,14,851 प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।

(ii) **विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)** : इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों/दस्तकारों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशल को अद्यतन करना अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन; पारंपरिक कौशलों के लिए मानक स्थापित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से विभिन्न अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण देना; और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना है। योजना चुनी हुई परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियो के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के अधीन 38 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां पैनल में शामिल की गई हैं। 38 पी.आई.ए. द्वारा कुल 16,200 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 14,040 प्रशिक्षार्थी महिलाएं थीं।

(घ) (i) **सीखो और कमाओ** : "सीखो और कमाओ" योजना परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2017-18 के लिए सीखो और कमाओ योजना के अधीन इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.) सहित कुल 135 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पी.आई.ए.) को पैनल में शामिल किया गया है। 135 पी.आर.ई.ए. में से 100 पी.आई.को 2017-18 के दौरान

प्रशिक्षार्थी स्वीकृत किए गए हैं। इन 100 पी.आई.ए. को स्वीकृत प्रशिक्षार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I पर संलग्न है।

(ii) **उस्ताद** : उस्ताद योजना परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2016-17 के लिए कुल 38 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया था। इन 38 पी.आई.ए. को स्वीकृत प्रशिक्षार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II पर संलग्न है।

(iii) नई मंजिल योजना देशभर में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अधीन कुल 87 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया है और दो चरणों में 145 परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। इन पी.आई.ए. को आबंटित छात्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III पर संलग्न है।

(ङ) योजनाएं संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक चल रही हैं।

(च) सीखो और कमाओ तथा उस्ताद योजनाओं के अधीन 33% सीटें अल्पसंख्यक बालिका/महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की जाती हैं। नई मंजिल योजना के अधीन 30% सीटें अल्पसंख्यक बालिका/महिला अभ्यर्थियों के लिए निधारित की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार सीखो और कमाओ तथा उस्ताद योजनाओं के अधीन 55% से अधिक बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने के लिए अल्पसंख्यक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंट मीडिया, वीडियो स्पॉट, रेडियो जिंगल के जरिए विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना नामत: "नई रोशनी" भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और किसी अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के अधीन आगे प्रशिक्षित करती है ताकि उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम की हैंडहोल्डिंग अवधि के दौरान उपयुक्त वैतनिक रोज़गार या स्व-रोजगार/सूक्ष्य उद्यम के जरिए सतत आर्थिक आजीविका के अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, योजना संगठनों को शारीरिक रूप से विकलांग अल्पसंख्यक महिलाओं की पहचान करने और उनकी घरेलू आय बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ रोजगार/कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

विवरण-I

100 पी.आई.ए. को स्वीकृत प्रशिक्षार्थियों राज्य वार संख्या

क्र.सं.	पी.आई.ए. का नाम	राज्यों का नाम जहां प्रशिक्षितों को मंजूर की गई है	स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की राज्य-वार संख्या
1	2	3	4
1.	आई.एल. एंड एफ.एस. स्किल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केरल	770
		पश्चिम बंगाल	550
		जम्मू और कश्मीर	240
		उत्तराखण्ड	200
		बिहार	120
		मध्य प्रदेश	120
2.	ओरियन एज्यूटेक प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल	2000
3.	डाटाप्रो कंप्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	740
		बिहार	660
		मणिपुर	600
4.	सिंग्रो सर्व ग्लोबल सोलूशन्स प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	720
		तेलंगाना	650
		केरल	120
		ओडिशा	180
		राजस्थान	90
		कर्नाटक	240

1	2	3	4
5.	जी.आई.टी.एम. स्किल्स प्रा. लि.	झारखंड	800
		उत्तर प्रदेश	400
		पंजाब	400
		दिल्ली	400
6.	अंबिका शिखा समाज कल्याण समिति	मध्य प्रदेश	2000
7.	डाउन टाऊन चैरिटी ट्रस्ट	असम	2000
8.	ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन	मध्य प्रदेश	2000
9.	मदीहा एज्यूकेशन वेल्फेयर सोसायटी	उत्तर प्रदेश	2000
10.	सोशल एक्शन फॉर वेलफेयर एंड कल्चरल एडवांसमेंट	उत्तर प्रदेश	2000
11.	मॉस इंफोटेक सोसायटी	पंजाब	390
		जे. एंड के.	390
		उत्तर प्रदेश	420
		हरियाणा	800
12.	बेसिक्स एकेडमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एम्प्लॉयबिलिटी लि.	उत्तर प्रदेश (आवसीय)	1020
		तेलंगाना (आवासीय)	120
		राजस्थान (आवासीय)	240
		मध्य प्रदेश (आवासीय)	300
		असम (आवासीय)	320
13.	थ्रेड्स इंफार्मेशन टेक्नोलोजी प्रा. लि.	कर्नाटक	1100
		तेलंगाना	720
		आंध्र प्रदेश	180
14.	ई-हेरेक्स टेक्नोलजिस प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड	250
		मध्य प्रदेश	1750
15.	सम दृष्टि एजुकेशन सोसायटी	जम्मू और कश्मीर	1000
		उत्तर प्रदेश	1000
16.	वी.एल.सी.सी. हैल्थकेयर लिमिटेड	राजस्थान	60
		जम्मू और कश्मीर	60
		गुजरात	120
		उत्तर प्रदेश	320
		हरियाणा	60
		झारखंड	60
		पंजाब	600
		चंडीगढ़	60
		पश्चिम बंगाल	180
		आंध्र प्रदेश	60
		कर्नाटक	60
		केरल	60

1	2	3	4
		तमिलनाडु	120
		तेलंगाना	180
17.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एन.आई.आई.टी.)	जम्मू और कश्मीर	1290
		पंजाब	490
		हिमाचल प्रदेश	220
18.	सी.पी.आई.टी. एज्यूटेक प्रा. लि.	राजस्थान	240
		हरियाणा	590
		जम्मू और कश्मीर	240
		पंजाब	930
19.	जाह्नवी	दिल्ली	500
		उत्तर प्रदेश	500
20.	ह्यूमन वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	880
		मध्य प्रदेश	120
21.	करुणा	बिहार	350
		झारखंड	300
		पश्चिम बंगाल	350
22.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव	उत्तर प्रदेश	400
		पंजाब	600
23.	कमला नेहरू सेवा सदन	उत्तर प्रदेश	1000
24.	पीपल ट्री वेंचर्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र	1000
25.	मेहमूदा शिक्षण एंड महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर	महाराष्ट्र	1000
26.	वृत्ति प्रोशिक्षण प्रा. लि.	केरल	1000
27.	एवरग्रीन इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन	जम्मू और कश्मीर	1000
28.	विवेकानंद पर्यावरण एवं अरोग्य मिशन	बिहार	500
		पश्चिम बंगाल	500
29.	दिव्यम एजुकेशन ट्रस्ट	दिल्ली	400
		उत्तर प्रदेश	300
		पंजाब	300
30.	इन.आई.सी. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	पश्चिम बंगाल	1000
31.	आई.एम.एस. प्रोस्कूल प्राइवेट लिमिटेड	गुजरात	869
		महाराष्ट्र	131
32.	एम.ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप	दिल्ली	100
		उत्तर प्रदेश	900

1	2	3	4
33.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	हरियाणा	400
		राजस्थान	200
		असम	200
		हिमाचल प्रदेश	200
34.	श्री गुजरात एजुकेशन ट्रस्ट	गुजरात	1000
35.	केयर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	दिल्ली	500
		मेघालय	250
		उत्तर प्रदेश	250
36.	असेंसिव एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	1000
37.	युग शक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्थान	मध्य प्रदेश	1000
38.	ग्रास (जी.आर.ए.एस.) एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	100
		राजस्थान	54
		दिल्ली	385
		बिहार	36
		पंजाब	425
39.	सॉफ्टटेक इंस्टिट्य अल्पसंख्यक ऑफ आई.टी.	जम्मू और कश्मीर	925
		पंजाब	75
40.	आई.टी.आर.सी. टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर	460
		मध्य प्रदेश	420
		उत्तर प्रदेश	120
41.	सुरभी इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली	60
		बिहार	300
		जम्मू और कश्मीर	160
		उत्तर प्रदेश	480
42.	स्मार्ट ब्रेन्स इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट प्रा. लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	1000
43.	लाला कुंदल लाल मेमोरियल सोसाइटी	पंजाब	660
		हरियाणा	170
		उत्तर प्रदेश	170
44.	दीप ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	1000
45.	सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग - जम्मू और कश्मीर	पंजाब	800
		जम्मू और कश्मीर	200
46.	जयराम एजुकेशनल ट्रस्ट	तमिलनाडु	1000
47.	पोस्सिट स्किल आर्गेनाइजेशन	उत्तर प्रदेश	165
		झारखंड	180
		मध्य प्रदेश	655
48.	डोरिक मल्टीमीडिया प्रा. लि.	पंजाब	520

1	2	3	4
		जम्मू और कश्मीर	210
		उत्तर प्रदेश	270
49.	सेंट जॉन एजुकेशन सोसायटी	उत्तर प्रदेश	500
		दिल्ली	500
50.	स्किल रुट एडु टेक कंसल्टिंग इंडिया प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	1000
51.	हिंदुस्तान लेटेक्स फैमली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एच.एल.एफ.पी.पी.टी.)	मध्य प्रदेश	240
		उत्तर प्रदेश	680
		तलंगाना	80
52.	एस.ई. बिज इनफोटेक प्रा. लि.	पंजाब	400
		हरियाणा	100
		जम्मू और कश्मीर	500
53.	जी एंड जी स्किल्स डेवेलोप्स प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	1000
54.	एस्सोकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	17
		राजस्थान	60
		पंजाब	443
		उत्तर प्रदेश	180
		जम्मू और कश्मीर	300
55.	स्पाइस टेक्नोलॉजीज	आंध्र प्रदेश	820
		तेलंगाना	90
		बिहार	90
56.	मार्ग कंप्यूसॉफ्ट लिमिटेड	गुजरात	400
		छत्तीसगढ़	400
		बिहार	200
57.	एक्सेस एड्यूटेक प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	700
		अरुणाचल प्रदेश	300
58.	सृजन संस्थान	राजस्थान	1000
59.	नव चेतना विकास केंद्र	झारखंड	500
60.	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	जम्मू और कश्मीर	500
61.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	उत्तर प्रदेश	500
62.	जतुया स्कूल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (जतुया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत)	पश्चिम बंगाल	500
63.	पी.एम.टी. फिजिक्स कॉलेज	उत्तर प्रदेश	500
64.	चाणक्य फाउंडेशन	बिहार	300
		ओडिशा	200
65.	ए.एच.एस.यू.एस. फाउंडेशन	असम	500

1	2	3	4
66.	वैलेर फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	असम (आवासीय)	500
67.	स्किल होरिजन	उत्तर प्रदेश	500
68.	जी.आई.आई.टी.	उत्तर प्रदेश	500
69.	एक्सीलेंस एकेडमी	उत्तर प्रदेश	500
70.	हरिश्चंद्र सेवा सदन	बिहार	250
		झारखंड	250
71.	श्री नारायण बाबुनी फाउंडेशन	बिहार	500
72.	आदर्श महिला विकास सेवा समिति	बिहार	500
73.	नई दिशा	झारखंड	250
		उत्तर प्रदेश	250
74.	हुनर फाउंडेशन - दिल्ली	दिल्ली	500
75.	पैन इंडिया वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज	झारखंड	500
76.	डी.सी.वी.एस. (दिल्ली कॉम्पिटिटिव एंड वोकेशनल सोसाइटी)	दिल्ली	500
77.	घौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट	महाराष्ट्र	250
		कर्नाटक	250
78.	अमरेश्वर ग्रामीअभिरुद्धि शिक्षण मट्टू कल्याण संस्थान	कर्नाटक	375
		आंध्र प्रदेश	125
79.	सर्वहित ट्रस्ट	राजस्थान	500
80.	सचदेवा कॉलेज लिमिटेड	दिल्ली	100
		हरियाणा	400
81.	ओलिव इवेंटज	दिल्ली	500
82.	तोरी ट्रस्ट	बिहार	500
83.	गायत्री महिला एंव बाल कल्याण तथा शिक्षा प्रसार समिति (जी.एम.एस.पी.एस.)	मध्य प्रदेश	500
84.	स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी	उत्तर प्रदेश	500
85.	सत्यभामा दंतब्य चिकित्सा केंद्र	बिहार	500
86.	कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसाइटी	मध्य प्रदेश	500
87.	आदर्श समाज कल्याण समिति	असम (आवासीय)	150
		असम (गैर-आवासीय)	350
88.	श्री कृष्णा ग्रामोत्थान समिति (एस.के.जी.एस.)	मध्य प्रदेश	500
89.	आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान	उत्तर प्रदेश	500

1	2	3	4
90.	अल-अमीन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट	महाराष्ट्र	500
91.	द अवेयरनेस	बिहार	500
92.	दरगंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	उत्तर प्रदेश	500
93.	सिटी पब्लिक स्कूल समिति	उत्तर प्रदेश	500
94.	टेंड्रिल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	जम्मू ओर कश्मीर	500
95.	डायमंड चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट	महाराष्ट्र	500
96.	साचा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर	उत्तर प्रदेश	500
97.	जनहित सेवा संस्थान	उत्तर प्रदेश	500
98.	जेटविंग्स-इन्फोवलली एजुकेशनल एंड रिसर्च (प्रा.) लि.	असम (आवासीय)	500
99.	विजनरी नॉलेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज (पी.) लिमिटेड	उत्तर प्रदेश झारखंड	300 200
100.	मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एम.ए.ई.एफ.)	पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा	500 1000
	कुल		98000

विवरण-II

38 पी.आई.ए. को स्वीकृत प्रशिक्षार्थियों की राज्य वार संख्या

क्र. सं.	पी.आई.ए. का नाम एवं पता	दी गई ट्रेड	आबंटित राज्य	स्वीकृत प्रशिक्षणर्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जे.पी.एस. फाउंडेशन, के-571, सेक्टर-के, अशियाना, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226012	जरी जरदोजी	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
2.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, 130, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश	जरी जरदोजी	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
3.	जाह्नवी जे.आई.टी.एम. स्किल्स, 217, राम विहार, भारत नेशनल पब्लिक स्कूल के पास, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092	लकड़ी पर नक्काशी	उत्तर प्रदेश (सहारनपुर)	300
4.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, 109, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-21002	ब्लॉक प्रिंटिंग	उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद)	300

1	2	3	4	5
5.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सी-392, गैली नं. 4, मंसूरी चौक, शहीद नगर, गाजियाबाद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	ब्लॉक प्रिंटिंग	पश्चिम बंगाल	300
		जरी वर्क		300
6.	असमा हुसैन इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, 27, एम.जी. मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	चिकनकरी	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	300
		जरी जरदोजी	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	300
		मोकैश	(लखनऊ उत्तर प्रदेश)	300
		हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी	वाराणसी के आसपास क्लस्टर (उत्तर प्रदेश)	300
7.	कमला नेहरू सेवा सदन, 8/54, ए-23, अशोक विहार पोस्ट चिनहाट, चिनाहट, लखनऊ-227105, उत्तर प्रदेश	हड्डी पर नक्काशी	उत्तर प्रदेश (बाराबंकी)	300
8.	मातृभूमि विकास परिषद, गांव और पोस्ट-मउ, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश-210209	मुंज क्राफ्ट	उत्तर प्रदेश (चित्रकूट)	300
9.	सम दृष्टि एजुकेशन सोसायटी, 593/1, नीति खंड-1, इंद्रपुरम, गाजियाबाद-201010 (उत्तर प्रदेश)	फुलकारी	पंजाब (भटिंडा)	300
		कशीदाकारी	जम्मू और कश्मीर	300
		टाई एंड डाई	राजस्थान (जोधपुर)	300
		तंखा (बौद्ध शिल्प)	हिमाचल प्रदेश (धर्मशाला)	
10.	आई.एल. एंड एफ.एस. डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड., दूसरा तल, एन.टी.बी.सी.एल. बिल्डिंग, टोलप्लाजा, डी.एन.डी फ्लाईवे, नोएडा-201301 नोएडा, उत्तर प्रदेश	चिकनकरी	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
		जरी जरदोजी	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
		फुलकारी	पंजाब	300
		लोइन लूम	मणिपुर	300
11.	दीन दयाल उपाध्याय वेलफेयर सोसायटी, एफ-131, बुद्ध विहार, पार्ट-बी, तारा मंडल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273016	जेम और ज्वेलरी	उत्तर प्रदेश (संतकबीर नगर)	300
12.	अंजनी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भालुका बाजार, हरिश्चंद्रपुर-II चंचल मालदा, मालदा, पश्चिम बंगाल	जूट बैग	पश्चिम बंगाल (मालदा)	300
13.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, 3-ए, प्राइवेट आपोजिट चर्च गांधी नगर, जम्मू-180004 (जम्मू और कश्मीर)	आरी वर्क	जम्मू और कश्मीर	300
		क्रेवाल वर्क	जम्मू और कश्मीर	300
		सोजनी वर्क	जम्मू और कश्मीर	300

1	2	3	4	5
14.	श्री कृष्ण ग्रामोत्थान समिति, गांव सरबजीत का पुरा, कैलाश जिला मोरेना, एम.पी.	ब्लॉक प्रिंटिंग	मध्य प्रदेश	300
15.	ई-हेरेक्स टेक्नोजिस प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल-462042 (म.प्र.)	चंदेरी साड़ी बुनाई	मध्य प्रदेश	300
16.	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान, 25 9, एच शिव सवित्रीपुरम, हुमायूंपुर (उत्तर) गोरखपुर-273015, उत्तर प्रदेश	मुंज क्राफ्ट	उत्तर प्रदेश (गोरखपुर)	300
17.	शिल्प श्री महिला सेवा समिति, 1/256, विकास नगर, लखनऊ-226022, उत्तर प्रदेश	कुंदन ज्वेलरी	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
18.	महिला उत्थान संस्थान, ए-7, इंसाफ नगर, पनगांव के पास, इंद्र नगर, लखनऊ-226016 उत्तर प्रदेश	पैच काम	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	300
19.	ह्यूमन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, 402, दूसरा मंजिल, बी.डी.ए. परिसर, 7 नं. बस स्टॉप, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	माहेश्वरी	मध्य प्रदेश (खेरगांव)	300
20.	द 5वीं डायमेंशन अकदामी, ए-109, एल.आई.जी. कॉलोनी, खंडवा, एम.पी.-450001	कुट्टी	मध्य प्रदेश	300
21.	भारत माता कल्याण फाउंडेशन, 128-सी, पॉकेट-एफ, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110091	लकड़ी पर नक्काशी	उत्तर प्रदेश (बिजनौर)	300
22.	एस.ए.ए.आर.सी. मल्टीपर्पस सोसाइटी इंटरनेशनल, प्लॉट नं. 28 डॉ. सिद्दीकी सिओम्प्लेक्स, ए.एस.आई. नगर नागपुर महाराष्ट्र-440017	दरी बनाना	महाराष्ट्र (नौगांव)	300
23.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं ग्रामोद्योग प्रसार समिति, 29, एम.आई.जी., गोविंदपुर, कॉलोनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211004	मुंज क्राफ्ट	उत्तर प्रदेश (इलाहबाद)	300
24.	महिला मंडल बाड़मेर एगोर (एम.एम.बी.ए.)	कढ़ाई	राजस्थान	300
25.	गोपाल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान	मुंज क्राफ्ट	उत्तर प्रदेश (फतेहपुर)	300
26.	ह्यूमन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन	कॉपर वर्क	जम्मू और कश्मीर	300
		गब्बा और नमदा	जम्मू और कश्मीर	300
		कुट्टी	जम्मू और कश्मीर	300
		लकड़ी पर नक्काशी	जम्मू और कश्मीर	300

1	2	3	4	5
27.	अंबिका शिक्षा समाज कल्याण समिति, 43-बी अंसल प्रधान इन्क्लेव, दाना-पानी रेस्टोरेंट के पास, बवाडीकला, भोपाल (एम.पी.)	कढ़ाई स्मोक	मध्य प्रदेश (भोपाल)	300
28.	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ आई.टी., आपोजिट, हैंडलूम विभाग, मुख्य चौक, बांदीपोरा, जम्मू और कश्मीर-193502	कानी शाल बुनाई	जम्मू और कश्मीर	300
29.	रूरल वूमेन उपलिफ्टमेंट एसोसिएशन, हाउस नं. 14, जपोरिगोग, एच.एस. लेन, सुंदरपुर-आर.जी.बी. रोड, गुवाहाटी, असम-781005	कढ़ाई	असम	300
30.	शंकर माधब क्रिस्टी विकास केंद्र, मिलानपुर, नागांव, असम-782001	बांस क्राफ्ट	असम	300
31.	डिक्रोंग वैली एंवारमेंट और रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	कलात्मक कपड़ा, हाथ कढ़ाई	असम	300
32.	जनहित सेवा संस्थान, शक्तिपुरम कॉलोनी, रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901	पतंग बनाना	उत्तर प्रदेश (रामपुर)	300
33.	नव सृजन, सी-36, जूही आवास कॉलोनी, मुइर रोड, इलाहाबाद-211002 उत्तर प्रदेश	दरी, बनाना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश (इलाहबाद)	300
34.	जन जागरण शिक्षा सेवा संस्थान, टी.एफ.-1, आकाश अपार्टमेंट, टी.बी. सप्रू मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211001	जरी कढ़ाई	उत्तर प्रदेश (इलाहबाद)	300
35.	जन कल्याण मोरीगांव, अलाकापुर जराबारी, पी.ओ. अलीकुची, जिला मोरीगांव, असम	कलात्मक कपड़ा	असम	300
36.	सोलमरी हिंद विद्यापीठ एवं वेलफेयर सोसाइटी, गांव एवं पी.ओ. सोलमारी वाया हैबोगांव, जिला नागांव, असम	कलात्मक कपड़ा	असम	300
37.	इंटीग्रटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन (आई.आर.डी.ई.ओ.), थैबल, मणिपुर-795138	रीड क्राफ्ट लोइन लूम	मणिपुर मिजोरम	300 300
38.	सौभाग्य श्री सहारा संस्थान, बेंडो, करछाना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-212204	लाख वर्क	उत्तर प्रदेश (इलाहबाद)	300
	कुल			16200

विवरण-III

पी.आई.ए. को आबंटित छात्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आवंटित छात्रों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	413
2.	आंध्र प्रदेश	826
3.	अरुणाचल प्रदेश	826
4.	असम	5504
5.	बिहार	9700
6.	छत्तीसगढ़	1940
7.	दिल्ली	3880
8.	गोवा	413
9.	गुजरात	2910
10.	हरियाणा	2910
11.	हिमाचल प्रदेश	970
12.	जम्मू और कश्मीर	7760
13.	झारखंड	6502
14.	कर्नाटक	1940
15.	केरल	3717
16.	मध्य प्रदेश	3323
17.	महाराष्ट्र	2622
18.	मणिपुर	1383
19.	मेघालय	2766
20.	मिजोरम	413
21.	नागालैंड	1239
22.	ओडिशा	1239
23.	पुदुचेरी	413
24.	पंजाब	7184
25.	राजस्थान	2766
26.	सिक्किम	413
27.	तमिलनाडु	2910
28.	तेलंगाना	4293
29.	त्रिपुरा	970
30.	उत्तर प्रदेश	10920
31.	उत्तराखंड	970
32.	पश्चिम बंगाल	5945
	कुल	99980

कोयले पर रॉयल्टी

2432. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की वर्तमान कोयला रॉयल्टी नीति क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने कोयले पर रॉयल्टी की कोई समीक्षा की है क्योंकि यह अप्रैल 2015 से समीक्षा हेतु नियत थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धार 9(3) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा द्वितीय अनुसूची (जिसमें रॉयल्टी की दरें विनिर्दिष्ट हैं) में संशोधन कर सकती है जिससे कि उस दर को बढ़ाया अथवा घटाया जा सके जिस पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से किसी खनिज के संबंध में रॉयल्टी देय होगी बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की दर में तीन वर्ष की किसी अवधि के दौरान एक से अधिक बार वृद्धि नहीं करेगी।

(ख) कोयला और लिग्नाइट की रॉयल्टी की दरों में पिछली बार दिनांक 10.05.2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 349(ई) के माध्यम से संशोधन किया गया था। दिनांक 10.05.2012 को दरों में किए गए संशोधन के अनुसार, कोयले पर रॉयल्टी की दर को कोयले के मूल्य पर यथामूल्य 14% की दर से और लिग्नाइट पर लिग्नाइट मूल्य के अंतरण पर यथामूल्य 6% की दर से संशोधन किया गया था। जहां तक कोयला और लिग्नाइट की रॉयल्टी की दरों में संशोधन का संबंध है, कोयला एवं लिग्नाइट की वर्तमान रायल्टी दरो में संशोधन के मुद्दे की जांच करने के उद्देश्य से 21.07.2014 को एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था। अध्ययन समूह की अंतिम सिफारिश विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा

जिला खनिज निधि (डी.एम.एफ.) के रूप में 12.01.2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के संबंध में 30% की रॉयल्टी और 12.01.2015 के पश्चात् प्रदान किए गए खनन पट्टे के संबंध में 10% की रॉयल्टी संग्रहित की जा रही है।

मौजूदा परमाणु विद्युत परियोजनाएं

2433. श्री दुष्यंत चौटाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में मौजूदा परमाणु विद्युत परियेजना का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पूरे होने के पश्चात् कितनी विद्युत उत्पादन की संभावना है;

(ख) इस मौजूदा परमाणु विद्युत परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा आबंटित, मंजूर की गई और जारी की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों में इन संयंत्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में, नौ (9) नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों पर हैं। इनके क्रमिक रूप से पूरा होने पर वर्ष 2024-25 तक 6700 मेगावाट तक की नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षमता और जुड़ जाएगी और वर्तमान में स्थापित क्षमता 65780 मेगावाट से बढ़कर 13480 मेगावाट हो जाएगी। जून, 2018 तक परियोजना-वार स्थल, क्षमता, मंजूर लागत तथा सकल व्यय निम्नानुसार है :

राज्य	स्थान	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	मंजूर की गई लागत (रु. करोड़ में)	जून 2018 तक सकल व्यय (रु. करोड में)
गुजरात	काकरापार	के.ए.पी..पी 3 तथा 4	2 X 700	11459*	11968
राजस्थान	रावतभाटा	आर.ए.पी.पी. 7 तथा 8	2 X 700	12320	9432
तमिलनाडु	कुडनकुलम	के.के.एन.पी.पी. 3 तथा 4	2 X 1000	39849	8602
	कल्पाक्कम	पी.एफ.बी.आर.&	500&	5677	5584
हरियाणा	गोरखपुर	जी.एच.ए.वी.पी. 1 तथा 2$	2 X 700	20594	1256

*रु. 16580 करोड़ तक संशोधन करने की प्रक्रिया के तहत। &भाविनी द्वारा कार्यान्वित $उत्खनन आरंभ हो चुका है

(ग) उपरोक्त परियोजना में से, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (के.ए.पी.पी.) 3 तथा 4 (2X700 मेगावाट), राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आर.ए.पी.पी.) 7 तथा 8 (2X700 मेगावाट) द्वारा अगले तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन शुरू करने अनुमान है तथा प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) (500 मेगावाट) अगले एक वर्ष में विद्युत उत्पादन आरंभ कर देगा। चूंकि, नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के साथ न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के भाग के रूप में वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं, अत: तीनों यूनिटों सहित, अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादन के लक्ष्य उन वर्षों के समझौता ज्ञापनों में तय किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देना

2434. श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. जे. जयवर्धन :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र की कमजोर वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अल्पसंख्यक-बहुल जिलों (एम.सी.डी.) का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ, विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अल्पसंख्यक-बहुल जिले के रूप में किसी जिले की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त करने वाले कारोबार/उद्यमों के प्रकारों का राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की क्या उपलब्धियां रही हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) से (ग) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 और इससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ए.एन.बी.सी.) के 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (ओ.बी.ई.) की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य अनिवार्य किया गया है। इसी के भीतर, ए.एन.बी.सी. के 10% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (ओ.बी.ई.) की क्रेडिट समतुल्य राशि, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो अधिक हो, का एक उप-लक्ष्य कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए निर्धारित किया गया है; जिनमें अन्यों के साथ अल्पसंख्यक समुदायों से व्यक्ति शामिल हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों (पी.एस.बी.) को उनके प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) में से अल्पसंख्यक समुदायों को 15% क्रेडिट प्रवाह का लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा गत 3 वर्षों में कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रतिशत के रूप में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋण की मात्रा नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	बकाया राशि (रु. करोड में)	पी.एस.एल. के % के रूप में उपलब्धि
2015-16	2,92,345.00	15.38
2016-17	3,02,526.00	15.40
2017-18	3,12,683.00	15.79

स्रोत : पी.एस.बी.

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाओं पर आर.बी.आई. के दिनांक 02.07.2018 के मास्टर परिपत्र में महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के जिलों सहित 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एम.सी.डी.) की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार महाराष्ट्र में अकोला अमरावती, औरंगाबाद, बुलढाणा, हिंगोली, मुंबई, मुंबई (उप नगर), परभनी तथा वाशिम जिले और तमिलनाडु में कन्याकुमारी एम.सी.डी. के रूप में शामिल किए गए हैं।

(घ) आर.बी.आई. के मास्टर निदेश के अनुसार पी.एस.एल. में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं जिनके अंतर्गत पी.एस.बी. अन्यों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात क्रेडिट, शिक्षा, आवास, सामाजिक आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य इत्यादि। पी.एस.एल. के अधीन अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण का ब्यौरा, जैसा पी.एस.बी. द्वारा सूचित किया गया है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट *www.minorityaffairs.gov.in* पर उपलबध है।

(ङ) केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 1994 में राष्ट्रीय अलपसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) की स्थापना भी की है। एन.एम.डी.एफ.सी. (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन) एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से अपनी निधियों का लाभार्थियों को संचालन करता है। किसी भी तकनीकी रूप से संभावित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय सृजन उद्यम के लिए इसकी वित्त पोषण योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं के तहत वित्त पोषित परियोजनाएं निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में कवर की जाती हैं:-

(i) कृषि और संबद्ध;

(ii) तकनीकी व्यापार;

(iii) लघु व्यवसाय;

(iv) कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय; तथा

(v) परिवहन और सेवाएं क्षेत्र।

एन.एम.डी.एफ.सी. की रियायती ऋण योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित ऋणों की राज्य-वार मात्रा का विवरण वेबसाइट *www.minorityaffairs.gov.in* पर उपलब्ध है।

आधुनिक असॉल्ट राइफल

2435. श्री भोला सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेना के लिए आधुनिक असॉल्ट साइफल और अन्य इसी प्रकार के हथियारों की मांग को एक दशक से अधिक समय से पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए त्वरित खरीद मार्ग को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वास्तविक खरीद के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) सरकार सुरक्षा परिदृश्य की सतत् रूप से समीक्षा करती है और तदनुसार सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक हथियारों/सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित करने तथा तैयारी की स्थिति में रखने के लिए उपयुक्त रक्षा उपस्कर/प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लेती है।

(ग) और (घ) 'खरीदो (वैश्विक)' श्रेणी के तहत फास्ट ट्रेक प्रक्रिया (एफ.टी.पी.) के जरिए असॉल्ट राइफलों की अनिवार्य मात्रा में अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृति (ए.ओ.एन.) प्रदान की गई है।

सशस्त्र सेनाओं के पूंजीगत अधिप्राप्ति प्रस्तावों पर मौजूदा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है और इन निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कार्य-निष्पादन की समीक्षा

2436. श्री विजय कुमार हांसदाक :
श्री हरीश मीना :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के अल्प कार्य-निष्पादन और कार्य में विलंब के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सुस्त अधिकारियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने उच्च स्तर पर आई.ए.एस. अधिकारियों के कार्य-निष्पादन को उनके समाज के कमजोर वर्गों के प्रति रवैये के आधार पर और प्रारूप मूल्यांकन फार्म को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकारी सेवकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा मूल नियम 56(ञ) और केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.एस.) (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है, जो यह प्रावधान करती है कि किसी सरकारी सेवक के कार्य निष्पादन की विनिर्दिष्ट आयु विशेष का होने पर अथवा सेवा के अर्हक वर्षों को पूरा करने पर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा अएवधिक समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न पहलुओं संबंधी दिशा-निर्देशों को समय-समय पर जारी किया गया है।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई उपलबध जानकारी के अनुसार, मई 2018 तक कुल 25,082 समूह 'क' तथा 54,873 समूह 'ख' अधिकारियों की समीक्षा की गई है और जिसमें से 93 समूह 'क' और 132 समूह 'ख' अधिकारियों के विरुद्ध मूल नियम 56 (ञ)/संगत नियमों के प्रावधान लगाए गए/सिफारिश की गई।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के अधिकारियों की गोपनीय पंजिकाएं (सी.आर.)/कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पी.ए.आर.) अखिल भारतीय सेवा (कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली 2007 में विहित फॉर्म और समय-सीमा के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट

अवधि के लिए भरी जाती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के अधिकारियों के मूल्यांकन फॉर्म में अन्य बातों के साथ-साथ सबल पक्षों तथा कमजोर वर्गों के प्रति उनके रवैये सहित अधिकारियों के समग्र गुणों के संबंध में टिप्पणी हेतु प्रावधान होता है।

सॉफ्वेयर प्रौद्योगिकी पार्क

2437. श्री सी. गोपालकृष्णन :
श्री आलोक संजर :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एस.टी.पी. में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या एस.टी.पी. चलाने वाले बहुत से संस्थान उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए लोगों को बहलाने में लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों को प्रशिक्षण देने और उसके लिए निधियों के उपयोग में पारदर्शिता लाएगी और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) भोपाल में एक आई.टी. पार्क सहित बाकी आई.टी. पार्को की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(च) नए/योजनाबद्ध आई.टी. पार्कों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहन, बढ़ावा देने और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) की स्थापन की गई। एस.टी.पी.आई. आई.टी./आई.टी.ई.एस. और हार्डवेयर उद्योग के संवर्धन के लिए क्रमशः सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) और इलेक्ट्रोनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.) योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। देशभर में कुल 58 एस.टी.पी.आई. केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से अब तक 50 केंद्र टियर II और टियर III शहरों में स्थित हैं। कार्यरत एस.टी.पी.आई. केंद्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में संलग्न है।

(ख) जी, हां। एस.टी.पी.आई. केन्द्र कोई प्रशिक्षण गतिविधि संचालित नहीं करते हैं। इसके अलावा, इनका प्रशासन विशेषरूप एस.टी.पी.आई. मुख्यालय और संबंधित क्षेत्राधिकारों द्वारा किया जाता है। एस.टी.पी.आई. केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- इस क्षेत्र को पंसदीदा आई.टी. गंतव्यों में से एक गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित करना और राज्य में आई.टी./आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. यूनिटों को आकर्षित करना है;
- इस क्षेत्र से आई.टी. सॉफ्टवेयर और सेवओं के निर्यात को बढ़ावा देना, अतः इसके द्वारा सकल राष्ट्रीय निर्यात में योगदान देना;
- सरकार की सॉफ्टेवयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) योजनाओं और इलेक्ट्रोनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.) के अंतर्गत सांविधिक सेवाएं उपलब्ध कराना;
- हाई-स्पीड डेटा कम्प्यूनिकेशन और अन्य मूल्यवर्धन सेवाएं उपलब्ध कराना; और
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना।

कुछ एस.टी.पी.आई. केन्द्र प्लग-एन-प्ले इन्क्यूबेशन सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा एस.टी.पी.आई. कुछ चुनिन्दा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों (सी.ओ.ई.) की स्थापना के लिए भी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं। :

(ङ) और (च) जी, नहीं आई.टी. पार्कों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है, जिसका प्रशसन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारों से मांग के आधार पर देश में नए एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की स्थापना की जाती है। इसके लिए निर्धारित नीति के अनुसार राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्र/उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थान को निम्नलिखित अवसरंचना उपलब्ध करानी होती है :

- दीर्घावधि पट्टे पर निःशुल्क न्यूनतम 2 एकड़ विकसित भूमि, या दीर्घावधि पट्टे पर निःशुल्क 50,000 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र।
- स्थान की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्रों/उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थान के साथ संयुक्त रूप से एस.टी.पी.आई. द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन।

यदि राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्र/उच्चत्तर शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराते हैं, तो एस.टी.पी.आई. "एस.टी.पी.आई

केंद्र में अवसंरचना विकास और इन्क्यूबेशन सुविधाओं को तैयार करने" के लिए अनुमोदित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम 20,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र का निर्माण करता है।

एस.टी.पी.आई. की शासी परिषद (जी.सी) ने भोपाल (मध्य प्रदेश) के एक केन्द्र सहित कुल 24 नए एस.टी.पी.आई. केन्द्रों के अनुमोदन दिया है। एस.टी.पी.आई. ने भोपाल में अपने केन्द्र की स्थापना की है और यह औपचारिक उदघाटन के लिए तैयार है। इसके स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 3 एकड़ भूमि में 24,428 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र में की गई है। इस कुल निर्मित क्षेत्र में से 1,570 वर्ग फुट क्षेत्र का विकास 26 सीटों के साथ प्लग-एन-प्ले इन्क्यूबेशन स्पेस के रूप में किया गया है और 7367 वर्ग फुट क्षेत्र का विकास रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस के रूप में किया गया है। एक इन्क्यूबेशन यूनिट पहले से ही रॉ इन्क्यूबेशन स्पेस का लाभ उठा रही है।

अन्य नए आने वाले एस.टी.पी.आई. केन्द्र कार्यान्वयन और प्रचालन के विभिन्न चरणों पर हैं। आगामी नए एस.टी.पी.आई. केंद्रों की सूची संलग्न विवरण-II के तौर पर संलग्न है।

विवरण-I

एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
2.		तिरुपति
3.		विजयवाडा
4.		वाइजैग
5.	असम	गुवाहाटी
6.	बिहार	पटना
7.	छत्तीसगढ़	भिलाई
8.	गुजरात	गांधीनगर
9.		सूरत
10.	गोवा	गोवा
11.	हरियाणा	गुडगांव
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
13.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
14.		श्रीनगर
15.	झारखंड	रांची
16.	कर्नाटक	बेंगलुरु
17.		हुबली
18.		मंगलौर
19.		मणिपाल
20.		मैसूर
21.	केरल	तिरूवतंतपुरम
22.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
23.		इंदौर
24.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
25.		कोल्हापुर
26.		नागपुर
27.		नासिक
28.		मुंबई
29.		पुणे
30.	मणिपुर	इंफाल
31.	मेघालय	शिलांग
32.	मिज़ोरम	आइजोल
33.	ओडिशा	बेरहामपुर
34.		भुवनेश्वर
35.		राउरकेला
36.	पुदुचेरी	पांडिचेरी
37.	पंजाब	मोहाली
38.	राजस्थान	जयपुर
39.		जोधपुर
40.	सिक्किम	गंगटोक
41.	तमिलनाडु	चैन्नई
42.		कोयंबटूर
43.		मदुरै
44.		तिरूनेलवेली
45.		त्रिची
46.	तेलंगाना	हैदराबाद

क्र.सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
47.		वारंगल
48.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
49.		कानपुर
50.		लखनऊ
51.		नोएडा
52.	उत्तराखंड	देहरादून
53.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर
54.		हल्दिया
55.		खड़गपुर
56.		कोलकाता
57.		सिलीगुड़ी
58.	त्रिपुरा	अगरतला

विवरण-II

आने वाले एस.टी.पी.आई.

क्र.सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
1.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
2.	बिहार	भागलपुर
3.		दरभंगा
4.	झारखंड	बोकारो
5.		देवघर
6.		घनबाद
7.		जमशेदपुर
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल
9.		छिंदवाडा
10.		जबलपुर
11.	नागालैंड	कोहिमा-दीमापुर
12.	ओडिशा	अंगुल
13.		बालासोर
14.		जाजपुर
15.		कोरापुट (जेपोर)
16.		संबलपुर
17.	पंजाब	अमृतसर
18.	कर्नाटक	दावणगेरे
19.	उत्तर प्रदेश	आगररा
20.		गोरखपुर
21.		मेरठ
22.		वाराणसी
23.	हरियाणा	पंचकुला
24.	गुजरात	भावनगर

[अनुवाद]

व्यभिचार को अपराध के दायरे से हटाना

2438. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को लिंगनिरपेक्ष बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार व्यभिचार को अपराध के दायरे से बाहर करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु मलिमथ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने तारीख 06-07-2010 को मलिमथ समिति द्वारा की गई सिफारिशों समेत आपराधिक विधि की परीक्षा करने तथा सभी पहलुओं के सम्मिलित करने वाली विस्तृत रिपोर्ट देने का भारत के विधि आयोग से अनुरोध करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय से निवेदन किया ताकि विभिन्न विधियों जैसे भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भरतीय साक्ष्य अधिनियम, आदि में विस्तृत संशोधन किए जा सकें।

विधि आयोग ने सूचित किया है कि जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है तथा पहचान किए गए क्षेत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए उप-समूहों का गठन किया गया है। आपराधिक विधि में संशोधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जारकर्म से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन

2439. **श्री आर.पी. मरुदराजा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल और भारत द्वारा सभी रेल लिंक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं का पूरा ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) वर्तमान में, भारत-नेपाल संपर्क के लिए दो परियोजनाएं अर्थात जोगबनी-बिराटनगर नई लाइन परियोजना और बारदिवास तक विस्तार सहित जयनगर-बिजालपुरा आमान परिवर्तन शुरू की गई हैं। भारत और नेपाल के अधिकारी सभी रेल लिंक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए नियमित बैठकें कर रहे हैं।

(ख) से (घ) 7 अप्रैल 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान, भारत में रक्सौल और नेपाल में काठमाण्डू को जोड़ने वाली नई विद्युतीकृत रेल लाइन निर्माण करने पर सहमति हुई थी। रेल लाइन का प्रारंभिक इंजीनियरी सह यातायात सर्वेक्षण करने के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा दो सरकारों के बीच विचाराधीन है। भारत सरकार इस परियोजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य के लिए नेपाल सरकार से परामर्श कर रही है।

[हिन्दी]

मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास

2440. **श्री सदाशिव लोखंडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रेलवे की भूमि पर बसी मलिन बस्तियों को तोड़ने से पहले मलिन बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) रेलवे भूमि पर अधिकांश मलिन बस्तियां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै सहित महानगरों और बड़े शहरों में स्टेशनों के पहुंचमार्गों पर हैं। इस रेलवे भूमि की आवश्यकता रेलपथों की मरम्मत और अनुरक्षण, पुलों तथा अन्य परिचालनिक उपयोगों के लिए होती है और इसका इस्तेमाल रेलवे की विकास संबंधी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसमें दोहरीकरण/तिहरीकरण, यातायात सुविधाओं आदि जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, रेलवे भूमि में मलिन बस्ती वासियों का रेलवे भूमि पर पुनर्स्थापन व्यवहारिक नहीं होगा।

रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पहले ही सूचित कर दिया है कि आवास राज्य का विषय होने के नाते उन्हें किसी शहर में रेलवे भूमि पर स्थित मौजूदा मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास/पुन:स्थापन के लिए उन मलिन बस्तियों को अपने नक्शे में शामिल करना चाहिए। इस पुनर्वास की समूची लागत भी राज्य सरकार अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जा सकती है क्योंकि रेलवे, भूमि की लागत अथवा पुनर्वास/पुन:स्थापन की लागत में सहयोग करने में समर्थ नहीं होगी।

[अनुवाद]

दादर स्टेशन का पुनर्विकास

2441. **श्री राहुल शेवाले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई में दादर स्टेशन को पुन:विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्टेशन को पुन: विकसित करने हेतु रेलवे प्राधिकारियों को कितना समय दिया गया है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक उक्त स्टेशन के पुनर्विकास

हेतु किए गए कार्य सहित प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के प्रथम वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में तेजी लाने हेतु जनप्रतिनिधियों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक ऐसे अनुरोधों/अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(च) निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त स्टेशन के पुनर्विकास हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) रेलवे ने नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आई.आर.एस.डी.सी.) का गठन करके सरल प्रक्रिया और दीर्घकालिक पट्टे के माध्यम से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। इसमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं जटिल प्रकृति की होती हैं और इसके लिए विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और स्थानीय निकायों से सांबिधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। अत: इस समय, कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

(ग) स्टेशनों के भीतर और उनके आस-पास खाली भूमि/ एयर स्पेस के वाणिज्यिक विकास कार्यों का उपयोग करके स्टेशनों का पुनर्विकास करने की योजना है। अत: इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सामान्य तौर पर रेलवे को कोई अतिरिक्त लागत खर्च नहीं करनी पड़ती है।

(घ) और (ङ) जी हां। रेल मंत्रालय को जन-प्रतिनिधियों से दादर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उनको विधिवत उत्तर दे दिए गए हैं।

(च) डेवलपरों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न चर्चाओं के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रेल मंत्रालय ने तेजी से स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एक संशोधित नीति तैयार की है। तदनुसार, इस संबंध में एक केबिनेट नोट तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

आंकडों की चोरी को रोकने हेतु कानून

2442. श्री पंकज चौधरी : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ते आंकड़ों की चोरी के मामलों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जस्टिस श्री कृष्णा समिति से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार देश में डाटा संरक्षण विधान लाने पर विचार कर रही है। डाटा संरक्षण से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने मसौदा विधायक के साथ-साथ अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2018 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) यह रिपोर्ट 27 जुलाई, 2018 को प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

असम में शुरू की गई परियोजनाएं

2443. श्री रमेन डेका : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान असम में इस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विज्ञान और प्रौद्यागिकी संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और पूरी की गयी परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसी केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन नहीं करता है और न ही एस एण्ड टी प्रोजेक्टों के राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र (यू.टी.) वार लक्ष्य और आबंटन करने के लिए कोई प्रावधान है। असम में विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्टों की संख्या और इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि नीचे सारीणी में दी गई है। सामान्यत: प्रोजेक्ट दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किए जाते हैं।

क्र.सं.	विभाग	असम में विगत तीन वर्षों के दौरान सहायित प्रोजेक्टों की संख्या		कुल लागत रु. लाख में
		चालू	पूरे हो चुके	
1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	199	19	11858.72
2.	जैवप्रौद्योगिकी विभाग	77	15	19816.90
3.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4	2	56.09
	कुल जोड़	280	36	31731.71

[हिन्दी]

गाड़ी संख्या 12877/12878 के फेरे

2444. श्री विष्णु दयाल राम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची से नई दिल्ली वाया डाल्टनगंज ट्रेन संख्या 12453/12454 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12877/12878 गरीब रथ का दैनिक प्रचालन प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) इस समय, 12453/12454 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) और 12877/12878 रांची-नई दिल्ली गरीबरथ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) के फेरों में वृद्धि करना परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि 12453/12454 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) और 12877/12878 रांची-नई दिल्ली गरीबरथ एकसप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) और 20839/20840 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) सप्ताह के सभी दिन एक ही मार्ग पर चल रही हैं। इसके अलावा, यहां पर टर्मिनल और अनुरक्षण संबंधी तंगियां भी हैं।

[अनुवाद]

वाई-फाई सेवाओं पर वॉयस कॉल

2445. श्री बलका सुमन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों द्वारा वॉयस कॉल किए जाने की स्थिति में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) को एक दूसरे के डाटा नेटवर्क का उपयोग करने और तृतीय पक्ष कंपनियां एक लाइसेंस प्राप्त कर सकें तो उनको सेवा की पेशकश करने की अनुमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पूर्ण इंटरनेट टेलीफोनी ऑफर करने अथवा इन प्रचालकों द्वारा विकसित किए गए एप्पस से भी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी.ओ.आई.पी.) सेवा ऑफर करने की अनुमति प्रदान करते हुए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस में संशोधन जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एकीकृत अभिगम्य सेवा लाइसेंस के पृष्ठांकन और इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण की प्रतियां संलग्न विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

सं. 20-573/2017 एएस-I
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 जून, 2018

सेवा में,

सभी यू.ए.एस. लाइसेंस धारक

विषय : इंटरनेट दूरभाषी टेलीफोनी से संबंधित यू.ए.एस. लाइसेंस में संशोधन

शर्त 5.1 के अनुसरण में लाइसेंस प्रदाता ने यू.ए.एस. लाइसेंस करार में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

	विद्यमान खंड	संशोधित खंड
1.		**भाग-1, सामान्य शर्तें** 2.6 (ii) अंतरराष्ट्रीय स्थलों से अंतरराष्ट्रीय आउट रोमर्स द्वारा किए गए इंटरनेट दूरभाषी कॉल आइसेंसीकृत आई.एल.डी.ओ. के अंतरराष्ट्रीय गेटवे में हस्तांतरित किए जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन प्रभार का भुगतान टर्मिनेटिंग अभिगम्य सेवा प्रदाता को किया जाएगा। यदि लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि देश के बाहर से आने वाली इंटरनेट दूरभाषी (टेलीफोनी) आई.एल.डी.ओ. गेटवे से आ रही हैं तो अभिगम्य सेवा प्रदाता के इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को इंटरनेट दूरभाषी कॉल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इंटरनेट दूरभाषी का उपयोग करते हुए। देश के बाहर से किए गए कॉल किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कॉल की तरह आई.एल.डी. (अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी) गेटवे के माध्यम से भेजे जाएंगे।
2.		**भाग-1, सामान्य शर्तें** 2.6(iii) लाइसेंसधारक द्वारा इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल नंबरों वाली शृंखला का उपयोग किया जाना चाहिए। टी.एस.पी. को सेल्यूलर मोबाइल सेवा और इंटरनेट दूरभाषी सेवा दोनों के लिए उपभोक्ता को एक ही नंबर आवंटित करने की अनुमति होगी। अभिगम्य सेवा लाइसेंसधारक को टेलीफोन नंबर मैपिंग के लिए ई.164 से एस.आई.पी./एच. 323 तक एड्रेसेस एवं इसके विपरित अपने नेटवर्क में निजी ई.एन.यू.एम. का उपयोग करना चाहिए।
		भाग-1, सामान्य शर्तें 2.6(iv) लाइसेंसधारक को इंटरनेट दूरभाषी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित लाइसेंस में यथा-विनिर्दिष्ट पाबंदी एवं निगरानी से संबंधित सभी अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए। शुरू/समाप्त किए जाने वाले इंटरनेट दूरभाषी कॉल के लिए प्रयुक्त पब्लिक आई.पी. एड्रेस को इंटरनेट दूरभाषी के मामले में सी.डी.आर. का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जहां संभव हो आक्षांश और देशांतर के रूप में स्थान का ब्यौरा भी उपलबध कराया जाना चाहिए। इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को सी.एल.आई. प्रतिबंध (सी.एल.आई.आर.) सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।
4.	उपभोक्ता को इंटरनेट दूरभाषी के लिए दिया गया आई.पी. एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबरर्स अथॉरिटी (आई.ए.एन.ए.) की आई.पी. एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप ही हो। आई.पी एड्रेस का	**भाग-1, समान्य शर्तें** 2.6(v) इंटरनेट दूरभाषी के लिए उपभोक्ताओं को दिया गया आई.पी एड्रेस इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी (आई.ए.एन.ए.) की आई.पी. एड्रेसिंग स्कीम के अनुरूप ही हो।

विद्यमान खंड	संशोधित खंड
ई.164 नंबर/निजी नंबर और इसके प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक द्वारा इसके विपरीत अनुवाद लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार होगा।	
5.	**भाग-1, समान्य शर्तें** 2.6 (vi) इंटरनेट दूरभाषी सेवा उपलब्ध कराने वाले लाइसेंसधारक स्थानीय सेवाओं का उपयोग करते हुए आपातकालीन नंबर कॉल की सुविधा दें, यद्यपि वर्तमान में ऐसी सेवाएं उपलबध कराना अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से इंटरनेट दूरभाषी उपभोक्ताओं को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करने की सीमा के बारे में अवगत कराया जाए।
6.	**भाग-1, समान्य शर्तें** 2.6 (vii) लाइसेंस धारकों को इंटरनेट दूरभाषी के लिए उनके द्वारा समार्पित क्यू.ओ.एस. पैरामीटर के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि उपभोक्ता निर्णय ले सकें।

2. ये संशोधन यू.ए.एस. लाइसेंस करार का अभिन्न भाग होंगे और अन्य निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी।

3. ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

ह./-
(आर.के.सोनी)
निदेशक (ए.एस.)
दूरभाष-23036284

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव (ट्राई)
2. वरि. डी.डी.जी.(टी.ई.सी.)/वायरलेस सलाहकार/वरि.डी.डी.जी. (डी.जी.टी.-एच.क्यू.)/वरि.डी.डी.जी.(एल.एफ.पी./डी.डी.जी. (एल.एफ.ए.) और डी.डी.जी. (डब्ल्यू.पी.एफ.)
3. डी.डी.जी.(सी.एस.)/डी.डी.जी. (डी.एस.)/डी.डी.जी (ए./सी.)/सी.वी.ओ.
4. सी.ओ.ए.आई.
5. निदेशक (आई.टी.): कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. ए.एस. प्रभाग के सभी निदेशक

विवरण-II

सं. 20-573/2017 एएस-I
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 19 जून 2018

सेवामें,

सभी यू.एल./यू.एल.(वी.एन.ओ.)/यू.ए.एस.एल./सी.एम.टी.एम. लाइसेंसधारक

विषय : इंटरनेट दूरभाषी के संबंध में स्पष्टीकरण

लाइसेंसों में परिकल्पित इंटरनेट दूरभाषी के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सेवा आधारभूत अभिगम्य नेटवर्क से निर्बाधित है। अत: अभिगम्य सेवा प्रदाता अन्य सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हुए उपभोक्ताओं को इंटरनेट दूरभाषी सेवा उपलब्ध करा सकते हैं।

ह0/-
(आर.के.सोनी)
निदेशक (ए.एस.)
दूरभाष-23036284

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव (ट्राई)
2. वरि. डी.डी.जी.(टी.ई.सी.)/वायरलैस सलाहकार/वरि.डी.डी.जी.(डी.जी.टी.-एच.क्यू.)/वरि.डी.डी.जी.(एल.एफ.पी./डी.डी.जी.(एल.एफ.ए.) और डी.डी.जी. (डब्ल्यू.पी.एफ.)
3. डी.डी.जी.(सी.एस.)/डी.डी.जी. (डी.एस.)/डी.डी.जी (ए./सी.)/सी.वी.ओ.
4. सी.ओ.ए.आई.
5. निदेशक (आई.टी.): कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. ए.एस. प्रभाग के सभी निदेशक

बिना दस्तावेज वाले आप्रवासी

2446. **श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी प्रशासन ने बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों के लिए शून्य सहनशीलता की नीति शुरू ही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिना दस्तावेज वाले आप्रवासियों की सूची में पिछड़ रहे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा निरुद्ध किए गए लोगों की स्थिति में सुधार लाने और अमेरिका में उनके ठहरने के प्रयासों में उनकी मदद करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) से (ग) राष्ट्रपति ट्रंप ने दिनांक 25 जनवरी 2017 को "एनहॉनसिंग पब्लिक सेफ्टी इन द इनटीरियर ऑफ द यूनाईटेस स्टेट्ड" शीर्षक से एक एक्जक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि निकाले जाने योग्य सभी विदेशियों के विरुद्ध अमरीका के आप्रवासन कानूनों का ईमानदारी से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएं"। तदुपरांत डिपार्टमेंट ऑफ होम लैंड सिक्यूरिटी (डी.एच.एस.) ने दिनांक 20 फरवरी 2017 को दो कार्यान्वयन ज्ञापन जारी किए जिसमें सभी डी.एच.एस. कार्मिकों को निर्देश दिया गया कि "अपनी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के दौरान निकाले जाने योग्य पाए गए विदेशियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ की जाए।"

अमरीका में दस्तावेजों के बिना रहने वाले भारतीय आप्रवासियों की संख्या के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। अमरीकी सरकार वैध दस्तावेजों के बिना अमरीका में प्रवेश करने अथवा रहने के आरोप में पकड़े गए विदेशियों की राष्ट्रीयता-वार कोई व्यापक सूची जारी नहीं करती। समय-समय पर अमरीकी आप्रवासन कानून का उल्लंघन करने के लिए कथित भारतीय नागरिकों के पकड़े जाने के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती रहती है अथवा उसकी जानकारी में आती है। ऐसे मामलों में अमरीका में हमारा राजदूतावास और कौंसुलावास यथोचित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाते हैं और पकड़े गए भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं तथा नजरबंदी केंद्रों का दौरे भी करते हैं। अमरीका में भारतीय राजदूतावास और कौंसुलवास दस्तावेजों के बिना रहने वाले भारतीयों को राष्ट्रीयता के सत्यापन के उपरांत उनकी भारत वापसी के लिए समय-समय पर यात्रा दस्तावेज भी जारी करते हैं।

सरकार, भारतीय नागरिकों का अन्य देशों में गैर कानूनी प्रव्रजन को प्रोत्साहन नहीं देती है। सरकार अमरीका में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी से संबंधित सभी मुद्दों पर अमरीकी सरकार के साथ नजदीकी संपर्क बनाए रखती है।

[हिन्दी]

रेलवे का आधुनिकीकरण

2447. **श्री शरद त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के आधुनिकीकरण, नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइन का दोहरीकरण करने, विद्युतीकरण करने और रेल सुरक्षा के लिए आवश्यक निधि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निधि के कब तक और किस प्रकार से जुटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का उक्त कार्यक्रमों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी से कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) रेलवे, राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार निधियों के आबंटन के लिए कोई मानदंड नहीं अपनाती है। निधि, भारतीय रेल के जोन वार आबंटित की जाती है जिसमें एक या अधिक राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को कवर होते हैं। बहरहाल, 2020 तक पांच वर्षों में रेलवे के आधुनिकीरण के लिए 5,56,000 करोड़ रुपए की निधि की आवश्यकता होने का आकलन किया गया है।

(ख) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह निधि है पांच वर्षों अर्थात् 2020 तक सकल बजटीय सहायता, आंतरिक

राजस्व सृजन, संस्थागत निधियन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जुटाई जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे का 1.30 लाख करोड़ रुपए की उपर्युक्त योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्रशासनिक सुधार

2448. श्री हरीश मीना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में वर्ष 2014 से संवेदनशील सरकारी नीति निर्माण वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के बाद भी इसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विभागों/मंत्रालयों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रशासन/ निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) सरकार ने वर्ष 2014 के बाद अनेक प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं ताकि, समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। सुधार सतत प्रक्रिया का भाग है। कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं :-

(i) **ई-समीक्षा** - महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा किए गए निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु रियर टाईम ऑनलाइन सिस्टम है।

(ii) **ई-ऑफिस** - मंत्रालयों/विभागों को कागजरहित कार्यालय में बदलने तथा त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.) सुदृढ़ की गई है।

(iii) **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) भुगतान, ई-भुगतान** - डी.बी.टी. के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से लाभार्थी को उनके बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान सीधे किए जाने होते हैं।

(iv) **विधिक सूचना प्रबंधन आधारित प्रणाली (एल.आई.एम.बी.एस)** - यह विवादों की शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की न्यायालय प्रकरणों की ऑनलाईन मानीटरिंग प्रणाली है।

(v) **नोटरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली** - यह प्रणाली नोटरियों के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने के इच्छुक व्यक्तियों की सहयाता करती है।

(vi) **कनिष्ठ स्तर के पदों की भर्ती में साक्षात्कार का समापन** - सरकार ने चयन प्रक्रिया में कदाचार रोकने तथा निष्पक्षता लाने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ संबद्धकार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 1.1.2016 के बाद से सभी समूह "ग", समूह 'ख' (अराजपत्रित पद) और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती में साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय किया है।

(vii) **'जीवन प्रमाण'** - यह प्रणाली डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र को प्रमाणिकता प्रदान करती है जिसके लिए पेंशनभोगी को अपने पेंशन वितरण प्राधिकारी (पी.डी.ए.) के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।

(viii) सरकार ने अपनी विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में नए आई.टी. उत्पाद और प्रौद्योगिकियां शुरू करने तथा मौजूदा उत्पादों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहलें की हैं। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं :-

(क) **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल** - किसी भी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को आवेदन और छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए केन्द्रीयकृत प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

(ख) **जी.ई.एम.** - विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपेक्षित वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाईन प्रापण हेतु सरकारी ई-बाजार (जी.ई.एम.) का विकास किया गया है ताकि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, कुशलता और गति को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) **उमंग** - नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाईल ऐप एक समान, एकीकृत प्लेटफार्म और मोबाईल ऐप का निर्माण एक पहल है ताकि, मोबाईल के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच का एकल बिंदु सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके।

(घ) **डिजीटल लॉकर** - यह संग्रह केंद्रों के संग्रहण का एक परितंत्र और डिजीटल संग्रह केंद्रों में दस्तावेजों

को अपलोड करने के लिए जारीकर्ता को प्रवेश-द्वार उपलब्ध कराता है। इससे वास्तविक दस्तावेजों का उपयोग समाप्त होगा और एजेंसियों के मध्य ई-दस्तावेजों का आदान-प्रदान संभव होगा। यह नागरिकों को अपने दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा सेवा प्रदाताओं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से सीधे ही दस्तावेजों को देख सकते हैं, के साथ आदान-प्रदान के प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।

(ङ) **ई-अस्पताल** - सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑनलाईन पंजीकरण व्यवस्था (ओ.आर.एफ.) ऑनलाइन ओ.पी.डी. परामर्श का समय निश्चित करने की पहल है। इस व्यवस्था में मरीज की देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएं और चिकित्सा संबंधी रिकार्ड का प्रबंधन भी सम्मिलित है।

(च) **राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.सी.ओ.जी.)** - इस परियोजना के अंतर्गत भैगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) निर्मित की गई है जो विभागों के लिए साझेदारी, सहयोग, अवस्थिति आधारित विश्लेषण करने और निर्णय लेने की सहायक प्रणाली है।

(ix) ग्राहकों की संतुष्टि के साथ-साथ किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं :

(क) **एम-किसान पोर्टल** - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी संगठन एस.एम.एस. द्वारा किसानों को उनकी भाषा में कृषि पद्धतियों और स्थान की प्राथमिकता के अनुसार सूचना/सेवाएं/परामर्श देते हैं।

(ख) **किसान कॉल सेंटर** - सरकार ने किसानों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए हैं।

(ग) **किसान सुविधा मोबाईल ऐप** - महत्वपूर्ण मानदंडों पर - मौसम, इनपुट डीलर, बाजार-मूल्य, पौध-संरक्षण और विशेषज्ञ सलाह।

(घ) **राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार (ई-एन.ए.एम.)** - राष्ट्रीय कृषि बाजार (एन.ए.एम.) अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि जिंसों का एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी. मंडियों का नेटवर्क बनाता है।

(ख) और (ग) सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक सुधार और लोक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों का यथासंभव पालन किया जाए ताकि, समाज के सभी वर्गों को स्कीमों का लाभ मिल सके। समीक्षा/निगरानी लोक नीति के कार्यान्वयन का अंग है।

अन्य देशों को वित्तीय सहायता

2449. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों को दी गई वित्तीय सहायता का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्य देशों में विकास प्रयोजनार्थ हेतु दी गई सहायता और अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विकास हेतु दी गई सहायता को उस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में देख रही है और भविष्य में साथी देशों विशेषकर पड़ोसी देशों को विकास हेतु सहायता बढ़ाने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत दो वर्षो के दौरान राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 में अन्य देशों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न विवरण में संलग्न है।

(ग) और (घ) विकासात्मक सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के अनुरूप है। विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं, साझेदार देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, साझा समृद्धि और लोगों के आपसी संपर्क आदि जैसे पारस्परिक लाभ और साझे उद्देश्य से शुरू किए जाते हैं।

सरकार की 'पड़ोसी पहले' नीति को देखते हुए व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, क्षमता निर्माण, संस्कृति, आपदा राहत और पुनर्वास तथा क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे विस्तृत क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के साथ विकास सहयोग को सुदृढ़ किया गया है।

(ङ) हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता के अनुरूप पिछले दो वर्षों के

दौरान शुरू की गई पहलों में उच्चस्तरीय राजनैतिक संपर्क जारी रखना, कनेक्टिविटी और लोगों के आपसी संपर्कों में सुधार, विकासात्मक चुनौतियों का समाधान, साझा समृद्धि और सुरक्षा विकसित करना और बेहतर भरोसा और आत्मविश्वास निर्मित करना शामिल हैं।

विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से क्षेत्र में मूलभूत विकास, स्थायित्व और सुरक्षा बढ़ी हैं।

विवरण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 में अन्य देशों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	देश	2015-16 वास्तविक राशि (रुपये)	2016-17 वास्तविक राशि (रुपये)
1.	बांग्लादेश	155,67,75,000	82,58,92,000
2.	म्यांमार	117,06,64,000	123,62,32,000
3.	नेपाल	309,94,21,000	332,71,61,000
4.	श्रीलंका	403,80,23,000	99,15,66,000
5.	मालदीव	55,03,60,000	80,00,37,000
6.	अफगानिस्तान	880,44,49,000	263,02,48,000
7.	भूटान	2127,65,98,000	961,15,64,000
8.	मंगोलिया	7,48,89,000	1,94,49,000
9.	मॉरीशस	68,00,000	409,97,28,000
10.	सेशेल्स	47,99,00,000	49,98,06,000
11.	मध्य एशिया को सहायता	204,16,258	486,33,314
12.	अफ्रीकी देशों को सहायता	108,57,98,604	39,80,24,663
13.	लातिन अमेरिकी देशों को सहायता	15,02,94,000	8,76,72,000
14.	अन्य विकासशील देशों को सहायता	103,49,58,000	113,77,18,000
15.	आपदा राहत के लिए सहायता	117,21,66,000	23,29,74,000
16.	कोलंबो योजना के तहत तकनीकी सहायता	7,89,96,000	9,58,41,000
17.	आई.टी.सी + एस.सी.सी.ए.पी. कार्यक्रम	230,95,91,000	240,79,83,000

नि:शुल्क सामान की सीमा

2450. प्रो. रिचर्ड हे : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा नि:शुल्क ले जाए जा सकने वाले सामान को केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार रेलगाड़ियों में नि:शुल्क सामान के संबंध में प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में यात्रा की श्रेणी के अनुसार रेलगाड़ियों में सीमा से अधिक सामान पर अर्थदण्ड लगाने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों को सवारी डिब्बे में अपने साथ निःशुल्क प्रभार सहित प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में 70 कि.ग्रा तक, प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित - 2 टियर में 50 कि.ग्रा. तक, वातानुकूलित 3 टियर/वातानुकूलित कुर्सीयान/ स्लीपर श्रेणी में 40 कि.ग्रा. तक और द्वितीय श्रेणी में 35 कि.ग्रा. तक ले जाने की अनुमति है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यात्रियों को अनुमेय निःशुल्क सामान से अधिक को बुक करने और सामान के किराया दर का प्रभार के रूप में 1.5 गुणा भुगतान करने पर अधिकतम निर्धारित श्रेणीवार सीमा तक अपने साथ ले जाने की अनुमति है। श्रेणीवार अधिकतम सीम निम्नानुसार है :

श्रेणी	अधिकतम सीमा
प्रथम श्रेणी वातानुकूलित	150 कि.ग्रा.
प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित-2 टियर	100 कि.ग्रा.
वातानुकूलित 3टियर/वातानुकूलित कुर्सीयान	40 कि.ग्रा.
स्लीपर श्रेणी	80 कि.ग्रा.
द्वितीय श्रेणी	70 कि.ग्रा.

यदि कोई यात्री, मार्ग में अथवा अपने गंतव्य स्टेशन पर बिना बुक किए गए अथवा आंशिक रूप से बुक किए गए सामान जो बिना शुल्क/अधिकतम निर्धारित श्रेणी-वार सीमा से अधिक सामान के साथ पाया जाता है तो नियमानुसार जुर्माना वसूला जाता है।

प्रचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्र

2451. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने परमाणु विद्युत संयंत्र विद्यमान/प्रचालन में हैं, और;

(ख) सरकार को राज्य सरकारों से परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) देश में विद्यमान नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

स्थान तथा राज्य/ संघराज्य-क्षेत्र	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
तारापुर, महाराष्ट्र	टी.ए.पी.एस.-1	160
	टी.ए.पी.एस.-2	160
	टी.ए.पी.एस.-3	540
	टी.ए.पी.एस.-4	540
रावतभाटा, राजस्थान	आर.ए.पी.एस.-1@	100
	आर.ए.पी.एस.-2	200
	आर.ए.पी.एस.-3	220
	आर.ए.पी.एस.-4	220
	आर.ए.पी.एस.-5	220
	आर.ए.पी.एस.-6	220
कल्पाक्कम, तमिलनाडु	एम.ए.पी.एस.-1	220
	एम.ए.पी.एस.-2	220
कुडनकुलम, तमिलनाडु	के.के.एन.पी.पी.-1	1000
	के.के.एन.पी.पी.-2	1000
नरौरा, उत्तर प्रदेश	एन.ए.पी.एस-1	220
	एन.ए.पी.एस-2	220
काकरापार, गुजरात	के.ए.पी.एस.-1$	220
	के.ए.पी.एस-2$	220
कैगा, कर्नाटक	के.जी.एस.-1	220
	के.जी.एस.-2	220
	के.जी.एस.-3	220
	के.जी.एस.-4	220

@आर.ए.पी.एस.-1 तकनीकी-वाणिज्यिक आंकलन के तहत विस्तारित शाटडाउन में है।

$के.ए.पी.एस 1 तथा 2 नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण गतिविधियों के लिए शटडाउन के तहत हैं।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों से अभी हाल में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

शिक्षा के लिए नई सुविधाएं

2452. **श्री विनोद लखमाशी चावड़ा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा कर्मचारियों के बच्चो की शिक्षा के लिए नई सुविधाएं शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

2453. **श्री मल्लिकार्जुन खड़गे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में विभिन्न यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानक तय किए गए हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए विद्यमान प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे को रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में कोई शिकायत/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा उन पर क्या निर्णय लिए गए/कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) सुस्पष्ट तरीके से यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भारतीय रेल पर स्टेशनों को तीन समूहों यथा, गैर उपनगरीय (एन.एस.जी.), उप-नगरीय (एस.जी.) और हॉल्ट (एच.जी.) के रूप में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, इन समूहों को क्रमश: एन.एस.जी.(1-6), एस.जी.(1-2), और एच.जी.(1-3) ग्रेडों में रखा गया है। प्रत्येक स्टेशन की कोटि के अनुसार स्टेशनों पर यात्री सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक कोटि के स्टेशनों पर मुहैया कराई गई सुख-सुविधाओं का पैमाना अधिसूचित किया गया है और इसे भारतीय रेल की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

स्टेशनों और गाड़ियों में सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण की निगरानी का पर्यवेक्षण मंडल स्तर और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो इन सुख-सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं और यात्री सुख-सुविधाओं में कमियों/खामियों का निवारण करने के लिए उपचारात्मक उपाय करते हैं।

यात्री सुख-सुविधाओं सहित सवारी डिब्बों के स्तर में सुधार को भारतीय रेल द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ओपन लाइन में निर्धारित अनुरक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ रेल कारखानों में आवधिक ओवरहॉल के दौरान सवारी डिब्बे की श्रेणी के अनुसार सभी यात्री सुख-सुविधा मदों का नियमित रख-रखाव किया जाता है। इसके अलावा, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुख-सुविधाओं संबंधी फिटिंग्स को बनाए रखने के लिए चिह्नित सवारी डिब्बों का "मध्यावधि" पुन:स्थापन भी अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, पूछताछ काउंटर खोलने, प्रतीक्षा कक्ष, प्लेटफॉर्म शेल्टर, ऊपरी पैदल पुल आदि की व्यवस्था करने जैसी विभिन्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में गत तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जहां कहीं व्यावहारिक पाया गया, इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, सुख-सुविधाओं/सुविधाओं का अपग्रेडेशन/अभिवृद्धि एक सतत प्रक्रिया है।

मेक इन इंडिया

2454. **श्री मोहम्मद सलीम** :
श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रक्षा क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें 'मेक इन इंडिया' की नई शुरूआत की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद (डी.आर.डी.ओ.) और अन्य संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए उत्पादों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान उन उत्पादों में से जिन उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है या किए जाने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रक्षा उपकरण और मशीनरी के आयात के लिए वर्तमान में हस्ताक्षरित संविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यमान रक्षा उत्पादन कारखाने बंद कर दिए गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' प्राथमिक रूप से रक्षा

उपस्कर के पूंजीगत अधिग्रहण और अन्य नीतिगत उपायों द्वारा संचालित है, जिसकी युद्धक वाहनों, युद्धक विमानों, युद्धपोतों, हथियारों, गोलाबारूद, मिसाइलों, रडारों, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम आदि जैसे सभी प्रमुख रक्षा क्षेत्रों में शुरूआत की गई है।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान शाखा को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए उनकी विशिष्ट गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करने के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित उत्पादों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2015-16 से 2017-18) में रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए विदेशी विक्रेताओं के साथ 1,17,656 करोड़ रुपए मूल्य की 58 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत आयुध निर्माणियों अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उत्पाद :

1. हल्का युद्धक विमान (एल.सी.ए.) तेजस
2. वायुवीय पूर्व चेतावनी और नियंत्रण (ए.ई.डब्ल्यू. एण्ड सी.) प्रणाली
3. 155 एम.एम./52 केलिबर उन्नत सचल तोपखाना गन प्रणाली (ए.टी.ए.जी.एस.)
4. हथियार खोजी रडार (डब्ल्यू.एल.आर.) स्वाति
5. तीव्र गति हेवी भार पोत लांचड़ टॉरपिड़ो (वरूणास्त्र)
6. टारपीडो रोधी डकॉय प्रणाली (मारीच)
7. आरूधरा-मध्यम शक्ति रडार
8. आकाश हथियार प्रणाली
9. अभय सोनार
10. हल-माऊंटिड सोनार (एच.यू.एम.एस.ए.)
11. एच.यू.एम.एस.ए. यू.जी.
12. उन्नत स्वदेशी डिसट्रेस सोनार प्रणाली (ए.आई.डी.एस.एस.)
13. नियर फिल्ड अकॉस्टि करेक्टरराइजेशन प्रणाली (एन.ए.सी.एस.)
14. एन.बी.सी. प्रौद्योगिकियां
15. एन.बी.सी. रेकी वाहन एम.के.-I
16. एम.बी.टी. अर्जुन के लिए 120 एम.एम. एफ.एस.ए.पी.डी.एस. (फिन स्टेबलाईज्ड आर्मर पिर्यसिंग डिस्कार्डिंग सबोट) एम.के.-II
17. एम.बी.टी. अर्जुन हेतु 120 एम.एम. एफ.एस.ए.पी.डी.एस. अभ्यास गोला बारूद
18. 250 कि.ग्रा. पी. फ्रेगमेंटेड बम
19. 46एम इनफ्लेटेबल राडोम
20. व्यक्तिगत हथियारों के लिए वायु विस्फोट ग्रेनेड
21. टोरपीडो रोधी डिकोयज
22. बार माइन लेयर
23. सी.बी.आर.एन.ई. रिमोटली आपरेटेड प्लेटफार्म
24. कवचित लड़ाकू वाहनों (टी-90, टी-72 एंड बी.एम.पी.-II) के लिए कमांडर्स नान-पेनोरेमिक टी.आई. (थर्मल इमेजिंग) साइट फोर
25. कंप्युटरीकृत पायलट चयन प्रणाली
26. लड़ाकू विमान के लिए द्विरंगीय मिसाइल पहुंच चेतावनी प्रणाली
27. नौसैनिक पोत के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली
28. वायुवाहित प्लेटफार्मों के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर
29. वर्धित दूरी राकेट (पिनाका एम.के.-II)
30. लड़ाकू विमान के लिए ई.डब्ल्यु. सूट
31. संरक्षित पर्यावरण में सब्जियों की विदेशी (एक्सोटिक) एवं स्वदेशी किस्में
32. हथियार लोकेटिंग रडार के लिए जी-बैंड सी.सी.-टी.डब्ल्यू.टी.
33. हैवी ड्रौप सिस्टम 16-टी
34. ए.एफ.वी. के लिए एकीकृत स्वचालित वेट्रोनिक्स प्रणाली
35. वायुवाहित रडार के लिए के.यू.-बैंड एम.पी.एम. आधारित ट्रांसमीटर

36. वायुसेना के लिए थर्मल इमेजर सहित लेजर टारगेट डेजिग्नेटर
37. मध्यम आकार एकीकृत एरोस्टेट निगरानी प्रणाली
38. माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट एम.के.-II
39. माउंटेन फुट ब्रिज
40. बहु-शक्ति व्यक्तिगत हथियार प्रणाली
41. मल्टी-इंफ्लुएंस ग्राउंड माइन
42. पेनेट्रेशन-कम-ब्लॉस्ट (पी.सी.बी.)
43. पिनाका के लिए सब-म्यूनिशन वारहैड
44. यू.ए.वी. हेतु सिंथेटिक द्वारक रडार
45. पश्चिमी क्षेत्र में सीमा पार रेगिस्तानों के लिए भू-भाग आकलन प्रणाली
46. 120 एम.एम. अर्जुन टैंक के लिए थर्मो-बेरिक गोलाबारूद
47. भारतीय वायु सेना के लिए उन्नत ट्रोपोस्केटर संचार प्रणाली
48. आर.पी.वी./यू.ए.वी./ड्रोन के स्थान पर व्हिकल माउन्टेड हाई पावर लेजर डारेक्टेड एनर्जी सिस्टम
49. नौसैनिक पोतों में अग्नि सुरक्षा के लिए वाटर मिस्ट सिस्टम वेलिडेशन

[हिन्दी]

रेलों में इन्टरनेट सुविधा

2455. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलती रेलगाड़ियों में इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित किया गया है और राजस्थान को जाने वाली रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है; और

(घ) सवाई माधोपुर से जाने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा चलती गाड़ियों में इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यत्रियों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए रेलपथ के साथ-साथ उच्च गति मोबाइल ब्रॉडबैंड कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) राजस्थान जाने वाली तथा सवाई माधोपुर से रवाना होने वाली गाड़ियों सहित सभी यात्री गाड़ियों में इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

डिजि गांव परियोजना

2456. श्री निशिकान्त दुबे :
डॉ. प्रभास कुमार सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में डिजिटल विलेज (डिजि गांव) प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 2018-19 में डिजिटल विलेज परियोजना में शामिल किए जाने हेतु लक्षित गांवों की ओडिशा सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2018-19 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित योजनाओं में डिजिटल विलेज के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ङ) ऐसे डिजिटल गांव में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) जी हां। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने ओडिशा सहित सभी राज्यों में रह रहे नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को विभिन्न सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए डिजिटल ग्राम प्रायोगिक परियोजना की परिकल्पना की है।

(घ) चूंकि राज्य सरकारों के सहयोग से एक सेवा-आधारित मॉडल के तौर पर इस प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है अत: अब तक सरकार द्वारा कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी विभिन्न सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं और कौशल विकास, दूर शिक्षा, दूर-चिकित्सा जैसी संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान की जानी हैं।

हथियारों/सैन्य उपकरणों के आयात

2457. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान :
श्री मोहम्मद सलीम :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हथियारों और सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित हथियारों और सैन्य उपकरणों के मूल्य/लागत सहित देश-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक जरूरतों, भारत और विदेश में उपस्करों के उत्पादन की क्षमता अथवा उपलब्धता के आधार पर और सुरक्षा चुनौतियों के सम्पूर्ण परिदृश्य का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तैयारी की स्थिति में बनाए रखने के लिए विभिन्न घरेलू और विदेशी विक्रेताओं से रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2018 तक) के दौरान सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु रूस. इजराइल, यू.एस.ए., फ्रांस, यू.के. और जर्मनी सहित विदेशी विक्रेताओं के साथ 62 संविदाएं और भारतीय विक्रेताओं के साथ 106 संविदाएं हस्ताक्षरित हुई हैं। आयात किए गए महत्वपूर्ण रक्षा उपस्करों में रडार, राकेट, आर्टिलरी गन्स, राइफल्स, विमान, हैलीकाप्टर्स, लेजर डेजीगनेशन पाड्स, विमान हेतु पाड्स, मिसाइल्स, हथियार, सिम्यूलेटर और गोलाबारूद शामिल हैं।

[हिन्दी]

यात्री बीमा

2458. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्री अरविंद सावंत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल यात्रियों हेतु कोई बीमा योजना प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने इस हेतु बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी दुर्घटना अथवा कोई अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में ऐसे यात्रियों को उपलब्ध करायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या है; और

(घ) क्या उक्त बीमा के अंतर्गत सभी रेलगाड़ियों और रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों को शामिल किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) 01.09.2016 से 0.92 रु. प्रति यात्री प्रीमियम पर उन कंफर्म्ड/आर.ए.सी. रेल यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शुरूआत की गई है, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ई-टिकट बुक करवाते हैं। इस योजना के तहत, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124ए के साथ पठित धारा 123 के अंतर्गत यथा परिभाषित गाड़ी दुर्घटना/अप्रिय घटनाओं के कारण हुई आरक्षित यात्रियों की मृत्यु/चोट के मामले में पीडित परिवार या पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, निर्धारित राशि का, भुगतान किया जाता है, जिसके लिए शर्त यह होगी कि 'गाड़ी में चढ़ने की प्रक्रिया' और 'गाड़ी से उतरने की प्रक्रिया' सहित गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी- के वास्तविक प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के वास्तविक रूप से पहुंचने तक यह बीमा मान्य होगा।

तदनंतर में, डिजिटल/कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, 10.12.2016 से, सभी कन्फर्म्ड/आर.ए.सी. रेल यात्रियों, जो आई.आर.सी.टी.सी. से ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं, को मुफ्त बीमा प्रदान किया जा रहा है और यात्रियों से कोई प्रीमियम नहीं वसूला जा रहा है।

पीड़ित/परिवार या पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाने वाली बीमा की राशि निम्नानुसार है:

(i)	मृत्यु के मामले में	-	10 लाख रुपये,
(ii)	स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता	-	10 लाख रुपये,
(iii)	स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता	-	7.5 लाख रुपये तक,
(iv)	चोट के लिए अस्पताल का खर्च	-	2 लाख रुपये,
(v)	पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए	-	10 हजार रुपये,

(ख) जी हां। आई.आर.सी.टी.सी., जो रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम है, ने सीमित निविदा के माध्यम से तीन बीमा कंपनियों (i) श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (ii) आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और (iii) रॉयल सुंदरम जनरल इंशयोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।

(ग) रेलगाड़ी दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु अथवा चोट लगने के मामले में रेलवे की क्षतिपूर्ति देयता, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 के साथ पठित धारा 124 और 124ए में निर्धारित की गई है। क्षतिपूर्ति की राशि मृत्यु के मामले में 08 लाख रु. तथा चोट लगने के मामले में चोट की गंभीरता के अनुसार, 64,000/- रु. से 08 लाख रु. तक है।

(घ) यह बीमा योजना केवल आई.आर.सी.टी.सी. वेबसाइटों पर ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों के लिए सभी गाड़ियों (यात्री गाड़ियों और उप-नगरीय गाड़ियों को छोड़कर) की सभी आरक्षित श्रेणियों (शयनयान, 1 एसी. 2 एसी, 3 एसी) के यात्रियों के लिए उपलब्ध है। कर्मचारियों द्वारा संचालित रेलवे आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट बुकिंग करने वाले और अनारक्षित टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्री इस बीमा योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं।

[अनुवाद]

विकास संकेतक पर राज्यों की रैंकिंग

2459. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग ने विकास संकेतक के आधार पर राज्यों की डेल्टा रैंकिंग की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) जी, हां। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और जल क्षेत्रकों में उनकी उपलब्धियों के संबंध में राज्यों की रैंकिंग जारी की है।

(ख) नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फरवरी, 2018 में "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत - राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों की रैंक संबंधी रिपोर्ट" नामक रिपोर्ट में मुख्य स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। यह रिपोर्ट समग्र रैंकिंग के साथ वृद्धिशील रैंकिंग मुहैया कराती है जो राज्य द्वारा की गई प्रगति को दर्शाती है। विस्तृत रिपोर्ट *http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Healthy-States-progressive-India-Report_0.pdf.* में उपलब्ध है। जल क्षेत्रक में, नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक तैयार किया है जिसका लक्ष्य राज्यों को जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में रैंकिंग प्रदान करना है। यह डेल्टा अर्थात् वर्ष 2016-17 के दौरान परिवर्तन में भी रैंकिंग प्रदान करता है। राज्य-वार रैंकिंग ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है जो पब्लिक डोमेन में है। पोर्टल का यू.आर.एल. है:- *http://social.niti.gov.in/wtr-ranking.*

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आई.सी.टी. सेवाएं

2460. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राई ने सिफारिश की है कि सभी ऐसे मोबाइल विनिर्माताओं के लिए जो पांच या इससे अधिक मोबाइल हेंडसेट मॉडल का निर्माण कर रहे हैं, कम से कम एक हेंडसेट ऐसा बनाने के लिए अधिदेशित किया है जो वर्ष 2020 तक भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के पहुंच मापदण्डों को पूरा करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ट्राई ने इस पर भी विचार किया है कि टीवी सेट टॉप बॉक्स निर्माता या आयातक वर्ष 2020 तक कम से कम एक मॉडल पहुंच फॉर्मेट वाला रखें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई ने सुझाव दिया है कि दूरसंचार और प्रसारण संचालक भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए जो सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए कॉल करते हैं की कॉल की सम्हलाई के लिए अपने कॉलसेन्टर में विशेष डेस्क रखे और ऐसे मामलें या सवालों की सम्हलाई के लिए अपने कर्मचारियों को संवदेनशील बनाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्राई ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सरकारी वेबसाइटों को "पहुंच अनुपालना युक्त" बनाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ट्राई ने यह भी सुझाव दिया है कि भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आई.सी.टी. पहुंच में सुधार के लिए दिशानिर्देश और कार्यान्वयन व निगरानी तंत्र सृजित करने के लिए संचालन समिति बनाई जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (ङ) ट्राई ने हाल ही में सरकार को **"दिव्यांगजनों के लिए आईसी.टी. सेवाओं को सुगमय बनाने"** के संबध में दिनांक 09.07.2018 को अपनी सिफारिशें

प्रस्तुत की थीं और इन सिफारिशो के साथ-साथ प्रश्न के भाग (क) से ङ) में उल्लिखित उपायों सहित अनेक उपायों की भी संस्तुति की थी। इन सिफारिशों की प्रमुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

प्रेस को जानकारी देने के लिए टिप्पणी
[प्रेस विज्ञप्ति संख्या 76/2018]

तत्काल जारी किए जाने हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई द्वारा 'दिव्यांगजनों के लिए आई.सी.टी. सेवाओं को सुगम्य बनाने' के संबंध में सिफारिशों को जारी करना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2018 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज 'दिव्यांगजनों के लिए आई.सी.टी. सेवाओं को सुगम्य बनाने' के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की हैं। ये सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट *www.trai.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

2. दूरसंचार आज ऐसा बुनियादी ढांचा प्रदान करता है जिसके जरिए बैंकिंग, शिक्षा स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं की प्रदायगी की जाती है। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति आई.सी.टी. सेवाओं में मुख्य रूप से जरूरी अभिगम्यता विशेषतओं का अभाव होने या उपकरणों की कीमत वहन किए जाने योग्न न होने या अपेक्षित सेवाओं के उपलब्ध न होने के कारण इन आई.सी.टी. सेवाओं तक पूर्ण रूप से पहुंच बनाने में समर्थ नहीं है। समावेशी समाज का लक्ष्य प्राप्त करने और डिजिटाईजेशन के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आई.सी.टी. प्रौद्योगिकी के लाभ दिव्यांग व्यक्तियों सहित समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।

3. उपर्युक्त के आलोक में ट्राई ने दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं का लाभ उठाने में दिव्यांगजनों को पेश आ रही बाधाओं की पहचान करने और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने हेतु इस क्षेत्र के स्टेकधारकों को रचनात्मक चर्चा में शामिल करने के लिए स्व-प्रेरणा से **दिव्यांगजनों के लिए आई.सी.टी. सेवाओं को सुगम्य बनाने** के संबंध में दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र पर स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया था। दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को स्टेकधारकों के साथ एक खुली चर्चा (ओ.एच.डी.) का आयोजन किया गया था।

4. स्टेकधारकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों, ओ.एच.डी. के दौरान की गई चर्चाओं का विश्लेषण और मौजूदा विधिक संरचना पर विचार करने के उपरांत तथा दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आई.सी.टी. सेवाओं का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई बिंदुओं का निर्धारण करने के उपरांत प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

5. इन सिफारिशो की प्रमुख विशेषाएं निम्नानुसार हैं:

i. दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 में दिव्यांगताओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और दिव्यांगजनों को आई.सी.टी. सेवाओं का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए नीतियां बनाने हेतु किसी आशोधन की आवश्यकता नहीं है।

ii. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में दूरसंचार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सदस्यों को शामिल करके एक संचालन समिति का गठन किया जाए जिसे (i) दिव्यांगजनों की आई.सी.टी. तक पहुंच की समय-समय पर समीक्षा करने (ii) दिव्यांगजनों के आई.सी.टी. तक पहुंच में सुधार करने के लिए दिशानिर्देश, कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्था तैयार करने (iii) वित्तपोषण आवश्यकताओं सहित सरकार से अपेक्षित अतिरिक्त उपायों का सुझाव देने; और (iv) किए जाने वाले कार्यकलापों का समुचित समन्वय करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का अधिदेश प्राप्त हो।

iii. अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) द्वारा सुझाए गए उपायो नामत: (i) अभिगम्य उपकरणों और सहायक यंत्रों की उपलब्धता और वहनीयता (ii) दिव्यांगजनों के लिए विशेषरूप से तैयार उत्पाद, टैरिफ प्लान और अभिगम्य उपभोक्ता सेवाएं (iii) क्लोज्ड कैप्शनिंग और आडियो विवरण आदि के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए अभिगम्य टेलीविजन और इंटरनेट जैसी सेवाएं और इंटरफेस बनाना (iv) अभिगम्य विषय वस्तु की उपलब्धता के संबंध में जागरुकता अभियान आयोजित करना आदि को भारत में अपनाया जाना चाहिए।

iv. सरकार को उपकरण विनिर्माताओं/आयातकों (भारत में विनिर्माता/आयातक) के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने उपकरणों में लोकप्रिय आपरेटिंग–सिस्टमों में उपलब्ध अभिगम्यता विशेषताओं को कम न कर सके। इस प्रयोजनार्थ प्रयोगशाला प्रमाणीकरण के समय विनिर्माताओं/आयातकों से एक हलफनामा लिया जा सकता है।

v. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिव्यांगजनों को विशेष श्रेणी के अतर्गत पहचान और पंजीकृत करना चाहिए और

इस प्रयोजनार्थ उपभोक्ता अभिग्रहण फार्म में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।

vi. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, एम.एस.ओ. और डी.टी.एच प्रचालकों को दिव्यांगजनों द्वारा .सहायक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से की गई कॉलों को नियंत्रित करने के लिए अपने सेलों में विशेष डेस्क स्थापित करने चाहिए।

vii. दिव्यांगजनों की आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक सुरक्षा प्रत्युत्तर केंद्रों ['एकीकृत आपातिक संचार और प्रत्युत्तर प्रणाली (आई.ई.सी.आर.एस.)' के संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.04.2015 को की गई पहले की सिफारिश का अनुपालन करते हुए स्थापित किया जाना है] की स्थापना की जाए जहां तैनात कार्यकारी सहायक को दिव्यांगजनों से प्राप्त कॉलों/एस.एम.एस./सोशल मीडिया कॉलों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस सहायता डेस्क पर बधिर और मूक दिव्यांगजनों से प्राप्त अनुरोधों को पूरा करने के लिए रिले सेंटर होगा।

viii. दिव्यांगजनों से संबधित मुद्दों का समाधान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता, एम.एस.ओ./डी.टी.एच और पी.एस.ए.पी. प्रचालकों को अपने कर्मचारियों को संवेदी प्रशिक्षण देना चाहिए।

ix. मोबाइल फोनों, लैंडलाइन फोनों और सेट टाप बाक्सों के लिए विशिष्ट अनिवार्य अभिगम्यता विशेषताओं की पहचान कर ली गई है और इनका निर्धारण कर दिया गाय है।

x. श्रव्य और दृश्य बाधित दिव्यांगजनों के लिए अभिगम्य प्रारूप में तैयार किए जाने के लिए चैनल विषय-वस्तु का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है और अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत चैनलों को अभिगम्य प्रारूप में विकसित किया जाना है।

xi. वर्ष 2020 की समाप्ति तक 5 या इससे अधिक मॉडलों का विनिर्माण करने वाले मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं को कम से कम एक मोबाइल हैंडसेट दिव्यांगजन के लिए अभिगम्यता मानकों को पूरा करने वाले होना चाहिए।

xii. सेट टाप बाक्स (एस.टी.बी.) विनिर्माताओं/आयातकों को वर्ष 2020 तक एस.टी.बी. की विभिन्न श्रेणियों में कम से कम एक मॉडल दिव्यांगजनों की पहुंच वाले प्रारूप में बनाया/आयात करना चाहिए।

xiii. सरकार को निर्धारित अभिगम्यता मानकों को पूरा करने वाले उपकरणों और सहायक उपस्करों का एक डाटाबेस बनाना चाहिए और इसका रख-रखाव करना चाहिए।

xiv. सरकार को यह अधिदेश देना चाहिए कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रापण किए जाने वाले आई.सी.टी. उत्पाद (कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल फोन, एस.टी.बी.) दिव्यांगजनों की पहुंच योग्य होन चाहिए और इनके साथ पहुंच योग्य प्रारूप .में संबद्ध सपोर्ट प्रलेखीकरण और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

xv. सभी सरकारी वेबसाइटें इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि वे दिव्यांगजनों के लिए पहुंच योग्य हों।

xvi. दूरसंचार विभाग और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और डी.टी.एच./एम.एस.ओ. को निर्देश देना चाहिए कि वे पहुंच संबंधी मुद्दों, डिजाईन, वहनीयता, सहायक यंत्रों और उत्पादों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता अभियान संचालित करें तथा अभिगम्य आई.सी.टी. से संबंधित विभिन्न सरकारी नीतियों/स्कीमों के बारे में बताएं जिनका लाभ दिव्यांगजनों द्वारा लिया जा सकता है।

6. इस संबंध में और जानकारी के लिए श्री संजीव बंसल, सलाहकार (सी.ए.एंड.आई.टी.), ट्राई से दूरभाष संख्या: 011-23210990 या ई-मेल आई.डी.: *advisorit@trai.gov.in* के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

हस्ता./-
(यू.के. श्रीवास्तव)
सचिव आई/सी (ट्राई)

दो टाइम ज़ोन

2461. श्री निनोंग इरिंग : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश को दो टाइम ज़ोन में विभाजित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस पहल से उत्तर पूर्व भारत के लोगों के साथ अन्याय होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी संघवाद

2462. **श्रीमती हेमामालिनी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी संघवाद को इसकी शुरूआत से बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति आयोग सतत् रचनात्मक सहयोग और नीति दिशानिर्देश के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में सफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। नीति आयोग को दिए गए अधिदेश के अनुसार, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस अधिदेश के अंतर्गत नीति आयोग ने, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. सहयोगपूर्ण संघवाद के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के बीच ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए मंच के रूप में राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया।

ii. नीति आयोग ने "अवसंरचना (डीउएस-i) परियोजनाओं हेतु राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाओं" की पहल के माध्यम से सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने हेतु राज्यों को संस्थागत सहायता प्रदान करने की एक नीति शुरू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना है जो राज्य/क्षेत्र का समयबद्ध और किफायती तरीके से विकास करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल डीउएस-i की पहलों के तहत कार्यान्वयन के लिए आठ राज्यों से 10 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

iii. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रकों में, नीति आयोग ने "मानव पूंजी रूपांतरण के लिए संधारणीय कार्रवाई (एस.ए.टी.एच.)" के लिए परियोजना - एस.ए.टी.एच. की शुरूआत की है। शिक्षा के क्षेत्रक में यह परियोजना तीन राज्यों नामत: झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है और स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए इसे असम में कार्यान्वित किया जा रहा है।

iv. नीति आयोग ने आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों नामत: स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जल क्षेत्रक में परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क की स्थापना करके सामाजिक संकेतकों के लिए वेब पोर्टल की शुरूआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के माध्यम से उनके कार्य-निष्पादन का पता लगाना और इसके द्वारा सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

v. शरीरिक श्रम पर निर्भर परिवारों के प्रतिशत, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अवसंरचना की दृष्टि से जिलों के कार्य-निष्पादन को शामिल करने वाले संयुक्त सूचकांक के आधार पर कुल 115 आकांक्षी जिलों को चिह्नित किया गया है। इन जिलो के तीव्र सुधार के लिए इन पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

vi. नीति आयोग द्वारा कृषि विकास संबंधी कार्यदल गठित किया गया है जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं: केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य विकसित करना और इनके साथ समन्वय करना, कृषि के पुनरुत्थान के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना, सुधारों, नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए कार्यनीतियां तैयार करना तथा ऐसे सफल प्रयोगों और कार्यक्रमों को चिह्नित करना जिनसे सभी राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सीख ले सकें।

vii. नीति आयोग ने जुलाई 2018 तक शासी परिषद् की चार बैठकें आयोजित की हैं। शासी परिषद् की पहली बैठक 08 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करना था। शासी परिषद् की दूसरी बैठक 15 जुलाई, 2015 को और तीसरी बैठक 23 अप्रैल, 2017 को हुई थी जिनमें कार्यनीति और विज़न संबंधी दस्तावेज़ों के माध्यम से देश के विकास एजेंडा को मूर्त रूप देने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। शासी परिषद् की चौथी बैठक 17 जून, 2018 को आयोजित की गई थी। इसमें राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रकीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार-

विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया। शासी परिषद् की चौथी बैठक में केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा 23 मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के उप-राज्यपाल ने भाग लिया था।

viii. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न अड़चनों को चिह्नित करने और उचित अंतःक्षेपों की सिफारिश करने के अधिदेश के साथ नीति आयोग द्वारा 20 फरवरी, 2018 को पूर्वोत्तर के लिए एन.आई.टी.आई. फोरम गठित किया गया है।

ix. राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया।

नीति आयोग द्वारा की गई पहलों के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं। नीति आयोग, राज्यों के सहयोग और भागदारी के साथ, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने और केन्द्र सरकार के शासन के अधीन राज्य-विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए अपने अधिदेश का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है।

[अनुवाद]

निधि की कमी

2463. श्री थांगसो बाइटे : क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र में संचार नेटवर्क, सड़क और परिवहन के विकास में निधि की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में आरंभ की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों, जिसमें दूरसंचार विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय शामिल है, को उनके स्कीम बजट के 10 प्रतिशत को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिह्नित करना वांछित है। सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए चिह्नित परिव्यय को 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 31738.58 करोड़ रुपये (सं अ) से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 40971.69 करोड रुपये (सं अ) कर दिया है। इसे वर्ष 2018-19 में और अधिक बढ़ाकर 47994.88 करोड़ रुपये (ब अ) कर दिया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ कुछ प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) के लिए 5336.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विस्तृत दूरसंचार विकास योजना (सी.टी.डी.पी.) हेतु अरुणाचल प्रदेश के 4119 कवर न किए गए गांवों और असम के दो जिलों में मोबाइल सुविधा उपलबध कराने के लिए 2817 मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु 2258 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यू.एस.ओ.एफ. ने बी.एस.एन.एल. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं; ब्रॉडगेजिंग और राजधानी संपर्क रेल परियोजनाएं; अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 4754.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संचारण और वितरण तंत्र के मजबूतीकरण के लिए विस्तृत स्कीम (सी.एस.एस.टी. एंड डी.एस.); भारतमाला परियोजना पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एन.ई.आर.एस.डी.एस.) आदि शामिल हैं।

भारतमाला परियोजना के तहत एन.ई.आर. में लगभग 5301 किमी. की सड़कों के सुधार को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 3246 किमी. लंबी सड़क को पूर्वोत्तर में आर्थिक कॉरिडोर के विकास के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। रेलवे नेटवर्क के संवर्धन के लिए पिछले 2 वर्षों में 5 रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है जिनमें 3 नई लाइनों और 2 के दोहरीकरण का कार्य विभिन्न चरणों पर जारी है। सीमापार रेल लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2016 में अगरतला-अखोरा रेल लिंक की आधारशिला रखी गई थी जो त्रिपुरा के विद्यमान अगरतला स्टेशन को बंगलादेश रेल के अखोरा खंड से जोड़ेगा। इस परियोजना के भारतीय भाग की लागत 580 करोड़ रुपये है जो डोनर मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा जबकि बंगलादेश के हिस्से का वित्तपोषण विदेश मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता के रूप में किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर में 19 नए जलमार्गों (असम में 11, मेघालय में 5, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में प्रत्येक में 1) को राष्ट्रीय जलमार्ग (एन.डब्ल्यू.) घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में आई.डब्ल्यू.टी. अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पेकयोंग (गंगटोक) में ए.टी.आर-72 टाइप के विमान के साथ एप्रन के संचालन के लिए उपयुक्त तथा 100 यात्रियों की

क्षमता वाले टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 553 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से एक नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संपर्क स्कीम (आर.सी.एस.-उडान) को सेवित और असेवित हवाई अड्डों से संपर्क उपलब्ध कराने के लिए और व्यवहार्य अंतराल निधीयन (वी.जी.एफ.) के माध्यम से हवाई किराए को कम खर्चीला बनाकर क्षेत्रीय संपर्क का उन्नयन करने के लिए लांच किया गया है।

अवसंरचना मत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपनी अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.-राज्य) स्कीम, पूर्वोत्तर परिषद और पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एन.ई.आर. एस.डी.एस.) के माध्यम से को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना के अंतरालों को पाटने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछले दो वर्षों में एन.एल.सी.पी.आर.-राज्य स्कीम और एन.ई.सी. के तहत चालू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है। एन.ई.आर.एस.डी.एस. के तहत पिछले दो वर्षों में पूर्वोत्तर में 3 अंतर्राज्यीय सड़कों का अपग्रेडेशन/पुनरुद्धार किया गया है। हाल ही में डोनर मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना के विकास के अंतरालों को पाटने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एन.ई.एस.आई.डी.एस.) को कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में एन.एल.सी.पी.आर. के तहत डोनर मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग जिले में नाफरा सर्कल के तहत नाखू से संचिपन तक सड़क का निर्माण क्राडाडी जिले में पारसीपार्लो से पिप्सोरंग मंडल मुख्यालय तक सड़क का निर्माण।
		दिरांग मुख्यालय से दिरांग टाउनशिप को पहुंच मार्ग के साथ जोड़ने के लिए दिरांग नदी पर आर.सी.सी. पुल का निर्माण।
		पश्चिमी सिआंग जिले में तिरिबिन के तहत बी.आर.टी.एफ. सड़क से एसी यासे गांव तक सड़क का निर्माण।
		ऊपरी सिआंग जिले में गेकू से मारियांग तक सड़क का निर्माण।
		ऊपरी सिआंग जिले में प्रशासनिक सी.ओ. मुख्यालय पाल्लिंग को जिला मुख्यालय से संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 6 पुलों को निर्माण
2.	असम	दारांग जिले में क्रॉस ड्रेनेज वर्क के साथ सी.एच. 0.00 किमी. से सी.एच 4.120 किमी. और सी.एच 4.560 किमी. से सी.एच. 10.100 किमी. तक दीघीरेपार बरदोलगुरी बाराचुबा सड़क का निर्माण (लंबाई 9.660 किमी.)।
		बारपेटा जिले में बारपेटा रेलवे स्टेशन और सुरपेटा रेलवे स्टेशन के बीच एल.सी. गेट नं. एस.के.-37 की जगह पर दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण।
		एन.एच.-31 के कहीमपुर सुप्लेकुची से पुरभारती होकर सड़क का निर्माण।
		उदलगुड़ी ग्रामीण सड़क डिवीजन में उदलगुड़ी सपेखेती भटकपारा सड़क का सुधार।
		डिब्रुगढ़ जिले में डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क डिविजन में पी.डब्ल्यू.डी. के तहत मनकोट्टा खामटीघाट सड़क पर पहुंच मार्ग और संरक्षण कार्य के साथ आर.सी.सी. पुल संख्या 9/1 और सी.एच. 8308.00 मीटर से साराइघाट पुल से 3200.00 मीटर के बीच बामुनबारी टिनियाली तक मोरन नाहरकाटिया रोड (एस - 27) खराब हो चुकी सड़क का मजबूतीकरण और निर्माण।
		गुवाहाटी में कामरूप (मेट्रो) जिला (चरण-1 हिल काटने और दीवार को बनाए रखने तक सीमित) कामख्या मंदिर तक वैकल्पिक सड़क का निर्माण।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
		चिरांग जिले के बिजनी में सुभईजार से उत्तरबल्लामगुडी तक कुमारशाली होते हुए सड़क का निर्माण।
3.	मणिपुर	कोयरेन्गी- सेक्माई सड़क के साथ संगकफाम से सलांथोंग तक पहुंच में सुधार।
4.	मेघालय	दरू नदी पर झोलगांव-कटौली पर प्रमुख पुल का निर्माण।
		रोंगजेंग मांगसांग एडोकग्रे सड़क पर 0.00 किलोमीटर से 32.00 किमी. तक लल्डेक नदी पर 44वें किलोमीटर पर 90.00 मीटर पुल सहित रोड एम एंड बी.टी. इंटरमीडिएट लेन का निर्माण।
		रांगसंगा बाग्रे से बांदालकोना को बेटासिंग-मेलिम सड़क से पुल के साथ जोड़ते हुए सड़क का निर्माण।
5.	नागालैंड	अलोंगचेन से मंगकोलेम्बा तक इंपुर मोपंगचुकेट मोंचेन (ओ.डी.आर. से एम.डी.आर.) - 19 किलोमीटर-चरण-2 तक सड़क का उन्नयन।
6.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम में जी.आर.बी.ए. सड़क के साथ 70 मीटर चौड़े रोरूचु स्टील पुल का निर्माण।
		रंगपो खोला में पहले किमी, सी.एच:10 में एक पुल के साथ लातुक थेक से रोल्प 5 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण।
		दक्षिणी सिक्किम में किचीदुमरा, नामची- सिकिप में रंगित नदी पर पुल का निर्माण।
7.	त्रिपुरा	उनाकोटी जिले में पेचरथाल (एन.एच-44) मचमारा से कंचनपुर (लंबाई 18 किमी.) तक कंचनपुर सड़क (लंबाई 26:50) चरण-II का सुधार।
		सिपाहिजाला जिला में मेलागढ़-सोनामुरा रोड (लंबाई: 8.454 किमी.) में सुधार।

पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में चालू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

1.	अरुणाचल प्रदेश	बोर्डुमसा-बोरखेत (सड़क)
		नाचो बी.आर.टी.एफ. से कोबा गांव तक ग्रामीण सड़क
2.	असम	माजुली जिला में माजुलीबोंगगांव (दखिनपत सत्रा) में सड़क
3.	मणिपुर	मणिपुर में मुडरी होते हुए नगारम्फंग और लैमलाईखुनू एन.एच.-150/एन.एच.-202 (नया) चाडोंग (मैपोडाम के नजदीक)
		मुनलुई होते हुए मुआलडाक से कोल्हेन डाइवर्सन सड़क का सुधार
		इम्फाल सिकमाई (रोड) में आई.एस.टी.टी. का निर्माण
		यरीपोक बाजार से चगांगपत (सड़क) का निर्माण
		आचांगबीगेई, कोंथा और अहाल्लुप गांव होते हुए कोरिंगेई से सांगफाम सड़क का सुधार
4.	मेघालय	बैलेंस रोंन्जेंग-मानसंग-एडोक्रेरे (सड़क)
5.	मिजोरम	बैराबी-जमुआंग सड़क पर तलावंग नदी पर पी.एस.सी. पुल तक पहुंच सड़क का निर्माण
7.	सिक्किम	सिक्किम में 26 ग्रामीण पैदल पुलों का 26 निर्माण

जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) प्रणाली

2464. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सबसे बढ़िया कार्यनिष्पादन करने वाले न्यायालयों को प्रदर्शित करने हेतु न्यायालयों में न्याय घडियां (जस्टिस क्लॉक) लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार, ने उच्च न्यायालयों से, मामलों के निपटारे और उनकी लंबित संख्या तथा न्याय सेक्टर में साधारण प्रगति के बारे में लोक जागरुकता के सृजन के लिए न्याय क्लाक नामक इलेक्ट्रॉनिक एल.ई.डी. प्रदर्शन संदेश बोर्ड प्रणाली संस्थापित करने के लिए निवेदन किया है। न्याय विभाग जैसलमेर हाऊस, नई दिल्ली में, चालू परियोजनाओं जैसे ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना और न्याय परियोजना तक पहुंच नागरिक केंद्रीय सेवाओं की मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए एक न्याय क्लाक 2017 में संस्थापित किया गया था। ऐसे शीर्ष जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के बार में जानकारी, जो विभिन्न समय अवधियों जैसे 0-2 वर्ष, 2-5 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक लंबित मामलों की अधिकतम संख्या तथा प्रतिशतता का निपटारा करते हैं, को भी न्याय क्लाक प्रदर्शन पर प्रदर्शित किया जाता हैं।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा संस्थापित मोबाइल टॉवर

2465. श्री हरीशचद्र उर्फ हरीश द्विवेदी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महागनर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा भरत संचार निगम लिमिटेड द्वारा देश में संस्थापित किए गए मोबाइल टॉवरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी.टी.एस.) का राज्य/सर्किल/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा बी.टी.एस. संस्थापना के लिए वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित किए गए बेस टांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.):

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	2015	2016	2017	2018
	बी.एस.एन.एल.				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	3	107	4
2.	आंध्र प्रदेश	2056	1236	193	675
3.	तेलंगाना	0	0	0	462
4.	असम	110	95	679	7
5.	बिहार	377	141	1340	78
6.	छत्तीसगढ़	177	36	0	536
7.	गुजरात	317	65	0	482

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	2015	2016	2017	2018
8.	हिमाचल प्रदेश	192	266	339	0
9.	हरियाणा	515	568	390	170
10.	जम्मू और कश्मीर	59	82	174	130
11.	झारखंड	443	801	353	136
12.	केरल	901	1951	133	725
13.	कर्नाटक	776	1537	39	518
14.	महाराष्ट्र	520	133	6	1899
15.	मध्य प्रदेश	261	462	0	1120
16.	पूर्वोत्तर-I	246	43	507	72
17.	पूर्वोत्तर-II	208	174	221	25
18.	ओडिशा	1041	453	1072	106
19.	पंजाब	557	433	1025	112
20.	राजस्थान	366	1129	463	370
21.	तमिलनाडु	760	1009	329	43
22.	उत्तर प्रदेश-पूर्व	909	822	977	750
23.	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	660	247	558	195
24.	उत्तराखंड	203	94	337	132
25.	पश्चिम बंगाल	359	132	628	84
26.	कोलकाता	125	191	1218	252
27.	चेन्नई	140	352	399	322
	कुल	12303	12455	11487	9405
	एम.टी.एन.एल.				
1.	दिल्ली	0	0	458	196
2.	मुंबई	0	0	0	0
	कुल	0	0	458	196

विवरण-II

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी.टी.एस.) की संस्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य
1	2	3
	बी.एस.एन.एल.	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	122
2.	आंध्र प्रदेश	1206
3.	तेलंगाना	860
4.	असम	459
5.	बिहार	386
6.	छत्तीसगढ़	1949
7.	गुजरात	3533
8.	हिमाचल प्रदेश	491
9.	हरियाणा	1097
10.	जम्मू और कश्मीर	594
11.	झारखंड	401
12.	केरल	1744
13.	कर्नाटक	1524
14.	महाराष्ट्र	5838
15.	मध्य प्रदेश	2719
16.	पूर्वोत्तर-I	446
17.	पूर्वोत्तर-II	176
18.	ओडिशा	715
19.	पंजाब	1820
20.	राजस्थान	2549
21.	तमिलनाडु	2300
22.	उत्तर प्रदेश-पूर्व	2969
23.	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	1144
24.	उत्तराखंड	359
25.	पश्चिम बंगाल	1440
26.	कोलकाता	710
27.	चेन्नई	745
	कुल	38296
	एम.टी.एन.एल.	
1.	दिल्ली	524
2.	मुंबई	0
	कुल	524

[अनुवाद]

बजटीय आबंटन

2466. डॉ. थोकचोम मेन्या : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के बजटीय आबंटन में गत कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धीमे निर्णय लेने और लालफीताशाही के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के पास आबंटित निधि को शीघ्रता से व्यय करने के लिए कोई व्यावहारिक योजना है ताकि रक्षाबलों को उच्च मूल्य पर खरीद आदि, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यय नहीं हो पाने के कारण मुश्किल न आए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक रक्षा बजट (पेंशन एवं विविध बजट सहित) में वृद्धि हो रही है जैसाकि नीचे सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बी.ई (बजट अनुमान)
2015-16	3,10,079.60
2016-17	3,40,921.98
2017-18	3,59,854.12
2018-19	4,04,854.12

(ग) रक्षा के संबंध में गत दो राजकोषीय वर्षों के लिए किए गए आबंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बी.ई (बजट अनुमान)	व्यय
2016-17	3,40,921.98	3,51,660.60
2017-18	3,59,854.12	3,80,131.60

उपर्युक्त सारणी के अनुसार, गत दो वित्तीय वर्षों में कुल व्यय आबंटनों से अधिक रहा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

तथापि; सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए आबंटित बजट संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाता है। आबंटित संसाधनों के आधार पर यह सुनिश्चित किए बगैर तात्कालिक एवं जटिल क्षमताओं का अर्जन किया जा सके।

[हिन्दी]

बुलेट ट्रेन परियोजना

2467. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रही जापानी टीम के सिविल इंजीनियरों ने निर्माण गतिविधियों में समुद्री जल का इस्तेमाल करने से मना करते हुए इसके स्थान पर आर.ओ. द्वारा उपचारित जल को चुना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) पर्यवेक्षण सलाहकारों में शामिल जापानी और भारतीय दोनों इंजीनियरों ने निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप जल के उपयोग की अनुमति दी है। इन विशिष्टियों के मद्देनजर, कंक्रीटिंग में खारे पानी का प्रयोग अनुमेय नहीं है।

स्वदेशी विकल्प

2468. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सशस्त्र बलों हेतु उपलब्ध विदेशी उपकरणों या हथियारों का स्वदेशी विकल्प उपलब्ध कराने का विचार देने हेतु युवाओं को आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन सुझावों के विनिमय और कार्यान्वयन के लिए कोई विशेषज्ञ समिति/गठित तंत्र का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय ने "रक्षा उत्कृष्टता नवाचार" (आईडेक्स) पहल प्रारंभ की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल, 2018 में लांच किया गया था। आईडेक्स का उद्देश्य पारिस्थितिकीय प्रणाली सृजित करना है जो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों, स्टार्टअप्स एवं निजी प्रवर्तकों को भी सम्मिलित करके रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देती है तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करती है। आईडेक्स रक्षा नवाचार संगठन (डी.आई.ओ.) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के के अंतर्गत 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी के रूप में गठित) के तत्वावधान में अपनी कार्यकारी शाखा के साथ कार्य करेगा।

रक्षा नवाचार संगठन (डी.आई.ओ.) के अपने स्कंधों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रतिनिधियों सहित सेना मुख्यालयों, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, नीति आयोग के सदस्यों सहित सलाहकार समिति है। सचिव (रक्षा उत्पादन) सलाहकार समिति के नामोदिष्ट अध्यक्ष हैं। रक्षा नवाचार संगठन (डी.आई.ओ.) के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं:-

- परियोजनाओं के बारे में आईडेक्स. से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करना।
- उच्च स्तरीय नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2016 के अंतर्गत पूंजीगत अधिग्रहरण की उप-श्रेणी "बनाओ-II" के लिए पृथक प्रक्रिया अधिसूचित की गई है जिसमें पात्रता मानदंड में छूट न्यूनतम प्रलेखन, उद्योग/व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी ओर से सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने संबंधी उपबंध जैसे उद्योग अनुकूल कई उपबंधों को सम्मिलित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने भी 'प्रौद्योगिकी विकास निधि (टी.डी.एफ)' स्थापित की है जिसका उद्देश्य रक्षा के विकास को द्वि-प्रयोजनीय प्रौद्योगिकियों जो भारतीय रक्षा उद्योग के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं अथवा अभी तक विकसित नहीं की गई है, उनकों वित्तपोषित करना है। वित्तपोषण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग

विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. जो नवाचार, अनुसंधान एवं विकास करने के लिए शैक्षिक संस्थानों अथवा शोध संस्थानों के सहयोग से कार्य कर सकते हैं, उनके लिए है। टी.डी.एफ. का भी उद्देश्य अनुदानों के प्रावधान के जरिए सार्वजनिक/निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता हेतु पारिस्थितिकीय प्रणाली सृजित की जा सके।

स्टेशनों पर सुरक्षा जांच उपकरणों का अधिष्ठापन

2469. **श्री मानशंकर निनामा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देशभर में श्रेणी-II और श्रेणी-III वर्ग वाले रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच उपकरणों जैसे कि मेटल डिटेक्टर, सी.सी.टी.वी. कैमरे और सामान जांच उपकरण अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपकरणों को कब तक अधिष्ठापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) यात्रियों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए, चिह्नित किए गए रेलवे स्टेशनों पर खतरे की धारणा और भेद्यता के आधार पर, सुरक्षा उपकरण जैसे बैगेज स्कैनर, हैण्ड-हैल्ड मेटल डिटेक्टरों, डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टरों, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा, बम डिटेक्शन उपकरण, श्वान दस्ते, इत्यादि सुरक्षा गैजेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस समय, 436 रेलवे स्टेशनों पर चौबीस घंटे निगरानी के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे मुहैया कराए गए हैं। हॉल्ट स्टेशनों और सामान्य सवारीडिब्बों को छोड़कर, निधियों की उपलब्धता के आधार पर उत्तरोतर रूप से सभी स्टेशनों पर और सवारीडिब्बों में सी.सी.टी.वी. कैमरे संस्थापित किए जाने का विचार हैं।

राज्यों के प्रयासों में सहायता करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में गाड़ियों के मार्गरक्षण, पहुंच नियंत्रण, संरक्षा हैल्पलाइन सं. 182 का परिचालन और उन्नयन, रेलवे अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाना, महिला यात्रियों की सुरक्षा, बच्चों को बचाना, रेलवे की राज्य स्तर सुरक्षा समिति (एस.एल.एस.सी.आर.) का गठन आदि शामिल हैं।

संरक्षा अवसंरचना को सदृढ़ बनाना और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, और अधिक स्टेशनों पर यथासमय बैगेज स्कैनरों, सी.सी.टी.वी. कैमरों, बम डिटेक्शन गैजेटों इत्यादि जैसे संरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।

[अनुवाद]

नागरिकों की निजता की रक्षा

2470. **श्री बी.वी. नाईक** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंटरनेट पर नागरिकों की निजता की रक्षा करती है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आधार और अन्य सरकार समर्थित योजनाओं के अंतर्गत संत्रहीत व्यक्तियों के निज़ी डेटा तक निजी भारतीय और विदेशी कंपनियों को पहुंच बनाने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार लोगों के वृहद डेटा को सरकार के दायरे में संरक्षित/सुरक्षित करने हेतु व्यवस्था करेगी?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43, धारा 43क और धारा 72क में डिजिटल रूप में डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार देश में डाटा सुरक्षा विधान लाने पर भी विचार कर रही है। न्यायाधीश श्री बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण से संबंधित पक्षों पर विचार करने के लिए डेटा संरक्षण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने मसौदा विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2018 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) यू.आई.डी.ए.आई. आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार प्राधिकृत और अनुमोदित निकायों को ई.के.वी.सी. के भाग के रूप में जनसांख्यिकीय सूचना (सीमित/पूर्ण) प्रदान करता है।

(घ) यू.आई.डी.ए.आई. के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि यू.आई.डी.ए.आई. में यथोचित रूप से डिजाइन की गई बहुस्तरीय सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली लागू है तथा डेटा सुरक्षा और सत्यनिष्ठा के उच्चतर स्तर को बनाए रखने के लिए इसका दर्जा निरंतर बढ़ाया जा रहा है। यू.आई.डी.ए.आई. ने यू.आई.डी.ए.आई. में भंडारित डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी, संगठनात्मक और प्रौद्योगिकीय उपाय लागू किए हैं।

अनुरोध करने वाले संगठनों और पारिप्रणाली भागीदारों के लिए भी डेटा संरक्षण के उपाय अनिवार्य किए गए हैं ताकि डाटा की सुरक्षा का सुनिश्चय किया जा सके। सरकार डेटा की उच्च स्तरीय सुरक्षा, गोपनीयता को बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतया सजग है तथा यह आवश्यक प्रौद्योगिकी और अवसंरचना नियोजित कर रही है। आधार की पारिप्रणाली की वास्तुकला इस प्रकार से डिजाइन की गई है ताकि आधार के डेटाबेस में दोहराए न जाने, डेटा की प्रामाणिकता और सुरक्षा और गोपनीयता के प्रबंध से संबंधित अन्य पहलुओं का सुनिश्चय किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नीतियों एवं कार्यविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिनकी आवधिक समीक्षा की जाती है और अद्यतन बनाया जाता है, इस प्रकार डेटा का समुचित नियंत्रण और इसकी सुरक्षा की निगरानी की जाती है।

यू.आई.डी.ए.आई. के डाटा केंद्रों में वास्तविक सुरक्षा बहुस्तरीय है और इसका प्रबंधन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के कार्मिकों द्वारा 24 घंटे किया जाता है। डाटा की सुरक्षा को मजबूत करना एक निरंतर जारी प्रक्रिया है और इस संदर्भ में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") के अध्याय VI (सूचना का संरक्षण) और इसके तहत बनाए गए आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 के मसौदे यू.आई.ई.डी.ए.आई. द्वारा एकत्र किए गए डाटा के विशेष संदर्भ में विभिन्न सुरक्षा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण (एस.टी.क्यू.सी.) निदेशालय, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है द्वारा नियमित आधार पर सुरक्षा जांच (ऑडिट) किए जाते हैं। यू.आई.ई.डी.ए.आई. को सूचना सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात आई.एस.ओ. 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है जिसने सूचना सुरक्षा आश्वासन के दर्जे को और अधिक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 की धारा 70 की उप धारा (1) के अनुक्रम में यू.आई.डी.ए.आई. के डाटा को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एन.सी.आई.आई.पी.सी.) द्वारा सुरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित किया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), जो सरकारी विभागों को आई.टी./ई-शासन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, वह निकनेट पर लागू की गई प्रक्रियाओं, पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों के रूप में एक सतहीय सुरक्षा पहल के जरिए संभावित छेड़-छाड़ से साइबर संसाधनों की रक्षा करता है। एन.आई.सी. ने फायरवॉल, इन्ट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एंटी-वायरस समाधान सहित अत्याधुनिक सुरक्षा समाधान नियोजित किए हैं। इसके अलावा, संसाधनों की आवधिक सुरक्षा लेखा-परीक्षा की जाती है; तत्पश्चात उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाया जाता है। इनके पूरक के तौर पर सुरक्षा घटनाओं की चौबीस घंटे निगरानी की जाती है और समस्याओं के समाधान के लिए पत्पश्चात उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

सरकारी वेबसाइटों पर सूचना सार्वजनिक प्रयास के लिए डाली जाती है और ऐसे पोर्टलों पर कोई संवेदनशील सूचना होस्ट नहीं की जाती है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशील सूचना वाली कम्प्यूटर प्रणालियों पर इंटरनेट से पृथक रखा जाता है। सूचना सामग्री का प्रबंधन संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है और एन.आई.सी. के अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाता है।

इसके अलावा, एन.आई.सी. एम.ई.आई.टी.वाई./अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले परामर्शी निदेशों/अनुदेशों का पालन करता है और साइबर परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने पणधारकों के लाभार्थ नियमित रूप से दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, 'क्या करें' और 'क्या न करें' जारी करता है और इन्हें अपने प्रयोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है।

परमाणु विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता

2471. **श्री चरणजीत सिंह रोड़ी :**
श्री सी. महेंद्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में नई परमाणु विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु विद्युत संयंत्रों के माध्यम से कम विद्युत क्षमता के साथ परमाणु परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लागत से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार परमाणु बिजली संयंत्रों के कार्यान्वयन हेतु लागत आदान को कम करने के लिए बिजली उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का यह विचार है कि बिजली उत्पादन के अन्य स्रोतों की अपेक्षा परमाणु बिजली अधिक पर्यावरण अनुकूल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार परमाणु बिजली संयंत्रों की संस्थापना में किन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) अगले तीन वर्षों में, तीन निर्माणाधीन परियोजनाओं यथा, काकरापार, गुजरात स्थिल काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना (के.ए.पी.पी.) 3 तथा 4 (2 X 200 मेगावाट), रावतभाटा, राजस्थान स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आर.ए.पी.पी.) 7 तथा 8 (2 × 700 मेगावाट) तथा कल्पाक्कम, तमिलनाडु स्थित प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) (500 मेबावाट) के पूरा होने पर 3300 मेगावाट क्षमता जुड़ने का अनुमान है। चूंकि, नाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के साथ न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के भाग के रूप में वार्षिक आधार पर तय किए जाते हैं, अत: इन तीनों यूनिटों सहित, अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादन के लक्ष्य उन वर्षों के समझौता ज्ञापनों में तय किए जाएंगे।

(ख) और (ग) नाभिकीय, विद्युत संयंत्रों की पूंजीगत लागत अन्य बेस लोड विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियों से अधिक है। तथापि, ऊर्जा (ईंधन) लागत काफी कम है। अत: नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का प्रशुल्क कोयला तथा गैस जैसी अन्य पारंपरिक बेस लोड प्रौद्योकियों से तुलनीय है। अत: नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं व्यवहार्य हैं।

नाभिकीय विद्युत एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है, जिसकी उपलब्धता 24x7 रहती है। इसमें बहुत अधिक संभाव्यता है और यह संधारणीय तरीके से देश की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। अत: अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ इसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लागत के इष्टतमीकरण के प्रयासों में डिजाइन का मानकीकरण, निर्माण अवधि को कम करना तथा विदेशी सहयोग से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में इष्टतम लागत तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यापारिक मॉडलों को अपनाना शामिल है।

(घ) नाभिकीय विद्युत पर्यावरण अनुकूल है तथा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित नहीं करती है। नाभिकीय विद्युत का लाइफ सायकल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से तुलनीय है।

(ङ) नए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने में कोई कठिनाई नहीं है। तथापि, परियोजना-पूर्व गतिविधियां जैसे, नए स्थलों पर भूमि-अधिग्रहण, वैधानिक पर्यावरणीय अनुमतियां प्राप्त करने, विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले रिएक्टरों के संबंध में परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लंबी है और इसमें समय लगता है।

(च) परियोजनाओं पर कार्य जल्दी शुरू कर पाने के लिए परियोजना-पूर्व गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है।

सिंधुदुर्ग क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. सेवाएं

2472. **श्री विनायक भाऊराव राऊत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बी.एस.एन.एल. की सेवा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और सिंधुदुर्ग, महराष्ट्र में बी.एस.एन.एल. की खराब सेवा और लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की खराबी/गिरावट से संबंधित कई मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो सिंधुदुर्ग में प्रतिदिन खराब रहने वाले लैंडलाइन कनेक्शनों की औसत संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की खराब सेवा के संबंध में संसद सदस्यों से शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मामले उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है;

(ङ) क्या मुंबई-गोवा राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल नष्ट हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या वर्तमान में 100 किलोमीटर की दूरी तक तैनात गश्ती दल उक्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त केबलों का पता लगाने और मरम्मत करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वार इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मुम्बई-गोवा राजमार्ग सड़क को चौड़ा करने के कार्य

के कारण भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जून के प्रथम सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण दोष-सुधार संबंधी कार्यों को करना भी मुश्किल हो गया है और जिसके कारण प्रतिदिन लगभग 650 लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रभावित हो रहे हैं।

(ग) और (घ) माननीय संसद सदस्य ने बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों से लैंडलाइन/मोबाइल सेवाओं के प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें सूचित किया गया था कि मुम्बई-गोवा राजमार्ग सड़क को चौड़ा करने के कार्य के कारण सेवाएं प्रभावित हुए थी, जिसके कारण भूमिगत कॉपर और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षतिग्रसत हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप दोष संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है। बी.एस.एन.एल. ने इस मामले का समाधान करने के लिए, मुम्बई-गोवा राजमार्ग पर अपनी भूमिगत केबलों को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त कार्य दल को तैनात किया है।

(ङ) कुदाल, कनकावली, मालवान, देवगढ़ और बैभववाड़ी तालुकाओं में ऑप्टिकल फाइबर क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण बी.एस.एन.एल. की दूरसंचार सेवाएं बार-बार बाधित हो रही हैं।

(च) सामान्यतया 150 किलोमीटर की दूरी के लिए एक मार्ग दल अर्थात वन रूट पार्टी तैनात किए जाने की परंपरा है, बी.एस.एन.एल. ने मुम्बई-गोवा राजमार्ग पर सड़क को चौड़ा करने हेतु चल रहे कार्य के कारण प्रति 100 किलोमीटर की दूरी के लिए एक मार्ग दल की तैनाती की है। इसके अलावा, दोषों को शीघ्रता से सुधारने के लिए अन्य क्षेत्र रूट पार्टियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

ब्रिटिश विधि निर्माता का निर्वासन

2473. प्रो. सौगत राय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटिश विधि निर्माता एवं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के वकील लॉर्ड एलेक्स कारलाइल को निर्वासित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत पर इस संबंध में बांग्लादेश से कोई दबाव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ख) ब्रिटिश नागरिक तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्डस के सदस्य लॉर्ड एलेक्जेंडर कारलाइल 11 जुलाई, 2018 को बिना उचित भारतीय वीज़ा प्राप्त किए नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत में उनका इच्छित कार्यकलाप उनके वीज़ा आवेदन में उल्लिखित यात्रा प्रयोजन से बिल्कुल भिन्न था। अतः भारत आगमन पर उन्हें प्रवेश न देने का निर्णय लिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमेरिका संबंध

2474. श्री हरिओम सिंह राठौड़ : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में प्रकाशित न्यूक्लियर पोश्चर रिविव्यू, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी एवं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रकाशनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रकाशनों के भारत-अमेरिका संबंधों एवं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) जी, हां। रक्षा मंत्रालय को संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में प्रकाशित न्यूक्लिर पोश्चर रिव्यू, नेशनल डिफेंस सट्रेटेजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्रकाशनों की जानकारी है। सरकार इस गतिविधि से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत है और इसके संरक्षण के लिए सभी कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

कोयले एवं उर्वरक का परिवहन

2475. श्री हरिशचन्द्र चव्हाण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंतव्य स्टेशनों तक कोयले एवं उर्वरक का समय पर पविहन सुनिश्चित करने के लिए कोयले एवं उर्वरक के परिवहन के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) भारतीय रेल के फ्रेट ऑपरेशंस इनफॉर्मेशन सिस्टम (एफ.ओ.आई.एस.) में कोयले और उर्वरकों को ले जाने वाली गाड़ियों सहित सभी मालगाड़ियों की आवाजाही को लगभग वास्तविक-समय आधार पर कैप्चर किया जाता है और दर्शाया जाता है। यह प्रणाली रेलवे और इसके ग्राहकों दोनों को मालगाड़ी के चालन की वर्तमान स्थिति का पता लागने के साथ-साथ गंतव्य स्टेशन पर मालगाड़ी के आगमन की संभावित तिथि/समय का आकलन करने की सुविधा प्रदान करती है, जो विभिन्न अप्रत्याशित या असामान्य घटनाओं के कारण यात्रा के विभिन्न चरणों में आशोधित हो जाते हैं। गहन निगरानी के माध्यम से पारगमन में देरी को नियंत्रित करने और न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

रेलवे में रोजगार सृजन

2476. श्री धर्मेन्द्र यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियल एस्टेट के वाणिज्यीकरण एवं रेलवे की कुछ वर्तमान निवेश योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन से रेलवे में बड़े स्तर पर रोजगार के सृजन की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एक वर्ष में दस लाख रोजगार अवसरों के सृजन के लिए रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई नौकरियों की जोन-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल पटरियों के रखरखाव एवं सुरक्षा उपायों के लिए दो लाख से अधिक रोजगार प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है; और

(ङ) रेलवे में और अधिक रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में रेल-लाइनों का दोहरीकरण

2477. प्रो. के.वी. थॉमस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं तथा रेल लाइनों का दोहरीकरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) केरल सहित विगत चार वर्षों में शुरू की गई नई लाइन और दोहरीकरण कार्य का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	नई लाइन (किमी.)	दोहरीकरण (किमी.)
आन्ध्र प्रदेश	221	51
बिहार	229	165
छत्तीसगढ़	34	257
गुजरात	33	244
हरियाणा	160	132
जम्मू और कश्मीर	25	7
झारखंड	436	162
कर्नाटक	240	252
केरल	0	42
मध्य प्रदेश	235	179
महाराष्ट्र	39	288
पूर्वोत्तर क्षेत्र	178	0
ओडिशा	118	315
पंजाब	0	106
राजस्थान	73	161
तेलंगाना	186	25
उत्तर -प्रदेश	262	289
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	86	461
कुल	2555	3577

आयुध निर्माणियों की स्थापना

2478. डॉ. प्रभास कुमार सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के किसी भी भाग में मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत आयुध निर्माणियां/तोपखानों/डी.आर.डी.ओ. केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने झारसुगुडा, ओडिशा में उक्त फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए कोई विचार किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) जी, नहीं। मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत भारत के किसी भी हिस्से में कोई आयुध निर्माणी/तोपखाना/डी.आर.डी.ओ. केन्द्र स्थापित करने का वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नए रेलमार्गों का सर्वेक्षण

2479. श्री संजय काका पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा किए गए नए रेलमार्गों का सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन नई लाइनों को स्वीकृत करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मीरज-जट-बिजापुर और पंडरपुर-उम्डी बीजापुर रेलमार्गों को इन रेलमार्गों में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइनों के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड में प्राप्त हो गए हैं:

क्र.सं.	लाइन की लंबाई सहित सर्वेक्षण का नाम (किमी. में)	पूरा होने का वर्ष	लागत (करोड़ रु. में)	प्रतिफल की दर (%)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	दमन-नासिक (168)	2015-16	821	-2.08	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
2.	नीपानी के रास्ते कराड़-बेलगाम (192)	2015-16	3065	-3.16	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
3.	रामटेक-तुमसर (46)	2015-16	548	-7.60	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
4.	वरोरा-उमरेर (106)	2015-16	742	7.45	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
5.	बेलापुर और बीड (167)	2015-16	1487	-6.05	सर्वोक्षण रिपोर्ट जांचाधीन है।
6.	शिरडी-शाहपुर-घोटी (शिरडी-लावीत) (83)	2016-17	1634	-2.81	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
7.	मालेगांव-सतना-सकरी-चुंचपाड़ा (नंदुबार) (148)	2017-18	2811	-3.59	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
8.	मलकापुर-चिकाली (100)	2017-18	1797	-2.89	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है

1	2	3	4	5	6
9.	नासिक-सूरत (बरदोली) (240)	2017-18	3637	-4.02	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
10.	रोटगांव-पुंटाम्बा (34)	2017-18	316	-1.52	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
11.	सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद (80) (सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है)	2017-18	958	-7.85	परियोजन को बजट 2018-19 में नई लाइनों के अंब्रेला वर्क में शामिल किया गया है।
12.	वशिम-माहुर-अदिलाबाद (201)	2017-18	3234	-6.48	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
13.	औरंगाबाद-चालीसगांव (93 किमी)	2017-18	1690	-2.23	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
14.	टिटवाला-मुरबाद (23 किमी)	2017-8	716	-1.22	परियोजना को स्थगित कर दिया गया है
15.	मंगलवेधा के रास्ते पंधारपुर-वीजापुर (108)	2017-18	1295	-2.39	सर्वेक्षण रिपोर्ट जांचाधीन है।

इसके अलावा, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पड़ने वाली स्वीकृत नई लाइनों के निम्नलिखित सर्वेक्षण जिन्हें अभी पूरा किया जाना है:

क्र. सं.	सर्वेक्षण का नाम	लंबाई (किमी.)	स्वीकृति का वर्ष
1.	चुडावा-बासमत (पूर्णा पर बाई-पास लाइन)	3	2015-16
2.	उपरपाड़ा-नंदुरबार	110	2015-16
3.	श्रीरामपुर-नेवासा-शिवगांव-गेओरई-पारली	230	2016-17
4.	गुलबर्गा-लातूर	148	2016-17
5.	नरखेर-वसिम	232	2016-17
6.	राहुरी-शनि शिगनापुर	25	2016-17
7.	बोधान-बीलोली-मुखेड-जलकोट-लातूर रोड	130	2016-17
8.	सोनपथ के रास्ते मनवाथ रोड-परली वैजनाथ	67	2016-17
9.	वारूर-अरवी (पुलगांव)	60	2017-18
10.	रोटेगांव-कोपरगांव	22	2017-18
11.	करखेली-नरसी	30	2017-18
12.	सावंतवाड़ी-रेडी फोर्ट	20	2017-18
13.	रामटेक-परशिवानी-खापा	36	2017-18
14.	मंचेरियाल-गडचिरोली	115	2017-18

क्र.सं.	सर्वेक्षण का नाम	लंबाई (किमी)	स्वीकृति का वर्ष
15.	उस्मानाबाद-बीड-औरंगाबाद	200	2018-19
16.	अहमदनगर-औरंगाबाद	115	2018-19
17.	औरंगाबाद-बुलधाना-खामगांव	170	2018-19
18.	सीनर के रास्ते नासिक रोड- शिरडी	72	2018-19
19.	औरंगाबाद-पुनथंबा	75	2018-19
20.	वरोरा-कांपा बारास्ता चिमूर	85	2018-19
21.	लोनावाला-खंडाला-खोपोली रेल घाट खंड	15	2018-19
22.	घंटजी-पंढारकावदा-चानखा के रास्ते यावतमल-आदिलाबाद	100	2018-19
23.	निजामाबाद-निर्मल-अदिलाबाद	125	2018-19

(ग) और (घ) कवठेमहांकाल, जाठ के रास्ते मिरज-बीजापुर (122 किमी.) के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 में स्वीकृत किया गया था। सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंगलवेधा के रास्ते पंधारपुर-बीजापुर (108.24 किमी.) के बीच बड़ी आमान लाइन के लिए सर्वेक्षण रेल बजट 2014-15 में स्वीकृत किया गया था। सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत (-) 2.36 प्रतिशत प्रतिफल की दर के साथ 1294.69 करोड़ रु. आकलित की गई है। इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट जांचाधीन है।

आई.टी. कर्मचारियों का कल्याण

2480. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों की रोजगार स्थिरिता और कल्याण हेतु विधान प्रारंभ करने का है; और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाही की गई है

(ख) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि आई.टी. क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई.टी. क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन विशेषाधिकारों से बाहर करने का है ताकि श्रम कानूनों को आई.टी. क्षेत्र में लागू किया जा सके और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आई.टी. क्षेत्र में श्रम कानून लागू करने का है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आई.टी. क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक राज्य में आई.टी. क्षेत्र में लागू किए गए श्रम कल्याण उपायों का ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, नहीं। आई.टी. क्षेत्र एक विशेषीकृत प्रौद्योगिकी क्षेत्र है और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों से प्रतिभा आकर्षित करता है। यह निबल नियोक्ता के रूप में बना हुआ है और निजी क्षेत्र में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है तथा अपने कर्मचारियों को सबसे अच्छा वेतन, सुविधाएं और विशेष विकास देता है। कार्यबल के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने और अंतराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों का अनुपालन करने की वजह से यह दशकों से सतत रूप से बढ़ रहा है। तथापि यह बहुत तेजी से आने वाली नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के कारण अप्रचलित होने के लिए उत्तरदायी बनी रहती है। इससे उद्योग के भीतर ही कर्मचारियों के आवागमन और समय-समय पर उनके कौशलों का उन्नयन करने/उन्हें पुन: कुशल बनाने की आवश्यकता पैदा होती है। हाल ही में उद्योग, उद्योग संघ और सरकार ने आई.टी. पेशेवरों की हरदम बढ़ती व्यवसायिक और कौशल संबंधी चुनौतियों को पूरा करने में मदद करने के लिए रिस्किलिंग/अप-रिस्किलिंग प्लेटफॉर्मो को डिजाइन किया है।

(ख) मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं। आई-आई.टी.एस. को सरकार द्वारा 12 चैम्पियन सेवा क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है और सरकार को फरवरी, 2018 में इस क्षेत्र को, बढावा के लिए 5,000 करोड़ रु. की निधि सृजित की है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) जहां तक आई.टी. और आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में रोजगार का संबंध है, वित्त वर्ष 2017-18 में कर्मचारियों की संख्या लगभग 39,68,000 हो गई है जो वित्त वर्ष 2016-17 में 38,63,000 की तुलना में 1,05,000 की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2018-19 में भी ये रूझान मौजूदा वित्त वर्ष के समान बने रहने का अनुमान है। एस.टी.पी. यूनिट और आई.टी.एस.ई.जेड. के संबंध में रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) आई.टी. क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है।

विवरण

एस.टी.पी.आई. इकाइयों के रोजगार और निवेश विवरण

वित्त वर्ष	जनशक्ति
2016-17	1794650

आई.टी.एस.ई.जेड. 2016-17 में राज्यवार रोजगार

राज्य	रोजगार
आंध्र प्रदेश	3228
चंडीगढ़	8597
गोवा	-
गुजरात	7820
हरियाणा	97281
कर्नाटक	264456
केरल	40601
मध्य प्रदेश	1565
महाराष्ट्र	264958
ओडिशा	4786
पंजाब	2359
राजस्थान	6244
तमिलनाडु	250289
तेलंगाना	186488
उत्तर प्रदेश	68947
पश्चिम बंगाल	55784
कुल	1263403

[हिन्दी]

निष्क्रिय राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना

2481. श्री जनक राम : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्क्रिय राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने हेतु कोई उपाए किए जा रहे हैं और यह इन दलों के धनशोधन में सम्मिलित होने का संदेह है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसे राजनैतिक दलों की मान्यता रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो निष्क्रिय हैं और जिनके धन-शोधन में सम्मिलित होने का संदेह है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ संबंध

2482. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध काफी तनावपूर्ण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) से (ग) सरकार पाकिस्तान के साथ सामान्य मित्रवत संबंध चाहती है और सभी बकाया मुद्दों को शिमला समझौते तथा लाहौर घौषणा के अनुरूप द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, कोई भी सार्थक वार्ता आतंकवाद, द्वेष तथा हिंसामुक्त वातावरण में ही संभव हो सकती है। अब यह पाकिस्तान का दायित्व है कि वह कैसे इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करता है।

पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही आतंकवादी घटनाएं हमारे लिए चिंता का मुख्य विषय है। भारत ने पाकिस्तान से कई बार आग्रह किया है कि वह अपने नियंत्रणाधीन भू-क्षेत्र से भारत को लक्ष्य बनाकर की जा रही किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने की अपनी वचनबद्धता का पालन करे। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वह आतंकवाद का खात्मा करने और अपने नियंत्रणाधीन भू-क्षेत्र में स्थित आतंकवादी पनाहगाहों तथा अवसंरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कारगर कार्रवाई करे। तब तक, भारत सीमापार आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ठोस एवं निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा।

ईराक में अपहरण किए गए भारतीय

2483. **श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री भोला सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईराक के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है ताकि आई.एस. द्वारा अपहरण किए जा रहे गुम भारतीय लोगों को खोजा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुम व्यक्तियों की पहचान हेतु इनके संबंधियों से डी.एन.ए. नमूनों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.जे. अकबर) : (क) जी, नहीं। ईराक में आई.एस. द्वारा तीन भारतीय नागरिकों के अपहरण किए जाने के संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश से एन.पी.पी. हेतु प्रस्ताव

2484. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किया जाएगा; और

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत की अत्यधिक कमी के बावजूद इसे वरियता प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पूर्व में, राज्य सरकार ने मंडला जिले में चुटका तथा शिवपुरी जिले में भीमपुर में दो स्थल प्रस्तावित किए हैं और सरकार द्वारा इन दोनों स्थलों के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुरुक्षेत्र में उपरिगामी पुल/अधोगामी पुल

2485. **श्री राजकुमार सैनी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुरुक्षेत्र में पुराने बस अड्डे के पास रेल समपार पर अधोगामी पुल/उपरिगामी पुल के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के साथ चर्चा करने के पश्चात निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब तक आरंभ/सुचारू होने की संभावना है और निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी हां। उपरि सड़क पुल (आर.ओ.बी.) का निर्माण कार्य 2016-17 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) इससे पहले, हरियाणा सरकार ने आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दे दी है और उन्होंने सामान्य आरेखण व्यवस्था पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। किंतु, हाल ही में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुरुक्षेत्र-नरवाना जंक्शन पर समपार सं. 65-बी और समपार सं. 61 पर आर.ओ.बी. का कार्य रोक दिया गया है, क्योंकि एलीवेटेड रेलपथ के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है और हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.आर.आई.डी.सी.) द्वारा कुरुक्षेत्र-नरवाना जंक्शन पर एलीवेटेड रेलपथ की व्यवहार्यता

का पता लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) चूंकि कुरुक्षेत्र में एलीवेटेड रोड का प्रस्ताव हरियाणा राज्य सरकार के विचाराधीन है, अत: इस आर.ओ.बी. का कार्य रोक दिया गया है।

(घ) हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुरुक्षेत्र-नरवाना जंक्शन पर समापार सं. 65-बी और समपार सं. 61 पर आर.ओ.बी. का कार्य रोक दिया गया है, क्योंकि एलीवेटेड रेलपथ के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

2486. **श्रीमती वी. सत्यबामा** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों के ऐसे वरिष्ठ वकीलों और वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जिन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत या नियुक्त किया गया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : उच्च न्यायालयों के आठ मुख्य न्यायमूर्तियों या न्यायाधीशों और भारत के उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वर्ष 2016-18 के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्नयन/नियुक्त किया गया है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले का सीमित भंडार

2487. **श्रीमती पूनमबेन माडम** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि कुछ विद्युत परियोजनाओं के पास कोयले का बहुत सीमित भंडार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय कोयले का आयात करने पर विचार कर रहा है और विद्युत संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए राज्यों से भी ऐसा करने के लिए कहा है; और

(ग) मंत्रालय द्वार कोयले की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) से विद्युत क्षेत्र को वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) में कोयले की आपूर्ति 122.28 मि.ट. रही है जो कि गत वर्ष की उसी अवधि में की गई कोयला आपूर्ति से 14.8% मि.ट. अधिक थी। तथापि, विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि कोयला ढुलाई प्रबंध की उपयुक्त उपलब्धता, कोयला कंपनियों के बकायों का भुगतान, संयंत्र की मेरिट आर्डर डिस्पैच स्थिति के आधार पर विद्युत निर्धारित करना आदि। इसके अलावा, बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कई उत्पादन कंपनियों ने घरेलू कोयला नीति (जून, 2016) की फ्लेक्सीबल उपयोगिता प्रावधानों के अंतर्गत और अधिक लागत प्रभावी विद्युत संयंत्रों को कोयले का विपथन करने का विकल्प दिया है। 29.07.2018 के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की दैनिक कोयला भंडार रिपोर्ट के अनुसार 177 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में से 7 नॉन-पिटहेड विद्युत संयंत्र हैं जिनके पास 7 दिन से कम (क्रिटिकल कोयला भंडार) का कोयला भंडार है, 8 नॉन-पिटहेड विद्युत संयंत्रों के पास 4 दिन (अत्यंत क्रिटिकल कोयला भंडार) से कम का कोयला भंडार है तथा क्रिटिकल अथवा अत्यंत क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत कोई पिटहेड विद्युत संयंत्र नहीं है। इन विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कुल कोयला भंडार 15.8 मि.ट. है जोकि औसतन 11 दिन के लिए पर्याप्त हैं।

वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में विद्युत क्षेत्र को कोयला प्रेषण में वृद्धि से कोयला आधारित उत्पादन में 5.3 प्रतिशत सकारात्मक वृद्धि तथा लक्ष्य का 101.3 प्रतिशत हासिल करने में सहायता मिली है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि आयातित कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पादन वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में लक्ष्य का 66% था। यह दर्शाता है कि आयातित कोयला आधारित संयंत्रों से उत्पादन में गिरावट को घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करके भी पूरा किया गया था।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने 30.05.2018 को राज्य सरकारों के ऊर्जा विभाग को कोयले के आयात के मामले में अपनी आवश्यकता का आकलन करने एवं तदनुसार योजना तैयार करने की सलाह दी थी ताकि उनके विद्युत केंद्रों को कोयले की कोई कमी न हो तथा कोयेल की कमी के कारण उत्पादन में कोई घाटा न हो। तथापि, सी.ई.ए. द्वारा विद्युत क्षेत्र की मांग अनुमान तथा सी.आई.एल. की उत्पादन योजना को देखते हुए आने वाले वर्षों में विद्युत क्षेत्र में घरेलू कोयले की कमी का कोई अनुमान नहीं है।

(ग) विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति की निगरानी एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा नियमित रूप से की जाती है जिसमें विद्युत, कोयला, रेल, पोत परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, सी.आई.एल. के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह उप-समूह समय-समय पर सप्ताह में कई बार बैठकें

करता है ताकि विद्युत संयंत्रों के लिए नाजुक कोयला भंडार की स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लिया जा सके। सचिव (कोयला), सचिव (विद्युत) तथा सदस्य (ट्रैफिक, रेलवे बोर्ड) की एक समिति कोयले की ढुलाई एवं आपूर्ति की नियमित आधार पर संयुक्त रूप से समीक्षा करती रही है। सी.आई.एल. को वर्तमान तिमाही के दौरान उच्च उत्पादन और आफटेक के लिए निश्चित कार्य योजना तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि विद्यमान कोयला खानों के लिए आवश्यक अनापत्तियां उपलब्ध हों, जिससे अल्प/मध्य अवधि में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने एवं मध्य अवधि में उत्पादन बढ़ाने हेतु नव आबंटित कोयला खानों के प्रचालन में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

नेशनल बायो-फार्मा मिशन

2488. **श्री छेदी पासवान** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के साथ नेशनल बायो फार्मा मिशन के अंतर्गत बायो-फार्मा विकास हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) से (ग) जी हां, सरकार ने 24 अप्रैल 2018 को नेशनल बायो-फार्मा किशन की गतिविधियों को लागू करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक विधिक समझौता किया है। यह ऋण समझौता, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्व बैंक की ओर से अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) के बीच कार्यान्वित किया गया। इस परियोजना समझौते पर कार्यान्वयन एजेंसी, जैवप्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिषद (बी.आई.आर.ए.सी.), बायोटेक्नोलॉजी विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ने आई.बी.आर.डी. के साथ हस्ताक्षर किए।

इस नेशनल बायो-फार्मा मिशन कार्यक्रम को मई 2017 में 5 वर्षों के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत पर, विश्व बैंक के ऋण के माध्यम से 50% वित्त पोषण पर अनुमोदित किया जा चुका है।

वित्तीय सहायता के लिए, बी.आई.आर.ए.सी. इस मिशन के तहत किफायती उत्पादों के विकास के लिए मुक्त आवेदन हेतु अनुरोध (आर.एफ.ए.) के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वैक्सीन, बायोसिमिलर, चिकित्सा, उपकरणों, नैदानिकी तथा ढांचागत सुविधाओं से संबद्ध किफायती उत्पादों के विकास पर केन्द्रित शिक्षाविदों तथा उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए आवेदन पत्रों हेतु अनुरोध (आर.एफ.ए.) का पहला सेट दिसम्बर, 2017 में जारी किया गया था।

[अनुवाद]

सेवाओं का आबंटन

2489. **श्री मलयाद्रि श्रीराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैन्य सेवाओं को पूंजी शीर्ष के अंतर्गत किया गया आबंटन उनकी मांगों के अनुरूप हो, संशोधित अनुमान स्तर पर उस आबंटन को उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) बजट आकलन 2017-18 में पूंजीशीर्ष के तहत रक्षा क्षेत्र का आबंटन 91,579.70 करोड़ रुपए था, जिसे बजट आकलन 2018-19 में 7,984.16 करोड़ रुपए (8.72%) बढ़ाकर 99,563.86 करोड़ रुपए कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में रक्षा मंत्रालय के लिए पूंजीगत आबंटन केन्द्र सरकार के कुल व्यय का 33 प्रतिशत है और कुल रक्षा बजट केन्द्र सरकार व्यय का 16.6 प्रतिशत है।

रक्षा बजट बहुआयामी आबंटन तंत्र के साथ एक आवश्यकता आधारित बजट है, जिसे सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट और तात्कालिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तदनुसार, आबंटित निधियों को संक्रियात्मक कार्यकलापों और आवश्यकता के आधार पर इष्टतम और अनुकूलतम तरीके से उपयोग किया जाता है, योजनाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाती है ताकि, रक्षा सेनाओं की संक्रियात्मक तैयारियों से बिना कोई समझौता किए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षमताओं को सुनिश्चित किया जा सके।

व्यय की गति के आधार पर आवश्यकता होने पर इसके अलावा भी निधियों की आवश्यकताओं का तदनुसार आकलन किया जाएगा।

ठहराव हेतु मापदंड

2490. **श्री एम.बी. राजेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे किसी मापदंड के आधार पर गाड़ियों के ठहराव को अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने कतिपय रेलगाड़ियों के लिए ठहराव की अनुमति देने हेतु इस मापदंड का उल्लंघन किया है; और

(घ) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि रेलगाड़ी के ठहराव समान मापदंडों के आधार पर दिए जाएं और उनका उल्लंघन न हो?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में, भारतीय रेल के पास रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में एक नीति है। इसके महत्वपूर्ण मानदंड निम्नानुसार हैं:-

(1) स्टेशन पर दूरी-वार, श्रेणी-वार तथा लागत-वार अप तथा डाउन दोनों दिशाओं के लिए टिकटों की कुल बिक्री।

(2) स्टेशन पर यातायात का पैटर्न।

(3) वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, सुविधा और मौजूदा सेवाओं का अधिभोग।

(4) संदर्भाधीन गाड़ी का स्वरूप और अधिभोगिता।

(5) उस स्टेशन पर उस संदर्भाधीन गाड़ी के गुजरने का समय जहां गाड़ी को ठहराव देने पर विचार किया जा रहा है।

(6) परिचालनिक कठिनाइयां- सेक्शन की लाइन क्षमता और अन्य सेवाओं के समय-पालन पर पड़ने वाला प्रभाव।

गाड़ियों के ठहराव के प्रावधान से संबंधित मार्गनिर्देश जिसमें परिचालनिक और वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि स्टेशन पर 500 कि.मी. की दूरी के लिए प्रतिदिन प्रतिगाड़ी बेचे जाने वाले स्लीपर श्रेणी के टिकटों की न्यूनतम संख्या 40 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए ताकि ठहराव देने की लागत वसूल हो सके (जो कर्षण, कम्पोजिशन तथा अन्य कारकों के अनुसार 12,716 रु. से 24,506 रु. की रेंज में होता है) अथवा गाड़ी के गंतव्य/प्रारंभिक स्टेशनों के लिए (100 किमी. के मल्टीपल में) ए.सी., जनरल की मिली-जुली श्रेणी के यात्रियों के किराए के हिसाब से इसके समकक्ष राशि प्राप्त होनी चाहिए। इस नीति में यह भी निर्धारित है कि ऐसे खण्डों में कोई अतिरिक्त ठहराव नहीं मुहैया कराए जाएंगे जिनकी क्षमता का 90% से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नए ठहराव मुहैया कराने पर विचार करते समय नगर/शहर की जनसंख्या, महत्व और वहां हो रहे नए विकासात्मक कार्यों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे को विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव देने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध सतत् प्राप्त होते हैं। अनुभव से यह पता चलता है कि अधिकांश अनुरोध, ठहराव के प्रावधान संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश में निर्धारित मौजूदा वाणिज्यिक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। सामान्यता, उन मामलों में जहां समग्र रनिंग समय, अतिरिक्त ठहराव के प्रावधान द्वारा प्रभावित नहीं होता है, भारतीय रेलवे यात्रा करने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ यातायात के वॉल्यूम को आंकने के दोहरे प्रयोजन के साथ सीमित अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर ठहराव प्रदान करती है।

साइबर माध्यम से धमकाना

2491. **श्री के.सी. वेणुगोपाल** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइबर माध्यम से धमकाने और ब्लैकमेल करने की बढ़ती घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए कोई व्यापक तंत्र तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से यौन शोषण के शिकार बच्चों और महिलाओं के वीडियो को प्रसारित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000 में प्रचलित साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क) और 354(घ) में साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग के लिए दंड का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4.1.2012

को महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए और उनकी रोकथाम करने के लिए एक परामर्श जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशिष्ट रूप से साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, बाल पोर्नोग्राफी और यौन संबंधों में लिए दर्शायी जाने वाली सूचना सामग्री इत्यादि के रूप में किए गए अपराधों से निपटने की सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) सरकार ने साइबर अपरध की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए बहुत से कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अधिनियम, जिसमें मौजूदा साइबर अपराधों के निराकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(ii) साइबर अपराध मामले की जांच और रिपोर्ट के लिए साइबर अपराध प्रकोष्ठों को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित किया गया है।

(iii) सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण हेतु केरल, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में साइबर न्यायविज्ञान प्रशिक्षण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

(iv) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण संगठनों को साइबर सुरक्षा संबंधी खतरा परिदृश्य के बारे में संवेदनशील बनाने तथा साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करने तथा उसका कार्यान्वयन करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

(v) सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एण्ड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) स्थापित किया है। यह केंद्र सामान्य प्रयोक्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए मैलीशियस प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क टूल उपलब्ध करा रहा है।

(vi) गृह मंत्रालय ने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और साइबर खतरों को न्यूनतम करने के लिए सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एन.आई.एस.पी.जी.) जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा ऐसे आपत्तिजनक वीडियो के प्रसारण/परिचालन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ङ, 67, 67क और 67ख में बाल पोर्नोग्राफी सहित यौन अपराधों के वीडियो अपलोड/प्रसासित करने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

(ii) गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा एक पोर्टल अर्थात *www.cybercrime.gov.in* लॉन्च किया गया है जो जनता को बाल पोर्नोग्राफी और यौन क्रियाओं में लिप्त सूचना सामग्री की शिकायतें रिपोर्ट करने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

(iii) इसके साथ ही, बच्चों पर लक्षित साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को) ई-बॉक्स पोर्टल को खोला गया था। एन.सी.पी.सी.आर. ने पोस्को ई-बॉक्स के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है जिससे कि साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, छवियों को विकृत करने तथा बाल पोर्नोग्राफी के मामलों का भी निराकरण किया जा सके। ई-बॉक्स अब गूगल/एप्पल प्ले सटोर पर मोबाइल एप्प के रूप में भी उपलब्ध है।

(iv) सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल की "सर्वाधिक भद्दी सूची" (वर्स्ट ऑफ लिस्ट) पर आधारित ऐसी वेबसाइटों को आवधिक रूप से ब्लॉक करती है जिसमें अत्यधिक यौन शोषण संबंधी सूचना सामग्री निहित है। सी.बी.आई. भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। अब तक की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) के जरिए 4934 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

(v) सरकार ने संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) को सी.एस.ए.एम. वेबसाइटों/वेबपेजों की इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आई.डब्ल्यू.एफ.) सूची प्राप्त करने और बाल पोर्नोग्राफी वाले वेबपेजों/वेबसाइटों को गेटवे स्तर पर ब्लॉक करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु एक आदेश जारी किया है।

(vi) दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने सभी आई.एस.पी. से ई-मेल, इनवॉइस, एस.एम.एस., वेबसाइट आदि के माध्यम से अंतिम प्रयोक्ता की मशीनों में पेरेन्टल कंट्रोल फिल्टर के इस्तेमाल के बारे में अपने उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए पत्राचार किया है।

[हिन्दी]

निजी खान-पान कंपनियां

2492. **श्री लल्लू सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित कीमत से अधिक वसूलने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए निजी खान-पान कंपनियों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ऐसी खान-पान फर्मों के विरुद्ध कोई जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है;

(घ) क्या कुछ खान-पान एजेंसियां स्वीकृत संविदा की शर्तों के अनुसार भोजन नहीं परोस रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ङ) रेलवे में खानपान सेवाओं पर निर्धारित कीमत से अधिक वसूली और अन्य त्रुटियां/चूक के संबंध में प्राप्त कुल शिकायतें (निजी कैटररर्स के विरुद्ध) और उस पर लगाया गया जुर्माना निम्निलिखित है :

वर्ष	शिकायतों की किस्म	शिकायतों की संख्या	जुर्माना लगाए गए मामलों की संख्या	लगाए गए जुर्माने की कुल राशि
2015-16	निर्धारित कीमत से अधिक वसूली	2809	1918	2,08,28,150 रु.
	अन्य त्रुटियां	5899	1650	1,08,01,700 रु.
	जोड़	8708	3568	3,16,29,850 रु.
2016-17	निर्धारित कीमत से अधिक वसूली	4156	2651	2,93,47,428 रु.
	अन्य त्रुटियां	6281	2161	1,79,92,450 रु.
	जोड़	10437	4812	4,73,39,878 रु.
2017-18	निर्धारित कीमत से अधिक वसूली	4185	2425	3,65,63,257 रु.
	अन्य त्रुटियां	5732	1437	1,21,36,209 रु.
	जोड़	9917	3862	4,86,99,466 रु.
2018-19	निर्घारित कीमत से अधिक वसूली	873	490	35,89,820 रु.
(30.06.18	अन्य त्रुटियां	1965	352	30,85,140 रु.
तक)	**जोड़**	2838	842	66,74,960 रु.

इस समय किसी भी निजी कैटरर्स के खिलाफ कोई जांच नहीं की जा रही है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 (अर्थात 30.06.2018 तक) की अवधि के दौरान, (i) अंभुज होटल और रियल् एस्टेट (ii) दून कैटरर्स (iii) जी भारथी (iv) गोल्डन कैटरर्स (v) एच.डी. एंड संस (vi) के.एम. मुस्तफा (vii) महादेव सेल्स एजेंसी (viii) आर.के. एसोसिएट्स एंड होटलियर (ix) आर सी यादव (x) एस नागराज (xi) साईं बालाजी फूड एंड बेवरेज लिमिटेड (xii) सत्यम कैटरर्स प्रा. लिमिटेड और (xii) सनशाइन कैटरर्स के कुल 21 ठेकों को खानपान सेवाओं में त्रुटियां/चूक के विभिन्न मामलों के कारण समाप्त कर दिया गया था।

[हिन्दी]

किराए के भवनों में डाकघर

2493. **श्री कपिल मोरेश्वर पाटील** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में डाकघर भवनों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान इस संबंध में आबंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) देश में किराए के भवनों में 19,960 डाकघर कार्यरत हैं। ऐसे डाकघरों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) डाकघरों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव इस समय विभाग में विचाराधीन है।

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ आबंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	आबंटित कुल निधि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई कुल निधि (करोड़ रुपए में)	व्यय की गई कुल निधि (करोड़ रुपए में)
2015-16	1.44	41.44	1.4337
2016-17	00	00	00
2017-18	00	00	00
2018-19 (चालू वर्ष)	5.00	00	00

विवरण

किराए के भवनो में कार्यरत डाकघरों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	किराए के भवनों में कार्यरत डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1379
2.	तेलंगाना	645
3.	असम	454
4.	बिहार	802
5.	छत्तीसगढ़	288
6.	दिल्ली	222
7.	गुजरात	1079
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र)	3
9.	दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	4
10.	हरियाणा	361
11.	हिमाचल प्रदेश	383
12.	झारखंड	359
13.	जम्मू और कश्मीर	201
14.	कर्नाटक	1272
15.	केरल	1250
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	738
18.	महाराष्ट्र	1413
19.	गोवा	367
20.	मेघालय	35
21.	मिजोरम	23
22.	मणिपुर	45
23.	नागालैंड	26
24.	अरुणाचल प्रदेश	12
25.	त्रिपुरा	49

1	2	3
26.	ओडिशा	1034
27.	पंजाब	496
28.	चंडीगढ़	46
29.	राजस्थान	762
30.	तमिलनाडु	2273
31.	पुदुचेरी	22
32.	उत्तर प्रदेश	2164
33.	उत्तराखंड	308
34.	पश्चिम बंगाल	1410
35.	सिक्किम	17
36.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17
	कुल	19960

थोरियम भंडार

2494. श्रीमती वीणा देवी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किए जाने से परमाणु ईंधन के आयात पर निर्भरता समाप्त करने में मदद मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्तमान में देश में उपलब्ध थोरियम भंडार की अनुमानित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा तिनी है और इसकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निष्कर्षण क्षमता कितनी है?

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। नाभिकीय ईंधन के रूप में थोरियम के उपयोग करने से भी नाभिकीय ईंधन के आयात पर निर्भरता समाप्त नहीं होगी।

(ख) आयातित ईंधन (प्राकृतिक यूरेनियम) में विखंडनीय आइसोटोप (यूरेनियम-235) होता है, रिएक्टर के अंदर इसका नाभिकीय विखंडन होता है जिससे विद्युत उत्पादन होता है। इसके भौतिक गुणों के कारण केवल थोरियम (थोरियम-232) का उपयेग कर नाभिकीय रिएक्टर बनाना संभव नहीं है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करने से पहले थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित करना होता है। इसके मद्देनज़र, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यकम के आरंभ से ही, व्यवहार्य तथा संधारणीय विकल्प के रूप में थोरियम का उपयोग करने हेतु बंद नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित त्रि-चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था। त्रि-चरणीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य है दाबित भारी पानी रिएक्टरों के भुक्तशेष ईंधन से प्राप्त प्लूटोनियम का द्रुत प्रजनक रिएक्टरों में उपयोग करना। थोरियम का भारी मात्रा में उपयोग, रिएक्टरों में प्रजनित यूरेनियम-233 को उपयोग में लाने पर किया जा सकेगा। वर्तमान में, प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समय पर एक परिपक्व प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सके।

विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों में थोरियम के उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उठाए गए कदम। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैं :

(i) बंडलों में बंद कर थोरियम ऑक्साइड (थोरिया) गुटिकाओं का उपयोग प्रचालनरत दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्लू.आर.) के आरंभिक कोर में किया गया है और प्रचालन तथा किरणित थोरियम ईंधन के पुर्नोपयोग में मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भापाअकें) के अनुसंधान रिएक्टरों में भी थोरिया आधारित ईंधन को किरणित किया गया है। ऐसे किरणन के बाद इन ईंधन एलीमेंटों की भापअकें की प्रयोगशालाओं में जांच की गई, जिसमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ii) यूरेनियम-233 प्राप्त करने के लिए, अनुसंधान रिएक्टरों में किरणित थोरिया पिनों का पुनर्संसाधन किया गया। प्राप्त यूरेनियम-233 को कल्पाक्कम स्थित इदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (इंगापअकें) में प्रचालनरत 30 किलोवाट (तापीय) कल्पाक्कम मिनी रिएक्टर (कामिनी) के लिए ईंधन के रूप में संविरचित किया गया। यह विश्व का एकमात्र रिएक्टर है, जो यूरेनियम-233 ईंधन से प्रचालित हो रहा है।

(iii) यूरेनियम-233 वाले थोरिया आधारित ईंधन पैलेटों के संविरचन के लिए प्रौद्योगिकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

(iv) वर्ष 2008, में भापअकें में, प्रगत भारी पानी रिएक्टर के लिए एक क्रांतिक सुविधा का कमीशनन किया गया और तब से इसका उपयोग प्रगत भारी पानी रिएक्टर

(ए.एच.डब्लू.आर.) की भौतिक डिजाइन विशिष्टताओं के और अधिक वैधीकरण के लिए प्रयोगों के लिए किया जा रहा है।

(ग) थोरियम युक्त खनिज मोनाज़ाइट, देश की तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज (बी.एस.एम.) जैसे इलमेनाइट, रूटाइल, ज़र्कान, गार्नेट तथा सिल्लीमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) का एक संघटक एकक, परमाणु खनिज अन्वेषण एंव अनुसंधान निदेशालय (पखनि) ने केरल, तमिलनाडु, ओडीशा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात की तटीय पुलिन बालू और झारंखड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदीय पुलिन बालू में 128 बी.एस.एम. निक्षेपों की पहचान तथा मूल्यांकन किया है।

इन 128 निक्षेपों के कुल 12.467 मिलियन टन (एम.टी.) मोनाज़ाइट मौजूद है। पखनि द्वारा (जून, 2018 की स्थिति के अनुसार) ज्ञात किए गए स्व-स्थाने मोनाज़ाइट संसाधनों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है :

राज्य	निक्षेपों की संख्या	संसाधन (मिलियन टन)
ओडिशा	10	3.06
आंध्र प्रदेश	26	3.69
तमिलनाडु	51	2.46
केरल	35	1.84
पश्चिम बंगाल	1	1.20
झारखंड	1	0.21
महाराष्ट्र	3	0.004
गुजरात	1	0.003
कुल	128	12.467

इन पुलिन बालू स्थलों पर मौजूद मोनाज़ाइट में लगभग 9-10% थोरियम ऑक्साइड (ThO_2) है। मोनाज़ाइट भंडार (12,47 मिलियन टन) में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु (Th) या लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड (ThO_2) मौजूद है।

भारत में, पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ्स लि. (आई.आर.ई.एल.), उड़ीसा सैंड्स कॉम्लेकस (ऑस्कॉम), ओडिशा ने 2,000 टन प्रतिवर्ष थोरियम ऑक्सेलेट के साथ-साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम डाई-यूरीनेट (एन.जी.ए.डी.यू.), ट्राईसोडियम फॉस्फेट (टी.एस.पी.), विरल मृदा क्लोराइड ($RECL_3$) के उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष मोनाज़ाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है।

पूंजी उन्मुख आर्थिक विकास

2495. श्री राम कुमार शर्मा : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार औद्योगिक नीति आरंभ करने के साथ देश के आर्थिक विकास की गति पूंजी उन्मुख हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 2016-17 के दौरान देश के अरबपतियों की संपत्तियों में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मौजूदा आर्थिक सुधारों के कारण अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) और (ख) 1990-91 से 2015-16 के बीच आय में श्रम की समग्र हिस्सेदारी 0.54 से मामूली घटकर 0.50 हो गई है किंतु यदि इसे क्षेत्रकवार देखा जाए तो तस्वीर मिली-जुली है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक सुधारों के बाद विकास की गति पूंजी-उन्मुख हो गई है।

(ग) और (घ) भारतीय अरबपतियों के बारे में फोर्ब्स की सूची के अनुसार, देश के शीर्ष दस अरबपतियों की परिसम्पत्ति में 2015-16 और 2016-17 के बीच 24.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के संबंध में 1993-94 और 2011-12 की अवधि के एन.एस.एस.ओ. डेटा के अनुसार, अमीरों और गरीबों के बीच का अन्तर अथवा असमानता (अखिल भारतीय एम.पी.सी.ई.) की तुलना में प्रतिशत एम.पी.सी.ई. के अनुपात के रूप में मापित) ग्रामीण भारत में यथावत है। शहरी भारत में असमानता बढ़ी है। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

सरकार ने असमानता को समाप्त करने के लिए गरीबों के लिए कई नीतियां बनाई हैं। इसमें से कुछ हैं :

(क) उजाला योजना

(ख) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(ग) जन-धन योजना

(घ) मुद्रा योजना

(ङ) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(च) जीवनज्योति बीमा योजना

(छ) अटल पेंशन योजना

(ज) स्किल इंडिया

(झ) स्टार्टअप इंडिया

(ञ) स्टैंडअप इंडिया

विवरण-I

भारत में श्रम आय हिस्सेदारी

नीचे की तालिका राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन.ए.एस.) में विभिन्न क्षेत्रकों के अनुसार श्रम आय हिस्सेदारी को दर्शाती है। ये गणनाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के के.एल.ई.एम.एस. डेटाबेस पर आधारित हैं।

समग्र स्तर पर भारत में श्रम आय की हिस्सेदारी 1990-91 और 2015-16 के बीच 0.54 से मामूली घटकर 0.50 हो गई है।

- कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए श्रम आय हिस्सेदारी 0.55 ही बनी हुई है।
- उद्योग क्षेत्रकों (खनन और उत्खनन, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल (ई.जी.डब्ल्यू.) के लिए:
  - श्रम आय हिस्सेदारी **खनन और उत्खनन मे 0.35 से घटकर 0.28 हो गई और विनिर्माण में 0.38 से घटकर 0.32 हो गई।**
  - **ई.जी.डब्ल्यू. में श्रम आय हिस्सेदारी 0.35 से बढ़कर 0.38 हो गई।**
- निर्माण में श्रम आय हिस्सेदारी **0.81 से मामूली घटकर 0.78 हो गई।**
- व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं: **0.49 से मामूली घटकर 0.47**
- वित्त, रीएल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं: **0.60 से घटकर 0.44**
- लोक प्रशासन तथा अन्य **0.76 से मामूली बढ़कर 0.77**

क्षेत्रक-वार श्रम आय हिस्सा: 1990-91 से 2015-16

	कृषि[1]	खनन और उत्खनन[1]	विनिर्माण[2,3]	बिजली, गैस, जलापूर्ति[1]	निर्माण[1]	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं[2,3]	वित्तीय स्थायी संपदा और व्यावसायिक सेवाएं[2,3]	, लोक प्रशासन और अन्य[2,3]	कुल अर्थव्यवस्था[4]
1990-91	0.55	0.35	0.38	0.35	0.81	0.49	0.60	0.76	0.54
1991-92	0.55	0.32	0.39	0.33	0.80	0.48	0.59	0.76	0.54
1992-93	0.55	0.33	0.38	0.30	0.80	0.47	0.59	0.75	0.54
1993-94	0.55	0.31	0.35	0.23	0.79	0.46	0.55	0.70	0.51
1994-95	0.56	0.31	0.34	0.18	0.77	0.45	0.62	0.69	0.52
1995-96	0.56	0.36	0.35	0.19	0.75	0.45	0.62	0.69	0.52
1996-97	0.56	0.34	0.32	0.22	0.76	0.45	0.62	0.69	0.51
1997-98	0.56	0.35	0.34	0.21	0.78	0.46	0.61	0.70	0.52
1998-99	0.55	0.35	0.33	0.20	0.79	0.46	0.62	0.72	0.52
1999-00	0.55	0.37	0.33	0.28	0.79	0.45	0.58	0.72	0.52
2000-01	0.54	0.40	0.36	0.29	0.79	0.46	0.59	0.72	0.53
2001-02	0.54	0.34	0.36	0.29	0.77	0.45	0.57	0.71	0.52
2002-03	0.54	0.29	0.33	0.27	0.78	0.45	0.55	0.70	0.51
2003-04	0.54	0.31	0.31	0.28	0.79	0.44	0.55	0.70	0.50
2004-05	0.54	0.28	0.25	0.31	0.80	0.46	0.45	0.72	0.48
2005-06	0.54	0.25	0.26	0.30	0.77	0.44	0.42	0.72	0.47
2006-07	0.55	0.23	0.26	0.32	0.71	0.44	0.39	0.72	0.46
2007-08	0.55	0.28	0.26	0.33	0.71	0.44	0.36	0.72	0.46

2008-09	0.54	0.33	0.27	0.42	0.79	0.46	0.39	0.75	0.48
2009-10	0.54	0.27	0.27	0.37	0.78	0.47	0.48	0.76	0.50
2010-11	0.54	0.26	0.28	0.40	0.74	0.48	0.48	0.76	0.50
2011-12	0.55	0.27	0.29	0.38	0.78	0.50	0.41	0.78	0.50
2012-13	0.54	0.27	0.31	0.36	0.78	0.48	0.42	0.78	0.50
2013-14	0.54	0.26	0.31	0.40	0.79	0.49	0.43	0.77	0.50
2014-15	0.54	0.26	0.32	0.41	0.79	0.48	0.43	0.77	0.50
2015-16	0.55	0.28	0.32	0.38	0.78	0.47	0.44	0.77	0.50

विवरण-II

संपत्ति (यू.एस. बिलियन $ में) सहित शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों की सूची 2016 (फॉब्स द्वारा)

1.	श्री मुकेश अंबानी	(यू.एस. $ 22.7 बिलियन).
2.	श्री दिलीप संघवी	(यू.एस. $ 16.9 बिलियन).
3.	हिंदुजा ब्रदर्स	(यू.एस. $ 15.2 बिलियन).
4.	श्री अजीम प्रेमजी	(यू.एस. $ 15 बिलियन).
5.	श्री पलोन्जी मिस्त्री	(यू.एस. $ 13.9 बिलियन).
6.	श्री लक्ष्मी मित्तल	(यू.एस. $ 12.5 बिलियन).
7.	गोदरेज फैमिली	(यू.एस. $ 12.4 बिलियन).
8.	श्री शिव नादर	(यू.एस. $ 11.4 बिलियन).
9.	श्री कुमार मंगलम बिड़ला	(यू.एस. $ 8.8 बिलियन).
10.	श्री सायरस पूनावाला	(यू.एस. $ 8.6 बिलियन).

कुल संपत्ति: यू.एस. $ 137.4 बिलियन

संपत्ति (यू.एस. बिलियन $ में) सहित शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों की सूची 2017 (फॉब्स द्वारा)

1.	श्री मुकेश अंबानी	(यू.एस. $ 38 बिलियन).
2.	श्री अजीम प्रेमजी	(यू.एस. $ 19 बिलियन).
3.	हिंदुजा ब्रदर्स	(यू.एस. $ 18.4 बिलियन).
4.	श्री लक्ष्मी मित्तल	(यू.एस. $ 16.5 बिलियन).
5.	श्री पलोन्जी मिस्त्री	(यू.एस. $ 16 बिलियन).
6.	गोदरेज फैमिली	(यू.एस. $ 14.2 बिलियन).
7.	श्री शिव नादर	(यू.एस. $ 13.6 बिलियन).
8.	श्री कुमारमंगलम बिड़ला	(यू.एस. $ 12.6 बिलियन).
9.	श्री दिलीप संघवी	(यू.एस. $ 12.1 बिलियन).
10.	श्री गौतम अडानी	(यू.एस. $ 11 बिलियन).

कुल संपत्ति: यू.एस. $ 171.4 बिलियन

विवरण-III

अखिल भरतीय औसत एम.सी.पी.ई. की तुलना में अंशवार वास्तविक मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम.पी.सी.ई.) का अनुपात

(1993-94 के मूल्यों पर नियत)

नीचे की तालिका में भारत में औसत एम.पी.सी.ई. की तुलना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक प्रतिशत के लिए औसत एम.पी.सी.ई. अनुपात को दर्शाया गया है। अगर सबसे नीचे के प्रतिशत का अनुपात बढ़ा है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि औसत एम.पी.सी.ई. अखिल भारतीय सतरों में तबदील हो रहा है जिससे असमानता घटी है। अगर सत्य इसके विपरीत हो तो असमानता बढ़ रही है। इसी प्रकार, अगर शीर्ष 5 प्रतिशत के लिए अनुपात में वृद्धि हो रही है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उपभोग की दृष्टि से शीर्ष 5 औसत से बाहर निकल रहे हैं जिससे असमानता बढ़ रही है। अगर सत्य इसके विपरीत हो तो असमानता कम हो रही है।

मुद्रासफीति के प्रभाव को देखते हुए मासिक प्रति व्यक्ति व्यय वास्तविक अर्थों में है।

ग्रामीण भारत

(1) 1993-94 और 2011-12 के बीच ग्रामीण भारत में 0 से 5 प्रतिशत के लिए उपभोग अनुपात यथावत रहा है। यह अनुपात 1999-00 से बढ़कर 0.39 प्रतिशत और 2004-05 से बढ़कर 0.41 हो गया किंतु 2011-12 में गिरकर 0.36 प्रतिशत रह गया।

(2) इसी प्रकार, आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत के लिए (95-100 प्रतिशत) उपभोग अनुपात भी मोटे तौर पर यथावत रहा अर्थात् यह 1993-94 में 3.10 और 2011-12 में 3.13 था। यह अनुपात 1999-00 में 2.77, 2004-05 में 2.83 और 2011-12 में 3.13 था।

3) आबादी के शीर्ष और निम्नतम 5 प्रतिशत की प्रवृत्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच ग्रामीण भारत में असमानता में गिरावट आई लेकिन 2004-05 और 2011-12 के बीच इसमें फिर बढ़ोत्तरी हुई। **कुल मिलाकर, ग्रामीण भारत में असमानता (अखिल भारतीय एम.पी.सी.ई. की तुलना में प्रतिशत एम.पी.सी.ई के अनुपात के रूप में मापित) समान रही है।**

शहरी भारत

(1) शहरी क्षेत्रों के लिए, अखिल भारतीय औसत उपभोग की तुलना में निम्नतम 5 प्रतिशत का उपभोग अनुपात 1993-94 और 2011-12 के बीच 0.26 से घटकर 0.24 हो गया। 1999-00 में यह अनुपात बढ़कर 0.30 हो गया और 2004-05 में 0.30 पर रहा। 2011-12 में यह फिर से घटकर 0.24 हो गया। इससे पता चलता है कि निम्नतम 5 प्रतिशत का उपभोग अनुपात अखिल भारतीय स्तरों के सापेक्ष घटा है।

(2) आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत के लिए अनुपात 1993-94 में 3.59 था जो 2011-12 में 3.91 हो गया। 1993-94 और 2004-05 के बीच यह अनुपात सापेक्षिक रूप से स्थिर रहा। 2004-05 और 2011-12 के बीच यह अनुपात बढ़कर 3.91 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि मुख्यत: 2004-05 और 2011-12 के बीच शीर्ष 5 प्रतिशत का उपभोग अनुपात सापेक्षिक रूप से अखिल भारतीय स्तरों तक बढ़ा है।

3) आबादी के शीर्ष और निम्नतम 5 प्रतिशत के रुझानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच शहरी भारत में असमानता एक समान बनी रही। **अखिल भारतीय एम.पी.सी.ई. की तुलना में प्रतिशत एम.पी.सी.ई. के अनुपात की दृष्टि से शहरी भारत में असमानता बढ़ी है।**

अखिल भारतीय एम.पी.सी.ई. की तुलना में प्रतिशत-वार मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का अनुपात

	ग्रामीण				शहरी			
प्रतिशत	1993-94	1999-00	2004-05	2011-12	1993-94	1999-00	2004-05	2011-12
0-5%	0.36	0.39	0.41	0.36	0.29	0.30	0.30	0.27
5-10%	0.47	0.50	0.51	0.47	0.38	0.38	0.38	0.35
10-20%	0.54	0.57	0.58	0.55	0.46	0.45	0.45	0.43
20-30%	0.63	0.66	0.66	0.63	0.54	0.54	0.53	0.52
30-40%	0.71	0.74	0.74	0.71	0.63	0.63	0.62	0.62
40-50%	079	0.82	0.82	0.79	0.72	0.72	0.71	0.72
50-60%	0.89	0.92	0.90	0.89	0.83	0.84	0.83	0.83
60-70%	1.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.98	0.98	0.97
70-80%	1.16	1.17	1.15	1.15	1.19	1.18	1.18	1.16
80-90%	1.42	1.41	1.37	1.40	1.52	1.50	1.54	1.48
90-95%	1.78	1.75	1.72	1.79	2.02	1.98	2.06	2.03
95-100%	3.10	2.77	2.83	3.13	3.59	3.59	3.58	3.91

नोट:

1. एन.एस.एस. रिपोट्र सं. 58 "लेवेल एंड पैटर्न ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडीचर, 2004-05" से लिए गए 50वें, 55वें और 61वें दौरा के लिए 1993-94 के मूल्यों पर अंशवार एम.पी.सी.ई.

2. 68वें दौर (2011-12) के लिए एन.एस.एस. रिपोर्ट 558 (68/1.0/2) "हाउसहोल्ड कंजप्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया" से लिए गए अंशवार एम.पी.सी.ई.। अंशवार और प्रतिशत के बीच परिवर्तन के लिए एन.एस.एस. के 68वें दौर की रिपोर्ट देखें।

3. 2011-12 एम.पी.सी.ई. ग्रामीण सी.पी.आई.-एल. का उपयोग करते हुए अवस्फीत तथा शहरी सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. का उपयेग करते हुए अवस्फीत। एन.एस.एस. की रिपोर्ट सं. 58 में सी.पी.आई.-ए.एल. का उपयोग करते हुए 55वें और 61वें दौर के ग्रामीण एम.पी.सी.ई. को अवस्फीत किया गया, इसलिए उसी सूचकांक का उपयोग किया गया है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में 55वें और 61वें दौर के लिए सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई. का उपयोग किया गया। इस श्रृंखला को जनवरी, 2011 से छोड़ दिया गया। अत:, 2011-11 के लिए शहरी एम.पी.सी.ई. को सी.पी.आई.-आईडब्ल्यू का उपयोग करते हुए 1993-94 के मूल्यों पर अवस्फीत किया गया।

[अनुवाद]

रूस के साथ व्यापार

2496. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा व्यापार में सुगमता रेकिंग को अपनाते हुए रूस के साथ सहयोग करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मामले में भारत और रूस के विदेश मंत्रालयों के बीच हुए किसी भी पत्राचार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच सुगम व्यापार के लिए प्लेटफार्म का निर्माण करने में कोई प्रगति हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेश मंत्रालय की रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा भारत की स्थिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से निपटने की योजना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आई.आर.आई.जी.सी.-टी.ई.सी.) के तत्वावधान में परस्पर हित के सभी व्यापारिक तथा आर्थिक मुद्दों पर भारत और रूस चर्चा करते हैं। आई.आर.आई.जी.सी.-टी.ई.सी. के तहत कई कार्यसमूह हैं जिसके तहत विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जैसे आधुनिकीरण तथा औद्योगिक सहयोग, प्राथमिकता वाली निवेश परियोजनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, बैंकिंग तथा वित्तीय मामले आदि।

(ख) इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं हुआ है।

(ग) दिसंबर 2017 में आयोजित आई.आर.आई.सी.जी.सी.-टी.ई.सी. की सह-अध्यक्षता वाली बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त कार्यसमूह के स्तर को बढ़ाकर उपमंत्री/वाणिज्य सचिव के स्तर को बनाने और कारोबार संबंधी अड़चनों यदि कोई हो, पर चर्चा कर इन्हें दूर करने हेतु एक तंत्र सृजित करने का निर्णय लिया। कृषि तथा भेषज संबंधी कार्यसमूहों का भी गठन किया गया। रूस से भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्ट इंडिया में 'रूस प्लस' के नाम से एक सिंगल विंडो सुलभता तथा सुविधा तंत्र तैयार किया गया है। कनेक्टिविटी तथा व्यापार में तेजी लाने के लिए दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को प्रचालित करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने के प्रयोजनार्थ नियमित संपर्क में हैं। सोची में आयोजित अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने कारोबार तथा निवेश में अधिकाधिक तालमेल का पता लगाने के लिए भारत के नीति आयोग तथा रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच एक रणनीतिक आर्थिक वार्ता तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और इस संबंध में गाजप्रॉम तथा गेल के बीच एक दीर्घकालिक करार के तहत जून 2018 से एल.एन.जी. की खेप पहुंचने का स्वागत किया।

(घ) भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिदेशित प्रतिबंधों का समर्थन करता है और किसी एकपक्षीय प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है।

ई एंड वी बैंडों में एयरवे को लाइसेंस मुक्त करना

2497. डॉ. कंभमपति हरिबाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें कंपनियां सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई स्पेस को प्रचारित करने हेतु ई एंड वी में एयरवेव को लाइसेंस मुक्त करने को रोकने का प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए वर्तमान में लाइसेंस मुक्त 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5.8 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को उपयोग करने में क्या समस्याएं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ई एंड वी को कम करने की स्थिति में राजकोष को होने वाली हानि का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) सरकार को "माइक्रोवेव अभिगम (एम.डब्ल्यू.ए.) और माइक्रोवेव बैकबोन (एम.डब्ल्यू.बी.) आर.एफ. संवाहक के आबंटन और मूल्य' जिसमें 'ई एंड वी' पर सिफारिशें भी सम्मिलित हैं, विषय पर दिनांक 29.08.2014 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त हुई थी।

अन्यों के साथ-साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि 'ई बैंड और 'वी' बैंड को "लाइट टच विनियम" के साथ खोला जाना चाहिए और आबंटन "लिंक टू लिंक" आधार पर होना चाहिए।

सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जिन्हें ट्राई द्वारा 17.11.2015 के अपने पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया था। ट्राई

ने, अन्यों के साथ-साथ, दिनांक 17.11.201 को दिए गए अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि वी बैंड को, वाई-फाई हॉटस्पॉट इत्यादि जैसी इनडोर और आऊटडोर आधारित अभिगम एप्लीकशनों के लिए लाइसेंस मुक्त कर देना चाहिए।

कुछ उद्योग संघों ने भी वी बैंड के लाइसेंस मुक्त उपयोग की अनुमति के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जबकि, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) ने सरकार को वी बैंड को लाइसेंस मुक्त करने के खिलाफ लिखा है। सी.ओ.ए.आई. ने केवल दूरसंचार सेवा प्रदातओं को ई एंड वी बैंडों के आबंटन का समर्थन किया है।

उद्योग के उक्त सुझावों और ट्राई की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जिन फ्रिक्वेंसी बैंडों को वर्तमान में लाइसेंस मुक्त उपयोग के लिए अनुमति दी गई है वे निम्नानुसार हैं:

iv. इंडोर के साथ-साथ आऊटडोर में 2400-2483.5 मेगाहर्ट्ज

v. इंडोर के साथ-साथ आऊटडोर में 5825-5875 मेगाहर्ट्ज

vi. केवल इंडोर में 5150-5350 मेगाहर्ट्ज, 5725-5875 मेगाहर्ट्ज

(ग) 'ई' और अथवा 'वी' बैंड को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इस स्तर पर सरकारी राजकोष को होने वाली किसी प्रकार की हानि की कल्पना करना आनुमानिक हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटलीजेन्स

2498. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की थल सेना के वर्चस्व के लिए इसमें आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस (ए.आई.) को शामिल करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस प्रकार से ए.आई. सशस्त्र बलों की संपूर्ण क्षमता को प्रभावित करेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) से (ग) कृत्रिम आसूचना (ए.आई.) अनिवार्यत: दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी है जो प्रौद्योगिकी से प्रेरित आर्थिक विकास में बढ़ोत्तरी कर सकती है और इसमें सैन्य श्रेष्ठता प्रदान करने की क्षमता है। भारत के सशक्त आई.टी. उद्योग और इंजीनियरों के पूल के आधार पर इस मंत्रालय ने कृत्रिम आसूचना के उपयोग में भारतीय रक्षा सेनाओं को तैयार करने और कृत्रिम आसूचना क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम आसूचना की सामरिक जटिलताओं का अध्ययन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में कृत्रिम आसूचना के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एक बहु-पणधारी कार्यबल का श्री एन. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, टाटा सन्स की अध्यक्षता में फरवरी, 2018 में गठन किया गया था जिसमें सरकार, सेनाओं, अकादमी, उद्योग, व्यावसायिक कार्मिक और स्टार्ट-अप्स शामिल थे।

कृत्रिम आसूचना के एक वैश्विक संवीक्षा सहित संदर्भ के संबंध में भारत में कृत्रिम आसूचना विकास के स्तर का सामान्य रूप से और रक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन करने तथा रक्षा क्षेत्र में, मुख्यत: विमानन, नौसैन्य, भू-प्रणालियों, साइबर, परमाणु एवं जैविक युद्ध-प्रणाली, जिसमें कृत्रिम आसूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने सहित रक्षात्मक एवं असुरक्षात्मक, दोनों सहित भारत को कृत्रिम आसूचना की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए; रक्षा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सशस्त्र कृत्रिम आसूचना को नियमित एवं प्रोत्साहित करने के लिए अपेक्षित नीति एवं संस्थागत हस्तक्षेप के लिए सिफारिशें, स्टार्ट-अप्स/वाणिज्यिक उद्योग के साथ काम करने तथा स्टार्ट-अप्स के साथ काम करने के लिए उपयुक्त कार्य-नीतियों की सिफारिश करना शामिल था।

कार्यबल ने माननीय रक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट 30 जून, 2018 को प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

जीर्ण-शीर्ण सड़कें

2499. **श्री गोपाल शेट्टी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों/महानगरों में रक्षा परिसरों के समीप सघन आवासों के नजदीक जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत हेतु रक्षा मंत्रालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद भी रक्षा अधिकारी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में सी.सी.टी.वी. कैमरे और सुरक्षोपाय

2500. श्रीमती किरण खेर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी रेलगाड़ियों के रेलडिब्बों के अंदर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलडिब्बों के अन्दर अपराधों की सूचना देने हेतु विशेषकर रेलगाड़ी जब किसी बिना नेटवर्क-कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र से गुजर रही हो, स्थापित किए गए आपातकालीन शिकायत तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक रेलगाड़ी पर तैनात रेल पुलिसकर्मियों को क्या अधिदेश दिया गया है और क्या इसमें गत कुछ वर्षों में संशोधन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलगाड़ियों संबंधी सुरक्षोपाय सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने सभी गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का विनिश्चय किया है।

(ग) गाड़ियों में किसी भी प्रकार के अपराध का पता लगाने सहित यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा संबंधी सहायता मुहैया कराने के लिए, संपूर्ण भारतीय रेल पर रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मानवीय माध्यम से अखिल भारतीय सुरक्षा हैल्पलाइन 182 शुरू किया गया है। हैल्पलाइन प्रणाली के निर्बाध संचलन को सुनिश्चत करने के लिए सुरक्षा हैल्पलाइन 182 के संचालन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है। इसे यात्रियों के लिए और अधिक अनुकूल और प्रभावी बनाने के लिए ए.पी.पी. के साथ सुरक्षा हैल्पलाइन 182 के एकीकरण की परिकल्पना की गई है। 5.59 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर सुरक्षा हैल्पलाइन 182 को अपग्रेड किया गया है।

नेटवर्क संपर्कता की समस्या के मामले में, सहायता पाने अथवा आने वाले जी.आर.पी. पुलिस स्टेशन पर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने के इच्छुक यात्री आर.पी.एफ./राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, रेलवे के वाणिज्यिक विभाग और गार्डों से भी संपर्क कर सकते हैं।

(घ) अपराध को रोकना और पता लगाना, एफ.आई.आर. दर्ज करना, उनकी जांच करना और रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वहन वे राजकीय रेल पुलिस के जरिए करते हैं। रेल सुरक्षा बल रेलों पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अपने कर्मियों को तैनात करके संबंधित राज्य की राजकीय रेल पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

2003 से पहले, आर.पी.एफ. की भूमिका और जिम्मेदारी केवल रेलवे सम्पति की संरक्षा और सुरक्षा तक सीमित थी। वर्ष 2003 में, रेलवे अधिनियम, 1989 और रेसुब अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया था और रेलवे परिसम्पत्ति के अतिरिक्त यात्री क्षेत्र की संरक्षा और सुरक्षा, यात्रियों और इससे संबंधित मामलों को शामिल करने के लिए आर.पी.एफ. के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के चार्टर का विस्तार किया गया था। बहरहाल, आई.पी.सी. के तहत यात्री संबंधी अपराधों से निपटने के लिए संगत कानूनी शक्तियां आर.पी.एफ. के पास नहीं हैं और मामलों को दर्ज करने और उनकी जांच करने की शक्तियां अभी भी अनन्य रूप से संबंधित राज्य की जी.आर.पी. के पास मौजूद हैं।

(ङ) रेलें, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के माध्यम से भारतीय रेलवे पर सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए संबंधित राज्यों की जी.आर.पी. के प्रयासों में सहायता करती है। सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों में जी.आर.पी. द्वारा 2200 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा, रेल सुरक्षा बल द्वारा 2500 गाड़ियों (प्रतिदिन औसतन) का मार्गरक्षण किया जाना, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण, सुरक्षा हैल्पलाइन सं. 182 का परिचालन और उन्नयन, सी.सी.टी.वी. कैमरों से निगरानी, रेलवे अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाना, महिला यात्रियों की सुरक्षा, बच्चों को बचाना, आदि शामिल हैं। राज्य पुलिस/जी.आर.पी. प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर नियमित रूप से समन्वय बनाए रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रेलवे के लिए नियमित रूप से निगरानी करने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए संबंधित महानिदेशक पुलिस/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) के लिए

रेलवे संबंधी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एस.एल.एस.सी.आर.) का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में कार्यरत भारतीय

2501. **श्री अशोक महादेवराव नेते** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने भारतीय नागरिक विदेशों में मात्र मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन देशों के क्या नाम हैं जहां वे कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त सभी मजदूर सरकारी मानदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा उन्हें अवैध रूप से कार्य पर लगाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मंत्रालय के अधीन श्रमिक प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) यह मंत्रालय उत्प्रावसन जांच अपेक्षित (ई.सी.आर.) पासपोर्ट धारक कामगारों सहित 18 अधिसूचित ई.सी.आर. देशों; अर्थात अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, ईराक, जोर्डन, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के उत्प्रवासन संबंधी आंकड़े रखता है। पिछले तीन वर्षों में श्रमिकों के रूप में विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों को जारी उत्प्रवासन स्वीकृति की देश-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ई.सी.आर. पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों को विभिन्न कार्यों जैसे राजमिस्त्री, श्रमिक, बढ़ई, सहायक, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए भर्ती किया जाता है। हाल ही के वर्षों में खाड़ी देशों में आर्थिक मंदी के कारण कुछ कंपनियों ने अपने कर्मियों को या तो दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित/पुनर्नियोजित कर दिया है या उन्हें वापस भारत भेज दिया है। कभी-कभी ऐसी पुनर्नियोजन से कार्य की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है जो कि अवैध नहीं है, क्योंकि कामगार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। रोजगार के लिए अवैध रूप से विदेश जाने वाले कामगारों के बारे में सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) उत्प्रवासी महासंरक्षी के पर्यवेक्षण में भारत में दस उत्प्रवासी संरक्षक (पी.ओ.ई.) कार्यालयों को 18 ई.सी.आर. देशों में रोजगार के लिए वैध रूप से जाने वाले भारतीय कामगारों के संरक्षण और कल्याण का कार्य पहले ही सौंपा दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2018 तक) के दौरान ई.सी.आर. देशों में विदेशी रोजगार के लिए श्रमिकों के रूप में ई.सी.आर. पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों को दी गई उत्प्रवासन स्वीकृति

क्र.सं.	देश का नाम	2015	2016	2017	2018 (30.06.2018 तक)
1.	बहरीन	71	938	1615	308
2.	जोर्डन	63	468	642	171
3.	कुवैत	1098	1756	10830	5399
4.	लेबनान	89	276	95	43
5.	कतर	1271	2703	1870	2064
6.	सऊदी अरब	14360	65046	35130	18267
7.	संयुक्त अरब अमीरात	215	9217	10684	3434
	कुल	17167	92404	60866	29686

राजस्थान में नई रेल लाइनें

2502. डॉ. रघु शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 2014 से आज की तारीख तक वर्ष-वार राजस्थान के लिए स्वीकृत नई रेल लाइनों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं उन पर अब तक वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है;

(ख) इस संबंध में वर्ष-वार किए गए व्यय सहित जून 2014 से आज की तारीख तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई ट्रेनें शुरू करने तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या विभाग का विचार अजमेर-सवाई माधोपुर (चौथ का बरवाड़ा) वाया केकड़ली को स्वीकृति देने का है;

(घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में बनाई गई कार्ययोजना तथा तैयार की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभाग का विचार पुष्कर से मेड़ता के बीच रेल लाइन स्वीकृत करने का है और यदि हां तो सरकार द्वारा आज की तारीख तक बनाई गई कार्ययोजना तथा तैयार की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे द्वारा देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टी-स्टालों, बुक स्टालों आदि आवंटित करने के वर्तमान नियम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क), (ग) और (घ) 2014 से राजस्थान में आंशिक/पूर्ण रूप से पड़ने वाली 3 नई लाइन परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बजट में शामिल होने का वर्ष	नवीनतम प्रत्याशित लागत	मार्च 2018 तक व्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	टोंक के रास्ते अजमेर (नसीराबाद-सवाईमाधोपुर) (चौथ का बरवाड़ा) (165 किमी.)	2015-16	873.71	0.10	परियोजना इस शर्त पर स्वीकृत की गई थी कि राजस्थान सरकार अपने प्रतिबद्धता के अनुसार नि:शुल्क भूमि मुहैया कराएगी और निर्माण लागत में 50% की साझेदारी करेगी. अब राज्य सरकार ने इसे पूरा करने में असक्षमता व्यक्त की है। बहरहाल, परियोजना के लिए 5.4 करोड़ रु. की लागत पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
2.	नीमच-छोटी सादड़ी-बड़ी सादड़ी (48 किमी.)	2017-18	495.18	0.50	परियोजना को बजट में शामिल कर लिया गया है जो सरकार से अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है परियोजना की प्रतिफल की दर ऋणात्मक अर्थात (-)3.51% है।

1	2	3	4	5	6
3.	अंबाजी के रास्ते तरंगा हिल-आबू रोड (89.38 किमी.)	2017-18	1695.72	0.1	परियोजना को बजट में शामिल कर लिया गया है जो सरकार से अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन है। विस्तृत परियेजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है परियोजना की प्रतिफल की दर ऋणात्मक अर्थात (-)6.59% है।

(ख) स्टेशन का अपग्रेडेशन एक सतत् और चालू प्रकिया है और इस संबंध में कार्य शुरू करना आवश्यकता, पैसेंजर यातायात का वॉल्यूम, कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्टेशनों के अपग्रेडेशन का कार्य विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं जेसे मॉडल स्टेशन योजना, मॉडर्न स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना के तहत शुरू किया गया है। वर्तमान में, स्टेशनों का "आदर्श स्टेशन योजना" के तहत विकास किया जाता है जिसे 2009-10 से शुरू किया गया है। आदर्श स्टेशनों में बाहर का परिदृश्य, प्रतीक्षाकक्ष, सर्कुलेटिंग क्षेत्र के लैंडस्केपिंग में सुधार करने, संकेतकों, पे एण्ड यूज शौचालयों की व्यवस्था करना, प्लेटफार्म, फुट ओवर ब्रिज, वाटर कूलर, यात्री आरक्षण प्रणाली, आदि जैसी अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के कार्य किए जाते हैं। 2009-10 से राजस्थान राज्य में इस योजना के तहत विकास के लिए 40 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। इनमें से, 09 स्टेशनों को 2014-15 से आज की तारीख तक चिह्नित किया गया है और इन्हें 2018-19 तक पूरा किए जाने की योजना है।

आदर्श स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के विकास के उपगत व्यय को सामान्यतया योजनाशीर्ष-यात्री सुविधाएं के तहत वित्तपोषित किया जाता है और इसे क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार राजस्थान राज्य अधिकांशत: उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है और यहां कुछ भाग उत्तर रेलवे, उत्तर मध्यम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे का भी पड़ता है। 2014-15 से, इन क्षेत्रीय रेलों द्वारा अभी तक योजना शीर्ष-यात्री सुविधायें के तहत 1511.07 करोड़ रु. का व्यय किया जा गया है।

इसी तरह, भारतीय रेलें, रेलगाड़ियां क्षेत्र-वार चलाती हैं न कि राज्य-वार, जिनका क्षेत्राधिकार राज्य की सीमाओं के पार होता है। जून, 2014 से जून, 2018 तक की अवधि के दौरान, भारतीय रेलवे ने राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न स्टेशनों ऑरिजिनेट/टर्मिनेट होने वाली 11 जोड़ी पैसेंजर और 19 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाई हैं।

(ङ) पुष्कर-मेड़ता (59 किमी.) नई लाइन परियोजना को बजट 2013-14 में शामिल किया गया है जो सरकार के अपेक्षित अनुमोदनों के अध्यधीन है। राजस्थान सरकार से परियोजना के लिए नि:शुल्क भूमि मुहैया कराने और निर्माण लागत की 50% साझेदारी करने का अनुरोध किया गया है। परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि यह वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है। और बड़ी संख्या में चालू परियोजनाओं का कार्य भी बकाया है।

(च) दिनांक 27.02.2018 के खान-पान नीति 2017 के अनुसार, चाय-स्टॉल सहित खान-पान स्टॉल निविदा प्रणाली के माध्यम से सबसे बड़े पात्र बोलीकर्ता को आबंटित किया जाना है। यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेशन पर खान-पान इकाई की आवश्यकता के अनुसार मंडलों द्वारा समय-समय पर निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

रेल मंत्रालय ने दिनांक 05.09.2017 को एक नई बहुउद्देशीय स्टॉल नीति (एम.पी.एस.) अधिसूचित की है। इस एम.पी.एस. नीति के अनुसार, सभी विविध/कलाकृति स्टॉल, बुक स्टॉल (लोकहितैषी से इतर), कैमिस्ट स्टॉल/कॉर्न को एम.पी.एस. नीति 2017 के दायरे में लाया गया है। तद्नुसार, सभी कोटि के स्टेशनों पर एम.पी.एस. का आबंटन ई-टेण्डरिंग/सामान्य टेण्डरिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वित्तीय बोली, पात्र बोलीकर्ता से मंगायी जाएगी और लाइसेंस सबसे बड़े पात्र बोलीकर्ता को प्रदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारत-आसियान संबंध

2503. श्री राजीव प्रताप रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'आसियान' देशों के साथ विशेष और भिन्न व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेवा-क्षेत्र के व्यवसाय

हेतु नियम लाने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार संबंधी बाधाओं को समाप्त करने और 'आसियान' देशों के साथ कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) हाल ही में 'आसियान' देशों के साथ हस्ताक्षरित व्यापार, वाणिज्य, सैनिक इत्यादि संबंधी समझौतों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है और आसियान देशों और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इससे किस प्रकार लाभ मिलेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन के कम विकसित देशों को छूट देने के निर्णय के अनुसरण में भारत ने सितंबर 2015 में निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कम विकसित देशों को प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार करने का प्रस्ताव किया है:

i. कम विकसित देशों के आवेदकों को वीजा शुल्क से छूट;

ii. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम; और

iii. कुछ सेवा क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच और पेशेवरों का आवागमन।

आसियान सदस्य राष्ट्रों में से तीन कम विकसित देशों अर्थात कंबोडिया, लाओ, म्यांमार से प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार करने का प्रस्ताव किया गया।

(ख) भारत ने 6 अक्टूबर 2016 को स्वदेशी विनियम संबंधी विश्व व्यापार संगठन की बैठक के कार्यदल में "सेवाओं में व्यापार की सुविधा पहल के लिए अवधारणा पत्र" (एस./डब्ल्यू.पी.डी.आर./डब्ल्यू./55) प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में इस बात पर चर्चा शुरू करना था कि आपूर्ति के सभी तरीकों में सीमा और सीमा के पीछे की असंख्य बाधाओं, जो सेवा व्यापार की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में बाधक हैं, को व्यापक रूप से कैसे दूर किया जाए। वस्तु व्यापार की सुविधा के लिए 2014 में विश्व व्यापार संगठन सदस्यों द्वारा अंगीकृत व्यापार सुविधाकरण करार की भांति सेवाओं में सुव्यवस्थित व्यापार की सुविधा से विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को सेवाओं में व्यापार की क्षमता में विशेष रूप से वृद्धि होगी।

इसके बाद, भारत ने 14 नवंबर 2016 को विश्व व्यापार संगठन में "सेवा करार के अंतर्गत व्यापार सुविधा के संभावित तत्व" विषय पर पर एक अनुवर्ती प्रस्ताव (एस./डब्ल्यू.पी.डी.आर./डब्ल्यू./57) प्रस्तुत किया है जिसमें भारत द्वारा संकल्पित सेवा करार के अंतर्गत व्यापार सुविधा के संभावित तत्वों का अधिक विस्तृत तरीके से उल्लेख है।

22 फरवरी 2017 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के बीच परिचर्चा में सहायता प्रदान करने और इस कार्यसूची को आगे ले जाने के लिए विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार सुविधा विषयक विधिक पाठ का प्रारूप प्रस्तुत किया। हमारे प्रस्ताव पर विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न सेवा निकायों में चर्चा की गई। भारतीय प्रस्ताव पर सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर भारत ने 27 जुलाई 2017 को सेवा-विशेष सत्र में सेवाओं में व्यापार की सुविधा संबंधी एक संशोधित मसौदा पाठ सदस्यों के विचारार्थ व्यापार परिषद में प्रस्तुत किया।

(ग) सेवाओं में व्यापार और निवेश व्यापार संबंधी भारत-आसियान करार पर 1 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में 29 मई-02 जून 2018 तक प्रधानमंत्री की सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान इन देशों के साथ रक्षा संबंधी दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य के नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग, नौसेना जहाजों के लिए संभारगत और सेवा सहायता, पनडुब्बी और नौसेना विमानों (जहाज पर उड्डयन परिसंपत्तियों सहित) के आवागमन से संबंधित एक कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान संतुलन आंकडों के एक भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विपक्षीय सेवा व्यापार के आंकड़े कुछ चेतावनियों के साथ केवल आंतरिक उपयोग के लिए जारी किये जाते हैं, क्योंकि निर्यात आंकड़ें विशिष्ट रूप से सेवा व्यापार के लिए एकत्र नहीं किये जाते हैं बल्कि भुगतान संतुलन के रूप में एकत्र किये जाते हैं। अत: इन्हें सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं किया जाता है।

लक्ज़री रेलगाड़ियां

2504. श्री पी.सी. मोहन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा कितनी लक्जरी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है और इन लक्जरी रेलगाड़ियों द्वारा कितनी आय अर्जित की गई है;

(ख) क्या ये रेलगाड़ियां नुकसान में चल रही हैं और यदि हां, तो उक्त नुकसान के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे विभिन्न श्रेणियों के लोगों को अनुपूरक अथवा नि:शुल्क पास जारी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लक्जरी रेलगाड़ियों के राजस्व को बेहतर बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) भारतीय रेल इस समय राज्य पर्यटन निगमों/इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.आर.सी.टी.सी.) के सहयोग से पांच लग्ज़री पर्यटक गाड़ियों यथा पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स (29.12.2017 को शुरू की गई), डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चेरिएट और महाराजा एक्सप्रेस का परिचालन कर रही है। पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान इन रेलगाड़ियों द्वारा अर्जित आय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	परिचालित फेरों की संख्या	यात्रियों की संख्या	अधिभोगिता %	अर्जित राजस्व (करोड़ रु. में)
पैलेस ऑन व्हील्स - राजस्थान पर्यटन विकास निगम				
2014-15	35	2024	56	35.71
2015-16	35	1739	48	33.47
2016-17	33	1373	40	27.11
2017-18	33	1498	60	27.59
डेक्कन ओडिसी - महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम				
2014-15	16	405	29	5.10
2015-16	23	631	33	5.60
2016-17	25	643	32	9.51
2017-18	21	879	52.5	12.76
गोल्डन चैरिएट - कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम				
2014-15	11	336	34.7	5.47
2015-16	9	231	30.2	4.74
2016-17	11	336	34.7	5.49
2017-18	8	291	41.34	2.61
महाराजा एक्सप्रेस - इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन				
2014-15	34	1129	57.42	47.58
2015-16	29	1013	51.68	45.79
2016-17	31	894	39.31	41.38
2017-18	28	945	40.18	42.11
हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स - राजस्थान पर्यटन विकास निगम				
2014-15	2	44	21.15	0.21

(ख) पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स और गोल्डन चैरियट को राजस्व साझाकरण के आधार पर परिचालित किया जाता है जबकि डेक्कन ओडिसी और महाराजा एक्सप्रेस को संबंधित निगमों को होने वाले वास्तविक लाभ/हानि को छोड़कर संबंधित पर्यटन निगमों द्वारा ढुलाई शुल्क के भुगतान या राजस्व साझाकरण व्यवस्था के आधार पर परिचालित किया जाता है। भारतीय रेलें इन गाड़ियों की केवल एक परिचालक हैं और इन गाड़ियों के लिए अलग से लाभ/हानि का हिसाब नहीं रखती हैं। इन लग्जरी पर्यटक गाड़ियों की टिकट व्यवस्था और विपणन, संबंधित एस.टी.सी./आई.आर.सी.टी.सी. का अनन्य उत्तरदायित्व है। इन रेलगाड़ियों के विपणन या ऑन-बोर्ड सेवाओं के प्रावधान में भारतीय रेल की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय रेल, रेलवे अधिकारियों को रेलगाड़ियों के परिचालन और यात्री सुविधाओं के सभी पहलुओं का विस्तार से निरीक्षण करने और इन गाड़ियों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए नए अभिनव विचार प्रदान करने के उद्देश्य से इन गाड़ियों पर यात्रा करने की अनुमति देती है।

(ङ) लग्ज़री पर्यटक गाड़ियों को बढ़ावा देना संबंधित गाड़ी परिचालक पर्यटन निगमों/आई.आर.सी.टी.सी. का उत्तरदायित्व है। इन गाड़ियों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य पर्यटन निगम/आई.आर.सी.टी.सी. समय-समय पर कई कदम उठाता है जैसे कि ट्रेवल एजेंटों/पर्यटकों के लिए अतिरिक्त कमीशन/छूट/प्रोत्साहन, ट्रैवल मार्ट में भागीदारी, मीडिया में विज्ञापन/प्रचार आदि। बहरहाल, भारतीय रेल ने इन गाड़ियों के वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम परिचालन के लिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (के.एस.टी.डी.सी.) को बोर्ड के दिनांक 17.11.2017 और 31.01.2018 के पत्रों के तहत क्रमश: हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स और गोल्डन चेरियट को राजस्व में साझेदारी के आधार पर चलाने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, लग्ज़री पर्यटन गाड़ियों की ढुलाई प्रभार नीति को भी उदार बनाया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2018 में मौजूदा ढुलाई प्रभारों में 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

निजी क्षेत्र में कोयला उत्पादन

2505. **डॉ. कुलमणि सामल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ओडिशा की खानों में कोयले के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों को अनुमति देने के पश्चात् कोयला उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला-उत्पादन का अनुपात कितना है और निजी क्षेत्र के कोयला उत्पादन की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने निजी कम्पनियों द्वारा उत्पादित कोयले का किस प्रकार उपयोग किया है और इससे कितना राजस्व प्राप्त किया है; और

(ङ) उक्त निजी कोयला कम्पनियों द्वारा सरकार को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी रॉयल्टी दी गई है?

रेल मंत्री, कोयला मंत्री, वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : (क) ओडिशा की खानों में कच्चे कोयले का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 139.36 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 143.33 मि.ट. हो गया है।

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा कोयले का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 34.08 मि.ट. से बढ़कर 2017-18 में 34.75 मि.ट. हो गया है।

(ग) कंपनी-वार कोयले के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

कंपनी	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (अनंतिम)
सी.आई.एल	554.14	567.36
एस.सी.सी.एल.	61.34	62.01
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र	8.31	12.36
निजी	34.08	34.75
अखिल भारत	657.87	676.48

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन किया गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 प्रत्येक में अखिल भारत कोयला उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा कोयले के उत्पादन का अनुपात लगभग 5% था।

(घ) निजी कंपनियों को आवंटित कोयला खानों के मामले में कोयले का उत्पादन केवल कैप्टिव उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग आवंटिती के निर्दिष्ट अंतिम उपयोग संयंत्रों में ही किया जा सकता है। इन कोयला खानों से प्राप्त राजस्व को उन संबंधित मेजबान राज्यों के पास जमा कराया जाता है जहां कोयला खानें स्थित हैं और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) निजी कोयला कंपनियों द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को दी गई रॉयलटी से संबंधी सूचना का अनुरक्षण कोयला मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

चेन्नै और पोर्ट ब्लेयर के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल

2506. **श्री बिष्णु पद राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में चेन्नै से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. सरकार ने मुख्यभूमि भारत (चेन्नै) से अंडमान और निकोबार के आठ (8) द्वीपों नामत: पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, छोटा अंडमान, हैवलॉक, कमोर्टा, ग्रेट निकोबार, रंगत द्वीप तथा लॉग द्वीप तक समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछाने के लिए एक परियोजना को अनुमोदित किया है। बी.एस.एन.एल. को परियोजना निष्पादन अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। बी.एस.एन.एल. ने दिनांक 26.06.2018 को अपने विक्रेता (एन.ई.सी.) को क्रय आदेश (पी.ओ.) दिए हैं।

ii. उक्त परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा बी.एस.एन.एल. द्वारा कार्य सौंपने से दो वर्ष तक है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को लाइसेंस

2507. **श्री सरफराज आलम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने पर निजी कंपनियों को यात्री निवास और सस्ते होटलों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के पश्चात् उनकी नियमित अंतराल पर जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाइसेंस प्रदान करने के लिए निविदा जारी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने लाइसेंस जारी करने और रद्दीकरण की शर्तों हेतु कमरा शुल्क उत्तरदायित्व को साझा करने की शर्त के संबंध में आदर्श संविदा की अभिकल्पना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवास स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बहरहाल, सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से बहु कार्यात्मक परिसरों (एम.एफ.सी.) के हिस्से के रूप में बजट होटलों के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं, बशर्ते उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता मौजूद हो जिसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए ठेके प्रदान किए जाते हैं। एम.एफ.सी. के विकास संबंधी मॉडल विकास समझौते में रेलवे भूमि को लीज़ पर देने से संबंधित कार्यविधियां और लीज़ रद्द किए जाने संबंधी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, जब कभी आवश्यक होता है, निर्मित/निर्माणाधीन परिसरों के लिए निविदा प्रकिया पूरी होने के बाद ठेके के प्रवधानों के अनुसार पूछताछ और निरीक्षण किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नेनो कार्बन कणों का उत्सर्जन

2508. **श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अध्ययन के बारे में जानकारी है जिसमें यह पाया गया है कि सी.एन.जी. बसें नेनो कार्बन कणों का उत्सर्जन करती हैं जिससे कैंसर होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) जी हां। सी.एस.आई.आर.-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.), देहरादून ने वर्ष 2011-12 में यूनिवर्सिटी ऑव अल्बर्टा, कनाडा के सहयोग से रीअल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में कणों के उत्सर्जन को मापने के लिए सड़क पर 2 सी.एन.जी. और 2 डीजल बसों पर अध्ययन किया।

(ख) सी.एन.जी. की दोनों बसों तथा एक डीजल बस का कलगैरी, कनाडा में परीक्षण किया गया जबकि दूसरी डीजल बस का देहरादून, भारत में परीक्षण किया गया। इस अध्ययन

के परिणाम प्रकाशित किए गए (संदर्भ: प्रोसीडिंग्स ऑव द 8th इन्टनेशनल क्रांफ्रेंस ऑन इन्टरनल कम्बशन इंजिस 2014, आई.सी.आई.सी.ई. 8-ए-11-655-1)। यह देखा गया कि डीजल पार्टिक्यूलेट फिल्टर (डी.पी.एफ.) रहित डीजल बसों की तुलना में सी.एन.जी. बसें लगभग 200 गुणा कम कण उत्पन्न करती हैं जबकि डीजल पार्टिक्यूलेट फिल्टर (डी.पी.एफ.) से सज्जित डीजल बस की तुलना में 35 गुणा अधिक कण उत्पन्न करती हैं। डीजल अथवा सी.एन.जी. बसों से उत्सर्जित कणों का विषाक्तता अध्ययन नहीं किया गया और इस प्रकार कैंसर सहित स्वास्थ्य पर इनके प्रभावों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

सार्वजनिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी दस्तावेजों (संलग्न विवरण में दिया गया) से पता चलता है कि डीजल अथवा सी.एन.जी वाहनों द्वारा उत्सर्जित कणों की विषाक्तता का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है जो अनेक तथ्यों यथा, स्रोत ईंधन गुणवत्ता, इंजिन की विशेषताओं और ड्राइविंग कंडीशंस पर निर्भर करता है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है।

(ग) सी.एस.आई.आर.-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.), देहरादून द्वारा स्वास्थ्य पर प्रभावों को समझने के लिए कणों के उत्सर्जनों संबंधी कोई विषाक्तता अध्ययन नहीं किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अपेक्षित अंतराक्षेप समय-समय पर प्रस्तुत करता रहा है।

विवरण

1. नोर्मेन वाई. काडो, और अन्य "एमिशंस ऑव टॉक्सिक पॉल्यूटेंटस फ्रोस कम्प्रेस्ड नेचूरल गैस एंड लो सल्फर डीजल-फ्यूल्ड हेवी ड्यूटी ट्रांजिट बसेज टेस्टेड ऑवर मल्टीपल ड्राइविंग साइकल्स" एंवाइरन, साइ. टेक्नोल., 2005, 36 (19), पी.पी. 7638-7649।

2. लिजा पिरजोला और अन्य "फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टेराइजेशन ऑव रीअल-वर्ल्ड पार्टिकल नंबर एंड मास एमिशंस फ्रोम सिटी बसेज इन फिनलैंड". एंवाइरन. साइ. टेक्नोल., 2016, 50 (1), पी.पी. 294-304।

3. प्रतिम बिस्वास और अन्य, "नैनोपार्टिकल्स एंड द एंवायरन्मेंट" जर्नल ऑव़ द एयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वॉल्यूम 55, 2005, इश्यू 6, पृष्ठ 708-746।

4. ब्रिट ए. होल्मैन और अन्य, "अल्ट्राफिन पी.एम. एमिशंस फ्रोम नेचुरल गैस ऑक्सीडेशन-कैटेलिस्ट डीजल, एंड पार्टिकल-ट्रैप डीजल हेवी-ड्यूटी ट्रांजिट बेसज" एंवाइरन, साइ. टेक्नोल. 2002, 36 (23), पी.पी. 5041-5050।

5. एंटोनीएटा जोरोडू और अन्य, "टॉक्सिसिटी ऑव नैनोपार्टिकल्स" करंट मेडिसिनल कैमिस्ट्री, वॉल्यूम 21, नंबर 33, नवंबर, 2014, पी.पी. 3837-3853(17)।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा विवाह

2509. डॉ. मनोज राजोरिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय महिलाओं जिन्होंने अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह किया है, की शिकायतों के समय से निपटान और निवारण हेतु कोई तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन संकटाग्रस्त भारतीय महिलाओं जिन्होंने अप्रवासी भारतीयों से विवाह किया है, को पर्याप्त वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)] : (क) और (ख) जी, हां। "सुशासन" संबंधी अपनी पहल के तहत विदेश मंत्रालय ने एन.आर.आई. से विवाहित महिलाओं सहित विदेशों में रह रहे भारतीयों की मदद करने के लिए फरवरी 2015 में 'मदद' नामक एक ऑनलाइन कोंसुली शिकायत मॉनीटरी प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें 'वैवाहिक विवाद' नामक एक मॉड्यूल भी जोड़ा गया है। किसी एन.आर.आई. व्यक्ति से विवाहित संकटग्रस्त भारतीय महिला अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य/मित्र इस मॉड्यूल के तहत शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोंसुली शिकायत ट्रैकिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु इस पोर्टल को विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों तथा केंद्रों, विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालयों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया है।

फरवरी 2015 तथा 30 जून, 2017 के बीच मदद पोर्टल के "वैवाहिक विवाद" मॉड्यूल के तहत 587 शिकायतें प्राप्त हुई तथा इनका निपटारा किया गया।

इसके अतिरिक्त, अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए सचिव, बाल एवं महिला विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक एकीकृत नोडल एजेंसी का गठन किया गया है। इस एकीकृत नोडल एजेंसी से यह अपेक्षा है कि वह अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ी गयी भारतीय महिलाओं की समस्या के समयबद्ध समाधान के लिए एकल खिड़की उपलब्ध करायेगी और इन विवादों के समाधान में एक प्रभावी तंत्र सिद्ध होगी। अभी तक इसकी आठ बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) और (घ) सभी मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा एन.आर.आई. पतियों से विवाहित संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय तथा कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई.सी.डब्ल्यू.एफ.) दिशानिर्देश में सितंबर 2017 में संशोधन किया गया था। संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को दी जाने वाली कानूनी तथा वित्तीय सहायता राशि को भी बढ़ाकर 4000 अमरीकी डॉलर प्रति मामले कर दिया गया है। यह सहायता राशि आवेदक के पैनलबद्ध कानूनी सलाहकार अथवा भारतीय समुदाय संघ/महिला संगठन/संबंधित गैर-सरकारी संगठन को जारी की जाती है ताकि वे उस महिला को अपना मामला दर्ज करने के लिए दस्तावेज़ीकरण एवं शुरुआती कार्य में मदद करने हेतु उपाय कर सकें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कॉल ड्रॉप का परीक्षण

2510. **श्री राम चरित्र निषाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ क्षेत्रों में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी.) को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कॉल ड्रॉप मानदंडों को पूरा कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई (टी.आर.ए.आई.) ने देशभर में कॉल ड्रॉप संबंधी परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) और (ख) ट्राई ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2017 से लागू "द स्टैण्डर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिक (वायरलाइन) एण्ड सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017" जारी किया है। इन विनियमों में मोबाइल नेटवर्क में कॉल-ड्रॉप के आकलन के लिए दो संशोधित मानदंड निर्धारित किए गए हैं; अर्थात कॉल-ड्रॉप दर का स्थानिक विवरण उपाय (बेंचमार्क £2%) जिसका अर्थ यह है कि नेटवर्क से कम से कम 90% सेल को कम से कम 90% दिन विनिर्दिष्ट 2% बेंचमार्क से बेहतर निष्पादन करना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य नया मानदंड कॉल-ड्रॉप दर अस्थायी वितरण उपाय (बेंचमार्क £ 3%) है जो यह विश्वास पैदा करेगा कि कम से कम 90% दिन नेटवर्क ने सेल के कम से कम 97% सेलों के लिए विनिर्दिष्ट 3% बेंचमार्क से बेहतर निष्पादन किया।

मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल सेवा देने वाले कुछ सेवा प्रदाताओं को छोड़कर बाकी सभी टी.एस.पी. सामान्यतया सभी 23 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एल.एस.ए.) में दोनों मानदंडों पर खरे उतर रहे हैं। कॉल ड्राप दर के स्थानिक वितरण उपाय (बेंचमार्क £ 2%) के मद्देनजर मैसर्स आइडिया एवं टाटा 5-5 एल.एस.ए. पर, मैसर्स टेलिनॉर 2 एल.एस.ए. पर तथा मैसर्स बी.एस.एन.एल. मात्र 1 एल.एस.ए. पर मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वहीं कॉल- ड्रॉप-दर अस्थायी वितरण उपाय (बेंचमार्क £ 3%) के मद्देनज़र मैसर्स टाटा 7 एल.एस.ए. पर, मैसर्स आइडिया एवं टेलिनॉर 2-2 एल.एस.ए. पर तथा बी.एस.एन.एल. मात्र 1 एल.एस.ए. पर मानकों पर पूरे नहीं उतर पा रहे हैं।

(ग) और (घ) कॉल-ड्रॉप की समस्या के निराकरण के लिए ट्राई चुनिंदा शहरों, राजमार्गों तथा रेल मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की सेवा ड्राइव परीक्षण नियमित रूप से करता है ताकि ड्राइव परीक्षण वाले मार्गों पर कवर किए गए क्षेत्रों के चारों ओर कवरेज तथा सेवा की गुणवत्ता का आकलन किए जा सके। ये परीक्षण स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा 2जी/3जी/4जी के लिए किए जाते हैं तथा उनके परिणामों को संबंधित टी.एस.पी. के साथ साझा किया जाता है ताकि कॉल-ड्रॉप तथा सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्या वाले इलाकों में उचित कार्रवाई की जा सके।

विगत छह महीने में किए गए परीक्षणों तथा उनके निष्कर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ट्राई द्वारा जनवरी से जून 2018 के दौरान निम्नलिखित शहरों में किए गए स्वतंत्र ड्राइव परीक्षण का सार

क्र.सं.	शहर	परिणाम
1.	चंडीगढ़	सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
2.	हैदराबाद	
3.	कोलकाता	
4.	थिरवंथापुरम	

क्र.सं.	शहर	परिणाम
5.	हिसार	
6.	बेलागवी	
7.	दिल्ली एरिया (गाजियाबाद, नौएडा, गुरुग्राम एवं फरीदाबाद सहित)	मै. एम.टी.एन.एल. को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
8.	लुधियाना	मै. बी.एस.एन.एल. (3जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
9.	मेरठ	
10.	ग्वालियर	
11.	नासिक	मै. टाटा (3जी) तथा बी.एस.एन.एल. (3जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क को पूरा कर लिया है।
12.	अहमदाबाद	
13.	औरंगाबाद	
14.	आगरा	
15.	श्रीनगर	मै. एअरटेल (3जी) तथा बी.एस.एन.एल. (3जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क को पूरा कर लिया है।
16.	इम्फाल	मै. आइडिया (3जी) तथा बी.एस.एन.एल. (3जी) को छोड़कर बाकी सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
17.	राजकोट	मै. टाटा (3जी) तथा बी.एस.एन.एल (2जी व 3जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
18.	लखनऊ	मै. आइडिया (2जी) टाटा (3जी) तथा बी.एस.एन.एल. (2जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
19.	शिमला	मै. टाटा (2जी), वोडाफोन (3जी) तथा बी.एस.एन.एल. (2जी) को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
20.	गंगटोक	मै. आइडिया (2जी) तथा रिलायंस जिओ ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
21.	शिलांग	मै. एअर टेल (2जी), आइडिया (2जी एवं 3जी), रिलायंस जिओ ने बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
22.	जमशेदपुर	मै. बी.एस.एन.एल. को छोड़कर सभी टी.एस.पी. ने 2 जी सेवाओं के लिए बेंचमार्क पूरा कर लिया है।
23.	कोहिमा	एअरटेल (2जी) तथा रिलायंस जिओ ने बेंचमार्क पूरे कर लिए हैं।

रेलवे का विकास

2511. **श्री डी.के. सुरेश :**
श्री नलीन कुमार कटील :
श्री बी.एन. चन्द्रप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की सेक्शन और वर्ष-वार वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या रेलवे एक पुरानी प्रशासनिक तंत्र, पुरानी पड़ चुकी प्रक्रियाओं और जटिल नियमों के कारण प्रभावित हो रहा है जो कि इसकी क्षमता और वृद्धि को प्रभावित कर रहें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रेलवे की बेहतर क्षमता और विकास को सुनिश्चित करने हेतु अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक तंत्र और नियमों को अद्यतन करने हेतु कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रेलवे के कायाकल्प हेतु संगठनात्मक और ढांचागत सुधारों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) भारतीय रेल में पिछले तीन वर्षों के लिए यात्री और माल यातायात निष्पादन के अनुसार वृद्धि की दर निम्नानुसार है:-

यात्री निष्पादन	2015-16	2016-17	2017-18 अनंतिम	2015-16 की तुलना में प्रतिशत अंतर	2016-17 की तुलना में प्रतिशत अंतर
यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	8,107	78,116	8,287	0.11	2.11
यात्रियों से आमदनी (करोड़ रु. में)	44,283.26	46,280.46	49,666.52	4.51	7.32
माल यातायात निष्पादन फ्रेट राजस्व ओरिजनेटिंग टन (मिलियन में)	1,101.51	1,106.15	1,159.57	0.42	4.83
माल से आमदनी (करोड़ रु. में)	1,06,940.55	1,02,027.82	1,12,928.94	-4.59	10.68

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) संगठन के संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ प्रशासनिक तंत्र को यौक्तिकीकरण करना और नियमों/कोड/मैनुअलों का अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रेल यात्रियों और अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर सुधार संबंधी निर्णय लिया जाते हैं। ऐसे सभी प्रबंधकीय निर्णय विस्तृत आंकड़ों और स्टेकहोल्डरों (यात्रियों तथा ग्राहकों) के साथ निरंतर समन्वय पर आधारित होते हैं।

श्री लंका को डी.एम.यू. ट्रेन सेटों का निर्यात

2512. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल 78 आधुनिक कोचों वाले छह डीजल मल्टीपल यूनिट (डी.एम.यू.) रेलगाड़ियों का निर्माण कर श्रीलंका में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलगाड़ी के सभी सेट अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित हैं और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में विनिर्मित किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल द्वारा निर्गत लोकोमोटिव और रेल डिब्बों के निर्यात हेतु रेल परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए कई प्रकार के ऋण प्रदान कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(घ) रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु इस प्रकार के ऋण से लाभान्वित होने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान कोचों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) जी हां। भारतीय रेल श्रीलंका को 06 डी.ई.एम.यू. ट्रेन सेट का निर्यात कर रही है। प्रत्येक डी.ई.एम.यू. सेट में 13 सवारीडिब्बे होते हैं, 06 सेट में कुल 78 सवारीडिब्बे हैं।

(ख) जी हां। सभी डी.ई.एम.यू. रेलगाड़ी सेटों का उत्पादन आई.सी.एफ. में किया जाता है। ये डी.ई.एम.यू. सेट अत्याधुनिक थ्री फेज़ एसी-एसी प्रोपल्शन प्रणाली, बेहतर सस्पेंशन और बेहतर इंटेरियर से युक्त हैं।

(ग) जी हां। भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विभिन्न देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट

(एल.ओ.सी.) दिया है जो भारतीय रेल द्वारा विनिर्मित चल-स्टॉक के निर्यात के लिए उपयोग किया गया है। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट (एल.ओ.सी.) के तहत कुछ निष्पादित और प्रक्रियाधीन संविदाएं निम्नानुसार हैं:

i. बांग्लादेश को 120 एल.एच.बी. सवारीडिब्बों की आपूर्ति।

ii. म्यांमार को 18 मीटर गेज रेल इंजन।

iii. श्रीलंका को 06 डी.ई.एम.यू. और 10 डीजल रेल इंजन का निर्यात

(घ) लाइन ऑफ क्रेडिट से लाभ प्राप्त करने वाले कुछ देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, अंगोला, सूडान, सेनेगल, माली और श्रीलंका।

(ङ) भारतीय रेल उत्पादन इकाइयों के लिए 2017-18 के दौरान कुल 4659 सवारीडिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वर्ष के दौरान कुल 4444 सवारीडिब्बों का उत्पादन किया गया।

[हिन्दी]

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं और रुकावटें

2513. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल :
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक लागत, आज की तिथि अनुसार संशोधित परियोजना लागत, इन परियोजनाओं की स्वीकृति वर्ष और प्रत्येक परियोजना हेतु अब तक जारी और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूर्ण होने की संभावना है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हेतु जिम्मेवार बाधाओं (और रुकावटों का ब्यौरा) क्या है और इन समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) और (ख) प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई राशि, धनराशि का आबंटन और व्यय सहित सभी चालू कार्यों और नए कार्यों का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट *www.indianrailways.gov.in* पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाता है और यह ब्यौरा प्रतिवर्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत बजट के साथ पिंक बुक में भी उपलब्ध होता है।

रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, सांविधिक मंजूरियां जैसे वन और वन्य-जीव विभाग की मंजूरियां, सेवाओं का अंतरण आदि जैसे राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से संबंधित मंजूरियां अपेक्षित होती हैं, जिनसे परियोजनाओं को समय पर निष्पादित करने की गति प्रभावित होती है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे संरेखण, भूमि अधिग्रहण, वन और अन्य-जीव विभाग से मंजूरी, सेवाओं के अंतरण आदि सहित विभिन्न मामलों पर राज्य सरकार और संबंधित केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्द्धन परियोजनाओं, लास्ट लाइल कनेक्टिविटी आदि के लिए, मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिसने अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि प्रावधान के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि की है।

[अनुवाद]

ई-न्यायालय सुविधा

2514. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री रामदास सी. तडस :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी न्यायालयों में ई-न्यायालय सुविधा के अधिष्ठापन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह पहल मामलों के पारदर्शी और त्वरित विचारण में सहायता करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दिल्ली एन.सी.आर. के सभी जिला न्यायालयों हेतु न्यायालयों के आधुनिकीकरण हेतु किसी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ मिलकर संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (चरण-I, 2010-14 और चरण-II, 2015-19), जिसमें 1670 करोड़ रुपए (चरण-II) का कुल परिव्यय अन्तर्वलित है, कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा न्यायालयों की कार्य प्रणालियों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए

उठाये जाने वाले कदम निम्न प्रकार है:

(i) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का चरण-I, 2011-2015 के दौरान कार्यान्वयन किया गया था जिसमें 639.41 करोड़ रुपए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए जारी किए गए थे। चरण-I की समाप्ति पर, 14249 जिला और अधीनस्थ न्यायालय, कार्यस्थलों के कंप्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य में से, सभी 14249 न्यायालयों (100%) के कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार किए गए थे, जिनमें से एल.ए.एन. 13643 न्यायालयों में संस्थापित किया गया था, 13436 न्यायालयों में हार्डवेयर प्रदान किया गया था और 13672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर संस्थापित किए गए थे। 14309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए थे और सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंध व्यवस्था पूरी की गई थी। 14000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यू.बी.यू.एन.टी.यू.-लाइनक्स प्रचालन प्रणाली का उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था और 4000 से अधिक न्यायालय कर्मचारिवृंद को प्रणाली प्रशासकों के रूप में मामला सूचना प्रणाली (सी.आई.एस.) में प्रशिक्षित किया गया था। वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का 488 न्यायालय परिसरों तथा 342 तत्स्थानी कारागारों के बीच परिचालन किया गया था।

(ii) परियोजना (2015-19) के चरण-II के अधीन, आज तक 1073.18 करोड़ रुपए 1670 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के मुकाबले में जारी किए गए हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (एल.ए.एन.) और मानक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के संस्थापन की व्यवस्था के माध्यम से 16089 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया गया है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहबाद	1733
2.	आन्ध्र प्रदेश	1078
3.	बाम्बे	2079
4.	कलकत्ता	772
5.	छत्तीसगढ़	340
6.	दिल्ली	427
7.	गुवाहाटी	442
8.	गुजरात	1108
9.	हिमाचल प्रदेश	118
10.	जबलपुर	1203
11.	जम्मू और कश्मीर	218
12.	झारखंड	351
13.	जोधपुर	978
14.	कर्नाटक	897
15.	केरल	486
16.	मद्रास	988
17.	ओडिशा	509
18.	पटना	1025
19.	पंजाब और हरियाणा	1018
20.	सिक्किम	15
21.	उत्तराखंड	185
22.	त्रिपुरा	62
23.	मणिपुर	30
24.	मेघालय	27
	कुल	16089

(iii) मामला सूचना साफ्टवेयर (सी.आई.एस. 2.0) का एक नया और प्रयोक्ता-मित्र संस्करण विकसित कर लिया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अभिनियोजित है।

(iv) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एन.जे.डी.जी.) ऑन लाइन मंच के रूप में सृजित किया गया है जो अब देश के 16.089 कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्रवाइयों/विनिश्चयों से संबंधित सूचना प्रदान करता है। पोर्टल मुवक्किलों को ऑन लाइन सूचना जैसे कि

मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, मामला सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय प्रदान करता है। वर्तमान में, मुवक्किल 10.1 करोड़ से अधिक मामलों और 6.90 करोड़ से अधिक आदेशों/विनिश्चयों के संबंध में मामला प्रास्थिति सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(v) ई-फाइलिंग आवेदन विकसित किया गया है और मामला सूचना साफ्टवेयर (सी.आई.एस. 3.0) के साथ एकीकृत है, जो देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में एकीकृत साधारण साफ्टवेयर है। ई-फाइलिंग साफ्टवेयर के लिए पायलेट परीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में दिसंबर, 2017 में शुरू किया गया था। न्यायालय फीस के ई-भुगतान के साथ ई-फाइलिंग माड्यूल तेलगांना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में न्यायालयों के लिए तैयार है।

(vi) सभी कंप्यूटरीकृत अधीनस्थ न्यायालयों में मुवक्किलों/ वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदनों को दाखिल करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करने के लिए चालू मामलों की सूचना तथा आदेशों और निर्णयों आदि की प्रतियां प्राप्त करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

(vii) ई-न्यायालय मोबाइल ऐप क्यू.आर. कोड सुविधा के साथ तारीख 22 जुलाई, 2017 को मुवक्किलों और वकीलों के उपयोग के लिए शुरू किया गया था। विभिन्न शीर्षकों अर्थात् सी.एन.आर.आर. द्वारा खोज, मामला प्रास्थिति, मामला सूची और मेरा मामला के अधीन सेवाएं इस उपयोजन पर उपलब्ध है जो गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

(viii) इसके अतिरिक्त, एस.एम.एस. के माध्यम से मामला सूचना सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुविधा भी लागू की गई है और प्रणाली जनित एस.एम.एस. प्रसार की प्रक्रिया परिचालित है।

दूसरे चरण के दौरान आज तारीख तक ई-न्यायालय पोर्टल के लिए लगभग 124.98 करोड़ इलैक्ट्रानिक संव्यवहार अभिलिखित किए गए हैं।

(ग) जी हां, आई.सी.टी. समर्थता न्यायालयों की कार्यप्रणाली को दक्ष और पारदर्शी बनाती है जिसका न्याय प्रदान प्रणाली पर संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आई.सी.टी. प्रणाली न्यायिक अधिकारी और उसके कर्मचारियों को दक्ष रूप से मामला भारत संभालने और आबंटित करने के लिए उपयोग की जा सकती है तथा समान तारीखों पर समय लगने वाले मामलों को सूचीबद्ध किया जाना अनुज्ञात नहीं करके, इस प्रकार न्यायालय के समय का दक्षतापूर्ण उपयोग करना अनुज्ञात करती है। एन.जे.डी.जी. का विश्लेषणात्मक औजार नियम बनाने में न्यायिक प्रबंधन की सहायता करने और न्यायालयों द्वारा उसके कठोर अनुपालन की मानीटरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एन.जे.डी.जी. इस प्रकार न केवल न्यायालय की सूचना का अधीक्षण करने और उसकी व्यवस्था करने तथा पारदर्शिता को प्रोन्नत करने का औजार है बल्कि यह इलैक्ट्रानिक मामला प्रबंधन को प्रारंभ करने और न्यायालय स्वचलीकरण से लाभ प्राप्त करने की क्रिया विधि भी है। न्यायालयों और कारागारों के मध्य प्रतिप्रेषण कार्रवाइयों के लिए विडियो कान्फ्रैंसिंग न्यायिक समय की बचत करता है। न्यायालयों में ई-न्यायालय सुविधा इस प्रकार पारदर्शी और दक्ष न्यायिक कार्रवाइयों और डिजाटाइज्ड मामला अभिलेखों, कार्य प्रवाह प्रबंधन के स्वचलीकरण न्यायालय आदेशों के पारेषण में देरी के उन्मूलन, बेहतर साधन प्रबंधन पालन प्रबंधन और मानीटरी के लिए समर्थ करने के माध्यम से मामलों के पारदर्शी और शीघ्र विचारण में सहायता करता है।

(घ) संपूर्ण देश में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों जिसके अंतर्गत दिल्ली/एन.सी.आर. के न्यायालय भी है, का ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आधुनीकीकरण के लिए अनुमोदन किया गया है। परियोजना (2015-19) के चरण 2 के अधीन आज तक दिल्ली उच्च न्यायालय को कम्प्यूटर हार्डवेयर जिसके अंतर्गत पैरीफेरल्स, लोकल एरिया नेटवक का स्थापन, तकनीकी अवसंरचना जैसे कि टच स्क्रीन कियोस्क, रैक, बटन, प्रोजेक्टर आदि, विडियो कान्फ्रैंसिंग, सौर ऊर्जा, तकनीकी मानव शक्ति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (टी.एल.एस.ए.), तालुका विधिक सेवा समितियों (डी.एल.एस.सी.) और राज्य न्यायिक अकादमियों का कम्प्यूटरीकरण भी है, की प्राप्ति के लिए दिल्ली उच्च नयायालय के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 20.26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित मामलों का निपटान

2515. श्री पी. करुणाकरन :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कार्यरत न्यायालयों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालय द्वारा निपटाए

गए/लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे और अधिक न्यायालयों की स्थापना हेतु सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों से निपटने के लिए समर्पित न्यायालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इरादा ऐसे न्यायालयों में महिला न्यायाधीश/अभियोजनकों की नियुक्ति करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण (एन.सी.पी.सी.आर.), आयोग से प्राप्त ब्यौरों के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन 620 विशेष न्यायालय पदाभिहित किए गए हैं। ऐसे न्यायालयों की संख्या और वर्ष 2014-2016 के दौरान अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.), से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 और 2016 के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो रजिस्ट्रीकृत है, पूरे किए गए विचारणों और लंबित मामलों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में है।

(ख) से (घ) 14वें वित आयोग ने राज्य में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के प्रस्ताव करने के लिए अनुमोदन किया था। जिनमें, अन्य बातों के साथ - जघन्य अपराधों के मामलों, मानसिक नि:शक्ता और मरणांत बीमारी से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों व्यक्तियों को अन्तर्वलित करने वाले मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफ.टी.सी.एस.) की स्थापना करना सम्मिलित है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राज्यों को उनकी वित्त पोषण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्धित कर न्यागमन (32 से 42 प्रतिशत) के रूप में 14वें वित आयोग के अभिनिर्णय में उपबंधित अतिरिक्त राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करें।

हाल ही में भारत सरकार ने दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (पॉक्सो) में संशोधन किए गए है और महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध अंतरर्वलित करने वाल मामलों का शीघ्र विचारण और निपटान के लिए सख्त उपबंध किए गए है।

(ङ) अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी और अभियोजकों का चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व क्रमश: उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का है। कुछ राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय इसे राज्य लोकसेवा आयोग के सेवा के परामर्श से करते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों ने अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटे का उपबंध किया है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का राज्य-वार प्रास्थिति संलग्न विवरण-III में है।

विवरण-I

वर्ष 2014-16 के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन बाल यौन दुर्व्यवहार मामले और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन पदाभिहित विशेष न्यायालय

क्र. सं	राज्य का नाम	रिपोर्ट की गई घटनाओं की कुल संख्या			आज तक पदाभिहित विशेष न्यायालयों की संख्या
		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	106	237	803	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	12	59	5
3.	असम	311	731	932	24

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	57	60	233	38
5.	छत्तीसगढ़	417	1164	1570	51
6.	गोवा	2	0	75	1
7.	गुजरात	118	1416	1408	21
8.	हरियाणा	3	440	1020	21
9.	हिमाचल प्रदेश	22	3	205	11
10.	जम्मू और कश्मीर	00	00	25	0*
11.	झारखंड	31	141	348	24
12.	कर्नाटक	620	1480	1565	30
13.	केरल	439	516	1848	14
14.	मध्य प्रदेश	126	1687	4717	51
15.	महाराष्ट्र	190	26	4815	38
16.	मणिपुर	7	25	43	7
17.	मेघालय	48	118	151	6
18.	मिजोरम	42	114	167	2
19.	नागालैंड	00	5	27	11
20.	ओडिशा	109	19	1928	30
21.	पंजाब	25	18	596	22
22.	राजस्थान	191	222	1928	30
23.	सिक्किम	23	54	92	4
24.	तमिलनाडु	1055	1544	1583	32
25.	तेलंगाना	25	264	1158	10
26.	त्रिपुरा	32	00	156	8
27.	उत्तर प्रदेश	3637	3078	4954	56
28.	उत्तराखंड	74	99	218	13
29.	पश्चिम बंगाल	1058	1289	2132	23
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00	1	49	1
31.	चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र	00	1	51	1
32.	दादरा और नगर हवेली	00	13	11	1
33.	दमन और दीव	00	4	10	2

1	2	3	4	5	6
34.	दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र	107	86	1620	13
35.	लक्षद्वीप	1	1	5	1
36.	पुदुचेरी	21	45	53	2
	कुल	8904	14,913	36022	620

*पॉक्सो अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

स्रोत: एन.सी.पी.सी.आर./नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय

विवरण-II

वर्ष 2014-2016 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रजिस्ट्रीकृत, मामले, विचराण पूर्ण मामले, लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			2015			2016		
		रजिस्ट्रीकृत	विचराण पूर्ण	लंबित	रजिस्ट्रीकृत	विचराण पूर्ण	लंबित	रजिस्ट्रीकृत	विचराण पूर्ण	लंबित
1.	आंध्र प्रदेश	16,526	839	31,026	15,967	768	31,449	16362	922	32708
2.	अरुणाचल प्रदेश	351	9	1580	384	0	1818	367	23	1941
3.	असम	19169	518	29,465	23,365	669	34,537	20,869	470	39019
4.	बिहार	15,393	525	40,853	13904	508	45850	13400	639	56366
5.	छत्तीसगढ़	6301	1531	17297	5783	2319	16,567	5947	1207	17235
6.	गोवा	508	14	518	392	27	989	371	18	1062
7.	गुजरात	10854	174	63334	7777	114	65,981	8532	122	69,847
8.	हरियाणा	9010	692	14320	9511	805	15,197	9839	560	16,440
9.	हिमाचल प्रदेश	1529	69	4962	1295	61	5399	1222	83	5598
10.	जम्मू और कश्मीर	3327	105	11206	3366	83	11,503	2850	56	11,653
11.	झारखंड	6086	786	9091	6568	726	10711	5453	766	12404
12.	कर्नाटक	14004	354	31,640	12775	251	36,199	14,131	271	40055
13.	केरल	11451	553	52,388	9767	649	56,517	10034	500	61,251
14.	मध्य प्रदेश	28,756	5773	60520	24,231	4233	61,777	26,604	3888	67,862
15.	महाराष्ट्र	26,818	926	140,794	31216	1229	151,023	31,388	1135	165,618
16.	मणिपुर	337	4	200	266	7	275	253	7	424
17.	मेघालय	390	13	1532	337	12	1698	372	88	1823
18.	मिजोरम	258	139	296	158	138	272	120	71	302
19.	नागालैंड	68	22	48	91	24	79	105	23	85
20.	ओडिशा	14,651	429	57,869	17200	511	66,754	17837	392	76,057

21.	पंजाब	5481	637	7357	5340	794	8204	5105	550	8868
22.	राजस्थान	31216	3659	59,167	28,224	3318	63,371	27,422	2884	68040
23.	सिक्किम	111	46	126	53	6	46	153	11	128
24.	तमिलनाडु	6354	1186	14640	5919	867	15,507	4463	647	15561
25.	तेलंगाना	14147	504	25,886	15425	533	30,295	15,374	471	34,172
26.	त्रिपुरा	1618	108	3523	1267	99	4101	1013	130	3981
27.	उत्तर प्रदेश	38,918	5288	73117	35,908	7151	84094	49262	5795	104,459
28.	उत्तराखंड	1413	284	3264	1465	628	3063	1588	243	3527
29.	पश्चिम बंगाल	38,424	422	205,834	33,318	420	232,153	32,513	319	255,979
	कुल राज्य	323,469	26,609	962,153	311,272	26,950	1055430	322,949	22,291	1172465
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	117	12	504	136	7	547	108	8	567
31.	चंडीगढ़	434	65	549	468	65	564	414	52	615
32.	दादरा और नगर हवेली	21	0	101	25	2	107	25	2	116
32.	दमन और दीव	16	1	26	29	0	35	41	0	43
34.	दिल्ली सं.रा. क्षेत्र	15,319	1008	19,744	17222	880	24,991	15,310	736	30,803
35.	लक्षद्वीप	4	0	4	9	1	4	9	0	13
36.	पुदुचेरी	77	1	162	82	4	94	95	5	164
	कुल सं.रा. क्षेत्र	16,988	1087	21090	17,971	959	26,342	16005	803	32321
	कुल (संपूर्ण भारत)	339,457	26,636	983,243	329,243	27909	1081772	338,954	23,094	1204786

स्रोत:- भारत में अपराध

विवरण-III

राज्य न्यायपालिका (उच्च और राज्य न्यायिक सेवाओं) में महिलाओं के लिए आरक्षण की राज्य-वार प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य सरकार	महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रास्थिति
राज्य जहां नियमों में आरक्षण दिया गया है		
1.	आंध्र प्रदेश	खुली और आरक्षित श्रेणियों का 33.3%
2.	छत्तीसगढ़	30% (क्षैतिज और कक्ष-वार)
3.	ओडिशा	राज्य न्यायिक सेवाओं में 33.3%।
4.	राजस्थान	30% (क्षैतिज होगा)
राज्य जहां नियमों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है		
1.	अरुणाचल प्रदेश	नियमों के अधीन महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
2.	असम	नियमों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है
3.	बिहार	नियमों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है
4.	दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र	नियमों में कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है
5.	गोवा	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
6.	गुजरात	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
7.	हरियाणा	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
8.	हिमाचल प्रदेश	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
9.	जम्मू और कश्मीर	नियम उपलब्ध नहीं
10.	झारखंड	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
11.	कर्नाटक	नियम उपलबध नहीं
12.	केरल	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
13.	मध्य प्रदेश	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
14.	महाराष्ट्र	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
15.	मणिपुर	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
16.	मेघालय	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
17.	मिजोरम	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
18.	नागालैंड	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
19.	पंजाब	नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं।
20.	सिक्किम	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
21.	तमिलनाडु	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
22.	तेलंगाना	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

क्र.सं.	राज्य सरकार	महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रास्थिति
23.	त्रिपुरा	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
24.	उत्तर प्रदेश	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
25.	उत्तराखंड	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
26	पश्चिम बंगाल	नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

जैव-शौचालय

2516. **श्रीमती रेखा वर्मा** :
श्री राजन विचारे :
श्री बलका सुमन :
श्री कृपाल बालाजी तुमाने :
श्री रोड़मल नागर :
श्री अरविंद सावंत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान यात्री डिब्बों में स्थापित किए गए जैव-शौचालयों की इस संबंध में निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य की तुलना में कुल वर्ष-वार और जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान यात्री डिब्बों में जैव-शौचालयों की स्थापना हेतु आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के मद्देनजर सभी शेष रेलगाड़ियों/डिब्बों में जैव-शौचालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक जैव-शौचालय पर कितनी लागत खर्च की जाएगी और कुल कितने जैव-शौचालय स्थापित किए जाएंगे; और

(च) सभी रेलगाड़ियों/डिब्बों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जैव-शौचालय स्थापित करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, अर्थात 2016-17 में और 2017-18 में वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में सवारीडिब्बों में संस्थापित बायो-शौचालयों की कुल संख्या का वर्ष-वार एवं जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, अर्थात 2016-17 में और 2017-18 में सवारीडिब्बों में बायो-शौचालयों के संस्थापन के लिए आवंटित निधियां एवं खर्च की गई राशि का वर्ष-वार एवं जोन-वार ब्यौरा संलग्न-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2019 तक तभी यात्री गाड़ियों में बायो-शौचालयों की संस्थापना का प्रस्ताव है।

(ङ) इस समय, एक सवारीडिब्बे में 4 बायो-शौचालयों बनाने की लागत 4.13 लाख रुपए अर्थात लगभग 1.0 लाख रुपए प्रति बायो-शौचालय है और लगभग 17,500 सवारी डिब्बों में बायो-शौचालय मुहैया कराए जाने हैं।

(च) निर्धारित समय सीमा के भीतर सवारीडिब्बों के पूरे बेड़े में बायो-शौचालयों की संस्थापना का कार्य पूरा करने के लिए भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:-

1. भरतीय रेल की सवारीडिब्बा उत्पादन इकाइयों से उत्पादित किए जा रहे सभी नए सवारी डिब्बों में बायो-शौचालय फिट किए जा रहे हैं।
2. सभी रेल-वर्कशॉपों को मध्यावधि पुनर्स्थापन और आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए आने वाले सभी मौजूदा सेवारत सवारीडिब्बों में बायो-शौचालयों को रिट्रोफिट करने के अनुदेश दिए गए हैं।
3. कोचिंग डिपुओं में भी बायो-शौचालयों का रेट्रो-फिटमेंट किया जा रहा है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के दौरान, अर्थात 2016-17 और 2017-18 में वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में सवारीडिब्बों में संस्थापित बायो-शौचालयों की कुल संख्या का वर्ष-वार एवं जोन-वार विवरण

जोनल रेलवे	सवारी डिब्बों में बायो-शैचालयों की संख्या			
	वर्ष 2016-17 में		वर्ष 2017-18 में	
	लक्ष्य	संस्थापित बायो-शौचालयों की संख्या	लक्ष्य	संस्थापित बायो-शौचालयों की संख्या
मध्य	2000	2164	2400	3552
पूर्व तट	850	958	2400	3400
पूर्व मध्य	1200	358	3600	1391
पूर्व	1200	1281	2800	3440
उत्तर मध्य	500	230	1200	442
पूर्वोत्तर	800	2008	2000	1190
पूर्वोत्तर सीमा	850	788	280	2482
उत्तर	1800	2159	4000	4415
उत्तर पश्चिम	850	790	2000	2215
दक्षिण मध्य	1400	2036	3600	4138
दक्षिण पूर्व मध्य	400	87	800	208
दक्षिण पूर्व	1050	561	1600	1877
दक्षिण	1950	3211	4000	5747
दक्षिण पश्चिम	850	1814	2400	3452
पश्चिम मध्य	2850	2951	1600	3886
पश्चिम	1450	859	2800	2651

विवरण-II

पिछले दो वर्षों के दौरान, अर्थात 2016-17 में और 2017-18 में सवारीडिब्बों में बायो-शौचालयों के संस्थापन के लिए आवंटित निधियां एवं खर्च की गई राशि का वर्ष-वार एवं जोन-वार विवरण

जोनल रेलवे	आवंटित निधियां एवं खर्च की गई राशि (करोड रु. में)			
	वर्ष 2016-17 में		वर्ष 2017-18 में	
	आवंटित निधियां	खर्च की गई राशि	आंवटित निधियां	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5
मध्य	22	16.31	34.5	34.52
पूर्व तट	21	48.63	34.5	78.98

1	2	3	4	5
पूर्व मध्य	6	6.99	52	12.34
पूर्व	11	9.62	40	18.58
उत्तर मध्य	3	5.69	17	9.25
पूर्वोत्तर	17	9.96	29	19.4
पूर्वोत्तर सीमा	14	8.16	40	15.1
उत्तर	29	13.42	57	27.62
उत्तर पश्चिम	22	10.26	29	20.12
दक्षिण मध्य	19	15.6	52	32.81
दक्षिण पूर्व मध्य	24	7.13	37.5	12.67
दक्षिण पूर्व	9	10.86	23	21.56
दक्षिण	44	23.33	57	51.23
दक्षिण पश्चिम	14	5.83	234.5	11.96
पश्चिम मध्य	35	26.15	23	118.9
पश्चिम	10	15.8	40	33.3

द्वीपों में विकास कार्य

2517. **श्री डी.एस. राठौड़ :**

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न द्वीप समूह में विकास कार्यों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गुजरात के समीप द्वीपों सहित राज्य-वार ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) इस योजना में द्वीपों और मुख्य भूमि राज्यों को होने वाले लाभों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विकास कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : (क) द्वीपों के व्यापक विकास की निगरानी के लिए, माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में 1 जून, 2017 को द्वीप विकास एजेंसी (आई.डी.ए.) का गठन किया गया है। अभी तक आई.डी.ए. की चार बैठकें हुई हैं।

(ख) नीति आयोग द्वारा शुरू की गई पहल के तहत, अंडमान और निकोबार में चार द्वीपों और लक्षद्वीप में पांच द्वीपों के लिए स्थल विकास क्षमता रिपोर्टें तैयार की गई हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, गुजरात में 229.28 करोड़ रु. अनुमानित लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ग) स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, द्वीपों सहित पूरे देश में चिह्नित विषय-आधारित पर्यटन परिपथों में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) द्वीप विकास एजेंसी द्वारा की गई सिफारिशों के प्रभावी कार्यानवयन के साथ द्वीपों के विकास कार्यों में तीव्रता लाई गई है।

भारत-कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक

2518. **श्री विद्युत वरण महतो :**

श्री गजानन कीर्तिकर :

श्री सुधीर गुप्ता :

कुंवर हरिवंश सिंह :

श्री एस. राजेन्द्रन :

श्री टी राधाकृष्णन :

श्री एस.आर. विजयकुमार :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चौथी भारत-कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की संचालन समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) की संख्या कितनी है और उनकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) इन समझौताज्ञापनों से भारत को क्या लाभ होगा; और

(ङ) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग के विस्तार और इसे बढ़ाने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) और (ख) जी हां। चौथी-कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की संचालन समिति की बैठक दिनांक 9 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन और कोरिया गणराज्य के विज्ञान और आई.सी.टी. मंत्री श्री यू यंग मिन ने क्रमशः भारतीय और कोरियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान विचार किए गए मुद्दों में (i) दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में अनुसंधानकर्ताओं के सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ाने के तरीके और माध्यम और (ii) दोनों देशों के बीच सभी सहयोगी कार्यक्रमों के क्रमबद्ध प्रचालन और प्रबंधन के लिए केन्द्र के तौर पर नई दिल्ली में भारत-कोरिया अनुसंधान और नवोन्मेष केंद्र (आई.के.सी.आर.आई.) की स्थापना शामिल रहे।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) सहयोगपरक मंच के निर्माण के लिए भविष्य समूह की स्थापना जो नवोन्मेष के पोषण के लिए दोनों देशों की क्षमता का उपयोग कर सके और डिजिटल रूपांतरण, भविष्य के विनिर्माण, भविष्य के साधनों और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में सहयोगपरक उद्यम-संचालित संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रोजेक्टों के सह-वित्तीयन द्वारा प्रभाव डाल सके।

(ii) स्वास्थ्य और चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी के अंगीकरण से विकसित कृषि-मात्स्यिकी उपादों में संयुक्त अनुसंधान का पोषण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी और जैवअर्थव्यवस्था; पर्यावरण संबंधी चुनौतियों और जैव-प्रौद्योगिकी, बिग डाटा जैव प्रौद्योगिकी; जैव अनुसंधान संसाधनों; संश्लेषक जीवविज्ञान, जीनोम संपादन और माइक्रोबायोम्स, इत्यादि के माध्यम से पर्यावरणीय और ऊर्जा क्षेत्रों में विकास में सहयोग।

(iii) भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (एन.एस.टी.) के बीच सी.एस.आई.आर. और एन.एस.टी. द्वारा जल, ऊर्जा, जैवप्रौद्योगिकी, वैकल्पिक सामग्री और रोबोटिक्स सहित उनके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने, अनुसंधानकर्ताओं, संसाधनों और सूचना के आदान-प्रदान पर लक्षित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)।

(iv) पीएच.डी. विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई और कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के बीच एम.ओ.यू.।

(घ) इस सहयोग से नवोन्मेष के परिष्करण और ऐसे परिष्करण को विक्रयशील बनाने में निरंतर प्रबलता के लिए ज्ञात कोरियाई संस्थाओं और उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से मौलिक अनुसंधान में भारतीय प्रबलता का लाभ उठाते हुए भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत के बीच आर.एंडडी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

(ङ) वर्तमान में, भारत के 80 देशों के साथ द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते और लगभग 47 देशों के साथ सक्रिय सहयोग हैं। हाल के वर्षों के दौरान समान समझौतों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, इटली, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, यूके और यू.एस.ए. के साथ सहयोग उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। इसी प्रकार, अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग का स्तर भी भारत अफ्रीका एस एंड टी पहलों के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और पड़ोसी देशों के साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत सहभागिता के लिए एस एंड टी के परोक्ष कौशल का लाभ उठाया गया।

मानवरहित समपार

2519. **श्री अनिल शिरोले :**
श्री एम. चन्द्राकाशी :
श्री शंकरप्रसाद दत्ता :
श्री निशिकान्त दुबे :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी :
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :
श्री एंटो एन्टोनी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री जॉर्ज बेकर :
श्री राहुल कस्वां :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पश्चिम बंगाल सहित मानवरहित समपारों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त मानवरहित समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की जोन-वार संख्या का ब्यौरा क्या है और इन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(ग) मुआवजे के भुगतान के लिए क्या नीति बनाई गई है और गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए लोगों के परिवारजनों को जोन-वार और वर्ष-वार कुल कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या सरकार उक्त समपारों पर पुलों/अंडरपास के निर्माण की योजना बना रही है/बनाने का प्रस्ताव है या सरकार को इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) दिनांक 01.04.2018 को बड़ी लाइन (बी.जी.), मीटर लाइन (एम.जी.) और छोटी लाइन (एन.जी.) पर बिना चौकीदार वाले समपारों (यू.एम.एल.सी.) की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जोनल रेलवे	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	कुल
1.	मध्य रेलवे	0	0	109	109
2.	पूर्व रेलवे	0	0	0	0
3.	पूर्व मध्य रेलवे	448	207	0	655
4.	पूर्व तट रेलवे	117	0	0	117
5.	उत्तर रेलवे	606	0	4	610
6.	उत्तर मध्य रेलवे	83	5	191	279
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	453	176	0	629
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	151	0	167	318
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	311	100	0	411
10.	दक्षिण रेलवे	185	58	0	270
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	151	0	0	151
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	149	0	0	149
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	0	0	204	204
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	187	0	0	187
15.	पश्चिम रेलवे	638	562	503	1703
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	0	0	0	0
	कुल	3479	1135	1178	5792

पश्चिम बंगाल में 314 बिना चौकीदार वाले समपार (यू.एम.एल.सी.) हैं जिसमें से बड़ी लाइन पर 147 और छोटी लाइन पर 167 हैं। पश्चिम बंगाल में मीटर लाइन पर कोई यू.एम.एल.सी. नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा चालू वित्त वर्ष 2018-19 (30 जून 2018 तक) के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर परिणामी दुर्घटनाओं एवं हताहत व्यक्तियों की संख्या का जोन-वार विवरण निम्नलिखित है:

जोनल रेलेव	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (30.06.2018 तक)	
	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहत	दुर्घनाओं की संख्या	हताहत	दुर्घटनाओं की संख्या	हतातह	दुर्घनाओं की संख्या	हताहत
मध्य रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्व रेलवे	0	0	1	1	0	0	0	0
पूर्व मध्य रेलवे	0	0	4	6	2	3	0	0
पूर्व तट रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर रेलवे	9	23	4	9	3	6	0	0
उत्तर मध्य रेलवे	1	5	1	1	2	6	0	0
पूर्वोत्तर रेलवे	5	11	2	9	1	5	1	13
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2	2	3	4	0	0	0	0
उत्तर पश्चिम रेलवे	7	9	2	3	1	1	0	0
दक्षिण रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण मध्य रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व रेलवे	2	6	1	1	0	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिण पश्चिम रेलवे	1	1	2	6	0	0	0	0
पश्चिम रेलवे	2	1	0	0	1	5	0	0
पश्चिम मध्य रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	29	58	20	40	10	26	1	13

(ग) भारतीय रेल, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 और 124ए के प्रावधानों के अनुसार रेल दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के लिए मुआवजा के भुगतान करने के लिए दायी है। इस संबंध में, रेल अधिनियम, 1989 के तहत यू.एम.एल.सी. पर हुई दुर्घटनाओं के लिए रोड उपयोगकर्ताओं की जान की हानि हेतु रेलवे उत्तरदायी नहीं है। बहरहाल, मृतक के आश्रित, मुआवजे के दावे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन, दावाकर्त्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए सभी दायी होता है, जब माननीय एम.ए.सी.टी. द्वारा दावाकर्त्ता के पक्ष में निर्णय किया जाता है और रेलवे द्वारा उस निर्णय को लागू करने का निश्चय किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले समपार (यू.एम.एल.सी.) पर दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों

को प्रदत्त मुआवजे की राशि निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं		
	रेलवे जोन	मृत व्यक्ति के आश्रित को प्रदत्त धनराशि	कुल
2015-16	उ.रे.	7.81	28.89
	प.रे.	21.08	
2016-17	प.रे.	10.90	10.90
2017-18		0	0

नोट:- यह आवश्यक नहीं कि किसी वर्ष में प्रदत्त मुआवजे का संबंध उसी वर्ष में हुई दुर्घटनाओं/हादसों से हो। यह राशि निरपेक्ष रूप से उन मामलों की संख्या पर निर्भर करती है जिन्हें किसी वर्ष में अंतिम रूप दिया गया है चाहे वे किसी भी दुर्घटना से संबंधित हो।

(घ) और (ङ) बड़ी लाइन (बी.जी.) पर बिना चौकीदार वाले समपारों (यू.एम.एल.सी.) को मार्च 2020 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बहरहाल, बड़ी लाइन पर सभी यू.एम.एल.सी. को इससे पहले समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम के द्वारा समाप्त करने के लिए रेलवे प्रयासरत है:-

- बंद करना - शून्य/नगण्य गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) वाले बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद करना।
- विलय - डायवर्ज़न रोड का निर्माण करके बिना चौकीदार वाले समपारों का नजदीकी चौकीदार वाले अथवा बिना चौकीदार वाले समपारों अथवा सबवे/निचले सड़क पुलों/ऊपरी सड़क पुल से विलय।
- सबवे/निचले सड़क पुलों का प्रावधान
- चौकीदार तैनात करना - बिना चौकीदार वाले ऐसे समपारों, जिन्हें उपरोक्त साधनों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, पर चौकीदार तैनात करना।

लाइन परिवर्तन के दौरान मीटर लाइन और छोटी लाइन पर यू.एम.एल.सी. को समाप्त कर दिया जाएग। किसी भी राज्य सरकार से यू.एम.एल.सी. को समाप्त करने हेतु भारतीय रेल को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की समय पाबंदी

2520. **श्री अजय मिश्रा टेनी** :
श्री देवेन्द्र सिंह भोले :
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देरी से चलने वाली रेलगाड़ियों के मामले में यात्रियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर उत्तर भारत में उन राज्यों/जोनों के नाम क्या हैं जहां रेलगाड़ियों के सुचारू और समय पर परिचालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्वचालित सिग्नल प्रणाली अधिष्ठापित की जा रही है;

(ग) क्या रेलवे यात्रियों के मोबाइल नंबर होने के बावजूद भी रेलगाड़ियों के विलंब के संबंध में रेलवे यात्रियों को कोई सूचना प्रदान नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को स्टेशनों पर 6 से 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक यात्री को रेलगाड़ियों के देर से परिचालन के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) गाड़ियों के विलंब से चलने के मामले में क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, यदि यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित समय से तीन घंटे से अधिक विलंब से गाड़ी चलने के कारण यात्रा नहीं की जाती है तो कोई टिकट रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार नहीं लिया जाता है और यात्रियों को पूरा किराया वापस किया जाता है। गाड़ी के वास्तविक रूप से प्रस्थान होने तक किसी भी काउन्टर पर मूल पी.आर.एस. काउन्टर टिकट सुपुर्द करने पर और ई-टिकट के मामले में गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से पहले ऑनलाइन टी.डी.आर. दायर करने पर किराया वापस किया जाता है।

(ख) भरतीय रेल में स्वचालित सिगनल प्रणाली की स्थिति निम्नानुसार है:-

30.06.2018 की स्थिति के अनुसार

रेलवे	स्वचालित सिगनल (यूनिट मार्ग किलोमीटर (आर.के.एम.) में	
	मौजूदा	प्रगतति पर कार्य
भारतीय रेल में कुल	2955	1220
उत्तर भारत में स्थिति		
उत्तर रेलवे	242.21	135
उत्तर मध्य रेलवे	719	553

स्वचालित सिगनल से थ्रूपुट एंव औसत गति में सुधार होता है।

(ग) से (घ) गाड़ी की ताजोतरीन स्थिति जानने के लिए गाड़ियों के चलने, पुन: निर्धारित गाड़ियों, रद्द गाड़ियों की सूचना से संबंधित पूछताछ 138, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एन.टी.ई.एस.) वेबसाइट और मोबाइल (एन्ड्रॉइड) आधारित ऐप के माध्यम से की जा सकती है। भारतीय रेल ने एक से अधिक घंटे से विलम्ब से चलने वाली गाड़ियों के बारे में अल्प संदेश सेवा (एस.एम.एस.) के माध्यम से उन यात्रियों को सूचित करने की सुविधा भी आरंभ की है, जो अगले/आगामी स्टेशनों से गाड़ियों में चढ़ते हैं। यह सुविधा राजधानी, दुरांतो, शताब्दी, गतिमान, तेजस, जनशताब्दी, गरीबरथ, सुविधा, सुपरफास्ट और हमसफर गाड़ियों में आरंभ की गई है। गाड़ियों का समय पुन: निर्धारित किए जाने के मामले में, आरंभिक स्टेशन पर गाड़ी में चढ़ने वाले संभावित सभी यात्रियों को भी उनके पास उपलब्ध मोबाइल और वैध मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. सेवा दी जाती है।

[अनुवाद]

किराए से इतर राजस्व

2521. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
कुमारी सुष्मिता देव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने किराए से इतर राजस्व के और सृजन के संबंध में जनता से नए विचार एवं अवधारणा मांगी है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के ध्यान में आए विचार एवं अवधारणा का ब्यौरा क्या है तथा क्या रेलवे ने कार्यान्वयन से पहले इन विचारों एवं अवधारणा की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले पांच वर्षों में किराए से इतर कितने राजस्व के सृजित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय रेल की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण और राजस्व उपार्जक गतिविधियां निष्पादित करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा गैर-किराया राजस्व में वृद्धि के लिए नवीन विचारों और अवधारणाओं को प्रोत्साहित करने का विनिचय किया गया है। 'न्यू, इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम' (एन.आई.एन.एफ.आर.आई.एस.) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना को क्षेत्रीय रेलों पर मंडल स्तर पर लागू किया जाना है। यह योजना हाल ही में 21.05.2018 को जारी की गई है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा नवीन विचारों और अवधारणाओं की प्राप्ति, जांच और उन्हें लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे द्वारा गैर-किराया राजस्व के अंतर्गत प्राप्त नवीन विचार और अवधारणा निम्नानुसार है।

यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) टिकट, विभिन्न स्टेशन/कारखानों पर फुट मसाजर वाली रोबोटिक मसाज चेअर और बॉडी मास इंडेक्स मशीनों, बी.एम.आई. किओस्क (बॉडी मास इंडेक्स), गाड़ी के सवारी डिब्बों में लाइट एमिटिंग डायोड (एल.ई.डी.) डिजिटल वॉल/स्क्रीन, रिवर्स ऑसमोसिस (आर.ओ.) वॉअर प्यूरिफिकेशन, माइक्रो स्मार्ट स्टे लाउंज, मोबाइल एप्लीकेशन आधारित उपनगरीय टिकट प्रणाली, उत्पादों एवं सेवाओं के लिए थ्री डायमेंशनल (3 डी) प्रोडक्ट डिस्प्ले, मोबाइल टॉवर एवं स्माल सेल यूनिट प्रस्ताव, प्रोजेक्शन मैपिंग प्रौद्योगिकी, प्लेटफार्म रेजर पर विनाइल रैपिंग, वेतन पर्चियों पर विज्ञापन, बॉटल क्रशिंग मशीनों पर विज्ञापन अधिकार, जन सूचना प्रणाली के माध्यम से इ.एम.यू. रेकों में विज्ञापन, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड शॉपिंग, स्टेशनों पर प्रदर्शन, मार्किट कांट्रेक्ट, रेलवे टिकट ऐप (मोबाइल पर अनारक्षित टिकट प्रणाली) का प्रचार, हैरिटेज कैफे, हैल्थ ए.टी.एम., विभिन्न स्टेशनों पर तुकबंदी, स्टेशन पर टेक्स प्लाजा और रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल फूड कोर्ट की स्थापना, प्लेटफार्म शेल्टर के पैनल ट्रस और छत पर प्रचार, रेलवे स्टेशन के ग्लास के अग्रभाग पर प्रचार अधिकार, दोहरे डिस्प्ले वाली सूचना मनोरंजन प्रणाली।

(घ) गैर-किराया राजस्व स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के लिए भारतीय रेल द्वारा बजट अनुमान 2018-19 के लिए 1200 करोड़ रु. का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अल्पसंख्यकों हेतु आयोग

2522. श्री राजीव सातव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
श्री धंनजय महाडीक :
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री जुगल किशोर :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक मामले आयोग का गठन किया गया है तथा जहां अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या उन राज्यों ने भी अल्पसंख्यक मामले आयोग का गठन किया है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन का कार्य संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। एन.सी.एम. राज्य अल्पसंख्यक आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी नहीं रखता है।

(ख) से (घ) केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत देश में अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया जाता है। देश के संदर्भ में अभी तक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन। 18 में से एक राज्य, जहां अलसंख्यक आयोग गठित किया गया है, में हिंदुओं की जनसंख्या एन.सी.एम. अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से कम है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक के गठन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों के अनुसार उचित कार्रवाई करें और अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एस.आई.आर. के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में शोध हेतु नामांकित विद्यार्थी

2523. डॉ. जे. जयवर्धन :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सी.एस.आई.आर. के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में शोध के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या शोध विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सी.एस.आई.आर. के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में विद्यार्थियो के नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की विभिन्न घटक प्रयोगशालों में गत तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) तथा वर्तमान वर्ष (2018-19) के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की संख्या निम्नांकित सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/यूनिट का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान (ए.एम.पी.आर.आई.), भोपाल	2	8	9	9
2.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई), रुड़की	2	2	2	2
3.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.), लखनऊ	133	136	70	91

क्र.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/यूनिट का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
4.	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.ई.सी.आर.आई.), कारैकुड़ी	5	5	7	33
5.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.ई.ई.आर.आई., पिलानी का क्षेत्रीय केन्द्र), चेन्नै	1	1	3	6
6.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.ई.ई.आर.आई.), पिलानी	7	22	29	33
7.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.), मैसूर	28	29	15	29
8.	केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी.जी.सी.आर.आई.), कोलकाता	23	23	24	22
9.	केन्द्रीय औषधीय एवं संगध पोधा संस्थान, बेंगलूरु (सी.आई.एम.ए.पी., लखनऊ का क्षेत्रीय केन्द्र)	1	1	1	1
10.	केन्द्रीय औषधीय एवं संगध पोधा संस्थान (सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ	34	34	39	54
11.	केन्द्रीय खनन तथा ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एम.एफ.आर.), धनबाद	2	2	1	2
12.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी.एल.आर.आई.), चेन्नै	26	28	11	37
13.	केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एम.ई.आर.आई.), दुर्गापुर	6	6	6	8
14.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई.), नई दिल्ली	2	3	1	2
15.	केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनंसधान संस्थान (सी.एस.एम.सी.आर.आई.), भावनगर	37	44	47	61
16.	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी.एस.आई.ओ.), चण्डीगढ़	5	10	10	16
17.	कोशिकीय एवं अणु जीवविज्ञान केन्द्र (सी.सी.एम.बी.), हैदराबाद	52	62	65	80
18.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मद्रास कॉम्प्लेक्स, चेन्नै	1	1	1	1
19.	सी.एस.आई.आर. केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, चेन्नै (सी.ई.ई.आर.आई., पिलानी का क्षेत्रीय केन्द्र)	-	-	-	2
20.	सी.एस.आई.आर. फोर्थ पैराडाइम संस्थान (सी.एस.आई.आर.-4पी.आई.), बेंगलूरु	1	1	-	3

क्र.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/यूनिट का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
21.	सी.एस.आई.आर.- सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (यू.आर.डी.आई.पी.), पुणे	-	-	-	2
22.	भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (आई.आई.सी.बी.), कोलकाता	109	133	78	119
23.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.), हैदराबाद	361	405	280	322
24.	भारतीय समवेत औषध संस्थान (आई.आई.आई.एम.), .जम्मू	8	8	8	42
25.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई.आई.पी.), देहरादून	19	24	27	36
26.	भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई.आई.टी.आर.), लखनऊ	17	17	17	43
27.	जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.बी.), दिल्ली	54	57	64	104
28.	हिमालय वैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.बी.टी.), पालमपुर	27	28	31	45
29.	सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.टी.), चण्डीगढ़	75	86	99	114
30.	खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.एम.टी.), भुवनेश्वर	10	10	9	22
31.	राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एन.ए.एल.), बेंगलूर	2	2	2	4
32.	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन.बी.आर.आई.), लखनऊ	32	39	24	40
33.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन.सी.एल.), पुणे	208	235	140	208
34.	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई (एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर का क्षेत्रीय केन्द्र)	-	-	-	1
35.	राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर	13	15	15	14
36.	राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.), हैदराबाद	25	27	31	38
37.	राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.आई.एस.टी.), तिरुवनंतपुरम	75	85	89	120
38.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ.), गोवा	48	54	56	72
39.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, कोच्ची (एन.आई.ओ. गोवा का क्षेत्रीय केन्द्र)	3	3	3	5

क्र.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/यूनिट का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
40.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, मुम्बई (एन.आई.ओ., गोवा का क्षेत्रीय केन्द्र)	-	-	-	2
41.	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, विशाखापटनम (एन.आई.ओ., गोवा का क्षेत्रीय केन्द्र)	-	-	-	3
42.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान (एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर.), नई दिल्ली	4	4	4	4
43.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (एन.आई.एस.टी.ए.डी.एस.), नई दिल्ली	3	5	6	10
44.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन.एम.एल), जमशेदपुर	2	2	2	6
45.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.), नई दिल्ली	54	70	51	79
46.	उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.ई.आई.एस.टी.), जोरहाट	7	7	7	14
47.	सी.एस.आई.आर- संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एस.ई.आर.सी.), चेन्नै	-	-	-	6
48.	मानव संसाधन विकास समूह, नई दिल्ली	2	3	-	-
	कुल	1526	1737	1384	1967

(ख) जी नहीं। वर्ष 2015-16 के दौरान सी.एस.आई.आर. के संस्थानों में रिसर्च स्कॉलरों की संख्या 1526 थी जो 2018-19 (वर्तमान वर्ष) में बढ़ कर 1967 हो गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सी.एस.आई.आर. ने दिसंबर, 2017 में आयोजित सी.एस.आई.आर.-यू.जी.सी. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के माध्यम से हाल में जे.आर.एफ.-नेट फेलोशिप की संख्या 100% तक बढ़ाई है। यह इस तथ्य से सुस्पष्ट है कि जून, 2017 में आयोजित नेट में प्रदान की गई 2029 की तुलना में दिसंबर, 2017 में आयोजित नेट में सी.एस.आई.आर. द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई जे.आर.एफ.-नेट की संख्या 4060 है। यह भी उल्लेखनीय है कि सी.एस.आई.आर. के जे.आर.एफ.-नेट छात्र अपने रिसर्च करियर की प्रगति के लिए अपनी पसंद से सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं सहित किसी भी विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थानों को ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस प्रकार सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रदान की गई जे.आर.एफ.-नेट फैलोशिप की संख्या में वृद्धि का सी.एस.आई.आर. संस्थानों में उनकी ज्वाइनिंग का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं रिसर्च छात्रों को आधुनिकतम अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करती हैं।

सी.एस.आई.आर 800 योजना

2524. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री धनंजय महाडीक :
श्री राजीव सातव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :
डॉ. जे. जयवर्धन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.एस.आई.आर. 800 योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सी.एस.आई.आर. 800 के प्रारभं से इस के तत्वावधान में विकसित प्रौद्योगिकियों के संबंध में वर्ष-वार और विषय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल गांवों की संख्या कितनी है जहां पर सी.एस.आई.आर. 800 योजना कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) क्या योजना महाराष्ट्र राज्य सहित क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए अवसर सृजित करने की दृष्टि से सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उन महिला-पुरुष उद्यमियों का ब्यौरा क्या है जो प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने आर्थिक पिरामिड के निचले स्तर पर स्थित लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने और नीरसता को समाप्त करने के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेपों की उपलब्धतार्थ केन्द्रित 'सी.एस.आई.आर.-800' योजना का प्रचालन किया है। 'सी.एस.आई.आर.-800' योजना को दिसम्बर, 2014 में अनुमोदन प्रदान किया गया था सी.एस.आई.आर.-800 से संबंधित गतिविधियों के लिए गत तीन वर्षों में आवंटित वर्ष-वार राशि निम्नवत है :-

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
राशि करोड़ों में	22.48	19.48	8.86	50.52

(ख) गत वर्षों में सी.एस.आई.आर. ने सी.एस.आई.आर.-800 हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिनके क्षेत्र हैं : खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण; भवन और निर्माण; जल; पर्यावरण एवं स्वच्छता; ग्रामीण सड़कें; लाभप्रद पादपों की कृषि और प्रसंस्करण; कृषि मशीनें; चर्म; पॉटरी आदि।

(ग) संपूर्ण देश के अनेक राज्यों के 500 से अधिक गांवों में विकसित प्रौद्योगिकियों का लाभकारी उपयोग किया गया है जिसमें उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। महाराष्ट्र के लाभान्वित गांवों में अन्य के साथ शेवती, अटकली, अंजनगांव सुरजी, हिवारखेड, मोहागांव, गोठागांव, खपरी, महलगांव, परभनी, परतापुर, खपरी, डोंगरगांव, लोनारे, पंचगांव तथा नागपुर के पास के गांव, वर्धा, अमरावती, अकोला, लातूर, पुणे, ठाणे, इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु के लाभान्वित गांवों में अन्य के साथ अंडाकुड़ी, अलनवयाल, कोझै, श्री अधीवरागनल्लुर, थेथमपट्टु, मेलपुलियांगुडी, थेरंकुप्पम, पीडारानंडल, सेलुगई, सेथुमदाई, थोलार, ऊंजनाई, वेप्पुर, विलनकटटुर तथा चेन्नै के समीप के गांव, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, कारैकुड़ी इत्यादि शामिल हैं।

(घ) सी.सी.आई.आर. प्रौद्योगिकियों से संपूर्ण देश के पुरुष महिला उद्यमियों के लिए (महाराष्ट्र राज्य सहित) अवसरों का सृजन हुआ है, ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है:

विवरण

सी.एस.आई.आर. प्रौद्योगिकियों से देशभर के पुरुष और महिला उद्यमियों के लिए सृजित अवसरों का ब्यौरा

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
1.	सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई.	उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत वास्तुशिलप में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतराक्षेपों हेतु सलाहकार सेवाएं	नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए परंपरागत सुदृढ़ वास्तुशिल्प का रखरखाव करते पहाड़ी घरों के डिजाइन तथा निर्माण हेतु और साथ ही, महंगे भवन मटीरियलों का उपयोग समाप्त करने हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय समाधान।
2.	सी.एस.आई.आर-सी.सी.एम.बी.	बेहतर सांबा महसूरी जीवाणुज शीर्णता रोधी चावल की कृषि जोपजाति	अनेक राज्यों के चावल किसानों की आय में संवृद्धि। प्रभावित क्षेत्रों में उत्तम दाने वाले चावल किस्मों की खेती करने वाले किसान लाभान्वित है। यह किस्म विशेषतया आंध्रप्रदेश के कुरनूल, पूर्व तथा पश्चिम गोदावरी जिलों के किसानों हेतु सहायक रही है जहां जीवाणुज शीर्णता के अनेक नए संक्रामक रोग रहे हैं। 2015-17 के लिए ही बढ़ाई गई अतिरिक्त आय (विशेष मूल्य) - रु. 101 करोड़ है। उक्त अवधि के दौरान आई.एस.एम. खेती के अधीन क्षेत्र 25,000 तथा 30,000 हेक्टेयर क्रमश: है। कृषि उत्पादन का कुल अनुमानित मूल्य लगभग रु. 528 करोड़ है।

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
3.	सी.एस.आई.आर.-सी.सी.एम.बी.	पूर्वीघाट तथा गोंडवाना क्षेत्र, तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश तथा उड़ीसा में सेब की खेती का सार्वजनिकी-करण	• परिवहन लागत बचाने वाले देश के गैर-परंपरात सेब उगाने वाले भागों में वैकल्पिक आय सृजन। • देश में मौसम और गैर-मौसम दोनों में सेब के उत्पादन को बढ़ाना और आयात समग्री में कमी करना। • सेब एक लंबी अवधि की बागवानी की वृक्ष फसल हैं; और फल आने में अन्य 2-3 वर्ष लगेंगे।
4.	सी.एस.आई.आर-सी.एफ.टी.आर.आई.	मैसूर के आसपास गन्ने के रस को बोतल में भरने के लिए स्वचालित प्रक्रमण यूनिट	• परंपरागत प्रक्रमण की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक तक आय संवर्धन • इस उत्पाद की निधानी आयु 4 माह है • ताजे रस जैसा रंग तथा स्वाद
5.	सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई.	पश्चिम गंगाल के जिला मालदा के रामचंद्रपुर गांव में आर्सेनिक तथा लौह के अपनयन हेतु उच्च धारिता वाले सिरामिक मेम्ब्रेन मॉड्यूलों का प्रदर्शन	एक संयंत्र के अधिष्ठापन को पूरा कर पी.एच.ई.डी., पश्चिम बंगाल सरकार को समर्पित किया। 500 लोगों के लिए एक इकाई कैटरिंग हेतु सालाना लाभ रु. 16.06 लाख है।
		विभिन्न राज्यों में टेराकोटा पॉटरी बनाने में सहयोगी ग्रामीण कारीगरों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम	संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों से 127 कारीगरों के लिए 10 दिन की अवधि के पांच आवासीय कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया।
6.	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.ए.पी.	लेमनग्रास, पामरोजा, वेटिवर, सिट्रोनेला, मेथॉल मिंट, अश्वगंधा, लेमनग्रास जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय एवं सगंध फसलों की बेहतर एग्रो एवं प्रक्रमण प्रौद्योगिकियां	बुदेलखंड, विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भांगों में 1140 एकड़ के क्षेत्र को शामिल करते हुए किसानों के खेत पर लेमनग्रास, वेटिवर, पामरोजा, सिट्रोनेला, मेंथॉल मिंट तथा अश्वगंधा का प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनों से रु. 482.50 लाख के मूल्य का फसल उत्पादन (सुगन्धित तथा अश्वगंधा जड़) प्राप्त किया। इन पादपों की खेती से कुल 1,53,500 श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ।
7.	सी.एस.आई.आर-सी.एम.ई.आर.आई.	पूर्वी राज्यों में अदरक के लच्छों के उत्पादन हेतु अर्ध-स्वचालित अदरक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	रु. 2580/ टन प्रतिदिन की आय सृजन रु. 7.74 लाख/टन वार्षिक
8.	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई	पश्चिम बंगाल में इम्प्रूव्ड आयरन रिमूवल प्लांट्स	आधी कीमत पर आयरन रिमूवल करने में सक्षम करता है। वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध 500 व्यक्तियों हेतु घरेलू फिल्टर्स का व्यय लगभग रु. 100,000/- होता है 500 व्यक्तियों के लिए इम्प्रूव्ड आयारन रिमूवल प्लांट की कीमत रु. 50,000 है।

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
9.	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.	गुजरात में वैज्ञानिक अन्तराक्षेप के माध्यम से सोलर सॉल्ट की गुणवत्ता में सुधार	लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ : सॉल्ट का रु. 100/एम.टी.
10.	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.	तटीय क्षेत्रों में सीमांत समुदायों के लिए समुद्री शैवाल की खेती	प्रति व्यक्ति अर्जित अतिरिक्त आय रु. 908/- (एगेरोफाइट्स फार्मिंग) और रु. 13,5.41/- (कप्पाफाइकस) है। प्रतिलाभार्थी औसतन आय रु. 9,643/- होने का अनुमान है।
11.	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई.	गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस में सेलिकोर्निआ की कृषि विज्ञान कार्य प्रणाली	295 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक किसान को सेलिकोर्निआ की खेती से रु. 5000/- का लाभ प्राप्त हो रहा है। अर्जित कुल आय : रु. 14.75 लाख
12.	सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी.	एरोमेटिक एवं हर्बल्स : हिमालयन क्षेत्र में कृषि विभिन्नता को सुगम बनाने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लांट्स की अभिलक्षणित प्लांटिंग सामग्री का उत्पादन	285 एकड़ क्षेत्र को अत्यधिक मांग वाली औद्योगिक फसलों के अन्तर्गत लाया गया जैसे- स्टेविया, वाइल्ड मेरी गोल्ड जामदानी गुलाब और अन्य हर्बल्स जैसे इलायची, लैवेंडर, जेरेनियम इत्यादि; रु. 370 लाख का कुल राजस्व सृजन
13.	सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी.	फसल विविधीकरण हेतु महत्वपूर्ण कट फ्लावर फसलों का आरंभ	आय वृद्धि। हि.प्र. एवं समीपस्थ राज्यों यू.के., जे.एंड.के., पंजाब में 45 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर पुष्प खेती को बढ़ाया गया, जिससे 265 उत्पादकों को रु. 259.71 लाख रु. का निवल लाभ हुआ।
14.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में समाधान केन्द्र	आधुनिक कृषि, कीट नियंत्रण प्रणालियों, मृदा परीक्षण, बीज प्रबंधन इत्यादि का लाभ उठाने हेतु मेदक में 50,000 वनस्पति किसानों और चित्तूर जिले में 70,000 आम की खेती करने वाले किसानों को लाभ हुआ, प्रत्येक केन्द्र लगभग एक लाख जनसंख्या को कवर करते हुए आसपास 20 गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
15.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.	तेलंगाना और आन्ध्रप्रदेश में आदिवासी टसर किसानों द्वारा स्थायी टसर संवर्धन विकास	रु. 4000 प्रति किसान की आय का सृजन [डिज़ीज फ्री लेइंग (डी.एल.एल.) लघु पालन पोषण उपकरणों, ऊर्वरकों एवं कीटाणु नाशकों के रूप में सहायता दी जाती है] 400 टसार किसान लाभन्वित हुए। तेलंगाना के करीमनगर एवं आदिलाबाद जिले के किसानों को अपनी काकूनों की बिक्री के बाद क्रमशः वर्ष 2015-16 के दौरान रु. 16.55 लाख और वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 24.67 लाख प्राप्त हुए हैं।

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
16.	सी.एस.आई.आर-आई.आई.सी.टी.	तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में फीरोमोन अनुप्रयोग प्रौद्यागिकी (पी.ए.टी.) का लोकप्रियकरण	नॉन-पी.ए.टी. किसानों की तुलना में पी.ए.टी. किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त आय का लाभ हुआ अनुप्रयोग में आसान, 50 प्रशित तक कीटनाशकों में कमी, गुणवत्तापरक उत्पादन, स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरण सुरक्षा आदि। 1735 एकड़ में फसल पर निर्भर होने से रु. 2500-25000 प्रति एकड़ के बीच में आय
17.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी.	तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में भू-जल एवं सतहीजल शुद्धिकरण (50-1000 एल/एच हेतु हाई कॉम्पैक्ट रिवर्स ओस्मोसिस/नैनोफिल्ट्रेशन सिस्टम्स	विद्यालयों, छात्रावासों एवं गांवों में 50-250 एल./एच. क्षमता के 15 कॉम्पैक्ट संयंत्रों और 1000 एल./एच. क्षमता के 12 प्रायोगिक संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू किया गया। 5 लाख जनसंख्या लाभांवित हो रही है तथा 75 लाख रु. प्रतिवर्ष राजस्व का सृजन होता है। महत्वपूर्ण विशेषताएं: जल प्राप्ति : 60-80 प्रतिशत परिचालन लागत : 3-5 पैसे प्रति लिटर पूंजीगत लागत : 100 एल.पी.एच. हेतु रु. 35000, 500 एल.पी.एच. हेतु 3 लाख रु. और 1000 एल.पी.एच. हेतु 6 लाख रु.
18.	सी.एस.आई.आर-आई.आई.सी.टी.	तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में खाद्य अपशिष्ट के उपचार हेतु ए.जी.आर. पर आधारित बायोगैस संयंत्र	3 संयंत्रों में प्रत्येक पर 1000 किग्रा. अपशिष्ट का उपयोग बचत/आय एल.पी.जी. : रु. 2579-2948/दिन (रु. 9.41-10.76 लाख/वर्ष) बायोमैन्योर : रु.300-400/दिन (रु.1.10-1046 लाख/वर्ष) कुल = रु. 2879-3348/दिन (रु.10.50-12.22 लाख/वर्ष)
19.	सी.एस.आई.आर-आई.आई.आई.एम.	जे. एंड के. आरोग्य ग्राम योजना (जे.ए.ए.जी.)	इस परियोजना के क्रियान्वयन से 10 जिला (कठूआ, ऊधमपुर, रीआसी, डोडा, रामबन, किश्तावड, साम्बा, पूंछ, जम्मू एवं राजौरी) की कांडी भूमि/वर्षा भूमि/बंजर भूमि/अप्रयुक्त भूमि/हिमाछादित क्षेत्रों में 100 हेक्टेयर से अधिक लाभांवित। इस परियोजना के अंतर्गत एम.ए.पी. की खेती में 399 किसान सम्मिलित थे। किसानों द्वारा रु. 1000/किग्रा. की दर से अकेले टेगेटस मिनूटा के 99 किग्रा. बीज खरीदे गए। रु. 9.62 लाख की आय पहले ही प्राप्त की गई, जब सभी फसलें बाजार के लिए तैयार हो जाएंगी तो आगामी वर्षों में आय में वृद्धि होगी।

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
			गुणवत्तापरक सामग्री से रु. 20 करोड़ की अतिरिक्त राशि सृजित की गई जो वितरण के प्रयोजनों हेतु सी.एस.आई.आर. के पास है। इस कार्यक्रम से 25,325 रोजगार/श्रमदिवसों का सृजन हुआ और 1745 मानव संसाधन (किसानों) को प्रशिक्षित किया।
20.	सी.एस.आई.आर-आई.आई.आई.एम.	जम्मू एवं कश्मीर और उत्तर प्रदेश में मोनार्डा सिट्रिओडोरा की खेती	• जम्मू, श्रीनगर एवं हरदोई में 10 एकड़ भूमि में जम्मू मोनार्डा की कृषि-प्रौद्योगिकी हस्तांतरित • जम्मू मोनार्डा (99 प्रतिशत शुद्ध) के संगधीय तेल से थाइमोल से समृद्ध क्रिस्टल विकास प्रोटोमॉल्स हेतु मानकीकरण किया।
21.		जम्मू क्षेत्र में मूल्य अभिवृद्धि वाले "कश्मीर एरोमा किट" हेतु उत्पादन प्रौद्योगिकी	• सी.एस.आई.आर.-आई.आई.आई.एम. के फार्मों में उत्पादित सगंधीय तेलों की छह किस्मों से कुल 2654 मूल्य अभिवृद्धि वाली एरोमा किटें तैयार की गई (3 मिलि., 6 मिलि. क्षमता) • निजी कंपनियों यथा मेसर्स स्ट्रेटेजी इंडिया बैंगलोर के सहयोग से दस मूल्य अभिवृद्धि वाले उत्पादों यथा मच्छर प्रतिकर्षी लिक्विड, मच्छर प्रतिकर्षी क्रीम का उत्पादन किया।
22.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी.	उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में उन्नत गुड़ बनाने का संयंत्र	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी. की उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गुड़ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता ने गन्ना किसानों के लिए इसे अंशकालिक व्यापार से लाभ योग्य पूर्णकालिक व्यापार में परिवर्तित कर दिया है। इस उन्नत प्रौद्योगिकी से एक मौसम में लगभग 23 प्रतिशत बढ़ी हुई आय हासिल की जा सकती है जिसे 37 संयंत्रों के अधिष्ठापन के माध्यम से सिद्ध किया गया है। 37 इकाईयों हेतु कुल बचत आंकड़े रु. 66 लाख प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त उन्नत संयंत्र से उत्पादित प्रति 1 टन गुड़ हेतु CO_2 का 271.5 किग्रा. कम किया गया है।
23.	सी.एस.आई.आर.-एन.बी.आर.आई.	अत्यधिक संभावित नमक और ट्राइकोडर्मा स्पे., बेसिलस स्पे., और स्यूडोमोनस स्पे., के तापमान सह्य दबावों के इस्तेमाल से सोडिक बंजर भूमियों पर फसलों की निष्पादकता को बढ़ाने के लिए	17 जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशक का उत्पादन करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालाओं ने उच्च मान, दबाव सह्य माइक्रोब्स (पी.एस.बी.; राइजोबियम और एजोटोबैक्टर) और हेंडस ऑन ट्रेनिंग उपलब्ध कराएं। इन प्रयोगशालाओं ने 45

क्र.स.	प्रयोगशाला	बनाए गए अंतराक्षेप	उद्यमियों/सामान्य लोगों हेतु लाभ
		बायोइनोक्यूलैंट्स	लाख पैकेटों का उत्पान किया जिनका उपयोग समग्र राज्य में किया। 100 किसानों को जैव ऊर्वरकों के अनुप्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया। 2,62,800 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया जिससे 29,343 मीटर टन ऊर्वरक की बचत हुई।
24.	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल	पुणे के आसपास भारतीय ग्रामीण/आदिवासी समुदाय हेतु सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल की की यू.एफ.- मेम्ब्रेन आधारित जल शुद्धिकरण इकाइयां	सामान्य लागत रु. 2.5 लाख सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल. लागत रु. 0.05 लाख
25.	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.ई.आर.आई.	महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	• नीरधर प्रौद्योगिकी सफलतापूर्वक विकसित की गई है और 2 समग्र राज्यों नामश: नागपुर जिले में मोहागांव, गोथनगांव सावरोली पालघर, मुम्बई और चुना खेली के 4 गावों में प्रदर्शन किया गया है। • माइक्रोब समर्थित हरित प्रौद्योगिकी (एम.ए.जी.टी.) के माध्यम से बैम्बू बायोमास के इस्तेमाल से निम्नीकृत भूमियों का पुनरुद्धार • विदर्थ, महाराष्ट्र के चुनिंदा गांवों में रैपिड कम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन • ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इन-बैसल सोलर कॉम्पोस्टर का डिजाइन एवं विकास
26.	सी.एस.आई.आर-एन.ई.आई.एस.टी.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लिक्विड दीओडारेंट क्लीनर का उत्पादन	रु. 6 लाख/उद्यमी/वर्ष
27.	सी.एस.आई.आर-एन.ई.आई.एस.टी.	उत्तरपूर्व क्षेत्र में जैक्वार्ड के इस्तेमाल से बुनाई संबंधी प्रशिक्षण एवं उत्पाद विकास	लाभार्थी उद्यमी की आय में 5000 प्रतिमाह की दर से 60,000/वर्ष की वृद्धि

क्र.सं.	सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के पूरे नाम एवं उनके स्थान
1.	सी.एस.आई.आर.-ए.एम.पी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान), भोपाल
2.	सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान), रुड़की
3.	सी.एस.आई.आर.-सी.सी.एम.बी. (सी.एस.आई.आर.-कोशिकीय एवं अणुजीवविज्ञान केन्द्र), हैदराबाद
4.	सी.एस.आई.आर.-सी.डी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान) लखनऊ
5.	सी.एस.आई.आर.-सी.ई.सी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय विद्युत रसयान अनुसंधान संस्थान), कारैकुड़ी
6.	सी.एस.आई.आर.- सी.ई.ई.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान), पिलानी

क्र.सं.	सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के पूरे नाम एवं उनके स्थान
7.	सी.एस.आई.आर.-सी.एफ.टी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान), मैसूर
8.	सी.एस.आई.आर.-सी.जी.सी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान), कोलकाता
9.	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.ए.पी. (केन्द्रीय औषधीय एवं संगध पौधा संस्थान), लखनऊ
10.	सी.एस.आई.आर.-सी.आई.एम.एफ.आर. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय खनन तथा ईंधन अनुसंधान संस्थान), धनबाद
11.	सी.एस.आई.आर.-सी.एल.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान), चेन्नै
12.	सी.एस.आई.आर.-सी.एम.ई.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान), दुर्गापुर
13.	सी.एस.आई.आर.-सी.आर.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान), नई दिल्ली
14.	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.आई.ओ. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन), चण्डीगढ़.
15.	सी.एस.आई.आर.-सी.एस.एम.सी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान), भवनगर
16.	सी.एस.आई.आर.-आई.जी.आई.बी. (सी.एस.आई.आर.-जीनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान), दिल्ली
17.	सी.एस.आई.आर.-आई.एच.बी.टी. (सी.एस.आई.आर.-.हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान), पालमपुर
18.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.बी. (सी.एस.आई.आर.-भारतीय रासायिनिक जीवविज्ञान संस्थान), कोलकाता
19.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.सी.टी. (सी.एस.आई.आर.-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान), हैदराबाद
20.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.आई.एम. (सी.एस.आई.आर.-भारतीय समवेत औषध संस्थान) जम्मू
21.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.पी. (सी.एस.आई.आर.-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान), देहरादून
22.	सी.एस.आई.आर.-आई.आई.टी.आर. (सी.एस.आई.आर.-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान), लखनऊ
23.	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.एम.टी. (सी.एस.आई.आर.-खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान), भुवनेश्वर
24.	सी.एस.आई.आर.-आई.एम.टी. (सी.एस.आई.आर.-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान), चण्डीगढ़
25.	सी.एस.आई.आर.-एन.ए.एल. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं), बेंगलूरु
26.	सी.एस.आई.आर.-एन.बी.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान), लखनऊ
27.	सी.एस.आई.आर.-एन.सी.एल. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला), पुणे
28.	सी.एस.आई.आर.-इन.ई.ई.आर.आई. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान), नागपुर
29.	सी.एस.आई.आर.-एन.ई.आई.एस.टी. (सी.एस.आई.आर.-उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान), जोरहाट
30.	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान), हैदराबाद
31.	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.आई.एस.टी. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान), तिरुवनंतपुरम
32.	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.ओ. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान), गोवा
33.	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.एस.सी.ए.आई.आर. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान), नई दिल्ली
34.	सी.एस.आई.आर.-एन.आई.एस.टी.डी.एस. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान), नई दिल्ली
35.	सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला), जमशेदपुर
36.	सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल. (सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला), नई दिल्ली
37.	सी.एस.आई.आर.-एस.ई.आर.सी. (सी.एस.आई.आर.-संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र), चेन्नै

डिजिटल आधारभूत ढांचा और नेट न्यूट्रैलिटी

2525. श्री आनंदराव अडसुल :
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :
डॉ. श्रीकान्त एकनाथ शिंदे :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री राकेश सिंह :
श्री विनायक भाऊराव राऊत :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिजिटल आधारभूत ढांचे का क्या महत्व है और सरकार द्वारा देश में डिजिटल आधारभूत ढांचे के विस्तार और सशक्तिकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) मुफ्त और खुले इंटरनेट के सिद्धांतों का समर्थन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में टी.आर.ए.आई. द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या टी.आर.ए.आई. ने नेट न्यूट्रैलिटी के ढांचे की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए, यदि कोई हैं, तो नीतिगत ढांचे/मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त नीतिगत ढांचा/मानदंडो के अनुपालन को सुनिश्चत करने के लिए कोई निगरानी तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वाईफाई नेटवर्क से जोड़ी गई ग्राम पंचायतों को राज्य/संघ रज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(च) देश की सभी ग्राम पंचायतों के कब तक वाईफाई नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) सरकार ने भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने और ज्ञान अर्थव्यवस्था (नालेज इकानमी) के रूप में बदलने की परिकल्पना की है जहां प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना का महत्व एक उपयोगिता के रूप में पहचाना गया है। इस अवसंरचना को विस्तार और मजबूती प्रदान करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलें की गई हैः-

(i) देश में (लगभग 2,50,000) सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट के प्रथम चरण के अंतर्गत दिसम्बर 2017 में एक लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-II के अंतर्गत शेष ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन का कार्य मार्च 2019 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और अधितल अवसंरचना (मोबाइल टॉवर) को विनियमित करने के लिए नवम्बर 2016 में भरतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं।

(iii) स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने और प्रशासनिक रूप से आबंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की अनुमति दी गई है।

(iv) सक्रिय अवसंरचना साझेदारी को सक्षम बनाया गया है ताकि अवसंरचना का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

(v) व्यपार करने को आसान बनाने के लिए सेवा की शुरुआत से पहले पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को हटा दिया गया है और साथ ही अब केवल पूर्व सूचना देना ही काफी है।

(vi) मोबाइल कनेक्शनों की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार पर आधारित ई-के.वाई.सी. (अपने ग्राहक को पहचानिए) को सक्षम बनाया गया है।

(ख) ट्राई ने इंटरनेट को खुला और गैर-भेदभाव पूर्ण बनाए रखने के लिए दिनांक 8 फरवरी 2016 को अपने विनियम 'डाटा सेवाओं के लिए भेदभाव पूर्ण प्रशुल्क निषेध विनियम, 2016' के द्वारा डाटा सेवाओं के लिए सामग्री के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रशुल्कों की पेशकश करने पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) और (घ) ट्राई ने अपनी दिनांक 28.11.2017 की 'नेट निष्पक्षता' संबंधी सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि इंटरनेट अभिगम सेवाएं एक सिद्धांत के द्वारा अधिशासित होनी चाहिए जो कि किसी सामग्री को ब्लॉक करने, सामग्री का स्तर निम्न करने, इंटरनेट की गति को कम करने अथवा तरजीह देने अथवा व्यवहार करने जैसे कार्यों सहित सामग्री के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव अथवा हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंध लगाए। सरकार नेट-निष्पक्षता

के मूलभूत सिद्धांतों और अवधारणा के प्रति वचनबद्ध है और देश के सभी नागरिकों को इंटरनेट तक गैर-भेदभाव पूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। सरकार नेट निष्पक्षता के लिए मानिटरिंग तंत्र बनाने के साथ-साथ विनियामक ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री के साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार करने संबंधी सिद्धांत सम्मिलित करते हुए भारत में इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान को अधिशासित करने वाले विभिन्न करारों की शर्तों के संशोधन शामिल हैं।

(ङ) यू.एस.ओ.एफ. (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) के वित्त पोषण से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा निम्नलिखित वाई-फाई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

i. बी.एस.एन.एल. की ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट।

ii. सी.एस.सी.-एस.पी.वी. (कॉमन सर्विस सेंटर-स्पेशल परपस वहिकल) के द्वारा 5000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई चौपालों की स्थापना करना।

iii. सी.एस.सी.-एस.पी.वी. द्वारा उत्तर प्रदेश की 25000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई नेटवर्क।

iv. हिमाचल प्रदेश की 3243 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई।

v. राजस्थान की 10,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई।

vi. दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार 4949 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रचालन कार्य कर रहे हैं। किए गए व्यय के साथ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार क्रमशः संलग्न ब्यौरा-I और II में दिया गया है।

(च) भारतनेट परियोजना के एक भाग के रूप में मार्च 2019 तक वाई-फाई अथवा किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

विवरण-I

प्रचालन कर रही ग्राम पंचायतों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रचालन कर रही ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	214
2.	चंडीगढ़	10
3.	छत्तीसगढ़	308
4.	हरियाणा	171
5.	झारखंड	280
6.	कर्नाटक	153
7.	मध्य प्रदेश	515
8.	महाराष्ट्र	149
9.	ओडिशा	80
10.	पुदुचेरी	81
11.	उत्तर प्रदेश	1467
12.	उत्तराखंड	321
13.	राजस्थान	1200
	कुल	4949

विवरण-II

यू.एस.ओ. निधि के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वाई-फाई नेटवर्क प्रदान करने हेतु किए गए व्यय का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्राम पंचायतों को वाई-फाई प्रदान करने के लिए यू.एस.ओ.एफ. निधि के अंतर्गत किया गया व्यय (रु. करोड में)
1	2	3
1.	बिहार	6.42
2.	चंडीगढ़	0.25
3.	छत्तीसगढ़	8.16
4.	हरियाणा	1.27
5.	हिमाचल प्रदेश	25.94
6.	झारखंड	7.37
7.	कर्नाटक	2.48
8.	मध्य प्रदेश	27.34
9.	महाराष्ट्र	3.09

1	2	3
10.	ओडिशा	1.87
11.	पुडुचेरी	1.68
12.	उत्तर प्रदेश	239.41
13.	उत्तराखंड	7.33
	कुल	332.61

एक-साथ चुनाव करवाने का प्रस्ताव

2526. **कुमारी सुष्मिता देव :**
श्री जैदेव गल्ला :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
डॉ. ए. सम्पत :
श्री ओम बिरला :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग देश में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक-साथ करवाने के पक्ष में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा चुनाव संबंधी सुधारों के लिए क्या बदलाव प्रस्तावित हैं;

(ख) क्या विधि आयोग ने हाल ही में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक-साथ करवाने की संभावना के संबंध में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा/विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो इस मसले पर राजनीतिक दलों के साथ किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या इसको यथार्थ रूप में लाने के लिए संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इत्यादि में संशोधन करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या प्रारंभिक/जमीनी कार्य किया गया है और एक-साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में होने वाले खर्च और तदुपरान्त होने वाली बचतों का निर्धारण करने के लिए कराए गए, यदि कोई हो, सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसका समर्थन करने वाले तथा इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा क्या है और इस मामले पर सर्वसम्मति बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) क्या देश में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव अलग-अलग करवाने से प्रशासनिक प्रणाली के सुगमता से कार्यकरण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और पूरे वर्ष कानून तथा व्यवस्था की समस्या विद्यमान रहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : (क) से (च) विधि आयोग ने सूचित किया है कि मामला अभी तक इसके परीक्षाधीन है। इसके अतिरिक्त सूचित किया गया है कि पणधारियों, जिसमें संविधान विशेषज्ञ शिक्षाविद, राजनैतिक दल, नौकरशाह, छात्र आदि सम्मिलित हैं, से परामर्श करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

आई.टी. स्टार्टअप हेतु विशेष प्रशुल्क

2527. **श्री नारणभाई काछड़िया :**
श्री रत्न लाल कटारिया :

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में आई.टी. स्टार्टअप को कोई विशेष प्रशुल्क छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) सरकार की निकट भविष्य में आई.टी. स्टार्ट-अप को कोई विशेष टैरिफ छूट देने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्टार्ट-अप कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी पहलें की हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) यदि स्टार्ट-अप को 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2019 के बीच शामिल किया गया है तो स्टार्ट-अप को 5 वर्ष के ब्लॉक में 3 वर्ष के लिए आयकर में छूट मिलेगी। संघ बजट 2017-18 में सरकार ने पात्र स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध लाभ से जुड़ी कटौतियों की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ा दी है।

(ii) वित्त अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 54 इ.इ. को प्रस्तुत किया गया है जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निधि में निवेश की गई दीर्घावधि पूंजीगत निधि के हस्तांतरण से मिलने वाले 50 लाख रुपये के पूंजीगत लाभ की छूट का प्रावधान करती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 जी.बी. को आवासीय मकान या भूमि में निर्धारित आवासीय प्लॉट की बिक्री

से होने वाले पूंजीगत लाभों पर लगने वाले कर में छूट देने के लिए संशोधित किया गया है, यदि विचारार्थ सकल राशि का निवेश विशिष्ट संपत्ति की खरीद के लिए पात्र स्टार्ट-अप के इक्विटी शेयर में किया गया है।

(iii) स्टार्ट-अप में किए गए निवेशों के लिए उचित बाज़ार मूल्य से ज्यादा के निवेशों पर कर में छूट 14 जून, 2016 को दी गई थी।

ग्रामीण तथा वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

2528. **श्री भर्तृहरि महताब** :
श्री राहुल शेवाले :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) वाले क्षेत्रों में आज की तारीख में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मोबाइल दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाना शेष है;

(ख) सरकार द्वारा देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मोबाइल दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं की इस प्रकार की अनुपलब्धता के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) दिनांक 27 जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित) ग्रामीण क्षेत्रों में 43,088 गांव ऐसे हैं जिन्हें अभी भी मोबाइल दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाना शेष है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसमें वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से प्रभावित 10 राज्य नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

(ख) सरकार द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से सभी अनकवर्ड गांवों को कवर करने की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा प्रथम चरण में पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीप समूहों, हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों जैसे देश के सुदूर इलाकों में पहुंचने को प्राथमिकता दी गई है।

कार्यान्वित किए गए तथा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(i) **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना**:

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) राज्यों में मोबाइल टेलीफोनी सेवा उपलब्ध कराने हेतु परियोजना के चरण-I में उपरोक्त भाग (क) में वर्णित 10 राज्यों में फैले हुए गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा चिन्हित किए गए 2355 टावर स्थलों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य शामिल है। इसे 2335 स्थानों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 7330 करोड़ रु. के व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा 4072 चिन्हित स्थानों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने हेतु 'वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र (एल.डब्ल्यू.ई.) चरण-II' योजना को मंजूरी दे दी गई है। एल.डब्ल्यू.ई. चरण-II स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और वॉयस तथा डाटा दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए 2जी प्रौद्योगिकी के साथ 4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन होने के बाद परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ किया जाएगा।

(ii) **पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु व्यापार दूरसंचार विकास योजना**

- इस योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के 4119 अनकवर्ड गांवों और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने हेतु 2258 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ 2817 मोबाइल टावर लगाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा बी.एस.एन.एल. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र (मेघालय को छोड़कर) के 2128 गांवों में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने हेतु 1656 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ 2004 मोबाइल टावर लगाने के लिए

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हेक्साकाम लिमिटेड के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 23.05.2018 को मेघालय के 2374 अनकवर्ड गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ 2173 मोबाइल टावर लगाने हेतु 2जी+4जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 3911 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
- जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों के बीच फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क के आवर्धन को असम में 323, मेघालय में 05, मिजोरम में 02, त्रिपुरा में 37, अरुणाचल प्रदेश में 07, मणिपुर में 10 और नागालैंड में 18 नोडों सहित कुल 402 नोडों द्वारा कनेक्ट किए जाने के साथ कार्यान्वित किया गया है।

(iii) **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना** :

- बी.एस.एन.एल. द्वारा सेटेलाइट बैंडविड्थ को 260 एम.बी.पी.एस. से बढ़ाकर 1.3 जी.बी.पी.एस. किया गया।
- 172 अनकवर्ड गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग 223 के लिए 129 कि.मी. में 2जी एवं 4जी सेवा के कवरेज का प्रावधान है जिसके लिए जून, 2018 में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(iv) **लक्षद्वीप द्वीपसमूह हेतु व्यापक दूरसंचार विकास योजना:**

- बी.एस.एन.एल. द्वारा सेटेलाइट बैंडविड्थ को 102 एम.बी.पी.एस. से बढ़ाकर 358 एम.बी.पी.एस. किया गया।
- 10 नए बी.टी.एस. टॉवरों को लगाए जाने के द्वारा ई.डी.जी.ई. प्रौद्योगिकी सहित 2जी मोबाइल कवरेज का आवर्धन।

(v) **भारत-नेट परियोजना** :

- भारत-नेट परियोजना को देशभर में लगभग 2.5 ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को ब्रॉडबैंउ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 08 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार लगभग 1.17 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है और लगभग 1.13 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार होना घोषित किया जा चुका है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में भी अंतिम छोर की कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है।

(vi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सी.एस.सी., ई-गर्वेनस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा 5000 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित किए गए हैं। बी.एस.एन.एल. द्वारा 25,000 ग्रामीण दूरभाष एक्सचेंजों में वाई-फाई हॉट-स्पॉटों के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है जिनमें से 4519 वाई-फाई हॉट-स्पॉट स्थापित किए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विविध योजनाओं के संबंध में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा संवितरित निधि को संलग्न विवरण-II में सारणीबद्ध गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उठाए गए कदम पहले से ही उपरोक्त (ख) में शामिल हैं।

विवरण-I

दिनांक 27 जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित) मोबाइल सेवा रहित संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र (यू.टी.) के गांवों की संख्या निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	जनगणना 2011 के अनुसार बसे हुए गांवों की संख्या	मोबाइल सेवा रहित बसे गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	396	165
2.	आंध्र प्रदेश	16158	2745
3.	अरुणाचल प्रदेश	5258	2215
4.	असम	25372	915

1	2	3	4
5.	बिहार	39073	263
6.	चंडीगढ़	5	0
7.	छत्तीसगढ़	19567	3563
8.	दादरा और नगर हवेली	65	0
9.	दमन और दीव	19	0
10.	दिल्ली	103	0
11.	गोवा	320	47
12.	गुजरात	17843	1262
13.	हरियाणा	6642	8
14.	हिमाचल प्रदेश	17882	211
15.	जम्मू और कश्मीर	6337	328
16.	झारखंड	29492	1222
17.	कर्नाटक	27397	869
18.	केरल	1017	0
19.	लक्षद्वीप	6	1
20.	मध्य प्रदेश	51929	5558
21.	महाराष्ट्र	40959	6117
22.	मणिपुर	2515	877
23.	मेघालय	6459	2691
24.	मिजोरम	704	314
25.	नागालैंड	1400	328
26.	ओडिशा	47677	9940
27.	पंजाब	12168	4
28.	पुडुचेरी	90	0
29.	राजस्थान	43264	1402
30.	सिक्किम	425	13
31.	तमिलनाडु	15049	83
32.	तेलंगाना	10128	647
33.	त्रिपुरा	863	16
34.	उत्तराखंड	15745	552
35.	उत्तर प्रदेश	97813	295
36.	पश्चिम बंगाल	37478	437
	कुल	5,97,618	43,088

विवरण-II

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी के संवितरण की स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	गतिविधि	संवितरित सब्सिडी			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 दिनांक 30.06.18 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र	617.05	280.68	710.90	61.63
2.	भारत-नेट (पूर्व में एन.ओ.एफ.एन.)	2415.10	5600.00	6000.00	
3.	ओ.एफ.सी. (पूर्वोत्तर-I एवं II)	3.95	27.52		
4.	ओ.एफ.सी. असम				0.77
5.	सेटेलाइट आवर्धन-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8.10			
6.	सेटेलाइट आवर्धन-लक्षद्वीप द्वीपसमूह		4.65		
7.	ग्रामीण ब्लॉक एक्सचेंजों में 25,000 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना	0	0	187.50	
8.	सी.एस.सी. द्वारा 5,000 ग्राम पंचायतों में 'वाई-फाई चौपाल'	0	35.70	68.16	

अल्पसंख्यकों का उत्थान

2529. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री राहुल शेवाले :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की गई कल्याणकारी योजनाओं में इच्छित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : (क) से (ग) शिक्षा के लिए अवसर बढ़ाने; मौजूदा एवं नई योजनाओं के जरिए आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए उचित भाग सुनिश्चित करने, स्व-रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता, राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक कार्य मत्रालय ने छः अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसी के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं/पहलें कार्यान्वित की हैं:-

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना - कक्षा I से X तक के लिए।

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - कक्षा XI से पी.एच.डी. तक।

iii. मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्रि योजना - तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए।

iv. मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति - एम.फिल. एवं पीएच.डी. के लिए।

v. नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा) - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए।

vi. पढ़ो परदेश - विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

vii. नई उड़ान - संघ लोक सेवा अयोग (यू.पी.एस.सी.), कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) और राज्य लोक सेवा अयोगों (एस.पी.एस.सी.) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता।

viii. हमारी धरोहर - भारतीय संस्कृति की समग्र धारणा के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना।

ix. जियो पारसी - छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

x. नई रोशनी - अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना।

xi. कैशल विकास पहल - सीखो और कमाओ।

xii. नई मंजिल - स्कूल ड्रॉपआउट के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।

xiii. उस्ताद - (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)।

xiv. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.) - पहले बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात - अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों, अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, अल्पसंख्यक बहुल नगरों और आस-पास के गांव के समूहों में कार्यान्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

xv. शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एम.ए.ई.एफ.) को सहायता अनुदान:-

- गैर-सरकारी संगठनों/न्यास/सोसाइटी को सहायता अनुदान।
- मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
- अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण।
- नई मंजिल योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम (एम.ए.ई.एफ. के माध्यम से कार्यान्वित)
- स्वच्छ विद्यालय पहल।

xvi. स्व-रोजगार और आय-सृजक उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) को इक्विटी।

इस मंत्रालय द्वारा प्रचालित योजनाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। योजनाओं के समीक्षा अध्ययन से पता चला है कि योजनाओं के वांछित परिणाम/उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। क्रम सं. (i) से (xiv) तक चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट (*www.minorityaffairs.gov.in*) पर उपलबध है; क्रम सं. (xv) पर दी गई योजना का विवरण एम.ए.ई.एफ. की वेबसाइट (*www.maef.nic.in*) पर उपलब्ध है; और क्रम सं. (xvi) पर दी गई योजना का विवरण एन.एम.डी.एफ.सी. की वेबसाइट (*www.nmdfc.org*) पर उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय के संशोधित अनुमानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	संशोधित अनुमान (करोड रु. में)
1.	2015-16	3,712.78
2.	2016-17	3,797.80
3.	2017-18	4,195.48
4.	2018-19 (30.06.2018 तक)	*4,700.00 (बजट अनुमान)

*संशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं

रेलगाड़ियों मे एम्बुलेंस सेवा

2530. श्री सतीश चंद्र दुबे :
श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर गंभीर मरीजों को उनके साथ एक परिचारक सहित ले जाने की कोई सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मरीजों को ले जाने का प्रभार कितना है और सड़क मार्ग व हवाई मार्ग की सेवाओं की तुलना में इस सेवा पर कितना व्यय आया है;

(ग) क्या झारखण्ड और बिहार से पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के लिए कोई रेलगाड़ी एंबुलेंस सेवा प्रचालन में है या प्रचालित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहेन) : (क) से (घ) भारतीय रेल एम्बुलेंस जैसी सेवाओं को नहीं चलाती है। अत: इस संबंध में सड़क और वायु यातायात के साथ परिवहन के प्रभारों की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता। झारखंड और बिहार से पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के लिए ऐसी किसी ट्रेन एम्बुलेंस सेवा पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्य अवसरों पर ये मामले उठाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको सभा पटल पर पत्र रखने के बाद अनुमति प्रदान करूंगी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9521/16/18]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9522/16/18]

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9523/16/18]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतरसंपर्क (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 4) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 10-10/2016-बी.बी. एण्ड पी.ए. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9524/16/18]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : महोदया, मैं सभा पटल पर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9525/16/18]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल) : महोदया, मैंने नियम 222 और नियम 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार नोटिस दिया है। यह विशेषाधिकार नोटिस है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति प्रदान करूंगी। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

43वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 43वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति (16वीं लोक सभा)

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायपति सम्बासिवा राव (नरसाराओपेट) : महोदया, मैं लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति का चौथा और पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति

(एक) प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

12वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन*(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*इस प्रतिवेदन को 'अध्यक्ष, लोक सभा' के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 25 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

अपराह्न 12.03½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्रवाई विवरण

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदया, मैं रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के 'रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के जीर्णोद्धार' विषय पर 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में अतारांकित प्रश्न सं. 4200 के 21 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा शुद्धि करने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण*

विधि और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी) : महोदया, मैं संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में अतारांकित प्रश्न सं. 4200 के 21 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

मैं 'संसद द्वारा बनाये गए अधिनियम' के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 4200 दिनांक 21 मार्च, 2018 को दिए गए उत्तर के अंग्रेजी संस्करण के भाग (घ) में निम्नलिखित शुद्धि करने का निवेदन करता हूं :-

दिए गए उत्तर का भाग (घ)	के स्थान पर	पढ़ें
(घ)	हां। भारत का संविधान और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद किया जाता है और उनको भारत में अनुसूचित भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। भारत के संविधान को आठवीं अनुसूची में वर्णित 15 भाषाओं अर्थात असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, संस्कृत, सिन्धी, नेपाली, और कोंकणी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और केंद्रीय अधिनियमों को आठवीं अनुसूची में वर्णित 11 भाषाओं में अर्थात असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू में प्रकाशित किया जा रहा है।	हां। भारत का संविधान और अन्य केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद किया जाता है और उनको भारत में अनुसूचित भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। भारत के संविधान को **हिन्दी के अतिरिक्त**, आठवीं अनुसूची में वर्णित 15 भाषाओं अर्थात असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी उड़िया, पंजाबी, तमिल तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, सिन्धी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और केंद्रीय अधिनियमों को **हिंदी के अतिरिक्त** आठवीं अनुसूची में वर्णित 11 भाषाओं में अर्थात असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और उर्दू में प्रकाशित किया जा रहा है

त्रुटि के लिए खेद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. ए. सम्पत (अट्टिंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

आपकी अनुमति से, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने नियम 222 और 223 के अंतर्गत नोटिस दिया है। यह एक विवरण के बारे में है, मेरा कहने का मतलब है कि इस सत्र अर्थात 18 जुलाई के पहले ही दिन इस सभा में माननीय संसदीय कार्य मंत्रीश्री अनंतकुमार द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में है...*(व्यवधान)*

'शून्यकाल' के दौरान, माननीय सदस्य ने एक हमले के संबंध में मुद्दा उठाया था।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह किस प्रकार का नोटिस है?

*[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9526/16/18]

डॉ. ए. सम्पत : मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।...*(व्यवधान)*

डॉ. ए. सम्पत : मैंने नियमानुसार ससम्मान माननीय अध्यक्ष को संबोधित करते हुए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* नियम 222 और नियम 223 के अंतर्गत मैंने इस मामले को सभा में उठाने का नोटिस दिया है। यह मैंने महासचिव को दिया है।...*(व्यवधान)*

यह माननीय मंत्री द्वारा सभा में दिए गए विवरण के बारे में है। मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने इस सभा के साथ-साथ जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। 'शून्य काल' के दौरान जिस मुद्दे को माननीय सदस्य ने उठाया था उस पर विभिन्न दलों ने दलगत भावना से हट कर सभा के कई सदस्यों ने भी इसका विरोध किया है और मामले से खुद को सम्बद्ध किया है।

संबंधित राज्य सरकारों से कोई सूचना प्राप्त किए बिना माननीय सदस्य ने इस पवित्र सभा में बताया था कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। मंत्री ने संबंधित राज्य सरकारों से यह सूचना अभी एकत्रित नहीं की है।

ममनीय अध्यक्ष : मैं इसे देख लूंगी।

डा. ए. सम्पत : उन्होंने अभी तक एफ.आई.आर. भी नहीं देखी है। गिरफ्तार किए गए सभी आठों व्यक्ति भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हमला सी.पी.आई. (एम) के गुंडों और अपराधियों द्वारा किया गया था। महोदया, ऐसे शब्द संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। वे असंसदीय शब्द भी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन शब्दों को वापस लें और अपने वक्तव्य सही करें। उन्हें सभा में सही वक्तव्य देने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे देख लूंगी।

डा. ए. सम्पत : महोदया, यदि वह अपना वक्तव्य सही करने की इच्छा नहीं रखते है तो मेरे विशेषाधिकार नोटिस के उल्लंघन को संज्ञान में लिया जाए और मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने सभा को भ्रमित करने का प्रयास किया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। मैं इसे देख लूंगी।

डा. ए. सम्पत : यह काफी गंभीर मामला है। मंत्री को सभा को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे देख लूंगी। आपने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। मैं इसे देख लूंगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदया, शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। देश में सभी शिक्षित हों और सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, हमार पूंछ डिस्ट्रिक्ट बार्डर का डिस्ट्रिक्ट है। यहां कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हम चाहते हैं एक केंद्रीय विद्यालय पुंछ में और एक केंद्रीय विद्यालय राजौरी नौशेरा में जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा विद्यार्थी ले सकें। यहां केंद्रीय सरकार के भी कई विभाग जैसे आर्मी आदि हैं, इनके लिए दो केंद्रीय विद्यालय पुंछ और नौशेरा में खोले जाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री लखन लाल साहू, श्री हरीश मीना, श्री रामचरण बोहरा, श्री सी.पी. जोशी और डा. कुलमणि सामल को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्यों द्वारा निवेदन

केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और उसके परिणामस्वरूप हुए समुद्री अपरदन के बारे में

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदया, मुझे अवसर देने के लिए आपका अत्यंत धन्यवाद। प्राकृतिक आपदा केरल को नहीं छोड़ रही हैं। परसों और कल भी हमारे यहां भारी वर्षा हुई है एक महीने से लगातार वर्षा हो रही है। परसों संपूर्ण तटीय क्षेत्र पर स्थित घर सागरीय अपरदन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। सभी मछुआरे कठिन स्थिति में है। वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि मात्स्यिकी के लिए जा सकें। उनके सारे घर व्यापक सागरीय अपरदन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। समस्या यह है कि पर्याप्त पुलिमुट्टू और समुद्री पुल नहीं है।

सागेरीया अपरदन को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है। पहले रक्षा मंत्री तटीय सुरक्षा के लिए केरल जैसे

राज्यों को निधियां दिया करते थे लेकिन अब वह नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आदिवासी लोग वनों में रहते हैं, मछुआरे समुद्र के किनारे पर रहते हैं। वह उन स्थानों को नहीं छोड़ेंगे। उनकी आजीविका समुद्र पर निर्भर है। इसीलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मंत्री जी ने पहले ही इस संबंध में एक पैकेज का आश्वासन दिया है जो कि केंद्र द्वारा दिया जाएगा। इसे अधिकतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पुलिमुट्टू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा पूरा केरल नष्ट हो जाएगा। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र अलप्पुझा में जाऊं। यह काफी बुरी दशा में है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। महोदया, संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। हम एक सप्ताह से लगातार इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। प्रतिदिन घर नष्ट हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से आवाज नहीं लगाते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं समझती हूं इसलिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : लोग अपना जीवन खो रहे हैं। हजारों सैकड़ों लोग कैंपों में है। वह अस्थाई आश्रय में रह रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदया आपके हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है। धन्यवाद*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री इन्नोसेन्ट, श्री राजीव सातव, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और डॉ. कुलमणि सामल को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री भीमराव बी. पाटील (जहीराबाद) : अध्यक्ष महोदया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बंटवारे के बाद मुख्य पर्यटक स्थल जैसे कि विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर और तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्रीसेलम में श्री मलिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के हिस्से में चले गए। हमारे तेलंगाना राज्य में कोई मुख्य पर्यटक स्थल नहीं है। यहां तेलंगाना में कुछ ऐतिहासिक और महत्वूपर्ण स्थान है जैसे कि झारासंगम में श्री केतकी संगमेश्वर मंदिर जोकि मेरे संसदीय क्षेत्र में है; कोलोनुपाका में नलगोंडा जिले में सोमेश्वर मंदिर; आदिलाबाद जिले में बसारा सरस्वती मंदिर; कामरेड्डी जिले में मिर्जापुर हनुमान मंदिर; कामरेड्डी जिले में बड़ापहाड़ में हुसैन दरगाह; मेडक जिले में मेडक चर्च आदि। उनकी काफी समय से अनदेखी की जा रही है। इस क्षेत्र में पर्यटकों का काफी आगमन होता है, लेकिन सुविधाएं काफी कम है। समृद्ध और उच्चतम राजस्व वाले मंदिर जैसे कि श्रीसेलम, बद्रीनाथ और केदारनाथ को प्रसाद और भारत दर्शन योजना में शामिल किया गया है।

मैं माननीय पर्यटन मंत्री से जानना चाहूंगा कि विरासत स्थलों के संवर्धन और कम राजस्व अर्जित करने वाले मंदिरों को इस सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि तेलंगाना राज्य में पर्यटन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए जा रहे हैं। पीठ के माध्यम से मैं माननीय मंत्री से झारासंगम मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए और इसे पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोज़ित प्रसाद योजना के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए की आवश्यक निधि प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष : हां, माननीय मंत्री क्या आप श्री के.सी. वेणुगोपाल कृष्णा गोपाल के वक्तव्य पर कुछ कहना चाहते हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : मेरे प्यारे दोस्त और साथी श्री के.सी. वेणुगोपाल जी ने भारी वर्षा और सागरीय अपरदन के कारण केरल में भारी तबाही के संबंध में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है*...(व्यवधान)*

मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं इसे संबंधित मंत्रालयों के ध्यान में लाऊंगा। साथ ही साथ, केंद्र सरकार पीड़ित लोगों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अब तक रेल मंत्रालय अंग्रेजों की परम्परा के अनुसार कोलकाता और मुम्बई को केन्द्र में रखते हुए रेल लाइनों का विस्तार करता रहा है। इसके कारण चम्बल और बुंदेलखंड के क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। यहां पिछले सौ वर्षों में कोई भी नयी रेल लाइन नहीं दी गयी है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पहली बार देश के उपेक्षित विकासशील क्षेत्रों में रले सुविधाएं देने का काम हुआ है।

भिंड से इटावा, भिंड-आगरा वाया उदी रेल लाइन का निर्माण हुआ और रेलगाड़ियों का संचालन हुआ। वर्ष 2016 के रेल बजट में भिंड से कोंच और महोबा को शामिल करके एक वैकल्पिक राष्ट्रीय रेल मार्ग योजना को मूर्त रूप दिया गया है। यह लिंक उत्तर भारत से दक्षिण भारत के स्थानों

को जोड़ेगी। यह लाइन भिंड से महोबा तथा पूर्व में निर्मित महोबा से खजुराहो, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया, चन्द्रपुर, विजयवाड़ा और चेन्नई को जोड़ेगी।

दूसरी ओर, हैदराबाद और बैंगलुरू से सीधा सम्पर्क हो जाएगा। इस नये मार्ग से आगरा, झांसी, भोपाल, इटारसी, नागपुर की रेल व्यस्तता कम होगी।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि भिंड-महोबा रेल लिंक को राष्ट्रीय रेल मार्ग का हिस्सा मानकर इसका निर्माण शीघ्र किया जाए। इससे पहली बार बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को इसमें शामिल करने से एक नये राष्ट्रीय रेल मार्ग का उदय होगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को डा. भागीरथ प्रसाद द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, केन्द्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 21.09.2015 को महाराष्ट्र राज्य में डहाणु प्रदोशिक योजना की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की थी। राज्य सरकार ने डहाणु प्रादेशिक योजना से संबंधित अंतिम अधिसूचना को शीघ्र जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है। लेकिन, केन्द्र सरकार ने अब तक इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है।

इस संबंध में, यह भी अवगत कराना है कि महाराष्ट्र राज्य के अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने डहाणु तालुका, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है, से संबंधित विकास योजना का प्रस्ताव दिनांक 05.01.2017 को केन्द्रीय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया है, जो अभी तक लंबित है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह डहाणु प्रादेशिक योजना से संबंधित अधिसूचना शीघ्र जारी किए जाने के साथ-साथ डहाणु तालुका, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्याधिक संवदनशील है, से संबंधित विकास योजना और डहाणु विकास योजना से निकले हुए हिस्से को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, इस सरकार ने कई बार अच्छे दिनों के सपने दिखाने की बात कही है और महंगाई पर काबू करने की बात कही है। लेकिन सदैव की तरह ये बातें जुमले के रूप में रह गई हैं। कल रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए, 1.70 रुपये सब्सिडाइज्ड़ गैस पर और 35.50 रुपये नॉन-सब्सिडाइज्ड गैस पर बढ़ाए गए।

अध्यक्ष महोदया, यह आश्चर्य की बात है कि एक माह - जुलाई माह के अंदर दूसरी बार रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी की गई है। पहली जुलाई को सब्सिडाइज्ड गैस पर पौने तीन रुपये और नॉन-सब्सिडाइज्ड पर 55 रुपये बढ़ाए गए। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर पांच रुपये और 90 रुपये, क्रमश: सब्सिडाइज्ड और नॉन-सब्सिडाइज्ड गैस पर एक माह में बढ़ाए गए हैं। जब यू.पी.ए. की सरकार थी, तब सब्सिडाइज्ड का दाम 412 रुपये था, आज वह 500 रुपये पर पहुंच गया है। यह 22 प्रतिशत वृद्धि है। नॉन-सब्सिडाइज्ड 414 रुपये थी, जो कि आज 800 रुपये पर पहुंच गई है। मतलब, चार सालों में 90 प्रतिशत वृद्धि हो गई।

अध्यक्ष महोदया, आज किसान पिट रहा है। आज एक साधारण महिला घर-गृहस्थी के बोझ के नीचे झुक रही है, यह सरकार दाम घटाने के बजाए इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड को मिलाकर उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के लिए 300 करोड़ रुपये के इशतिहार और विज्ञापन लाने की योजना ला रही है। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये महंगाई पर कब काबू पाएंगे? हमें सरकार से इसका जवाब चाहिए। आम आदमी के जीवन में जहां तेल का दाम घट रहा है, वहीं डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। महोदया, यह कहां का अर्थशास्त्र है, हमें समझ में नहीं आता है।...*(व्यवधान)* इनके खजाने में 15 लाख करोड़ रुपये आ गए, जो यह कहते थे कि 15 लाख रुपये जनता के खजाने में देंगे।...*(व्यवधान)* सरकार इसका जवाब दे, नहीं तो जनता इनको कठघरे में खड़ा करेगी।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : डॉ. कुलमणि सामल, श्री राजेशर रंजन, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री धनंजय महाडीक, कुमारी सुष्मिता देव एवं श्री राजीव सातव को श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

हमारे देश में कैरोसीन की दरें, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए अलग-अलग हैं। इसी धरती पर महाराष्ट्र सरकार ने 27.11.2017 को केंद्र सरकार के अन्न व पुरवठा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि जिस तरह कैरोसीन की दरें अलग-अलग हैं, उसी धरती पर चीनी की

दरें, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए अलग-अलग हों। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने भेजा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द वह इस प्रस्ताव को मान्यता दे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुन्झुनू) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र में राष्ट्र हित का एक संस्थान-हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चल रहा है, जहां का तांबा सर्वोत्कृष्ट क्वॉलिटी का है। गत वर्ष सरकार ने उसको निजी हाथों में दे दिया था। 15 दिनों से वहां के जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अल्प वेतन भोगी लोग हैं, उनको हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। न उनको वेतन मिल रहा है, न उनको चिकित्सिकीय सुविधाएं उपलबध हो रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। मजदूरों के हितों का संरक्षण करना भी हमारा काम है। वे छोटे लोग हैं कंपनी को जो सुविधाएं देनी चाहिए, उनको वे सुविधाएं दिलवाने में आप मेरी मदद करें। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत महत्वूपर्ण विषय की ओर आकृषित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र लातूर से लातूर रोड-नांदेड़ की नई रेल लाइन मंजूर हो गई है और उसका सर्वे भी हुआ है। अभी वहां प्रत्यक्ष काम की शुरूआत होना बाकी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां इस नई रेल लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। माननीय रेल मंत्री जी ने लातूर को मेट्रो बोगी का कारखाना दिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उसका भी जल्द से जल्द काम शुरू करवाने की उनसे मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह नहीं आए हैं क्या?

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) : महोदया, राजस्थान के टोंक जिले में बनस्थली निवाई जंक्शन पर दूरगामी ट्रेनों का ठहराव करने की रिक्वेस्ट मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, टोंक के लिए रेल मंजूर की गयी थी। उसके सर्वे का काम भी हो गया है, लेकिन उसके बाद से काम आगे नहीं बढ़ पाया है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले शासन में भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ था। यह एक ऐसा काला कानून पैदा हुआ है कि जब तक 80 परसेंट की स्वीकृति न हो तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। पिछले साढ़े चार साल से कोई नई इंडस्ट्री इसके कारण से नहीं लग पा रही है।

महोदया, टोंक जिला मुख्यालय सहित आस-पास के जिलों के लाखों विद्यार्थी वनस्थली विद्यापीठ जाने के लिए रेल की यात्रा करते हैं। निवाई में वनस्थली विद्यापीठ देश का प्रसिद्ध बालिका विश्वविद्यालय है, जहां देश भर की करीब 15 हजार छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। निवाई तथा टोंक में राज्य स्तरीय कपड़ा मण्डी है। जिसके लिए व्यापारियों को सूरत, मुम्बई, बेंगलुरू आदि क्षेत्रों में आना-जाना पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन से अनेक दूरगामी ट्रेनें निकलती हैं, जिनका ठहराव निवाई स्टेशन पर न रहने के कारण क्षेत्र के व्यापारियों, छात्राओं और यात्रियों को जयपुर जाकर यात्रा करनी पड़ती है। इस स्थिति में ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जयपुर से मुम्बई, जयपुर से बांद्रा, जयपुर से इंदौर, जयपुर से चेन्नई, जयपुर से कोयम्बटूर, जयपुर से एर्नाकूलम और जयपुर से बेंगलुरू की सात प्रमुख रेल हमारे यहां स्टेशन पर रुक जाएं तो जो 15 हजार बालिकाएं पढ़ रही हैं, उनको भी जयपुर तक जाने में सुविधा होगी और वहां के व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मैं आपके माध्यम

से सदन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल से बार्डर पर ललहोली के पास एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो बांदा से कानपुर को जाता है। वह बांदा, फतेहपुर, कानपुर के लिए प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग मध्य प्रदेश को जोड़ता है। यह बहुत ही व्यस्त मार्ग है। लेकिन यह मार्ग चार किलोमीटर तक बहुत ही खराब हालत में है। यह पांच वर्ष से खराब हालत में है। इसके लिए हम लगातार मांग करते रहे हैं। पुरानी राज्य सरकार ने तो इस पर ध्यान नहीं दिया। नयी सरकार भी कहती है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। लेकिन उसके लिए अभी तक प्रस्ताव नहीं गया है। इस समय बरसात का सीजन है और इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि पानी भरने के बाद वे दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिससे वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहां लगातार जाम लग रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की उसकी मांग बहुत दिनों से पेंडिंग है। इस महत्वपूर्ण बांदा-कानपुर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में लेकर उसको बनवाया जाए। लेकिन जब तक वह राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बन जाता है, तब तक राज्य सरकार से बात करके यथाशीघ्र उसको कम से कम मोटराइज़ करवा दिया जाए। जिससे लोगों की समस्या का निदान हो सके।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली है। मेरे क्षेत्र में काफी ग्रामीण एरिया है। वर्ष 2014 के चुनाव के पहले नरेला तक मेट्रो के लिए वहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उनका यह कहना है कि गाजियाबाद, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव तक मेट्रो जा रही है, लेकिन दिल्ली के गांव में जो लोग रह रहे हैं, क्या उन्होंने दिल्ली के गांव में पैदा होकर कोई अपराध किया है कि दिल्ली में ही मेट्रो नहीं पहुंच रही है और पड़ोसी राज्यों के जिलों में पहुंच रही है? आपके माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि नरेला तक मेट्रो पहुंचाने का काम जल्द शुरू हो। यू.डी. मिनिस्ट्री और दिल्ली सरकार की इसकी जिम्मेदारी बनती है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार का कोऑपरेशन नहीं है।

इसके अतिरिक्त अदिति महाविद्यालय कॉलेज बवाना में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्र में गर्ल्स के लिए कोई डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। इस कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, जबकि पास में लैण्ड उपलब्ध है। उस लैण्ड को लेकर वहां महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में केवल एक विषय उठाया जाता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान भेड़ और बकरियों के निर्यात को प्रारंभ करने में विलंब के कारण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मेंडवाल समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

विदर्भ में मवेशी पालक समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या है। इस क्षेत्र में मेंडवाल समुदाय द्वारा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है जो कि अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय पर पूर्णतया निर्भर है। किसान और मवेशी-पालक समुदाय को उनका उचित हक प्राप्त नहीं हो रहा है और ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे आत्महत्या कर रहे हैं।

सरकार के नागपुर हवाई अड्डे से भेड़ और बकरियों के निर्यात के निर्णय में विदर्भ के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी। यह निर्यात 30 जून 2018 से प्रारंभ होना था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले कुछ लोगों के विरोध के कारण यह निर्यात प्रारंभ नहीं हो सका।

महोदया, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री सहित सभी नेता इस योजना के प्रारंभ के समय वहां पर उपस्थित होने वाले थे। उन्हें पहले ही निमंत्रण दिया जा चुका था। हालांकि, उन लोगों के षडयंत्र द्वारा, जो चरवाहे/मेंडवाल समुदाय के कल्याण को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, यह सब व्यर्थ चला गया और इस समुदाय की रोजी-रोटी केवल मात्र इसी व्यवसाय से चलती है। भेड़ और बकरियों का पालन भारत में एक युगों पुराना व्यवसाय है। यहां तक कि, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा भी इसी समुदाय में पैदा हुए थे।

इस महत्वाकंक्षी योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ी पहल, नामतः, मेक इन इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश में की गई थी।

उपर्युक्त को देखते हुए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा

कि वह मेंडवाल समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखे ताकि भेड़ और बकरियों के निर्यात की इस योजना को बिना किसी और देरी के प्रारंभ किया जा सके ताकि किसानों और मवेशी पालकों की और आत्महत्याओं को काफी हद तक कम किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, डॉ., कुलमणि सामल को श्री आनंदराव अडसुल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज मैं राष्ट्रभाषा में बोलना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप एक मिनट का बोनस प्रदान करिए। पालक्काड कोच फैक्टरी मेरे क्षेत्र का विषय है। मैंने इस सदन इस विषय को 23 बार उठाया है। पालक्काड कोच फैक्टरी की घोषणा 2008 के रेल बजट में हुई थी। 2012 में उसके लिए जमीन का अधिग्रहण करने के बाद फैक्टरी का शिलान्यास भी किया गया, लेकिन पिछले छ: सालों में शिलान्यास के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आज पालक्काड में हजारों लोग एक बड़ी ह्यूमन चैन का आयोजन करकर, उसमें कोच फैक्टरी के लिए मांग कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज के दिन पुन: इस विषय को उठा रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. ए. सम्पत, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री इन्नोसेन्ट और श्री पी.के. बिजू को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री एम.बी. राजेश : पिछले छ: वर्षों में रेलवे ने कुछ नहीं किया और दो महीने पहले मुझे माननीय रेल मंत्री जी का एक पत्र प्राप्त हुआ कि भारतीय रेल को नए कोचों की जरूरत नहीं है इसलिए कोच फैक्टरी प्रोजेक्ट की शुरूआत अभी नहीं की जा सकती है। यह केवल पालक्काड की ही नहीं बल्कि पूरे केरल की 36 साल पुरानी मांग है कि सन् 1982 में पालक्काड कोच फैक्टरी का वादा किया गया था लेकिन 36 साल बाद भी बुछ नहीं किया गया। जब यू.पी.ए. की सरकार थी तो उन्होंने हमको 10 साल तक इससे वंचित रखा था और अभी एन.डी.ए. की सरकार भी वही काम कर रही है। मैं इस पर अपना आक्रोश प्रकट करता हूं। अत: आपके माध्यम से मेरी केन्द्र सरकार और रेल मंत्री जी से मांग है कि पालक्काड कोच फैक्टरी को बनाने का वादा जल्दी से जल्दी पूर किया जाए।

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने दिनांक 29.03.2018 को एक अधिसूचना के माध्यम से पेयमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से ग्रेच्युटी भुगतान के लिए करमुक्त सीमा बीस लाख रुपए तक बढ़ाई गई है।

इस अधिनियम से सबंधित ग्रेच्युटी नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण टाटा सहित निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों के कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत स्थित टाटा कंपनी के टाटा वर्सेस यूनियन के साथ-साथ कई मजदूर संगठनों ने मिलकर ग्रेच्युटी रूल में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों के हित में ग्रेच्युटी नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन किया जाए, ताकि इसका लाभ संबंधित क्षेत्रों के कामगारों को मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रवीन्द्र कुमार जैना को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के किसानों की बात सदन में रखना चाहता हूं। चार-पांच महीने पहले महाराष्ट्र में तूर दाल और चने की खरीद का डिसिजन सरकार ने लिया। अब सरकार ने डिसिजन तो लिया, लेकिन 70 से 80 प्रतिशत किसान इससे वंचित रहे। 80 प्रतिशत किसानों का माल भी मार्केट कमेटी में नहीं जा पाया और सरकार की स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। तब सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि जिन्होंने भी मार्केट कमेटी में रजिस्ट्रेशन किया है, उनको हजार रुपये पर क्विंटल सरकार अनुदान देगी। लेकिन इसके बारे में भी कोई डिसिजन सरकार की तरफ से नहीं आया है।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा की जाने आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जो माल सरकार ने खरीद लिया और जो मार्केट कमेटी एक्ट है, उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर किसान को पेमेन्ट देनी चाहिए। परंतु चार-पांच महीने हो गए, किसानों को न पेमेंट मिल रहा है और न कोई ब्याज मिल रहा है। अत: मेरी मांग है कि उनका पेमेंट मिले और ब्याज भी मिले और जिनका माल लिया नहीं है, उनको हजार रुपये प्रति क्विंटल के

हिसाब से, जो हजार रुपये अनुदान जाहिर किया है, वह देने की कृपा करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे जी की अखंड पद यात्रा की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्धा सेवाग्राम से 7 मार्च, 1951 में विनोबा जी ने पदयात्रा शुरू की थी, जो आंध्र प्रदेश के शिवरामपल्ली तक, जो आज के अनुसार तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव तक भूदान के लिए यात्रा की थी। जो एक क्रांतिकारी एवं साहसिक कदम था। आचार्य विनोबा जी ने इसी गांव में सब भूमि गोपाला की घोषणा करते हुए जमींदारों से जमीन दान की मांग की थी। आचार्य जी ने 40 हजार मील की पदयात्रा की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 22.90 लाख जमीन दान में संग्रह की। इस जमीन में से 16.66 लाख एकड़ जमीन जरूरतमंद और भूमिहीनों में बांटी गई, लेकिन बाकी जमीन भूमि माफिया, कालेज आदि के लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है।

मेरी आपके माध्यन से केन्द्र सरकार से मांग है कि इस सारी जमीन की सी.बी.आई. से चौकशी लगाई जाए, ताकि गरीब लोगों को यह भूमि मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री रामदास सी. तडस द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री एम.उदय कुमार (डिंडीगुल) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं यह बोलने पर विवश हूं कि हालांकि डिंडीगुल तमिलनाडु राज्य में औद्योगिक और वाणिज्य रूप से काफी विकसित जिला है। परंतु जहां तक रेल का संबंध है, यह एक पिछड़ा और उपेक्षित जिला है और जिसके परिणाम स्वरूप डिंडीगुल और थेनी जिलों के डिंडीगुल रेलवे-स्टेशन पर निर्भर रेल-यात्रियों को असुविधा होती है। डिंडीगुल और चेन्नई के बीच में सीधी रेलगाड़ी और तिरुनेलवेली के लिए यहां से दिन में एक रेलगाड़ी की मांग रही है। डिंडीगुल से चेन्नई जाने वाले यात्री डिंडीगुल से रेलगाड़ी में चढ़ नहीं चल पाते क्योंकि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों से आने वाली रेलगाड़ियां पहले से ही खचाखच भीड़ होती है। अत:, डिंडीगुल से चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ियों में दो अनारक्षित डिब्बों को जोड़ने की मांग रही है।

कोडाईकनाल और पनाली तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। अत:, अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से थेनी और डिंडीगुल जिलों के लोगों की नवीन रेलगाड़ियां चलाने और अनारक्षित डिब्बों को जोड़ने की जायज मांगों को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने का आग्रह करूंगा।

इसके अतिरिक्त केरल और तमिलनाडु दो राज्यों की लंबे समय से लंबित मांग सबरीमाला योजना है। डिंडीगुल और सबरीमाला के बीच नवीन रेलवे लाइन हेतु इस योजना की घोषणा माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई है। व्यवहार्यता-निरीक्षण सर्वे करने के लिए तीस लाख की मामूली धनराशि आबंटित की गई है।

अत: मैं रेल मंत्रालय से इस योजना पर विशेष ध्यान देने और व्यवहार्यता सर्वे करवाने हेतु अधिक निधि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा। मैं रेल मंत्रालय से इस योजना में तेजी लाने और जल्द से जल्द पूरा करने का भी अनुरोध करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : डा. ए. संपत और श्री पी.आर. सुंदरम को श्री एम. उदय कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : अध्यक्ष महोदया, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहूंगा और सरकार का ध्यान भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के कामगारों के साथ आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं।

महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि विश्व विख्यात भारत गोल्डमाइंस मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित है। इसे 2002 में बंद कर दिया गया था और 15,000 से अधिक कामगारों के पास कोई कार्य नहीं है। जो घर उनको दिए गए थे वह 130 वर्षों से अधिक पुराने हैं। कामगार परेशान है। मैंने इस मुद्दे को बार-बार माननीय मंत्री के समक्ष उठाया है।

कामगारों को उनके बकाए का भुगतान नहीं किया गया है। अब एक नई खनन नीति सामने आई है जिसके अंतर्गत जस्ता और कोयले के अतिरिक्त अन्य सभी खनन गतिविधियां राज्यों के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार जमीन लेने के लिए इच्छुक है। 12,000 एकड़ से अधिक भूमि भारत सरकार के पास उपलब्ध है। कर्नाटक सरकार उस क्षेत्र में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन शुरू करने की योजना बना रही है। इसलिए यदि भारत सरकार, राज्य सरकार को जमीन देती है तो राज्य सरकार खनन गतिविधियां या अन्य उद्योग स्थापित करने को इच्छुक है ताकि ये 15,000 परिवार अपनी आजीविका कमा सके।

एक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह कामगार झोपड़ियों में रह रहे हैं। लेकिन केवल 3,000 कामगारों को झोपड़ियां आवंटित की गई है और लगभग 10,000 कामगारों को झोपड़ियां आवंटित की जानी बाकी है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन कामगारों को भी जल्दी से जल्दी झोपड़ियां आवंटित की जाए।

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के अलवर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित शाहजहांपुर के आस-पास के 10 गांवों की भूमि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु अधिग्रहीत की गई थी। हाल ही में इस योजना में एक करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर वाले शाहजहांपुर, गूगलकोटा, चौबारा, जौनायचा खुर्द व बावद को इसलिए अधिग्रहण से मुक्त किया गया क्योंकि यहां सरकार को किसानों को अधिक मुआवजा देना पड़ता था।

लेकिन इन्हीं गांवों से सटे हुए, उन्हीं की सीमा से जुड़े हुए ग्राम पलावा, बीरोद, मिर्जापुर, लामचपुर, एवं मानका गांवों की भूमि की जमीन बहुत कम दर पर, दस लाख रुपये प्रति बीघा की दर पर अधिग्रहीत की जा रही है।

इन गांवों की जमीन भी उतनी ही उपजाऊ है, जितनी पूर्ववर्ती गांवों की थी। हरियाणा की सीमा से सटे एन.सी.आर. के इन पांचों गांवों के किसानों की मांग है कि इन गांवों को या तो अधिग्रहण से मुक्त किया जाए या मुआवजा राशि की दर इन गरीब किसानों को उतनी ही दी जाए, जितनी पड़ोस के गांवों के लिए उन्होंने रखी थी। सरकार से अनुरोध है कि पलावा, बीरोद, मिर्जापुर, लामचपुर एवं मानका के किसानों की जायज़ मांगों पर सहानुभूति से विचार करें।

महोदया, यहां जो गांव अपनी भूमि देना चाहते हैं, उसको सरकार लेना नहीं चाहती है और जो नहीं देना चाहते हैं, उनकी जमीन सस्ते दामों पर लेना चाहती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें।

[अनुवाद]

***श्रीमती रीता तराई** (जयपुर) : आदणीय अध्यक्ष महोदय मुद्दा यह है कि जराका में एक ऊपरी सेतु निर्मित करने की आवश्यकता है और सड़क मल-जल प्रणाली को साफ करने की आवश्यकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सड़क उपयोग करने वाले बहुत से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर जराका स्थान पर रोज बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही है। वहां तुरंत एक ऊपरीसेतु के निर्माण की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक समुचित मल-जल प्रणाली द्वारा सड़कों की सफाई की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं भूतल पविहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे मामले को प्राथमिकता दे। क्योंकि बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है इसलिए क्षेत्र के लोग वर्षा ऋतु के दौरान अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कृपया तुरंत प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करें।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : महोदया, दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा उत्तराखण्ड देव भूमि के साथ-साथ वीर भूमि है। यहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर जहां राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देता है, वहीं दूसरी पंक्ति में उसकी मां, बहनें भी सैनिक की ही तरह देशभक्ति का प्रमाण देती हैं। चाहे देश की आज़ादी से पहले हो, चाहे देश की आज़ादी के बाद, चाहे चन्द्रशेखर आजाद हों, चाहे सुभाष चन्द्र बोस, उनके कैम्प हमेशा लगा करते थे और हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देता है।

महोदया, पेशावर काण्ड का महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो, चाहे वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1971 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादियों का निशाना हो, चाहे गुजरात के अक्षरधाम मंदिर का विषय हो, चाहे दंतेवाड़ा का प्रकरण हो, चाहे संसद पर आतंकी हमले का विषय हो, पहली पंक्ति में खड़े होकर के उत्तराखण्ड के सपूतों ने अपनी कुर्बानी देकर के अपनी श्रेष्ठता दर्ज की है।

महोदया, अभी कुछ दिन पहले मैं यूरोपीय देशों की यात्रा पर था। नायक दरबान सिंह नेगी एवं राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को फ्रांस में अद्भुत वीरता के लिए विक्टोरिया क्रास से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह का जो गेट/स्मारक है, वहां हमारे भारतीय और उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों की वीरता की गाथा दर्ज है।

महोदया, मेरा यह कहना है कि जिस क्षेत्र में ऐसे सपूत हैं, जिनकी धमनियों में देशभक्ति का खून बहता हो, जो यह कहते हों कि:

युगों-युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है,
खून दिया है, मगर नहीं दी कभी देश की माटी है।

---

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पूरे हिमालय क्षेत्र में ऐसे वीर पुरुषों को सेना और अर्द्धसैनिक बलों में नि:शुल्क प्रशिक्षण हर हालत में दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि उत्तराखण्ड और हिमालय क्षेत्र के जितने भी ऐसे वीर नौजवान हैं, उनको उन्हीं स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाए। इससे बेरोजगारी दूर होगी, वहां गांव खाली हो रहे हैं, उनसे पलायन रुकेगा और राष्ट्र को ऐसे राष्ट्रभक्त नौजवान मिलेंगे, जो वीरता को शिखरता तक पहुंचायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद श्रिपाठी, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, हम सब इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं और उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं, जैसे यू.पी.एस.सी. बैंकिंग सर्विसेज आदि के तहत नियुक्तियां होती हैं। मैं एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। कुछ बच्चे हमसे मिलने के लिए बिहार में आए। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चिंतित भी हुआ, चकित भी हुआ, क्योंकि इस प्रकार की बातें देश में औसतन सुनने को नहीं मिलती हैं। लगभग 40 बच्चों का एक बैच था, जिसमें असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, झारखण्ड, बिहार के बच्चे हैं। कई राज्यों के बच्चे उसमें हैं। जो बैंकिंग की राष्ट्रीय परीक्षा होती है, ये सभी बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी जांच-पड़ताल हुई और बैंकिंग सर्विसेज बोर्ड ने उन्हें नियुक्ति का पत्र भी दे दिया। नियुक्ति-पत्र देने के बाद नियुक्ति की तिथि भी तय कर दी कि नियुक्ति-पत्र में लिखी तारीख को आकर आप मेघालय ग्रामीण बैंक में ज्वाइन कीजिए। मेघालय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति के लिए इन 40 बच्चों को नियुक्ति-पत्र दे दिया। आज पूरा एक साल हो गया है, लेकिन इन सभी बच्चों को, जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं, उनको वहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन लोगों ने भारत सरकार में मंत्रियों से मिलने का बहुत प्रयास किया, अन्य लोगों से मिलने का प्रयास किया। एक वर्ष बीत गया है और अब अगले वर्ष की भी वैकेंसीज आ गई हैं। अगर किसी राज्य को इस प्रकार की आपत्ति है कि अन्य राज्यों के बच्चों को हम अपने राज्य में नौकरी नहीं देंगे तो फिर उनके नियुक्ति-पत्र में परिवर्तन कराकर उन बच्चों को दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए नियुक्ति-पत्र देना होगा। मैं भी इसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहा हूं। यह सवाल संविधान का है। अगर देश के संविधान में, देश की राष्ट्रीय सेवाओं में उत्तीर्ण होकर, आई.ए.एस की परीक्षा पास करके बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड का बच्चा तमिलनाडु और केरल में काम करता है, तो आखिर देश की बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज में किसी राज्य में उनकी नियुक्ति पर कैसे रोक लग सकती है? यह एक बड़ा संवैधानिक विषय है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि ऑल इंडिया बैंकिंग सर्विसेज में जिन बच्चों को मेघालय ग्रामीण बैंक में नियुक्ति-पत्र जारी करने के बाद रोजगार नहीं मिला है, उन्हें अविलम्ब वहां पर ज्वाइन करने की अनुमति दिलवायी जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है, सर्वप्रथम मैं उन्हें अभिवादन करता हूं। मैं आज मुंबई की पुरानी इमारतों का विषय उठाना चाहता हूं। कल हमारे नाना शंकरशेट जी की पुण्यतिथि थी, जिन्हें आद्य: शिल्पकार कहा जाता है, जिन्होंने मुंबई शहर को बसाया।

उन्होंने ही देश में नई रेल शुरू की थी। आज इस मुम्बई शहर की अवस्था इतनी बुरी है कि 30 हजार से ज्यादा इमारतें गिरने वाली हैं, वे बहुत ही दुरावस्था में हैं। 16 हजार इमारतें तो इतनी बुरी हालत में हैं कि वे कभी भी ढह सकती हैं। इस विषय को लेकर मैं बार-बार सदन में बोलता आया हूं। मैंने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा और कहा कि आपने गरीबों के लिए पक्के घर का वादा किया है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कल तक पक्के घरों में थे, हो सकता है कि कल तक वापिस रास्ते पर आ जाएं। सरकार की तरफ से उनको संरक्षा देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, उसमें दो विषय हैं - एक विषय है कि पुरानी इमारतों को ठीक किया जाए और जो दूसरा विषय है, उसमें कुछ इमारतें केन्द्र सरकार, पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे तथा एन.टी.सी. की जमीन पर है और एल.आई.सी. की भी खुद की बिल्डिंग है। ये उन्हें पुनर्विकास की अनुमति नहीं देते और खुद भी रिपेयर नहीं करते हैं। वहां बिल्डिंग्स ढह सकते हैं। पोर्ट ट्रस्ट तथा रेल की जमीन पर झुग्गी-झोपड़ियां हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। हम गरीबों के लिए

पक्के मकान का वादा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कैसे घर देंगे? वहां हमारे पास एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है, वह राज्य सरकार की जमीन पर मकान बना सकती है, लेकिन केन्द्र सरकार की जमीन पर मकान नहीं बना सकती है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मुम्बई शहर आपको इनकम टैक्स तथा अन्य टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा आमदनी देता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा धन देकर इनको सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री गजानन कीर्तिकर, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गोपाल शेट्टी तथा श्री राहुल शेवाले को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहीं से बोलूं।

माननीय अध्यक्ष : हां, आप बोलिए। आप कहां गए थे? मैंने आपका नाम लिया था।

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, बिहार में एक जाति है जिसको हम 'लोहार' के नाम से पुकारते हैं। यह जाति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ी हुई है।

मैं आपके माध्यम से इस जाति की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। 'लोहार' जाति की आरक्षण अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में उलझ कर रह गई है। अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्रमांक 22 पर दर्ज लोहारा, लोहरा का हिन्दी 'लोहारा' तथा 'लोहरा' अंकित किया गया है। वर्ष 2006 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में इसके स्थान पर 'लोहारा' तथा 'लोहरा' प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस संशोधन (2006 का अधिनियम 48) की वजह से मामला और उलझ गया। राज्य सरकार ने इस खामी को दूर करने के इरादे से विभिन्न संगठनों से परामर्श किया तथा सामजिक संस्थानों से (एथनोग्राफिक) रिपोर्ट भी तैयार कराई और केन्द्र सरकार को भेजा। इस रिपोर्ट पर कोई निर्णय हो, इसके पहले ही सरकार ने 9 मई, 2016 को यानि मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में 292 पुराने कानूनों, संशोधन विधेयकों में से 290 को निरस्त कर दिया। इसी वर्ष 2006 का वह संशोधन विधेयक भी था, जिसमें बिहार की 'लोहार' जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा अमान्य और 'लोहारा' 'लोहरा' जाति को ही अनुसूचित जनजाति माना गया था। वर्ष 2006 के संशोधन, अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 में किया गया था, जिसमें अंग्रेजी के लोहारा का हिन्दी ट्रांसलेशन 'लोहार' दर्ज़ है। जैसे बिहार में बोलचाल की भाषा में 'लोहार' जाति के लिए 'लोहरा' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, उसी तरह अंग्रेजी के शब्द 'सुरेन्द्रा' को हिन्दी में सुरेन्द्र कहते हैं, न की सुरेन्द्रा?

पूर्व की सरकारों ने जातिगत राजनीति के चलते ऐसा किया। इस समाज को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में बहुत आस्था है और लोगों का भरोसा भी है।...*(व्यवधान)* महोदया, मैं अपनी मांग रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अपनी मांग रखो। लेकिन आप इतना लंबा भाषण पढ़ रहे हो।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदया, सदन के माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन होगा कि वर्ष 2016 में निरस्त किए गए वर्ष 2006 के कानून के आलोक में एक स्पष्ट अधिसूचना जारी हो। बिहार के 'लोहार' जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, यही मेरी मांग है।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजेश रंजन तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दशरथ तिर्की (अलीपुरद्वारस) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं चांस पाया हूं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र चाय बागान इलाका से है। करीब-करीब पौने तीन सौ चाय बागान वहां पर हैं। इनमें करीब 15-16 चाय बागान बंद हैं। वर्ष 2016 में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। उस दौरे में उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आप लोग हमें वोट दीजिए और आपके क्षेत्र के जितने चाय बागान हैं, उनको मैं खुलवा दूंगा। उसके पश्चात हमारी भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री सम्माननीया सीतारमण जी भी गई हुई थीं, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था कि डंकन्स कम्पनी के बंद ये सात चाय बागान हम लोग टी-बोर्ड के अधीनस्थ करेंगे। यह दुःख की बात है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारी माननीय

मुख्य मंत्री ममता बनर्जी की परचेष्टा से करीब 4-5 बागान अभी खुले हुए हैं।

मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि ये चाय बागान दूरस्थ हैं, इनको कैसे सुविधा दी जाए और कैसे खोला जाए, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि नॉन प्रैक्टिसिंग एलांउस आधुनिक चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों, आयुर्वेद और होम्योपैथी को दिया जा रहा है, यहां तक कि नर्सों को भी नर्सिंग एलाउंस दिया जा रहा है। भौतिक और व्यावसायिक शिक्षकों को काशी विद्यालय सहित तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे दिव्यांगजनों और पैरालिसिस इत्यादि से पीड़ित अक्षम मरीजों को उनके घर जाकर सेवा देते हैं। वे ओ.पी.डी. वार्ड तथा आई.सी.यू. में दाखिल मरीजों की भी फिजियोथेरेपी करते हैं।

मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि काशी विश्वविद्यालजय सहित तमाम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षकों को उनकी न्यूनतम योग्यता यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परास्नातक हों, उनको समान अधिकार दिलाने हेतु नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस दिया जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : मैडम, आपको मालूम होगा कि जॉर्ज ओरवेल नाम के एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने 1984 नाम की एक नॉवेल लिखी थी। उसमें जो स्टेट थी, उस स्टेट में ऐसा था कि लोगों के ऊपर स्टेट नजर रख रही थी और कुछ लोगों को देश से नॉन आइडेंटिफाई कर रहे थे। अभी हमारे देश की ऐसी हालत है कि आधार के बेस पर हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। असम में एन.आर.सी. चालू हुआ है। लोगों को देश से निकालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट यह...* बंद करे, इसको रोके।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ...* नहीं होता है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अर्पिता घोष: नहीं तो आगे चलकर देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती) (अनाकापल्ली) : अध्यक्ष महोदया, विशाखपट्टनम में मुख्यालय सहित एक नया रेलवे जोन सृजित करने का मुद्दा उठाने के संबंध में मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे का पूर्व तटीय रेलवे का वाल्टेर मंडल सर्वाधिक राजस्व का योगदान करता है। रेल सेवाओं, यात्री सुविधाओं, रेलवे स्टेशनों के विकास इत्यादि के मामले में पूर्व तटीय रेलवे जोन द्वारा कुल संचित राजस्व के योगदान के अनुपात में मंडल को मिलने वाले उसके बकाया में भेदभाव हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप जनता, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य वर्गों द्वारा विशाखापट्टनम में एक पृथक रेलवे जोन और उसका मुख्यालय बनाने की मांग बढ़ रही है। यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि विशाखापट्टनम के पास एक स्वतंत्र रेलवे जोन का मुख्यालय बनाने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। एक प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक और वित्तीय हब के रूप में इसकी महत्वता को देखते हुए, उतरनधारा के लोगों का यह बहुत लंबे समय से सपना, इच्छा और मांग है कि उनके लिए एक पृथक रेलवे जोन हो।

आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के दौरान तब की मौजूदा सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में अन्य फायदों के अतिरिक्त वायदा किया था कि आंध्र प्रदेश के लिए एक पृथक रेलवे जोन बनाई जाएगी। गत सप्ताह दूसरे सदन में हमारे नेता, श्री सुजाना चौधरी द्वारा पहल की गई लघु चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह, ने वादा किया था कि आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन का सृजन किया जाएगा। लेकिन सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि यह संभव नहीं है कि आंध्र प्रदेश में एक पृथक रेलवे जोन सृजित किया जाए।

मैं सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए दोहरे विवरण को समझ पाने में असमर्थ हूं। कौन सा सही है?

इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि समय रहते संभवत: आगामी आम चुनाव, 2019 से पहले नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा करें।

धन्यवाद महोदया।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत ही सेन्सेटिव इश्यू पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। पंजाब में एक जानलेवा बीमारी जिसका नाम सुनते ही पेशेंट मौत की तरफ दौड़ने लगता है। कैंसर का रोग पंजाब में बहुत फैल चुका है। खासकर मालवा एरिया के हर गांव में पांच-दस पेशेंट कैंसर के मिलते हैं। भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन जाती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रखा गया है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री रिलीफ फंड मिल रहा है, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। एक महीने में दो केस निकलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी भी कैंसर के पेशेंट की फाइल कम्पलीट होकर आती है, उनको इमिडिएटली फंड रिलीज किया जाए क्योंकि फंड हॉस्पीटल को जाना है न कि पेशेंट के पास जाना है। मेरा इस पर निवेदन है कि इस पर गौर करके इन पेसेंटों को पूरा फंड दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री शेर सिंह गुबाया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : अध्यक्ष महोदया, पंजाब में हजारों दलित छात्र हैं, उनका वजीफा या छात्रवृत्ति रुकी हुई है। इसका कारण यह है कि पंजाब सरकार अपना हिस्सा नहीं डाल रही है और केन्द्र सरकार पैसा रोक कर बैठी है। मेरी विनती है कि दलितों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, उसका केन्द्र-राज्य के साथ एक बंधन किया हुआ है उस बंधन को तोड़ा जाए, केन्द्र अपना हिस्सा दे और उसके बाद राज्य सरकार भी बाध्य होगी कि वह अपना हिस्सा दे ताकि दलित बच्चों की शिक्षा पर असर न पड़े।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर आपदा के विषय में बोलना चाहता हूं। मैं पिछली बार भी इस विषय को सदन में उठाया था। सियांग नदी है, उसका कम से कम दस या पन्द्रह फीट वॉटर लेवल राइज हो गया। अभी डिब्रूगढ़ और धीमाजी के दोस्त यहां बैठे हैं। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा असम और अरुणाचल प्रदेश इससे नष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा राशि है, या चीन से भी इसकी राशि मांगनी पड़ेगी। मैं सदन से छुट्टी लेकर गया था। पिछली बार छह लोगों को नदी से अपने रिस्क पर डूबने से बचा कर लाया जबकि मैं डूबने वाला था। इस नदी से बहुत खतरा होगा। अभी अरुणाचल प्रदेश और असम में बारिश नहीं हुई है। इस बार जब पानी आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : महोदया केरल के लाखों अनिवासी भारतीयों को प्रभावित करने वाले अति महत्वपूर्ण मसले को उठाने का यह अवसर मुझे देने के लिए धन्यवाद।

महोदया, हर बार बजट कैरियर सहित विमान किराया बढ़ रहा है जिससे केरल वासियों, विशेषत: जो खाड़ी देशों से जुड़े हुए, की यात्रा योजनाएं गड़बड़ा गई हैं। आज कोझिकोड-रियाध और कोझिकोड-शारजाह के विमान का टिकट सामान्य दर 4,000 से 12,000 रुपये की तुलना में क्रमश: 43,000 रुपये और 55,715 रुपये है।

आने वाले महीनों में जी.सी.सी., बकरीद और ओणम त्योहारों पर शैक्षिक संस्थानों में अनेक आवकाश हैं।

किराए में इस अत्यधिक वृद्धि से कामगारों विशेषत: ब्लू कॉलर कामगारों को जो बजट केरियर पर निर्भर है परेशानी हुई है। प्रत्यक्ष रूप से यह वृद्धि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियंत्रण हटाने के कारण हुई है।

महोदया मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि इसमें भारत सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि यह विशेषत: केरल से होकर जाने वाली यात्रा सेवाओं के साथ ही हो रहा है जबकि चेन्नई और मुंबई की विमान सेवाओं पर किराया बहुत कम है।

मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि इसमें भारत सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि विमान किराए को सामान्य स्तर पर लाया जा सके और जिसके लिए स्थायी नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री एम.के. राघवन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने जी.एस.टी. रिफार्म को लागू किया था, इससे पूरे देश को बहुत लाभ हुआ है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद जहां डॉयरेक्ट और इनडॉयरेक्ट टैक्स ढांचा बढ़ने के साथ ही करदाताओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में कई नई जानकारियां और आंकड़े भी उपलब्ध हुए हैं, जो नीतिगत फैसले लेने में मददगार साबित हो सकते हैं। मेरी याद में जी.एस.टी. लागू होने के बाद पहली बार राज्यों की हिस्सेदारी का आकलन हुआ है। यह पहली बार जानकारी सामने आई है कि भारत के कुल निर्यात

का 70 प्रतिशत केवल पांच राज्यों से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना करते हैं। यह भी जानकारी आई कि जहां अंतर्राज्यीय व्यापार व निर्यात अधिक है वहां का जीवन स्तर अच्छा है।

अपराह्न 01.00 बजे

निर्यात की व्यापक संभावनाएं श्रम व साधन की उपलब्धता है, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि राज्यों में भौगोलिक व अन्य कारणों से निर्यात कम है, को निर्यात व्यापार में जी.एस.टी. में छूट देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की लापरवाही के चलते नागरिक पंजीकरण को लेकर अनिश्चत वातावरण पैदा हुआ है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है।...*(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि फौज और पुलिस तैनात कर चुके हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं कि कोई अगर पंजीकरण में छूट जाए तो उसे फॉरेन ट्रिब्युनल में मौका मिलेगा। आर.जी.आई. कहते हैं कि 31 दिसंबर तक मौका मिलेगा, बी.एस.पी. पार्टी के प्रेजीडेंट कहते हैं कि हम में हिम्मत है इसलिए हमने यह एन.आर.सी. चालू की है, फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि हमारा बेबी है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : गवर्नमेंट जो कहती है, फाइनल है।

...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसी मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है, क्षेत्रीयकरण की सियासत हो रही है। आम लोगों को सुरक्षा देने में सरकार नाकामयाब हुई है। मेघालय में बंगाली लोगों पर हमला हो रहा है। इनकी रक्षा होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर) : महोदया मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में मैं यह लाना चाहती हूं कि आज जब लोग असम से मेघालय जा रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे नागरिक हैं। आज मैं भारत के गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां केंद्रीय बल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। हम असम में शांति चाहते हैं। कम से कम असम से मेघालय सीमा पर जाने वाले लोगों पर स्थानीय लोग कानून अपने हाथ में न लें और उनके साथ पारपीट न करें। वे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हैं। मैं असम से मेघालय जाने वाले लोगों के प्रति ऐसे हिंसक कृत्यों और गैर कानूनी कार्यों के विरुद्ध इस सरकार से सुरक्षा की मांग करती हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तीसरी बार इस विषय को उठा रहा हूं। 124 साल पुरानी मृदंग सम्राट नाना साहेब पानसे जी की गुरु पूर्णिमा देश की सबसे लंबी दूसरी प्रकार की परंपरा है। उनकी संगीत शैली उनके ही नाम पर जानी जाती है।

मैंने पहले भी भारत सरकार से आग्रह किया था, अंतर्राष्ट्रीय गुरु पूर्णिमा का अवसर उनका परिवार और उनके परिजन ही मनाते हैं, लेकिन अभी तक वहां सरकार की तरफ से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वे स्वयं अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, मुगलों के खिलाफ लड़े थे, होल्करों के पास रहकर, नौकरी करके इस विधा को दिया। उनकी संगीत की विधा बकायन शैली है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट आया है, उसे दें ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार, जो गांव में रुकते हैं, उनको सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीश मीना (दौसा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दौसा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, यहां पिछड़े और गरीब लोग निवास करते हैं। यहां पीने के पानी की समस्या है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी में फ्लोराइड दौसा में है। इसके फलस्वरूप लोगों को तरह-तरह की बीमारियां होती हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस इलाके का सर्वे कराएं और यहां के लोगों को जो मेडिकल राहत चाहिए, मुहैया कराएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हरीश मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सदन दो बजकर पांच मिनट तक स्थगित किया जाता है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 02.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.08 बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि उन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) असम में बाढ़ की समस्या के बारे में

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदाई) : असम में बाढ़ वर्षों से तबाही लाती रही है। विध्वंसक बाढ़ मनुष्यों, जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण मृदा अपरदन भी होता है लेकिन केंद्र और राज्य की उत्तरोत्तर सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं बनाई है और राज्य के अविकसित होने का यह बड़ा कारण है।

इसको देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या के समाधान हेतु ठोस कदम उठाया जाए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम में बाढ़ की वर्तमान समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त निधि जारी करें।

(दो) देश में वन्य जीव अभयारण्यों द्वारा विस्थापित लोगों को पर्याप्त राहत पैकेज और वैकल्पिक भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : मैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान देश भर में अभयारण्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है। इन अभयारण्यों के अन्दर लाखों लोग निवास करते हैं। विशेषकर वन्य अभयारण्यों के लगे बफर जोन क्षेत्र में रहने वाले लाखों नागरिकों के पुर्नवास के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। इन क्षेत्रों में यह लोग कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभयारण्यों की संख्या बढ़ रही है, वहां से इन के पुर्नवास लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वन अभयारण्यों में रहने वाले ग्रामीणों को राहत पैकेज दिया जाये तथा इन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाये। जिससे ये ग्रामीण लोग अपनी खेती कर जीवन यापन कर सकें।

(तीन) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : भारतवर्ष के जनगणना 2011 के समय छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिले-वार कुछ गांव छूट गए हैं, उनके नाम सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण उन गरीब परिवार व कमजोर वर्ग हितग्राहियों को केंद्र, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, स्वास्थ्य योजना, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, बेरोजगारी भत्ता आदि, जिस कारण से गांवों के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बिलासपुर जिला बिलासपुर में उसलापुर और हाफा तथा मुंगेली जिला के रामगढ़ सेकरकोना और औराबांधा गांव सम्मिलित हैं जिस ओर अतिआवश्यक रूप से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में छूटे हुए गांव के हितग्राहियों को केंद्र सरकार के उपरोक्त योजनाओं का लाभ मिल सके और शासन की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

मैं मांग करता हूं कि पूर्व प्रचलित सन् 2000 की जनगणना सूची के आधार पर ही उपरोक्त ग्रामों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए आवश्यक पहल करते हुए अतिशीघ्र जारी किए जाने की कृपा करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : उत्तर प्रदेश में निर्माण में इण्डो-नेपाल बार्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

क्रय करने की दरों में काफी अनियमितताएं पायी गयी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का तीन गुना एवं शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का डेढ़ गुना की दर से भूमि क्रय की गयी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एल.ए. एक्ट 2013 (भूमि अधिग्रहण नियम-2013) को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया जिसके अंतर्गत ग्रामीण काश्तकारों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर में जो अधिक हो का चार गुना शहरी क्षेत्रों में दो गुना की दर से भूमि क्रय करने का दिशा-निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इण्डो-नेपाल बार्डर प्राजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ 2016 में पुराने सर्किल रेट से क्रय किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के द्वारा पुराने सर्किल रेट से बनाये गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों का काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। अत: भारत सरकार से उक्त मामले पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

(पांच) असम के डिब्रूगढ़ में एक पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र डिब्रूगढ़ खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि डिब्रूगढ़ जिले में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई रिफाइनरी यहीं पर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) कंपनी का प्रचालन मुख्यालय भी डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। कई तेल फील्ड जिनमें का प्रचालन मुख्यालय भी डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। कई तेल फील्ड जिनमें तेल अन्वेषण हो रहा है वह समृद्ध खनिज क्षेत्र में हैं। लेकिन ऐसे खनिज स्रोतों से संपन्न होने के बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के अनुसंधान और विकास करने के लिए कोई संस्थान नहीं है। पेट्रोलियम समृद्ध क्षेत्र में पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की स्थापना से न केवल देश को लाभ होगा बल्कि इससे विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक देशों को भी फायदा होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि डिब्रूगढ़ में अतिशीघ्र पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाए।

(छह) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर सिक्सलेन कार्य किशनगढ़ से चित्तौड़गढ़ खण्ड में चल रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा (राज.) से गुजर रहा है। मैंने समय-समय पर आवश्यकतानुसार अण्डरब्रिज बनाने का आग्रह किया है। चूंकि अनेक गांवों को यह सड़क विभाजित कर रही है किसानों के खेत हाइवे के दूसरी तरफ आ गये हैं। इसलिए आमजन एवं पशुधन का भी सड़क के उस पार आना-जाना रहता है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अण्डरब्रिज जिनको बनाया जाना आवश्यक है उसमें सी.एच. 91.670 तस्वारिया चौराहा, सी.एच. 110+270 लिरड़िया खेड़ा चौराहा सी.एच. 105+110 सनोदिया गांव, व भीलवाड़ा शहर से नजदीक फुटिया चौराहा अण्डरब्रिज एवं आश्रम चौराहा (मंगलपुरा हाथीभाटा वार्ड नं.-1 भीलवाड़ा) अण्डरब्रिज का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

मैं आग्रह करता हूं कि इस दिशा में शीघ्र निर्देश देने की कार्यवाही सड़क एवं परिवहन मंत्री महोदय द्वारा की जाए।

(सात) झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गढ़वा डाकघर में ग्राहक सेवाओं के बारे में

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू झारखंड के गढ़वा जिला के राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया है कि गढ़वा डाकघर को लिंक से जोड़ने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने एवं अभिकर्ताओं के लिए दो नये काउंटर खोलने की आवश्यकता है जिससे खाताधारकों को कोई असुविधा न हो। खाताधारकों का कार्य समय पर नहीं होने के कारण ग्राहकों का रुझान प्राईवेट बैंकों की ओर बढ़ रहा है जिससे सरकार के राजस्व की हानि होने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए जमाकर्ताओं की संख्या एवं निवेश के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना उचित होगा।

मैं माननीय मंत्री संचार विभाग से मांग करता हूं कि उपरोक्त मांगों को जनहित में देखते हुए पूर्ण कराने की कृपा की जाए।

(आठ) छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा) : वर्ष 2018-19 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने राज्यों के 3 लोक सभा क्षेत्रों को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जाने का प्रावधान किया था। मेरे लोकसभा क्षेत्र कोरबा एवं इससे सटे जांजगीर-

चांपा और महासमुंद लोकसभा में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। अत: मेरा सुझाव है कि तीनों लोकसभा के अंतर्गत कोरबा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाना सर्वथा उचित होगा।

कोरबा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहां कोयले के भंडार है। जल की कमी नहीं है अनेक विद्युत परियोजनाएं चल रही है। मिनिमाता हसदेव-बांगो बांध, हसदेव नदी तथा उनके जलप्रपात हैं। कोरबा शहर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी भी कहा जाता है। साऊथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), भारत एलुमिनियम कंपनी (बालको), एन.टी.पी.सी., सी.एस.ई.बी. सहित अनेक कंपनियां कार्य कर रही है। अत: मेडिकल कॉलेज को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) से भी प्रारंभ किया जा सकता है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत कोरबा में शीघ्र मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाये।

(नौ) महाराष्ट्र के दहानु तालुका में विकास परियोजनाओं के बारे में

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में डहाणु प्रादेशिक योजना दिनांक 21.09.2015 में कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने डहाणु प्रादेशिक योजना से संबंधित अंतिम अधिसूचना को शीघ्र जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अब तक इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि महाराष्ट्र राज्य के अर्बन डेवलपमेंट विभाग के डहाणु तालुका जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवदेनशील है, से संबंधित भी विकास योजना का प्रस्ताव दिनांक 05.01.2017 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया है, जो अभी तक लंबित है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह डहाणु प्रादेशिक योजना से संबंधित अंतिम अधिसूचना शीघ्र जारी किए जाने के साथ-साथ डहाणु तालुका, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है, से संबंधित विकास योजना और डहाणु विकास योजना से निकले हुए हिस्से को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(दस) लातूर एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाओं के विस्तार के बारे में

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर) : लातूर एक्सप्रेस जो कि मुंबई से लातूर के मध्य चलती है उसका विस्तार महाराष्ट्र के बीदर तक कर दिया गया है। पहले यह रेलगाड़ी केवल मुंबई और लातूर के मध्य चलती थी लेकिन इसका विस्तार बीदर तक करने के पश्चात मुंबई से मेरे निर्वाचन क्षेत्र लातूर आने वाले यात्रियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बीदर आने वाले सैकड़ों यात्रियों के कारण रेलगाड़ी में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। डिब्बों के अंदर भीड़ के कारण रोजाना लातूर से मुंबई यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आदरणीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि उचित कदम उठाते हुए मुंबई लातूर एक्सप्रेस का विस्तार केवल उदगीर तक किया जाए जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र लातूर में पड़ता है और रेलवे यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु इसका विस्तार बीदर तक नहीं किया जाए।

(ग्यारह) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केले को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : दुनिया में केले के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत योगदान देता है। गुजरात केले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र बारडोली लोकसभा जिला सूरत गुजरात भी शामिल है। यहां केले की खेती काफी ज्यादा मात्रा में होती है। इस जगह का केला देश के अनेक राज्यों में जाता है ओर दुनिया के कई देशों में निर्यात होता है। कभी-कभी प्रतिकूल मौसम होने के कारण केले का उत्पादन प्रभावित होता है। इससे छोटे और बड़े किसानों को अपना जीवनयापन करने में बड़ी दिक्कत होती है तथा अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि गुजरात की प्रमुख फसलों में से एक केले की फसल को भी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में सम्मिलित किया जाये।

(बारह) वर्षा ऋतु के दौरान शहरों में जल जमाव की समस्या का निराकरण करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : बरसात का मौसम शुरू होते ही अनियंत्रित और अनियोजित शहरीकरण का दुष्प्रभाव नजर आने लगता है जो कि जल भराव और जमीन धसने के रूप में सामने आने लगता है। पूरे देश में जल निकासी एक

गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है। थोड़ी-सी ही बरसात में रास्तों पर भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आए दिन जल जमाव से दुर्घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। इस संदर्भ में मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के सभी शहरों में जल निकासी की व्यापक स्तर पर योजना बनाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्षा का जल लोगों की परेशानी का सबब बनने के बजाए जल समस्या दूर करने के काम में आए।

[अनुवाद]

(तेरह) कर्नाटक के दो मंदिरों को 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहूंगा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, दो मुख्य तीर्थ मंदिर हैं, जो हैं : एक है जिला चामराजनगर कोल्लेगल तालुक के मलाई महादेश्वरा पहाड़ियों में स्थित श्री मलाई महादेश्वरा मंदिर, और दूसरा है कर्नाटक राज्य के मैसूर जिला स्थित नाढजांगुड़ का श्री श्रीकंटेश्वर मंदिर। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु प्रति माह इन मंदिरों में आते हैं। इन तीर्थ स्थलों को पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करूंगा कि दोनों मंदिरों को प्रसाद योजना - तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक आवर्धन योजना के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान करें जिससे पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(चौदह) लोगों के निजी डाटा के अवैध विक्रय पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शनवास (वयनाड) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहूंगा कि नागरिकों के डेटा अंतरण के नाम पर धोखेबाज तत्वों द्वारा एक गंभीर आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। डेटा की यह बिक्री भारतीय शहरों में बहुत तेजी से फैल रही है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक एस.एम.एस. भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि यदि आप रु. 1500 का भुगतान करते हैं तो 30 करोड़ लोगों की पूरी जानकारी यथा आयु, जन्म तिथि, खाता संख्या, ईमेल आई.डी. इत्यादि प्रकट की जाएगी। वे लोग डॉक्टरों, इंजीनियरों, बैंक खाता संख्या, पैन कार्ड संख्या आदि का ब्यौरा भी प्रदान करते हैं।

यहां, निजता के अधिकार की 1500 रुपए में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार को इस गैरकानूनी गतिविधि के विरुद्ध तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

(पंद्रह) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : राजस्थान के अलवर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर स्थित शाहजहांपुर के आस-पास के 10 गांवों की भूमि डी.एम.आई.सी. (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर) हेतु अधिग्रहीत की गई थी।

शाहजहांपुर, गूगलकोटा, चौबारा, जोणायचा खुर्द, बावद, पलावा, बीरोद, लामचपुर, मिर्जापुर एवं मानका नामक गांवों की भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

हाल ही में इस योजना में एक करोड़ प्रति बीघा की दर वाले शाहजहांपुर, गूगल कोटा, चौबरा, जौनायचा खुर्द व बावद को इसलिए अधिग्रहण से मुक्त किया ताकि सरकार को किसानों को अधिक मुआवजा न देना पड़े।

इन्हीं गांवों से सटे हुए ग्राम पलावा, बीरोद, मिर्जापुर, लामचपुर एवं मानका गांवों की जमीन बहुत कम दर (10 लाख रुपये प्रति बीघा) पर अधिग्रहीत की जा रही है।

यह किसानों की नेशनल केपीटल रीजन में अत्यंत उपजाऊ भूमि है, हरियाणा से बिल्कुल सटे हुए इन ग्रामों के लोग आंदोलनरत हैं। सरकार इनकी जमीन को कौड़ियों के भाव पर अधिग्रहित करके इनके साथ अन्याय कर रही है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस अति उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखे अथवा इन्हें भी अधिग्रहण से मुक्त किये गांवों की दर पर भुगतान किया जावे।

(सोलह) मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों (बी.ए.एस.ए.) में मदुरै को शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री टी. राधाकृष्णन (विरूधुनगर) : जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तब उन्होंने भारतीयों को अलग-अलग देशों में रबर, चाय, खजूर और गन्ना खेती के लिए भेजा था। इनमें से 80% लोग तमिलनाडु से हैं और 50% तमिलनाडु के 8 दक्षिणी जिलों से हैं। आजादी के बाद तमिल दुनिया के अलग-अलग भागों में प्रवास कर गए। वर्तमान में 20 लाख से अधिक भारतीय तमिल लोग विभिन्न खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु के 1 करोड़ लोग विदेशों में रह रहे हैं और यह भारतीय एन.आर.आई. में सबसे ज्यादा हैं। लगभग 50% तमिलनाडु के 8 दक्षिणी जिलों से हैं जिनका केन्द्र

मदुरई है। एक बड़ा पर्यटन स्थल और उभरता हुआ चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र होने के नाते मदुरई में अति आवश्यक सीमा शुल्क हवाई अड्डा अभी हाल ही में हकीकत बना है।

चूंकि मदुरई एक बड़ा केन्द्र है, इसलिए सभी आठ दक्षिणी जिले अपनी आवश्यकताओं के लिए मदुरई हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। अब मदुरई को हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क स्वीकृति सुविधा मिल गई है जो प्रति वर्ष दस लाख यात्रियों को संभालती है। तथापि, श्रीलंका एयरलाइन्स के अलावा यहां कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वाहक कार्यरत नहीं है क्योंकि मदुरई द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों में शामिल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि मदुरई हवाई अड्डा विभिन्न मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों के साथ बी.ए.एस.ए. में शामिल नहीं है जिससे अति आवश्यक दुबई, सिंगापुर, कुआलालंपुर (मलेशिया), सऊदी अरब, आबू धाबी और मस्कट के लिए विदेशी एयरलाइन्स द्वारा सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में बाधा खड़ी हो रही है। अब समय आ गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय दक्षिण तमिलनाडु के इन 8 जिलों की प्रार्थना पर विचार करे और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाते हुए मदुरई हवाई अड्डे को विभिन्न मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में शामिल करे ताकि विदेशी एयरलाइन्स मदुरई और इन राष्ट्रों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू कर सकें।

वर्तमान में दक्षिण तमिलनाडु में यात्रियों को किफायती उड़ानों के लिए बेंगलुरू, चेन्नई अथवा त्रिवेन्द्रम जैसे महानगरों की यात्रा करनी पड़ती है। मदुरई राज्य के दक्षिण में स्थित है, इस कारण यात्रियों को यहां से बेहतर संपर्क प्राप्त होता है। मदुरई को बी.ए.एस.ए. में शामिल करने से, अंतर्राष्ट्रीय वाहक विभिन्न देशों के लिए किफायती दामों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वर्तमान में स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा पर्याप्त यात्री संख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। मदुरई हवाई अड्डे के पास अतिरिक्त उड़ानों की जरूरतों को पूरा करने संबंधी सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध हैं।

इन सबके अलावा, दक्षिणी तमिलनाडु के पिछड़े जिले जिनमें मदुरई भी शामिल है अपने औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि के लिए पूरी तरह से मदुरई हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। मदुरई से मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के राष्ट्रों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने से इस क्षेत्र में पर्यटन, चिकित्सकीय पर्यटन, औद्योगिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मदुरई को द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते में शामिल करें ताकि विदेशी एयरलाइन्स मदुरई हवाईअड्डे से आगमन और प्रस्थान की सेवा संचालित कर सकें।

(सत्रह) तमिलनाडु में विल्लुपुरम जंक्शन को एक आदर्श स्टेशन बनाए जाने के बारे में

श्री एस. राजेन्द्रन (विलुप्पुरम) : विलुप्पुरम तमिलनाडु में एक नगरपालिका है और विलुप्पुरम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, और तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा जिला है। यह तमिलनाडु के सभी शहरों से रेल के माध्यम से भली भांति जुड़ा हुआ है। यह नगर एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 इससे होकर गुजरती है। भारत सरकार के 2014 के आंकड़ों के अनुसार, विलुप्पुरम की जनसंख्या 96,253 थी।

विलुप्पुरम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है और यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से राज्य के दक्षिणी हिस्सों जैसे तिरुवन्नामलाई, कुंबकोणम, तंजावुर, पांडिच्चेरी, त्रिचि, मदुरई और कन्याकुमारी को जाने वाली गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन बिन्दु के रूप में काम करता है। यह दक्षिण रेलवे के शीर्ष 5 जंक्शनों में से एक है जिसने तमिलनाडु में ए ग्रेड ट्रेन स्टेशन का दर्जा हासिल किया है। लेकिन यदि आप विलुप्पुरम जंक्शन जाते हैं, आप आधारभूत सुविधाओं को बहुत बुरी हालत में पाएंगे। यहां से दिन रात गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या और विलुप्पुरम जंक्शन का प्रयोग कर रहे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभी और भी सुधार करने की आवश्यकता है।

अत: मैं दृढ़तापूर्वक रेल मंत्री और भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि विलुप्पुरम जंक्शन को, आधारभूत सुविधाओं को बेहतर कर और इसकी भौगोलिक स्थिति और दर्जा को देखते हुए मौजूदा सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाकर गौरवपूर्ण दर्जा देते हुए इसे एक मॉडल स्टेशन बनाएं।

(अट्ठारह) पश्चिम बंगाल में चांदखली हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सियालदह-केनिंग रेलमार्ग पर स्थित चन्दरवाली हाल्ट स्टेशन की ओर दिलाना चाहती हूं जहां एक ओर से प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण उसका परिचालन प्रारंभ नहीं हो पाया है। वर्ष 2014 में मैंने स्वयं तत्कालीन रेल मंत्री से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपी थी जिसमें उक्त लम्बित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। इस संदर्भ में मैंने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से भी अनेकों बार सम्पर्क किया था। तथापि, मेरे सभी प्रयासों के बावजूद मुझे हमेशा एक ही उत्तर मिला कि "आने वाले शुष्क ऋतु में कार्य को पूरा किया जाएगा क्योंकि वर्षा ऋतु के समय पानी जमा होने की समस्या आम समस्या है।"

मैं माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस मामले में जल्द-जल्द हस्तक्षेप कर अधिकारियों को यह निदेश दें कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म को बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाए। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पांच वर्षों से अधिक समय से इंतजार करना पड़ रहा है जबकि इस कार्य को कुछ ही महीनों में पूरा किया जा सकता है।

(उन्नीस) ओडिशा के बोलंगीर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर एक बाईपास का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर) : वर्ष 2013 में, बोलंगीर के लिए एन.एच. बाईपास की स्वीकृति निर्माण के लिए दी गई थी। पांच वर्ष बीत चुके हैं, डी.पी.आर. की संशोधित लागत आज तक स्वीकृत नहीं की गई है। विगत वर्षों में भूमि के मूल्य तथा अर्जन लागत में वृद्धि के कारण परियोजना की लागत भी बढ़ गई है।

बोलंगीर के नागरिक प्रतिदिन शहर से होकर गुजरने वाले ट्रकों के कारण यातायात के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इन ट्रकों के लिए कोई वैकल्पिक सड़कें नहीं है क्योंकि शहर से होकर गुजरने वाली सड़कें एन.एच. 26 और एन.एच. 57 के बीच एकमात्र संपर्क सड़कें हैं। यातायात का प्रवाह और अधिक अस्त-व्यस्त हो जाता है क्योंकि भारी वाहनों को नियमानुसार 8 बजे प्रात: से 10 बजे रात्रि तक शहर से होकर गुजरने की अनुमति नहीं है।

बसईपास के निर्माण से शहर का यातायात सुगम होगा तथा यातायात के प्रवाह में बाधा के कारण होने वाली हानियों से बचाव होगा। इसलिए मै मंत्रालय से किसी प्रक्रियागत विलंब से बचने तथा शीघ्र संशोधित राशि स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

(बीस) 'बॉम्बे उच्च न्यायालय' का नाम 'मुम्बई उच्च न्यायालय' किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास मुम्बई उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तन करने का विषय लंबित है। बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई उच्च न्यायालय नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्ष पहले केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था। हम सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद यह विषय कैबिनेट में भी आया था और इससे संबंधित विधेयक पिछले वर्ष सदन में पुन:स्थापित भी किया गया था। मगर अभी तक इसको पारित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम परिवर्तित कर मुम्बई हाईकोर्ट किए जाने का विधेयक जल्दी से जल्दी सदन में लाने की कृपा करें।

(इक्कीस) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 'बॉम्बे' उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर) : न्यायालय में न्याय पाना सभी लोगों का मौलिक अधिकार है इसके लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालयों का काम विकेंद्रीकृत हो, यानी राज्यों में अधिक बेंच स्थापित किए जाएं।

उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या पश्चिम महाराष्ट्र में है और इस क्षेत्र के लोग न्याय तलाशने के लिए औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई यात्रा करते हैं। लंबे समय तक कोल्हापुर में उच्च न्यायालय के बेंच की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। मई 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना के लिए कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापना के लिए अनुकूल रिपोर्ट भी दी गई क्योकि कोल्हापुर बेंच 200 किलोमीटर की त्रिज्या में नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने बेंच स्थापित करने के लिए कॉम्बे कोर्ट से अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि कोल्हापुर में बेंच की स्थापना के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के ग्रीन सिग्नल के उपरान्त जल्द ही 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे।

कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए मैं माननीय कानून मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें।

(बाईस) जिला पंचायत द्वारा किए जाने वाले विकास संबंधी कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : देश में न्यूनतम दर पर मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। न्यूनतम दर पर वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी लोगों को 100 दिन का भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसकी मुख्य वजह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीमित क्षेत्र में ही रोजगार देने की व्यवस्था का होना है। जब इस योजना की शुरुआत की गई तब ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही विकास कार्यों में लोगों को रोजगार मिल पाता था, लेकिन धीरे-धीरे कई विभागों से भी इसको जोड़ा गया है,

फिर भी लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति में भारत सरकार को इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करने के लिए कई स्तर पर इस योजना को जोड़े जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार से मेरी मांग है कि देश भर में जिला पंचायत/जिला परिषद के तहत होने वाली विकास योजनाओं से भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को जोड़ा जाए ताकि जिस भी क्षेत्र में विकास योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा गया है उस कार्य योजना में हर पंजीकृत व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलना सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

(तेईस) पंजाब में सावन नदी को चैनलबद्ध करने के लिए धनराशि जारी किए जाने के बारे में

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सावन नामक एक प्रसिद्ध उप-नदी है जो हिमाचल प्रदेश के ऊना की तरफ से आती है और पंजाब के आनंदपुर साहिब क्षेत्र से पंजाब में प्रवेश करती है और रोपड़ उप-प्रभाग के प्रारंभिक स्थल पर सतलुज नदी में विलीन हो जाती है जो पंजाब क्षेत्र में करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परिणामस्वरूप पानी इतनी तेज गति से प्रवाहित होता है कि इसके कारण उर्वर भूमि, सड़कें, फसलें, घर, कारोबार सब डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं जिससे मानसून ऋतु के दौरान प्रत्येक वर्ष लोगों के जीवन के समक्ष खतरा उपस्थित हो जाता है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सावन नदी के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए निधियां जारी करे। जल संसाधन मंत्रालय ने इस परियोजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अर्द्ध-पर्वतीय क्षेत्र के चंगेर और बीट नामक क्षेत्रों और गढ़ शंकर उप-संभाग में भूमि की सिंचाई करने और पेयजल की आपूर्ति करने के लिए तथ्कालीन बादल सरकार द्वारा उठान सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं केन्द्र सरकार से उपर्युक्त क्षेत्र हेतु निधियों को जारी करने का भी अनुरोध करता हूं।

(चौबीस) राज्य विधान सभा में सिक्किम के लिम्बू-तमांग समुदायों के आरक्षण के बारे में

श्री प्रेमदास राई (सिक्किम) : मैं सभा काध्यान सिक्किम राज्य विधान सभा में लिम्बू-तमांग समुदायों के आरक्षण की मांग के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। लिम्बू-तमांग समुदाय, जिन्हें वर्ष 2003 में अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था, राज्य की आबादी में एक बड़ा हिस्सा रखता है। तथापि, इन समुदायों को, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत, सिक्किम राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण के उनके संवैधनिक अधिकार से वंचित रखा गया है।

सिक्किम सरकार ने परामर्श-प्रक्रिया के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को वह फार्मूला सुझाया है जिसके माध्यम से इस लंबित मांग का समानतापूर्वक समाधान हो सकता है और सभी सिक्किम के समुदायों और जनजातियों के साथ न्याय किया जा सकता है। अत: सिक्किम विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 32 से 40 करने की दीर्घकालीन मांग है। जिससे भारत के संविधान के अनुसार, उक्त दो समुदायों के लिए 5 सीटें बढ़ाई जा सकें।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है लेकिन अगले वर्ष राज्य में होने वाले चुनाव को देखते हुए, संगत अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है जिसके लिए संसद की अनुमति चाहिए होगी।

मैं सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाकर सिक्किम राज्य के लोगों को उनका उचित अधिकार देने का अनुरोध करता हूं ताकि 'सबका साथ, सबका विकास' हो सके। इसके अतिरिक्त भी, जनवरी, 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिलसिले में दिए गए निर्देशानुसार इस मामले को शीघ्रताशीघ्र निपटाने की आवश्यकता है।

(पच्चीस) केरल में त्रिस्सूर नगर निगम को डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि दिए जाने के बारे में

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर) : त्रिस्सूर शहर के बीच में पट्टलम सड़क को चौड़ा करने हेतु त्रिस्सूर टाउन डाकघर को स्थानांतरित करने तथा त्रिस्सूर निगम और डाक विभाग के बीच भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मामला वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। निगम और प्रधान डाकपाल, केरल क्षेत्र के तथा संचार मंत्री के बीच कई बैठकों के बाद 19.10.2015 को डाक विभाग और त्रिस्सूर निगम के बीच एक समझौता हुआ। अतत:, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष के अंत तक भूमि को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन आदेश को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया मे डाक महापाल त्रिवेन्द्रम ने निगम को एक एम.ओ.यू. मसौदा सौंपा था जिसमें यह प्रावधान था कि दी गई भूमि पर निगम द्वारा कोई नया भवन बनाने से पूर्व विभाग द्वारा "तय की गई राशि (प्रस्तावित परियोजना के लिए 1,69,4500/- रुपये की बैंक गारंटी के रूप में) एक वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति के रुपये प्रथम पक्ष (निगम) द्वारा जमा किया जाएगा।"

अधिनियम के अनुसार, चूंकि नगर निगम बैंक गारंटी नहीं दे सकता, उनका विनम्र निवेदन है कि बैंक गारंटी के लिए एम.ओ.यू. की शर्तों को खत्म किया जाए। इसलिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि वह केरल में डाक विभाग को नए एम.ओ.यू. में इस प्रावधान को खत्म करने का निर्देश दें जिससे कि शहर में यातायात जाम को खत्म करने के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए निगम और लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग को पूरा किया जा सके।

अपराह्न 2.09 बजे

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब हम मद संख्या 13 एवं 14 पर एक साथ चर्चा करेंगे। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 2018 को प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है"।

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक है कि मैं वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील-प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक में 'कारोबार सुगमता' वाणिज्यिक विवादों के संबंध में शीघ्र न्याय-निर्णय सुनिश्चित करने में भारत के निष्पादन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक उल्लेख है।

सर्वप्रथम, मैं 'कारोबार सुगमता' के महत्व के बारे में माननीय सभा को बताना चाहता हूं। 'कारोबार सुगमता' विश्व बैंक द्वारा दी गई रैंकिंग है जोकि समझौता लागू करने, कर संबंधी अनुपालन तथा विनियामक अनुपालन आदि के लिये मौजूद मानदंडों पर आधारित है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सभा को यह बताना चाहता हूं कि जब हम सत्ता में आये तो हमारी रैंकिंग 142वें पायदान पर थी तथा अब हमने 42 प्वाइंट्स की बढ़त हासिल कर ली है और जहां तक 'कारोबार सुगमता' की बात है तो भारत आज 100वें पायदान पर आ गया है। प्रत्येक कार्य सभा के सहयोग किये गये सुधारात्मक उपायों, सुशासन और पारदर्शी शासन के फलस्वरूप किया गया है।

महोदय, हम वर्ष 2015 में वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक लाये थे। जब यह अधिनियम लागू हुआ हमने इसमें एक अपवाद रखा था। यह अपवाद क्या था? हमारे पास दो प्रणालियां हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पास मूल न्यायक्षेत्र है तथा मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पास भी अपने मूल न्यायक्षेत्र हैं। इसलिए, उन्हें छूट दी गई है। वहां मुकदमा वाणिज्यिक अपील डिवीजन में दायर किया जाना होता था। देश के बाकी हिस्से में, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे पटना, रायपुर या भुवनेश्वर हो, 5,000 करोड़ रुपये का मुकदमा भी जिला न्यायालय में दायर किया जाएगा। इसके बाद यह मुकदमा उच्च न्यायालय के पास जाता है।

महोदय, हमने उच्च न्यायालय में वित्त-संबंधी न्यायक्षेत्र मूल रूप से एक करोड़ रुपए रखा तथा मुंबई में यह पचास लाख रुपए था तथा कुछ अन्य जगहों पर यह पच्चीस लाख रुपए था। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या हम छोटे वाणिज्यिक विवादों एवं बड़े वाणिज्यिक विवादों के बीच भेदभाव कर रहे हैं तथा सिर्फ बड़े वाणिज्यिक विवादों के तेजी से अधिनिर्णयन पर जोर दे रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है तथा इस बड़े देश में हमारे पास वाणिज्यिक विवादों के तेजी से अधिनिर्णयन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि संबंधित व्यक्ति यह निर्णय कर सके कि उसे वहां रहना है या नहीं रहना है।

महोदय, कृपया साझेदारी संबंधी विवादों के पूरे मामले को देखिए। यह भी, फिर से, एक वाणिज्यिक विवाद है। आपूर्ति एक सेवा संबंधी विवाद है। लेकिन इस संबंध में बार-बार विलंब होता रहता है। इससे देश का वित्त-संबंधी स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मैं इस सभा को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आज भारत विश्व की एक अग्रणी अर्थवयवस्था बन रही है। विश्व बैंक एवं आई.एम.एफ. के अनुसार सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ है। आज भारत को समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन कहा जा रहा है।

सुशासन भी किसी अर्थवयवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। सुशासन केवल सामान्य दीवानी विवादों अपराधिक विवादों का ही नहीं अपितु वाणिज्यिक विवादों का भी होना चाहिए।

महोदय, यदि आप मूल अधिनियम को देखें तो हमने इसमें वाणिज्यिक विवाद की विस्तारपूर्वक परिभाषा दी है। इस सभा में मेरे विशिष्ट मित्रगण और माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात मैं अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में इसकी व्याख्या करूंगा।

जब हम संशोधन लेकर आए थे तो हमने कहा था "...कि इसे एक करोड़ रुपए से तीन लाख किया जाए लेकिन हमें राज्य सरकार और उच्च न्यायालय को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि इसके लिए तीन लाख रुपए को मूल मानदंड न बनाया जाए।" उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा में वाणिज्यिक प्रकृति के ज्यादा मुकदमें हो सकते हैं और हो सकता है कि बदायूं में इतने मुकदमे न हों। राज्य सरकार तीन या चार जिलों को इकट्ठा करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। तमिलनाडु में कई क्षेत्र हैं जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं। कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक विवादों की संख्या ज्यादा होगी वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या कम होगी।

महाराष्ट्र के मामले में, पुणे में अन्य क्षेत्रों की तुलना में वाणिज्य विवादों की संख्या ज्यादा है। फिर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कर सकती है।

मैं समझता हूं मुझे सभा को वाणिज्यिक न्यायालयों की कुल संख्या बतानी चाहिए। महोदय, वर्तमान में देश में 214 वाणिज्यिक न्यायालय हैं और 16 उच्च न्यायालयों में 25 वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग हैं, अन्य उच्च न्यायालयों में 12 वाणिज्यिक प्रभाग हैं। एक करोड़ से अधिक राशि के कुल 2164 मामले लंबित हैं।

जब हम कानून का प्रारूप तैयार कर रहे थे तो हमारे समक्ष एक प्रश्न था। मान लीजिए, पांच लाख रुपए का एक वाणिज्यिक विवाद है तो क्या हमें अपील के लिए उच्च न्यायालय में जाना चाहिए? इस कानून में हमने जिला स्तर पर लघु विवादों हेतु अपीलीय प्रभाग का प्रावधान किया है।

मैं इस सभा में जो बहुत महत्वूर्ण बात साझा करना चाहता हूं वह यह है कि हमें विवादों के लिए पूर्व-मध्यस्थता समाधान निकालना चाहिए। मान लीजिए दो साझेदारों में झगड़ा हो गया है। यदि मध्यस्थों के हस्तक्षेप से विवाद का समाधान हो सकता है तो हमें विवाद के लिए पूर्व-मध्यस्थता समाधान का मौका देना चाहिए।

महोदय, मैं सभा के साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि यह पूरे विश्व में शायद सबसे महत्वूर्ण वाणिज्यिक कानूनी पहल है जहां पर पूर्व-मध्यस्थता को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। मान लीजिए, एक साझीदार सभी लाभ लेकर भाग गया है। तो हमें न्यायलय की अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, कानून के अनुसार अत्यावश्यक अंतरिम राहत के मामलों को छोड़कर प्रत्येक वाणिज्यिक मामला सबसे पहले मध्यस्थता के लिए जाना चाहिए। इसके लिए 3 महीने की अवधि विहित की गई है। पहले आपको इसका उपयोग करना चाहिए। यदि समाधान नहीं हो पाता है तब न्यायालय में आइए। इसलिए पूर्व-मध्यस्था मुकदमा समाधान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि मैं कोई मध्यस्थता का कोई नया तंत्र सृजित नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पूरे देश में मध्यस्थ हैं। हम उनकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, मैं केवल सभा को इतना बताना चाहता हूं कि देश में 408 वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र हैं। 577 मध्यस्थता केंद्र हैं, 11027 मध्यस्थ हैं। 4558 न्यायिक अधिकारी मध्यस्थों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए, बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलबध है।

हमारे पास नए मध्यस्थों के लिए 48 घंटे के प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। मैं अपना अनुभव सभा के साथ साझा करना चाहता हूं। मान लीजिए, भारत के कुछ सेवानिवृत्त सचिव मध्यस्थ बनना चाहते हैं तो हम उनकी सेवाएं ले सकते हैं। कुछ बैंकों के सी.ई.ओ. मध्यस्थ बनना चाहते हैं। मान लीजिए एक जनप्रतिनिधि, उदाहरण स्वरूप माननीय सदस्य जनहित में मध्यस्थ बनना चाहते हैं तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। वे मामले की तह तक जा सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव है और वे दोनों पक्षों को समाधान के लिए कह सकते हैं।

इसलिए, वाणज्यिक विवादों में वैकल्पिक विवाद तंत्र फोरम के उपयोग पर ज्यादा ध्यान देना इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है।

लेकिन मैं इन सभी बातों के पीछे के कथनों, परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विवादों का त्वरित समाधान भी सुशासन का एक हिस्सा है। यदि हमें सुशासन चाहिए तो हमारे पास त्वरित निपटारे हेतु तंत्र होना चाहिए।

महोदय, सुबह में मुझे न्याय और वैकल्पिक विवाद तंत्र

तक पहुंच के मुद्दे से संबंधित प्रथम प्रश्न पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम इस संबंध में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं सभा को अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के बार में बताना चाहता हूं। चलिए हम उच्च नयायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले पर बात करते हैं। हमने संख्या में वृद्धि की है। आप 2014-15 के दौरान माननीय उपाध्यक्ष थे। एन.जे.ए.सी. के कारण, कुछ को छोड़कर संपूर्ण सूत्र पर रोक लगा दी गई थी। हमें उससे आपत्ति है। लेकिन इस पर निर्णय आने के पश्चात हम क्या करते हैं? हमने 126 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी जो विगत 30 वर्षों में सबसे अधिक संख्या थी।

वर्ष 2017 में हमने 115 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। 2018 में हमने 34 उच्च नयायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की, हमने 126 जजों को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में नयायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए भेजा है। महोदय, इस वर्ष के अंत तक ईश्वर की कृपा से हम एक वर्ष में उच्च न्यायालय में न्यायधीशों की नियुकित की सबसे बड़ी संख्या को पार कर लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। लगभग 300 से 400 जजों को नियमित कर दिया गया है।

महोदय, मैं अपने अधिनस्थ न्यायालय के संबंध में अपने विशिष्टि मित्रों के प्रश्नों का पूर्वानुमान लगा सकता हूं। हमने वहां भी अवसंरचना प्रदान की जहां 5000 पद रिक्त हैं। यहां पर उपस्थित बहुत से लोगों को जानकारी है जैसा कि मैंने बताया था। वाणिज्यिक न्यायालय में इस मुद्दे पर वाद-विवाद के दौरान मैं उच्च नयायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि अधीनस्थ नयायालयों में उक्त 5000 रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाये। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास कोई इस सबंध में कोई अधिकार नहीं है ना ही राज्य सरकार के पास है। कई उचच न्यायालय अपनी परीक्षा स्वयं आयोजित करते हैं यह उनकी सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है।

लेकिन मैंने जो सुबह कहा था वही बात मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए अपनी अंतिम टिप्पणी में कहूंगा। यदि हमें न्याय चाहिए तो हमारे पास सक्षम और सुप्रशिक्षित जज होने चाहिए। आज राष्ट्रीय विधि स्कूल से बड़ी संख्या में वकील पास आउट कर रहे हैं लेकिन मेरी सरकार भारत के वंचित वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए समान रूप से वचनबद्ध है जिन्हें न्यायपालिका में पर्याप्त अवसर और उपयुक्त प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए।

मुझे लगता है कि अधिनस्थ नयायालय इसके लिए सर्वोत्तम स्थान है। एक केंद्रीयकृत परीक्षा होने दीजिए। लेकिन महत्त्वूर्ण यह है कि हम विश्व को दिखाना चाहते हैं कि वाणिज्यिक प्रकृति के छुटपुट विवादों में भी त्वरित जांच के लिए कानूनी प्रणाली उपलब्ध है।

इस प्रकार से संपूर्ण ढांचा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि यह संपूर्ण सभा इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करेगी। महोदय, मैं इस अवसर के लिए आभारी हूं।

श्री एन.के. प्रेम चन्द्रन : महोदय, मैं वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायाल के वाणिज्य विभाग और वाणिज्य अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018...*(व्यवधान)*

श्री रविशंकर प्रसाद : महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? श्रीमान प्रेमचन्द्रन मेरे अच्छे मित्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : वह एक अच्छे वकील है।

...*(व्यवधान)*

श्री रविशंकर प्रसाद : वह अन्य सभा में भी मेरे साथ रहे हैं। लेकिन मैं यह जानकर चकित हूं कि गत चार वर्षों में उन्होंने किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का समर्थन कर उन्हें अपवाद कायम करना चाहिए।

श्री एन.के. प्रेम चन्द्रन : मैं माननीय मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन मैं कानून के अध्यादेश मार्ग का सहारा लेकर कानून बनाने का तीव्र विरोध करता हूं। मैंने विधेयक के बारे में बात नहीं की है। मैं इस पर बाद में बात करूंगा।

इस मानसून सत्र में, इस पावन सभा में पांचवे अध्यादेश पर चर्चा हो रही है और सांविधिक संकल्प इन सभी पांचो अध्यादेशों के विरुद्ध पारित कर दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : चर्चा के लिए एक और बचा है।

श्री एन.के. प्रेम चन्द्रन : हां, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा बाकी है जो चर्चा होने के लिए आज सूचीबद्ध भी है।

जैसा कि माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने इस सभा में सही कहा है कि पांच में से चार वैधानिक संकल्प पारित करने का सौभाग्य मुझे मिला था। एक के बाद एक अध्यादेश जारी करने के संबंध में सरकार का तार्किक कारण

मुझे समझ नहीं आता। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इस प्रकार अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसा क्या आपातकाल है या अनिवार्यता है या जल्दी है?

माननीय मंत्री ने आरंभिक टिप्पणी में विधेयक के तत्वों के बारे में कहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा और यह मुख्य बिंदु है जो कि मैं इस पावन सभा में रेखांकित करना चाहता हूं। ऐसी क्या जल्दी है, क्या अत्यावश्यकता है या आवश्यकता है या क्या मजबूरियां हैं जो कि सरकार महामहीम भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का उपयोग करके अध्यादेश को प्रख्यापित करना चाहती है।

मुझे पता है कि है मेरी ओर से अनुच्छेद 123 के तत्व की महत्ता के बारे में कहना या किन परिस्थितियों में अध्यादेश को जारी किया जा सकता है, ये कहना अनुचित है क्योंकि माननीय मंत्री सर्वोत्तम कानूनविद है और इस सभा में किसी और से संविधान के प्रावधानों से ज्यादा अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी ओर से यह कहना अनुचित होगा कि मैं उन्हें बताऊं। क्योंकि वे संविधान के प्रावधानों और अनुच्छेद 123 के बारे में पूरी तरह से परिचित हैं जो कि उन विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जबकि सभा में सत्र ना चल रहा हो और कुछ अति आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता हो, तब इस शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा/जा सकता है।

यदि हम उद्देश्य और कारणों का कथन देखें तो पैराग्राफ 3 बताता है कि :

> "चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च नयायालय वाणिज्य विभाग और वाणिज्य अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने के लिए त्वरित कारवाई आवश्यक थी, आगे 'डूइंग बिज़नस रिपोर्ट' में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए, राष्ट्रपति ने 3 मई, 2018 को वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च नयायालय वाणिज्य विभाग और वाणिज्य अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया"

इसीलिए मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की ऐसी क्या जल्दी है। यह मेरा प्रश्न है।

महोदय, इस विधेयक की नामावली के संबंध में मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि विधायक का पूरा नाम और लघु शीर्षक को भी परिवर्तित किया जाना चाहिए। न्यायालय में भी उच्चारण करना काफी कठिन होता है। यदि हम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च नयायालय वाणिज्य विभाग और वाणिज्य अपील प्रभाग के विशेष प्रावधान के खंडो को उद्धृत करना चाहते हैं तो इसका उच्चारण करना काफी कठिन है। इस विधेयक की नामावली परिवर्तित की जानी चाहिए। मैं इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम कहना चाहूंगा।

मूल अधिनियम स्वयं में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम है जो कि एक आदेश के द्वारा लाया गया था। इसे 30 अक्टूबर 2015 को अध्यादेश के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था। कल भी वही बात उठाई गई थी। अन्य विधायक जिस पर कल चर्चा की गई थी, उसे भी उसी अध्यादेश के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था। तत्पश्चात, यदि एक अध्यादेश बनाने के मार्ग के माध्यम से बार-बार सार्वजनिक करके एक अधिनियम बना है तो इसमें संशोधन भी अध्यादेश के रूप में ही लाना चाहिए। यह संसदीय लोकतंत्र में अच्छी प्रथा नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार हमारे देश की संसदीय प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से कमजोर कर रही है। अध्यादेश विधान का मार्ग चुनना सर्वथा अनावश्यक है।

हमें अध्यादेश की तात्कालिकता की जांच करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि मूल अधिनियम का संपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों का निपटान करने हेतु एक त्वरित तंत्र लाने का है जिसके लिए जिला न्यायाधीश स्तर पर एक वाणिज्यिक न्यायालय, जो मूल अधिनियम में उल्लिखित है, स्थापित किया गया है और उच्च न्यायालय में एक पृथक प्रभाग का प्रावधान है। तीसरा, उच्च न्यायालय में एक वाणिज्यिक अपील प्रभाग गठित किया जाना चाहिए। यह मूल अधिनियम के मूल प्रावधान है। अध्यादेश को 2015 के विद्यमान अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।

महोदय, अध्यादेश में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव अथवा संशोधन लाए गए हैं। पहला वाणिज्यिक विवादों हेतु विनिर्दिष्ट मूल्य को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए करना है और विवाद के पक्षकार वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए निम्न स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय तक पहुंच सके। अतः, यहां दो मंशाएं हैं। पहली तो यह है कि एक करोड़ रुपए से घटाकर तीन लाख रुपए किए गए वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट मूल्य और निम्न स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय भी कार्रवाही कर सकें क्योंकि मूल्य को घटाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

दूसरा मूल दीवानी क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाए जाने के बारे में है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सीधे तौर पर बताया है कि दिल्ली, मुंबई और चैन्नई उच्च न्यायालय के पास मूल

दीवानी क्षेत्राधिकार है। जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक अपील न्यायालय का प्रावधान किया गया है जो कि एक बहुत अच्छा सुझाव है।

तीसरा जिला न्यायधीश स्तर से नीचे वाणिज्यिक न्यायालय पर अधिकार का उपयोग करने के लिए जिलाधीश स्तर पर विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को समर्थ बनाए जाने से संबंधित है। जिसका अर्थ है जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों के लिए अपील प्राधिकरण जिला न्यायधीश होंगे जिसके लिए यह संशोधन लाया गया है।

चौथा किसी वाद संस्था के समक्ष अनिवार्य मध्यस्थता प्रदान करना है। मैं इससे पूर्णत: सहमत हूं कि यह विधेयक का एक सकारात्मक परिणाम है। सरकार ने इस विधेयक में सबसे अच्छी बात जो की है वह आखिर में अध्याय 3क है जो धार 12(क) में अन्तर्निहित संशोधित अध्याय है जिससे न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता एक स्वागत योग्य कदम बन गया है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन चार संशोधनों को लागू करने की क्या तात्कालिकता है। क्या अध्यादेश के प्रख्यापन के लिए कोई तात्कालिकता अथवा कोई मजबूरी के हालात हैं? क्या यह इन चार संशोधनों को 31 मई, 2017 से लागू करने के लिए है? इस सत्र के आरंभ होने से लेकर अब तक, 31 मई, 2018 के पश्चात ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं?

महोदय, इस विधेयक के संबंध में मुझे कुछ आपत्तियां है और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि मैं इस विधेयक के प्रभाव से पूर्णत: अवगत नहीं हूं। जब वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां तक मेरा संबंध है मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं। मैं विधेयक का पूर्णत: विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझे इस विधेयक में अन्तर्निहित भावना के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं।

आज, प्रात: माननीय मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय और अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया था। लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है। 24 उच्च न्यायालयों में बकाया सम्बन्धी समितियां गठित की गई है। सरकार भी न्यायालय के समक्ष मुकदमों और विधानों के लंबन को कम करने के लिए कार्रवाई करने का प्रयास और पहल कर रही है। जब हम विभिन्न न्यायालयों के लंबित मुकदमों के संबंध में शिकयतें कर रहे होते हैं तो संसद और सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक के बाद एक अधिनियमों को लागू कर न्यायालय के बोझ को और अधिक बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि हम नए कानून और मुकदमेबाजी के नए क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन हम आनुपातिक न्यायिक अवसंरचना का निर्माण नहीं कर रहे हैं। नए न्यायालयों का गठन नहीं किया जा रहा है। इस समय जब न्यायालयों पर दीवानी, आपराधिक और अन्य कई मामलों के संबंध में लंबित कानूनों का बोझ है, हम उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभागों के रूप में अपने न्यायालयों को नामित कर रहे हैं। इन मुकदमों को वरीयता देने से अन्य लंबित मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सबसे पहली आपत्ति है जिसे मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा। वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में विशेष न्यायालय नामित किए जा रहे हैं और उच्च न्यायालय के कतिपय प्रभागों को वाणिज्य प्रभागों के रूप में नामित किया जाएगा और कतिपय उच्च न्यायालय की पीठ के रूप में उच्च न्यायालय के प्रभागों को वाणिज्यिक अपील प्रभागों के रूप में नामित किया जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो न्यायालय को इन मुकदमों को वरीयता देनी पड़ेगी। उसके बाद, इससे निश्चित रूप से अन्य मामलों, जो न्यायालय के समक्ष लंबित है, पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लंबित मुकदमों की संख्या में वृद्धि होगी। मेरी यही सबसे पहली आपत्ति है।

राज्य के विरुद्ध अपराध एक अपराध है। वाणिज्यिक विवाद भी एक अपराध है। मेरी यह आशंका है कि जब किसी उच्च न्यायालय के प्रभाग अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील सुनी जा रही है तो उस समय क्या होगा जब अपीलीय क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में नामित उक्त उच्च न्यायालय में अपराधिक अपीलों को सुना जाएगा? जब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपराधिक अपील लंबे समय से लंबित हो और दूसरी ओर हम वाणिज्यिक विवाद के लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में विशेष न्यायालय को नामित करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से मुकदमों के लंबन में और अधिक वृद्धि होगी। अत:, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी लंबित मामलों को प्रभावित कर रहा है क्योंकि आप इस आधार पर वाणिज्यिक विवादों के मुकदमों को वरीयता दे रहे हैं कि व्यापार करना सुगम बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसी आधार पर सरकार ऐसा कर रही है। इस पर मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्पष्टीकरण दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि यहां अनेक विशेष न्यायालय हैं। परसों हम महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यपार की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। उसमें भी यह कहा गया था कि विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा।

वास्तव में हम विशेष न्यायालयों का गठन नहीं कर रहे हैं, हम केवल वर्तमान न्यायालयों को नामित कर कर रहे हैं जो विशेष न्यायालय के रूप में अपराधों की सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए, मैं कहता हूं कि जब भी सरकार कोई ऐसा विधेयक लेकर आती है जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना होती है तो न्यायिक अवसरंचना में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जानी चाहिए। न्यायालयों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, इत्यादि, उसी अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए। अन्यथा यह अन्य लंबित मामलों को बुरी तरह प्रभावित करेगा और वे मामले देश में गरीब लोगों से संबंधित होंगे। हमारे यहां किशोर न्यायालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार संबंधी, न्यायालय, परिवार न्यायालय और कई अन्य न्यायालय हैं।

महोदय, सरकार एक वाणिज्यिक विवाद का विनिर्दिष्ट मूल्य एक करोड़ रुपए से घटाकर तीन लाख रुपए कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस पर कोई प्रभाव अध्ययन किया है। मान लीजिए वाणिज्यिक विवाद का विनिर्दिष्ट मूल्य एक करोड़ रुपए है, आप उसे घटाकर तीन लाख रुपए कर रहे हैं। धारा 2(ग) में वाणिज्यिक विवादों से संबंधित 22 मदें हैं। मान लीजिए विवादों की ये सभी 22 मदें जिनमें वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्टि मूल्य की मात्रा तीन लाख रुपए है, तो हमारे न्यायालय वाणिज्यिक विवादों की याचिकाओं से भर जायेंगे। अन्य सिविल मामलों का क्या हश्र होगा?

मेरे अनुसार, यह वाणिज्यिक विवाद एक सिविल विवाद जैसा है। इसका क्या महत्व है? यदि मूल्य एक करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, हम समझ सकते हैं क्योंकि धन संबंधी क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी। यहां इस मामले में क्या प्रभाव होगा? मान लीजिए यदि यह किया जाता है, तो मेरी जानकारी के अनुसार, यहां तक कि एक मुंसिफ न्यायालय और यहां तक कि एक दंडाधिकारी न्यायालय, जो धन संबंधी क्षेत्राधिकार के अध्यधीन हो, को एक वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में घोषित किया जा सकता है या नामांकित किया जा सकता है और उसके कारण अन्य मामले प्रभावित होंगे। जब विवाद का विनिर्दिष्ट मूल्य तीन लाख हो जाता है, तो वाणिज्यिक से संबंधित लगभग सभी विवाद खंड 2(ग) में परिभाषा के दायरे के अंतर्गत आ जाएंगे जो कि वाणिज्यिक विवाद है। न्यायालय वाणिज्यिक विवादों से पट जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप अन्य सभी मामले और विभिन्न विषयों से संबंधित विवाद न्यायालय में महत्वहीन या अप्रासंगिक हो जाएंगे। अत: मैं एक वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट मूल्य को घटाकर तीन लाख रुपए करने के तर्क को नहीं समझ पा रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी अभी कहा कि ऐसा करके गरीब याचिकाकर्ता अपनी याचिका दायर करने में सक्षम होंगे। इसके लिए सिविल समाधान है। वे मुंसिफ न्यायालय या संबंधित न्यायालय में जा सकते हैं ताकि उनकी शिकायत का निवारण हो सके। मान लीजिए 'क' का 'ख' के साथ समझौता है और समझौते का उल्लंघन होता है और विनिर्दिष्ट मात्रा तीन लाख रुपए या चार लाख रुपए है, वह एक वाणिज्यिक न्यायालय में जाने के लिए प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार प्राप्त कर रहा है और उसे जल्द से जल्द समाधान मिलेगा। सिविल प्रकृति के अन्य व्यक्तिगत लेनदेन का क्या? जो प्राथमिकता दी जा रही है वह अतार्किक है और इस विशेष वाणिज्यिक विवाद के लिये प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार का कोई भी तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है।

मैं संस्था-पूर्व मध्यस्थता और समाधान के नवीन प्रस्ताव, जिसके लिए एक नवीन अध्याय भी लाया गया है, से पूर्ण रूप से सहमत हूं और स्वीकार करता हूं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह सर्वोत्तम कार्यवाही है क्योंकि हमारे पास विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। अत: लंबित मुकदमों की संख्या को घटाया जा सकता है।

जब व्यापार करने में आसानी के लक्ष्य को प्राप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने और भारतीय न्याय परिदान प्रणाली को सुधारने हेतु ये सभी संशोधन और अधिनियम किए जा रहे हैं, माननीय मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि आर्थिक विकास की गति बढ़ाना आम आदमी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जब आप वाणिज्यिक विवादों के न्याय निर्णय में प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार प्रदान कर रहे हैं जो कि व्यवसायियों के विवाद हैं, तो समाज के अन्य वर्गों को त्वरित और प्रभावी न्याय परिदान से समझौता नहीं किया जाना चाहिए या यह प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस स्वरूप के अध्यादेश को जारी करने की कोई भी तात्कालिकता नहीं है, अत: मैं अध्यादेश के प्रख्यापन का विरोध करता हूं और मेरी शंकाओं और आपत्तियों, जो कि मैंने पहले ही व्यक्त कर दी हैं, और जिनका मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं, के अध्यधीन मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 3 मई, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है"

और

"कि वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 पर बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष का विशेषाधिकार है। आपको चर्चा प्रारंभ करने का मौका विपक्ष के सदस्य को देना चाहिए; वह तैयार है। प्रतिदिन चर्चा सत्ता धारी दल के द्वारा प्रारंभ की जाती है। संबंधित मंत्री ने पहले ही अपनी टिप्पणियां दे दी हैं। वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। कम से कम आप विपक्ष को मौका दे सकते हैं। यह हमेशा होता है और आप ऐसा करते हो। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कल से इसमें बदलाव आया है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, यहां पर एक उल्लेख है कि मद संख्या 13 और 14 पर एक साथ चर्चा की जा सकती है...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा, हम शांत रहे...*(व्यवधान)*

हमारा निवेदन यह है कि प्रारंभ इस ओर से किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आपने इसे कल भी उठाया था। अत: मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.42 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प और अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक के संबंध में संयुक्त चर्चा हेतु अपनाए जाने के लिए प्रक्रिया

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण को याद होगा कि कल सांविधिक संकल्प तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 पर संयुक्त चर्चा के दौरान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहते हुए बिन्दु उठाया था कि "मंत्री द्वारा विधेयक पुर:स्थापित करने और बोलने के पश्चात यह विपक्षी दल का विशेषाधिकार है कि वह चर्चा की शुरुआत करे। यह गलत उदाहरण है। मेरा अनुरोध है कि इसको इस तरह से नहीं मिलाना चाहिए।" श्री खडगे ने यह भी कहा है कि "यह मुख्य विपक्षी दल का अधिकार है कि वह चर्चा की शुरुआत करे। हमें वो अवसर नहीं दिया गया और बीच में अन्य दलों के सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दी गई। यह अच्छी चीज नहीं है।" यही आपने कहा है।

इस संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प और अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक की विषय वस्तु का स्वरूप एक समान है। इसलिए इन दोनों मदों की अलग अलग चर्चा करना ठीक नहीं है।

तदनुसार, सुस्थापित परंपरा के अनुसार, सभा के समय की बचत के लिए अध्यादेश के निरनुमोदन के आशय वाले सांविधिक संकल्प और अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक पर साथ साथ चर्चा की जाती है। दोनों ही मदों पर संयुक्त चर्चा के लिए इन्हें सूचीबद्ध करने की परंपरा समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इसलिए इसमें बदलाव की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

ऐसे मामलों में जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है वह यह है कि जिस सदस्य के नाम पर सांविधिक संकल्प सूचीबद्ध है वह संकल्प का प्रस्ताव करता है और तत्पश्चात विधेयक का प्रभारी मंत्री विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उसके बारे में बताता है। मंत्री के भाषण के पश्चात सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करने वाले सदस्य को विधेयक के साथ साथ अध्यादेश पर बोलने की अनुमति दी जाती है क्योंकि उसे विधेयक पर बोलने के लिए अलग से कोई दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता। सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करने वाले सदस्य के भाषण के पश्चात विभिन्न दलों के सदस्यों को हमेशा की तरह उनके दल की सदस्य संख्या के आधार पर बोलने के लिए कहा जाता है।

इसलिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मेरा यही कहना है कि हम इस परंपरा का पालन करते हैं। हम पर्याप्त समय देंगे जैसा कि हमने कल भी दिया था।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, हम भीख नहीं

मांग रहे हैं बल्कि अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यह आपका अधिकार है; मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्हें हमें अवसर देना चाहिए। सत्ताधारी दल ही क्यों चर्चा की शुरुआत करे? सत्ताधारी दल अपने दल की बैठकों में भी हमेशा चर्चा कर सकता है...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यह ऐसे नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यही एक मात्र मंच है जहां विपक्षी दल पहल कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को ध्यान में ला सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री प्रेमचन्द्रन भी विपक्ष के सदस्य हैं। आपका समूह, संयुक्त समूह है; कोई अन्य समूह नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह विशेषाधिकार का मामला है। यह हमारे अधिकार का मामला है।...*(व्यवधान)*

आप हमारे अधिकारों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मेरी ऐसी भावना नहीं है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, अगर यह स्टेट्यूटरी रेसोल्यूशन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के मेम्बर को ही पहले बोलने का अवसर मिलता। प्रेमचन्द्रन जी ने रेसोल्यूशन दिया और उसको माना गया, इसलिए उनको बोलने का मौका मिला...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : फिर भी, मैंने उनको बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। आप सभा के सर्वोच्च अधिकारी हैं...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : सर्वोच्च अधिकार इस सभा को प्राप्त है। मैं सर्वोच्च अधिकारी नहीं हूं। जैसा आप मुझे दिशा-निर्देशित देंगे, मैं वैसा ही करूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप नियमों की अनदेखी कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे लगता है कि अब हम समय बर्बाद कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यदि आप नियमों कि अनदेखी करना चाहते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा लेकिन आप सभी को स्वीकार करना होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सब ने आपको नियम के मामले में प्राधिकृत किया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.44 बजे

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी, अब आप अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून अदालत की व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के बीच में सामंजस्य बैठाने की एक कोशिश है। दिल्ली व्यापार का केन्द्र है। मुझे लगता है कि यह मुद्दा व्यापारियों के हितों और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जहां व्यापार है, वहां विवाद है। जैसे-जैसे उद्योग और व्यापार बढ़ेगा तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि वहां-वहां विवाद भी बढ़ेगा। उन सब विवादों का हम सही तरीके से निपटारा कर सकें, इसकी व्यवस्था भी हमें देश में खड़ी करनी होगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर दो देशों के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के रूप में वहां पर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिसके जरिए उन विवादों को सुलझाया जा सकता है। घरेलू स्तर पर जब व्यापारियों के बीच अगर सरकार के साथ या आपस में कोई भी झगड़ा होगा या किसी भी किस्म के विवाद उत्पन्न होंगे

तब ऐसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें एक समुचित व्यवस्था बनानी है। हाल फिलहाल में कई ऐसे कानून देश में बदले गए, चाहे वह स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट हो या ऑर्बिट्रेशन एक्ट हो, तमाम ऐसी चीजों को बदला गया ताकि देश में व्यापार की व्यवस्था ठीक हो सके। उसी व्यापारिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 2015 में एक कानून आया, जिसको कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल एप्लेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स के एक्ट के नाम से दिया गया। उसके अंदर हाई कोर्ट्स में और जिला स्तर पर व्यावसायिक अदालतों की स्थापना करने की व्यवस्था थी। कुछ चार्टर हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जैसे दिल्ली हाई कोर्ट और कई ऐसी हाई कोर्ट्स हैं, जहां पर ये ज्यूरिडिक्शन उपलब्ध नहीं हैं। इसी व्यवस्था को ठीक करने और तेजी से इन विवादों को समाप्त करने के लिए इस कानून का प्रावधान किया गया है। देश में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। एफ.डी.आई. इज ऑन द हाई। कामर्शियल लिटिगेशन भी बढ़ रही है और व्यापारिक लेनदेन में भी वृद्धि हो रही है। इसी के चलते विदेशी निवेशकों को हमारी ज्यूडिशरी और हमारे लीगल सिस्टम की एक सकारात्मक छवि मिले, उस दिशा में यह एक अच्छा कदम है। हाई कोर्ट्स में व्यावसायिक डिवीजन उसी के आधार पर बनाई गई है। व्यावसायिक डिवीजन और अपीलीय डिवीजन के मध्य में मई के महीने में 2018 में इस आर्डिनेंस को लाया गया था, लेकिन इस संशोधन का मूल है कि व्यवसाय को कैसे आसानी से किया जा सके। मंत्री साहब ने यह बात पहले कही है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार करना है। 130वीं रैंकिंग से हम 100वीं रैंकिंग पर पहुंचे हैं, लेकिन अधिक से अधिक हमारी रैंकिंग और बढ़े, ऐसा संदेश हम पूरी दुनिया में दे सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमें रैंकिंग बढ़ानी है और वर्ल्ड बैंक के जो क्वॉइंटिफाइबल पैरामीटर्स हैं, उन पैरीमीटर्स के तहत यह एक कदम है।

[अनुवाद]

श्री प्रेमचन्द्रन जी ने बार-बार यह पूछा है कि अधिकार-क्षेत्र को एक करोड़ के बजाय घटाकर तीन लाख क्यों कर दिया गया है। इसका उत्तर यह है कि जब अध्ययन कराया गया तो छोटे से छोटे वाणिज्यिक वाद के समाधान में लगभग 4 वर्ष अर्थात 1420 दिन लगते हैं। 2013 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में 32,656 सिविल मामले लंबित थे और 52 प्रतिशत वाद वाणिज्यिक थे। जब वह मामलों की संख्या में कमी लाने तथा आम जन के लाभ की बात करते हैं तो व्यापारी, छोटे व्यापारी भी आम लोग हैं। जी.डी.पी. की वृद्धि में भी उनका भी योग्दान है। उनके कष्टों का निवारण करने की आवश्यकता है ताकि धन का परिचालन बढ़ाया जा सके। प्रेमचन्द्रन जी ने यह पूछा है कि क्या कोई अध्ययन कराया गया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि, हां अध्ययन कराया गया है और 2013 के आंकड़ों के अनुसार 32,656 मामले लंबित हैं और 52 प्रतिशत वाद वाणिज्यिक विवादों से संबंधित हैं। अधिकतर वाणिज्यिक वादों में विशेषकर जिनमें अधिक राशि शामिल है, उनसे देश में वित्तीय निवेश और आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है।

महोदय, विधि आयोग ने 2015 में प्रस्तुत अपनी 253वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक मामलों और वाणिज्यिक वादों को शीघ्र निपटाने की सिफारिश की थी जिसके लिए विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता है। ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो सभी तरह के मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं लेकिन कतिपय प्रारूप में और विशिष्ट मामलों में वाणिज्यिक न्यायालय को अलग किया गया है। जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना तथा उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के उच्च राशि वाले वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना हेतु 2015 के इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था ताकि निर्माण और इमारत के ठेकों और माल और सेवा कर से संबंधित मामलों से संबंधित वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया जा सके।

अब, दिसंबर, 2017 में वास्तव में क्या हो गया है? जैसा कि दिसंबर 2017 में माननीय मंत्री ने पहले ही उल्लेख किया है कि सरकार ने देशभर में कुल 247 वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की है। लेकिन 22 ऐसे विवादों की सूची जिन्हें वाणिज्य विवाद कहा जाता है, वह भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई अधिनियम और कई चीजों को सही करने की आवश्यकता है और यह व्यापार में सुगमता में सुधार करने के लिए संशोधन का एक भाग है। क्षेत्राधिकार को 3 लाख तक लाने के बाद हम, वास्तव में और अधिक लोगों तक न्यायिक सुविधा पहुंचा पाएंगे। ज्यादा संख्या में लोगों के लिए इसे उपलब्ध करा कर, हम बहुत से विवादों को निपटा सकेंगे। इसी संदर्भ में डेटा का विस्तार से अध्ययन करने पर क्षेत्राधिकार को कम कर दिया गया है।

यह संशोधन इस मूल्य विशेष के साथ लाया गया है जिसे धारा 2(1)(i) के तहत निर्धारित किया गया था, जहां न्यूनतम वित्तीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, जो कि अध्यादेश के पहले एक करोड़ था, अब इसे तीन लाख कर दिया गया है। यह क्षेत्राधिकार ऐसे और भी विवादों को तेजी से निपटारे हेतु कार्यवाही कर सकता है।

जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, चार्टर के अंतर्गत,

चार्टर्ड उच्च न्यायालय और गैर चार्टर्ड उच्च न्यायालय आते हैं। अतः कुछ निश्चित क्षेत्राधिकार कुछ निश्चित उच्च न्यायालयों के पास हैं और सभी उच्च न्यायालयों के पास नहीं। वाणिज्यिक विभाजन स्थापित करने में यह एक बाधा थी। अतः, यह एक प्रकार की रोक थी। इस रोक को हटाने के लिए; यह अधिनियम विशेष लाया गया और यह एक अन्य बड़ा बदलाव है जिसे इस विधेयक द्वारा लाया गया है।

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय का तीसरा पहलू यह है कि सामान्यतः जिला स्तर पर, या तो एक जिला न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के स्तर के नीचे का एक न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित होगा। फिर अपील को उच्च न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष जा सकती है। यह भी इस अधिनियम का एक भाग है।

अब, मैं मध्यस्थता पर आता हूं। इसमें एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ा गया है। मुझे लगता है हमें इस पहलू का स्वागत करना चाहिए। ज्यादातर मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, जो अब तक मौजूद नहीं थी और विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों को ध्यान में रखते हुए; मुझे लगता है कि हमने इटली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से एक पत्ता निकाला है। इटली में, तंत्र की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए अध्ययन किया गया और हमने इस अध्याय को इस पूरे अधिनियम में शामिल कर उसकी नकल करने की कोशिश की है। इस अध्याय में दो बदलाव किए गए हैं। पहला, यह मध्यस्थता पर समय सीमा आरोपित करता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया को तीन माह के भीतर खत्म करना है। दूसरा, जिस मामले में दोनों पक्ष समझौते के तहत हों और दोनों पक्ष सहमत हों, मध्यस्थता अवधि के दो महीनों से बढ़ाया जा सकता है और इसे भी लिखित रूप में होना चाहिए। तीसरा, इस मध्यस्थता प्रक्रिया में जो भी निर्णय लिया जाता है, वह मान्य होगा। अन्यथा हमें इस आदेश के दोनों पक्षों के बीच सुलह और समझौते के रूप में लाने के लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। अब स्वतः एक मध्यस्थता आदेश, जो भी दोनों पक्षों के बीच बनाया गया हो, एक प्रमाणित आदेश और मध्यस्थता पुरस्कार होगा। यह बदलाव मध्यस्थता अधिनियम में भी लाया गया है जिससे बोझ कम होगा।

अतः, मैं पुनः श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्यों इसे तीन लाख तक ला दिया गया है। जिस पल हम इसे तीन लाख कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इस कार्यप्रणाली का लाभ उठा सकेगा। मध्यस्थता से, हम आधे मुकदमों को खत्म कर पाएंगे। सबको यही चाहिए कि कुछ रुचि भिन्नता हो ओर उस प्रकार के विवाद हों जिनका निपटान किया जा सके। अतः प्रस्ताव के बाद, मध्यस्थता का आदेश परिपूर्ण होता है और उसे मध्यस्थता पुरस्कार का दर्जा प्रदान किया जाता है, जो कि बेहतरीन है। वर्तमान संशोधन विधेयक यही करने की मंशा रखता है।

अब मैं, प्रतिदावों के स्थानांतरण के मुद्दे पर आता हूं। प्रतिदावों के समर्थन में एक समस्या थी। अब, इसकी मदद से, हमने उस विवाद का निपटान भी कर लिया है। पूर्व में, यदि कोई दीवानी दावा कम से कम रु. 1 करोड़ का हो तो उसे स्थानांतरित नहीं किया जाता था। परंतु, अब उसे स्थानांतरित किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से उसे वाणिज्यिक खंड में स्थानांतरित करना चाहता हो।

मैं पुनः कारोबार की सुगमता के विषय पर आता हूं। कारोबार की सुगमता एक वैश्विक सूचक है जहां विश्व बैंक द्वारा संख्यात्मक तंत्र स्थापित किया गया है। यह सूचकांक पर बहुत ही विश्वसनीय और व्यापक रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय रैंकिंग तैयार करती है। यह रैंकिंग LO उप-घातांकों पर आधारित होता है जिसमें कारोबार शुरू करने, निर्माण अनुमति संव्यवहार, कार्मिक नियुक्ति, संपत्ति पंजीकरण, ऋण प्राप्त करने, निवेशकों का बचाव, कर, सीमा-पार व्यापार और अनुबंध प्रत्यारोपण करने के लिए प्राधिकरण के गुणात्मक मानदंड शामिल होते हैं जो कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व में, हमने 2018 में विशिष्ट राहत अधिनियम में भी यह बदलाव किया।

जहां तक बिजली के कनेक्शन और कारोबार को बंद करने का संबंध है, यह बहुत प्रासंगिक है। भारत दिवाला मुद्दों को संभालने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात है। हमने सुधार कर के 136 से 103 स्थान पर आए हैं। तो हमने 30 पायदानों की छलांग लगाई है। इसने भारत के भविष्य को बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। यह इसलिए क्योंकि विश्व बैंक का कारोबार की सुगमता रैंकिंग बहुत समय से निचले स्तर पर थी। देश ने कारोबारों की हो रही कमी को रोकने के लिए इस प्रक्रिया को तेज किया है।

अब क्या हो रहा है कि जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं जिससे मुनाफा नहीं हो रहा और जो कारोबार मृत हो चुका है, उसे बंद करने की जरूरत है। अब कई सारे मुकदमों और ऐसी अन्य चीजों की वजह से, कारोबारों को बंद करना भी एक समस्या बन रही थी। दीवाला अधिनियम जो अभी हाल ही में लाया गया है और जो भी बदलाव किए गए हैं उनसे इस कार्य को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत की रैंकिंग को वैश्विक स्तर पर बेहतर करने हेतु कारगर सुधार भी किए जा रहे हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा एफ.डी.आई.

प्राप्त हो सके; अपनी अर्थव्यवस्था को दर्शा सकें; और हम रैंक में सुधार कर सकें।

हमने छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर फ्रांस को पीछे छोड़ा है। आने वाले समय में, हम विश्व रैंकिंग में अपना स्थान सुधारने की कोशिश करेंगे और हम विश्व में पहले पायदान पर आना चाहेंगे।

कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा, कि साफ नीयत और सही विकास ही है जिस ओर देश बढ़ रहा है और यही हमने पिछले चार वर्षों में किया भी है। साफ नीयत और सही विकास की वजह से ही इन बदलावों को एक पूर्ण पैकेज के रूप में लाना संभव हो पाया है।

[हिन्दी]

इस सदन में बैठे अपने सभी साथियों से मैं यही बताना चाहती हूं कि जहां साफ नीयत है, बरकत वहीं है। विपक्ष में बैठे अपने सभी साथियों - प्रेमचन्द्रन ही और तमाम साथियों से कहना चाहूंगी कि हौसले में अगर पाकीज़गी होगी और नीयत में सच्चाई होगी तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चार साल के बेमिसाल कार्यकाल में आपने देखा होगा कि चाहे मोहब्बत हो या इबादत, चाहे सियासत हो या तिज़ारत हम तो हर जगह साफ नीयत रखते हैं और पाकीज़ा की फितरत रखते हैं। तभी राष्ट्रीय पटल हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल, हर तरफ विकास का डंका बज रहा है और सबको सुनाई दे रहा है। अत: मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं और सदन में बैठे अपने सभी साथियों से आग्रह करती हूं, विनती करती हूं कि इस विधेयक का समर्थन कर के मोदी सरकार की निरंतर बढ़ती विकास यात्रा में अपना अमूल्य योगदान दें ताकि देश की प्रगति में हम सब लोग भागीदार बन सकें।

धन्यवाद।

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (टुमकुर) : महोदय, मुझे भी यहां से बोलने की अनुमति दीजिए।

अपराह्न 2.58 बजे

महोदय, दोहराने के बदले, अध्यादेश के जारी करने और उसमें संशोधन के संबंध में मेरे वरिष्ठ साथी, श्री प्रेमचन्द्रन जी, द्वारा व्यक्त किए विचारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

शब्द 'अध्यादेश' का अपने आप में काफी महत्ता है। कन्नड़ में, हम एक शब्द *'सुग्रीवघ्ने'* प्रयोग करते हैं जो शब्द की महत्ता दर्शाता है। हम दुर्लभ से दुर्लभ मामले में भी अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं किन्तु यहां मैं माननीय कानून मंत्री, जो स्वयं कानून के अधिवक्ता हैं, से निवेदन करूंगा कि वह हमें विश्वास दिलाएं, सदन को और देश को बताएं कि अध्यादेश के जरिए इस विधान को लाए जाने की इतनी शीघ्रता क्यों थी। एक दूसरा विधेयक जो आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध है वह भी अध्यादेश के जरिए लाया गया है। यदि इस प्रावधान का उपयोग बार-बार किया जाता है तो निश्चित ही इस प्रावधान की महत्ता समाप्त हो जाएगी। यदि इसका बारम्बार और अनावश्यक रूप से उपयोग किया जाता है तो यह अपनी विशिष्टता खो देगा। यही कारण है कि इस संबंध में मेरी अपनी आपत्तियां हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा इस विधेयक को लाने के लिए उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी और वाणिज्यिक विवादों के त्वरित गति से निपटाए जाने का हवाला दिया गया है। यदि सरकार की मनसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने की थी तो सरकार ने इसकी आर्थिक क्षेत्राधिकारिता को दो करोड़ रुपए से कम करके 3 लाख क्यों कर दिया गया है?

धारा 2(ग) में 22 मदों का उल्लेख है। सिविल न्यायालयों में लंबित लगभग हर दूसरा वाद सौदागरों, बैंकरों, वित्त प्रदाताओं, व्यापारियों इत्यादि के साधारण लेन-देन के वाणिज्यिक वाद सहित वाणिज्यिक वाद हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो जब सरकार वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन के लिए विशेष विधान ला रही है तो इसमें कुछ गंभीरता होनी चाहिए।

आज सुबह ही माननीय मंत्री ने सिविल और आपराधिक मामलों सहित देश में न्यायालयों में मामलों के लम्बित होने को स्वीकार किया है। इस विधान की परिधि में मामलों को लाने के लिए धन संबंधी अधिकारिता की मात्रा को 3 करोड़ से कम कर 2 लाख करना इस विधान के महत्व को कम करता है। सरकार का विशेषकर वैश्विक स्तर पर व्यवसाय को आकृष्ट करने के आशय से वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन करने का विचार है। मेरा मानना है कि धन संबंधी अधिकारिता की मात्रा को कम करके 3 लाख करने से इस विधान की गंभीरता कम हो जाती है।

महोदय, सरकार का आशय 'व्यवसाय करने की सहजता' और वाणिज्यिक वादों का त्वरित निपटारा भी है। यदि ऐसा है, तो सरकार ने अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार क्या उपाय किए हैं। मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रचुर अवसंरचना की आवश्यकता है। यदि सरकार उसी अवसंरचना के साथ मामलों का त्वरित

निपटारा करना चाहती है तो मैं नहीं समझता कि सरकार का उद्देश्य पूरा होगा।

महोदय, सुबह में माननीय मंत्री के उत्तर से हम जो समझ गए वह यह कि आपराधिक मामलों में जिसमें दंड तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है के बावजूद कई मामले तथा उदाहरण ऐसे हैं जहां पर विचाराधीन कैदी चार से पांच सालों से बंद हैं। मामलों के त्वरित निपटान के अभाव में जेलों में बंद कैदी उचित सजा से ज्यादा समय से बंदी हैं। दीवानी मुकदमेबाजी की तो बात ही अलग है। दीवानी अदालतों में 25 से तीस सालों से ज्यादा समय से ऐसे दीवानी मुकदमे चल रहे हैं। यदि ऐसा है तो बिना अतिरिक्त अवसंरचना के संबंध में प्रावधान किए सरकार कैसे मामलों का त्वरित निपटान सोच सकती है? इस विधेयक में अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण हेतु कोई प्रावधान हम नहीं पाते हैं। उदाहरणस्वरूप, वाणिज्यिक अपील प्रभाग न्यायालय में सरकार का विचार उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को नियुक्त करने का है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उच्चतर न्यायिक सेवाओं के संवर्ग से वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव रखने वाले उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को वाणिज्यिक अपील प्रभाग के न्यायाधीश नामांकित करेंगे। अतएव, इस विधेयक के प्रावधान के माध्यम से सरकार ऐसी जगह से श्रम शक्ति खींच रही है जहां पहले से ही अत्यधिक भार है जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक, दीवानी तथा अन्य मामलों में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

यदि यही बात है तो जब तक आप अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायपालिका दोनों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते और वर्तमान न्यायाधीशों के काम के बोझ को कम नहीं करते तब तक इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। स्थिति यह है। इसीलिए मैंने सुबह भी कहा और अब भी कह रहा हूं, आपने यह बात मानी है कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के 5500 से भी अधिक पदों की कमी है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी तकरीबन 50 प्रतिशत रिक्तियां बिना भरे पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में जब तक और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती तथा और नए न्यायालयों का सृजन नहीं होगा तो इस विधान को लाने के पीछे का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

आप पूर्व-संस्थागत मध्यथता और समाधान का प्रावधान ला रहे हैं। यह एक नया अध्याय है जो आप यहां ला रहे हैं। इस विधान को लाकर आप कौन-सा प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं? यहां, आप पूर्व-मध्यथता और समाधान हेतु विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों का सृजन करना चाहते हैं। आप एक अनिवार्य चीज के रूप में पूर्व-मध्यथता समाधान कर रहे हैं। चाहे यह 3 लाख रुपये का ही मामला है तो भी इसे इसका उपबन्ध में उल्लेख किया जाना चाहिए।

वादी के लिए एक उपबन्ध किया गया है। उपबन्ध से बचने के लिए यदि वे एक अंतरिम आवेदन करते हैं तो मामला इस उपबन्ध से दूर चला जाता है। यदि कोई अंतरिम आवेदन होता है जिसमें व्यादेश का आदेश अथवा कोई अन्य आदेश मांगा गया हो तो मामले को इस उपबन्ध से दूर किया जा रहा है। आवेदन करना भर पर्याप्त है। अन्यथा, इसके लिए कहां उपबन्ध किया गया है और इस बात का निर्णय कौन लेगा कि क्या यह ऐसा मामला है जिसे पूर्व-संस्थात्मक मध्यस्थता और समाधान के लिए भेजा जाए? वे यहां पांच महीने का समय बचा सकता है। इसीलिए, कोई भी अंतरिम आवेदन दायर कर सकता है और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। वास्तव में यहां इसके लिए क्षेत्र है।

आखिर में, मैं अपने राज्य से संबंधित समस्या को रखना चाहता हूं। सवेरे हमारे नेता श्री खड़गे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक उठाया था जोकि हमारे राज्य में एक बड़ी खबर बन चुकी है।

इस सम्माननीय सभा ने संविधान के अनुच्छेद 371ञ के अंतर्गत हैदराबाद-कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया था। उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए यह प्रावधान किया गया था। इसमें छह जिले नामतः गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, कोप्पल, रायचूर और बेल्लारी शामिल हैं। ये जिले हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के लिए और विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 371ञ के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। सौभाग्य से कर्नाटक में तीन पीठों का सृजन किया गया था। पहली बैंगलुरू, दूसरी हुबली-धारवाड़ और तीसरा गुलबर्गा में। यदि सभी छह जिलों को अनुच्छेद 371ञ का लाभ दिया जाता है तो वे भौगोलिक रूप से भी उन्हें अक्षुण्ण रखना चाहिए।

हुआ यह है कि छह जिलों में से दो जिलों को क्षेत्रीय अधिकारिता के आधार पर इस न्यायालय से हटा दिया गया है और इन्हें हुबली-धारवाड में उच्च न्यायालय को दिया गया है। माना हुबली-धारवाड में अनुच्छेद 371ञ के उपबंधों के अंतर्गत वाद दायर किया जाता है तो वहां से पारित होने वाले किसी भी आदेश का संपूर्ण हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इन दोनों

जिलों को गुलबर्गा स्थित उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में रखा जाना चाहिए ताकि अनुच्छेद 371ञ के अंतर्गत हैदराबाद-कर्नाटक को दिया गया विशेष दर्जा सार्थक हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी) : धन्यवाद, माननीय सभापति जी। वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया है जिसमें वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों के लिए न्यूनतम एक करोड़ रु. तक की राशि के वाणिज्यिक विवादों का निर्गत करने का उपबंध किया गया है। इस विधेयक में यह सीमा घटाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

महोदय, वाणिज्यिक न्यायालयों की धन-संबंधी अधिकारिता को एक करोड़ रु. से घटाकर तीन लाख रुपये कर देने से तीन लाख रुपये से ऊपर के सभी वाणिज्यिक विवादों का स्थानांतरण हो जाएगा। इससे वाणिज्यिक न्यायालयों पर भार बहुत अधिक बढ़ जाएगा और उनके स्थापन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। भारत के न्यायालय पहले ही लंबित मुकदमों की अधिक संख्या के भार से दबे हुए हैं।

अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। 2006 से अप्रैल, 2018 के बीच, सभी न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अधिक समय तक मुकदमा लंबित रहने के मामले बढ़ने के कारण, जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ी है। जेलों में लगभग 5 लाख लोग बंद हैं। इनमें से दो-तिहाई विचाराधीन कैदी थे और शेष एक-तिहाई सजा प्राप्त थे। इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

इस विधेयक में राज्य सरकारों को जिला स्तर न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। यहां तक कि संघ राज्यक्षेत्रों में भी जहां उच्च न्यायालय के पास सामान्य मौलिक सिविल अधिकार क्षेत्र होता है।

जिन क्षेत्रों में उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां राज्य सरकारें जिला जज के स्तर से नीचे के व्यावसायिक न्यायालयों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने हेतु जिला स्तर पर व्यावसायिक अपीलीय न्यायालय स्थापित करें। इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन व्यावसायिक न्यायालयों के निर्माण का खर्च राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार या दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।

महोदय, इस महती सभा में मैं यह रिकार्ड करना चाहूंगा कि समग्र न्यायालयों में 2016 में 23 प्रतिशत की तुलना में 2018 में जजों की रिक्तियां 35 प्रतिशत हो गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यह बढ़कर 8 प्रतिशत से 23 प्रतिशत हो गई है। उच्च न्यायालयो में यह 16 से 38 प्रतिशत हो गई है और नीचे के न्यायालयों में 19 से 26 प्रतिशत है। और व्यावसायिक न्यायालयों की स्थापना के लिए और अधिक जजों की जरूरत होगी, और सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और न्यायालयों में पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध कराना चाहिए।

महोदय, सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। वह न्यायालयों से व्यावसायिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वाले आर्थिक मामलों को लम्बित और न्यायालयों को बड़ी सख्या में हस्तांतरित करना चाहती है। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों को उपलब्ध कराना और देश में स्थापित नए व्यावसायिक न्यायालयों के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराना प्रमुख कर्तव्य है और इसका भार राज्य सरकारों पर नहीं डाला जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री इदरिस अली (बसीरहाट) : आपका धन्यवाद, महोदय। मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

साथ ही मैं महान राष्ट्रीय नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के प्रति भी आभारी हूं जो दूसरी मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर मैं एक संसद सदस्य नहीं बन पाता।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने 03 मई, 2018 को वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015 में संशोधन करने वाला एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। महोदय, इस विधेयक का आशय वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का सशोधन करना तथा वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित भी करना है।

न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। यह वास्तव में ही आम जनमानस के लिए एक चिंता की बात है। वाणिज्यिक

न्यायालयों की स्थापना से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। किंतु सरकार को इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तथा उन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये।

वर्तमान में न्यायपालिका में कार्य की बहुत अधिकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में ही 23 प्रतिशत मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा, सभी मामलों में से 29 प्रतिशत से अधिक मामले दो से पांच वर्षों की अवधि से लंबित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में, आठ प्रतिशत से अधिक मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में, अधिकतर मामले दो वर्षों से कम समय से लबित हैं और यह आंकड़ा 47% बैठता है।

महोदय, लंबी अवधि हेतु मामलों की लंबिता में वृद्धि के कारण इन वर्षों में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2015 की स्थिति के अनुसार जेलों में 4 लाख से अधिक कैदी हैं। इनमें से दो तिहाई विचाराधीन थे और शेष एक तिहाई दोषसिद्ध थे। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने मामलों को न्यायालय के बाहर सुलझाना चाहते हैं।

हम सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। जब तक इन रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा नहीं जाएगा तब तक अतिरिक्त तंत्रों के निर्माण के बावजूद भी मामलों की संख्या बढ़ने की समस्या का समाधान नहीं होगा। समग्र रूप में देश में सभी न्यायालयों में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह 2006 में 23% से बढ़कर अप्रैल 2018 में 35% हो गई है। उच्चतम न्यायालय में यह 8% से बढ़कर 23% और उच्च न्यायालय में यह 16% से बढ़कर 38% और अधीनस्थ न्यायालयों में 19% से बढ़कर 26% हो गई है। अप्रैल 2018 की स्थिति अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 406 पद रिक्त हैं जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1079 न्यायाधीशों की है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्ति 2006 और 2017 के मध्य 19% से बढ़कर 26% हो गई है। पश्चिम बंगाल में न्यायाधीशों के 40 पद और आंध्र प्रदेश में न्यायाधीशों के 66 पद रिक्त हैं।

श्री इदरिस अली : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए तीन मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं।

माननीय सभापति : नहीं, कृपया एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

श्री इदरिस अली : महोदय, इस विधेयक में वाणिज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में काफी अहम परिवर्तन किए गए हैं। इससे पूर्व राज्य सरकार उन न्यायाधीशों को केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही नियुक्त कर सकती है, जबकि संशोधन के बाद राज्य सरकार को ऐसे न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नियुक्त किया जा सकता है। जब तक नियमित न्यायालयों में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा, मामलों के निपटान की समस्या कभी हल नहीं होगी।

महोदय, कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिविजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिविजन ऑफ हाई कोर्ट ऐक्ट, 2015 तदउपरांत प्रधान अधिनियम के रूप मं संदर्भित, के विधेयक की धारा 15 और 20 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों का दायित्व होगा कि अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करें। राज्यो की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए, केन्द्र को इन अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करनी चाहिए। लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, न्यायपालिका के सभी स्तरों पर रिक्तियों को भरा जाना चाहिए; और इस कारण या उद्देश्यों और कारणों को पूरा करने हेतु प्रयोजन; के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

माननीय सभापति : अब कृपया समाप्त करें।

श्री इदरिस अली : महोदय, मुझे केवल एक मिनट दीजिए। माननीय गृह मंत्री यहां हैं और मैं उनका आभारी हूं कि वह मेरी बातों को नोट कर रहे हैं।

विधि मंत्री जी, यह सही तथ्य है कि आपने वाणिज्यिक न्यायालय निर्मित किए हैं परन्तु इस प्रयोजन हेतु वाणिज्यिक मामलों के लिए न्यायाधीशों के नए पदों को सृजित नहीं किया गया। वस्तुत: जो न्यायधीश आपराधिक मामलों पर कार्य करेगा, वह वाणिज्यिक मामलों हेतु भी न्यायधीश बनेगा।

महोदय, विधि मंत्री एक प्रख्यात अधिवक्ता हैं और वह सब कुछ जानते हैं।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं वह सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर अपने द्वार पर गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। इसलिए, बिना समय गंवाए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

माननीय सभापति : अब श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

श्री इदरिस अली : महोदय, एक मिनट...*(व्यवधान)* मुझे

बंग्ला में एक वाक्य बोलने देने के बाद अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का आभारी हूं जो न केवल इस देश की सबसे करिश्माई नेता हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल की महान क्रांतिकारी नेता भी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हम कॉमर्शियल कोर्ट्स, कॉमर्शियल डिविजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिविजन ऑफ हाई कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा कर रहे हैं।

वाणिज्यिक न्यायालयों का धन संबंधी क्षेत्राधिकार, इस संशोधन के साथ वर्तमान एक करोड़ रु. से घटकर केवल 3 लाख रु. रह जाएगा।

इसके साथ ही, ऐसे प्रावधान होंगे, जहां राज्य सरकारें वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करने में समर्थ होंगी, जहां उच्च न्यायालयों का सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार है।

2015 के इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे उच्च न्यायालय नामत: मुम्बई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, चेन्नै उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और हिमाचल उच्च न्यायालय वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए वाणिज्यिक डिविजनों की स्थापना करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मूल कानून का अधिनियमन वाणिज्यिक विवादों के तीव्र समाधान हेतु की गई थी।

मामलों की लंबिता हमारी न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आज की स्थिति अनुसार देशभर के विभिन्न न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

महोदय, वाणिज्यिक विवादों को तीव्रता से हल करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश में निवेश और समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

विदेशी निवेशकों की रुचि भारत की विकास गाथा में इच्छुक है परन्तु यदि हमारी समस्या निवारण प्रणाली की गति तेज नहीं होती है तो वे वापस जा सकते हैं।

इसलिए कार्य को आसान बानाने के लिए वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निपटान किया जाना महत्वूर्ण है। इसलिए इस संसद ने 2015 में कानून लागू किया था जिसके बाद न्यायालय का न्यूनतम वित्तीय क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपये हो गया। अब इस संशोधन के साथ क्षेत्राधिकार को कम कर के तीन लाख कर दिया जाएगा।

महोदय मैं वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान हेतु सरकार की चिंताओं की सराहना करता हूं। नौकरियों के बाजार के साथ और बढ़ती बेरोजगारी के साथ अब हमें और अधिक नौकरियों के अवसर सृजित करने के लिए सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए निवेशकों को आश्वस्त करना और उनको सुविधाजनक बनाने के लिए अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है। मैं सरकार की चिंताओं को समझता हूं। हमने कई मामलों में जैसे कि वोडाफोन के कर मुद्दों अथवा टाटा बनाम डोकोमो के नाम के कुछ मुद्दों को देखा है। इसलिए मजबूत न्याय कर प्रणाली की त्वरित पुनर्बहाली के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। फिर भी इसके साथ ही हमें स्वयं भी अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए कि क्या हमारे पास हम इन परिवर्तनों को लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि इन न्यायालयों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को कम करने से उनका कार्य भार जोरदार तरीके से बढ़ेगा। आज की स्थिति के अनुसार 39000 से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं जो विगत 2 वर्षों में 123% बढ़े हैं जबकि न्यूनतम सीमा एक करोड़ थी। इसका मतलब एक न्यायालय की कमी से दूसरे न्यायालय की ओर अग्रसर हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए कि यदि हम मामलों को देखने का न्यूनतम स्तर घटा कर रु. 300,000 कर दें तो इन न्यायालयों में अतिरिक्त मामलों की कितनी भरमार हो जाएगी।

मामलों के बड़ी संख्या में लंबित होने का कारण न्यायाधीशों की रिक्तियां हैं। आज की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में अनुमोदित संख्या के 41 प्रतिशत और अधीनस्थ न्यायालयों में 23% पद रिक्त हैं। विधि और न्याय संबंधी स्थाई समिति ने स्पष्ट रूप से अपनी 2015 की रिपोर्ट में कहा है कि इन रिक्तियों को भरे बिना वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का हमारा विशेष मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए वाणिज्यिक न्यायालयों में मामलों के लंबित होने में 100% से अधिक की वृद्धि अनुभव कर रहे हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए सुझाए गए विभिन्न उपाय में से एक था जजों की संख्या को दोगुनी करना और और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 1 वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त करना। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विधि और न्याय संबंधी स्थाई समिति ने रिक्तियों को भरने के लिए लगातार अनुरोध किया है। यहां तक कि समिति की हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बड़ी संख्या में रिक्तियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।

यह भी सिफारिश की गई थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जाए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विधेयक लेकर आई थी लेकिन, दुर्भाग्यवश यह व्यपगत हो गया। 2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के पश्चात देश के उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।

इसलिए मैं सरकार से इस सिफारिश पर विचार करने और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। एक खामी को पूरा करके हम दूसरी खामी पैदा नहीं कर सकते हैं अन्यथा प्रत्येक वाणिज्यिक विवादों की संपूर्ण धनराशि 1 करोड़ से कम कर के तीन लाख करने की हमारी समूची कवायद व्यर्थ साबित होगी।

मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करता हूं। वाणिज्यिक विवादों की धनराशि प्रत्येक मामले में एक करोड़ से कम करके तीन लाख करने की सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। यह निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और, और अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा लेकिन, इसके साथ ही अवसंरचना भी सुधरेगी। मैं सरकार से इन सभी सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. ए. सम्पत (अट्टिंगल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री का पूर्णतः सम्मान करता हूं। मुझे एक बार इटेलियन समुद्री मामलों में टेलिविजन पर उनके साथ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री को अंग्रेजी टी.वी. चैनल पर हुई चर्चा याद होगी और यह 15वीं लोकसभा के दौरान हुई थी। समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय के संबंध में हम दोनों का एक ही मत था।

महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री का मेरे अनुरोध की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता हैं। मैं उनके सामने अपना सिर झुकाता हूं क्योंकि वह मेरे वरिष्ठ साथी हैं। यदि वह मेरे साथ होते और इस तरफ होते, तो मेरे विचार को स्वीकार भी करते। यह मेरी पार्टी के कारण है कि मैं इस तरफ हूं क्योंकि हम लेफ्ट और सी.पी.एम. पार्टी से हैं जो हमेशा आसन के बाएं तरफ रही हैं।

महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अध्यादेश राज में जी रहे हैं। यह सभा इस राष्ट्र की सर्वोच्च विधाई निकाय है। हम विश्व में सबसे बड़े बहु दलीय लोकतंत्र हैं। हमने अपना द्विसदनीय विधायी तंत्र अपनाया है। अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की इस कवायद के संबंध में मुझे आशा है यहां तक कि इस सरकार द्वारा अपनाये गए रास्ते से वरिष्ठ अधिवक्ता भी सहमत होंगे। इस सभा में यहां पर क्या हुआ। यहां तक कि पूर्ववर्ती चर्चाओं में भी - कुछ हमारे प्रख्यात संसद सदस्यों - मैं भी उनके साथ था - ने इस मामले की ओर संकेत किया था। यदि सभा में एक कानून बनाया जाना है तो क्या यह उपयुक्त तरीका है। विभिन्न धारकों के साथ चर्चा सहित इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए और संसद की विभागीय संबंधी स्थाई समिति द्वारा साक्ष्य भी लिए जाने जाने चाहिएं। दुर्भाग्यवश, इस सभा में 16वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपने देखा हो तो स्थाई समिति केवल ...* (बन कर रह गई यह केवल नाम मात्र के लिए है। कई स्थायी समितियों की कभी बैठक ही नहीं होती है।

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मेरे बेहद विशिष्ट मित्र संपत जी, ...* यह स्थाई समिति के लिए सही शब्द नहीं है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं।

डॉ. ए. सम्पत : मैं उस शब्द को पकड़कर रखना नहीं चाहता। मेरे विद्वान और वरिष्ठ सहयोगी जिस किसी शब्द का सुझाव देंगे, वह मुझे मान्य होगा। हमारी विभागीय संबंधी स्थायी समितियां सिर्फ नाम के लिए हैं। इसकी वजह यह है कि यह एक ऐसा नया अविष्कार है, जिसे हमारी संसद ने अन्य देशों के संपूर्ण संसदीय लोकतंत्र के लिए पेश किया है। मैं लंबे समय से कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य हूं। इस समिति की कभी बैठक नहीं होती। 11वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान मैंने रक्षा संबंधी स्थायी समिति में अपनी सेवाएं दी थी। मैं श्री यशवंत सिन्हा जी के साथ वित्त संबंधी स्थायी समिति में था, तब वह उस समिति के सभापति हुआ करते थे। गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति में आडवाणी जी भी मेरे साथ थे। उस स्थायी समिति का कार्य कानूनों की जांच करना है। कभी-कभी यह संशोधनों के रूप में सामने आती है। सिर्फ इसलिए कि यह संशोधनों के रूप में आती है, क्या हम यह कह सकते हैं कि यह नया कानून नहीं है? यह सिर्फ कुछ अधिकार और शक्तियां देता है। हालांकि, कानून निर्माण की विधि ठीक वैसी ही है, जैसे कढ़ाई से पका-पकाया भोजन निकालना। इस प्रकार के विधान को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जब इसमें आम आदमी के हित शामिल होते हैं, करोड़पतियों, अरबपतियों और कॉरपोरेट के हित शामिल होते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार करोड़पतियों, अरबपतियों, कॉरपोरेट तथा बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन के साथ है या फिर सरकार आम जनता के साथ है। मैं आम आदमी शब्द नहीं बोल रहा हूं। मेरे कुछ सहयोगी उस शब्द को हटाने के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संसद सदस्य यहां उपस्थित हैं।

हमारे देश में कारावास की सजा काट रहे विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक है। उनमें से कई अपनी सजा काटने के बाद भी जेलों में बंद हैं। हमारे देश में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक है, जिन्हें अभी आरंभ ही नहीं किया गया है। ये पोक्सो के मामले हैं। आज हमारे प्रश्नकाल की कार्यवाही तारांकित प्रश्न संख्या- 220 तक नहीं पहुंची। यदि ऐसा होता तो माननीय मंत्री किसी भी प्रकार अनुपूरक प्रश्नों का भी उत्तर दे देते। प्रश्न संख्या - 220 के उत्तर में माननीय मंत्री ने पोक्सो के मामलों और पोक्सो मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों की स्थिति के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है।

परसों हमने दंड विधि (संशोधन) विधेयक के संबंध में चर्चा की थी। हमने दंड विधि संशोधन विधेयक को लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया, यद्यपि फांसी की सजा के संबंध में मेरे समेत हममें से कुछ सदस्यों के कतिपय मतभेद हैं।

क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या मैं न्यायपालिका में भरी जाने वाली रिक्त पदों की संख्या जान सकता हूं? मेरे कई सहयोगी पहले ही इस विषय को उठा चुके हैं। यह संख्या 6000 से अधिक है। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि कई देशों में, न सिर्फ यूरोपीय देशें में बल्कि विकासशील देशों में भी प्रति लाख लोगों पर न्यायिक अधिकारी का अनुपात 10-40 है। इसका मतलब यह है कि प्रति एक मिलियन की जनसंख्या पर यह आंकड़ा 30 से भी कम है। आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? देवी थेटीस अमीरों के दरवाजे पर दस्तक देती है जबकि अधिकतर लोग कारावास की सजा काटते हैं और वे देवी थेटीस के पीछे भागते रहते हैं लेकिन देवी थेटीस की आंखों पर पट्टी बंधी है। व्यवसाय करने को सुगम बनाने के लिए माननीय मंत्री द्वारा बताए गए उद्देश्य और कारणों के विवरण से मैं भी सहमत हूं। इस पर मेरा कोई मतभेद नहीं है।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. ए. सम्पत : मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मेरा अगला मुद्दा विधि और न्याय से संबंधित है। मैं इसमें कुछ अर्थशास्त्र भी जोड़ रहा हूं। मैं सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.), गैस और डीजल के संबंध में नहीं बोल रहा हूं। कल भी ईंधनों के दामों में अन्य चीजों की तरह वृद्धि हुई थी। मैं जी.डी.पी. के संबंध में नहीं बोल रहा हूं। इस देश में विधि और न्याय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए और न्यायालयों के लिए कुल जी.डी.पी. का एक प्रतिशत भी निर्धारित नहीं किया जाता है। एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष वास्तव में रो रहे थे। वह रो और चिल्ला रहे थे। वह दोनों हाथ जोड़कर क्यों रो रहे थे? इसकी वजह न्यायपालिका में काम का बोझ, उनके सहयोगियों पर काम का बोझ और वह रिक्त पद थे, जो अभी भरे जाने हैं।

क्या मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? सिर्फ आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से प्रश्न पूछ सकता हूं। आज सुबह प्रश्न संख्या - 201 के उत्तर में उन्होंने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। बिल्कुल, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। मैं भी इसी प्रकार पढ़ता हूं। मैं भी सरकारी विधि महाविद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को यही सिखाता हूं। साथ ही हम उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों के पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं? कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में क्या हो रहा है? यदि जनता यह महसूस करती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रस्साकशी चल रही है तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। यह सभा भी उसके लिए दोषी नहीं है।

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. ए. सम्पत : मैं अपनी बात बस समाप्त कर रहा हूं। महोदय, सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए बेहद उत्सुक है। यह विधेयक वाणिज्य से संबंधित है। यह धन से संबंधित है। यह इंसान से नहीं मशीनों से संबंधित है। जब भी इंसान और मशीनों के बीच जंग होगी तो मैं इंसान के साथ खड़ा रहूंगा। हमें आम जनता के लिए खड़ा होना होगा। आम जनता को न्याय प्रदान करने के लिए हमने कितने विधान बनाए हैं?

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि महोदय क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए और निशुल्क विधिक सहायता जो हम गरीब जनता को प्रदान करते हैं, के लिए हम उभरते वकीलों को कितनी राशि प्रदान करते हैं? यह रु. 500 से रु. 1500 है। इतने में सिर्फ जूनियर वकील ही निशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। एक वकील को इतना ही पैसा मिलता है। युवा वकील कितनी बार जेलों का दौरा करते हैं?

मैं केवल एक मिनट और लूंगा। आप कृपया करके मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं।

मैं यहां पर बड़े लोगों की आवाज उठाने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं क्योंकि वे कैसे करना है यह जानते हैं और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें चालाकी से काम करवाना आता है। मैं यहां उन लोगों की आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं जो बोलते नहीं। मेरा सरकार से यह निवेदन है। अंग्रेजी में एक कहावत है "मेनी हैव आइज बट डू नॉट सी, मेनी हैव ईयरस बट डू नॉट हिअर" अर्थात कई लोगों के पास आंखें तो होती है लेकिन वे देख नहीं सकते, कई लोगों के पास कान होते हैं लेकिन वे सुन नहीं सकते। सरकार का यह कर्तव्य बनता है, विशेषकर जब माननीय मंत्री एक प्रसिद्ध वकील हैं, कि वे आम लोगों को न्याय प्रदान करें और वह भी लोगों के द्वार पर पहुंचकर।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

अब डॉ. बूरा नरसैय्या गौड बोलेंगे।

डॉ. ए. सम्पत : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक में वाणिज्यिक न्यायालयों में, वाणिज्यिक डिविजनों में, और वाणिज्यिक अपील डिविजनों में, वे विद्यमान न्यायपालिका के कंधे और सिर पर बहुत ज्यादा भार डाल रहे हैं। वे और नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वे उनको 5 वर्ष के भीतर सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कह रहे हैं। लंबित मामले हैं। अपराधिक मामले भी लंबित है। यदि आपराधिक मामले लंबित हैं तो यह भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. ए. सम्पत : आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन्हें और जजों को नियुक्त करना पड़ेगा, उन्हें न्यायपालिका को और निधि प्रदान करनी पड़ेगी और उन्हें और ज्यादा न्यायालय भी स्थापित करने पड़ेंगे।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. ए. सम्पत : महोदय, एक और मुद्दा है। हालांकि, संविधान में उल्लिखित है, लेकिन देश में अन्य स्थानों पर उच्चतम न्यायालय की कोई शाखा क्यों नहीं है? उच्चतम न्यायालय अभी भी दिल्ली में है और प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली आना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : डॉ. बूरा नरसैय्या गौड के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।...*(व्यवधान)* देर है मगर दुरुस्त है।

महोदय, जब मैंने विधेयक को देखा तो तत्काल मुझे शेक्सपियर द्वारा लिखित 'द मर्चेंट ऑफ वेनिस' एक नाटक की कहानी याद आ गई। महोदय, आप जानते हैं कि वेनिस एक बहुत अच्छी वाणिज्यिक राजधानी थी। जैसा कि आप जानते हैं, उस नाटक में एक चरित्र बसेनियो था, जो एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। इसलिए उसे 3000 डूकेट की आवश्यकता थी। इसलिए वह उधार मांगने के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र के पास पहुंचा जिसका नाम एंटोनियो था। लेकिन दुर्भाग्य से एंटोनियो के पास कोई राशि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उसने अपना सारा धन पोत व्यापार में निवेश कर दिया था। इसलिए उसने ऋण के लिए एक साहूकार से निवेदन किया जिसका नाम शाईलॉक था। लेकिन शाईलॉक एक शर्त पर ऋण देने के लिए तैयार हुआ, शर्त यह थी कि यदि वह 3 महीने के भीतर ऋण नहीं चुका सका तो उसे अपना एक पौंड मांस देना होगा। यही कहानी है। तत्पश्चात, निःसंदेह कई कारणों से एंटोनियो ऋण नहीं चुका सका, लेकिन वहां का शासक जो एक ड्यूक था उसने एक बहुत अच्छा न्याय किया कि शाईलॉक श्री एंटोनियो का एक पौंड मांस ले सकता है बशर्ते वह एक भी बूंद खून न टपकने दे। कहानी यही सीख देती है। इस प्रकार से न्याय ने काम किया।

अब, मैं भारत के व्यापारियों को याद करता हूं। विजय माल्या या ऐसे ही अन्य व्यापारियों के साथ क्या होता है? जब वे चमक-दमक वाले व्यापार के प्रयोजन से ऋण लेते हैं और जब ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वे लंदन, या एंटीगुआ या किसी अन्य देश में चले जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हम उन्हें पांच सितारा जेल व्यवस्था का वीडियो भेजें ताकि वे वापस आ सकें। यह प्रणाली है। यह हमारी न्याय प्रणाली में त्रुटि है जिससे भारत में निवेश प्रभावित हो रहा है। यही समस्या है।

आज मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। लंदन, सिंगापुर, हौंगकौंग, और दुबई वाणिज्यिक स्थलों या राजधानी के रूप में क्यों सफल हैं? क्योंकि वहां पर एक प्रभावी विवाद निवारण प्रणाली विद्यमान है। इसलिए वे सफल वाणिज्यिक राजधानियां हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? न्याय में देरी का अर्थ न्याय से इन्कार करना है लेकिन आप हमारी न्याय प्रणाली से वाकिफ हैं तारीख पे तारीख,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

तारीख पे तारीख वह व्याधि है जो हमारी न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रही है। अब, आप आंकड़ों को ही देखें...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* यह हकीकत है।...*(व्यवधान)* तारीख पे तारीख यह हकीकत है। हकीकत से दूर होने के लिए...*(व्यवधान)* तारीफ नहीं, तारीख है। आप ने गलत सुना। मैंने तारीख ही बोला है।...*(व्यवधान)* मैं मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने तारीख ही बोला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, आज किसी वाणिज्यिक निवारण प्रणाली के लिए औसतन 4 वर्ष का समय लगता है, जोकि 1420 दिन हैं। इसमें 2015-17 से 127 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसका अर्थ है कि विवादों के निवारण में होने वाले विलंब में वृद्धि हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अच्छी बात यह है कि भारत की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 30 स्थानों का सुधार हुआ है।

यदि आप विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को देखें तो उच्चतम न्यायालय में 54000 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालय में लगभग 43 लाख मामले लंबित है और अधीनस्थ न्यायलयों में लगभग तीन करोड़ मामले लंबित हैं।

रिक्तियों के मामले में, उच्च न्यायालय में 43 प्रतिशत न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में 27 प्रतिशत पद रिक्त हैं। महोदय, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी देश में आने वाले निवेश को उस देश में मौजूदा विवाद निवारण प्रणालियों से जोड़ा जाता है।

महोदय, आज वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील (संशोधन) विधेयक 2018 इस सदन के समक्ष विचाराधीन है। मूल रूप से विधेयक की भावना वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट मूल्य को एक करोड़ रुपए से घटाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया है। विधेयक राज्य सरकरों को जिला स्तर वर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है, यहां तक कि ऐसे क्षेत्रों में भी जहां उच्च न्यायालय के पास सामान्य मौलिक सिविल क्षेत्राधिकार हैं। उन क्षेत्रों में जहां उच्च न्यायालयों के पास मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं है, राज्य सरकारें वाणिज्यिक न्यायालयों से अपील पर विचार करने हेतु जिला स्तर पर वाणिज्यिक अपील न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है मध्यस्थता के माध्यम से एक विवाद निवारण प्रणाली का समावेशन, जो प्रभावी रूप से कार्य कर सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारी विधिक प्रणाली चार प्रकार से कार्य करती है पहला है - वाद, दूसरा है - पंच निर्णय, तीसरा है - विचार विमर्श और चौथा है - मध्यस्थता। यदि इन सभी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं, तब हम न्यायालय में जाते हैं।

माननीय सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड : महोदय, मैं बस अपनी बात पूरी करने ही जा रहा हूं। मैं पांच या छः मुद्दे उठाना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे न्यायालय भी इसी प्रकार अपने मामलों को निपटाते हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का "चाहे" शब्द की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसका अर्थ है कि यह राज्य सरकारों के विवेक पर है। मैं चाहूंगा कि इसे अनिवार्य किया जाए और राज्य सरकारों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाए। "चाहे" के स्थान पर "होगा" होना चाहिए। एक बार जब आप "चाहे" शब्द का प्रयोग करते हैं तो, जो राज्य करना चाहते हैं, वह करेंगे और अन्य राज्य जो नहीं करना चाहते हैं, वह नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि इसे नियम तैयार करते समय ठीक किया जा सकता है तो मुझे प्रसन्नता होगी।

दूसरा, आप न्यायाधीशों के उसी पूल से न्यायधीश प्राप्त कर रहे हैं। पहले से ही काफी रिक्तियां लंबित हैं। यदि वाणिज्यिक न्यायालयों में आप उन्हीं न्यायाधीशों को लेंगे तो इसके उसी तरह बुरे प्रभाव होंगे, जैसे दवाइयों में होते हैं। मामलों की लम्बमानता बढ़ेगी।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड : मैं मात्र दो मिनट में अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। मैं कोई भाषण नहीं देने जा रहा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आधारभूत ढांचे के साथ-साथ न्यायधीश और कर्मचारियों सहित समानांतर वाणिज्यिक न्यायालय सृजित करने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। केवल तभी इसकी कुछ उपयोगिता होगी।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे पास एक ऐसी प्रणाली हो जिसमें समयबद्ध ढंग से निर्णय आ सकें। इन न्यायालयों में मामले वाणिज्यिक प्रकृति के होंगे। वह आपराधिक प्रकृति के भी होंगे। यदि यह समयबद्ध होंगे, तो हर चीज लिखित में होगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे एक समयबद्ध प्रक्रिया बनाने हेतु एक खंड शामिल करें।

इसके बाद जैसा कि मैंने कहा *तारीख पर तारीख* एक बड़ी समस्या है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमें एक खंड तैयार करना चाहिए जो ऐसे अधिवक्ताओं को हतोत्साहित करें जो कार्यवाही स्थगित करने की अधिक मांग करते हैं। जब तक हम ऐसे अधिवक्ताओं को हतोत्साहित नहीं करेंगे, प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं करेगी...*(व्यवधान)* जैसा कि आप

जानते हैं महोदय, सभी बड़े अधिवक्ता न्यायालय में उनकी उपस्थिति हेतु शुल्क लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह जितना ज्यादा न्यायालय में उपस्थित होंगे, उन्हें उतना ज्यादा शुल्क मिलेगा। अत: आप को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की संख्या को सीमित करनी होगी। इससे काफी सहायता मिलेगी।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि चाहे मध्यस्थता प्रक्रिया का कोई भी परिणाम हो, क्या इसका मुकदमे की प्रक्रिया या अंतिम निर्णय पर कोई न्यायिक प्रभाव होगा। महोदय मैं विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो भी कमियां हैं, माननीय मंत्री उन्हें दिशानिर्देश बनाते समय सुधारेंगे।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : धन्यवाद महोदय, हो सकता है कि सरकार इस विधेयक को भारी बहुमत के साथ पारित कर दे। परंतु सच्चाई यह है कि न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियों के मुद्दे को सुलझाए बिना केवल वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना से मामलों का भारी बैकलॉग कम नहीं होगा।

महोदय, जो दिल्ली से माननीय बीजेपी सदस्य ने कहा, वह मैंने सुना। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मूल क्षेत्राधिकार में पांच उच्च न्यायालय में 32656 सिविल मामले लंबित हैं और इनमें से 51.7% वाणिज्यिक विवादों से संबंधित है।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि प्रस्तावित विधेयक कोई जादू की छड़ी नहीं है जहां आप उसे हिलाओ और हर मुद्दा सुलझ जाए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सभी न्यायालयों में वर्ष 2006 में 23% से वर्ष 2018 में 35% रिक्तियों में वृद्धि की गई है। क्या यही आप का शासन है? उच्चतम न्यायालय में रिक्तियां 8% से बढ़कर 23% हो गई है। उच्च न्यायालय में रिक्तियां 16% से बढ़कर 38% हो गई है। अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियां 19% से बढ़कर 26% हो गई है। चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1079 पदों में से 400 रिक्त हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के 22474 स्वीकृत पदों के मुकाबले 5746 रिक्तियां है। हमारे यहां दो करोड से अधिक मामले लंबित हैं। यदि मौजूदा न्यायाधीशों की संख्या के साथ इन मामलों को निपटाया जाए तो हमें 365 वर्ष इसमें लगेंगे। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की उन रिक्तियों को भरे बिना आप कौन सा मजबूत समाधान तंत्र यहां पर स्थापित कर रहे हैं। वह यह कहकर अपनी सरकार के लिए श्रेय ले रहे हैं कि हमने कई रिक्तियां भरी हैं। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यह रिकॉर्ड है। आपकी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने की बिल्कुल इच्छा नहीं है।

मेरा अगली बात वाणिज्यिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है। पहले राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती थीं। वर्तमान संशोधन विधेयक में माननीय मंत्री जी की सरकार ने संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति दी है। महोदय, हम शक्ति के पृथक्करण के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। संसद स्वतंत्र है; कार्यपालिका स्वतंत्र है; और न्यायपालिका स्वतंत्र है। आप 56 इंच के सीने वाले नेता हो सकते हैं जो शक्ति के पृथक्करण को कुचलना चाहते हों, परंतु वास्तव में आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति, अनुमति या आप इसे जो भी कहें - के बिना न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? यह क़ानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

अपराह्न 3.52 बजे

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

अब मैं अतिव्यापी क्षेत्राधिकार पर आता हूं। यह विचित्र बात है कि उच्च न्यायालयों में स्थापित वाणिज्यिक मण्डल का धन संबंधी क्षेत्राधिकार जिला स्तर पर स्थापित वाणिज्यिक न्यायालयों के समान ही होगा। यदि इसे वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तो उच्च न्यायालयों में सभी कम मूल्य के दावों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिससे उनका क्षेत्राधिकार या कार्यभार बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक मण्डल के धनसंबंधी क्षेत्राधिकार को इस प्रकार संशोधित करें कि उसका मूल्य जिलास्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों के धनसंबंधी क्षेत्राधिकार की उच्चतम सीमा से शुरू हो। ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए।

मुक़दमा, प्रक्रिया सं. 256, विधि आयोग की सिफ़ारिशें इत्यादि, ये सभी महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। आप वर्तमान उच्च न्यायालयों और न्यायालयों के बीच सीमा को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। आप और अधिक नए न्यायालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं दे रहे हैं? जब धनराशि आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है तो आप यह क्यों नहीं करते हैं?

मैं माननीय मंत्री से यह पूछते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जब ऐसा देशहित में और व्यापार करने में आसानी के लिए किया जा रहा है तो फिर इसमें मेरे राज्य तेलंगाना के लिए क्या है? आप हमें अलग से उच्च न्यायालय क्यों नहीं देते हैं? क्या हमें भी व्यापार में आसानी में और सुधार नहीं चाहिए? इस सरकार में ये सब विरोधाभास है। यह प्रतिक्रियावादी सरकार है जो अपना "होम वर्क" नहीं करना चाहती है। परंतु

केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय और न्यापालिका की कीमत पर इसकी राजनीतिक टी.आर.पी. बढ़े, ये इस तरह के विधेयक पारित कर रहे हैं।

धन्यवाद।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महोदय, मैं इस सभा में कुछ चिंता के साथ यह बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सरकार ने वाणिज्य न्यायालयों के लिए विनिर्दिष्ट मूल्यवर्ग को इतना कम करने का निर्णय क्यों किया है। 2003 में 17वें विधि आयोग ने इसके लिए एक करोड़ रुपए तक की सिफारिश की थी। वाणिज्यिक न्यायालय, और उच्च न्यायालय विधेयक 2009 में 5 करोड़ को बेंचमार्क माना गया था। 2010 में, वाणिज्यिक उच्च न्यायालयों संबंधी प्रवर समिति ने 1 करोड़ की सीमा का उल्लेख किया था। 20वें विधि आयोग ने एक करोड़ रु. की सीमा निर्धारित की थी। वाणिज्यक न्यायालय, वाणिज्य प्रभाग विधेयक - 2015 में एक करोड़ रुपए और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर स्थायी समिति ने दो करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। वास्तव में केवल इसी सरकार ने नहीं बल्कि पिछली सरकारों ने भी स्थायी समिति की रिपोर्ट का उल्लंघन किया है।

इसलिए स्थायी समिति की रिपोर्ट की अवहेलना की जानी चाहिए। इसे घटाकर अब 3 लाख रुपये के खतरनाक स्तर पर लाया गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके पीछे क्या औचित्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही रोचक स्थिति है। वास्तव में, इस विधेयक से भारतीय रुपए को इतना ऊंचा मूल्य दिया जा रहा है जबकि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य 70 रुपए तक पहुंच रहा है। इसको घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है जो कि वास्तव में साढ़े चार हज़ार डॉलर है। इसे ही देश में 'उच्च मूल्यवर्ग' की संज्ञा दी जा रही है? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इससे न्यायालय पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएंगे। इन वाणिज्यिक न्यायालयों को बनाने के पीछे यह उद्देश्य कभी भी नहीं रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद प्रख्यात और वरिष्ठ वकील हैं। उनको यह पता होगा कि इन न्यायालयों को बनाने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्य वादों का शीघ्र निपटारा करना था क्योंकि भारत की विश्व में उच्च मूल्य और उच्च मूल्य वाले दावों के त्वरित निपटान के मामले में बहुत ही खराब छवि रही है।

कोई भी व्यक्ति भारत में आकर न्यायालयों के माध्यम से वादों या मध्यस्थता के निपटारे में नहीं पड़ना चाहता है। विवादों के निपटारे के दोनों ही तरीके शीघ्र और संतोषजनक शिकायत निवारण व्यवस्था नहीं रहे हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को लाया गया था। इसको पूरे सम्मान के साथ 5 करोड़ रु. तक की सीमा के साथ लाया जाना चाहिए था ताकि वास्तविक उच्च मूल्य के वादों का निपटारा हो सके। यह अब केवल तीन लाख रु. है और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वाणिज्यिक मामला नहीं है जो कि इससे अछूता रहेगा। पर कोई भी व्यक्ति 3 लाख की वसूली के लिए न्यायालय नहीं जाना चाहेगा। यदि किसी व्यक्ति का किसी पर 3 लाख बकाया है तो वह पूरी प्रक्रिया या वाद दाखिल करने के कष्ट से बचना चाहेगा। अब इसमें प्रत्येक वाद को शामिल किया गया है। प्रत्येक वाद इन वाणिज्यिक न्यायालयों में जा रहे है। इससे यह मामला वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वह शुरू हुआ था। सामान्य वादों को सामान्य न्यायालय को देखना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि सरकार ने विधेयक के उसी भाग को क्यों चुना, और वह भी इस सम्मानित सभा में अध्यादेश के माध्यम से लाने के लिए।

दूसरा मुद्दा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के बिना यह फास्ट ट्रैक कोर्ट बेमतलब साबित होंगे। वर्तमान भयावह स्थिति के बारे में माननीय मंत्री को इस सम्मानित सभा को बताना चाहिए। आज की "वर्तमान विधिक स्थिति" के अनुसार सरकार के पास उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के 143 मामले लंबित हैं।

और यह तब है जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सरकार को 143 नाम सौंपे गए हैं। हमारे उच्च न्यायालयों में लगभग 800 न्यायाधीश हैं। आज की स्थिति में उच्च न्यायालयों में 40 प्रतिशत न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। जब आपके पास न्यायालय उच्च न्यायालयों में 40 से 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं जानता हूं कि माननीय कानून मंत्री यह बताते रहते हैं कि इतने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। लेकिन कुल मिलाकर यह संख्या बहुत कम है। मैं कानून मंत्री की दुविधा को समझ सकता हूं क्योंकि कॉलेजियम से ही पर्याप्त नाम नहीं आ रहे हैं। हमने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में भारी असंतोष देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भी भारी मतभेद है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार को दिए जाने वाले नामों में सम्मति नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें केवल सरकार ही दोषी नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाम वापस भेजे गए हैं और जिस तरह से नाम लंबित रखे

गए हैं और जिस तरह से न्यायिक नियुक्तियों पर सरकार विलंब करती रही है, इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए।

कल उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें यह मांग की गई कि सरकार को यह परमादेश दिया जाए कि वह 6 सप्ताह के अंदर कॉलेजियम के नामों को मंजूरी दे देनी चाहिए। यह जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है। यह अत्यंत अनैतिक सी स्थिति है। यह देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, विशेषकर तब जबकि विधि विभाग का अध्यक्ष एक प्रख्यात वकील हो। वस्तुतः, उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय न्याय व्यवस्था उन्नति करे। दुर्भाग्यवश, आज भारतीय न्याय व्यवस्था उन्नति नहीं कर रही है। वास्तव में, यह मरणासन्न सी स्थिति है और दुखद स्थिति बन गई है। मुझे दुख है कि यह विधेयक इस बोझ को और बढ़ाने जा रहा है। मैं तो इस विधेयक के औचित्य को नहीं समझ पाया कि यह विधेयक सभा में क्यों लाया गया है।

इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हमेशा अध्यादेश के द्वारा ऐसे सवालों को, खास तौर से पिनाकी मिश्रा जी और प्रेमचन्द्रन जी ने बातें उठायी हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटी-छोटी क़ानूनी पेंचों में नहीं पड़ना चाहता है। आप छोटे विवादों को भी कोर्ट में भेजने का प्रावधान लाए हैं। छोटे और मध्यमवर्गीय व्यापारियों पर पहले से ही बोझ है। वे दादा-पिता के समय से चल रहे केसिस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहे जमीन का विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गांव का अंतिम व्यक्ति है। आप उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। आपका ध्यान केवल बड़े और कॉर्पोरेट लोगों को सुविधा देने पर है। मेरा आग्रह है कि विवादित मुद्दों को क्या पूंजीपति, उद्योगपति, माफिया या बड़े नेता न्यायालयों से प्रभावित होने देंगे? इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम का विवाद चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन और सरकार बड़ी है? यह सवाल लोगों के बीच में चल रहा है। यह ठीक है कि हमारी सभी व्यवस्थाएं बराबर हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में सदन सर्वोच्च है। अब सदन की सर्वोच्चता पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सवाल खड़े करता है तो फिर सदन की गरिमा और देश के 130 करोड़ लोगों पर वह सवाल खड़ा होता है। तीसरा, आप नये कोर्ट्स देश में बना रहे हैं, लेकिन कई स्टेट्स में हाई कोर्ट की दो-तीन खण्डपीठ हैं। वर्ष 1961 से बिहार में एक हाई कोर्ट है और मैंने आपसे मिलकर रिक्वेस्ट की थी कि पूर्णिया, दरभंगा या भागलपुर, खास तौर से पूर्णिया जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है। यह एक पुराना शहर है और यहां आप यदि हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ देते हैं तो लोगों पर जो 600-800 किलोमीटर आने-जाने का बोझ है, वह कम होगा। वहां केवल 47 जज हैं। वहां जजों की सबसे ज्यादा कमी है। सरकार और न्यायालय के विवाद के कारण वहां जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। चौथा, जजों को सैलरी राज्य सरकार देती है। जब आप हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति करते हैं तो आप राज्य सरकार से उसकी सहमति क्यों नहीं लेते हैं? आप केवल उनसे राय लेते हैं, जिसको आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिना राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति से आप यह क्यों कर रहे हैं? पांचवां, आप आचार संहिता को लेकर आए हैं। इसके कारण एम.पी. और एम.एल.ए. कोर्ट के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आचार संहिता के नाम पर सी.ओ., एस.डी.ओ., बी.डी.ओ. एम.पी. को कोर्ट में खड़ा कर देता है। आचार संहिता जैसी चीजों को आप बदलिए। छठा, सरकार ओ.बी.सी. बिल लाने जा रही है। हिन्दुस्तान में दलितों की संख्या, ओ.बी.सी. की संख्या सबसे ज्यादा है, समाज के सबसे कमजोर और वंचित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मेरा आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स में आरक्षण का जो मुद्दा है, नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि मैं ओ.बी.सी. के लिए एक बड़ी चीज लाने जा रहा हूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को आप लागू करेंगे? क्या एस.सी. और एस.टी. से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा? इस हिन्दुस्तान में कितने एस.सी.-एस.टी. और ओ.बी.सी. जज हैं? इस हिन्दुस्तान में कितनी महिला जज हैं?

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम) : महोदय, वाणिज्यिक न्यायालय वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसमें कर विवाद भी आते हैं...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : श्री राजेश रंजन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रविन्द्र बाबू : महोदय, वाणिज्यिक न्यायालय वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करते हैं। आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कर विवाद भी आते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)* रु. 3 लाख तक की सीमा हास्यास्पद है।

उदाहरणार्थ, सेवा कर छूट छोटे उद्योगों (एस.एस.आई.) के लिए रु. 10 लाख तक की सीमा तक उपलब्ध है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु यह रु. 2 करोड़ है...*(व्यवधान)* जब हमने सांविधिक रूप से पहले से ही सीमा तय कर रखी है, तो रु. 3 लाख के विवादों का प्रश्न ही कहां उठता है। यदि रु. 3 लाख के विवादों को आप रखते हैं तो क्या आप इन न्यायालयों पर और बोझ नहीं डाल रहे जो पहले से ही बोझ तले दबे हुए हैं? हमारे यहां पहले से ही आई.टी.ए.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अपीलीय अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण और कई अन्य अधिकरण हैं जो कर्मचारियों, न्यायाधीशों और सदस्यों की कमी के कारण कमजोर पड़ रहे हैं। महोदय, वाणिज्यिक न्यायालयों को सशक्त बनाने के लिए, हमें कर विवाद संबंधी प्रणाली को भी मजबूत करना होगा क्योंकि उनमें ज्यादातर विवादों का निपटारा हो जाएगा जिससे कारोबार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक में हमारी रैंकिंग भी अच्छी होगी।

जैसा कि मेरे मित्र, श्री रंजन ने ठीक ही कहा और मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 41.7 प्रतिशत पद रिक्त हैं और जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों के 21 प्रतिशत पद रिक्त हैं क्योंकि उनमें न्यायाधीश नहीं हैं।

महोदय, मैंने कई बार इस सम्मानित सभा से पुरजोर अपील की है कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। यदि हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करते हैं, तो जैसा मेरे मित्र, श्री रंजन ने बताया, अ.जा./अ.ज.जा. कोटे और अ.पि.व. कोटे के लोग भी व्यवस्था में आएंगे और वे न सिर्फ वाणिज्यि न्याय बल्कि सामाजिक न्याय भी प्रदान करेंगे। इस विषय में हम पुरजोर अपील कर रहे हैं।

पहले अध्यादेश को प्रख्यापित करना और फिर लोक सभा की ओर आना गलत है। बार-बार इस सरकार ने सत्र शुरू होने से पहले अध्यादेश लाने का काम किया है। इसे बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि रु. 3 लाख की सीमा बहुत ही हास्यास्पद लगती है। हमारे यहां सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आई.टी.ए.टी. और ऋण वसूली अधिकरण के लिए सांविधिक रूप से तय सीमाएं हैं। तो, जब ये सीमाएं पहले से तय हैं, तो ऐसे में उन्हें बदल कर रु. 3 लाख करना अच्छी सोच नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) विधेयक 2018, 2018 का विधेयक संख्यांक 123 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस कानून में बदलाव से कारोबारियों की सुगमता रैंकिंग में और सुधार होने की संभावना है। जिस तेजी से देश में आर्थिक विकास के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसी अनुपात में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमर्शियल विवादों की संख्या में तेजी आई है। एफ.डी.आई. के साथ-साथ लेन-देन के विवादों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। अत: इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए जल्द से जल्द समाधान के तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है। कानून में बदलाव से सकारात्मक छवि बनेगी।

महोदय, मूल कानून दिसम्बर, 2015 में लागू हुआ। उसके बाद उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ का गठन भी हो चुका है। अब यह देखने वाली बात है कि व्यावसायिक विवादों का निपटारा समुचित और समय पर हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो क्या कारण है, उसे दूर करने की आवश्यकता होगी। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस विषय पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि अदालती कार्रवाई से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मध्यस्थता के नियम को और लचीला और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें समय की बर्बादी होती है और पैसे की भी बर्बादी होती है। इसका सही समाधान होना चाहिए। अत: मध्यसथता की भूमिका को निश्चित करने की आवश्यकता है। बातचीत से जो मामला हल हो सकता है, वह दोनों पक्षों के हित में होता है। मेरा सुझाव है कि मुकदमा पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में हिस्सा लिया है। वास्तव में आज मैंने लोक सभा का एक अलग ही रूप देखा है। *[हिन्दी]* अगर लोक सभा बहस करने के मूड में आती है तो बहस का स्तर बहुत ही आगे बढ़ जाता है। आज हर प्रकार के हमारे मित्रों ने जिस तरह से अपनी बातें कही हैं। मैं अपने दोस्त प्रेमचन्द्रन जी, वह कहां गए, उन्होंने एक विषय रखा। माननीय मीनाक्षी जी, गौड़ा जी, श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी, श्री श्रीकांत शिंदे, *[अनुवाद]* मेरे मित्र श्री संपत ने उसी जोश और उम्मीद के साथ अपनी बात रखी। मेरे बारे में कही गई बातों के लिए

शुक्रिया। *[हिन्दी]* उसके बाद बी.एन. गौड साहब ने बात कही, श्री पिनाकी मिश्रा जी ने बात कही, श्री राजेश रंजन जी, उनका उत्साह मैं हमेशा देखता हूं। हालांकि उनका छठा टर्म है, लेकिन उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है, आपका अभिनंदन है।

मैं विशेष रूप से माननीय मीनाक्षी जी का धन्यवाद करूंगा कि बहुत कुछ उत्तर जो मुझे खुद देना था, उन्होंने अपने बहुत ही प्रभावी हस्तक्षेप में उसे रखा है। मैं उस पर आता हूं। लेकिन मैं विषयवार जाऊंगा, ताकि सभी मित्रों की जो चिंता है, उसका मैं निराकरण कर सकूं। आर्डिनेंस क्यों लाया गया? आर्डिनेंस लाना कोई पाप नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 123 में इस बात का प्रावधान है कि इमरजेंसी में आर्डिनेंस आ सकता है और आर्डिनेंस का असर वही होता है, जो इस सदन के द्वारा पारित कानून के द्वारा होता है। आर्डिनेंस का मतलब यह नहीं है कि हम सदन की अवहेलना कर रहे हैं। समय सीमा के अंदर हमें सदन में आना पड़ता है और आज हम आर्डिनेंस लेकर आए हैं। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हम आर्डिनेंस क्यों लाए हैं, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले सत्र में सदन नहीं चल पाया था। किन कारणों से नहीं चल पाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक सच्चाई है कि सदन नहीं चल पा रहा था। अब इस साल वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ाना था। उसका अपना एक सिस्टम होता है, वह अपनी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं। मई में कलैक्ट करते हैं और उनका आग्रह था कि आपने बड़े लोगों के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी चिंता आप क्यों नहीं करते?

जब हमारे सामने जब सदन नहीं चल रहा है, किन कारणों से नहीं चल रहा है, उसमें मुझे नहीं जाना है तो क्या हम भारत की छवि को कमजोर होने दें, ये बड़े सवाल हैं। इसलिए हम अध्यादेश लेकर आए, ताकि दुनिया को हम बताना चाहते थे कि भारत आज इकॉनमी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मुझे इस सदन को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि फ्रांस से भी ऊपर हमारी इकॉनमी बढ़ गई है।

सर, मैं देख रहा था, और आपकी जानकारी के लिए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सन् 2017-18 में हमने 61.96 बिलियन यू.एस. डॉलर का एफ.डी.आई. भारत में प्राप्त किया है। अगर आप पिछले चार सालों के आंकड़े लेंगे तो 222 बिलियन यू.एस. डॉलर एफ.डी.आई. भारत में आया है। सर, हम इसमें अपनी छाती को कोई विस्तार से दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए भारत दुनिया की ताकत अर्थ में बन रहा है। सरकार के वही अफसर हैं, हमने उनमें उत्साह पैदा किया, नियम-कानूनों को ठीक किया, ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस लाए और आज देखिए भारत कहां से कहां पहुच गया है और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बना है। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए।

सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत में क्या बदलाव हो रहा है, जो पहले एफ.डी.आई. का विरोध करते थे, वे राज्य सरकारें भी आज एफ.डी.आई. चाहती हैं। आज वे भी इनवेस्टर्स मीट कर रही हैं। वे सरकार चाहे वाम की हों या तथाकथित दक्षिण की हों या कोई और विचारधारा की हों। *[अनुवाद]* आज भारत निवेश के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इस बारे में हमें खुश होना चाहिए। यदि हम इसके लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसे गलत ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। अत: मैं सभा के समक्ष अध्यादेश के बारे में बताऊंगा। लेनिक इसके पीछे अच्छा एवं जायज वैध कारण भी था। *[हिन्दी]* भारत की रैंकिंग कितनी बढ़ी है, 30 पॉइंट मैंने भी कहा है और बाकी सदस्यों ने भी कहा है। अब दूसरा विषय जो बार-बार उठा है कि आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लोड क्यों देते हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं और यह बात मैं कुछ पीड़ा से कहना चाहता हूं कि अगर भारत को हम दुनिया की बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं तो ठेलेवाला, पान वाला, फुटपाथ वाला, चाय वाला है, अगर उनका भी ट्रेड का कोई डिस्प्यूट है तो क्या हम उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं करेंगे? क्या हम उनको यह कहें कि जाओ यह रास्ता खाली बड़े-बड़े लोगों के लिए खुला है। ऐसा भारत हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां छोटे व्यापारी भी अपने डिस्प्यूट के लिए वही रास्ता अख्तियार करें जो बड़ों के लिए है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारे सदस्यों ने विशेष रूप से इस पूरे कानून को पढ़ा होता तो हमने अपनी आरंभिक टिप्पणी में प्री-मेडिएशन की बात कही थी। सर, मैं एक बार सैक्शन 12ए को हाऊस के सामने पढ़ना चाहता हूं। *[अनुवाद]* इस अधिनियम के तहत जो वाद किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता, उसे तब तक आरंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि वादी इस तरह के तरीके और प्रक्रिया के अनुसार वाद आरंभ-पूर्व मध्यस्थता के उपाय का पूर्ण उपयोग नहीं कर लेता, जैसा कि नियमों में निर्धारित हो।"

[हिन्दी]

हम यह कहना चाहते हैं कि उसका सूट रजिस्टर नहीं होगा, जब तक वह प्री-मेडिएशन में नहीं जाता है। सर, हम इसको क्यों लेकर आए हैं और हमने इसको अर्जेंट रिलीफ

क्यों कहा है? मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में एक बात कही थी कि दो बिजनेस पार्टनर हैं, अच्छा काम हुआ, प्रॉफिट हो गया और फिर लड़ाई हो गई। एक बिजनेस पार्टनर जो कि नियंत्रक साझेदार है, वह सारी संपत्ति बेच रहा है या विदेश ले कर जाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरे पार्टनर को हम फोर्स करें। *[अनुवाद]* वह मध्यस्थता से पहले तत्काल अंतरिम राहत के लिए न्यायालय जा सकता है कि वह कंपनी की संपत्ति को अलग नहीं करेगा। *[हिन्दी]* यह प्रावधान तो होना भी चाहिए। जब मैं इस बिल को बना रहा था तब मैंने कहा कि यह प्रावधान रखो कि अगर ऐसे पार्टनर्स गड़बड़ी कर रहे हैं तो उस पर रास्ता मिलना चाहिए। फिर जो छोटे डिस्प्यूट पर इतनी आपत्ति प्रकट की गई तो मैं इस हाऊस को बड़े विनम्रता से कहूंगा कि अगर तीन लाख का छोटा डिस्प्यूट है तो शायद प्री-मेडिएशन में ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं एक और बात कहूंगा कि तीन लाख सबसे पहली सीढ़ी है। कोई पांच लाख का भी हो सकता है, दस लाख का भी हो सकता है, पंद्रह लाख का भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, पचास लाख भी हो सकता है तो इसलिए तीन लाख पर इतनी शर्मिंदगी क्यों है? नरेंद्र मोदी की सरकार में तीन लाख के व्यापारी को भी वही इज्जत मिलेगी जो तीन हजार करोड़ के व्यापारी को भी मिलेगी। यह हमारी सोच है, इस पर आपत्ति क्या है? इसलिए उसके कारण, इस पूरे बिल पर आपत्ति करना कि यह किस टाइप का बिल है, मेरे ख्याल में यह उपयोगी सोच नहीं है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में एक बात कही गई और मुझे लगता है कि वह चिंता सही है। मैं सुबह प्रश्नकाल में इसे विस्तार से नहीं पढ़ पाया था। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है। पहले मैं कोर्ट हॉल पर आता हूं। आज की तारीख में भारत में सबऑर्डिनेट जूडिशियरी में 18,444 कोर्ट हॉल्स हैं और 2,709 कोर्ट हॉल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि एक साल के बाद देश में कुल 21,153 कोर्ट हॉल्स हो जाएंगे। यह संख्या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या से अधिक है। हमने इतने कोर्ट हॉल्स बना दिए हैं। आप इनमें बैठिए।

अब मैं अधीनस्थ न्यायालय हेतु रिहायशी इकाइयों की बात करता हूं। सबऑर्डिनेट जूडिशियरी में आज देश के जजों को रहने के लिए 15,853 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं और 1,472 यूनिट्स बन रही हैं। *[अनुवाद]* अतः, लगभग एक वर्ष बाद, इनकी संख्या 17,325 हो जाएगी। यही बताने में मुझे गर्व है। चूंकि हमारी सरकार 2014 में सत्ता में आई, कोर्ट हॉल की संख्या 2,819 बढ़ गई और रिहायशी इकाइयां 2,321 बढ़ गईं। इसीलिए, अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए कोर्ट हॉल और रिहायशी इकाइयां कई गुना बढ़ गई हैं।

अब मैं वित्तीय सहायत की बात करता हूं। इसे सभा के कई सदस्यों द्वारा उठाया गया था। हमारे यहां 1993-94 से ही एक वित्तीय सहायता संबंधी योजना है। आप कानून मंत्री रह चुके हैं, इसलिए आपको याद आ जाएगा। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से, इस योजना के तहत कुल रु. 6,302 करोड़ प्रदान किए गए। उनमें से, रु. 2,058 करोड़ , जो कि कुल राशि का लगभग 45 प्रतिशत है, नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले चार वर्षों के दौरान प्रदान किया गया है। हम धनराशि भी दे रहे हैं।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार, हस्तांतरण 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसलिए, हम लोग आधारभूत ढांचे के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की जानकारी देना चाहता हूं। आज, भारत के 16,089 न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत कर लिया गया है। एक न्यायिक डेटा ग्रिड है जहां 10.5 करोड़ मामले उपलब्ध हैं जिसमें से मैं पुराने मामले निकालता हूं।

[हिन्दी]

अब मैं एप्वाइंटमेंट पर आता हूं, क्योंकि एप्वाइंटमेंट पर बहुत बातें कही गई हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में ही हुआ कि हम लोगों ने वर्ष 2014 के बाद हाई कोर्ट जजेज में 173 नई पोस्ट क्रिएट की हैं। सबऑर्डिनेट जूडिशियरी में हम लोगों ने उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मै इस हाउस में नेशनल जूडिशियल कमीशन एक्ट लेकर आया था और उस वक्त का मुझे राजेश रंजन जी का भाषण याद है। *[अनुवाद]* यहां तक कि मेरे मित्र संपत जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी; मुझे याद है। उसमें यही हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरे न्यायाधीश, तीसरे न्यायाधीश और दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ-साथ कानून मंत्री एक सदस्य थे। उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने उस मामले के लंबित रहने तक नियुक्तियों पर स्थगनादेश लगा दिया; उस मामले का निर्णय नवंबर, 2015 मे हुआ। *[हिन्दी]* वर्ष 2014-15 में नियुक्तियां कम हो पाई, उसमें हमारी गलती नहीं है।

[अनुवाद]

मैं आपके साथ यह साझा कर सकता हूं क्योंकि महासचिव पूर्व में कानून सचिव थीं। वह इस बारे में बहुत कुछ जानती हैं...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : जी नहीं, मंत्री जी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जिसके बारे में आपने बोला उसका समाधान क्या है? संसद ने कानून पारित किया। क्या उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है या संसद से पारित कानून? कृपया मुझे यह भी बताएं कि आपने क्या समाधान खोजा है। हम सीधे सभी चीजों के लिए उच्चतम न्यायालय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदय, एक अलग आयोग इनकी मनपसंद परियोजना थी...*(व्यवधान)* जिसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के कानून मंत्री के रूप में वह यह चाहते हैं किन्तु उच्चतम न्यायालय नहीं चाहता...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : हम कानून निर्माता हैं। हमें उसका समाधान खोजना चाहिए।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : वे व्याख्याता हैं। न्यायाधीश व्याख्याता होते हैं। वे कानून निर्माता नहीं हैं; हम कानून निर्माता हैं।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : पूर्व में आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मेरे पास इसका ब्यौरा देने का अवसर था, महोदय, यह कि हमने निर्णय को स्वीकार किया, किन्तु निर्णय में दिए गए तर्क के प्रति मेरी गहरी आपत्तियां हैं। मैं यह कानून का विद्यार्थी होने के नाते कह रहा हूं और अनिवार्य रूप से एक कानून मंत्री होने के नाते नहीं।

भारत के इतिहास में पहली बार, इस संसद ने, एक सदस्य को छोड़कर संसद दोनों सदनों ने शत-प्रतिशत समर्थन दिया है। सभी विधानसभाओं का भी शत-प्रतिशत समर्थन मिला है। भारत की राजनीति में सहमति थी लेकिन उन्होंने इसे परे रख दिया। और इसका उन्होंने क्या कारण दिया है? मैं उस कारण को इस सभा में दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा, प्रोफेसर राय सुनिए, चूंकि कानून मंत्री इसके सदस्य हैं इसलिए सरकार के विरुद्ध वाद के मामले में ईमानदार, निष्पक्ष न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यह अत्यंत गंभीर बात है। मुझे यह कहते हुए दुख है।

महोदय, मैं दोहराना चाहा हूं। आज हम सत्ता में हैं और पहले आप सत्ता में थे।

प्रो. सौगत राय : यह संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। हम सभी प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। वित्त में वित्त मंत्री; रक्षा मंत्री रक्षा में और विधि मंत्री विधि में। लेकिन प्रधानमंत्री अंतिम तौर पर निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति अधिपत्र जारी करते हैं। एक अत्यंत आलोचना पूर्ण टिप्पणी की गई है कि विधि मंत्री से संबंध होने के कारण ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता नहीं रह जाएगी...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आप पूरी सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इसीलिए महोदय मैं पूरे सम्मान के साथ भारतीय संविधान के छात्र के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, जहां तक एन.जे.ए.सी. को नकारने का सवाल है मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक दिए गए तर्क से पूर्णतया असहमत हूं:-...*(व्यवधान)*

इस पर चर्चा नहीं करें।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : थोड़ी फेरबदल के साथ दूसरा कानून लाइए और उसे पारित कराएं। इस बार वह कानून उच्चतम न्यायालय की जांच से सकुशल गुजरेगा ऐसी मेरी गारंटी है। इसी संसदीय सत्र में दूसरा कानून लाएं...*(व्यवधान)*

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : इस पर चर्चा हेनी चाहिए...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री वक्तव्य देंगे। मंत्री महोदय, आपने सभा की भावना को समझ लिया है।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैंने पहले अवसरों पर भी कहा था, मैं इस पर पूरी तरह तैयार हूं कि सभा भारतीय न्यायपालिका की स्थिति पर चर्चा करे। मुझे कोई समस्या नहीं है। इस पर चर्चा करें। मैं सभा की भावना को देख रहा हूं। एक सदस्य ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करने के संबंध में पूछा है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कृपया इस संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएं...*(व्यवधान)*

अब हमने जो किया उसपर आता हूं। 2016 में हमने उच्च न्यायालय के 126 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। गत 30 वर्षों में यह संख्या अधिकतम थी। यह हमारा रिकार्ड है। 2017 में, हमने 115 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इस वर्ष, अब तक, हमने नियुक्त किया है...*(व्यवधान)* श्री वेणुगोपाल, मैं आपकी बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्हें समाप्त करने दें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : हमने 34 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं तथा 126 के संबंध में विचारार्थ सिफारिशें भेजी हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष :सभा में शांति-व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप पीठ को संबोधित करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं।

जब मैं मोदी सरकार में विधि मंत्री बना तो मैंने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के मामले में समुचित सिफारिश किया जाना चाहिए।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं इसे नहीं मानता।

मेरी सरकार बहुत स्पष्ट है और मैं इस बात पर अभी भी जोर दे रहा हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए।

अब हम वाणिज्यिक न्यायालय की बात करें। जहां तक वाणिज्यिक न्यायालय का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : वाणिज्यिक न्यायालयों के मुद्दे पर मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह विशेष कानून ज्यादा कार्य निष्पादन का अवसर सृजित करने हेतु बनाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दीजिए। आप स्पष्टीकरण की मांग बाद में कर सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि मध्यस्थता संबंधी कदम से ही कई छोटे-छोटे विवादों जिनके न्यायालय में जाने की जरूरत न हो, पर कार्रवाई कर समाधान किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें बस चुप रहना चाहिए? मेरे अच्छे मित्र श्री पिनाकी मिश्रा को बहुत सम्मान देते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि बतौर कानून मंत्री मैं कोई डाकघर नहीं हूं। बतौर कानूनी मंत्री मुझे अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिये, यह मेरा कर्तव्य है तथा इस ओर ध्यान देना चाहिये कि न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोत्तम नियुक्तियां की जायें। निर्णय चाहे जो कुछ भी हो, मैं यह करता रहूंगा। हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? हमें पुष्टि करनी ही चाहिये। कोई कहता है कि समुचित प्रशिक्षण देना चाहिये। हां यह समुचित होना चाहिये...*(व्यवधान)* मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे करनी भी नही चाहिये। यह इस सभा की परंपरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको यह पता चले...*(व्यवधान)*

जहां तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बात है, मैं कॉलेजियम को यह बात कह चुका हूं कि देश को यह आशा है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में उस समुदाय के लोगों को भी समुचित स्थान मिले। मैं इस पर जोर देता रहूंगा तथा इस पर जोर देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अब, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अंततः माननीय उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने यह संस्तुति की है। किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि मुझे भी यह सुनिश्चित करने हेतु अपना फीडबैक देना चाहिये कि ये सभी कार्य समुचित ढंग से किये जायें। अतः, मैंने अपने संप्रेषण में बार-बार सदा ही यह कहा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, हाशिये पर जा चुके समुदायों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों तथा महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिले...*(व्यवधान)* मैं यह कार्य करता रहूंगा।

अब मैं न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की बात करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में बोला है। हां आप ठीक ही कह रहे हैं कि न्यायाधीशों को भी प्रशिक्षण दिया जाये। हम न्यायाधीशों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दे रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमियां खुल रही हैं। एक बार इस समूची वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी होने पर न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के इस पहलू की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जायेगा। मैं हमारे माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि - जब उन्होंने आयकर संबंधी मामलों और अन्य मामलों की बात की - कि कर संबंधी मामले वाणिज्यिक विवादों के दायरे में नहीं आते क्योंकि उनकी प्रक्रिया समग्र रूप से एक अलग प्रक्रिया है।

अब श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने एक प्रश्न यह पूछा कि कई विचाराधीन कैदियों की वजह से अपराध संबंधी न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है और अंततः हम यह क्यों कर रहे हैं? मेरे विचार में, आपको तथा आपकी सशक्त कानूनी पृष्ठभूमि होने के नाते डॉ. ए. सम्पत जी को पता है कि आपराधिक दंड

संहिता की 436क का एक प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी ने अपनी आधी विचाराधीन अवधि कारागार में बिता दी है तो उसे रिहा किया जाना चाहिये। मैंने उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय लिया है। हमें इसका अनुसरण करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* श्री इदरिस जी मैं इस ओर ध्यान देता हूं। मैंने आपका फीडबैक ले लिया है। मैं माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पत्र में यह अवश्य बताऊंगा कि यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है। उन विचाराधीन कैदियों, जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है, को मुक्त करने के लिए धारा 436क के प्रावधान का अधिक उदारतापूर्वक पालन किया जाना चाहिये...*(व्यवधान)* अब क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। महोदय, मेरे विचार में माननीय सदस्य श्री इदरिस को यह पता होना चाहिये कि आदेश न्यायाधीशों द्वारा पारित किया जायगा, न कि विधि मंत्री के रूप में मेरे द्वारा। मैं तो इस पर केवल कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता हूं, समय-सीमा निर्धारित कर सकता हूं और इससे संबंधित कार्रवाई को तीव्र कर सकता हूं। मैं निश्चय ही इस पर कार्रवाई आरंभ करूंगा...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया पीठ को संबोधित कीजिये।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महिला बंदियों के मामले में, मैंने स्वयं यह कहा है कि यदि उन्होने 25 प्रतिशत को कवर किया है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये।

महोदय, न्यायिक सुधारों के मामले में सरकार सक्रिय उपाय कर रही है। हमने 1400 पुराने कानूनों को समाप्त किया है। मैं इस सभा को सूचित करूंगा कि यह एक कदम है। कल या परसों मैं मध्यस्थता संबंधी कानून ला रहा हूं। नई दिल्ली मध्यस्थता का केन्द्र है। ये सभी चीजें विवादों के समाधान के लिये भारत को घरेलू मध्यस्थता तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक अच्छा केन्द्र बनाने हेतु बनाई गई हैं। इसीलिये यह सरकार इस समूचे एवं सपूर्ण पैकेज को लेकर आ रही है। ऐसी स्थिति में जब भारत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है जो कि फ्रांस को भी पछाड़ रहा है, ताकि शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान पा सके, ये सभी उपाय महत्वपूर्ण हैं।

मैंने सभी माननीय सदस्यों की चिंताओं की ओर ध्यान दिया है। यह एक ऐतिहासिक विधान है...*(व्यवधान)* आज, आप इतिहास रच रहे हैं। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप भी इस प्रक्रिया को स्वयं बढ़ते देखेंगे कि भारत के कारोबार सुगमता का दायरा स्वयं किस प्रकार बढ़ता है। यही हमारा लक्ष्य भी है।

मैं इस सभा से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, सर्वप्रथम विधान के अध्यादेश वाले विकल्प के संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात दोहराई है कि सरकार के पास कोई अध्यादेश प्रख्यापित करने का पूरा अधिकार है। किंतु अध्यादेश प्रख्यापित करने का वह पूरा अधिकार देश के कानून के अध्यधीन है। हमें पता है कि देश के कानून में उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी शामिल हैं।

माननीय मंत्री जी को अध्यादेश प्रख्यापन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में भली-भांति ज्ञात है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अध्यादेश केवल बाध्यकारी परिस्थितियों तथा असामान्य स्थितियों में ही जारी किया जा सकता है। न केवल अध्यादेश के प्रख्यापन बल्कि अध्यादेश के पुन: प्रख्यापन के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है। अत: अनुच्छेद 123 सरकार को प्रदत्त कोई निरंकुश शक्ति नहीं है। मैं इसका पुन: पुन: ब्यौरा नहीं देना चाहता। इसी वजह से मैंने आरंभ में ही यह कह दिया था कि माननीय मंत्री जी सुविज्ञ हैं और कानून के क्षेत्र की एक विख्यात हस्ती हैं। इन सभी पहलुओं में, औरों की अपेक्षा उन्हें इन सभी चीजों के बारे में भली-भांति ज्ञात है। उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की भी जानकारी है।

अत: अध्यादेश प्रख्यापन से संबंधित सरकार को प्रदत्त पूरी और निरंकुश शक्ति देश के कानून के अध्यधीन है। देश के कानून का अर्थ है - उच्चतम न्यायालय के निर्णय, पूर्वोदाहरण तथा परिपाटियां हैं।

अत: मेरा कहना यह है कि जब मानसून सत्र के लिए सभा की कार्यवाही जुलाई, 2018 में आरंभ ही होनी थी, तो अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए कोई बाध्यकारी परिस्थितियां अथवा असामान्य स्थिति नहीं है। कोई तात्कालिक और जल्दबाजी नहीं है। अत: अध्यादेश लाये जाने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है।

दूसरी बात यह है कि भारतीय न्यायालयों पर मामलों को बोझ बढ़ना, इसके बारे में मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री जी आपराधिक दंड संहिता की धारा 436 के बारे में कह रहे थे। जहां तक विचाराधीन कैदियों की बात है, यदि उनकी सजा की अवधि समाप्त होने वाली है तो वे निश्चय ही इसके लाभ लेने के हकदार हैं। किंतु देश में अधिकांश विचाराधीन कैदियों को आपराधिक दंड संहिता की धारा 436 के अनुसार वह लाभ नहीं मिल रहा है।

किंतु मेरा सवाल अभी भी है और यही वजह है कि मैं

इसकी गहन जांच कर रहा हूं। यदि आप अन्य लंबित मामलों के संभावित प्रभाव के बारे में सम्मानित सभा को यह बता सकें तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। जब आप इस अधिनियम की धारा 2 (खंड ग) के तहत वाणिज्यिक विवादों हेतु प्राथमिकता वाला दर्जा देंगे तो आपराधिक तथा सिविल विवादों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित अन्य मामलों का हश्र क्या होगा?

महोदय, यहां मेरा मेरे मित्र से विवाद है, और मान लो वह एक सिविल विवाद है। अब 3 लाख रुपये वाले वाणिज्यिक विवाद को कोई प्राथमिकता वाला दर्जा मिल रहा है। किंतु एक वाणिज्यिक विवाद के लिए ही प्राथमिकता वाले दर्जे के लिये कोई अलग तार्किक स्पष्टीकरण क्या है? मेरे विचार में, एकमात्र कारण है - कारोबार सुगमता। अत: इस बात को स्पष्ट करना है। यह स्पष्ट नहीं की गई है।

अंतत:, मैं माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ पूर्णत: सहमत हूं। इस पूरी सभा तथा राज्य सभा में भी आपके दृष्टिकोण का समर्थन किया था जब आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक लाये थे। हमने आपकी बहुत प्रशंसा की थी क्योंकि आपने उस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय इस संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था।

अब हम इस विधेयक का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं किंतु यदि उच्चतम न्यायालय इस विधेयक को खारिज कर देता है तो क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक उपाय या व्यवस्था है? सरकार के पास उच्चतम न्यायालय के नर्णय को बदलने की कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति क्यों नहीं है? जहां तक देश के लिए कानून बनाने का संबंध है, अभी भी मैं यह विश्वास करता हूं कि यह संसद कानून बनाने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यदि उच्चतम न्यायालय इस विधेयक को निरस्त कर देता है तो इससे निपटने के तरीक और माध्यम निश्चित रूप से उपलब्ध हैं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास इस समस्या को सुलझाने की इच्छा शक्ति है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक संतुलित विधान है। जहां तक देश का संबंध है, यह एक अच्छा विधान है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संसद के बीच भी संतुलन बनाने का कार्य कर रहा है।

अत:, सभा की ओर से मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस विधेयक को किसी भी प्रकार पारित करने की पहल की जाए तथा उच्चतम न्यायालय से इसकी पुष्टि कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में इस सम्मानित सभा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से मैं सहमत हूं। संसद ने इस विधेयक को पारित किया था तथा इसका सम्मान किया जाना चाहिए। किंतु मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मेरे पास सरकार से पूछने के लिए एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं किंतु न्यायपालिका के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी स्वतंत्र होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं हुआ है। कॉलेजियम ने एक न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की थी...*

माननीय उपाध्यक्ष : नाम कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री के.सी. वेणुगोपाल : सरकार ने सिर्फ वही नाम अस्वीकृत क्यों किया? किस परिस्थिति के कारण सरकार उक्त नाम अस्वीकृत करने पर विवश हो गई?...*(व्यवधान)* सरकार के लिए भी ऐसी बातें ठीक नहीं हैं।...*(व्यवधान)* अत:, ये सरकार भी न्यायपालिका के लिए खतरा पैदा कर रही है।...*(व्यवधान)* यह सरकार न्यायपालिका को भी धमकी दे रही है...*(व्यवधान)* इसी कारण यह स्थिति पैदा हुई है...*(व्यवधान)* सिर्फ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बातें करना स्वीकार योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न दूसरा है लेकिन आर्डिनेंस रूट पर लगातार जो चर्चा हो रही है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। आपको वर्ष 2013-14 का ध्यान होगा, सेबी के आर्डिनेंस के लिए कांग्रेस सरकार, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं, चार बार आर्डिनेंस लेकर आई थी।

कमर्शियल कोर्ट का बिल लेकर ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस के आधार पर सरकार आई है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह इलाका संथाल परगना है। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, झारखंड में एक अनऑफिशियल भारत सरकार के साथ बातचीत हुई।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : आप क्या स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : हम गरीब हैं, हमारा हाई कोर्ट

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रांची है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए ज्युरिसडिक्शन तय कर रहे हैं, एक करोड़ से तीन लाख ला रहे हैं। आप गरीब व्यापारियों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। संथाल परगना के गरीब लोगों को 350-400 किलोमीटर जाने में देर लगती है। आपने अधिकार हाई कोर्ट को दिया हुआ है। हाई कोर्ट के बैंच का मामला संथान परगना, दुमका में पेंडिंग है। मेरा निवेदन है कि आप उसके बारे में ध्यान दें।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह प्रणाली एक करोड़ से तीन लाख इसलिए की जा रही है ताकि अंबानी और ठेले वाला बराबर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके।

हम अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट में पांच लाख रुपए में वकील खड़ा कर पाएगा? जब आप कोर्ट में केसेज की संख्या बढ़ाएंगे तो वकीलों की फीस भी ज्यादा होगी क्योंकि अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। गरीब आदमी को भी अधिकार मिले और वह सुप्रीम कोर्ट में जा सके, क्या इस बिल के बाद आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति की जाए। हाल ही में सदन में सैक्सुअल ह्रासमेंट और ह्यूमेन ट्रैफिकिंग दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए हैं। ऐसी स्थिति में एडहॉक बेस पर रिटायर्ड जज नियुक्त होंगे तो क्या सरकार सैक्सुअल ह्रासमेंट के केस उनके माध्यम से देखे जाने का कोई प्रावधान करेगी।

[अनुवाद]

डॉ. ए. सम्पत : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं 'व्यापार करने में सुगमता' तथा जीवन के अधिकार इत्यादि के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आई है। माननीय मंत्री जी कार्यवाही ज्ञापन से भलीभांति परिचित हैं। उच्चतम न्यायालय एवं सरकार के बीच पत्र व्यवहार में सरकार की ओर से विलंब हुआ है। जब उच्चतम न्यायालय की ओर से सरकार को कुछ नामों का सुझाव दिया जाता है, तब सरकार उच्चतम न्यायालय को जवाब देने में काफी समय लेती है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यदि दो या दो से ज्यादा न्यायाधीश एक ही मातृभाषा बोल रहे हैं तथा एक ही राज्य से हैं, तो क्या उच्चतम न्यायालय में उनका होना पाप है। यदि उच्चतम न्यायालय में एक ही राज्य से कुशल, वरिष्ठ एवं योग्य न्यायाधीश हैं, तो क्या यह पाप है? ऐसा हुआ है।

महोदय, मैं दक्षिण भारत से हूं। दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें वंचित किया जा रहा है। मैंने चर्चा के दौरान भी उनसे पूछा था। अभी भी माननीय मंत्री महोदय उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान है परंतु उच्चतम न्यायालय की कोई पीठ दिल्ली के अतिरिक्त किसी और जगह स्थापित नहीं की गई है।

शक्ति का केंद्र अभी भी दिल्ली में ही है। राजनीतिक सत्ता की जगह भी अभी दिल्ली में ही है; न्यायिक शक्ति की जगह भी दिल्ली में ही है। क्या सरकार न्यायपालिका की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए कोई पहल करेगी?

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अत्यंत गंभीर समानता है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाते हैं तो भारत सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, अध्यादेश का मार्ग अपनाने के संबंध में मैंने विस्तृत रूप से अपनी बात कही है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। *[हिन्दी]* लेकिन एक बात जो बार-बार कही जा रही है कि लगता है सब कुछ कमर्शियल कोर्ट में ही होगा, बाकी बंद हो जाएगा। मीनाक्षी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि लॉ कमीशन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि इस तरह के 47 परसेंट कमर्शियल केसेज हैं। आज भी दिल्ली हाईकोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो, मुम्बई हाई कोर्ट हो या राजस्थान हाई कोर्ट हो वहां क्रिमिनल—केस भी होते हैं और सिविल केस भी होते हैं। आप निचले कोर्ट में चले जाएं चाहे पूर्णिया हो या केरल हो, वहां मुंसिफ दीवानी केस भी सुनता है और मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केस भी सुनता है। यह बात कही जा रही है कि चूंकि कमर्शियल कोई हो रहा है, तो सब कोर्ट बंद हो जाएंगे, यह हम उचित नहीं मानते हैं।

बार-बार एडहॉक जजेज के बारे में बात कही गयी...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* कृपया मुझे न टोकें क्योंकि मैंने आपको नहीं टोका था। यह एक मित्रवत प्रतिबद्धता है जो मैं आपसे चाहता हूं। आपने अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्वक आज अपनी बात कही है।

मैं जिस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं, वह अति महत्वपूर्ण है। यदि नियुक्ति की जाती है, तो हमारे पास पर्याप्त न्यायाधीश हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका में 5000 रिक्तियां हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है; राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं है और मुझे अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा के होने में पूर्ण तर्क नजर आता है, परन्तु उच्च न्यायालय सहमत नहीं हैं। इसलिए, हमने सुझाव दिया है कि 5000 पदों हेतु केन्द्रीकृत परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो आगे चलकर अपर जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। यह सभी मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। मैं सरकार की ओर से अपना श्रेष्ठ कर रहा हूं ताकि न्यायपालिका की विविधता को बनाए रखा जा सके।

पीठों के संबंध में एक प्रश्न आया। स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा उच्चतम न्यायालय की पीठ केवल दिल्ली में रहनी चाहिए। अब, मैं क्या करूं, एडवोकेट सम्पत? आप स्वयं प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं। मैं क्या कर सकता हूं। उच्चतम न्यायालय ने नई पीठों के गठन हेतु निर्णय दिया है, मुख्य न्यायधीश की सहमति आवश्यक है। *[हिन्दी]* अगर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय राजेश रंजन जी यह अनुशंसा करें कि एक बेंच पूर्णिया में खोली जानी चाहिए, तो हम गंभीरता से विचार करेंगे। माननीय निशिकान्त दुबे जी अगर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क करके और उनसे चर्चा करने के बाद कहेंगे कि एक बेंच दुमका में लाइए, तो उस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन, जब तक हाई कोर्ट की अनुशंसा नहीं होगी तब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह हम आपसे कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

यह पाप नहीं है, एडवोकेट सम्पत, यदि न्यायधीश एक राज्य से आते हैं। परन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति करते समय यदि अनेक उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, जहां वरिष्ठ सक्षम व्यक्ति हैं और हम केवल एक उच्च न्यायालय से नियुक्ति कर रहे हैं तो विधि और न्याय मंत्री के रूप में, मैं इस चिन्ता को न्यायालय को बताने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। यह निर्णय उन्हें लेना है परन्तु जब मैं उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया देखूंगा, मुझे स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नियुक्ति को भारत की विविधता को भी इंगित करना चाहिए। यह समान रूप से महत्वपूर्ण है।

मैं, यहां एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। अपने व्यापक अनुभव के साथ, आप जानते हैं कि हम इस सभा में 'व्यक्तिगत न्यायाधीशों' के नामों पर चर्चा नहीं करते हैं। इस परंपरा को बनाए रखा जाना चाहिए...*(व्यवधान)* महोदय, मैं श्री खड़गे से सहमत नहीं हूं। हम इस विषय पर पर्याप्त चर्चा कर चुके थे। मैं न्यायिक सेवा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हूं, यदि श्री अनंत कुमार सहमति प्रदान करें।

महोदय, मैं आपसे मतदान प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। यह न्याय का प्रश्न है। एक बार जब यह सरकार के पास आया -* मामला आप वापस भेजिए।

माननीय उपाध्यक्ष : नाम कार्यवही वृतांत में नहीं जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह पुन: आया है। इसकी पुन: सिफारिश की गई है। फिर भी यह फाइल हमारे पास लंबित है...*(व्यवधान)* क्या वे न्यायपूर्ण या स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहे हैं? आप हमेशा हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप जिसे भी पसंद करें, उसका समर्थन करें और जिसे पसंद न करें, उसका विरोध कर रहे हैं। यह आप की मानसिकता है। आप स्पष्टीकरण दीजिए...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 2018 को प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2018 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है -

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4 धारा 2 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 15 -

"तीन लाख रुपए" **के स्थान पर** "सात लाख पचास हजार" **प्रतिस्थापित** करें।" (1)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 4 के संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा :

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा 3 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर - उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 11 नए अध्याय 111क का अंत-स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन संख्या-3 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 3, पंक्तियां 30 और 31 -

"ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए" **के स्थान पर** "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध" **प्रतिस्थापित** करें।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड-11 के संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपने खंड 17 के संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रख रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, संशोधन संख्या-4 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित है। इसलिए, मैं संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिए नहीं रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 से 20 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.54 बजे

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम मद संख्या 15 और 16 दोनों एक साथ लेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2018 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री [कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त)] : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए चुनी हुई खेलकूद विद्या शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय, जो अपने प्रकार का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है, की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में खेल के लिए ऐसी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो खेल के अलग-अलग विभागों के अंदर ट्रेनिंग कर सके और एक लीडिंग अथॉरिटी की तरह मार्गदर्शन कर सके। यह प्रस्तावित है कि स्टेट ऑफ मणिपुर में, अपने आपमें पहली बार, इस तरह की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए।

इसमें स्पोर्ट्स एजुकेशन भी प्रमोट हो, स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स टैक्नॉलोजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स कोचिंग और साथ-साथ रिसर्च भी हो ताकि स्पोर्ट्स जो आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है, उसके अंदर भारत भी अपनी भागीदारी विश्व के अंदर भी निभा सके। इस कारण से इसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के अंदर जनवरी 2018 से दो कोर्सेज शुरू हो गये - बैचलर ऑफ फिजीकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ कोचिंग। अब ये दोनों कोर्सेज जो वहां शुरू हो गये और छात्रों को नुकसान न हो, इसके लिए यह जरूरी था कि सरकार आर्डिनेंस लेकर आए क्योंकि यह बिल पास नहीं हो पाया था। आज मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा और विचार-विमर्श करे और इसको पास करे।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 का विरोध करता हूं।

महोदय, इस सत्र के दौरान जैसा कि सभा में बार-बार कहा गया है, यह छठा अध्यादेश है, जिस पर यह सम्मानित सभा चर्चा कर रही है। इस मामले में यह बहुत अजीब अनुभव है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 10 अगस्त, 2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और इसे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने 15 जनवरी, 2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैं भी मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। स्थायी समिति ने विभिन्न लोगों से साक्ष्य लिये, विस्तृत चर्चा की गई और अंत में समिति ने राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 के संबंध में एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

परंतु स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात क्या हुआ? यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात सरकार द्वारा 31 मई, 2018 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है, तो यह एक अजीब अनुभव है। यह विधेयक 10 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित किया गया था और गहन जांच के लिए इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों की विस्तार से जांच करने के पश्चात अपने प्रयासों और कठिन परिश्रम से 6 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ कतिपय सिफारिशें की थीं।

महोदय स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात सरकार की क्या भूमिका है? जब प्रक्रिया संबंधी नियमों में

स्थायी समिति की पद्धति को शामिल किया गया है, तो सरकार द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि सरकार स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है तो उसे समुचित संशोधन लाने चाहिए। स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ विधेयक को विचारार्थ लाने के बजाय सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने का रास्ता अपनाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक इस विधान का संबंध है, तो यह वास्तव में असामान्य बात है। अन्यथा सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति को क्यों भेजा?

इस मामले में एक दुर्लभ बात और हुई। तत्पश्चात, इस सत्र में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 को वापस लिया गया। इसलिए जो विधेयक आज विचारार्थ लबित है, वह विधेयक 2018 का है। लेकिन इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें केवल 31 मई, 2018 को प्रख्यापित अध्यादेश का निरसन करने का उपबंध है। ऐसी स्थिति में फिर से वही प्रश्न उठता है कि सरकार अध्यादेश जारी करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों थी? इस अध्यादेश को जारी करने में इतनी जल्दी क्यों थी? इसलिए मैं एक बार फिर से इस सभा में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस देश की संसदीय प्रणाली को सरकार द्वारा व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ढाई महीने की अवधि के भीतर 6 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए और वह भी बिना किसी आपात स्थिति, आवश्यकता अथवा तात्कालिक आवश्यकता के। अध्यादेश जारी करने हेतु कोई बाध्यकारी परिस्थितियां अथवा असाधारण स्थितियां नहीं थीं। एक के बाद एक अध्यादेशों को प्रख्यापित किया जाना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लि सही नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि संसद को आप हल्के में नहीं ले सकते। यह संसद इस सरकार के सभी शासनात्मक कार्यों पर मुहर लगाकर उन्हें सही ठहराने वाला प्राधिकरण नहीं है। संसद का यह कार्य नहीं है।

अत:, विधान के अध्यादेश मार्ग का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया हो। स्थायी समिति द्वारा बेहद ठोस सुझाव दिए गए थे। उन सिफारिशों को शामिल करने के बजाय, उन सिफारिशों को स्वीकार करने के बजाय और समुचित संशोधनों के साथ विधेयक लाने के बजाय यह सरकार सभा के समक्ष अध्यादेश लेकर आई है। जहां तक संसदीय आचार का संबंध है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यादेश के संबंध में यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, अब विधेयक पर बात करते हैं। मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पूर्ण खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद विश्वविद्यालय नहीं है। वर्तमान में हमारे पास लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है। लेकिन जहां तक इस संस्थान का संबंध है, तो इसकी कतिपय सीमाएं हैं। यह एक मानद विश्वविद्यालय है। यह शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि और शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि ही प्रदान करने तक सीमित है। इस विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान केवल खिलाड़ियों और कोच के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

महोदय, जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है, खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन, और खेलकूद कोचिंग ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं और हमारे पास इन मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए कोई उपयुक्त फोरम नहीं है। इस अंतर को पाटने के लिए और देश में व्यापक खेलकूद वातावरण सृजित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय जिसे सांविधिक समर्थन प्राप्त हो, की अत्यंत आवश्यकता है। मैं इस राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2017 और 2018 का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

महोदय, जब हम खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार करें तो इसके प्रावधानों को भी देखा जाना चाहिए। यह पूर्ण रूप से खेलकूद विश्वविद्यालय है।

महोदय, चूंकि समय अत्यंत सीमित है, मैं खेलकूद विश्वविद्यालय के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। खेलकूद विश्वविद्यालय का एक मायने में अर्थ यह है कि इसकी स्वायत्त प्रकृति होनी चाहिए और इसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। खेलकूद विश्वविद्यालय का शैक्षणिक चरित्र उसके अपने निर्णयों, नियमों, विनियमों आदि के द्वारा निर्धारित और कार्यान्वित किया जाएगा। इसलिए, खेलकूद विश्वविद्यालय की प्रकृति स्वायत्त होनी चाहिए।

महोदय, हम एक खेलकूद विश्वविद्यालय बना रहे हैं। इसलिए, खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय, इसको शैक्षणिक क्रियाकलाप और व्यवसायिक प्रशिक्षण के विकास के

लिए स्वायत्ता और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यहां इस विश्वविद्यालय को उत्तर-पूर्व में मणिपुर में स्थापित किया जाएगा जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं हालांकि हमारे अनुसार इस विश्वविद्यालय के लिए केरल सबसे उपयुक्त राज्य है क्योंकि एथलेटिक्स, फुटबॉल और अन्य खेलकूद क्रियाकलापों में अनुभव के अनुसार केरल एक अग्रणी राज्य रहा है। निःसंदेह इस विश्वविद्यालय को केरल में स्थापित किया जाना चाहिए था लेकिन इसे मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है, फिर भी मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक उत्तर-पूर्वी राज्य है और इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। वहां खिलाड़ियों और खेलकूद क्रियाकलापों का विकास किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

महोदय, चर्चा के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री से केरल में खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करने का आग्रह करता हूं। केरल में क्षेत्रीय केंद्र या कोई अन्य केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। इसलिए, केरल राज्य को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व, महत्ता प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, शैक्षणिक क्रियाकलापों में सुधार किया जाना चाहिए और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता है क्योंकि पहले ही बहुत से संस्थान विद्यमान हैं। इसलिए, हम विशेष प्रयोजन से एक खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्वायत्त प्रकृति प्रदान करने के लिए हम इस कानून के माध्यम से इसे सांविधिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कतिपय प्रावधानों में, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय पर परम अधिकार है। यदि आप विधेयक के कतिपय प्रावधानों की जांच करें तो केंद्र सरकार विश्वविद्यालय की प्रकृति के संबंध में अपने विवेक और अधिकार का उपयोग कर रही है। यही एकमात्र आपत्ति है जो मैं इस विधेयक की विषय वस्तु या अध्यादेश की विषय वस्तु के संबंध में दर्ज कराना चाहता हूं।

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय कभी भी खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग नहीं होगा। यह केवल नाममात्र के लिए विश्वविद्यालय नहीं होगा। कृपया राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक के विभिन्न अध्यायों को पढ़िए। मैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अपितु ढांचागत संगठन, नियमों, विनियमों और इन सभी मामलों में जांच और निरीक्षण के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने संपूर्ण प्राधिकार का उपयोग कर रही है। विश्वविद्यालय के दैनिक क्रियाकलापों को भी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा रहा है जिसका मतलब है कि इस विधेयक में विश्वविद्यालय का स्वायत्त चरित्र लुप्त है। इसे यथाशीघ्र ठीक किया जाना चाहिए। यह पहला मुद्दा है जो मैं इस विधेयक के संबंध में उठाना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक के दो खंडों नामतः खंड 7 और खंड 25 को पढ़कर इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। विधेयक के खंड 7 में केंद्र सरकार को बाधा रहित स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इस विधेयक के खंड 7 में भारत सरकार का वर्णन किया गया है। इस विधेयक के खंड 7(1) के अनुसार "केंद्र सरकार विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए समय-समय पर एक या इससे ज्यादा लोगों की नियुक्ति कर सकती है..." ठीक है, हम इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन तत्पश्चात, विधेयक के खंड 7(1) के अनुसार: "...इसके द्वारा अनुरक्षित दूरस्थ कैम्पसों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, रीजनल सेंटर और अध्ययन केंद्रों सहित और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए...और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई और उक्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।" इसका मतलब है कि पर्यवेक्षण के लिए दो लोगों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां केवल विश्वविद्यालय में ही नहीं की जाएंगी। मान लीजिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत पटियाला में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाता है, कश्मीर में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाता है, यदि देश के विभिन्न भागों में कोई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शुरू किया जाता है तो भारत सरकार के कार्मिक उस महाविद्यालय में सीधे जा सकते हैं और वे निरीक्षण और जांच कर सकते हैं। वे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और विश्वविद्यालय केंद्र सरकारों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। तब विश्वविद्यालय का क्या मतलब रह जाएगा? यदि ऐसा केवल विश्वविद्यालय के भीतर हो तो हम इसे समझ सकते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं और संगठनों का निरीक्षण और जांच पर्यवेक्षण समिति द्वारा की जाएगी और पर्यवेक्षण समिति के सभी निदेशों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह एक केंद्र सरकार का प्राधिकरण है। इसलिए, मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय कभी भी खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत किसी विभाग के रूप में कार्य नहीं करेगा।

खंड 7(2) के अनुसार, केंद्र सरकार के पास ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों, खेलकूद परिसरों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, और उपकरणों और इसके किसी दूरस्थ कैंपस के संबंध में निरीक्षण करवाने का और निदेश देने का अधिकार होगा। मैंने 'पूछताछ' शब्द को हटाने के संबंध में

कई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। 'निरीक्षण' तो ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विद्यमान है। यदि विश्वविद्यालय भारत सरकार के कानूनों, अध्यादेशों का उल्लंघन करती है तो इस संबंध में कई अन्य प्रावधान हैं। यदि सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है तो विश्वविद्यालय की क्या भूमिका है? विधेयक के अनुसार जहां कोई जांच या निरीक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तो विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा जिसे ऐसी निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा। मैं समय की कमी के कारण ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

खंड 7(9) के अनुसार - यह अत्यंत रोचक है - कि इस खंड के पूर्व प्रावधानों के बिना किसी पूर्वाग्रह के, केंद्र सरकार लिखित में आदेश देकर विश्वविद्यालय की किसी भी कार्रवाई को, जो कि इस अधिनियम या कानूनी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, निरस्त कर सकती है।

इस प्रकार से प्रावधान चल रहे हैं। इसलिए इस संबंध में मुझे शंका है। खंड 25(1) भी मौजूद है। वहां भी केंद्र सरकार को इस विश्वविद्यालय के कार्यों का नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है।

खेलों के संबंध में इस देश की स्थिति बहुत खराब है। 130 करोड़ की भारतीय जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय मानकों पर न तो ओलंपिक्स के लिए और न ही फुटबॉल के काबिल है। यह खराब स्थिति हर जगह है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की और भारत सरकार के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने समारोह में कहा कि खेल, सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। यह पूर्णतया सही है। खेल, स्वास्थ्य प्रबंधन और शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक है। मेरा सुझाव यह है कि विद्यालयों में खेलों का एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के माध्यम से जो कि सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति विकसित करने के लिए आरंभ किया गया है, जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान की जानी है। यदि आप खिलाड़ियों की पहचान करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कोचिंग, प्रशिक्षण, पोषण और प्रोत्साहन देते हैं तो निश्चितत: भारत में खेल संस्कृति विकसित हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसी देश में बनाए जा सकते हैं जिसके लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक में एक सराहनीय कदम है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मई, 2018 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए चुनी हुई खेलकूद विद्या शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय, जो अपने प्रकार का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है, की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

वो समां तैयार करो, वो जहां तैयार करो,
लगे मेडलों का अम्बार, वो मुकां तैयार करो।

मेडलों का अम्बार लगे, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इस देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रयास किये गये और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अगर दुनिया भर के किसी देश की ताकत का आकलन होता है, तो वह उसकी अर्थव्यवस्था से होता है, सैन्य क्षमता से होता है या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कितना अच्छा कर पाता है, इससे होता है।

अभी सदन में पिछले बिल पर श्री रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। सभी के मन में प्रसन्नता है कि भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन, खेलों के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम उतना आगे बढ़ पाए हैं?

खेलों के बड़े आयोजन के संबंध में कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कही गयी। उसका आयोजन कैसे हुआ, यह पता नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा धब्बा उस समय के आयोजकों और सरकार पर लगा। खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर भी खेलों को नहीं छोड़ा गया। वहां से भी भ्रष्टाचार की बू आनी शुरू हुई।

माननीय मंत्री जी, मैं आपके मंत्रालय को बधाई देना

चाहता हूं क्योंकि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, आपने उस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। मूझे पूर्ण विश्वास है, इससे खेलों को बल मिलेगा।

मणिपुर में बनने वाले इस नेशनल स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी पर 254 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। *[अनुवाद]* खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा के संवर्धन हेतु यह अपनी तरह का एक विशिष्ट विश्वविद्यालय होगा।

[हिन्दी]

हर क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया गया है। यह सिलेक्ट स्पोर्ट्स डिसीप्लिन के लिए एक नेशनल ट्रेनिंग सेन्टर होगा। इसके माध्यम से अलग-अलग स्थानों पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। लेकिन, यहां पर मेरा एक मौलिक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार भारत खेलों के क्षेत्र में उतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? दुनिया में हमारे पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है। हम कहते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। यदि उसे सही दिशा नहीं दी जाएगी, तो शायद इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, खेल प्रेमी भी हैं और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बजट में बढ़ोतरी भी की है। लेकिन, मेरा मानना है कि 21 लाख करोड़ रुपये का बजट भी कम है।

इसके बारे में कहा जाता है कि स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जैक्ट है। राज्य इसके लिए कितना पैसा देते हैं? इस पर कितना खर्चा होता है? एच.आर.डी. मंत्रालय के माध्यम से भी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं? लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पैसा बहुत कम है, बहुत सीमित है। हम कैसे बड़े खिलाड़ी पैदा कर पाएंगे?

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न रहेगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि वे इसका उत्तर दें कि भारत में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर खेलों का आधारभूत ढांचा कितना है, क्या इसके आंकड़े आपके पास हैं? देश स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किस खेल में हमारे पास क्या टैलेंट एवेलेबल है, क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं? कोचेज की एवेलिबिलिटी राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर क्या है, क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं? आप कौन से खेलों को प्राथमिकता देंगे? जिन खेलों में हम मैडल जीत सकते हैं, सब से ज्यादा प्राथमिकता उन खेलों के लिए और उससे कम प्राथमिकता किन खेलों के लिए है? दुनिया भर की ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट कितनी बड़ी, अमेरिकन स्पोर्ट्स मार्केट कितनी बड़ी है और भारतीय स्पोर्ट्स मार्केट कितनी बड़ी है, क्या आपके पास इसके आंकड़े हैं? स्पोर्ट्स मैन्युफेक्चरिंग के क्षेत्र में हम कितना रोजगार दे पाते हैं? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के माध्यम से कितना रोजगार मिल पाएगा? खिलाड़ियों के पास कितने टूर्नामेंट्स एवेलेबल हैं? क्या खिलाड़ियों के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कोई प्लेटफार्म है?

ओलंपिक्स में मैडल्स जीतने की बात की जाती है। क्या हम इतनी बारीकी में कभी काम करते हैं कि ओलंपिक्स में ट्रैक एण्ड फील्ड में कितने मैडल्स हैं, फेंसिंग और अलग-अलग खेलों में कितने मैडल्स हैं? क्या हमने इस पर कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत में किन खेलों को लेकर संभावनाएं हैं? क्या हमें नीचे से आंकड़े नहीं जुटाने चाहिए? देश के स्कूल्स और यूनीवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां-कहां है, कौन सी यूनीवर्सिटीज खेलों को आगे बढ़ने के लिए अवसर दे पा रही हैं और उन यूनीवर्सिटीज को आपके माध्यम से या एच.आर.डी. मंत्रालय के माध्यम से कितना बजट मिल पाता है? अगर हम वर्ष 2016 के ओलंपिक गेम्स की बात करें, और अगर उस कैटिगरी में स्टैनफोर्ड यूनीवर्सिटी को अकेला देखा जाए, तो मेरे ख्याल से उसमें 5वें नंबर पर वह आएगी, जिसने सबसे ज्यादा मैडल्स जीते होंगे? क्या भारत में एक भी ऐसी यूनीवर्सिटी है? कोई ऐसा खेलों का स्कूल है? 70 सालों में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला के अलावा हम कौन-सा दूसरा इंस्टीट्यूट दे पाए? फिजिकल एजुकेशन में हमने ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट दिया। इसके सिवा हमने इस देश को क्या दिया है?

हम यह कहते हैं कि हमारी 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 65 परसेंट नौजवान हैं, खिलाड़ी हमारे पास हैं, लेकिन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर हमारे पास क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत के कितने खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए विदेशों में जाते हैं? उन पर कितना पैसा खर्च किया जाता है? अगर पिछले 10-20 वर्षों में वह पैसा भारत के अंदर आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए खर्च किया गया होता, तो न केवल भारत के खिलाड़ी यहां खेलते, बल्कि हम दुनिया भर के खिलाड़ियों को भारत लाने का प्रयास कर सकते थे। यह प्रयास पिछली सरकार के माध्यम से क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है?

मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, चुनौतियां कई फ्रंट्स पर हैं। इसकी पहली शुरुआत मानसिकता से होती है। हमारे देश में हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा शारीरिक

और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो। वह तेंदुलकर बने, धोनी बने, विराट कोहली बने या किसी और खेल का खिलाड़ी बने। लेकिन जैसे ही वह बच्चा 14 वर्ष का हो जाता है, उसके मां-बाप उस पर प्रैशर बनाना शुरू करते हैं कि शायद खेलों में तुम्हारा कोई करियर न बन पाए, इसलिए तुम पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। आखिर उनको अपने बच्चों का भविष्य खेलों में क्यों दिखाई नहीं देता? इसका क्या कारण है? अमेरिका और बाकी देशों में 14 वर्ष के बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है कि आगे बढ़ो और खेलो। स्कूल से लेकर यूनीवर्सिटी तक उसका हाथ पकड़ा जाता है और उसे खेलों की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे देश में ये कमियां क्यों हैं?

अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत जी टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलाने ले गए। जिन खिलाड़ियों ने अच्छा काम किया, प्रधान मंत्री जी स्वयं उनसे मिलना चाहते थे। जिस देश के प्रधान मंत्री खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हों, मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मोदी जी ऐसा करते हैं और खेलों को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। ऐसा हमारे प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। खिलाड़ी मान-सम्मान चाहता है। वह खेलने के लिए प्लेटफार्म चाहता है। वह आगे बढ़ने का अवसर चाहता है। कहीं न कहीं पिछली सरकार लुक ईस्ट के बारे में कहती थी। आपने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के माध्यम से अगर 524 करोड़ रुपये की यूनिवर्सिटी खोलने की कहीं पर शुरुआत की, तो मणिपुर राज्य में आपने की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

उत्तर-पूर्वी राज्य में जो आपने प्रयास किया है, यह अनूठा भी है, प्रशंसनीय भी है और स्वागतयोग्य भी है। मणिपुर जाने का अवसर भी सबको मिलेगा। साल के अंत में चाहे उनको डिग्रीज मिलें, एवार्ड्स मिलें, इससे नार्थ-ईस्ट को टूरिज्म में प्रमोशन भी मिलेगा। देश भर के इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएशन भी मिलेगा।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और यहां पर प्रपोज करना चाहता हूं कि हमें यहां पर बाइसिकल रिम मॉडल देना चाहिए, ताकि देशभर के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को उससे जोड़ा जाए। वहां पर नेशनल स्पोर्ट्स एक एक्सेल के रूप में काम करे और हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज रिम के रूप में।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्य, जैसा कि आपको विदित है, हम केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं।

अत:, सभा गुरुवार, 2 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.22 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 2 अगस्त, 2018/11 श्रावण, 1940 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	201
2.	प्रो. सुगत बोस	202
3.	डॉ. के. गोपाल श्री छोटेलाल	203
4.	श्री गजानन कीर्तिकर श्री सुधीर गुप्ता	204
5.	श्री के. अशोक कुमार	205
6.	श्री बलभद्र माझी	206
7.	श्री श्रीमती कविता कलवकुंतला	207
8.	श्री राजू शेट्टी	208
9.	श्री भीमराव बी. पाटील	209
10.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	210
11.	श्रीमती मौसम नूर	211
12.	श्री एम. चन्द्राकाशी	212
13.	श्री शंकर प्रसाद दत्ता	213
14.	श्री ताम्रध्वज साहू	214
15.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	215
16.	श्री प्रताप सिम्हा	216
17.	डॉ. भागीरथ प्रसाद	217
18.	श्री जयप्रकाश नारायण यादव	218
19.	श्री सी.एन. जयदेवन	219
20.	श्री सुमेधानन्द सरस्वती श्री आर. ध्रुवनारायण	220

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	2379
2.	डॉ. रघु शर्मा	2502
3.	डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक"	2376
4.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	2308, 2317, 2329, 2512, 2525
5.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	2400
6.	श्री आनंदराव अडसुल	2308, 2329, 2512, 2525
7.	श्रीमती संतोष अहलावत	2411
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2412
9.	श्री सिराजुद्दीन अजमल	2349
10.	श्री सरफराज़ आलम	2507
11.	श्री एंटो एंटोनी	2308, 2519, 2402
12.	श्री ए. अरुणमणिदेवन	2416
13.	श्री अश्विनी कुमार	2323
14.	श्री कीर्ति आजाद	2419
15.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	2420
16.	श्री जार्ज बेकर	2351, 2519
17.	श्रीमती अंजु बाला	2362
18.	श्री बलका सुमन	2445, 2516
19.	श्री प्रसून बनर्जी	2374
20.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	2308, 2317, 2329, 2512, 2525
21.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	2459
22.	श्री आर.के. भारती मोहन	2365
23.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	2383
24.	श्री देवेन्द्र सिंह भोले	2520
25.	श्री पी.के बिजू	2515, 2360

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
26.	श्री ओम बिरला	2325, 2526
27.	श्री राधेश्याम बिश्वास	2361
28.	श्री सी. गोपालकृष्णन	2332, 2437
29.	कर्नल सोना राम चौधरी	2418
30.	श्री निहाल चन्द	2355
31.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	2308, 2317, 2525
32.	श्री एम. चन्द्रकाशी	2519
33.	श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	2307, 2321, 2511
34.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	2483
35.	श्री पंकज चौधरी	2442
36.	श्री देवुसिंह चौहान	2311, 2326
37.	श्री दुष्यंत चौटाला	2433
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2436, 2475
39.	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	2452
40.	प्रो. चिन्तामणि मालवीय	2367
41.	श्री राम टहल चौधरी	2345
42.	श्री राजेशभाई चुड़ासमा	2364
43.	श्री शंकर प्रसाद दत्ता	2357, 2519
44.	श्री रमेन डेका	2443
45.	कुमारी सुष्मिता देव	2521, 2526
46.	श्रीमती रमा देवी	2401
47.	श्रीमती वीणा देवी	2494
48.	श्री संजय धोत्रे	2528, 2529
49.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2411
50.	श्री राजेश कुमार दिवाकर	2314
51.	श्री निशिकान्त दुबे	2345, 2387, 2394, 2456, 2519

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
52.	श्री सतीश चन्द्र दुबे	2530
53.	श्री निनोंग इरिंग	2461
54.	श्री देवजीभाई गोविन्दभाई फतेपारा	2341
55.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	2417
56.	डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड	2377
57.	श्री गजानन कीर्तिकर	2395, 2431, 2518
58.	श्री जैदेव गल्ला	2328, 2526
59.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	2316, 2434, 2522, 2524
60.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	2333, 2353
61.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	2301
62.	श्री आर. गोपालकृष्णन	2332
63.	श्री श्यामाचरण गुप्त	2392
64.	श्री सुधीर गुप्ता	2395, 2431, 2518
65.	श्री विजय कुमार हांसदाक	2345, 2436
66.	श्री जी. हरि	2306, 2366
67.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	2497
68.	श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	2465, 2519
69.	प्रो. रिचर्ड हे	2450
70.	श्रीमती हेमा मालिनी	2462
71.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	2467
72.	डॉ. संजय जायसवाल	2464, 2519
73.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	2352
74.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	2455
75.	डॉ. जे. जयवर्धन	2316, 2434, 2523, 2524
76.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	2340
77.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	2330, 2429, 2514

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
78.	श्री प्रह्लाद जोशी	2498
79.	श्री नारणभाई काछड़िया	2527
80.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	2407
81.	श्री पी करुणाकरन	2515, 2360
82.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2337
83.	श्री राहुल कस्वां	2397, 2519
84.	श्री रत्न लाल कटारिया	2362, 2428, 2527
85.	श्री नलीन कुमार कटील	2307, 2321, 2511
86.	डॉ. रामशंकर कठेरिया	2333
87.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2326
88.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	2336, 2513
89.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	2332
90.	श्री चन्द्रकान्त खैरे	2406
91.	मोहम्मद बदरुद्दोजा खान	2454, 2457
92.	श्रीमती किरन खेर	2309, 2500
93.	श्री राम मोहन नायडु किंजरापु	2338
94.	श्री जुगल किशोर	2369, 2522
95.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2424
96.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	2327
97.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	2451
98.	श्री बी. विनोद कुमार	2460
99.	श्री संतोष कुमार	2330, 2334
100.	श्री पी. कुमार	2357
101.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	2393, 2517
102.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	2346
103.	श्री सदाशिव लोखंडे	2440
104.	एडवोकेट एम. उदयकुमार	2358
105.	श्रीमती पूनमबेन माडम	2487

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
106.	श्री धनंजय महाडीक	2434, 2522, 2523, 2524
107.	श्रीमती पूनम महाजन	2409
108.	डॉ. बंशीलाल महतो	2385
109.	श्री विद्युत वरण महतो	2395, 2431, 2518
110.	श्री सी. महेन्द्रन	2303, 2343, 2471
111.	श्री भर्तृहरि महताब	2528, 2529
112.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	2453
113.	श्री हरि मांझी	2354
114.	श्री मनोहर उटवाल	2343
115.	श्रीमती के. मरगथम	2332, 2386
116.	श्री आर.पी. मरुदराजा	2439
117.	श्री अर्जुन लाल मीणा	2304
118.	श्री हरीश मीना	2436, 2448
119.	डॉ. थोकचोम मेन्या	2466
120.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	2368
121.	श्री अनूप मिश्रा	2309
122.	श्री पिनाकी मिश्रा	2427
123.	श्री पी.सी. मोहन	2504
124.	श्री एम. मुरली मोहन	2338
125.	श्री मोहम्मद सलीम	2454, 2457
126.	श्री सुनील कुमार मण्डल	2390
127.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	2482
128.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	2423
129.	श्री रोड़मल नागर	2363, 2408, 2516
130.	श्री पी. नागराजन	2332, 2339
131.	श्री बी.वी. नाईक	2470
132.	श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी	2306

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
133.	श्री अशोक महादेव राव नेते	2501
134.	श्री मानशंकर निनामा	2469
135.	श्री राम चरित्र निषाद	2510
136.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	2414
137.	श्रीमती कमला पाटले	2371
138.	श्री जगदम्बिका पाल	2391
139.	श्री हरि ओम पाण्डेय	2330, 2399
140.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2345, 2387, 2394, 2456, 2519
141.	श्री के. परसुरमन	2313
142.	श्री आर. पार्थिपन	2306, 2315
143.	श्री छेदी पासवान	2488
144.	श्री कमलेश पासवान	2318
145.	श्री देवजी एम. पटेल	2324
146.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2302
147.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	2484
148.	श्रीमती रीती पाठक	2369, 2381
149.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2373
150.	श्री संजय काका पाटील	2479
151.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	2493
152.	श्री के.आर.पी. प्रभाकरन	2415
153.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	2432
154.	श्री कृष्ण प्रताप	2320
155.	श्री एन.के. प्रेमचंद्रन	2480
156.	श्री टी. राधाकृष्णन	2395, 2431, 2518
157.	श्री राघव लखनपाल	2342
158.	डॉ. उदित राज	2388
159.	श्री राजन विचारे	2310, 2516

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
160.	श्री एस. राजेन्द्रन	2395, 2431, 2518
161.	श्री एम.बी. राजेश	2490
162.	डॉ. मनोज राजोरिया	2509
163.	श्री जनक राम	2315, 2481
164.	श्री विष्णु दयाल राम	2444, 2530
165.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	2382, 2403
166.	श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती)	2446
167.	श्री एम. वेंकटेश्वर राव	2324
168.	श्री डी.एस. राठौड़	2393, 2517
169.	श्री हरिओम सिंह राठौर	2368 2474
170.	श्री रामसिंह राठवा	2387
171.	डॉ. रत्ना डे (नाग)	2318
172.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	2308, 2317, 2329, 2472, 2525
173.	श्री विष्णु पद राय	2506
174.	डॉ. रवीन्द्र कुमार राय	2422
175.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	2449
176.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	2306, 2339, 2438
177.	श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी	2382
178.	श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी	2496
179.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	2312
180.	श्री चरणजीत सिंह रोड़ी	2471
181.	प्रो. सौगत राय	2473
182.	श्री राजीव प्रताप रूडी	2503
183.	श्री लखन लाल साहू	2319
184.	श्री राजकुमार सैनी	2485
185.	डॉ. कुलमणि सामल	2505

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
186.	डॉ. ए. सम्पत	2347, 2526
187.	श्री आलोक संजर	2404, 2437
188.	श्री नव कुमार सरनीया	2421
189.	श्री राजीव सातव	2316, 2434, 2522, 2524
190.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	2322, 2332
191.	श्री अरविंद सावंत	2458, 2516
192.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	2521, 2526
193.	श्री पी.आर. सेनथिलनाथन	2365
194.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	2520
195.	श्री मोहिते पाटिल विजय सिंह शंकरराव	2316, 2522, 2523, 2524
196.	श्री रामकुमार शर्मा	2495
197.	श्री गोपाल शेट्टी	2499
198.	श्री राहुल शेवाले	2441, 2528, 2529
199.	डॉ. श्रीकान्त एकनाथ शिन्दे	2308, 2317, 2329, 2512, 2525
200.	श्री अनिल शिरोले	2351, 2519
201.	डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	2336, 2513
202.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	2331
203.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	2335
204.	श्री राकेश सिंह	2372, 2525
205.	श्री अभिषेक सिंह	2405
206.	श्री भरत सिंह	2350
207.	श्री भोला सिंह	2435, 2483
208.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	2408
209.	कुंवर हरिवंश सिंह	2395, 2431, 2518
210.	श्री लल्लू सिंह	2384, 2492

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
211.	श्री रवनीत सिंह	2356
212.	श्री सुशील कुमार सिंह	2398, 2436
213.	श्री ज्ञान सिंह	2380
214.	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	2456, 2478
215.	श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह	2508
216.	श्री सुनील कुमार सिंह	2373, 2396
217.	श्री उदय प्रताप सिंह	2468
218.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	2344
219.	डॉ. किरीट सोमैया	2379, 2425
220.	श्रीमती नीलम सोनकर	2430
221.	श्री मलयाद्रि श्रीराम	2489
222.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2316, 2434, 2522, 2524
223.	श्री डी.के. सुरेश	2307, 2321, 2511
224.	श्री रामदास सी. तडस	2330, 2429, 2514
225.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	2305
226.	श्री अजय मिश्रा टेनी	2333, 2520
227.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2359
228.	श्री थांगसो बाइटे	2463
229.	डॉ. शशि थरूर	2413
230.	प्रो. के.वी. थॉमस	2334, 2477
231.	श्री मनोज तिवारी	2330
232.	श्री शरद त्रिपाठी	2447
233.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	2370
234.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	2458, 2516
235.	श्री विक्रम उसेंडी	2426
236.	श्री वी. एलुमलाई	2348

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
237.	श्रीमती वी. सत्यबामा	2374, 2486
238.	श्रीमती एम. वसन्ती	2375
239.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	2351, 2519
240.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	2378
241.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2389
242.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	2491
243.	श्रीमती रेखा वर्मा	2516

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
244.	श्री एस.आर. विजय कुमार	2395, 2431, 2518
245.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2308, 2329, 2476, 2512, 2525
246.	श्री ओम प्रकाश यादव	2411
247.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	2362, 2410
248.	डॉ. करण सिंह यादव	2333, 2384

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	218
संचार	:	204, 216
रक्षा	:	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	213
पृथ्वी विज्ञान	:	
इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	:	205, 207
विदेश	:	202
विधि और न्याय	:	201, 212, 219, 220
अल्पसंख्यक कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	217
योजना	:	
रेल	:	203, 206, 209, 210, 211, 214, 215
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	208
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2341, 2353, 2402, 2415, 2433, 2451, 2471, 2484, 2494
कोयला	:	2303, 2327, 2354, 2358, 2389, 2399, 2432, 2487, 2505
संचार	:	2302, 2326, 2333, 2345, 2349, 2355, 2357, 2379, 2401, 2422, 2429, 2445, 2460, 2465, 2472, 2493, 2497, 2506, 2510, 2525, 2528
रक्षा	:	2305, 2315, 2325, 2331, 2324, 2337, 2342, 2346, 2356, 2368, 2370, 2376, 2391, 2397, 2398, 2435, 2452, 2454, 2457, 2466, 2468, 2474, 2478, 2489, 2498, 2499
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:	2412, 2463
पृथ्वी विज्ञान	:	2351

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2301, 2309, 2312, 2319, 2324, 2328, 2340, 2362, 2375, 2382, 2390, 2423, 2427, 2428, 2437, 2442, 2456, 2470, 2480, 2491, 2527
विदेश	:	2311, 2314, 2320, 2323, 2352, 2367, 2371, 2400, 2409, 2411, 2420, 2425, 2446, 2449, 2473, 2482, 2483, 2496, 2501, 2503, 2509
विधि और न्याय	:	2313, 2332, 2335, 2363, 2387, 2388, 2413, 2438, 2464, 2481, 2486, 2514, 2515, 2526
अल्पसंख्यक कार्य	:	2369, 2394, 2405, 2414, 2418, 2431, 2434, 2522, 2529
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2310, 2318, 2339, 2385, 2395, 2419, 2436, 2448
योजना	:	2304, 2307, 2308, 2321, 2338, 2361, 2459, 2462, 2495, 2517
रेल	:	2317, 2322, 2329, 2330, 2336, 2343, 2344, 2348, 2359, 2360, 2364, 2365, 2372, 2373, 2374, 2378, 2380, 2381, 2383, 2384, 2386, 2392, 2393, 2396, 2403, 2404, 2406, 12407, 2408, 2421, 2424, 2426, 2430, 2439, 2440, 2441, 2444, 2447, 2450, 2453, 2455, 2458, 2467, 2469, 2475, 2476, 2477, 2479, 2485, 2490, 2492, 2500, 2502, 2504, 2507, 2511, 2512, 2513, 2516, 2519, 2520, 2521, 2530
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2316, 2377, 2417, 2443, 2461, 2488, 2508, 2518, 2523, 2524
अंतरिक्ष	:	2366, 2416
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2306, 2347, 2350, 2410.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. 40/XXXIII/10/2018

30

© 2018 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।